भारत में राजकीय व्यापार : आलोचनात्मक मूल्यांकन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल् उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक

प्रो० जी० सी० अग्रवाल

विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग

निदेशक, मोतीलाल नेहरू रिसर्च एण्ड विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

पूर्व प्रति-कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

शोध कर्त्ता

कृष्ण चन्द्र वर्मा

प्रवक्ता वाणिज्य

राजकीय महाविद्यालय ओबरा, सोनभद्र

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

१९९५

आमुख

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरण मे राज्य का एक मात्र कार्य जीवन,धन एव सम्पत्ति की सुरक्षा करना था जिसे वह केवल कानून की सरचना एव उसके परिपालन द्वारा सुनिश्चित कर लेता था परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्धसे राजकीय उत्तरादायित्वों मे तेजी से वृद्धि होने लगी । वर्तमान समय मे राज्य आर्थिक प्रक्रिया का मूकदर्शक मात्र बनकर नही रह सकता बल्कि समाज के सभी पक्षों के सरक्षक, नियन्त्रक और अभिभावक के रूप मे उसकी सक्रिय भूमिका हो गयी है । आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नागरिकों की गर्भकाल से अन्त्येष्ठि तक की देखभाल करे ।

हमारे देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एव समाजवादी समाज की सरचना के पुनीत सकल्प को स्वीकार किया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन एव वितरण में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी एव राजकीय नियन्त्रण के औचित्य को भी आत्मसात् किया है। सरकार उत्पादन एवं वितरण मे अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से तथा इस पर नियन्त्रण विभिन्न कानूनों के माध्यम से करती है । आज के बदलते आर्थिक एव भौतिकवादी युग मे 'उपभोक्ता' अर्थात् 'सम्पूर्ण जन समुदाय ' के हितों की रक्षा तथा उन्हें मूल्य पर उचित गुण की वस्तुए उपलब्ध कराने से न केवल उपभोक्ता बल्कि सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा । सरकार के इस पवित्र कर्तव्य से बढकर शायद ही कोई अन्य कर्तव्य होगा ।

वर्तमान समय मे विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है । साम्यवादी गढ सोवियत संघ बिखर चुका है, विखण्डित सोवियत सघ चीन के साथ मुक्त बाजार व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी जैसे विपरीत दिशाई राज्यों का विलय हो चुका है । अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं । विश्व मे कई शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यापार समूह गठित किये गये है । गैट व्यवस्था पुन परिभाषित की गयी है । विश्व की आर्थिक गतिविधियों मे हो रहे इन परिवर्तनों से भारत भी अछूता नही रहा है । एक वर्ष मे भारतीय मुद्रा का दो बार अवमूल्यन किया गया, बहुत सी वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया । विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे अधिनियमों में बहुत से महत्वपूर्ण सशोधन कर देश की औद्योगिक एव आयत-निर्यात नीति में आधार-भूत परिवर्तन किये गये है । आर्थिक परिवर्तन के इस दौर में भारत मे 'राजकीय व्यापार का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन' करना आवश्यक समझा गया। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणाम स्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदलीं और इस बदलती प्राथमिकताओं के क्रम में भारत के राजकीय व्यापार को

भी अपनी नवीन रचनात्मक भूमिका निभानी है जिसके अनुसंधान मे वह तत्पर है, यह इसलिये भी और आवश्यक है कि वह जो भी भूमिका अपनाये उससे सामाजिक कल्याण का स्वरूप प्रतिबिम्बित हो ।

इसी मूल भावना को लेकर प्रस्तुत शोध को पांच सर्गो मे बाटा गया है । प्रथम सर्ग मे राजकीय व्यापार की भूमिका, इसके औचित्य, आशय, परिभाषा, उद्देश्य स्वरूप एव क्षेत्र तथा इसके विभिन्न प्रारूपों पर प्रकाश डाला गया है । द्वितीय- सर्ग मे भारत मे राजकीय व्यापार के विकास क्रम को बताया गया है जिसमे इसके विकास को तीन काल क्रमों- प्राचीन, मध्य एव आधुनिक, मे बाट कर इसका अध्ययन किया गया है । तीसरे-सर्ग मे राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भों का विश्लेषण करते हुए उनका मूल्याकन किया गया है । इस उद्देश्य से इस सर्ग को पुन दो भागों मे बांटा गया है । प्रथम उपसर्ग, खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार' जिसमे - राशनिंग व्यवस्था, खरीदकार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है । द्वितीय उपसर्ग- अन्य वस्तुओं मे राजकीय व्यापार के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, राजकीय व्यापार में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य अभिकरणों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कुछ स्वायत्तशासी संस्थाओं का विश्लेषण किया गया है । चतुर्थ-सर्ग राज्य द्वारा व्यापार का नियमन है । जिसमे उन विनियमनों की व्याख्या की गयी है जिनसे व्यापार पर राजकीय नियन्त्रण किया जाता है । पंचम और अन्तिम सर्ग मे राजकीय व्यापार मे प्रत्यक्ष भागीदारी वाले अभिकरणों एव व्यापार पर नियन्त्रण करने वाले विनियमों को लागू करने से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये गये है ।

प्रस्तुत शोध प्रो0 जी0सी0 अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग एव निदेशक, मोतीलाल नेहरू रिसर्च एण्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा पूर्व प्रति कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के सफल निर्देशन मे किया गया है । मै अपने परम् आदरणीय गुरूवर की वन्दना व स्तुति निम्न श्लोक से प्रारम्भ करता हूँ -

'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरूदेवोमहेश्वर
गुरूसाक्षात् परब्रह्मतस्मै श्री गुरूवे नम ।'

मै अपने ब्रहमस्वरूप गुरू का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी अनेक व्यस्तताओं व समस्याओं के पश्चात् अपना बहुमूल्य समय देकर इस शोध को अल्प समय मे अन्तिम स्वरूप प्रदान किया , बिना उनकी प्रेरणा , सहयोग व शुभाशीर्वाद के यह महानतम् कार्य सम्भव नहीं हो सकता था । मैं आपका जीवन पर्यन्त आभारी रहूँगा ।

इस शोध मे बौद्धिक मार्गदर्शन का श्रेय हमारे वरिष्ठ एव विद्वान मित्र डा0 अजनी कुमार मालवीय , डी0 लिट0, प्रवक्ता, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद एव आपके परिवार को है । आपकी प्रेरणा एव मार्ग दर्शन से ही मै गुरुवर की शरण मे आ सका । आपने समय-असमय सदैव शोध कार्य मे हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है । मै आपका एव आपके पूरे परिवार का आजीवन ऋणी रहूँगा ।

मै अपने पूज्य पिता जी एव माता जी का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ । अपने अग्रज डा0 आर0के0 वर्मा, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , काशीपुर, नैनीताल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शैक्षिक जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । मैं अपने अग्रज श्री राम सुन्दर वर्मा व अपनी भाभियों का भी ऋणी हूँ । श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, अनुज के प्रति भी मै अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिसने इस शोध कार्य को गति प्रदान करने मे सहायता की है । मै अपने मित्र डा0 आर0एस0 वर्मा, न्यूरोसर्जरी विभाग, डा0 राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली का भी आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने आंकडे व सूचनाए प्रदान करने मे सहायता प्रदान की ।

राजकीय महाविद्यालय ओबरा मे विशेष रूप से प्राचार्य डा0 एन0 पाण्डेय , डा0 योगेश्वर पाण्डेय, श्री जगधारी सिह, डा0 एन0एन0 सिह, डा0 एस0पी0 सिह व समस्त मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमे समय- समय पर सहयोग व प्रेरणा प्रदान की । मै उन सभी व्यक्तियों व अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे सूचनाए संकलित करायी ।

मै अपनी पूज्यनीया भाभी श्रीमती रेनू मालवीया व अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी वर्मा एव श्री निमिष अग्रवाल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्ता करता हूँ जिनसे मै सदैव प्रेरित होता रहा । मै इस शोध कार्य के टकक श्री एस0एन0 सिह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अल्प समय मे शोध टंकण का कार्य सम्पन्न किया ।

एक बार पुन: मै अपने आचार्य प्रो0 अग्रवाल के चरण-कमलों मे अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनी अनुपम अनुभूतियों एवं मनोरम प्रवृत्तियों द्वारा पल -पल मेरा मार्ग प्रशस्त किया ।

जून 1995

(कृष्ण चन्द्र वर्मा)
प्रवक्ता वाणिज्य
राजकीय महाविद्यालय
ओबरा (सोनभद्र)

विषय-सूची

****

तालिका-सूची

प्रथम-सर्ग

भारत में राजकीय व्यापार की भूमिका

प्रथम–सर्ग

भारत मे राजकीय व्यापार की भूमिका

वर्तमान समय मे लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकार की स्थापना विश्व के अधिकाश देशो मे हो चुकी है। सरकार एक सस्था है जिसके पीछे जन अनुज्ञा, जन समर्थन एव जनशक्ति होती है। इसका कार्य अपने नागरिको की रक्षा करना तथा उनका विकास करना होता है। इस पवित्र एव महानतम उद्‌देश्य व दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य का वह प्रत्येक कार्य करने का कर्तव्य होता है जो जनहित की परिधि मे आता हो। हमारे देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एव समाजवादी समाज की सरचना के पुनीत कर्तव्य का व्रत लिया है। इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने व्यापारिक क्षेत्र मे सरकारी हस्तक्षेप के औचित्य को भी आत्मसात् किया है। हमारी सरकार व्यापारिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने के लिए जिन नीतियो का अनुसरण करती है वे उसे भारतीय सविधान द्वारा प्रदत्त है। बदलते आर्थिक परिवेश मे व्यापार की महत्ता दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। सरकार ने व्यापार की क्रियाओ मे अनेक प्रकार से हस्तक्षेप किया है। सरकार व्यापारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते समय सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितो और उपभोक्ता सरक्षण से प्रेरित एव मार्गदर्शित होती है। आज के विपणन युग मे "उपभोक्ता" या "जन समुदाय" के हितो की रक्षा व उन्हे उचित मूल्य पर उचित वस्तुए उपलब्ध कराने से न केवल उपभोक्ता का बल्कि देश का आर्थिक विकास भी सम्भव हो सकेगा।

आधुनिक परिवेश मे ससार के लगभग सभी देशो की सरकारे किसी न किसी रूप मे या तो व्यापार की स्थापना, सचालन, विकास व विस्तार मे भाग लेती है, या व्यापार के अवाछित क्रियाओ पर विभिन्न अधिनियमो के माध्यम से नियमन और नियन्त्रण करती है। सरकारो को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु व्यापारिक क्रियाओ मे भाग लेना अथवा उन पर हस्तक्षेप करना अनिवार्य सा हो गया है। यह अवश्य है कि हस्तक्षेप और नियन्त्रण की दिशाएँ तथा तकनीक बदलती रहती है, क्योकि प्रत्येक सरकार समस्याओ को अपनी दृष्टि से देखती है। इस प्रकार सरकार देश मे राजनीतिक एव आर्थिक सस्कृति का पोषण करती है और साथ ही अपने नागरिको के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र का नियमन और नियन्त्रण भी करती है। प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार चाहे वह समाजवादी हो या पूँजीवादी अथवा साम्यवादी, राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत व्यापारिक क्रियाओ पर नियन्त्रण कमाधिक रूप मे करती ही है। इस नियन्त्रण से विश्व के हर राष्ट्र मे एक नया आर्थिक दर्शन विकसित हो रहा है।

समाज के भौतिक, प्रौद्योगिक और सास्कृतिक आधारो मे परिवर्तन के साथ–साथ आर्थिक अवस्थाओ मे भी परिवर्तन आया है। विस्तृत प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विश्व बाजार का विकास, विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था मे होने वाला वृहत् औद्योगीकरण तथा नये–नये उत्पादनो की सख्या मे वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियो मे

कुछ राजकीय हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक उपभोक्ता स्वभावत उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान मे व्यापारी वर्ग द्वारा की जाने वाली जमाखोरी कालाबाजारी तथा वस्तु की अनियमित पूर्ति के परिणाम स्वरूप, मूल्यो मे होने वाली वृद्धि उपभोक्ता वर्ग के कष्ट का कारण बनती है। इस तरह व्यापार व्यवस्था मे लगे निजी विक्रेता स्थिति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करन लगते है। कल्याणकारी राज्य मे सरकार का यह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सुरक्षा व न्याय दिलाने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओ की भी उचित व्यवस्था करे।

(क) औचित्य --

वर्तमान समय मे प्रत्येक राष्ट्र अपने को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप मे प्रस्तुत करना चाहता है। वह अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्रतम रखते हुए पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषो से बचना भी चाहता है। ऐसी परिस्थिति मे उत्पादन एव वितरण को सरक्षण प्रदान करते हुए उसके विकास एव विस्तार हेतु शान्तिपूर्ण तथा नियमित व्यवस्था बनाये रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया है। समाज मे व्याप्त मुनाफाखोरी, जमाखोरी एव मिलावट जैसी कुरीतियो को दूर करने तथा अधिक से अधिक जनकल्याण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का स्वय उत्पादन एव वितरण-क्रियाओ मे शामिल होना आवश्यक हो गया है। राजकीय व्यापार का औचित्य निम्न तथ्यो से और भी स्पष्ट हो जाता है--

1 **नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु** -- किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास मे राज्य द्वारा किया गया व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विकास की इस प्रक्रिया मे समस्त महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओ को आपस मे सगठित व समन्वित किया जाता है। इस परिस्थिति मे यह युक्तिसगत न होगा कि व्यापार को अनिश्चितता व उच्चावचन के सहारे छोड दिया जाय।

2 **निजी व्यापारियो के शोषण से जनता को बचाने के लिए** --योजनाबद्ध विकास को अपनाने वाले देशो की इच्छा यह नही होती कि वे पूर्ण रूप से व्यक्तिगत एजेन्सियो के माध्यम से व्यापार को सम्पादित होने दे। देश के शासक व्यापार मे राजकीय हस्तक्षेप को उचित समझते है, जिससे छोटे-छोटे व्यापारियो द्वारा उत्पन्न की गई विभिन्न समस्याओ से बचा जा सके और साथ ही सरकार अपने द्वारा किये गये वायदो को ईमानदारी से पूरा कर सके। राजकीय व्यापार मे राज्य निर्धारित योजनानुसार अधिकाश व्यापारिक क्रियाओ का सचालन करता है। वह निजी व्यापार करने वाले देशो से भी समझौता करने मे सक्षम होता है, ताकि निजी व्यापारियो द्वारा किये जाने वाले शोषण से जनता को बचाया जा सके।

3 **राजकीय व्यापार एजेन्सी की अधिक सगठनात्मक शक्ति एव उसके अधिक वित्तीय ससाधन** -- विकसित देशो के राजकीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शक्तिशाली निर्यात गृह और देश-विदेश से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विभिन्न कार्यालय स्थापित किये गये

है। वे सम्बन्धित उद्योग और सम्बन्धित सरकार के वाणिज्यिक कार्यालय से अखण्ड व्यवहार बनाये रखते है ताकि कुछ कठिनाइयो और अस्थायी हानियो को सहन करते हुए भी अपने व्यापार मे निरन्तरता बनाये रख सके।

भारत मे भी निर्यात सम्वर्द्धन हेतु सरकार ने निजी व्यापारियो को निर्यात–गृह की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहायता प्रदान की है ताकि अपरम्परागत वस्तुओ के निर्यात हेतु नया बाजार खोजा जा सके। यद्यपि निर्यात गृहो की स्थापना से इस दिशा मे कुछ प्रगति भी हुई है लेकिन अभी यह उदीयमान अवस्था मे ही है जो कि विकसित देशो के साथ प्रतियोगिता कर पाने मे सक्षम नही है। नया बाजार बनाने के लिए उन्हे न केवल अपने घरेलू उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है बल्कि उन विदेशी पूर्तिकर्ताओ से भी कडी प्रतिस्पर्धा करनी पडती है जिनके पास एक शक्तिशाली उत्पाद होता है और जिन्हे उनकी सरकारे भी सहायता प्रदान करती है। इन परिस्थितियो मे राजकीय सचिवालय या वाणिज्यिक सलाहकार या अन्य नियामक सस्थाए जैसे-निर्यात सम्वर्द्धन परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और सहयोग पयोप्त नही होता है। अत विदेशी व्यापार के समझौतो और सौदो को निष्पादित करने वाली राजकीय व्यापार एजेन्सी का गठन अपरिहार्य हो जाता है जिसके पास शक्तिशाली सगठनात्मक शक्ति और पर्याप्त वित्तीय ससाधन हो ताकि निर्धारित कार्यक्रम को कार्यरूप प्रदान कर सके।

4 <u>द्विपक्षीय समझौतो एव आर्थिक नीतियो को लागू करने के लिए</u> – यदि व्यापार निजी क्षेत्र के हाथ मे होता है तो सरकार को द्विपक्षीय समझौतो को पूरा करने मे कठिनाई का सामना करना पड सकता है। व्यापार मे राजकीय प्रवेश से सरकार को इन समझौतो को ससम्मान पूरा करने मे मदद मिलती है। राजकीय व्यापार, व्यापार के अतिरिक्त भी सरकार की आर्थिक नीतियो को पूरा करने मे एक महत्वपूर्ण एव उपयोगी उपकरण होता है। उदाहरण के लिए सरकार राजकीय व्यापार, राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी सुविधाओं का विकास करने के लिए उन्हे सरक्षण प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।

5 <u>निजी व्यापारियो के समक्ष प्रतियोगितात्मक वातावरण बनाने हेतु</u> – यदि देश के निर्यातकर्ता विदेश के निर्यात अनुबन्धो को समय से पूरा नही कर पाते या आयातक द्वारा वाछित गुणवत्ता की वस्तुए उत्पादित कर प्रेषित नहीं कर पाते अथवा निजी व्यापारियो मे स्वस्थ प्रतियोगिता नही होती जिससे कि वे प्रेरणा लेकर, सौदेबाजी करके निर्यात अनुबन्धो को प्राप्त करे, तो ऐसी दशा मे निजी व्यापारी विदेशी आयातको का शोषण करने लगते है। इस स्थिति का निवारण राजकीय व्यापार के माध्यम से निजी व्यापारियो के समक्ष प्रतियोगितात्मक वातावरण बना कर किया जा सकता है ताकि विदेश मे देश के वस्तुओ की गुणवत्ता एव निर्यात अनुबन्धो के समय पर पूरा करने की तत्परता सम्बन्धी छवि अच्छी बनी रहे।

6 <u>निर्यात सम्वर्द्धन हेतु राजकीय व्यापार आवश्यक है –</u> राजकीय व्यापार निर्यात सम्वर्द्धन मे

महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। विशेषरूप से विकासशील देशो मे निजी क्षेत्र के निर्यातको का अनुचित व्यापार व्यवहार देश की निर्यातक ख्याति को बनाने मे सबसे बडी बाधा उत्पन्न करता है। राजकीय व्यापार निजी क्षेत्र के निर्यातको के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत कर अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त कर देश की निर्यातक ख्याति मे स्थायित्व ला सकताहै। निजी क्षेत्र के निर्यातको की प्रवृत्ति परम्परागत बाजारो को निर्यात करने पर ही केन्द्रित रहती है। क्योकि नये बाजार की खोज मे अतिरिक्त विनियोग और अन्य कठिनाइयो का सामना करना पडता है इसलिए निजी निर्यातक नये बाजार की खोज का प्रयास ही नही करते। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निर्यातको को एक भय यह भी होता है कि कुछ व्यापारियो द्वारा नये बाजार की खोज मे किये गये व्यय एव उठायी गयी परेशानियो के परिणामस्वरूप यदि नये बाजार तैयार कर भी लिये जाए तो अन्य व्यापारी भी इस नये बाजार मे अपना उत्पाद पहुँचाकर हिस्सा बँटा लेते है। सरकारे सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप मे स्वीकार की जाती है अत उन्हे इस प्रकार का भय नही होता। इसके अतिरिक्त सरकार अपने वृहत् ससाधनो के माध्यम से नये बाजार की खोज एव नये निर्यात स्रोतो का पता लगाने मे निजी क्षेत्र की तुलना मे अधिक धन का व्यय कर सकती है।

7 **बडी मात्रा मे खरीददारी के अनुबन्ध करना –** बडी मात्रा मे खरीददारी छोटी–छोटी मात्रा मे खरीददारी की तुलना मे मितव्ययी होती है। राजकीय व्यापार मध्यस्थो को इस कार्य से हटाकर उनके कमीशन राशि से वस्तुओ के मूल्य मे होने वाली वृद्धि पर रोक लगा सकता है। यद्यपि बडी मात्रा मे खरीददारी के कई जोखिम भी रहते है। भावी मूल्यो के अनुमान मे कोई भी त्रुटि होने पर देश का बहुत बडा नुकसान भी हो सकता है। प्रति'योगितात्मक व्यवस्था मे तेजडिये की गलती से होने वाली हानि को मन्दडिये के द्वारा कम प्रभावी बना दिया जाता है। इस बात मे कोई शक नही है कि राजकीय अनुमान व्यक्तिगत रूप से निजी व्यापारियो के अनुमान से अधिक सही होगा। सरकार अपने वृहत् ससाधनो द्वारा विभिन्न वस्तुओ की माग एव पूर्ति के विषय मे अधिक |सही सूचनाए इकट्ठा कर सकती है। यह प्रवृत्ति के आधार पर भावी मूल्य का अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञो की सेवाएं भी ले सकती है। बडी मात्रा मे खरीददारी के अनुबन्ध निर्धारित मूल्यो पर पूर्ति को सुनिश्चित करते है एव राष्ट्र की योजना को सफल बनाने मे सहायता करते है। इसके अभाव मे आयातित वस्तुओ के मूल्य एव मात्रा मे उच्चावचन होने के कारण योजना के निर्धारित लक्ष्यो तक नही पहुँचा जा सकता। बडी मात्रा मे खरीददारी का अनुबन्ध निर्यातको के लिए भी लाभदायक होता है। एक निर्धारित मूल्य पर वस्तुओ की पूर्ति के विषय मे निर्यातक आश्वस्त होकर आगे के उत्पादन योजना की रूप–रेखा तैयार कर सकते है। बडी मात्रा मे खरीददारी के अनुबन्ध कर लिये जाने से आयातक आयात की वित्त व्यवस्था की समस्या से भी बच जाता है।

8 **सरकार को विश्व एकाधिकारी का लाभ –** सरकार जिस वस्तु की विश्व मे एक मात्र निर्माता

है, राजकीय व्यापार की दशा मे वह इसका प्रयोग एकाधिकारी शक्ति का लाभ उठाने मे कर सकती है। सरकार उपभोक्ता से उस वस्तु का वह अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकती है जिसको उपभोक्ता देने को तैयार हो। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न बाजारो की माँग एव पूर्ति की विभिन्न शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न मूल्य भी प्राप्त कर सकती है। विभिन्न देशो के व्यापार एव विनिमय प्रतिबन्धो मे असमानता के कारण ही मूल्य स्तर मे भी असमानता आ जाती है। इससे मूल्यान्तर का क्षेत्र और बढ जाता है जिसका प्रयोग करते रहने पर विश्व बाजार के बँटने की सम्भावनाए भी बढ जाती है। अत राजकीय व्यापार अपनी इच्छानुसार इन तत्वो पर नियन्त्रण करता है।

9 <u>क्रेता एकाधिकारी की दशा मे लाभ –</u> यदि देश किसी वस्तु का विश्व बाजार मे एक मात्र वास्तविक और बडा क्रेता है तो वह अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे सस्ती दर पर आयात भी कर सकता है। निजी आयातको द्वारा वस्तु के कीमत की बार-बार पूछ-ताछ किये जाने से निर्यातक को वस्तु की माँग की वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है। जिससे निर्यातक वस्तु के मूल्य मे वृद्धि कर देता है और इस प्रकार व्यापारिक सम्बन्ध भी खराब हो जाते है। ऐसी गतिविधि निर्यातक देश के हितो के भी विरुद्ध होती है। मूल्यो के बढ जाने के बाद इस बात की सम्भावना रहती है कि अनुमानित माँग मे भी कमी हो जाय। मूल्यो को निर्यातक द्वारा बढा देने के बाद भी सम्भावना रहती है कि आयातक किसी दूसरे स्रोत से उस वस्तु को प्राप्त करने का अनुबन्ध करे। इससे निर्यातक देश के पास अतिरिक्त पूर्ति की वस्तुए बेकार हो सकती है। अगर राजकीय व्यापार के माध्यम से केन्द्रित रूप मे माँग के पूर्ति हेतु पूछ-ताछ विदेशी पूर्तिकर्ता से की जाय तो यह मूल्य और माँग दोनो दृष्टि से अच्छा होगा तथा दोनो ही पक्षो के लिए उचित भी होगा।

10 <u>भुगतान शेष को सन्तुलित करने के लिए –</u> जहाँ कुछ देशो के साथ व्यापार शेष अनुकूल नही है वहाँ राजकीय व्यापार के माध्यम से भुगतान शेष को सतुलित किया जा सकता है।राजकीय व्यापार अभिकरण मूल्यो के यथावत् बने रहने की दशा मे भी उन देशो से आयात व्यापार को बढा सकता है जिनकी मुद्रा प्राप्त करना सरल है क्योकि उन देशो के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन अनुकूल है। 'हार्ड करेन्सी' अर्थात् कठिन मुद्रा वाले देश, जिनके साथ हमारा व्यापार सतुलन प्रतिकूल है, से आयात व्यापार को घटाया या बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसी तरह से हार्ड करेन्सी वाले देशो को राजकीय व्यापार एजेन्सी अपना निर्यात बढा सकती है तथा सरल मुद्रा वाले देशो को निर्यात मे कमी कर सकती है। निजी व्यापारियो के लिए किसी देश की मुद्रा और भुगतान संतुलन के आधार पर निर्णय लेना उतना महत्वपूर्ण नही होता जितना लाभदायक आयात एव निर्यात। अत राजकीय व्यापार देश के भुगतान सतुलन को अनुकूल बनाये रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है।

11 **सार्वजनिक राजस्व की प्राप्ति का स्रोत** – कुछ व्यक्ति राजकीय व्यापार को इसलिए अधिक अच्छा कहते है कि इससे सार्वजनिक राजस्व की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से विकासशील देशो की आर्थिक मामलो मे सरकार की बढती हुई भूमिका के निर्वहन के लिए वित्तीय आवश्यकता बहुत बढ गयी है। सरकार घरेलू एव विदेशी मूल्य की असमानता को समाप्त करने के लिए कुछ वस्तुओ पर आयात और निर्यात प्रतिबन्ध लागू करके विदेशी व्यापार के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ कमा सकती है। कुछ व्यापारियो को और अधिक सम्पन्न बनाने के बजाय सरकार इस तरह से प्राप्त अप्रत्याशित लाभ का प्रयोग सामान्य जनता के हित के लिए कर सकती है।

(ख) आशय –

"राज्य"शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर दो अर्थो मे किया जाता है– प्रथम एक सामाजिक सगठन के रूप मे, तथा द्वितीय सत्ता के सगठन के रूप मे।[1] प्रथम अर्थ मे राज्य ऐसे समाज का द्योतक है जो एक निश्चित क्षेत्र मे बसा हुआ हो और राजनीतिक दृष्टि से सगठित हो, अर्थात् जिसमे "मूल्यो का अधिकारिक आवटन " करने वाली सत्ता विकसित कर ली गयी हो। दूसरे अर्थ मे राज्य उस सस्था या सत्ता का द्योतक है जो "मूल्यो का अधिकारिक आवटन" करती है और व्यक्तियो तथा समूहो की माँगों और मतभेदो का समाधान करती है।

राज्य का आधुनिक आशय इन शब्दो मे व्यक्त किया जा सकता है कि"राज्य मनुष्य के उस समुदाय का नाम है जो सख्या मे चाहे अधिक हो या कम, पर जो किसी निश्चित भू–खण्ड पर स्थायी रूप से बसा हो,जो किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त हो और जिसमे एक सगठित सरकार हो, राज्य के सारे नागरिक जिसके आदेशो के पालन के अभ्यासी हो।[2]

इस प्रकार महान राजनीतिक विचारको के अनुसार राज्य के पास जनसख्या, निश्चित भू–भाग,सरकार एव सप्रभुता होनी चाहिए।[3] जनसख्या और भू–भाग का कोई आकार निश्चित नही है,लेकिन फिर भी यह इतना अवश्य हो कि जीवन के विविध पक्षो की देख–भाल सुचारु रूप से की जा सके। सरकार की स्थिति कम्पनी के सचालक की तरह होती है। जैसे सचालक कम्पनी की ओर से कार्य करते है, वैसे ही

---

1 राजनीति के सिद्धान्त की रुपरेखा–गाबा,ओ0पी0,नेशनल पब्लिशिग हाउस,नई दिल्ली–1987,पृष्ठ स0 32

2 राजनीति के सिद्धान्त– जैन,एम पी ,आर्थर गिल्ड पब्लिकेशस,दिल्ली–1988,पृष्ठ सख्या 05

3 राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त– जैन, पुखराज,साहित्य भवन आगरा–1983,पृष्ठ सख्या 76

सरकार(गवर्नमेंट),राज्य(स्टेट) की ओर से कार्य करती है क्योंकि राज्य का कोई भौतिक अस्तित्व न होने के कारण वह स्वय कुछ नही कर सकता। सप्रभुता,'राज्य' की एक ऐसी शक्ति होती है, जिसके बल पर वह अपने भू-भाग मे अपनी आज्ञाओ और कानूनोका पालन कराता, तथा बाहर के राज्यो के साथ एकइकाई के रूप मे किसी तरह का लेन-देन,मैत्री या युद्ध कर सके।

"व्यापार' का आशय पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओ या सेवाओ का आदान- प्रदान करना है। जब एक व्यक्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी वस्तु या सेवाओ का विक्रय मुद्रा या वस्तु के बदले मे करता है तो ऐसी क्रिया को व्यापार की सज्ञा दी जाती है। व्यापार व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अग है जिसका मूलाधार लाभ है। इसीलिए व्यापार मे वे क्रियाए शामिल नही की जाती जिसमे लाभ निहित न हो।

इस प्रकार सामान्य अर्थो मे राजकीय व्यापार का सम्मिलित आशय ऐसे व्यापार से है जो कि राज्य के द्वारा सचालित किया जाता है। इस व्यापार मे लाभ सफलता का मापक तो हो सकता है लेकिन आधार नही। राजकीय व्यापार का आधार जनहित होता है। इसमे लाभ की भावना का निहित होना अनिवार्य नही है।

(ग) परिभाषा -

राजकीय व्यापार को समय-समय पर विभिन्न विद्वानोने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।उनमे से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार है-

"सकुचित अर्थ मे राजकीय व्यापार का तात्पर्य राज्य द्वारा किये गये आयात व निर्यात से है,अथवा ऐसी एजेन्सियो से है जो कि राज्य द्वारा नियन्त्रित हो तथा व्यावसायिक क्रय-विक्रय हेतु वस्तुओ को खरीदे व बेचे।"[4]

"विस्तृत अर्थ मे राजकीय व्यापार का आशय है सरकार की ओर से विदेशो से वस्तुओ की खरीद तथा आधिक्य वाली वस्तुओ का सरकार के आदेशानुसार विक्रय करना।"[5]

उपर्युक्त परिभाषाओ पर यदि एक साथ ध्यान दिया जाय तो भी यह सम्पूर्ण नही होगी क्योंकि ये परिभाषाए केवल राज्य के विदेशी व्यापार मे योगदान पर प्रकाश डालती है,जबकि देश की सीमा के अन्दर सरकार द्वारा किया जाने वाला क्रय-विक्रय भी राजकीय व्यापार की परिधि मे आता है।

---

4 रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग,गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया- नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या05

5 वर्किंग ऑफ स्टेट ट्रेडिग इन इण्डिया-गुप्ता,के आर ,एस.चॉद एण्ड कम्पनी,नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 03

जिस रामय राज्य वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन या वितरण या दोनो क्रियाए करने लगता है तो ऐसी क्रियाओ को राजकीय व्यापार कहते है।' [6]

यह परिभाषा भी पूर्ण नही है क्योंकि उत्पादन को व्यापार मे तब तक शामिल नही करना चाहिए जब तक कि वह विक्रय के लिए न हो साथ ही व्यापार के लिए वस्तुओ या सेवाओ को उत्पादन के माध्यम से ही प्राप्त करना आवश्यक नही है। यदि वस्तु या सेवाएँ राज्य द्वारा खरीद कर बेची जाती है तो भी इसे राजकीय व्यापार ही कहा जायेगा।

"राजकीय व्यापार देश के विदेशी व्यापार मे सीधे या एजेन्ट के रूप मे भाग लेता है। इसमे वे सारी क्रियाएं आती है जो कि सरकार के द्वारा आयात व निर्यात के पूर्ण करने मे सम्पादित की जाती है।' [7]

"राजकीय व्यापार का आशय ऐसे व्यापार से है जिसमे कुछ निर्धारित वस्तुओ की खरीद एव बिक्री बाजार मूल्य का नियन्त्रण करने तथा उत्पादक और उपभोक्ता दोनो के हितो की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है।" [8]

उक्त परिभाषा मे उत्पादन कार्य को ध्यान मे नही रखा गया है जबकि राज्य द्वारा वस्तुओ का उत्पादन करके यदि उसकी बिक्री की जाती है तो इसे भी राजकीय व्यापार कहते है। इसमे राजकीय व्यापार के कार्य–क्षेत्र पर भी ध्यान नही दिया गया कि ऐसा व्यापार आन्तरिक होगा कि बाह्य अथवा दोनो।

"राजकीय व्यापार दो प्रकार का होता है– पूर्ण राजकीय व्यापार और आशिक राजकीय व्यापार। राज्य के स्वामित्व अथवा उसकी प्रायोजक एजेन्सी के द्वारा खाद्यान्नो की खरीद एव बिक्री को पूर्ण राजकीय व्यापार कहते है। यह पूर्ण नियन्त्रण और राशनिग की मान्यता पर आधारित होता है। दूसरे शब्दो मे यह खुली बाजार व्यवस्था पर रोक लगाता है। इसमे कोई भी निजी व्यापारी अपनी ओर से अपने लाभ के लिए खाद्यान्नो की खरीद एव बिक्री मे भाग नही ले सकता। आशिक राजकीय व्यापार मे निजी एव सरकारी दोनो क्षेत्र के व्यापारिक सगठन खुले बाजार मे स्थापित होते है।" [9]

---

6 विपणन, विक्रयकला एव विज्ञापन–जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-3, पृष्ठ सख्या 156

7 एकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एण्ड फॉरईस्ट–स्टेट ट्रेडिंग इन कन्ट्रीज ऑफ इस्कैफ रीजन जिनेवा–1964 पृष्ठ संख्या 04

8 कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम, आई–76ए, लक्ष्मीनगर दिल्ली, नवम्बर–1992

9 मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया–गुप्ता, ए पी , वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स–बम्बइ पृष्ठ सख्या–235

उपर्युक्त परिभाषा मे राजकीय व्यापार के अधिकाश पहलुओ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह परिभाषा इतनी विस्तृत होते हुए भी पूर्ण नही है क्योंकि इसमे भी उत्पादन के द्वारा वस्तुओ की बिक्री को परिभाषा मे स्थान नही दिया गया है। इसमे केवल खाद्यान्नो को लिया गया है जबकि राज्य किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकता है। इसके अतिरिक्त राजकीय व्यापार की सीमा भी परिभाषा से स्पष्ट नही है।

उपर्युक्त सभी परिभाषाओ के अवलोकन के पश्चात हम राजकीय व्यापार को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते है –

"जब राज्य स्वय या अपने द्वारा नियन्त्रित एजेन्सियो के माध्यम से उपभोक्ता व उत्पादक दोनो के हितो को ध्यान मे रखते हुए वस्तुओ या सेवाओ के उत्पादन व वितरण या दोनो क्रियाओ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करता है तो इसे राजकीय व्यापार कहते है।"

(घ) विशेषताए –

उपरोक्त परिभाषाओ के आधार पर हम राजकीय व्यापार की निम्न विशेषताए प्रस्तुत करते है –

– राजकीय व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओ या सेवाओ का उत्पादन या वितरण या दोनो क्रियाए की जाती है।

– राजकीय व्यापार आन्तरिक या विदेशी दोनो तरह का हो सकता है।

– राजकीय व्यापार मे जनहित प्रथम स्थान पर तथा लाभ द्वितीय स्थान पर आता है।

– देश मे वस्तुओ का अभाव होने की दशा मे राज्य विदेशो से उनको आयात करता है ताकि मूल्यो मे उच्चावचन न हो।

– राजकीय व्यापार मे विभिन्न देशो से वस्तुओ का क्रय-विक्रय समझौते के आधार पर किया जाता है।

– यह व्यापारिक क्रिया केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे या स्थानीय सत्ताओ द्वारा पृथक–पृथक व सयुक्त रूप से सम्पादित की जाती है।

– राजकीय व्यापार के माध्यम से, जब देश मे किसी वस्तु का आधिक्य हो जाता है तो उसका निर्यात कर, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जाती है।

– राजकीय व्यापार सरकार द्वारा या उनके द्वारा स्थापित एजेन्सियो के माध्यम से सचालित किया जाता है।

– जब राजकीय व्यापार विभिन्न एजेन्सियो द्वारा किया जाता है तो भी इन एजेन्सियो पर सरकार का पूर्णनियन्त्रण रहता है।

– राजकीय व्यापार के अन्तर्गत सरकार उन समस्त विपणन क्रियाओ को सचालित करती है जो कि वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन एव वितरण मे सहायक होती है।

– राजकीय व्यापार मे उत्पादक और उपभोक्ता दोनो के हितो का ध्यान रखा जाता है।

(ड) उद्देश्य –

गरीब और अर्द्धविकसित देशो मे क्षेत्रीय असमानताए धनी देशो की अपेक्षा अधिक रहती है तथा धनी देशो मे क्षेत्रीय असमानताए कम होती जा रही है जबकि गरीब देशो मे इनका विस्तार हो रहा है। इस मान्यता का आधार यह धारणा है कि यदि स्वतन्त्र व्यापार नीति को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से असमानताओ के दायरे बढते जायेगे और येअसमानताए बडे आकार मे दिखने लगेगी ।" 10

राजकीय व्यापार का मूल उद्देश्य उन वस्तुओ के व्यापार की समस्याओ का समाधान करना है जिस वस्तु के व्यापार मे निजी क्षेत्र के व्यापारिक ससाधन पर्याप्त न हो। यह उन देशो के साथ व्यापार समझौता करता है जिन देशो मे विदेशी व्यापार केवल सरकार के द्वारा किया जाता है क्योकि ऐसे देश निजी व्यापारियो से विदेशी व्यापार के अनुबन्ध करने मे कतराते है।

पूँजीवादी व्यवस्था से पहले ऐसा माना जाता था कि सरकार को व्यापार मे भाग लेने की आवश्यकता नही है। यदि व्यवसायो को उन्मुक्त रूप से छोड दिया जायेगा तो शायद उसके अच्छे परिणाम निकलेगे तथा व्यवसाय अपने लक्ष्यो की प्राप्ति अधिक आसानी से कर सकेगे।परन्तु यह अनुभव किया गया कि देश की व्यावसायिक सरचना इतनी व्यवस्थित नही हो पायी कि उसे बिना राजकीय सहारे के निर्बाध गति से आगे बढने के लिए छोड दिया जाय जिससे कि वह विकास की अवस्था को प्राप्त कर सके।पूँजीवाद अपने साथ गुणो से अधिक दोषो को लाया और इन्ही दोषो के कारण व्यावसायिक क्रियाओ मे राज्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य होना पडा। भारत मे राजकीय व्यापार का उद्देश्य निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है --

1 **समाजवादी विचारधारा** –जुलाई–1954 मे तत्कालीन सरकार ने समाजवादी विचारधारा का संकल्प लिया और दिसम्बर–1954 मे ही ससद मे इस बात को रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायो का विस्तार किया जायेगा। समाजवादी समाज के दर्शन और उनके व्यापक सिद्धान्तो ने इस विचारधारा को नयी दिशा प्रदान की। सरकार को अग्राकित क्षेत्रो का सम्पूर्ण दायित्व सौपा गया –

---

10 व्यवसाय, समाज और सरकार -उपाध्याय, शर्मा एव सुधा, रमेश बुक डिपो, जयपुर–1988–89, पृष्ठ सख्या 157

– उत्पादन के साधनो सामाजिक लक्ष्यो तथा अर्थव्यवस्था के सन्तुलन पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय।

– विद्युत, परिवहन आदि आधारभूत सरचना से सम्बन्धित वृहतस्तरीय योजनाओ को सरकार द्वारा शुरू करना एव उनका सुचारु सचालन करना।

– उत्पादन और श्रम के लिए प्रमाप का निर्धारण करते हुए सरकार एकाधिकारी औद्योगिक गतिविधियो पर कठोर नियन्त्रण लगाये, और

सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उसके मौलिक एव वृहत् पहलुओ के सन्दर्भ मे स्वय को नियोजित करे।

2 **योजनाबद्ध विकास की संकल्पना** – स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास को अपनाते हुए देश की सरकार ने पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया एव उसी क्रम मे प्रथम योजना 1951 से प्रारम्भ हुई। विकास की यह सतत् प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है। किसी भी देश मे नियोजित अर्थव्यवस्था स्वीकार कर लेने के बाद राजकीय सक्रियता एव अर्थव्यवस्था पर उसका नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था मे व्यापार को भविष्य की अनिश्चितताओ एव उच्चावचनो पर छोडा जाना उचित प्रतीत नही होता। विकास की इस प्रक्रिया मे व्यापार एव उद्योग का केवल नियमन ही पर्याप्त नही होता बल्कि आर्थिक क्रियाओ मे सक्रिय हिस्सेदारी योजनाबद्ध विकास की एक आवश्यकता मानी जाती है।

3 **सविधान की दृढ मान्यताओ की पूर्ति हेतु** – भारतीय सविधान मे सभी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की सुदृढ व्यवस्था का दायित्व सरकार को सौपा गया है। इसके लिए मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वो को सविधान मे केवल शामिल ही नही किया गया है बल्कि इसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। सवैधानिक प्रावधानो के अधीन राज्य अत्यन्त प्रभावशाली ढग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। इसलिए सरकार को देश के व्यापार एव वाणिज्य मे सक्रिय हिस्सा लेकर उन्हें नियन्त्रित करना सामाजिक एव आर्थिक लक्ष्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

4 **संतुलित आर्थिक विकास हेतु** – देश के सर्वागीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं आर्थिक असमानताओ को समाप्त किया जाय। निजी क्षेत्र के व्यापारी अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान उन्ही क्षेत्रो मे स्थापित करना चाहते है जहाँ कि उन्हे स्वत एक विकसित बाजार मिल जाय तथा जहाँ पर सभी वाणिज्यिक ससाधन पहले से उपलब्ध हो। पिछडे क्षेत्र के उपभोक्ताओ की निजी क्षेत्र के व्यापारियो द्वारा उपेक्षा की जाती है।

राजधानी से बहुत दूर स्थित क्षेत्रो तथा सीमावर्ती क्षेत्रो मे बसे उपभोक्ताओ के लिए आधारभूत वस्तुएँ भी उपलब्ध नही हो पाती जहाँ कि ग्राहक कम होने की वजह अथवा अन्य असुविधाओ के कारण निजी व्यापारी वितरण मे पर्याप्त सहयोग नही कर पाते क्योंकि वे अपने स्वय के हित को सर्वाधिक महत्व देते है। इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए निजी व्यापारियो पर नियन्त्रण रखने के लिए तथा देश के सतुलित विकास मे अपनी सकारात्मक भूमिका के निष्पादन हेतु राज्य का उत्पादन एव वितरण दोनो मे सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक हो जाता है। यदि राज्य व्यापार मे इस प्रकार की सक्रिय भूमिका न निभाता तो न केवल आर्थिक सन्तुलन बनाये रखना कठिन होता बल्कि यह इतना अधिक असतुलित हो जाता जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती है।

5 **सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ मे निरन्तरता बनाये रखने हेतु राजकीय व्यापार की आवश्यकता –** सम्पूर्ण विश्व और वहाँ के निवासियो के जीवन मे कुछ ऐसी सेवाएँ होती है जिनका निबाध रूप से सदैव उपलब्ध होना आवश्यक होता है। निजी क्षेत्र के निहित स्वार्थो और गतिरोधात्मक व्यवहार के कारण इन सार्वजनिक सेवाओ मे सूक्ष्म गतिरोध भी राष्ट्रीय जीवन के लिए असुविधाजनक होता है। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ मे प्रमुखत डाक, तार, रेलवे एव यातायात, सुरक्षा उपक्रम , जल, विद्युत, गैस, बैक, बीमा, समुद्री परिवहन आदि आते हैं। अत इनमे निरन्तरता बनाये रखने के लिए राजकीय भागीदारी आवश्यक है।

6 **द्वितीय औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने के कारण राजकीय व्यापार की आवश्यकता –** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 मे घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति आज भी औद्योगिक विकास का आधार मानी जाती है। इसमे सरकार को राजकीय उपक्रमो के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण मे राजकीय उपक्रमो के प्रयासो को महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किये गये उत्पादन का समाज मे उचित प्रकार से वितरण किये बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नही होता। उचित वितरण निजी इकाइयो के माध्यम से हो पाना आसान नही होता है इसलिए राजकीय व्यापार की भागीदारी 1956 मे तय की गयी औद्योगिक नीति के अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति का अपरिहार्य माध्यम है।

7 **विकास की प्राथमिकताओ एव सस्थापना सम्बन्धी निर्णयो का क्रियान्वयन –** उद्योगो एव विपणन सस्थाओ की स्थापना मनमाने तथा अव्यवस्थित ढग से नही की जा सकती। किसी सस्था को कब, कहाँ और किस ढंग से स्थापित किया जाय, यह सरचनात्मक निर्णय सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य सस्था द्वारा ठीक–ठीक नही लिया जा सकता। उपक्रमो के उत्पादन, वितरण एव मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णय भी सरकार के द्वारा या उसकी देख–रेख मे ही किया जाना चाहिए। देश के लोगो के रहन–सहन, जीवन–स्तर मे सुधार, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि तथा देश वासियो के न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए सरकार का सक्रिय योगदान आवश्यक है।

8 **अधिक जोखिम एव कम लाभ वाली वस्तुओ के उत्पादन एव वितरण मे राजकीय सहयोग** – भारी एव आधारभूत व्यापार जिनकी स्थापना और सचालन मे काफी जोखिम रहता है निजी क्षेत्र द्वारा अधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते है। कुछ ऐसे व्यापार क्षेत्र जैसे– पेट्रोलियम और गैस, जिनकी स्थापना और उत्पादन प्रारम्भ होने के बीच की अवधि काफी अधिक होती है और प्रारम्भिक वर्षो में लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना भी अधिक होती है लेकिन ऐसे उद्योग एव उत्पादन देश के लिए अत्यन्त उपयोगी होते है। केवल इसलिए ऐसी वस्तुओ का उत्पादन एव वितरण न कियाजाय कि उनकी लागत बहुत अधिक है या लाभ की सम्भावनाए बहुत कम है, विवेकपूर्ण नही कहा जा सकता। इसलिए सरकार का ऐसी वस्तुओ के उत्पादन एव वितरण मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आवश्यक हो जाता है।

9 **आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए राजकीय व्यापार** – डॉ0 हजारी के अनुसार," आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से पूँजी मे एकाधिकार प्राप्त करने से है। धन के असमान वितरण से पूँजीवाद पनपता है और उपभोक्ताओ का शोषण होता है। निजी उद्योगपति एव व्यापारी एकाधिकारी शक्ति के द्वारा अनुचित मूल्य वृद्धि, कच्चे माल के उत्पादको का शोषण, वस्तु की किस्म मे गिरावट, माल की कृत्रिम कमी आदि दोषो को जन्म देते है। अत इन सभी प्रकार की गतिविधियो को समाप्त करने के लिए सरकार का व्यापार मे भाग लेना आवश्यक है।" 11

10 **देश मे आर्थिक स्थिरता लाने के लिए** – आर्थिक अस्थिरता का व्यापार के विकास पर बुरा असर पडता है। तेजी अथवा मन्दी काल मे व्यापारिक असुरक्षा पैदा हो जाती है। अधिक तेजी की दशा मे मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ताओ का शोषण होने लगता है। मन्दी की स्थिति मे माँग के गिर जाने के कारण उत्पादन मे कमी हो जाती है तथा उद्योगो के बन्द हो जाने की स्थिति बन जाती है। अत सरकार व्यापार मे स्वय भाग लेकर तेजी–मन्दी, माँग, उत्पादन, विनियोग, पूर्ति एव मूल्य आदि तत्वो पर नियन्त्रण करती है। इससे देश मे आर्थिक स्थिरता आने लगती है।

11 **अकुशल निजी इकाइयो पर रोक लगाने के लिए** – जब निजी इकाईयाँ अकुशल और रुग्ण हो जाती है तो वे राष्ट्र के ससाधनो का सदुपयोग न कर पाकर उन्हे बर्बाद करने लगती है। सरकार ऐसी इकाईयो की पूँजी, प्रबन्ध या सम्पूर्ण ससाधनो मे भाग लेकर या अशदान करके उनमे अपेक्षित सुधार सम्भव बनाती है।

12 **एक आदर्श विनियोजक** – निजी क्षेत्र के व्यापार व उद्योग मे कार्य की दशाए व अन्य सुविधाए पर्याप्त नही होती इसलिए अधिकाश पूँजी–श्रम विवाद निजी क्षेत्र मे ही उत्पन्न होते है। राज्य व्यापार एव उद्योग को अपने स्वामित्व एव प्रबन्ध मे सचालित करके कर्मचारी एव उपभोक्ता दोनो के हितो को पूराकर

---

11 व्यवसाय, समाज और सरकार–उपाध्याय, शर्मा एव सुधा, रमेश बुक डिपो, जयपुर–1988–89, पृष्ठ सख्या 167

सकता है।इस प्रकार सरकार द्वारा अपने उद्योगो को आदर्श उद्योग और अपने व्यापार को एक आदर्श व्यापार के रूप मे प्रस्तुत करने के लिए भी राजकीय व्यापार किया जाता है साथ ही इसे रोजगार वृद्धि का एक साधन भी माना जा सकता है।

13 <u>स्थानीय मॉंग की उचित एव स्थिर मूल्य पर पूर्ति</u> - निजी व्यापारी लाभ की भावना से प्रेरित होकर व्यापारिक क्रियाए करते है, फलस्वरुप वे ऐसी वस्तुओ के निर्यात का अनुबन्ध कर सकते है जिनकी उपलब्धता अपने देश की उपभोग्य आवश्यकता से कम है, जिसका परिणाम होगा कि देश के उपभोक्ता उस वस्तु के प्रयोग से वचित रह जायेगे।ऐसी कमी का प्रभाव उस वस्तु के आन्तरिक मूल्य पर भी पडे बिना नही रह सकता। अत देश के उपभोक्ताओ को अपने ही देश मे तैयार की गयी वस्तु का मूल्य लागत से बहुत अधिक चुकाना पडेगा।राजकीय व्यापार के माध्यम से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। राज्य अपनी एजेन्सी के माध्यम से देश मे उस वस्तु के कुल उत्पादन एव कुल मॉंग का सही अनुमान लगाकर तद्नुसार निर्यात अनुबन्धो को स्वीकार करेगी।

14 <u>अनुकूल मूल्य पर आयात एव निर्यात</u> – एक राज्य की सौदेबाजी की शक्ति निजी क्षेत्र के व्यापारी से कई गुना अधिक होती है, अर्थात् वह एकाधिकारी की स्थिति मे रहता है। ऐसी दशा मे वह निजी व्यापारी की तुलना मे आयात के सस्ते एव निर्यात के महँगे अनुबन्ध प्राप्त कर सकता है फलस्वरूप देश के उत्पादको को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य तथा उपभोक्ताओ को उपभोग सामग्री न्यूनतम मूल्य पर मिल सकती है।

15 <u>अभिप्रेरणा के माध्यम से वस्तुओ के उत्पादन को प्रोत्साहित करना</u> – सरकार मूल्यो और अन्य अभिप्रेरणाओ से कृषि एव औद्योगिक वस्तुओ के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। वह अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने उत्पादको को न केवल अच्छा मूल्य दिला सकती है बल्कि उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल की पूर्ति को सुनिश्चित करके, लगातार ईधन उपलब्ध कराकर तथा अबाध उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने हेतु मुद्रा मे राज–सहायता प्रदान कर उत्पादको को उत्पादन बढाने हेतु अभिप्रेरित भी कर सकती है।

16 <u>घरेलू मूल्य को स्थायित्व प्रदान करना</u> – विशिष्ट उत्पादो के घरेलू मूल्यो को उन उत्पादो के उत्पादन और विपणन को नियन्त्रित करके सरकार स्थायित्व प्रदान करती है क्योकि वह एक सप्रभुता सम्पन्न सस्था होती है। वह किसी वस्तु के उत्पादन को बढाने और किसी वस्तु के उत्पादन कम करने व रोकने का आदेश जारी कर सकती है। क्योकि सरकार निजी व्यापारी की तुलना मे मॉंग का सही अनुमान लगा सकती है अत तद्नुसार उत्पादन का आदेश देकर वस्तु के मूल्य को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। यदि वस्तु की प्रकृति

इस प्रकार की है कि उसका उत्पादन आसानी से घटाना–बढाना सम्भव नही होता है तो सरकार ऐसी वस्तुओ के वितरण को अपने हाथ मे लेकर या उस पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से नियन्त्रण करके वस्तु के घरेलू मूल्य मे स्थायित्व ला सकती है।

17 **निर्यात योग्य आधिक्य को बेचना** – सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय ससाधन होते है जिससे वह अपने उत्पादो के लिए निर्यात बाजारो की खोज कर सकती है और यदि ऐसा बाजार पहले से उपलब्ध नही है तो नया बाजार बना भी सकती है। ऐसे निर्यात बाजार उपलब्ध हो जाने से देश में निजी आवश्यकता से हुआ अधिक उत्पादन उचित मूल्य पर निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार देश मे पडा अतिरिक्त उत्पादन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक नया स्रोत बन जायेगा।

18 **अधिक मात्रा मे सौदो के निष्पादन से लाभ** – सरकार केन्द्रीकृत रूप मे वस्तुओ की माँग एव पूर्ति का सही अनुमान लगाकर आयात–निर्यात के बडे अनुबन्ध करती है। बडी मात्रा मे आयात अनुबन्ध करने से वस्तु की कीमत कम चुकानी पडती है साथ ही ऐसी वस्तु पर परिवहन की लागत, अच्छी पैकिग, परिवहन का अधिक सुरक्षित साधन, विभिन्न प्रकार के स्थायी कमीशनो एव दलाली पर होने वाले खर्च की प्रति वस्तु लागत कम हो जाती है। इस प्रकार बडी मात्रा मे आयात करने से अनेक लाभ प्राप्त होते है और यदि निजी क्षेत्र के व्यापारी छोटी–छोटी मात्रा मे आयात करते है तो अन्तत उपभोक्ता इन लाभो से वचित रह जाता है। इसी प्रकार निर्यात के छोटे-छोटे अनुबन्धो मे निर्यातित वस्तु का उचित मूल्य नही मिल पाता क्योंकि आयातक की विभिन्न प्रकार की बचते न हो पाने से वह वस्तु का अधिक मूल्य चुकाने की स्थिति मे नही होता है। इस प्रकार बडी मात्रा मे सौदो के निष्पादन से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए राजकीय व्यापार किया जाता है क्योकि निजी व्यापारी अधिक बडी मात्रा मे सौदो का निष्पादन करने की स्थिति मे नही होता है।

19 **विदेशी सहायता वाली वस्तुओ के आयात को सुगम बनाना** – विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पूँजीगत एव कल्याणकारी वस्तुओ या सेवाओ के आयात पर वित्तीय सहायता, प्राय विकसित देशो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थानो के द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सस्थाएं अथवा देश निजी व्यापारियो से सम्पर्क करने मे हिचकिचाते है क्योकि निजी व्यापारी द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं या सेवाओ के आयात मे अन्य कई जटिलताए होती है जिनका निराकरण सरकार द्वारा ही आसानी से किया जा सकता है।

20 **व्यापारिक समझौतो के क्रियान्वयन को सुगम बनाना** – दो देशो के बीच व्यापारिक सम्बन्ध आपसी समझौतों पर निर्भर करते है। इन समझौतो मे कुछ शर्ते लगायी जाती है और कुछ स्वीकार की जाती है।

निजी व्यापारी इन शर्तो को अपने हित की पूर्ति होने तक पालन करते है और जब उनके हित की पूर्ति नही होती तो वे शर्तों को तोडने लगते है, इससे दो देशो के बीच व्यापारिक सम्बन्ध कटु हो जाते है। ऐसे समझौते लागू करवाने मे सरकार की विश्वसनीयता अधिक होती है तथा ये समझौते सरकार को ही प्रस्तावित भी किये जाते है। अत राजकीय व्यापार के माध्यम से इन समझौतो के पूर्ण सम्मान की आशा की जा सकती है।

21 **अनिवासियो के नियन्त्रण से व्यापार को मुक्त कराने हेतु** – जब सरकार व्यापार को गैर नागरिको के नियन्त्रण से मुक्त कराना चाहती है तो उस व्यापार मे वह स्वय हस्तक्षेप करती है। गैर निवासी व्यापारी लाभ कमाकर अपने देश को प्रेषित करते रहते है परिणाम स्वरूप उनके द्वारा देश के व्यापारिक हितो एव नागरिको को हानि पहुँचाने के सम्भावना अधिक रहती है। सरकार उस वस्तु विशेष के व्यापार का अधिग्रहण कर स्वय अपने हाथ मे ले सकती है।

22 **कोषागार की आय बढाने के लिए** – आज की सरकारो को अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को चलाने के लिए बडी मात्रा मे धन की आवश्यकता होती है। राजकीय व्यपार के माध्यम से वस्तुओ के क्रय–विक्रय द्वारा, प्रशुल्क एव विभिन्न तरह के कर लगाकर सरकार अपनी आय को बढाने के लिए भी व्यापारिक गतिविधियो मे भाग लेती है। निजी व्यापारी व्यापार से अर्जित की गयी आय का स्वय के लिए प्रयोग करते है जबकि सरकार विकास की प्राथमिकताओ को तय करते हुए अधिकतम आवश्यक मदो पर इस धन को व्यय करती है।

23 **उचित नियन्त्रण के लिए** – व्यापारिक गतिविधियो पर उचित नियन्त्रण के लिए, अनैतिक व्यापार–व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, आर्थिक नीति के अनुसार व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, निजी क्षेत्र के व्यापारियो के समक्ष प्रतियोगितात्मक भूमिका प्रस्तुत करने के लिए सरकार व्यापार मे हस्तक्षेप करती है। ताकि माँग, पूर्ति, मूल्य मजदूरी, आय एव सेवा सभी तत्वो पर नियन्त्रण कर सभी मे सामञ्जस्य स्थापित करते हुए देश का तीव्रतम विकास किया जा सके।

24 **असामान्य स्थिति मे महत्वपूर्ण भूमिका** – देश मे कोई असामान्य परिस्थिति जैसे–बाढ, अकाल, भूकम्प, महामारी आदि के आ जाने से वितरण व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो जाती है, क्योकि इन घटनाओ से वस्तु की माँग एव पूर्ति प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होती है। यदि ऐसी दशा मे व्यापार राज्य के द्वारा सचालित किया जाता रहता है तो माँग एव पूर्ति–व्यवस्था पर सरकार नियन्त्रण कर सभी को समान सुविधाए उपलब्ध करा करके समाज को सन्तुष्ट कर सकती है।

25 **राजकीय व्यापार के अन्य उद्देश्य** – इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है ––

– अनिवासियो को देश के राजकीय व्यापार मे अवसर प्रदान करना,

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओ के अनुसार देश मे किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार को विकसित करना
- देश को आत्मनिर्भर बनाना,
- मिश्रित अर्थव्यवस्था के उददेश्यो को प्राप्त करना,
- उपभोक्ता को सरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन कार्य को बढावा देना,
- विदेशी तकनीकी सेवाओ का लाभ प्राप्त करना,
- स्वदेशी उद्योगो को सरक्षण प्रदान करना,
- पूँजी एव श्रम को गतिशील बनाना,
- प्रौद्योगिकी का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाना।

कुछ देशो जैसे– म्यानमार(बर्मा) और इण्डोनेशिया मे राजकीय व्यापार न केवल आयात-निर्यात बल्कि उनकी राष्ट्रीय नीतियो को घरेलू क्षेत्र मे लागू करने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि श्रीलका, भारत, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान तथा फिलीपीन्स मे राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार खाद्यान्नो मे किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार विभिन्न वस्तुओ की पूर्ति को सुनिश्चित करने मे तथा उनके देशी एव विदेशी मूल्य को उत्पादन एव विपणन पर नियन्त्रण करके स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ का राजकीय व्यापार विदेश से बडी मात्रा मे खरीद का लाभ भी प्राप्त करता है।

बर्मा, श्रीलका, फिलीपीन्स तथा इण्डोनेशिया मे विदेशी व्यापारियो पर नियन्त्रण के उददेश्य से वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। बर्मा, चीन, भारत तथा थाईलैण्ड ने राजकीय व्यापार का प्रयोग निर्यात बाजार को बढाने के उद्देश्य से किया है ताकि निर्यात योग्य आधिक्य वस्तुओ से सौदेकारी की शक्ति के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त किये जा सके। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड मे राजकीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य निर्यात योग्य वस्तुओ से उचित मूल्य की प्राप्ति है। कम्बोडिया, नेपाल तथा वियतनाम मे राजकीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य विदेशी वित्त सहायता कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करना है।

(च) स्वरूप एव क्षेत्र -

एक देश से दूसरे देश के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्र मे भिन्नता होती ही है यहाँ तक कि, एक ही देश के विभिन्न वस्तुओ के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्रो मे भी भिन्नता पायी जाती है। कुछ वस्तुओ की दशा मे राज्य की भागीदारी उस वस्तु के उत्पादन से आरम्भ होकर अन्तिम उपभोक्ता तक चलती रहती है। जबकि कुछ वस्तुओ मे राज्य की भागीदारी उनके निर्यात प्रतिबन्धो तक ही सीमित होती है। कुछ वस्तुओ मे राज्य की भागीदारी उन वस्तुओ के खरीदकार्य एव निर्यात दोनो मे होती है जबकि कुछ मे राज्य उत्पादन, खरीद और निर्यात मे भी प्रत्यक्ष रूप से भाग नही लेता बल्कि वह इन व्यवहारो का निष्पादन करने के लिए विभिन्न सिद्धान्तो को बनाकर अपने प्रतिनिधियो को

लगाता है। कुछ देशो मे राजकीय व्यापार सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियो का एक अग होता है। ऐसे देशो मे राज्य उत्पादन से लेकर आन्तरिक खरीद कार्य उसका देश मे वितरण विदेश को निर्यात तथा वहॉं से आयात, समस्त कार्यो मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

निर्यात की तरह आयात के स्वरूप एव क्षेत्र मे भी विभिन्नता पायी जाती है। कुछ देशो मे आयात के साथ–साथ वितरण का कार्य भी सरकार के हाथ मे होता है तो कुछ मे केवल आयात सरकार के द्वारा किया जाता है तथा उसका वितरण निजी व्यापारियो पर छोड दिया जाता है। कुछ दशाओ मे आयात और वितरण दोनो कार्य निजी एजेण्टो के हाथ मे होता है और राज्य केवल इन पर नियन्त्रण का कार्य करता है। कुछ देशो मे वस्तुओ की पूर्ति उचित मूल्य पर बनाये रखने के लिए देश के आन्तरिक पूर्ति कर्ता सघो के माध्यम से वस्तुओ का आयात कर घरेलू उपभोक्ताओ को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराते है। इस प्रकार राजकीय व्यापार के स्वरूप और क्षेत्र को निम्न भागो मे बॉटा जा सकता है –

1 <u>**स्वतन्त्र व्यापार स्वरूप**</u> – पूॅंजीवादी अर्थव्यवस्थाओ मे राजकीय व्यापार का स्वतन्त्र स्वरूप प्रचलन मे है। इस स्वरूप का समर्थक इगलैण्ड रहा है। इस प्रारूप के समर्थको की मान्यता है कि व्यापारिक क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और व्यापार का सचालन मॉंग और पूर्ति की स्वतन्त्र शक्तियो के द्वारा होना चाहिए। आयात–निर्यात प्रतिबन्धित नही होना चाहिए। राज्य का कार्य देश की आन्तरिक एव बाह्य सुरक्षा, शान्ति एव न्याय तक सीमित होनी चाहिए। वास्तव मे कोई भी राष्ट्र इस स्वरूप को पूर्णरूप से अपनाने की स्थिति मे नही है, फिर भी पूॅंजीवादी अर्थव्यवस्था मे राज्य की भूमिका उत्तरोत्तर बढती जा रही है। जन कल्याण को ध्यान मे रखते हुए आधुनिक युग मे व्यापार पर कुछ नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया है। तथापि राजकीय व्यापार के इस स्वरूप मे व्यापार अभी भी काफी सीमा तक कडे राजकीय नियमन से बचा हुआ है।

2 <u>**वाणिज्य वादी स्वरुप**</u> – यह स्वरूप काफी समय(सत्रहवी शताब्दी) से चला आ रहा है। यूरोपीय महाद्वीप मे अनेक राष्ट्र विशेषकर फ्रास इसे आज तक अपनाये हुए है।जापान मे भी यह स्वरूप महत्वप्रूर्ण भूमिका निभाता है। साम्यवादी रूस का व्यापारिक स्वरूप भी इसके काफी निकट है। इस स्वरूप की कुछ विशेषताए निम्नवत् है –

– इस स्वरूप मे निर्यात सम्वर्द्धन पर विशेष बल दिया जाता है। निर्यात ही इस अर्थव्यवस्था के विकास एव समृद्धि का मापदण्ड होता है।

– व्यापारिक विवाद पारस्परिक सहयोग एव सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से निपटाये जाते है।

– इस स्वरूप के अन्तर्गत राजनैतिक प्रभुसत्ता एव व्यापार व्यवस्था सहविस्तृत मानी जाती है।

– इस स्वरूप मे विश्व बाजार मे अपनी स्थिति सुदृढ बनाये रखने के लिए व्यापार व्यवस्था

एव राजनीतिक प्रभुरात्ता को स्थापित और सगठित करने पर बल दिया जाता है।

- इसमे राज्य का प्रमुख कर्तव्य राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना होता है।

- इस व्यापारिक स्वरूप मे राज्य उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ, माँगो, रुचियो, फैशनो एव सस्कृति को ध्यान मे रख कर वस्तुओ का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करता है जिससे कि उपभोक्ताओ को अधिकतम सन्तुष्टि मिल सके।

3 **सविधान वादी स्वरूप** – देश के व्यापार को नियन्त्रित करने का यह स्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका की उन्नीसवी शताब्दी की देन है। यह स्वरूप स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नही रखता। इस स्वरूप मे राज्य व्यापारियो के प्रति सदैव सशकित रहता है। इसकी विशेषताए निम्नवत है–

– यह स्वरूप व्यापारिक गतिविधियो के लिए राजनैतिक नैतिकता की सीमाए निश्चित करता है।

– यह स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नही रखता है। इसकी मान्यता है कि सरकार व्यापार व्यवस्था से अलग नही रह सकती।

– यह स्वरूप एण्टीट्रस्ट कानूनो, विनिमय करने वाली एजेन्सियो तथा आपराधिक अभियोगो का प्रयोग करता है। अर्थात् इसके अन्तर्गत सरकार व्यापार को कानून के द्वारा विनियमित और नियन्त्रित करती है।

– यह स्वरूप व्यापारियो के प्रति सदैव सशकित रहता है क्योकि इसकी मान्यता है कि व्यापारी वर्ग सरकार के साथ सहयोग नही करते।

– यह स्वरूप वाणिज्य एव उद्योग मन्त्रालय अथवा सरकार के अन्य विभागो द्वारा तय की गयी सरकारी नीतियो के क्रियान्वयन का कार्य भी करता है।

भारत मे सरकारे सविधान के अनुसार अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करती है। भारतीय सविधान के सातवी अनुसूची के तीनो सूचियो (सघ, राज्य एव समवर्ती सूची) मे व्यापार सम्बन्धी उपबन्ध दिये गये है जिसमे सभी सरकारो को व्यापार करने की स्वतन्त्रता है। विदेशी व्यापार के व्यवस्था का दायित्व केन्द्र सरकार का है। सविधान मे भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था भाग–13 के अनुच्छेद 301 से 307 के अधीन दी गयी है।[12] इसमे दिये गये विनियमो का अनुपालन सभी सरकारों का दायित्व है।

---

12 भारत का सविधान– विधि एव न्याय मन्त्रालय, भारत सरकार–1988, पृष्ठ सख्या 152–159

राजकीय व्यापार के वाणिज्य वादी एव सविधान वादी स्वरूप राजनीतिक अथवा प्रशासनिक सिद्धान्त के बौद्धिक स्वरूप है। वे "क्या होना चाहिए" के मानक है जबकि वास्तविकता सदैव आदर्श तक नही पहुँच पाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो प्रकार के स्वरूप सफलता प्राप्त करने मे असमर्थ रहे है। वाणिज्य वादी स्वरूप मे व्यापार–सरकार सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है तथा व्यापार पर सरकार की पकड फिसल रही है। सविधान वादी स्वरूप मे व्यापार–आय सरकार के हाथ मे जाती रहती है। वास्तव मे यह दोनो स्वरूप नवीन व्यापारिक समस्याओ को हल करने मे अधिक सक्षम नही है। अत एक नये व्यापारिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4 **नवीन व्यापार स्वरूप** – आज विश्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक एव तकनीकी वातावरण दिन–प्रतिदिन बदल रहा है। इस बदलते परिवेश मे व्यापार–सरकार सम्बन्धो को निर्धारित कर, विभिन्न समस्याओ का निवारण कर सकने वाले एक नये व्यापार स्वरूप की आवश्यकता है। यद्यपि व्यापार का कोई भी नया स्वरूप दीर्घकाल की देन होता है। फिर भी एक नया स्वरूप जो कि अभी अज्ञात है, से हम कुछ विशिष्ट बातो की अपेक्षा रखते है, उन अपेक्षाओ को पूरा करने के लिए राजकीय व्यापार के नवीन स्वरूप मे निम्न बातो का समावेश आवश्यक है–

- कोई भी आर्थिक सगठन तभी अच्छी प्रकार काम कर सकता है जब उन्हे पर्याप्त स्वायत्तता एवं जवाबदेहिता प्रदान की जाय। ऐसी स्वायत्तता गतिशील अर्थव्यवस्था, कुशल एव प्रभावी प्रबन्ध तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती है। अत नया व्यापारिक स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमे पर्याप्त विकेन्द्रीयकरण हो एव जो अधिक केन्द्रीयकृत नियन्त्रण मे विश्वास न रखता हो। नया स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए कि सरकार अपने सरल कानूनो से ही व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण कर सके।

– आज का व्यवसायी विभिन्न शोध, अनुसधान एव प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्व और नैतिक आचरण के महत्व को समझने लगा है। फिर भी व्यापार लोक प्रशासन की विषय वस्तु बनता जा रहा है। अत नया स्वरूप ऐसा हो जो सक्रिय, स्वस्थ एव सुदृढ लोकतन्त्रीय सरकारो का जन्म दे सके जो कि आश्वासन मे नही बल्कि कर्तव्य मे विश्वास रखती हो।

–नये व्यापार स्वरूप मे मिश्रित व्यापार व्यवस्था को ही और ऊँचा स्थान प्रदान करना होगा। आज यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि न केवल राजकीय और न केवल निजी व्यापार जन साधारण की जरूरतो को पूरा कर पाने मे सक्षम है। अत इसमे मिश्रित व्यापार होना चाहिए जिसमे दोनो एक दूसरे के पूरक एव सहयोगी की भावना से काम करे।

– नवीन स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बहुराष्ट्रो की विश्व व्यापार व्यवस्था एव राष्ट्र तथा राष्ट्रीय सरकारो की प्रभुसत्ता के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हुए इनके मध्य समन्वय स्थापित कर सके।

द्वितीय-सर्ग

भारत में राजकीयव्यापार का विकास

द्वितीय–सर्ग

भारत मे राजकीय व्यापार का विकास

भारत मे राजकीय व्यापार के विकास को निम्न तीन काल–क्रमो मे बाँटा जा सकता है–

(क) प्राचीन काल,

(ख) मध्य काल,

(ग) आधुनिक काल,

(क) प्राचीन काल मे राजकीय व्यापार का विकास

प्रागैतिहासिक काल मे लोग उचित मूल्य, न्यूनतम मजदूरी आदि बातो को कितना महत्व देते थे, इसका प्रमाण हम्मूराबी के कोड मे मिलता है जिसमे दर्जियो तथा अन्य कामो को करने वालो की मजदूरी निश्चित थी। नावो और बकरियो मे किराये की दरो तथा वस्तुओं के मूल्यो का निर्धारण किया जाता था।[1] प्राचीन काल मे राज्य का व्यापार मे यह सहयोग अप्र–त्यक्ष रूप सेहोता था कि, यदि दो साम्राज्यो के बीच सम्बन्ध मधुर होते थे तो विदेशी एव देशी व्यापार हो पाता था अन्यथा नहीं। इस काल मे व्यापार के लिए विनिमय की दरो, बटहरो और नापो का नियमित करना आवश्यक था। मुहरो का प्रयोग सम्भवत कपडो की गाठो पर लगाने मे किया जाता था लोथल से इस सस्कृति मे उत्पादित वस्तुओ का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता था। इस काल के निर्यात के व्यापार के सम्बन्ध मे इतिहासकारो का मत है कि मेसोपोटामिया(ईराक) मे इन्द्रगोप के मनके, सीपी और हड्डी की जडी हुई वस्तुए जो मिली है, भारत से लायी जाती थी। भारत का हडप्पा सस्कृति केकाल मे सुमेर, एलम और टाइलोस से व्यापार होता था। सिन्धुघाटी के क्षेत्र से पश्चिमी एशिया के सूती कपडे भेजे जाते थे।[2] उस समय सोना मैसूर की खानो से, चाँदी अफगानिस्तान से तथा ताँबा ब्लूचिस्तान से आयात किया जाता था। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि इस काल मे व्यापार केवल अपने साम्राज्य तक ही सीमित नही था।

वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मूलत कृषि एव पशुपालन पर आधारित होते हुए भी व्यापार एव वाणिज्य के प्रति उदासीन नही थी। अधिकतर व्यापार वस्तु–विनिमय द्वारा होता था। परन्तु निष्क जो आरम्भ मे सोने का हार था, का प्रयोग सिक्के के रूप मे होने लगा था।[3]

---

1 आर्थिक विचारो का इतिहास–हजेला, टी एन, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी–आगरा, पृष्ठ सख्या 10

2 प्राचीन भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास–ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड नई दिल्ली, पृ0स0 100

3 प्राचीन भारत का इतिहास–श्रीवास्तव, के सी, यूनाइटेड बुक डिपो–इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या 58

पूर्वमौर्य से मौर्योत्तर काल के समकालीन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक व्यापार के विकास मे लिखा है कि यातायात एव सवादवाहन साधनो को उन्नत करने की जिम्मेदारी राज्य की थी। व्यापारिक सुविधाओ के लिए भण्डार गृहो तथा विश्राम-गृहो के निर्माण की जिम्मेदारी भी राज्य की ही थी। उन दिनो भारत मे स्वतन्त्र व्यापार की प्रथा प्रचलित थी। व्यापार की जाने वाली वस्तुओ पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। इससे जो आय होती थी उस पर राज्य का अधिकार होता था।व्यापार को विकसित करने के लिए राज्य कानून बनाता था। कौटिल्य ने कुछ वस्तुओ को निर्मित करने और विभागीय एजेन्सी द्वारा उनका विक्रय करने की सलाह राज्य को दी थी।[4]

इस काल मे कल्याणकारी राज्य सम्बन्धी विचार का पूर्ण उद्भव हो चुका था। भुखमरी से हर नागरिक की रक्षा के लिए राज्य प्रशासन भोजन का निर्धारण एव वितरण करता था। प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि राज्य वित्तीय सौदो, भार तथा मापो, आवश्यक उद्योगो के नियमन तथा वस्तुओ की मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य संचालन के तीन सिद्धान्त होने चाहिए, प्रथम- राज्य को ऐसे उद्योगो मे भाग लेना चाहिए जो राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने मे प्रत्यक्ष रुप से सहायक सिद्ध हो। सोना, चॉदी, हीरा, लोहा तथा अन्य धातुए राज्य के अधिकार मे होनी चाहिए। दूसरे कृषि, सूत, कताई तथा बुनाई, पशुपालन, दस्तकारी इत्यादि को व्यक्तियो के अधिकार मे छोडना चाहिए और उनको स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए।अन्त मे राज्य का कर्तव्य है कि वह देखे कि उत्पादन, वितरण तथा उपभोग सम्बन्धी क्रियाओ का सचालन कुशलता पूर्वक तथा निर्धारित नियमो के अनुसार हो।

मौर्यकाल मे व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण था। प्रजा के हित के लिए व्यापारियो को आदेश था कि पुराना माल शासनाधिकारी की आज्ञा के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बन्धक रखा जा सकता था। माप और तौल का प्रति चौथे माह पर राज्य कर्मचारियो द्वारा निरीक्षण होता था कम तौलने वाले को दण्ड दिया जाता था। लाभ की दर निश्चित थी। देशी वस्तुओ पर 4 प्रतिशत और आयातित वस्तुओ पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था। बिक्री कर न देने वालो के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान था।

मौर्यात्तर काल मे व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण न था। फिर भी जो व्यापारी राज्य के नियमो का पालन नही करते थे उन्हे दण्ड दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि यदि कोई व्यापारी ऐसी किसी वस्तु का निर्यात करे जिस पर राज्य का एकाधिकार हो तो राजा को उसकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। राजा को व्यापारी तथा खरीददार दोनो के हितो का ध्यान रखना चाहिए।उसे वस्तु की खरीद, उसको रखने तथा लाने मे जो खर्च लगा हो इन सभी का हिसाब लगाकर व्यापारी की लागत का हिसाब लगाना चाहिए। राजा को हर पन्द्रह दिन पर वस्तुओ के मूल्य सूची का नियन्त्रण करना चाहिए कि व्यापारी नापने

---

4 आर्थिक विचारो का इतिहास -हजेला, टी एन , शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी-आगरा, पृष्ठ स0 515-519

और तौलने के ठीक बाट और पैमाने प्रयोग मे ला रहे है। राजा को व्यापारी के लाभ पर 5 प्रतिशत कर लगाना चाहिए न कि लागत पर।[5]

गुप्तकाल मे भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केन्द्र हो गया था। जब कोई व्यापारी माल लेकर अपने देश मे लौटा हो और आते ही उसकी मृत्यु हो जाय तो राजा उसके उत्तराधिकारी को उसका माल दे देता था किन्तु यदि 10 वर्ष तक उस माल का कोई दावेदार न आये तो राजा स्वय उसका उपभोग कर सकता था। नारद और वृहस्पति ने विक्रेता तथा क्रेता दोनो के हितो की रक्षा के लिए अनेक नियम दिये है। नारद के अनुसार यदि क्रेता वस्तु को खरीदने के बाद यह समझे कि उसने उस वस्तु का मूल्य अधिक दे दिया है तो उस वस्तु को बिना उसके प्रयोग किये लौटा सकता था और अपना पूरा मूल्य वापस ले सकता था। यह वापसी का कार्य यदि खरीद के दिन से अगले दिन किया जाय तो उसे खरीद के मूल्य से 1/30 भाग कम मूल्य मिलता था। तीसरे दिन लौटाने पर 1/15 भाग और उसके बाद दुकानदार वस्तु लौटाने के लिए बाध्य नही होता था। वृहस्पति ने लिखा है कि यदि वस्तु के दोष को बताये बिना कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचता था तो खरीददार को उसे उस वस्तु के मूल्य का दूना लौटाना पडता था और उसे सरकार को वस्तु के मूल्य के बराबर जुर्माना देना पडता था। इस प्रकार इन नियमो से स्पष्ट है कि उस समय बाजार का नियन्त्रण सुव्यवस्थित नियमो के अन्तर्गत राज्य द्वारा होता था, और कोई व्यापारी मनमानी नही कर सकता था।

मौर्यकाल मे वस्तुओ के मूल्य सरकार द्वारा तय किये जाते थे किन्तु गुप्तकाल का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि इस काल मे भी वस्तुओ का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बेच दे जिसका वह स्वामी नही है तो ऐसी बिक्री मान्य नही थी। वस्तुओ का मूल्य माँग पर निर्भर करता था। इस प्रकार श्रीलका और चीन के साथ विभिन्न वस्तुओ का आयात और निर्यात व्यापार, कम्बोडिया को केवल हीरा, चन्दन और केसर का निर्यात, अरब से अच्छे घोडो का आयात होता था। इसके अलावा रोम,ईरान, तथा ईथियोपिया से भी व्यापार होता था।

गुप्तोत्तर काल मे भी राज्य व्यापार मे सहयोग करता था किन्तु इस काल मे कुछ विशिष्ट व्यापारियो के प्रति राज्य के असन्तोष का उल्लेख मिलता है। गाहडवाल शासको ने मुसलमान व्यापारियो को रोकने के लिए 'तुरुष्क दण्ड' नाम का कर वसूल किया अर्थात् अपने देश के मूल निवासियो के व्यापार संरक्षण की भावना गुप्तोत्तर काल के शासको मे ही उत्पन्न हो गयी थी।[6] भारतीय नरेशो विशेषकर बगाल

---

5. भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास–ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 107
6. प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास–ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड–नई दिल्ली, पृष्ठ स0 121

के पाल और सेन तथा दक्षिण के पल्लव और चोल राजाओ ने चीन सम्राट के राज दरबार मे अपने राजदूतो को भेजने का ताँता बाँधकर चीन के साथ व्यापार बढाने की चेष्टा की।[7] इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन भारतीय शासको मे भी अपनी प्रजा को उनके उपभोग हेतु उन वस्तुओ को उपलब्ध कराने की लालसा रहती थी जो कि भारतवर्ष मे आसानी से तैयार नही की जा सकती थी।

(ख) मध्य काल मे राजकीय व्यापार का विकास -

राजकीय व्यापार के इतिहास मे सल्तनतकालीन अलाउद्‌दीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार नियन्त्रण के पीछे उसका उद्‌देश्य राजनीति से प्रेरित हो सकता था, क्योकि उसकी लगातार विजयो और मगोल आक्रमणो ने उसके लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। राज्य के कर्मचारियो तथा सैनिको और दीवानी प्रशासन पर अत्यधिक व्यय होता था। व्यय इतना अधिक था कि उपज का 50 प्रतिशत कर लगाकर, विभिन्न प्रकार के अन्य कर लगाकर और सोने-चाँदी के पेय पात्रो को सिक्के मे परिवर्तित करके भी राज्य की आवश्यकताए केवल 5-6 वर्षो तक ही पूरी हो पाती।[8] यह तो कहना कठिन है कि अलाउद्‌दीन के आर्थिक-सुधार केवल सेना को ही ध्यान मे रख कर किये गये थे क्योकि आर्थिक नीतियो को विजय-दौड के समाप्त होने के बाद भी चालू रखा गया था।[9]

वह एक विस्तृत गुप्तचर प्रणाली पर भरोसा रखता था और अनुचित व्यापार प्रणाली मे सहभागी व्यक्तियो को दण्ड देने मे कोई छूट नही देता था।उसका प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम(जाब्ता) सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने से सम्बन्धित था। उसने गेहूँ, जौ, धान, चना, दाल, चीनी, तेल और नमक इत्यादि वस्तुओ की मूल्य सूची जारी की थी जिसमे कोई भी वृद्धि नही की जा सकती थी।[10] गल्ला मन्डी के भाव की स्थिरता उसके राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक जीवित रहा इन मूल्यो मे तनिक भी वृद्धि नही हुई, हाँ कीमते कम व नीची अवश्य कर दी गयी थी।

कीमते निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किये। यहाँ से जनता व दुकानदार अन्न आदि खरीद सकते थे। अनाज बाजार मे दो प्रकार के व्यापारी थे, प्रथम- वे जिनकी दिल्ली मे स्थायी दुकाने थी तथा द्वितीय-काफिले वाले व्यापारी,जो नगर मे अनाज लाते

---

7. मध्यकालीन भारत-प्रो0 सतीशचन्द्र, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 66

8 मध्यकालीन भारत-वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ स0 21 4

9 मध्यकालीन भारत- शर्मा, एल पी , लक्ष्मी नारायण अग्रवाल-आगरा-3, पृष्ठ सख्या- 96

10 भारत का बृहत् इतिहास-मजूमदार, राय चौधरी एव दत्त, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड-मद्रास, पृष्ठ स0 33

थे और उसे दुकानदारो और जनता को बेचते थे।अलाउद्दीन के नवीन आदेशो के परिणामस्वरूप व्यापारियो को मुनाफाखोरी का अवसर नही मिलता था। उत्पादन मूल्य उत्पादको के लागत से बहुत अधिक नही होता था। इससे उत्पादको को उनकी लागत का उचित मूल्य भी मिलता था और व्यापारियो को अधिक मुनाफाखोरी का अवसर भी नही मिलता था। उन्हे बाजार के शहना(बाजार–अधीक्षक) के पास अपने नाम दर्ज कराने पडते थे। सामान्य समय मे इन व्यापारियो ने बाजारो मे पूरा अनाज लाने के करारनामो पर सामूहिक और व्यक्तिगत हस्ताक्षर किये। इस काल मे सरकारी गोदाम छूने की आवश्यकता नही पडती थी क्योंकि बाजार मे अनाज मुक्त रूप से उपलब्ध था।

खिलजी ने घुमक्कड व्यापारियो के हितो का ध्यान रखते हुए उन्हे आसानी से अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाये। दोआब और दिल्ली के आस–पास के प्रदेशो के समस्त दण्डाधिकारियो तथा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियो को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित करार दे कि वे कृषको को उनकी उपज का 50 प्रतिशत भू–राजस्व उपज मे ही वसूल करेगे। इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार मे आता था। उसे भण्डारगृहो मे रखा जाता था। सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर पूर्ण रोक लगा दी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन का सामना करने के लिए राजकीय अन्न भण्डार बनाये।[11] इनसे अनाज केवल आपात्कालीन स्थिति मे ही निकाला जाता था। वर्षा की कमी या अन्य किसी कारण से यदि फसल नष्ट हो जाय या यातायात के किसी सकट के कारण राजधानी मे अनाज न आ पाये तो इन गोदामो मे से अनाज निकालकर घुमक्कड व्यापारियो को अनाज मण्डी मे बेचने के लिए दिया जाता था।

ऐसे भी प्रमाण मिलते है कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था।नगर के सम्पन्न व्यक्तियो को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा मे अनाज दिया जाता था। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू थी। अनुकूल मौसमो मे लोग इच्छानुसार अनाज खरीद सकते थे। इस प्रकार राशन की पद्धति अलाउद्दीनकी नईसूझ थी लेकिन राशन कार्ड आदि की कोई व्यवस्था नही थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति बाजार जाता था उसे निर्धारित मात्रा मे अनाज दे दिया जाता था।

सराय ए अदल (अर्थात्–न्याय का स्थान), निर्मित वस्तुओ तथा बाहर के प्रदेशो, अधीनस्थ राज्यो तथा विदेशो से आने वाले माल का सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था।[12] यहाँ पर आने वाली वस्तुएँ थी– कपड़ा, शक्कर, जडी–बूटी, मेवा और दीपक जलाने का तेल। सुल्तान का आदेश था कि

---

11 मध्यकालीन भारत–वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय–पृष्ठ स0 217

12 भारत का वृहत् इतिहास–मजूमदार, राय चौधरी एव दत्त, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, मद्रास, पृष्ठ स0 34

प्रत्येक वस्तु जो व्यापारी खरीदे, भले ही उनका मूल्य एक टके से 10 हजार टके तक हो, बदायूँ द्वार के निकट स्थित इस बाजार मे अवश्य लायी जाय। जो इस नियम का उल्लघन करता था उसकी वस्तुए जब्त करने के साथ ही उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। बरनी ने रेशमी व सूती कपड़ो की एक लम्बी सूची दी है जिनकी कीमते निश्चित कर दी गयी थी। कपडे की कीमतो के निर्धारण से व्यापारी दिल्ली मे माल बेचने के इच्छुक नही थे क्योंकि उनको अधिक लाभ नही होता था।[13]

अलाउद्दीन ने दिल्ली मे व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को, चाहे व हिन्दू हो या मुसलमान, दीवान–ए– रियासत(वाणिज्य मन्त्रालय) मे अपना नाम दर्ज कराने का आदेश दिया। उसे एक ऐसे करारनामे पर हस्ताक्षर भी करने पडते थे कि वे निश्चित मात्रा मे माल नगर मे लायेगे तथा उसे नियन्त्रित दरो पर बेचेगे। सुल्तान ने राजकीय कोष से मुल्तानी व्यापारियो को धन अग्रिम रुप मे दिया जिससे कि वे अन्यत्र माल खरीद कर नियन्त्रित दरो पर सराय–ए–अदल मे बेच सके। इब्नबतूता के अनुसार सुल्तान ने व्यापारिक माल पर समस्त कर समाप्त कर दिये, व्यापारियो को अग्रिम धन दिया और कहा," इस धन से बैल और भेडे खरीदो और उन्हे बेचो, उनसे जो धन प्राप्त होगा वह कोषागार मे चुका देना चाहिए और बेचने के उपलक्ष्य मे तुम्हे भत्ता मिलेगा।" इससे प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति व्यापारी नही बल्कि शासन के एजेण्ट थे। उन्हे बाहर से माल खरीदकर दिल्ली मे बेचने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था और वे इस कार्य के लिए पारिश्रमिक पाते थे।

अगला अधिनियम परवाना नवीस(परमिट देने वाले अधिकारी) की नियुक्ति एव अधिकार से सम्बन्धित था। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि बहुमूल्य वस्त्र जैसे–कजमाबरी, सुनहरी जरी, देवगिरि रेशम तब तक नही बेचे जा सकते थे जब तक कि परवाना नवीस लेने वाले अमीरो, मालिको अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियो के परिचय पत्र से वह सन्तुष्ट न हो तथा उनकी आय के आधार पर परमिट न दे।

घोडो, दासो और मवेशियो के बाजार पर निम्न चार नियम लागू होते थे–

- किस्म के अनुसार मूल्य का निश्चय,
- व्यापारियो और पूँजीपतियो का बहिष्कार।
- दलालो पर कठिन नियन्त्रण और,
- सुल्तान द्वारा नियमित जाँच पडताल ।[14]

कीमतो को कम बनाये रखने के लिए अलाउद्दीन ने घोड़ो के दलालों और मध्यस्थो से कठोरता का व्यवहार किया। उन दिनो के दलाल और मध्यस्थ इतने उद्दण्ड थे कि वे क्रेता और विक्रेता दोनो से प्रत्येक लेन–देन मे कमीशन लेते थे। खिलजी ने दुष्ट दलालो को समाप्त करने के लिए आजीवन

---

13 मध्यकालीन भारत–शर्मा, एल0पी0, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–3, पृष्ठ सख्या– 98

14 मध्यकालीन भारत–वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ स0 220

कारावास तक का दण्ड दिया। जब कुछ समय बाद मूल्य स्थिर हो गये तो दलालो को सुल्तान द्वारा निश्चित दरो पर क्रय–विक्रय की अनुमति दे दी गयी। घोडो के मूल्यो पर नियन्त्रण हेतु वह स्वयं दलालों को दो मास के अन्तराल पर बुलवा कर कठोर एव विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था।

बडे बाजारो के अतिरिक्त अन्य छोटी वस्तुओ के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किये गये थे। मिठाई, सब्जी, कघी चप्पल, जूते, मौजे, कटोरी, सूई, सुपारी, पान, गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि सामान्य बाजार मे बिकने वाली प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची बनायी गयी थी। राज्य द्वारा स्वीकृत सूची वाणिज्य मन्त्रालय को दे दी जाती थी। दिल्ली के बाजारो के महानिरीक्षक विभिन्न वस्तुओ के विभिन्न बाजारो के 'शहना' नियुक्त करते थे जो बाजार मे मूल्य सूची लागू कराते थे। 'नाजिर याकूब'(नाप–तौल अधिकारी) की कठोर देखभाल के बावजूद भी व्यापारी ग्राहको को छलते थे, खोटे बाट रखते थे तथा अच्छी किस्म की वस्तुओ को अलग रखते थे। परिणामत अलाउद्दीन अपने छोटे गुलाम लडकों को कुछ जीतल (मुद्रा) देकर भिन्न–भिन्न वस्तुए खरीदने को भेजता था। याकूब इन लडकों द्वारा लाये गये सामान की जाँच करता था। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही माँस काट लिया जाता था। इस कडे नियन्त्रण का प्रभाव यह पडा कि बाजार व्यवस्थित हो गया तथा कीमते स्थिर हो गयी।

खिलजी की बाजार व्यवस्था से किसान, कारीगर एव व्यापारी खुश नही थे। किसान को अपनी उपज का आधा भाग कर, कुछ अन्य कर तथा बची उपज को सरकारी व्यापारियो को निश्चित मूल्य पर बेचना पडता था। कारीगर एव व्यापारियो का लाभ भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसी स्थिति मे व्यापार तथा उद्योगो को प्रोत्साहन मिलने का कोई प्रश्न ही नही था। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से उसके बाजार नियन्त्रण की महत्ता एव व्यापार मे राजकीय हस्तक्षेप के सराहनीय उद्देश्य को नकारा नही जा सकता। उसका उद्देश्य था कि दैनिक आवश्यकताओ व सामान्य खाद्य पदार्थो के मूल्यो को इतना गिरा दिया जाय कि प्रत्येक सैनिक और आम व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। वह अपने उद्देश्य में पूर्णत सफल रहा।

मुगलकाल मे थोक व्यापारियो(सेठ या वोहरा) दुकानदारो, सर्राफो व साहूकारो और गुमाश्तो एव दलालो के अलग–अलग व्यावसायिक समूह बन गये थे। सतीशचन्द्र के मतानुसार विपणन के क्षेत्र में तीव्र प्रतियोगिता थी।[15] बर्नियर ने ऐसे व्यापारियो का उल्लेख किया है जिनके पास 80 लाख रुपये तक की सम्पत्ति थी और जिनका व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से कम नही था। बिरजी, वोहरा तथा कासी वीरन्ना का कुछ वस्तुओ पर एकाधिकार था और कुछ व्यापारियो मे इसी प्रकार के एकाधिकार प्राप्त करने की उच्च आकाक्षाए भी थी लेकिन मुगल शासको का ऐसे व्यापारियो पर भी कोई नियन्त्रण नही था।

---

15 मध्यकालीन भारत–शर्मा, एल0पी0, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–3, पृष्ठ सख्या 490

17वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे दूर के बाजारो के लिए अधिकाशत ददनी (अर्थात–अग्रिम सविदा) के आधार पर माल खरीदा जाने लगा। तथापि बडी पूँजी वाला बडा शहजादा व्यापारी स्वय व्यापारियो से माल खरीद लेता था तथा अग्रिम सविदा के बिना पूरा बाजार स्वय समेट लेता था। फिर भी सरकार व्यापारियो पर यदा–कदा ही हस्तक्षेप करती थी बशर्ते कि बन्दरगाहो पर शान्ति बनी रहे तथा सरकारी राजस्व सुचारु रूप से एकत्रित किया जाता रहे। इस प्रकार भारतीय विदेश व्यापारी को न तो अपने राज्य का सरक्षण मिला हुआ था और न ही सरकार का उसे कोई डर था। व्यापारी वर्ग इस काल मे तीव्र प्रतियोगिता वाले वातावरण मे रहा किन्तु उसने प्रतियोगिता सम्बन्धी सामाजिक सीमाओ को स्वीकार किया ।

मुगल काल मे शासन की व्यापारिक नीति व उचित नियन्त्रण के अभाव में उत्पादक व उपभोक्ता आपस मे एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते थे। जिसका लाभ शासक वर्ग को प्राप्त होता था। वस्तुओ का उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार न होकर, अमीर वर्ग या शासक वर्ग की इच्छा पर होता था। उपभोक्ता वर्ग कई भागो मे विभक्त था जिससे उनमे कोई सगठन नही बन पा रहा था। अमीर लोग धन लोलुपता एव विलासिता के शिकजे मे बुरी तरह जकड गये थे।

आरम्भ मे अग्रेजो ने मुगल दरबार मे उपस्थित होकर कुछ छोटी–छोटी सुविधाए प्राप्त की और धीरे–धीरे मुगल बादशाहो की आज्ञा से व्यापार करना आरम्भ किया। देश की राजनीतिक दुर्व्यवस्था को देखते हुए अग्रेजो की ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आयी। मुगल शाही सेना व मराठो तथा अन्य दकनी राज्यो के बीच दीर्घकालीन युद्धो, बगाल में सुबेदारो की निर्बलता, मालाबार मे समुद्री डाकुओ के उपद्रव और इनसे प्रतिरक्षा की आवश्यकता आदि ऐसे कारण थे जिन्होने इस व्यापारिक कम्पनी को एक राजनीतिक शक्ति बनने का अवसर दिया। वर्ष 1969 मे बम्बई के गवर्नर जेराल्ड औगियर ने कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को लिखा था कि 'अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथो मे तलवार लेकर अपने व्यापार का प्रबन्ध करे।'[16] इस प्रकार जो प्रक्रिया भारतीय मसालो को प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियो द्वारा आरम्भ हुई थी वह पूरे देश को अग्रेजी उपनिवेश बनाने तक जारी रही।

(ग) आधुनिक काल में राजकीय व्यापार का विकास

आधुनिक काल मे भारत में राजकीय व्यापार के विकास का सुविधापूर्वक विश्लेषण करने के लिए हम इसके सम्पूर्ण विकास-क्रम को दो भागो मे बॉट सकते है–

---

16 मध्यकालीन भारत–भाग दो–वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ सख्या 432

1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार,

2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजकीय व्यापार ।

1 **स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार –** प्रारम्भ मे भारतीय शासको ने ही यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियो के कर से होने वाली आय को बढाने के लिए यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियो को भारत मे स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और बाद मे इन कम्पनियो ने भारत की व्यापारिक नीतियो को अपने हाथ मे लेकर भारतीय व्यापार और उसके उपभोक्ता को अनदेखा करते हुए अपने हित मे व्यापारिक नियमों का सशोधन किया। वर्ष 1600 से लेकर 1757 तक भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी। वह भारत मे बाहर से बहुमूल्य वस्तुए तथा धातुए लाती थी और उनका विनिमय कपडो, मसालो आदि भारतीय वस्तुओ से करती थी, और तब उन्हे बाहर ले जाकर बेचती थी।उसकी आय मुख्य रुप से भारतीय वस्तुओ को विदेशो मे बेचने से होती थी। इस प्रकार कम्पनी ने तैयार भारतीय वस्तुओ के निर्यात को बढाया और उसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया।अन्य कारणो के साथ एक कारण यह भी था जिससे भारतीय शासको ने भारत मे कम्पनी के कारखानो की स्थापना को न केवल बर्दाश्त किया बल्कि प्रोत्साहन भी दिया।

प्रारम्भ से ही ब्रिटिश कपडा निर्माता ब्रिटेन मे भारतीय कपडो की लोकप्रियता से जलते थे। एकाएक पहनावे के फैशनो मे परिवर्तन हो गया और हल्के सूती कपडो ने अग्रेजो के मोटे ऊनी कपडो की जगह लेना आरम्भ कर दी। ब्रिटिश निर्माताओ ने इगलैण्ड मे भारतीय वस्तओ की बिक्री को नियन्त्रित करने ओर उस पर पाबन्दी लगाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला। 1720 तक कानून पास कर इगलैण्ड मे रंगे हुए सूती कपडे पहनने व इस्तेमाल करने की मनाही कर दी गई। इसके अलावा सादे कपडे पर भारी आयात शुल्क लगा दिया गया।हालैण्ड को छोडकर अन्य योरोपीय देशो मे भी भारतीय कपडे केआयात पर मनाही कर दी गयी या भारी आयात शुल्क लगा दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय रेशम व सूती कपडे अठारहवी शताब्दी के मध्य तक विदेशो मे जमे रहे।[17]

कम्पनी को मुगल बादशाह से 1717 मे एक शाही फरमान(राजकीय आज्ञापत्र) मिला जिसके फलस्वरूप उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार मिल गया। कम्पनी को बिना टैक्स दिये बगाल मे अपने मालो का आयात–निर्यात करने की आज्ञा दे दी गई। उसे माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए दस्तक(पास)जारी करने का अधिकार दे दिया गया।[18]

---

17 आधुनिक भारत–विपिन चन्द्र, एन सी ई आर टी , नई दिल्ली–पृष्ठ सख्या–76

18 आधुनिक भारत का इतिहास– शुक्ला, राम लखन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या–60

ब्रिटिश विनिर्माता ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वी व्यापार पर उसके एकाधिकार और भारत के राजस्व एव निर्यात व्यापार के नियन्त्रण के माध्यम से भारत के शोषण के तरीको को अपने सपनो के साकार होने के मार्ग मे बाधा समझते थे। उन्होने 1793 और 1813 के बीच कम्पनी और उसके व्यापारिक विशेषाधिकारो के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान छेडा। अन्ततोगत्वा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार पर उसके एकाधिकार को समाप्त करने मे सफल हो गये।

भारत सरकार ने मुक्त व्यापार या ब्रिटिश वस्तुओ के बेरोक–टोक प्रवेश की नीति को अपनाया। विदेशी शासको ने न केवल भारतीय व्यापारिक हितो की रक्षा नही की बल्कि विदेशी वस्तुओ के मुक्त प्रवेश के लिए भारत के दरवाजे भी खोल दिए परिणामस्वरूप केवल ब्रिटिश कपडे का आयात जो 1813 मे एक लाख दस हजार पौण्ड मूल्य का था। 1856 मे तिरसठ लाख पौण्ड मूल्य का हो गया। 1840 की संसदीय जॉच समिति मे बताया गया कि भारत आने वाले ब्रिटिश सूती और रेशमी सामानो पर जहॉं 3 5 प्रतिशत, ऊनी सामानो पर 2 प्रतिशत कर लगता था वही ब्रिटेन मे भारत से आने वाले सूती कपडे पर 10 प्रतिशत, रेशमी कपडे पर 20प्रतिशत कर लगाया जाता था। ऐसे निषेधात्मक आयात शुल्को और मशीन उद्योगों के फलस्वरूप, विदेशो को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओ मे तेजी से कमी हुई।[19]

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अग्रेजो के शासनकाल मे उनकी दमन व शोषण नीति के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार की दशा अत्यन्त दयनीय थी। आवश्यक वस्तुओ का सर्वथा अभाव था। नैसर्गिक प्रकोपो से सुरक्षा का उपाय न किये जाने के कारण भारतीयो को खाद्यान्नो के लिए तरसना पडता था। शासन की ओर से आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण की कोई भी समुचित व्यवस्था न थी, बल्कि इसके विपरीत 1770 मे बगाल के भयकर अकाल के कारण वस्तुओ के मूल्य मे इतनी वृद्धि हो गयी कि जनता के पास इतना धन नही था कि वे वस्तु को खरीद सके। इसके बावजूद भी सरकार ने कडाई के साथ लगान वसूल किया। 1876–77 मे जब अकाल पडा हुआ था तो ब्रिटिश सरकार लाभ कमाने के लिए यूरोप को गेहूँ का निर्यात कर रही थी। ब्रिटिश काल मे आम भारतीयो के लिए उत्पादन व वितरण के प्रति पूर्ण उपेक्षा की नीति को अपनाया गया था जबकि नैतिक मूल्यो के आधार पर जनता को सुरक्षा एव न्याय दिलाने के साथ–साथ उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उचित ढग से आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराना सरकार का राजकीय एव मानवीय दायित्व होता है।

बीसवी शताब्दी के दूसरे दशक मे प्रथम विश्वयुद्ध के कारण वस्तुओ कै अभावो की पूर्ति और मूल्य वृद्धि पर नियत्रण करने के लिए भारत मे कोई विशेष व्यवस्था नही की गयी। 1929–30 की व्यापक

---

19 आधुनिक भारत का इतिहास–शुक्ला, आर एल , हिन्दी माध्यम, कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या– 56

आर्थिक मन्दी का प्रभाव काफी समय तक बना रहा। लोगो की क्रय शक्ति काफी कम हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व निर्धनता अधिक होने के कारण माँग कम रहती थी जिससे वस्तुओ की कमी का आभास नही हो पाता था। उपभोक्ता अभावो मे भी गुजारा कर लेते थे। फलस्वरूप जमाखोरी और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन नही मिल पाया। परन्तु बाद मे प्राकृतिक कमी और उपभोक्ता की मनोवृत्ति के कारण व्यापार व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी। उत्पादक व व्यवसायी वर्ग आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति को रोक कर कीमतो को बढाने मे सहयोग कर रहे थे। इस समय उपभोग्य सामग्री के मूल्य मे वृद्धि असमान रुप से हो रही थी।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् दो महत्वपूर्ण घटनाओ के परिणामस्वरूप राजकीय व्यापार का विकास हुआ और प्रत्येक देश की सरकार ने इस ओर अपना ध्यान दिया। प्रथम, सोवियत सघ ने 22 अक्टूबर, 1918 को एक अधिनियम पारित किया जिससे कि विदेशी व्यापार पर राज्य सरकार का एकाधिकार हो गया तथा द्वितीय कारण, 1929 की विश्व व्यापी महान आर्थिक मन्दी जो मुख्यतया कृषि उत्पादो मे हुई, जिससे बेकारी बढी, विश्व का व्यापार सन्तुलन असन्तुलित हो गया और पूँजी की गतिशीलता मे गिरावट आयी इन सभी घटनाओ के कारण विदेशी व्यापार पर पर्याप्त नियन्त्रण करना पडा। द्वितीय विश्वयुद्ध ने भी राजकीय व्यापार के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, उस समय मूल्य बढ रहे थे तथा उत्पादन सीमित था। अत सरकार ने खाद्यान्न, चीनी, कपडे व गैस का वितरण अपने हाथ मे ले लिया, जो राशनिग के नाम से जाना जाता है। युद्धोत्तर अवधि मे समाजवाद और नियोजन के उद्भव ने भी विश्व– व्यापार मे सरकारी सहभागिता मे वृद्धि को प्रोत्साहन दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक ऐसा अभिकरण स्थापित करने का विचार सरकार के सम्मुख आया जो कि विदेशी व्यापार मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और साथ ही परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप समय–समय पर वह अभिकरण अपने उद्देश्यो मे परिवर्तन करके अपने कार्यों का निष्पादन करे।[20] युद्ध के समय भारतीय व्यावसायिक समुदाय ने स्वय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार हेतु एक अभिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया क्योकि भारतीय व्यापारी विदेशी शासको के कपटपूर्ण एव सौतेले व्यवहार से डरते थे। वे भारत मे भारतीयो को न केवल भारतीय व्यापार से वचित करते थे अपितु व्यापार के लाभो से वचित करते थे। यहाँ तक कि वे भारतीयो को व्यावसायिक मामलो मे अधिकार प्राप्त व्यवसाय को भी नही करने देते थे। युद्ध की विषम परिस्थितियो के कारण यह समझा जाता था कि सामान्य व्यापारी अपने कार्यों को उचित ढग से कर पाने मे अक्षम है। इसलिए सरकार वहाँ पर अपना एक राजकीय व्यापारिक अभिकरण स्थापित करे जहाँ पहले निजी व्यापारी व्यापार करते थे लेकिन अब उस व्यापार को करने मे अपनी असमर्थता प्रकट करते है। इस प्रकार स्थापित किया गया अभिकरण देश के आयात–निर्यात व्यापार का और अधिक विकास करने मे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु भारत की तात्कालिक परिस्थिति जिसमे नीचे मूल्यो पर निर्यात हेतु बडी मात्रा मे की जाने वाली खरीददारी, कुछ सीमित मदो मे ही स्वतन्त्र व्यापार

---

20 राजकीय व्यापार पर गठित कमेटी का प्रतिवेदन, नई दिल्ली–1950, पृष्ठ सख्या 2–4

की सुविधा, देश मे राजनैतिक उथल–पुथल और अन्य अनेक कारणो से भारतीय व्यावसायिक समुदाय द्वारा विदेशी व्यापार हेतु राजकीय अभिकरण की स्थापना के सुझाव पर अमल नही किया जा सका।

(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजकीय व्यापार – 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक जीवन से मुक्ति मिलने के बाद भारत मे नीति निर्माणको को इस विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक सोचने और लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन करने का अवसर मिला। 1947 के उत्तरार्द्ध और 1948 के पूर्वार्द्ध मे ही इस विषय पर पुन विचार किया गया। विचार–विमर्श से यह तथ्य प्रकाश मे आया कि–भारत वर्ष मे मूल्यो मे बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे है, भारत द्वारा विदेशो से आयातित खाद्यान्न के लिए बहुत ऊँचा मूल्य चुकाया जा रहा है साथ ही ये मूल्य भेदभाव पूर्ण है। और यदि सरकार निर्यात व्यापार को निजी क्षेत्र के लिए छोड देगी तो उनके द्वारा न केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर बहुत अधिक लाभ कमाया जायेगा बल्कि उनके स्वार्थपरक व्यापारिक व्यवहारो का भार विदेशी बाजार को उठाना पडेगा। सरकार ने मामले का विधिवत् परीक्षण किया और निर्णय लिया कि कपडा, मैग्नीज, तिलहन और वनस्पति तेल के देश के आन्तरिक और निर्यात मूल्य के अन्तर को समाप्त करने के लिए निर्यात कर लगाया जाय।

मार्च 1948 मे श्री आर0सी0 गोयनका ने यह मामला केन्द्रीय विधायिका मे कटौती प्रस्ताव के रूप मे उठाते हुए कहा कि सरकार को खाद्यान्नो के आन्तरिक और विदेशी मूल्य के बीच भारी अन्तर तथा बहुत अधिक लाभ की अनुमति नही देनी चाहिए। क्या सरकार इस अन्तर को कम करने तथा लाभ को नियन्त्रित करने के लिए राजकीय ससाधनो से कोई निगम स्थापित करेगी? इसके उत्तर मे तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री मा सी एच भाभा ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।[21]

मार्च 1949 मे मा के सी नियोगी जो कि उस समय वाणिज्य मन्त्री थे, ने अपने विभाग की अनुदान माँगो को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होने पिछले कुछ महीनो मे इस माँग का अध्ययन किया है और सरकार कुछ वस्तुओ के व्यापार मे राजकीय व्यापार का सहारा लेगी। उन्होने आगे कहा कि मैने सभी दृष्टिकोणो से राजकीय व्यापार राजकीय निगम के माध्यम से करने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। विभिन्न परीक्षणो के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि कुछ विशिष्ट वस्तुओ का कुछ विशिष्ट देशों के साथ व्यापार राजकीय सगठन के माध्यम से सम्भव है। उन्होने कहा कि मेरा विचार है कि ससद के कुछ सदस्यो की एक समिति इस मामले पर सुझाव देने हेतु जल्द से जल्द गठित की जाय।

समिति ने विचार किया कि कुछ निश्चित मामले मे द्विपक्षीय समझौता इस बात की पुष्टि करता है कि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की कितनी आवश्यकता है। अप्रैल 1949 मे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के

---

21 वर्किग आफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया, गुप्ता, के आर , एस चाँद एण्ड क प्रा लि , नई दिल्ली, पृष्ठ स0 45

समक्ष वाणिज्य मन्त्री ने सूती कपडे के पश्चिमी देशो को निर्यात व्यापार के अधिग्रहण हेतु एक निगम की स्थापना का प्रस्ताव विचारार्थ रखा। लेकिन यह प्रस्ताव अनुचित लाभ को समाप्त करने वाला न होकर मात्र विदेशी बाजार को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रखा गया था, भले ही इसके क्रियान्वयन मे हॉनि हो। जिसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

अक्टूबर 1949 मे भारत सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिये ससद सदस्य डा0 पजाब राव शामराव देशमुख की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया जो इस बात का पता लगायेगी कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की दिशा को देखते हुए राजकीय स्वामित्व मे अथवा राजकीय प्रयोजन मे किसी भी क्षेत्र के विदेशी व्यापार का सचालन करने के लिए किसी सगठन को स्थापित करना लाभप्रद होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसे सगठन की सरचना, उसका विस्तार तथा उसके कार्य का क्षेत्र क्या होना चाहिए?

समिति ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयो के कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियो तथा निजी व्यापार संघों के प्रतिनिधियो का दृष्टिकोण इस विषय पर जानने के लिए एक प्रश्नावली जारी की। समिति ने कांग्रेस पार्टी के कुछ ससद सदस्य सर्व श्री आर पी गोयनका, एम एल सक्सेना, वी पी झुनझूवाला, देशबन्धु गुप्ता और एम ए अय्यगर द्वारा तैयार किये गये सुझाव पत्र को भी उचित महत्व देते हुए राजकीय व्यापार मे आने वाली समस्याओ और जोखिमो का अध्ययन किया। समिति ने गहन विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष अगस्त-1950 मे प्रस्तुत की। समिति ने अपनी सिफारिश मे कहा कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना एक बहुत ही लाभदायक कदम होगा। उसके सुझाव इस प्रकार थे-

- सरकार को राज्य व्यापार के क्रिया कलापो, जैसे उर्वरक, खाद्यान्न, लोहा व कोयला के आयातो को अपने अधिकार मे ले लेना चाहिए।

- पूर्वी अफ्रीका से सूती कपडो के आयात को बढावा देना चाहिए तथा अपने देश के लघु उद्योगो के उत्पादो और कटपीस सूती कपडे के निर्यात को भी बढावा देना चाहिए।

- सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निजी आयतको और निर्यातको की ओर से विदेशो मे एकाधिकार स्थापित करने के लिए समझौतो का आयोजन करना चाहिए।

देश की आर्थिक परिस्थितियो के परिवर्तन को ध्यान मे रखते हुए 1953 मे एक तीन सदस्यीय समिति का गठन उक्त सुझावो पर पुनर्विचार के लिए किया गया। तत्कालीन परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि राज्य व्यापार निगम को रिपोर्ट मे बतायी गयी वस्तुओ के आयात-निर्यात का सचालन का अधिकार नही देना चाहिए। समिति ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि राज्य

व्यापार निगम को अस्तित्व मे लाने पर सरकार अपनी आर्थिक एव व्यापारिक नीति के अलावा अन्य नीतियो को समाज पर थोपने के एक अस्त्र के रूप मे इसका प्रयोग कर सकती है। फिर भी यदि ऐसा राज्य व्यापार निगम गठित ही करना है तो इसका कार्य–क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया जाना चाहिए।

उस समय तक सरकार विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अपनी आर्थिक नीतियो को कार्यरूप प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से आयात–निर्यात नियन्त्रण अधिनियम तथा प्रशुल्क(टैरिफ) अधिनियम पर निर्भर थी। ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि ये नियन्त्रात्मक शक्तियाँ कुछ महत्वपूर्ण समस्याओ का निराकरण करने के लिए पर्याप्त नही है। मुख्य रूप से केन्द्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार मे परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने तथा उसका विस्तार करने मे कठिनाई अनुभव की जा रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था मे निजी क्षेत्र के व्यापारी विदेश व्यापार के विकास मे बाधक बन रहे थे क्योंकि वे एक व्यापार सगठन के अनुशरण मे कार्य करते थे साथ ही उनमे स्वय के अनुभव एव आपसी समझ का अभाव था।

इस समस्या का निराकरण करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशो मे बडे पैमाने पर व्यापार प्रतिनिधियो को व्यवस्थित किया गया। ये व्यक्ति अपने देश मे आयात–निर्यात सगठन के सरक्षक के रूप मे कम–अधिक एक स्थानीय अभिकर्ता की भाँति कार्य करते थे। इन्हे निजी पार्टियो के साथ अनुबन्ध करने मे कठिनाई का अनुभव होता था। सरकार स्वाभाविक रूप से उचित आयात या निर्यात का अनुमोदन करने मे हिचकिचाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार प्रतिनिधि स्वयं भारतीय व्यापारियो से अनुबन्ध करने लगे। इन परिस्थितियो मे न चाहते हुए भी कुछ स्थापित फर्मो ने व्यापार के सचालन मे भाग लिया। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत व्यापारियो ने क्रय- विक्रय समझौतो को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के आधार पर करना शुरू कर दिया और अनुबन्धो को एकाधिकार के आधार प्राप्त करने के लिए अलाभकारी व्यापारिक पद्धतियो का भी प्रयोग किया जाने लगा।

इस प्रकार एक व्यापारिक सगठन की आवश्यकता व्यापारियो के आपसी विवादो का निरीक्षण करने तथा निपटाने के लिए अनुभव की जाने लगी। साम्यवादी देशो की विदेशी व्यापार एजेन्सियो ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओ का सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए अपने निरीक्षक नियुक्त किये। लेकिन ये साम्यवादी देश इस प्रकार की निरीक्षण प्रक्रिया 'पूर्ति एव प्रबन्ध महानिदेशक' द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओ के सम्बन्ध मे करने मे सक्षम नही थे। इसके अतिरिक्त निजी भारतीय पार्टियो के द्वारा किसी विशिष्ट वस्तु के आयात के सम्बन्ध मे तुलनात्मक अध्ययन कर निर्णय पर पहुँचना कठिन होता था क्योकि वस्तुओ की उपयोगिता एवं प्रमाप मे भिन्नता होती थी। इस प्रकार की विभिन्न समस्याओ का निवारण, तथा भारतीय व्यापारियो और एकाधिकारी विदेशी व्यापार सगठनो के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का एक मात्र विकल्प राजकीय व्यापार अभिकरण की स्थापना था।

इसके अलावा अन्य कई कारणो ने राजकीय व्यापार के विषय मे सरकार को सोचने के लिए बाध्य किया। कुछ अपरिहार्य वस्तुओ के आयात की मात्रा के निर्धारण के औजार के रूप मे स्थानीय उत्पादन कम हो जाने की दशा मे माँग के बढने तथा माँग और पूर्ति मे समानता बनाये रखकर मूल्यो को स्थिर करने के लिए राजकीय व्यापार आवश्यक हो गया। कच्चे सिल्क के आयात को इच्छित दिशा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से निजी व्यापारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मात्रा मे चीन से आयात करे ताकि कच्चे सिल्क की कमी के कारण हैण्डलूम बुनकरो को अत्यधिक मूल्य का भुगतान न करना पडे। इसी तरह की कठिनाई सोडा भस्म कास्टिक सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट के मामले मे भी हो रही थी।

सोडा भस्म के आयात के लिए मन्त्रालय द्वारा दो वितरको को नामित किया गया जो कि मन्त्रालय द्वारा चयनित सस्ते स्रोतो से परिमाण टेण्डर के आधार पर छ महीने की आवश्यकता के लिए स्वेच्छा से खरीददारी करने को सहमत थे। सरकार द्वारा कास्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को आयात करने का लाइसेन्स तुलनात्मक कोटेशन मूल्य के आधार पर उन आयातको को दिया गया जो कि विशिष्ट प्रतिबन्धो के अधीन एक निश्चित समय के अन्दर एक निश्चित न्यूनतम लाभ मात्रा पर आयात हेतु सहमत थे। सोडा भस्म के आयात व्यवस्था की इस आधार पर आलोचना की गयी कि छोटे आयातको की उपेक्षा करते हुए केवल दो फर्मों को इसकी अनुमति देना अनुचित है। इस बात का अनुभव किया गया कि सोडा भस्म जैसी वस्तुओ को आयात करने के सम्बन्ध मे राजकीय नीतियो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सगठनो को एकाधिकार या अर्द्धएकाधिकार दिया जाना चाहिए।

आयात के लिए राजकीय एजेन्सी की स्थापना से सरकार कीमत को नियन्त्रित करके, उसमे स्थिरता लाकर, बाजार मे वस्तु की पूर्ति को नियन्त्रित करके, उत्पादक एव उपभोक्ता के हितो को पूरा कर सकती है। ऐसा भी आरोप लगा कि केन्द्रीय नियोजित देशो मे कुछ व्यक्तियो को विदेशी व्यापार व्यवहार मे भाग लेने की अनुमति उनकी व्यापारिक क्रियाओ के आधार पर न देकर उनकी राजनैतिक सहानुभूति के आधार पर दी जाती है। साम्यवादी देशो को यह भी भय था कि व्यापार का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यो के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह यह देश के वृहत् हित मे था कि ऐसे व्यापार व्यवहार केवल राजकीय स्तर पर किये जाँय।

आयात को जारी रखने के लिए बडी मात्रा मे धन एव निर्यात के विस्तार एव गतिशीलता की आवश्यकता थी। निर्यात मे वृद्धि के लिए बडा बाजार अपरम्परागत वस्तुओ जैसे-हस्तशिल्प, चप्पल तथा लघु उद्योग के अन्य उत्पादो के लिए उपलब्ध था। लघु उद्योग का उत्पादन बहुत अधिक इकाइयो के द्वारा किया जाता था लेकिन वे इकाइयाँ बहुत विस्तृत क्षेत्र मे बिखरी हुई थी जिनमे न केवल वित्त की कमी थी बल्कि

इकाइयो को उनके विस्तृत बाजार का भी ज्ञान नही था। स्थापित निर्यातको ने भी एसी वस्तुओ के नियोत मे वृद्धि के रिाए कोइ रुचि नही ली। इसलिए इस क्षेत्र मे भी राजकीय व्यापार की आवश्यकता महसूस की गयी।

लौह खनिज तथा मैग्नीज के निर्यात मे भी कठिनाई अनुभव की गयी। निजी जहाजरानी मे लगे भारतीय, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशी खरीददारो से अनुबन्ध करने मे आपस मे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जिसके परिणागरवरूप उन्हे कम मूल्य पर सेवाए देकर विदेशी विनिमय की हानि उठानी पड रही थी। निजी निर्यातको को असफलता रो प्रतिष्ठित अनुबन्ध एव देश की विदेशी छबि खराब हो रही थी। खनिज उद्योग मे दीर्घकाल मे अच्छी शर्तों पर व्यापारिक अनुबन्ध प्राप्त करने, उत्पादन तथा रोजगार बढने की पूरी सम्भावना थी। आयातित सीमेन्ट की कीमत देश मे उत्पादित सीमेन्ट से बहुत अधिक थी। यही स्थिति इस्पात की भी थी। इस प्रकार देश गे उत्पादित वस्तु की कीमत और आयातित कीमत के अन्तर को समाप्त करने के लिए,आयात व्यापार पर निगरानी करने एव आयातित वस्तु का आन्तरिक वितरण करने के लिए राजकीय व्यापार अपरिहार्य हो गया।

यद्यपि राजकीय व्यापार को कार्यरूप प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था फिर भी प्रथम लोक सभा मे 26 अगस्त तथा 9 सितम्बर-1955 को एक सदस्य ने कुछ प्रमुख वस्तुओ के निर्यात को सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव बहस के लिए प्रस्तुत किया। बहस के दौरान कुछ सदस्यो ने राजकीय व्यापार के पक्ष मे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।[22] इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री ने 9 सितम्बर- 1955 को कहा कि 'हम लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और अगर यह प्रतीत होता है कि हमारी नियामक शक्तियाँ और वित्तीय उपाय किसी भी मामले मे अपर्याप्त है, या व्यापार की प्रक्रिया मे परिवर्तन सरकार एव जनता के हित मे है, तो ऐसी सकारात्मक कार्यवाही करने मे हमारी तरफ से कोई बाधा नही है। उन्होने आगे कहा कि यदि राजकीय व्यापार सगठन स्थापित करना आवश्यक ही है तो इससे पहले दो बातो की जाँच जरूरी है, प्रथम- क्या हम वह सुविधा राजकीय व्यापार को दे सकेगे जो कि व्यापार मे भाग लेने वाले अन्य देशो की सरकारे उन्हे देती है? द्वितीय-क्या स्थापित राजकीय व्यापार सगठन निजी व्यापारिक सगठन द्वारा उत्पन्न समस्या को हल करने मे सहायता प्रदान करेगा?

उपर्युक्त सभी वाद-विवाद के बाद राज्य व्यापार निगम की स्थापना का प्रश्न मन्त्रिमण्डल ने नवम्बर-1955 मे स्वीकार कर लिया। भारतीय राज्य व्यापार निगम(प्राइवेट)लिमिटेड, 18 मई, 1956को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक सयुक्त पूँजी कम्पनी के रूप मे पजीकृत हुआ। अप्रैल-1959 से 'प्राइवेट' शब्द निगम के नाम से हटा दिया गया ।

---

22 इस्टीमेट कमेटी, रिपोर्ट आन दि स्टेट ट्रेडिग कारपोरेशन आफ इण्डिया, निव डेलही-1960, पृष्ठ स0 1-2

जून-1962 मे दूसरा राजकीय सगठन–भारतीय हस्तशिल्प निगम लिमिटेड स्थापित किया गया जिसके सम्पूर्ण 12 लाख रुपये के अशो को राज्य व्यापार निगम ने खरीदा। यह राज्य व्यापार निगम की सहायक सस्था के रूप मे था जिसके सचालक मण्डल के गठन का अधिकार राज्य व्यापार निगम को था। अक्टूबर, 1962 मे राज्य व्यापार निगम के एक भाग- हैण्डलूम निर्यात सगठन को एक सहायक निगम के रूप मे हस्तान्तरित कर नया नामकरण- भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड किया गया।यह कार्यवाही हस्तशिल्प एव हथकरघा उत्पाद के निर्यात सम्वर्द्धन एव दोनो मे बेहतर सहयोग को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई।

व्यापार मे हो रही तीव्र वृद्धि, राज्य व्यापार निगम की अर्थव्यवस्था के विकास मे भूमिका, दीर्घकालीन योजना के क्रियान्वयन मे अव्यवस्था होने की सम्भावना तथा आयात-निर्यात सम्वर्द्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम को दो पृथक निगम– भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम लिमिटेड के रूप मे विभाजित कर दिया।नया निगम 1 अक्टूबर–1963 को अस्तित्व मे आया। इस निगम ने खनिज एव धातु व्यापार से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति एव दायित्व भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से 1 अक्टूबर-1963 को ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायता के लिए 1970 मे भारतीय चाय व्यापार निगम तथा काजू निगम की स्थापना अलग से की गयी। इसकी सहायक कम्पनी के ही रूप मे अप्रैल 1971 मे भारतीय परियोजना उपकरण निगम, जनवरी–1976 मे भारतीय राज्य रसायन एवं भैषज निगम तथा फरवरी–1976 मे केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम अस्तित्व मे आये।

भारत सरकार ने खाद्यान्नो के बढते मूल्य की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि 1943 मे ही प्रथम खाद्य नीति तैयार की एव प्रथम मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन आयोजित किया तथा सर्व प्रथम 1944 मे केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारो द्वारा केवल गेहूँ एव चावल के लिए राशनिग व्यवस्था आरम्भ की। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खाद्य सामग्री खरीद समिति–1950 के अधीन उस खाद्य नीति को अपनाया जा सके जिसमे खाद्यान्नो के एकाधिकारी खरीद एव राशनिग व्यवस्था पर बल दिया गया। वर्ष 1957–58 मे अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूँ और चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानो द्वारा किया गया परन्तु 1962 के भारत–चीन युद्ध एव 1965 के भारत–पाक युद्ध के बाद मूल्य वृद्धि एव पूर्ति के अभाव से बचने के लिए उचित मूल्य के दुकाने तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, केन्द्र– प्रायोजित योजनान्तर्गत बडी तेजी से खोले गये। इसी बीच खाद्यान्नो की माँग, पूर्ति एव मूल्य को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए खाद्य निगम अधिनियम–1964 के अधीन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गयी जिसने अपना कार्य जनवरी 1965 से प्रारम्भ किया।[23] वर्ष 1967–68 मे खाद्यान्नो के वितरण हेतु स्थापित 'उचित मूल्य की दुकान

---

23 विपणन, विक्रय–कला एव विज्ञापन- जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ संख्या–157

योजना' का नाम बदल कर 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया।

वर्ष 1976 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता वस्तुओ के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निगम ने ग्रामीण उपभोक्ता योजना आरम्भ की। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 1978 के राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव तथा राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो के नागरिक एव आपूर्ति मन्त्रियो के विचार–विमर्श के बाद 1 जुलाई–1979 से 'सार्वजनिक उत्पादन एव वितरण योजना' लागू की गयी जिसमे वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन वसूली, भण्डारण परिवहन एव वितरण की प्रक्रिया को शामिल किया गया। अगस्त 1986 मे पूर्व प्रधानमन्त्री स्व श्री राजीव गाधी द्वारा पुनर्सशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत् वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ, कारगर एव प्रभावी बनाने का सकल्प लिया गया। हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री ने 1 जनवरी, 1992 से ग्रामीण, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रो मे वितरण प्रणाली को और अधिक सक्रिय एव रचनात्मक बनाने की दृष्टि से नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की है, जिसका निरन्तर विस्तार किया जा रहा है।[24]

दूसरी ओर राजकीय व्यापार के विभिन्न अभिकरणो की पारस्परिक सरचना मे भी हाल के वर्षों मे कई विकासात्मक परिवर्तन किये गये। भारतीय राज्य व्यापार निगम 17 मई, 1990 को 'भारतीय व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड'(बी बी आई एल) का अनुषगी बना दिया गया। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक सूत्रधारी कम्पनी थी जिसमे चार सहायक कम्पनियो– भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एव धातु व्यापार निगम, परियोजना एव उपकरण निगम तथा मसाले व्यापार निगम को रखा गया था। परन्तु बी बी आई एल को समाप्त करते हुए 26 मार्च, 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम के सारे अश राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये। इस प्रकार 31 मार्च, 1991 को पहले की तरह राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनियो मे भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम शामिल थे। इसी तिथि को भारतीय काजू निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम मे समामेलित कर दिया गया। 13 मई 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम से इसकी अनुषगी कम्पनियो – भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और परियोजना एव उपकरण निगम को अलग कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय मे भारतीय राज्य व्यापार निगम का केवल एक अनुषगी–भारतीय चाय व्यापार निगम है।[25]

---

24 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 29 अगस्त-1994, पृष्ठ सख्या– 7

25 वार्षिक प्रतिवेदन- 1990–91 तथा 91–92, दि स्टेट ट्रेडिग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड–नई दिल्ली

तृतीय - सर्ग

राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ

तृतीय–रार्ग

राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ

वर्तमान समय मे राज्य का कार्य केवल आन्तारिक शान्ति एव बाह्य सुरक्षा स्थापित करना ही नही, बल्कि उन सभी जनतान्त्रिक कार्यों को भी सम्पन्न करना है, जिनसे सम्पूर्ण समाज के कल्याण मे वृद्धि होती हो। इसीलिए आधुनिक समय मे राज्यो को लोक–कल्याणकारी राज्य की सज्ञा दी गई है। प्रत्येक लोक–कल्याणकारी राज्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रमुखता से राष्ट्र के चहुँमुखी विकास मे सहयोग दे। राष्ट्र अपनी आर्थिक एव वित्तीय नीतियो को बदलती हुई परिस्थितियो के अनुकूल तो बनाये ही साथ ही साथ देश की जनता की समस्याओ के समाधान के प्रति भी पूर्णतया सचेष्ठ हो। भारत जैसे विशाल देश मे जहाँ लगभग एक तिहाई जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही हो वहाँ जमाखोरी, मुनाफाखोरी, उपभोक्ता– शोषण एव दैनिक उपभोग की वस्तुओ के त्रुटिपूर्ण वितरण से उत्पन्न मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओ का होना और भी कष्टकर है। आवश्यक वस्तुओ की मूल्य वृद्धि सदैव जन असन्तोष का कारण बनती है और अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओ को जन्म देती है। इसी परिप्रेक्ष्य मे भारत मे स्वतन्त्र व्यापार के साथ–साथ राजकीय व्यापार की भी अपनी सार्थकता है। यह राजकीय व्यापार विभिन्न कार्य–व्यवस्थाओ के तहत् समाज को अपनी सेवाए प्रदान कर उपभोक्ताओ को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। वस्तुओ की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए इन्ही कार्य एव व्यवस्थाओ के आधार पर राजकीय व्यापार को मुख्य रूप से दो भागो मे बाँटा जा सकता है–

(I) खाद्यान्नो गे राजकीय व्यापार,

(II) अन्य वस्तुओ मे राजकीय व्यापार ।

(I) खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार

'खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार' दो शब्दो से मिलकर बना है खाद्यान्न और राजकीय व्यापार। 'खाद्यान्न' से अर्थ उस अन्न से है जो मानव के खाने के काम मे आता है, जैसे– गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का दालें इत्यादि। 'राजकीय व्यापार' से अर्थ सरकार द्वारा व्यापारिक क्रियाए करने से है। इसमे राज्य द्वारा वस्तुओ का उत्पादन करना या वितरण करना या दोनो क्रियाए आती है। इस प्रकार, खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार से अर्थ राज्य द्वारा खाद्यान्नो का उत्पादन या वितरण अथवा दोनो क्रियाए करने से लगाया जाता है।

भारत मे खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की आवश्यकता द्वितीय महायुद्ध के काल मे प्रतीत हुई थी, उस समय खाद्यान्नो के मूल्य बढ रहे थे तथा खाद्यान्न का उत्पादन सीमित था। अत सरकार ने

खाद्यान्न, चीनी, कपडे आदि का वितरण अपने हाथ मे ले लिया जो 'राशनिग के नाम से भी जाना जाता है। 'बंगाल अकाल जॉच समिति' ने अपनी रिपोर्ट मे खाद्यान्नो के व्यापार के सरलीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1949 में केन्द्र सरकार ने डा पजाबराव देशमुख की अध्यक्षता मे राजकीय व्यापार के औचित्य की जॉच के लिए एक समिति नियुक्ति की जिसने अपने प्रतिवेदन मे राजकीय व्यापार को चालू रखने तथा उसी उददेश्य की पूर्ति हेतु राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की सिफारिश की। बाद मे 1957 मे खाद्यान्न जॉच समिति ने सरकार द्वारा खाद्यान्नो के क्रय विक्रय पर बल दिया। इस समिति के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे।

अत केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 1965 को खाद्यान्न के न्यायपूर्ण वितरण करने एव उनके मूल्यो मे स्थायित्व बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। 1969 मे काग्रेस पार्टी ने अपने वार्षिक अधिवेशन मे खाद्यान्नो के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित किया और अक्टूबर 1972 मे इस निर्णय को फिर दोहराया गया। इसके बाद 24 फरवरी 1973 को दिल्ली मे मुख्य मन्त्रियो का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमे यह निर्णय लिया गया कि गेहूँ के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। वर्तमान मे सरकार द्वारा खाद्यान्नो मे व्यापार करने की नीति है जिसके अन्तर्गत सरकार खाद्यान्नो की सरकारी खरीद करती है तथा बाद मे उस खाद्यान्न को उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से बेचती है।

<u>खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का उद्देश्य –</u> खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है–

– खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य खाद्यान्नो पर प्रभावकारी सरकारी नियन्त्रण रखना है जिससे कि खाद्यान्नो के मूल्य मे स्थिरता बनी रहे।

- खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ताओ को विशेषत दुर्बलवर्ग के उपभोक्ताओ को इस बात का आश्वासन देना है कि खाद्यान्न उनको निश्चित मूल्य पर मिलते रहेगें।

– तीसरा उद्देश्य किसानो को उनके उत्पादन का लाभदायक मूल्य प्रदान करना है जिससे कि उन्हें उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके और वे अधिकाधिक उपज सरकारी एजेन्सियो को बेच सके।

- चौथा उद्देश्य अनावश्यक मध्यस्थो को समाप्त कर बिक्री की लागत को कम करना तथा खाद्यान्नो के विक्रय व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।

- खाद्यान्नो के मूल्यो मे स्थिरता लाना राजकीय व्यापार का अन्तिम महत्वपूर्ण उददेश्य है।

खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार के लाभ – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार के निम्न लाभ है-

1 खाद्यान्नो के मूल्यो पर नियन्त्रण - खाद्यान्नो के मूल्यो मे पिछले कुछ वर्षो मे तेजी से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नो का मूल्य सूचकाक बढ गया है ऐसी स्थिति मे उचित है कि खाद्यान्न मे राजकीय व्यापार कर मूल्यो को नियन्त्रित किया जाय।

2 उपभोक्ताओ को शोषण से मुक्त कराना – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योकि व्यापारिक वर्ग उपभोक्ताओ का बडा शोषण करता है। वह वस्तुओ का सग्रह कर कृत्रि कमी पैदा कर देता है और फिर उस स्थिति से लाभ उठाने के लिए मूल्यो मे वृद्धि कर देता है। अत य उचित है कि खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार किया जाय। इससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी औ जनसाधारण को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहेगे।

3 खाद्यान्न के मूल्यो का प्रभाव - खाद्यान्न के मूल्यो का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर प पडता है। यदि खाद्यान्नो के मूल्य बढते है तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढता है। इसके विपरीत खाद्यान्न के मूल्य गिरते है तो सामान्य मूल्य स्तर भी गिरता है। अत यदि खाद्यान्नो के मूल्यो पर सरकारी नियन्त्र रहता है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।

4 विश्वव्यापी खाद्यान्न समस्या – खाद्य पदार्थो की कमीकेवल भारत म ही नही है बल्कि य तो एक विश्वव्यापी समस्या है,ऐसी दशा मे खाद्यान्नों का आयात भी कम हो जाने की सम्भावना है। इसलि खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार होना परम आवश्यक है।

5 कृषि विपणन के दोषो का निवारण – खाद्यान्नो म राजकीय व्यापार होने से कृषि विपण मे जो दोष है,उनका निराकरण स्वत हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है, क्योकि राजकीय व्यापार होने र कृषि पदार्थों का क्रय सरकार द्वारा किया जायेगा। सरकार उन गलत तरीको को नहीं अपनायेगी जिसे व्यापार वर्ग अपनाता है। इससे कृषको को लाभ होगा। उनको अपने उत्पादन का उचित लाभ मिल सकेगा तथ अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

6 किसान एव उपभोक्ता दोनो के लिए लाभकारी – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार किसा एव उपभोक्ता दोनो के लिए लाभकारी है। इससे किसान को अपनी उत्पत्ति का उचित मूल्य मिल जात है तथा उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते है। अत दोनो अपने रहन–सहन का स्थायी स्त बनाये रख सकते है।

खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की हानियॉं –खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार से निम्न हानियॉं है-

1 बेरोजगारी की समस्या को बढाने मे सहायक – देश मे लगभग 7 हजार मण्डियॉं है जह

कृषि पदार्थो का क्रय- विक्रय होता है। जिनमे 3 1 लाख थोक दुकाने है। इन दुकानो मे 11 6 लाख व्यक्ति साझेदार है, 7 7 लाख व्यक्ति मुनीम है, 10 3 लाख व्यक्ति मजदूर या पल्लेदार है व 2 लाख व्यक्ति दलाल है। यदि खाद्यान्नो का पूर्ण राजकीय व्यापार होने लगता है तो ये सभी व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगे जिससे देश की वर्तमान बेरोजगारी की समस्या और अधिक विषम बन जायेगी। [1]

2 <u>प्रशासनिक अकुशलता मे वृद्धि –</u> कुछ लोगो का मानना है कि खाद्यान्नो के व्यापार को सरकारी हाथ मे लेना समस्या का सही निराकरण नही है। सरकारी विभागो मे पहले से ही प्रशासनिक अकुशलता है। भ्रष्टाचार व बेईमानी चरमसीमा पर है, इससे तो चोर बाजारी एव मुनाफाखोरी और बढ जायेगी जो कर्मचारियो की छत्रछाया मे पनपेगी।

3 <u>राजकीय व्यापार की ऊँची लागत –</u> यदि सरकार खाद्यान्नो मे व्यापार करती है तो इससे लागत मे वृद्धि होगी, क्योकि मितव्ययिता न बरते जाने के कारण सरकारी क्षेत्रो मे गैर- सरकारी क्षेत्रो की तुलना मे अधिक लागत आती है। इसके अतिरिक्त सरकार को अरबो रुपये की व्यवस्था भी करनी होती है जिसके लिए हीनार्थ–प्रबन्धन की विधि को अपनाया जाता है। इससे देश मे मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है जो देश के हित मे नही है।

4 <u>व्यापारिक फसलो की वृद्धि –</u> अधिकाश भारतीय कृषक अशिक्षित है। अत वे सरकारी झंझट से दूर रहना चाहते है । यदि खाद्यान्नो मे पूर्ण राजकीय व्यापार आरम्भ किया जाता है, तो हो सकता है कि वे खाद्यान्नो के उत्पादन को छोड कर गैर–खाद्यान्न फसलो के उत्पादन मे लग जाये। इससे खाद्यान्न का उत्पादन गिर सकता है और एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

5 <u>मूल्य वृद्धि एव पूर्ति मे व्यवधान का उत्तरदायी केवल व्यापारी ही नही –</u> कुछ समस्याए ऐसी है जिसे राजकीय व्यापार भी समाप्त नही कर पायेगा। इसलिए खाद्यान्नो के राजकीय व्यापार के विपक्ष मे यह तर्क भी दिया जाता है कि मूल्य वृद्धि एव पूर्ति के लिए अकेला व्यापारी ही उत्तरदायी नही है बल्कि अन्य कारण भी उत्तरदायी है जैसे– प्राकृतिक प्रकोप(बाढ आना, सूखा पडना और अत्यधिक वर्षा होना इत्यादि) सरकारी नीति ,कृषक द्वारा उत्पत्ति को रोक कर रख लेना, आदि। ये घटक खाद्यान्नो का व्यापार सरकार के द्वारा किये जाने पर भी समाप्त नही होगे।

6 <u>खाद्यान्नो के उत्पादन मे एकाधिकारी प्रवृत्ति का न होना –</u> खाद्यान्नो के उत्पादन मे कोई एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ भी नही है। इसका उत्पादन तो पूरे देश मे फैले हुए किसानो द्वारा किया जाता है। अत इसका समाजवादी समाज की स्थापना से कोई सम्बन्ध नही है तथा न ही एकाधिकार से लडने का ही प्रश्न है।

---

1. भारत की आर्थिक समस्याए–मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या 245

7 समाज को परेशानी – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार होने से समाज को परेशानी होती है क्योंकि कालाबाजारी बढती है।उपभोक्ताओ को सरकारी दुकानो से खाद्यान्नो के क्रय करने मे घण्टो लगते है और जैसी वस्तु होती है,वैसी ही लेनी पडती है चाहे उसकी गुणवत्ता अच्छी हो या बुरी।

8 अन्य – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार कुछ अन्य दोषो के कारण भी अनावश्यक प्रतीत होता है, जैसे– राजकीय व्यापार मे यह भी सम्भावना हो सकती है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल ईमानदारी से कार्य न करे और वे खाद्यान्नो के मूल्य निर्धारण वितरण व सरकारी खरीद मे स्वार्थ को ध्यान मे रखकर ही निर्णय ले।

खाद्यान्नो के राजकीय व्यापार के सम्बन्ध मे जो दोष ऊपर बताये गये है उनमे से अधिकाश अस्तित्व विहीन है जिन्हे राजकीय व्यापार मे दक्षता कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा के विकास द्वारा काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके दोष, लाभो की तुलना मे नगण्य है अत खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार जन–कल्याण के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप मे स्वीकार किया गया है।

सरकार खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार के लिए सर्व प्रथम खाद्यान्नो का क्रय करती है और आवश्यकता पडने पर आयात भी करती है। क्रय करने की पद्धति को सरकारी खरीद कहते है। सरकार देश के कृषको से ,उन्हे उचित मूल्य की अदायगी करके बडी मात्रा मे खाद्यान्नो का क्रय करती है तथा उसका स्टाक रखती है, अपने स्टाक को बनाये रखने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो सरकार खाद्यान्नो का आयात भी करती है जिससे कि देश के प्रत्येक उपभोक्ता को उनकी आवश्यकताओ की वस्तुए सही समय एव उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाये। सरकार खाद्यान्नो का वितरण कुछ निर्धारित दुकानो पर निर्धारित मूल्यो मे करती है तो इसी को राशनिग कहते है।[2]

सरकार का यह परम व पुनीत कर्तव्य है कि वह देश के विभिन्न भागो मे वहाँ की उत्पादन क्षमता के आधार पर खाद्यान्नो के सन्दर्भ मे मूल्य नीति घोषित करे। वह प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नो की उत्पादकता एव उपभोग की पद्धति या माँग और पूर्ति के आधार पर खाद्यान्नो के मूल्य नीति की घोषणा करती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह खाद्यान्नो की पर्याप्त व्यवस्था एव भण्डारण करे इसके लिए सरकार पूर्व निर्धारित मूल्यो पर कृषको से खाद्यान्नो का नकद क्रय करती है। इस प्रकार भारत के किसानो से अनाज की उपज क्रय करके बफर स्टाक बनाने से एक तरफ किसानो को बिचौलियो की लूट से बचाया जा सकता है,दूसरी ओर किसानो के हाथ मे कुछ क्रयशक्ति आ जाती है जिससे अपनी जीविका ठीक ढग से चलाने के अलावा वे अपनी खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकते है और साहूकारो से अपनी सुरक्षा कर सकते है। खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार को अग्राकित शीर्षको के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है–

---

2 विपणन,विक्रय–कला एव विज्ञापन–जैन,एस सी ,साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या 157

(क) राशनिग व्यवस्था,

(ख) खरीद–कार्य,

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली,

(घ) भारतीय खाद्य निगम और

(ड) केन्द्रीय भण्डारण निगम ।

(क) राशनिग व्यवस्था –

राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाद्यान्नो का वितरण कुछ निर्धारित दुकानो मे निर्धारित मूल्यो पर किया जाता है। हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए कृत सकल्प है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशनिग व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए प्राप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुर्बल व्यक्तियो का शोषण पूँजीपति व व्यवसायी नही कर पाते। राशिनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म रूप रग, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्राय दैनिक उपभोग की वस्तुओ के वितरण हेतु राशनिग व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है तो कुछ केवल विशिष्ट व्यक्तियो के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओ के लिए एक ही राशनिग व्यवस्था अपनाकर कोई भी सरकार अपने उद्देश्यो को नही प्राप्त नही कर पायेगी।

(अ) राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया – राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है–

1 राशनिग व्यवस्था का चयन –राशनिग दो प्रकार से हो सकती है– विशेष राशनिग एव वर्ग राशनिग। एक वस्तु की राशनिग के लिए दोनो मे से किसी एक राशनिग व्यवस्था का चयन करना होता है। विशेष राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। ऐसी राशनिग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध मे सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रग, आकार एवं किस्म मे समानता हो। जबकि वर्ग राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओ को अपनी वस्तुओ के चयन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हे आवश्यकता होती है यदि वह वस्तु अनुपलब्ध है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्न वस्तुओ को प्राप्त किया जा सकता है। इस राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओ के चयन मे पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुए एक साथ राशनिग व्यवस्था मे चलती रहती हैं। राशन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है, परन्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता रहती है कि वे इन वस्तुओ को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियो

(क) राशनिग व्यवस्था

(ख) खरीद–कार्य

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली,

(घ) भारतीय खाद्य निगम और

(ङ) केन्द्रीय भण्डारण निगम ।

(क) राशनिग व्यवस्था –

राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाद्यान्नो का वितरण कुछ निर्धारित दुकानो मे निर्धारित मूल्यो पर किया जाता है। हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशनिग व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए प्राप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुबल व्यक्तियो का शोषण पूँजीपति व व्यवसायी नही कर पाते। राशिनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म, रूप रग, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्राय दैनिक उपभोग की वस्तुओ के वितरण हेतु राशनिग व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है, तो कुछ केवल विशिष्ट व्यक्तियो के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओ के लिए एक ही राशनिग व्यवस्था अपनाकर कोई भी सरकार अपने उद्देश्यो को नही प्राप्त नही कर पायेगी।

(अ) राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया – राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है–

1 राशनिग व्यवस्था का चयन –राशनिग दो प्रकार से हो सकती है– विशेष राशनिग एव वर्ग राशनिग। एक वस्तु की राशनिग के लिए दोनो मे से किसी एक राशनिग व्यवस्था का चयन करना होता है। विशेष राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। ऐसी राशनिग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध मे सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रग, आकार एव किस्म मे समानता हो। जबकि वर्ग राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओ को अपनी वस्तुओ के चयन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हे आवश्यकता होती है यदि वह वस्तु अनुपलब्ध है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्न वस्तुओ को प्राप्त किया जा सकता है। इस राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओ के चयन मे पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुए एक साथ राशनिग व्यवस्था मे चलती रहती है। राशन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है, परन्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता रहती है कि वे इन वस्तुओ को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते है। कुछ विशेष परिस्थितियो

को छोड कर कोई भी उपभोक्ता एक अधिकतम मात्रा से अधिक राशन क्रय नही कर सकता। इसमे एक खाद्य सामग्री का दूसरी खाद्य सामग्री से आसानी से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इस व्यवस्था मे एक बिन्दु व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओ की मात्रा एक व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध मे निश्चित कर दी जाती है। यह प्रणाली उसी वस्तु के सम्बन्ध मे उपयुक्त होती है जहॉ कि विभिन्न प्रकार के गुणो मे भी विभिन्नता की मात्रा एक ही वर्ग के अन्तर्गत रहती है, इसलिए उपभोक्ता को वस्तुओ के चुनाव मे स्वतन्त्रता रहती है जैसे- कपडा, इसमे एक वस्तु के होते हुए भी विभिन्न प्रकार की मात्रा या गुण होते है, जैसे-तौलिया लुगी पैंट शर्ट इत्यादि और इसके विभिन्न स्वरूप भी होते है। इसके अन्तर्गत जिस वस्तु की पूर्ति की स्थिति अच्छी होती है, उस वस्तु की कीमत कम होती है, यदि कोई वस्तु दुलर्भ है या जिसकी पूर्ति अभावग्रस्त है तो उसके मूल्य निश्चित रूप से अधिक होगे।

यदि कोई वस्तु किसी विशिष्ट वर्ग के लोगो के लिए आवश्यक है तो वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हे उपलब्ध करायी जाती है। जैसे- मिट्टी के तेल के सन्दर्भ मे युद्ध के समय मिट्टी का तेल उन गृह स्वामियो को नही दिया जायेगा जिनके पास बिजली है क्योकि इस समय मिटटी के तेल का अभाव हो जाता है। अत विलासिता की आवश्यकता मे इसका उपभोग देश के साथ विश्वासघात के समान है, क्योकि मिट्टी का तेल उस घर के लिए नितान्त आवश्यक है जहाँ पर बिजली नही है। समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग द्वारा इसका उपयोग करना ठीक है तथा उत्पादन की कुछ ऐसी इकाईयॉ भी होती है जहॉ पर इसका उपयोग उत्पादन के लिए भी होता है।

2 <u>प्रशासनिक केन्द्रीयकरण –</u> राशनिग व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि राशनिग व्यवस्था से सम्बन्धित जितने भी अधिकारी है, उन सबका केन्द्रीयकरण हो। प्रत्येक राशन का विभाजन कर दिया जाता है। विभिन्न राशनो की मात्रा के अनुसार पूरे शहर या क्षेत्र मे एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। रेलवे विभाग अपने कर्मचारियो को राशनिग के अन्तर्गत वस्तुए उचित मूल्य पर प्रदान कराता है। इस सम्बन्ध मे सभी दुकानो के दुकानदारो को पूर्व निश्चित मात्रा बतायी जाती है कि इतनी मात्रा निर्गमित की जानी है।

3 <u>क्षेत्रीय राशनिग कार्यालयो की स्थापना –</u> खाद्य पदार्थों की आवश्यकता एक आवश्यक आवश्यकता है और कोई भी व्यक्ति खाद्यान्नो के बिना जीवित नही रह सकता। इन परिस्थितियो मे जब खाद्य पदार्थों के नियन्त्रण या राशनिंग की व्यवस्था की जाती है तो उपभोक्ता को राशनिग अधिकारियो से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क करना पडता है। जब व्यक्ति को आवश्यकता का अनुमान होता है तो वह उस वस्तु को पाने का प्रयास करता है और इसके लिए उसे अधिकारियो से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना पडता है। साथ ही राशन कार्ड बनवाने या परिवार मे नये सदस्य के आगमन पर यूनिट मे वृद्धि करवाने, निवास स्थान मे परिवर्तन हो जाने

पर उसमे सशोधन करवाने राशन कार्ड खो जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए या राशनिग के सम्बन्ध मे कोई शिकायत करने के सम्बन्ध मे उसे राशनिग अधिकारियो से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना पडता है। इसलिए इन क्षेत्रीय कार्यो के लिए क्षेत्रीय राशनिग कार्यालय विभिन्न क्षेत्रो मे होना नितान्त आवश्यक होता है। यदि क्षेत्रीय कार्यालय कार्ड-धारक की पहुँच के बाहर स्थित है तो उसको अपनी समस्याओ के समाधान हेतु काफी परेशानी उठानी पडेगी।

यह लोक हित एव प्रशासन दोनो की दृष्टि से उपयोगी होगा कि शहर को पॉच या छ भागो मे बॉट दिया जाय और प्रत्येक क्षेत्र मे एक कार्यालय खोल दिया जाय, जहॉं एक अधिकारी नियुक्त हो। इस कार्यालय का उद्देश्य उस क्षेत्र के निवासियो व व्यक्तियो की समस्याओ को देखना तथा उसको यथासम्भव हल करने का प्रयास करना है। इसलिए राशनिग अधिकारी का केन्द्रीयकरण व प्रशासनिक अधिकारी का विकन्दीय-करण उपभोक्ता व लोकहित दोनो दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

4 <u>राशनिग व्यवस्था का प्रचार एव प्रसार</u> - राशनिग व्यवस्था के सफल सचालन के लिए आवश्यक है कि इसका प्रचार व प्रसार सरकार बहुत ही विवेक व बुद्धिमानी से करे। इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता कि बिना प्रचार व प्रसार के राशनिग व्यवस्था सफल नही हो सकती। खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे यह जानना अत्यन्त आवश्यक होता है कि इसके विषय मे सरकार की क्या राय है? उसकी नीतियाँ क्या है? तथा उसकी कार्य-प्रगति कितनी है? प्रत्येक भारतीय अफवाहो मे अधिक विश्वास रखते है और उसे प्रशासन के परिज्ञान मे लाना भी नही चाहते। इसलिए सापेक्षिक रूप मे यह अधिक आवश्यक हो जाता है कि सरकार विवेकपूर्ण प्रचार करके उपभोक्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे क्योकि बिना उपभोक्ता की सहायता प्राप्त किये, सरकार राशनिग व्यवस्था को सफल नही बना सकती। राशनिग तकनीक एव इससे सम्बन्धित अध्यादेशो को लागू करने से पहले इसका प्रचार-प्रसार आवश्यक होता है। इस प्रकार का अनुभव सरकार ने बम्बई मे ऐसा प्रचार करके किया था कि गलत राशन कार्ड का होना एक अपराध है। जो लोग बम्बई छोडकर चले गये है, वे अपने राशन कार्ड का निरस्तीकरण करा ले, अन्यथा उन्हे दण्ड दिया जायेगा। इस प्रकार का प्रचार करने पर प्रतिदिन औसत रूप से साठ हजार राशन यूनिट निरस्तीकरण के लिए आवेदित की गयी।

भारत मे अज्ञान और अशिक्षा के कारण सरकारी गजट मे जो सूचनाए प्रकाशित की जाती है, उसके द्वारा हुआ प्रचार कार्य छोटे स्तर पर होता है क्योकि गजट अधिकाश व्यक्तियो की पहुँच से बाहर होता है। बहुत से शहरो या स्थानो पर सरकार अपने आदेश नगाडो या ड्रम पिटवाकर बताती है।[3] जनता को यह सुनाया जाता है कि सरकार का आदेश अमुक है और इसे सभी व्यक्तियो को मानना है। अवहेलना की

---

3 प्राइस कंट्रोल एण्ड राशनिग-भागर्व, आर एन , किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या- 60

दशा मे अमुक दण्ड की व्यवस्था है। सामान्तया कोई भी व्यक्ति कानून व नियम का उल्लघन करना उचित नही समझेगा। यद्यपि इस सन्दर्भ मे यह भी प्रचलित है कि 'कानून की अज्ञानता निर्दोषिता को सिद्ध करने का पर्याप्त आधार नही है।' अर्थात् कानून के न जानने पर उससे बचा नही जा सकता।

सरकार को राशनिग व्यवस्था का प्रचार एव प्रसार एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा ताकि जनता खाद्यान्नो की महत्ता और उससे सम्बन्धित समस्या को भलीभाँति समझ सके। इस विषय मे जानकारी देने के लिए इस जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस प्रकार के अधिकारी का कर्तव्य यह होगा कि वह प्रेस या जनता की सहानुभूति प्राप्त करे और इसके माध्यम से सरकार की नीतियो को सामान्य जनता तक पहुँचाये। यह विधि वहाँ अधिक उपयोगी होगी जहाँ साक्षरता की दर ऊँची है। प्रचार व पसार के लिए लाउडस्पीकर लगी गाडियो को विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र मे भेजा जाता है जहाँ पर कम शिक्षित व्यक्ति होते है। वे इस विषय पर अपने आख्यानो एव व्याख्यानो को प्रसारित कर जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते है। खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे सरकारी नीतियो एव कार्यकमो को सिनेमा तथा पत्र-पत्रिकाओ मे भी विज्ञापित किया जाता है। जहाँ जिस प्रकार से सम्भव होता है वहाँ उसी प्रकार मे लोगो मे राशनिग के प्रति उत्साह पैदा किया जाता है। बम्बई मे सरकार ने खाद्य नियन्त्रण व राशनिग पर 20 मिनट की एक फिल्म बनायी थी जिसे वहाँ के स्थानीय सिनेमाघरो मे दिखाया जाता था।[4] पोस्टरो, चित्रो एव समाचार पत्रो के माध्यम से भी राशनिग व्यवस्था का प्रचार एव प्रसार किया जा सकता है।

5 <u>गणनाकार्य एव सूचनाओ का एकत्रीकरण –</u> राशनिग व्यवस्था लागू करने से पहले इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि कितने व्यक्ति राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत आयेगे। इसके लिए गणन–क्रिया आवश्यक है। राशनिग अधिकारी को गणना अधिकारी नियुक्त करने तथा उन्हे विभिन्न सूचनाए एकत्रित करने का आदेश देने सम्बन्धी अधिकार होना चाहिए। उच्चाधिकारियो को यह अधिकार होना चाहिए कि वे जहाँ चाहें, जिस घर मे चाहे, प्रवेश कर सकते है तथा झूठी सूचना बताने वाले गणक को पदच्युत कर सकते है। सभी घरो की सख्या अकित होनी चाहिए जिससे गलत या झूठी सख्या देने वाले घरो की पहचान की जा सके। पहले की जनगणनाओ मे इन उद्देश्यो की पूर्ति नही हो पायी है। जनगणना करते समय इस प्रकार की सूचनाओं के एकत्रीकरण का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पूर्व की जनगणनाओ मे गणक किसी न किसी व्यवसाय में लगे थे, इस कारण उनका व्यक्तिगत हित इस कार्य मे नही था, वे अपने इच्छानुसार ही कार्य करते थे। परन्तु वर्तमान समय मे कुछ अवधि के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियो के द्वारा इस कार्य का सम्पादन कराया जाता है।

---

4 प्राइस कट्रोल एण्ड राशनिग–भार्गव, आर एन , किताबिस्तान इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या 69

गणको के कार्य की निगरानी हेतु पर्यवेक्षक एव सहायक पर्यवेक्षको की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति निरक्षर है तो राशनिग अधिकारी द्वारा मॉगी गयी वाछित सूचना की प्रविष्टि का कार्य गणक स्वय करेगे। गणन--कार्य को सरल बनाने के लिए यदि पत्येक मुहल्ले मे मुहल्ला समिति का गठन करके उसके प्रधान को यह कार्य सौपा जाय तो गणन कार्य मे होने वाली धोखा-धडी तथा असामयिक या झूठे गणन कार्य से छुटकारा मिल सकता है।

यदि किसी ऐसे वस्तु या वस्तुओ के सम्बन्ध मे राशनिग व्यवस्था लागू की जाती है जो कि जानवरो के खाने के काम मे आ सकती है तो इसके लिए कितने और किस पकार क जानवर है, उनकी भी गणना करनी होगी। इन सब जानवरो के लिए अलग से राशन कार्ड निर्गमित करने चाहिए तथा साथ ही साथ उसकी मात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिए। यह गणना कार्य एक निश्चित समय मे सभी वर्षो को लेते हुए किया जाना चाहिए जिससे कि वास्तविक सख्या का पता लगाया जा सके। इसलिए राशनिग के क्षेत्र को बढाने के लिए यह आवश्यक है कि गणना कार्य मे एकत्र की गई सूचनाए वृहत् पैमाने पर एकत्र की जाये। जिससे भविष्य मे होने वाली समस्त आकस्मिकताओ की पूर्ति की जा सके। गणनाकार्य मे उचित शुद्धता रहे इसलिए पहले से ही शुद्धता स्तर के सम्बन्ध मे स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये जाने चाहिए। पूर्ण गणना कार्य कराये बिना राशनिग व्यवस्था लागू करना बहुत बडी भूल होगी।

6 <u>राशनकार्ड या कूपन का चयन --</u> राशनिग वस्तुओ को क्रय करने के लिए राशन कार्ड या कूपन, राशनिग अधिकारी जो उचित समझे एक अहस्तान्तरणीय पत्र के रूप मे जारी कर सकते है। कूपन के निर्गमन की दशा मे कूपन वस्तु प्राप्त करते समय देना होगा। राशनकार्ड वस्तु प्राप्त करते समय आवश्यक प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा। कूपन प्रति सप्ताह या प्रतिमाह वस्तु प्राप्तकर्ता को बनवाना पडेगा जिसके लिए आपूर्ति कार्यालय मे समय का अपव्यय होगा। कूपन जारी किया जाय अथवा राशन कार्ड यह खाद्यान्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा। खाद्यान्न के सम्बन्ध मे कूपन व्यवस्था से प्रशासनिक व्यय मे वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ताओ को भी असुविधा होगी। प्रत्येक खाद्यान्न के लिए अलग--अलग कूपन का निर्गमन करना, कूपन प्रणाली को और भी अनुपयोगी बना देगा। मिट्टी का तेल खाद्यान्न ईधन, चीनी आदि वस्तुए जिनकी पूर्ति नियमित रूप से वितरण के लिए होती है के लिए कूपन की अपेक्षा राशन कार्ड जारी करने से समय व धन दोनो की बचत होगी। यदि वस्तु की प्रकृति ऐसी है जिसकी पूर्ति अनिश्चित रहती है तथा जिसके वितरण की स्थिति असामयिक होती है उसके सम्बन्ध मे कूपन का निर्गमन कर पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। वस्तुओ की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कूपन का निर्गमन स्वेच्छा से या प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जायेगा। कूपन निर्गमन की प्राथमिकता मुहल्ला या क्षेत्रवार निर्धारित की जा सकती है।

7 **राशनकार्ड जारी करना** – राशनकार्ड का निर्गमन व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा दोनो प्रकार से किया जा सकता है। परिवार को राशनकार्ड जारी करने के पक्ष मे यह तर्क दिया जाता है कि इस विधि मे कागज की बचत होती है। व्यक्तिगत राशनकार्ड निर्गमित करने पर उस राशनकार्ड का लेखा–जोखा रखने मे भी परेशानी होती है। जबकि पारिवारिक राशनकार्ड के निर्गमन की दशा मे इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है, क्योकि सम्पूर्ण परिवार के लिए एक राशनकार्ड जारी किया जाता है। इस व्यवस्था मे सबसे बडा दोष यह है कि जब परिवार के कुछ व्यक्ति बाहर घूमने या नौकरी करने चले जाते है तो उस परिवार द्वारा सम्पूर्ण राशन प्राप्त कर लिया जाता है जो कि अनुचित है। इस प्रकार के अपराधो का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक होता है, परन्तु व्यवहारिक रुप से इसका पता लगाना कठिन है। पारिवारिक राशन कार्ड के सम्बन्ध मे एक समस्या यह भी है कि वयस्क लडकी शादी के बाद अपने घर चली जाती है और उसका नाम ससुराल के सदस्यो मे शामिल हो जाता है, किन्तु अधिकाशत लडकी के मायके मे उसकी एक यूनिट् को घटवाया नही जाता। परिणामस्वरूप उसके नाम से दो स्थानो पर राशन या खाद्य पदार्थ उठाया जाता है। व्यवहारिक रूप मे राशनिग अधिकारी के लिए यह एक कठिन कार्य है कि वह सिद्ध कर सके कि उस समय वह व्यक्ति जिसका कि राशन प्राप्त किया जा चुका है, बाहर था।

व्यक्तिगत राशनकार्ड जारी किये जाने की दशा मे यह कार्य कठिन होता है कि व्यक्ति बाहर गया हो और उसका राशन कोई दूसरा व्यक्ति आकर प्राप्त कर ले। ऐसी अनुपस्थिति अपने आप सिद्ध हो जायेगी और राशनिग अधिकारी राशनकार्ड के सम्बन्ध मे की गयी बेईमानी पर रोक लगा सकते है। व्यक्तिगत राशनकार्ड की व्यवस्था इस दृष्टि से भी उचित होती है क्योकि पारिवारिक राशनकार्ड की दशा मे परिवार का मुखिया अपने राशनकार्ड का नवीनीकरण कराने मे उस दशा मे अनावश्यक विलम्ब करता है जबकि उसके परिवार के कुछ सदस्य बाहर चले गये होते है। बम्बई के राशनिग अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर पारिवारिक राशनकार्ड के बजाय व्यक्तिगत राशनकार्ड को अधिक उपयोगी बताते है। इस प्रकार यह विभिन्न तत्वो पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का राशनकार्ड जारी करना उचित होगा, क्योकि दोनो पद्धतियो के अपने–अपने गुण–दोष है और इन गुणो और दोषो की जानकारी राशनिग अधिकारियो को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मे जब राशनिग प्रणाली प्रचलन मे आयी तो अधिकारियो ने पारिवारिक राशनकार्ड निर्गमित करना आरम्भ कर दिया जबकि उन्हे भी इस व्यवस्था के गुण–दोषो की पूर्ण जानकारी नही थी।[5]

जलपान–गृह, होटल, धर्मशाला और लॉज इत्यादि सामूहिक खाद्य स्थानो के लिए राशनकार्ड जारी करते समय बहुत सी बातो का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी सस्थाओ के लिए राशनकार्ड की आवश्यकता का निर्धारण करने मे, वहाँ आने वाले व्यक्तियो की सख्या, प्रयोग किये जाने बाले ईधन की मात्रा

---

5 प्राइस कट्रोल एण्ड राशनिग–भार्गव, आर एन , किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या–65

प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा, कार्य करने वाले नौकर, दिया जाने वाला किराया, भुगतान किया जाने वाला आयकर इन सबके आधार पर उसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। मात्रा का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आवश्यकता पडने पर बाद मे इसमे वृद्धि की गुजाइश भी रहनी चाहिए। आकस्मिक या अस्थायी रूप से आने वाले अतिथियो के एक प्रार्थना पत्र पर कार्ड निर्गमित किया जा सकता है।

8 <u>राशनिग वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था –</u> राशनिग अधिकारी को यह निश्चित करना होगा कि किस–किस समय राशनिग वस्तुओ की पूर्ति की जायेगी। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि निर्धन व्यक्ति एक ही दिन मे अपने पूरे माह के उपभोग हेतु राशन क्रय नही कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना धन नही होता कि वे अपनी निर्धारित मात्रा का क्रय एक निश्चित समय पर ही कर सके। अत राशनिग वस्तुओ की पूर्ति एक लम्बी अवधि तक बनाये रखे जानी चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी सुविधानुसार खरीदकार्य कर सके। यदि साप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार वस्तुओ को उठाया जाता है तो श्रमिक व निर्धन व्यक्तियो को अपना राशन उठाने मे आसानी होगी। कार्ड–धारको को यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि वे सप्ताह मे किसी भी दिन जाकर अपनी राशन की मात्रा उठा ले। राशनकार्ड का निर्गमित हो जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो जाता है कि सरकार राशन की उचित मात्रा की पूर्ति के लिए जागरूक है तथा उपभोक्ता इससे आश्वस्त हो जाता है और वितरण के प्रथम दिन ही दुकानो पर भीड नही लगाता। इससे प्रत्येक श्रमिक व मजदूर को अपने कार्य घण्टो को बर्बाद नही करना पडेगा। सभी व्यक्तियो को राशन की दुकान पर पहुँचते ही वस्तुए प्राप्त हो जायेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा इसकी पूर्ति के सम्बन्ध मे नही होगी। अत सप्ताह मे किसी भी दिन दुकान से उपभोक्ताओ को राशन की पूर्ति करने व वितरण करने का प्रावधान होना चाहिए न कि किसी विशिष्ट दिन।

इस सम्बन्ध मे राशनिग अधिकारियो को यह भी ध्यान देना चाहिए कि राशनिग वस्तुओ की सूची मे आवश्यक वृद्धि समय–समय पर की जाती रहे जिससे कि अन्य वस्तुओ पर उसका उचित प्रभाव पडे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब एक खाद्य–वस्तु पर राशनिग व्यवस्था लगायी जाती है तो अन्य खाद्यान्नो का मूल्य अपने आप बढने लगता है।इसलिए उस दशा मे आवश्यक हो जाता है कि जिस वस्तु पर राशनिग व्यवस्था नही लगायी गई है, उस पर भी वितरण के सम्बन्ध मे कुछ नियन्त्रण लगाने चाहिए।

9 <u>राशन की दुकानो का चयन –</u> राशन की दुकानो का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।राशन की दुकानो का निर्धारण करने के लिए अधिकारियो को एक योजनाबद्ध रूप मे कार्य करना होगा। सामान्यतया राशन की दुकाने भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि का बहुत बडा अवसर प्रदान करती है इसलिए दुकानो का निर्धारण करने समय मुहल्ला खाद्य सलाहकार समिति का गठन कर उसका निर्देशन प्राप्त करना

चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो ये समितियाँ उपभोक्ताओ के हित का ध्यान रखते हुए ऐसी दुकानो का चयन करेगी जिससे उपभोक्ताओ को वस्तु क्रय करने के लिए अपने आवास से अधिक दूर न जाना पडे। दुकानो की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि फुटकर व्यापारियो पर नियन्त्रण किया जा सके। इसके लिए सरकार को स्वय तो राशन की दुकाने खोलनी ही चाहिए साथ ही साथ ऐसी दुकानो का लाइसेन्स अन्य व्यक्तियो को भी प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान समय मे इस प्रकार का लाइसेन्स दिये जाने मे पचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम–प्रधानो से भी विचार विमर्श किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसी दुकानो का लाइसेन्स देते समय सहकारिता को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके सचालन मे लडाई मे मारे गये सैनिको के परिवार के सदस्य,स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी, लडाई में घायल परिवार के सदस्य तथा विकलाग व्यक्ति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्ति,भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी,ग्रीन कार्ड धारक और अन्य स्थानीय व्यक्तियो को प्राथमिकता दी जाती है।

हमारी सबसे बडी कमी यह है कि हम अपने देश या परिवार या समाज का लाभ नही सोचते, केवल अपना व्यक्तिगत हित देखते है और हममे आपसी कल्याण के भावना की कमी है। सरकार भी लोगो के मस्तिष्क मे व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर देश हित की भावना जागृत नहीं कर पाती। इसलिए व्यक्ति नैतिक रूप से सरकार के कार्यों मे सहयोग नही देते। परिणामस्वरूप सरकार खाद्य समस्या से प्रभावकारी ढग से निपटने के लिए कृत सकल्प होते हुए भी आधिक्य वाले क्षेत्रो से खाद्यान्नो को निकालने मे सफल नही हो पाती। किसान फसल खराब हो जाने पर, वर्षा की अनियमितता अथवा बाढ़ आ जाने पर, महामारी व बीमारी के कारण सदैव अनिश्चितता का जीवन व्यतीत करते है, ऐसी दशा में वे भविष्य के लिए खाद्यान्नो को सचित करते है जिससे खाद्य समस्या और भी बढ जाती है।

उपभोक्ता की पसन्द पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण भी राशनिग व्यवस्था की आलोचना की जाती है। उपभोक्ता को राशनिग व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तु पर ही निर्भर करना पडता है। उसे स्वेच्छा से वस्तुओ के चयन की सुविधा नही रहती। एक उपभोक्ता जो अपनी वर्ष भर की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न खरीदना चाहता है उसे भी राशनिग व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न की थोडी–थोडी मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होना पडता है। प्रत्येक व्यक्ति युद्ध के दिनो मे अपनी वर्ष भर की खाद्यान्न आवश्यकता का भण्डारण कर लेना चाहता है ताकि उसे वर्ष भर में खाद्यान्न के लिए परेशान न होना पडे और उसके आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। कभी-कभी धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्तियो को आवश्यक वस्तुए खरीदने मे हतोत्साहित करते है। धनवानो की इस स्वतन्त्रता को सामाजिक या राजनैतिक किसी भी दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता क्योकि इसमे एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। यद्यपि वर्ग राशनिग के माध्यम से ऐसी समस्याओ को कम किया जा सकता है।

(ब) **राशनिग व्यवस्था के लाभ** – राशनिग व्यवस्था का प्रयोग अलग–अलग समय मे अलग–अलग स्वरूप मे होता रहा है। कभी इसका प्रयोग वर्ग राशनिग के रूप मे किया गया तो कभी आशिक राशनिग के रूप मे। इसी कारण अधिकाश राज्यो मे इसका विरोध भी होता रहा है। प्रणाली की जटिलता, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ और नागरिक प्रशासकीय व्ययो मे होती असमान वृद्धि आदि इस व्यवस्था के विरोध का आधार रहे है। वास्तव मे राशनिग व्यवस्था के विभिन्न लाभो के कारण ही हम अर्थव्यवस्था के प्रारम्भिक सिद्धान्तो को जानने के बाद खुले हृदय से इस व्यवस्था का स्वागत करने के लिए बाध्य हो जाते है। राशनिग व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है–

1 **असामाजिक और अनैतिक जमाखोरी पर रोक** – राशनिग के माध्यम से असामाजिक व अनैतिक रूप से व्यापारियो व उत्पादको द्वारा की गयी जमाखोरी पर प्रतिबन्ध लगता है तथा वे जमाखोरी नही कर पाते, क्योंकि सरकार द्वारा निजी व्यापारियो के लिए वस्तुओ के अधिकतम स्टाक की मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और खाद्यान्नो की कृषको से सीधी खरीद कर लेने से इनके लिए खाद्यान्नो की खरीद हेतु मात्रा भी कम बचती है। सामान्य जनता को राशनिग दुकानो से खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने के परिणामस्वरूप इनका स्टाक कभी–कभी गोदामो मे पडा ही रह जाता है। इस प्रकार खाद्यान्नो की पूर्ति और उसके वितरण के सम्बन्ध में सरकार की हो रही आलोचना समाप्त हो जाती है।

2. **रोजगार में वृद्धि** – इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे देश मे अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा इसकी व्यवस्था एक अलग मत्रालय द्वारा सम्पन्न की जाती है। प्रत्येक जिले मे जिला पूर्ति अधिकारी और उसके अधीनस्थ विभिन्न स्तर के कर्मचारियो तथा विभिन्न दुकानो की स्थापना एव सचालन हेतु बडी सख्या मे व्यक्तियो को कार्य पर लगाया जाता है।

3 **अनावश्यक उपभोग पर प्रतिबन्ध** – जब राशनिग के माध्यम से खाद्यान्नो का वितरण होने लगता है तो इसके अनावश्यक उपभोग पर स्वत प्रतिबन्ध लग जाता है। युद्ध के समय राशनिग व्यवस्था को लागू करके खाद्यान्नो के अनावश्यक उपभोग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक ओर तो जन साधारण का नैतिक स्तर ऊँचा होता है, लोगो मे देश भक्ति की भावना जागृत होती है वे खाद्यान्नो का उपभोग कम करके देश के प्रति वफादारी का परिचय देते है, दूसरी ओर जनता द्वारा उपभोग की कमी से होने वाली बचत का उपभोग अन्यत्र किया जा सकता है।

4. **समय का सदुपयोग** – राशनिग व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक मुहल्ले मे स्थापित दुकानो पर हमें मनचाही वस्तु अपने निकटतम दुकान से प्राप्त हो जाती है और 'पक्ति–व्यापार' समाप्त हो

जाता है। व्यक्तियो के लम्बी-लम्बी कतारो मे नष्ट हो जाने वाले समय की बचत होती है। पक्तियो मे खडे होने वाले श्रमिको के जो श्रम घण्टो की हानि होती है, उस पर रोक लगायी जा सकती है। बचाये गये श्रम घण्टों का उपयोग श्रमिक देश के उत्पादन कार्यों मे कर सकते है जिससे कि देश का उत्पादन बढता है और आर्थिक विकास होता है।

5 <u>काले बाजार की कमी मे सहायक</u> – राशनिग व्यवस्था काले बाजार के अवसर को कम करती है क्योकि इससे वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। जब सभी व्यक्तियो को आवश्यकतानुसार वस्तुओं की पूर्ति उचित समय, स्थान और मूल्य पर होगी, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को काले बाजार से अधिक मूल्य पर क्रय नही करेगा। इस प्रकार काले बाजार के अवसरो मे अपने आप कमी आती है।

6 <u>प्रशासनिक अधिकारियो के कार्य मे सहायता</u> – राशनिग व्यवस्था के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी भविष्य मे खाद्यान्नो की माँग का अनुमान आसानी से लगा सकते है। प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर आकलित माँग की पूर्ति हेतु वे माँग के अनुरूप पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था कर सकते है।

7 <u>खाद्यान्नो की बर्बादी को रोकने मे सहायक</u> – राशनिग व्यवस्था प्रत्येक परिवार मे हो रही खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने मे सहायक होती है। खाद्यान्नो का सम्पूर्ण रूप से उचित प्रयोग हो सके इसके लिए राशन की मात्रा प्रति इकाई की दर से निर्धारित की जाती है। राशनिग के आधार पर जब एक निर्धारित मात्रा ही एक व्यक्ति को प्राप्त होगी तो वह उतनी ही मात्रा क्रय करेगा जितनी उसके लिए आवश्यक होगी क्योकि अतिरिक्त मात्रा प्राप्त ही नही होगी तो बर्बादी का प्रश्न ही नही उठता। साथ ही यदि किसी परिवार में दूध, मांस, फल का उपयोग अधिक होने से खाद्यान्न का उपयोग कम होता है तो उसके मस्तिष्क मे भी खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने की भावना जागृत होगी और इस प्रकार हर एक व्यक्ति खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने का प्रयास करेगा।

8 <u>सरकार पर विश्वास</u> – राशनिग व्यवस्था के माध्यम से सरकार अकाल पड जाने पर, युद्ध के समय, या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकम्प आदि, के आ जाने पर अपने रखे गये अतिरिक्त भण्डार में से खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा राशनिग के माध्यम से वितरित करती रहती है। इस प्रकार देश की सामान्य जनता को ऐसी अनिश्चित घटनाओ का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है, और उसकी निष्ठा सरकार मे और बढ जाती है।

9 <u>सामाजिक कुरीतियो पर नियन्त्रण</u> – राशनिग के द्वारा रूढिवादी, परम्परागत, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों पर रोक लगायी जा सकती है। जब राशन की निर्धारित मात्रा से अधिक राशन प्राप्त नही होगा, तो समारोहो या सांस्कृतिक उत्सवो पर गाँव वालो को भोजन कहाँ से खिलाया जा सकेगा। इस कारण आम जनता इसमें बचत करेगी। बचत से पूँजी निर्माण होगा और पूँजी का प्रयोग देश को और अधिक समृद्ध करने में सहायक होगा।

(स) राशनिग व्यवस्था की समस्याए एव सुझाव - कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी होते हुए भी कुछ न कुछ दोष पूर्ण अवश्य होती है। व्यवस्था मे रहने वाली कमियो के आधार पर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और यह प्रयास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो दीर्घकाल मे किसी व्यवस्था को परिष्कृत तो कर सकती है परन्तु दोष-रहित नही। पूर्ण सत्यता की इसी सीमा के अन्तर्गत राशनिग व्यवस्था की भी कुछ समस्याए और उनको दूर करने के सुझाव निम्नलिखित है-

1 खाद्यान्नो की अनियमित पूर्ति -इस व्यवस्था का सबसे बडा दोष खाद्यान्नो की अनियमित पूर्ति है। उपभोक्ता को एक लम्बी अवधि तक लाइनो मे खडे होकर खाद्यान्न प्राप्त करना पडता है क्योंकि राशनिग दुकानें माह मे केवल कुछ दिन खुलकर पूरे माह बन्द ही रहती है, जिससे दुकानो के खुलने पर भीड इकट्ठा हो जाती है।

वास्तव मे यह दोष राशनिग प्रणाली का नही है। इसलिए हमे राशनिग प्रणाली का विरोध न करके राशनिंग के प्रबन्ध, भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था का विरोध करना चाहिए। यदि राशनिग व्यवस्था को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाय, साथ ही अधिकारी वर्ग दुकानो को सप्ताह मे कम से कम तीन दिन खुलवाने की व्यवस्था करने का सकल्प ले तो इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

2 रुचि के अनुसार खाद्य पदार्थो की अनुपलब्धता - प्रत्येक व्यक्ति या परिवार अपने खाद्यान्न का चयन अपनी रुचि के अनुसार करता है। हमारे देश मे पारिवारिक विविधिता के कारण खाद्यान्न के प्रकार उसके उपभोग की मात्रा मे पर्याप्त अन्तर होता है। यदि समाज परम्परागत और रूढिवादी है तो वह खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध मे भी उसी प्रकार की अपेक्षा करता है। राशनिग के माध्यम से सभी व्यक्तियो को सन्तुष्ट करना एक कठिन कार्य है, जैसे- बगाली गेहूँ का कम तथा चावल का उपभोग अधिक करते हैं जबकि पंजाबी चावल का कम तथा गेहूँ का उपभोग अधिक करते है।

इस समस्या का निराकरण राशनिग वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि करके किया जा सकता है। दुकानों मे कई प्रकार की वस्तुए उपलब्ध कराकर अधिकाश उपभोक्ताओ की रूचि के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है।

3 आंकड़ो की अनुपलब्धता - यदि राशनिग व्यवस्था नये शिरे से लागू करना हो तो इस बात का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है कि किसी खाद्यान्न की राशनिग के लिए खाद्यान्न का कितना स्टाक रखने की आवश्यकता होगी। सामान्य व शान्ति के समय व्यक्ति कितने खाद्यान्न का उपभोग करता है इसी आधार पर भविष्य के लिए आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

वास्तव मे जिन व्यक्तियो के माध्यम से राशनिग व्यवस्था सम्पन्न करायी जानी है उनको इस मात्रा का अनुमान लगाने का कार्य सौप कर आवश्यक खाद्यान्न की यथोचित मात्रा का अनुमान बिना अतिरिक्त व्यय के सरलता से लगाया जा सकता है।

4 **जनसंख्या की निरक्षरता एव अज्ञानता** – अधिकाश भारतीय जनता की अशिक्षा एव अज्ञानता के कारण वह राशनिग व्यवस्था का विरोध करती है। जनता सरकार की नीतियो का विरोध करते-करते सरकार का ही विरोध करना आरम्भ कर देती है। ऐसे व्यक्ति यह विचार भी व्यक्त करते है कि यदि राशनिग व्यवस्था न होती तो वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओ का क्रय कर पाते।

इस समस्या के निवारण हेतु आवश्यक है कि राशनिग व्यवस्था लागू करने से पूर्व इसके कारणो एव प्रभावो तथा राशनिग प्रक्रिया का विधिवत् प्रचार एव प्रसार किया जाय ताकि इस व्यवस्था के सम्बन्ध मे जनता की भ्रान्तियो से निजात् पाया जा सके।

5 **राशन की मात्रा के निर्धारण मे कठिनाई** – इस बात का निर्धारण करना भी एक कठिन कार्य है कि एक व्यक्ति अथवा परिवार को राशन की कितनी मात्रा प्रदान की जाय, क्या इस सम्बन्ध मे किसी अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा को निश्चित किया जाय अथवा नही ?

जनसख्या के विभिन्न आयु वर्ग का विभाजन और राशन की मात्रा का निर्धारण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए, विभिन्न स्तरो पर होना चाहिए। इस कार्य के लिए पर्याप्त अनुसधान की आवश्यकता है। विभिन्न आयु वर्ग की जनसख्या का सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही उनके दैनिक उपभोग की मात्रा के अनुसार कुल आवश्यक खाद्यान्न का अनुमान लगाकर राशन की नियमित पूर्ति की जा सकती है।

6 **दुकानदारो द्वारा बेईमानी** – राशन की दुकानो पर काम करने वाले व्यक्ति न तो ईमानदारी पूर्वक विक्रय का कार्य करते है और न ही उपभोक्ताओ की भावनाओ का ही आदर करते है। वे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए नैतिक और अनैतिक हर तरह के कार्य कर सकते है। ये वस्तुओ का कृत्रिम अभाव पैदा कर काला बाजारी को प्रोत्साहित करते है जिससे अर्थव्यवस्था मे दो प्रकार की व्यवस्थाए साथ-साथ चलती रहती है जिसका दुष्परिणाम उपभोक्ताओ को सहन करना पडता है।

यह दोष भी राशनिग व्यवस्था का नही बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता का है। यदि समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता के अधिकारो के प्रति सजग हो तथा कर्मचारियो द्वारा नैतिकता के साथ अपने उत्तरदायित्वोका निर्वहन किया जाय तो ये समस्या स्वत समाप्त हो जायेगी।

7 **खाद्यान्नो का केन्द्रीयकरण** –राशनिग व्यवस्था मे खाद्यान्नो को उत्पादको से खरीदकर एकत्रित किया जाता है जिससे खाद्यान्न एक निश्चित क्षेत्र मे केन्द्रित हो जाता है इसके अतिरिक्त राशन की दुकाने भी कुछ असुविधाओ से बचने के लिए केन्द्रीकृत हो जाती है।

खाद्य दुकानो को शहर के प्रत्येक क्षेत्र मे होना चाहिए जिससे कि हर क्षेत्र के व्यक्ति राशन खरीद सकें। इसके लिए खाद्यान्नो के बाजारो का विकेन्द्रीकरण भी होना चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओ को राशन खरीदने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

8. **खाद्यान्नों के प्रतिस्थापन की सुविधा नहीं:**– राशनिंग व्यवस्था के विषय में कहा जाता है

कि 'यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए है, न कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस खाद्य को उपभोग के स्वाद से सन्तुष्ट होने के लिए। '

इसके लिए आवश्यक है कि एक खाद्यान्न का प्रतिस्थापन करने वाले दूसरे खाद्यान्न का भी राशनिग व्यवस्था की जाय, जैसे – चावल के स्थान पर कोदो अथवा गेहूँ के स्थान पर बाजरा। इससे एक वस्तु की अनापूर्ति की दशा मे दूसरी वस्तु से उपभोक्ताओ को सन्तुष्ट किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति गेहूँ के स्थान पर बाजरे का उपभोग करना चाहता है तो उसे बाजरे की पूर्ति की जा सकती है।

(ख) <u>खरीद–कार्य</u> –

उपभोक्ता के लिए खाद्यान्नो को खरीदते और एकत्रित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनके उत्पादको अर्थात् कृषको को उनकी लगायी पूँजी पर उचित लाभ प्राप्त हो। खाद्यान्नो की खरीददारी मे उपभोक्ता के हितो का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। हमारे देश मे प्राकृतिक संसाधनो की अधिकता होते हुए भी हम अपने इन ससाधनो का अत्युत्तम प्रयोग कर उत्पादन वृद्धि मे सफल नही हो पाते, परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार की स्थिति बढती ही जाती है। देश का विकास हमने योजनाबद्ध तरीके से करने का निश्चय किया है, ऐसे समय मे खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की सफलता बहुत हद तक उचित व समन्वित खाद्यान्नो की खरीद नीति पर निर्भर करती है। खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यापार का क्षेत्र कितना विस्तृत है, उसकी क्षमता कितनी है, तथा कितनी मात्रा मे वस्तुओ को एकत्रित किया जा सकता है। जितनी मात्रा मे खाद्यान्नो का एकत्रीकरण हो पाता है खाद्यान्नो की उतनी मात्रा ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है। यदि सरकार खाद्य–पदाथो की आपूर्ति उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ के अनुरूप करना चाहती है तो उसे खरीद–नीति सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना होगा। खरीद–कार्य राशनिग व्यवस्था की जीवन–वाहिनी है, बिना इसके राशनिग व्यवस्था चल ही नही सकती।

(अ) <u>उद्देश्य</u> –आवश्यक वस्तुओ के न्यायोचित वितरण के लिए यह आवश्यक है कि उचित खरीद नीति अपनायी जाय। खरीद–नीति के साथ–साथ पर्याप्त भण्डारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उपर्युक्त खरीद–नीति व भण्डारण की व्यवस्था से मूल्य वृद्धि के स्तर मे कमी करने और मूल्यो को स्थायित्व प्रदान करने में मदद मिलती है। खरीद कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्न है–

1 <u>उत्पादको को न्यायोचित प्रतिफल प्रदान करना</u> – खरीद कार्य का मुख्य उद्देश्य जहाँ एक और उपभोक्ता के लिए सस्ती दर पर खाद्यान्न खरीदना है वही दूसरी ओर कृषक को उसके उत्पादन का न्यायोचित प्रतिफल प्रदान करना है। वे जितनी भी पूँजी इस उत्पादन कार्य मे लगायें उनको उचित लाभ

प्राप्त हो जिससे कि वे पुन इस कार्य मे सलग्न रहे और उत्पादन करे। जब सरकार द्वारा उनको उचित प्रतिफल प्रदान किया जायेगा और वे आर्थिक उत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहेगे, तब उन वस्तुओ का अभाव नही होगा और उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी।

2 <u>पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना –</u> खरीदकार्य का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाद्यान्न का पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना। ऐसा बफर स्टाक बन जाने की दशा मे यदि किसी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से उत्पादन कार्य बाधित होता है तो वस्तुओ के अभाव की दशा मे उपभोक्ता को वस्तुओ की पूर्ति बनाये रखी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ उत्पादक भी अत्यधिक उत्पादन की दशा मे होने वाली आशंका से प्रभावित न होकर अतिरिक्त उत्पादन का प्रयास सदैव जारी रखेगे क्योकि प्रत्येक दशा मे उनके उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिलता रहेगा।

3 <u>उपभोक्ता के हितो की रक्षा करना –</u> खरीदकार्य के द्वारा आवश्यक वस्तुओ की खरीद करके उसका भण्डारण कर लिया जाता है जिससे अभाव की दशा मे उपभोक्ताओ को आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति की जा सके तथा व्यापारी वर्ग गरीब उपभोक्ताओ का शोषण न कर सके। पर्याप्त खरीद करके सरकार मूल्यो को स्थायित्व प्रदान करती है। वह वस्तुओं की माँग एव पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित करके मूल्यो मे वृद्धि को रोकती है। इसके फलस्वरूप निम्न आयवर्ग के उपभोक्ताओ के हितो की रक्षा होती है जो कि राशनिग व्यवस्था का मूल आधार है।

(ब) <u>विधि</u> खरीदकार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसे सारे देश पर लागू किया जा सके। खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे भारतीय खाद्य निगम ऐसा एक मात्र अभिकर्ता है जो कि इस कार्य को सम्पादित करता है। सरकार खरीद मूल्यो की घोषणा करके उत्पादको से उनका उत्पादन क्रय करती है। सरकार द्वारा खाद्यान्नो का निर्धारित किया जाने वाला मूल्य खाद्यान्न के गुणो के अनुसार होता है। निर्धारित मूल्यो मे सरकार समय–समय पर परिवर्तन भी करती रहती है। खरीद की विधि का निर्धारण वहाँ की स्थानीय दशाओ को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकार प्रत्येक राज्य मे वहाँ की उत्पादन क्षमता के आधार पर खाद्यान्नो के न्यूनतम मूल्य की घोषणा अपनी मूल्य नीति के तहत् करती है। वास्तव मे खाद्यान्नो की यह मूल्य नीति विभिन्न राज्यो में भिन्न–भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक राज्य मे खाद्यान्नो कीउत्पादन क्षमता दूसरे राज्यो की तुलना मे भिन्न रहती है तथा इसके साथ ही साथ खाद्यान्नो की गुणवत्ता मे भी अन्तर रहता है। इस प्रकार जब राज्यो मे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न की आवश्यकतानुसार खरीद नही हो पाती अथवा खाद्यान्न का उत्पादन आवश्यकतानुसार नही हो पाता तो सरकार खाद्यान्नो की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात भी करती है जिससे उपभोक्ताओ को खाद्यान्न की कमी का सामना न करना पड़े तथा उसकी नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। सरकार किसानो पर लेवी लगा कर भी खाद्यान्नो का

क्रय करती है जिसमे विभिन्न उत्पादन क्षमता वाले किसानो को खाद्यान्न की विभिन्न मात्रा निश्चित रूप से सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। इस लेवी का मूल्य स्वय सरकार द्वारा निर्धारित एव समय– समय पर परिवर्तित किया जाता रहता है। मूल्य निर्धारण मे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कृषको को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल सके। निम्न तालिका मे सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्नो के समय–समय पर निर्धारित किये गये मूल्य दर्शाये गये है–

तालिका सख्या 4

सरकार द्वारा निर्धारित खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति कुन्तल)

खाद्यान्न	1983–84	1988–89	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
गेहूँ	151	173	275	330	350	360
जौ	122	135	210	269	275	–
चना	235	290	500	600	640	670
सरसो	335	430	670	760	810	830
गन्ना	13 5	19 5	26 0	27 0	32 5	36 1
धान(सामान्य)	132	160	230	270	310	340
सूत	400	500	695	800	900	1000
जूट	185	250	375	400	425	450

स्रोत– 1 इण्डियन इकोनमी–अग्रवाल, डी सी , साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या–274

2 सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल– अप्रैल1995, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 70

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खाद्यान्न एव वस्तु के सरकारी खरीद मूल्य मे वर्ष 1983–84 से लगातार वृद्धि हो रही है वर्ष–1994–95 मे निर्धारित खरीद मूल्यो में पिछले वर्ष की तुलना मे 2 से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमे जूट के मूल्यो मे 11 1 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि तथा सरसो के मूल्य मे 2 4 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की गई है जबकि 1983–84 से 1988–89 के बीच मे खरीद मूल्य मे वृद्धि का विस्तार 2 1 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत के बीच रहा। यद्यपि मूल्यो मे वृद्धि का कारण मुद्रा स्फीति भी है परन्तु निर्धारित किये गये मूल्य किसानो को फसलो के उगाने के लिए पर्याप्त रूप मे प्रोत्साहित करते है।

(स) <u>**खरीद के माध्यम –**</u> खरीद कार्य के लिए देश मे कई प्रकार के माध्यम बनाये गये हैं जिससे इस कार्य को बिना किसी असुविधा के सम्पन्न किया जा सके और खाद्यान्नो की कमी का

अनुभव भी न हो। इस प्रकार खाद्यान्नो के खरीद कार्य हेतु निम्नलिखित माध्यमो का प्रयोग किया जाता है–

1 **राज्य सरकार एव उनकी एजेन्सियो के माध्यम से खरीद कार्य –** जहाँ पर भारतीय खाद्य निगम अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक नही कर पाता, वहाँ पर राज्य सरकार की एजेन्सियो द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जाता है। खरीद कार्य के लिए अलग–अलग राज्यो मे अलग–अलग विधियो का प्रयोग किया जा सकता है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नो की खरीद से कृषि मूल्यो मे स्थिरता आती है। वर्ष 1988–89 खरीद मौसम से चावल और गेहूँ जैसी मुख्य फसलो की सरकारी खरीद का विवरण निम्नवत् है–

तालिका सख्या 2

खाद्यान्नो की सरकारी खरीद

(लाख टनो मे)

फसल	1988–89	1989–90	1990–91 अनतिम	1991–92 अनतिम	1992–93 अनतिम	1993–94 अनतिम
चावल	77 29	118 67	126 76	102 47	130 41	–
गेहूँ	65 81	89 42	110 65	77 52	63 80	128 33

नोट चावल की खरीद मात्रा मे 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक की अवधि एव गेहूँ की खरीद मात्रा मे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि मे खरीदी गयी मात्रा को शामिल किया गया है।

स्रोत. भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 438

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्नो के खरीद मे सरकारी एजेन्सियो व राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चावल की सरकारी खरीद मे वर्ष 1991–92 को छोडकर लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1988–89 मे चावल की खरीद मात्र 77 29 लाख टन ही थी जो वर्ष 1992–93 मे बढ़कर 130 41 लाख टन तक पहुँच गयी है। गेहूँ की सरकारी खरीद भी पिछले 6 वर्षो मे लगभग दो गुना हो गई। यदि सम्पूर्ण रूप से देखा जाय तो गेहूँ की खरीद वर्ष 1988–89 मे 65 81 लाख टन थी जो वर्ष 1993–94 में बढ कर 128 33 लाख टन हो गयी। परन्तु वर्ष विशेष की तुलना यदि उसके गत वर्ष की खरीद से की जाय तो स्पष्ट होता है कि गेहूँ की खरीद मे पर्याप्त उच्चावचन होता है।

सरकार तथा उसकी एजेन्सियो द्वारा आवश्यकता पडने पर विदेशो से भी खाद्यान्नो का आयात किया जाता है। सरकार को खाद्यान्नो का आयात इसलिए अधिक करना पडता है क्योकि लगभग आधे किसान अपनी उपज बडी एव नियमित मण्डियो मे बेचने के बजाय अब भी गाँव के छोटे बाजारो मे उन साहूकारो के माध्यम से बेचते हैं जिनसे उन्होने फसल के लिए ऋण लिया है। सरकार द्वितीय महायुद्ध के काल से ही खाद्यान्नों का आयात कर रही है। इन खाद्यान्नो मे गेहूँ, चावल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न

भी होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम ही होती है। 1951 से लेकर 1977 तक की अवधि में लगभग 3 हजार लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया। वर्ष 1978, 1979, 1980 में खाद्यान्नों की स्थिति देश में ही अच्छी होने के कारण आयात नहीं किया गया। लेकिन बफर स्टाक कम हो जाने के कारण 1981 में पुनः खाद्यान्नों का आयात किया गया। [6] वर्ष 1989–90 में खाद्यान्न भण्डारण हेतु 5.23 लाख टन चावल का आयात किया गया जिसमें 1.04लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4.19 लाख टन वियतनाम से आयात किया गया वर्ष 92–93 के दौरान सरकार ने 29.9 लाख टन गेहूँ 2.15 लाख टन चावल के आयात का अनुबन्ध किया।[7]

2. <u>भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद कार्यः–</u> भारतीय खाद्य निगम राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद, उसका बफर स्टाक तथा भण्डार की व्यवस्था करने हेतु एक मात्र संस्था है जो वस्तुओं की खरीद समस्त देश में करती है और सरकार के आदेशानुसार उसको वितरण के लिए उपलब्ध कराती है। किसान अपने उत्पाद को स्थायी अथवा अस्थायी बाजार या मंडियों में लाते हैं। यदि बाजार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाये जाते हैं तो वहाँ उनके उत्पाद की जाँच की जाती है। जाँच करने के उपरान्त खाद्यान्नों को उनके गुणों के आधार पर मूल्यांकित कर बिक्री हेतु कृषकों को आमन्त्रित किया जाता है। यदि उत्पाद उचित औसत किस्म के अन्तर्गत नहीं आया तो निर्धारित मूल्य में कुछ कटौती करने के बाद भुगतान किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद का व्यवस्थापन रबी एवं खरीफ की फसलों के तैयार होने के पहले ही आरम्भ कर दिया जाता है। रबी की फसल के सन्दर्भ निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों को जनवरी माह में ही बुलाकर कुल उत्पादन का अनुमान लगाने का कार्य सौंपा जाता है ताकि इस बात का पता चल सके कि आवश्यकतानुसार खाद्यान्न निर्धारित मूल्य पर खरीद हेतु उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं। खरीद–कार्य–योजना विभिन्न क्षेत्रीय आधारों पर फरवरी या मार्च के प्रारम्भ में प्राप्त हो जाती है तथा इस सम्बन्ध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धकों के मध्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु पर्याप्त वित्त कोष, कर्मचारी, मशीनें एवं भण्डारण क्षमता उपलब्ध करायी जाती है। प्रत्येक माह अधिकारियों की बैठक में एक केन्द्र से दूसरे खरीद केन्द्र को आवश्यकतानुसार इनका समायोजन कार्य चलता रहता है।

खरीदकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भारतीय खाद्य निगम उस राज्य की भाषा में समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करता है और इसके साथ ही साथ वह रेडियो और टेलीविजन पर भी विज्ञापन करता है। इसके अतिरिक्त वह पोस्टर बनवा कर विभिन्न स्थलों पर चिपकवाता है और उसका

---

6. भारत की आर्थिक समस्याएं–मामोरिया एवं जैन, साहित्य भवन, आगरा–1995; पृष्ठ संख्या 176.
7. भारत–1993, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; पृष्ठ संख्या 439.

वितरण भी करता है, कि सरकार द्वारा समर्थित मूल्य की घोषणा कर दी गई है। ऐसे प्रचार एव प्रसार का उद्देश्य होता है कि किसान इन मूल्यो एव खरीददारी के नियमो के विषय मे भलीभाँति अवगत हो जाय । इस सम्बन्ध मे भारतीय खाद्य निगम मण्डियो तथा राज्य सरकार के अन्य क्रय-केन्द्रो का विस्तृत विवरण दिया जाता है। किसानो को अपना उत्पाद अधिक दूर न ले जाना पडे इसके लिए यह ध्यान रखा जाता है कि क्रय केन्द्रों की स्थापना इस प्रकार की जाय कि कृषको को 5 से 8 कि0मी0 से अधिक दूर तक अनाज न ढोना पडे। यदि कृषको की सुविधानुसार नियमित मण्डियाँ नही है तो ऐसी दशा मे अस्थायी क्रय केन्द्र खोलकर खरीद कार्य किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम सरकार की मूल्य समर्थित नीति के अन्तर्गत ही खरीद कार्य करता है न कि किसी एकाधिकारी सस्था के रूप मे। इसके द्वारा खरीदी हुई मात्रा का अवलोकन निम्न तालिका से किया जा सकता है-

तालिका सख्या -3

भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी खरीद

वर्ष	मात्रा(लाख टनो मे)	मूल्य(करोड रु0 मे)
1976-77	174 67	2545 28
1978-79	148 44	2199 64
1980-81	132 67	2633 39
1988-89	175 6	4936 47
1989-90	210 7	6712 13
1990-91	235 2	8207 32
1991-92	194 0	7635 86
1992-93	225 7	10549 78

स्रोत:- वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1976-77 की तुलना मे वर्ष 1992-93 मे मात्रात्मक खरीद मे तो मात्र 29 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मूल्यात्मक खरीद मे लगभग 314 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मात्रा की तुलना मे मूल्यात्मक खरीद लगभग 11 गुना बढी है।

3 **सहकारी समितियों द्वारा खरीद कार्य -** सहकारी समितियो के माध्यम से भी खाद्यान्नों की खरीद का कार्य किया जाता है। ऐसी समितियाँ उन दुर्गम स्थानो पर खरीद का कार्य करती

है जहाँ भारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेन्सियाँ नही है। किसानो को उनके उत्पाद का मूल्य उनके उत्पादन स्थल पर ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गाँव मे सहकारी समितियाँ अवश्य होती है जिसमे उनको परिवहन व बाजार की असुविधा से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।

(द) <u>**समस्याएं एव सुझाव –**</u> खरीद कार्य से सम्बन्धित अधिकारियो को विभिन्न समस्याओ का सामना करना पडता है। यह जरूरी नही है कि खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा खरीद केन्द्र पर आये ही। इसलिए खरीदकार्य से सम्बन्धित नीति का निर्धारण करते समय सरकार को कृषि मूल्य आयोग की संस्तुतियो पर बल देना चाहिए और इस सम्बन्ध मे केन्द्र व राज्य सरकार आपस मे सम्बन्धित विकास क्रम के अनुरूप ही कार्य करे तथा उसके लक्ष्यो को निर्धारित करे। इस सम्बन्ध मे निम्न समस्याओ का सामना करना पड सकता है–

1 <u>**खाद्यान्नो का आधिक्य की दशा मे होना –**</u> खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि और उसका आधिक्य की दशा मे होना, एक गम्भीर समस्या है क्योंकि खाद्यान्नो के उत्पादन मे जिस अनुपात मे वृद्धि होती है उसी अनुपात मे जनसख्या मे भी वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप माँग और पूर्ति मे सन्तुलन या कभी–कभी पूर्ति मे कमी की स्थिति ही बनी रहती है। जब खाद्यान्नो मे वृद्धि नही होगी तो उसकी खरीददारी और एकत्रीकरण का कोई प्रश्न ही नही उठता, साथ ही राशनिग व्यवस्था के कार्य मे भी बाधा उत्पनन हो जायेगी।

वास्तव मे खाद्यान्नो के उत्पादन की बढी हुई मात्रा का काफी हिस्सा बढी हुई जनसख्या के भरण–पोषण मे लग जाता है परन्तु फिर भी खाद्यान्न उत्पादन उत्पादको की आवश्यकता से बहुत अधिक होता है। यदि ऐसी आशका हो कि खरीद का कार्य निर्धारित लक्ष्य पूरा नही हो पायेगा तो किसानो पर न्यूनतम लेवी निर्धारित करके इस आशका से मुक्ति पायी जा सकती है परन्तु लेवी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसानो के उत्पादन प्रेरणा मे वृद्धि हो, जैसे– खरीदे गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान लेवी की चीनी से अथवा सस्ते कपडे से अथवा सस्ती उर्वरक या किसानो के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओ मे ही किया जाय। ऐसी दशा मे किसान लेवी को भार न समझ कर खरीद केन्द्रो पर अनाज की बिक्री करना अपना कर्तव्य समझेंगे और उत्साह पूर्वक सरकार की राशनिग व्यवस्था मे अपना सहयोग देगे।

2 <u>**भण्डारण की समस्या –**</u> खरीद कार्य के सन्दर्भ मे एक समस्या यह भी आती है कि जितनी भी मात्रा मे खाद्यान्नो का एकत्रीकरण या खरीददारी किया जाये, उसको सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पडने पर उसको निर्गमित करने हेतु पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था होनी अनिवार्य है जिससे आवश्यकता पड़ने पर या आधिक्य की अवस्था मे खाद्यान्नो के अभाव से बचने के लिए भण्डारण कर लिया जाये। पर्याप्त और उचित भण्डारण व्यवस्था के न होने की दशा मे खाद्यान्नो का काफी भाग नुकसान भी हो जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय खाद्य निगम को अपने गोदामो की सख्या बढानी चाहिए फिर भी यदि खाद्यान्नो की आधिक्य मात्रा के एकत्रीकरण हेतु पर्याप्त स्थान प्राप्त नही होता तो किराये के गोदामो का पर्याप्त सख्या मे प्रयोग इस प्रयोजन के लिए करना चाहिए।

3 समन्वय का अभाव –खरीद के कार्य मे एक समस्या यह भी है कि केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियो में आपस मे समन्वय तथा भारतीय खाद्य निगम के विभागो तथा केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों मैं आपस मे समन्वय का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप दोनो की नीतियो के स्पष्ट रूप से घोषित न होने के कारण नीतियो मे एक लक्ष्य नही होता और निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति नही हो पाती।

वास्तव मे यह दोष व्यवस्था का है न कि खरीद कार्य का। इस समस्या से निबटने के लिए यह आवश्यक है कि निगम के अधिकारियो तथा राज्य एव केन्द्र सरकार के सम्वद्ध विभागो के अधिकारियो को शामिल करते हुए जिस समय खरीद कार्य चल रहा होता है पाक्षिक बैठक तथा अन्य दशाओ में मासिक बैठके करते रहना चाहिए, ऐसी बैठको मे समस्याग्रस्त मुद्दो पर आपसी विचार–विमर्श द्वारा आपसी समन्वय स्थापित किया जा सकेगा तथा लक्ष्यो और नीतियो मे एकरूपता स्थापित की जा सकेगी।

4 सांख्यिकीय आकडो की अनुपलब्धता – साख्यिकीय आकड़ो की अनुपलब्धता के कारण अनुमान लगाने मे कठिनाई होती है। यदि खरीद कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सम्पन्न करना हो तो इसमे भी असुविधा होती है क्योकि गलत अनुमान लगाने से वित्त व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था आदि का सदुपयोग नही हो पायेगा।

राजकीय प्रशासन को खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एव सगठनात्मक ढाँचे की नियुक्ति के विषय मे, राज्य, जिला एव खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यो को प्राप्त करने की दिशा मे, खरीद कार्य की व्यवस्था के सम्बन्ध मे तथा विभिन्न स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यो की प्राप्ति के सम्बन्ध मे विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। जिलास्तर पर लक्ष्यो को निर्धारित करते समय आकडो की अपर्याप्तता एवं अनुपलब्धता को ध्यान मे रखा जाना चाहिए, साथ ही साथ जो आकडे उपलब्ध है उनमे शुद्धता का स्तर क्या है? इसे भी ध्यान में रखा जाय। यदि ऐसा करने के बाद स्वेच्छा एवं लेवी से खरीद हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध रहता है तो खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एव स्थायी उपकरण बन सकता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली–

प्रत्येक सरकार को जनता की सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए उसको आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना उसका दायित्व होता है। सामान्य वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादक से उपभोक्ता के बीच मध्यस्थता की एक लम्बी जजीर होती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओ की कीमते अपने आप बढ़ जाती है, क्योकि ये मध्यस्थ अपनी विनियोजित पूँजी का अथवा प्रतिफल अपनी सेवाओ और जोखिम का पुरस्कार तथा बढ़े हुए अन्य खर्चे वस्तु के मूल्यो मे

जोडकर प्राप्त कर लेता है। अन्त मे इसका भार उपभोक्ता को ही वहन करना पडता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुए पहुँचने मे मध्यस्थो की सख्या कम से कम होने पर मूल्यो पर नियन्त्रण के साथ ही साथ उनकी शुद्धता और नियमित पूर्ति सम्भव है। इस कारण से मध्यस्थो पर अकुश होना आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार उपभोक्ताओ विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को उनकी दैनिक आवश्यकताओ की वस्तुओ को उचित मूल्य उचित स्थान, उचित किस्म तथा उचित समय पर उपलब्ध कराती है। स्वार्थपूर्ण भावना से निहित व्यापारी वर्ग द्वारा उपभोक्ताओ के शोषण की सम्भावना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशुद्ध रूप से एक सामाजिक वितरण व्यवस्था है जो सरकार के पूर्ण नियन्त्रण एव मार्ग दर्शन मे चलती है। इसमे उत्पादक से लेकर उद्योगपति, किसान से लेकर मजदूर, फेरीवाले से लेकर सुपर बाजार तक शामिल है। इस माध्यम से व्यवसाय की विभिन्न कुरीतियाँ, जैसे–चोर बाजारी, वस्तुओ का सग्रह करके अभाव पैदा कर देना, मूल्यो मे वृद्धि का अनापेक्षित प्रयास करना इत्यादि, को समाप्त कर मध्यस्थो का उन्मूलन कर दिया जाता है, जिससे कि वस्तुए कम मूल्य पर उपभोक्ताओ को उपलब्ध करायी जा सके। इसमे वस्तुओ मे हो रही मिलावट को भी नियन्त्रित किया जाता है जिससे कि उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर वस्तुओ के उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इसके साथ ही साथ यदि देश का उत्पादन आन्तरिक उपभोग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही है तो विदेशो से वस्तुओ का आयात करना भी शामिल है जिससे कि पर्याप्त स्टाक बनाया जा सके और अभावो की दशा मे वस्तुए उपभोक्ताओ को उचित रूप से उपलब्ध करायी जा सके।

(अ) <u>परिभाषा</u> – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानो ने अपने–अपने ढग से दी है जिनमे से कुछ निम्नवत् है–

'भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह फुटकर व्यवस्था है जो राज्य के निरीक्षण एव मार्ग दर्शन में चलती है।' [8]

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण के क्षेत्र मे समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार दैनिक उपभोग की वस्तुएं उचित मूल्य एव उचित समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।' [9]

---

8. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम–ढोलकिया एव खुराना, आक्सफोर्ड एण्ड आई बी एच , पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली–1979, पृष्ठ सख्या– 35

9 योजना–31मार्च 1987, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–22

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक वस्तुओ का वितरण सरकार द्वारा नियन्त्रित उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से किया जाता है।"[10]

उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट होता है कि ' सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओ को उनके गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्य एव उचित समय तथा उचित मात्रा मे उपभोक्ता तक पहुँचाने की वह प्रक्रिया है जिस पर सरकार का नियन्त्रण रहता है।

(ब) **विशेषताएँ** –उपर्युक्त परिभाषाओ का विश्लेषण करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्न विशेषताए प्रकट होती है–

1 **आवश्यक वस्तुओ से सम्बन्धित** – सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति से सम्बन्धित वस्तुओ के वितरण की व्यवस्था करती है। यह आरामदायक या विलासिता की वस्तुओ से सम्बन्धित नही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे कार, स्कूटर, टेलीविजन इत्यादि वस्तुओ का वितरण नही आता। वर्तमान समय मे यह प्रणाली 6 महत्वपूर्ण वस्तुओ के वितरण मे लगी है– गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल व कोयला। कुछ राज्यो ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओ के आधार पर कुछ अन्य वस्तुओ यथा–साबुन नमक, चाय, दालो व कापियो के वितरण की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत की है।

2 **उचित समय तथा उचित मूल्य** – इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह भी है कि सभी उपभोक्ताओं को वस्तुओ की पूर्ति उचित समय एव उचित मूल्य पर की जायेगी। उचित समय का आशय है कि वस्तुओं की आवश्यकता जब होगी तब वस्तुओ को उपलब्ध कराया जायेगा, ऐसा न होगा कि आवश्यकता पर वस्तुएं उपलब्ध न रहे तथा आवश्यकता न होने पर उपलब्ध हो। उचित मूल्य का आशय है कि जितना मूल्य उपभोक्ता आसानी से दे सके और उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि अत्यधिक ऊँचे मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध करायी जायेगी तो इस प्रणाली का उद्देश्य ही पूरा नही हो पायेगा।

3 **अन्तिम उपभोक्ता के प्रतिसमर्पित** – इसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से नही होता है जो वस्तु को खरीदकर पुन विक्रय करे। इसका सम्बन्ध उत्पादक से सीधा उपभोक्ता का होता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियो को वस्तु की पूर्ति करायी जाती है, वही इसका उपभोग भी करते है।

4 **सार्वजनिक हित** –यह प्रणाली समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नही होती, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे व धनी हो अथवा निर्धन सभी को इस व्यवस्था से लाभ होता है। सरकार इस प्रकार का कोई भी बन्धन नही रखती जिससे कि यह प्रणाली केवल निर्धन वर्ग पर लागू हो। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखकर की जाती है।

5 **वितरण व्यवस्था** – यह प्रणाली वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित है न कि उत्पादन

---

10 इण्डियन इकोनामी–अग्रवाल, डी सी, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ संख्या 277

से। जितना उत्पादन होता है उसी के अनुरूप उसका वितरण किया जाता है।उत्पादन से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता। इसका पूर्ण सम्बन्ध वितरण व्यवस्था से ही है।

6 <u>सरकारी नियन्त्रण</u> – सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार के नियन्त्रण मे कार्य करती है। केन्द्र, राज्य एव स्थानीय सत्ता सभी का इस प्रणाली से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। यदि इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी वस्तु की पूर्ति अपर्याप्त है तो उसके आयात की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है।

(स) <u>अवधारणा</u> –वस्तु के उत्पादन मे वृद्धि करना जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है सही वस्तुओ का उचित मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना। यह कार्य उपर्युक्त वितरण व्यवस्था के बिना असम्भव है। भारत मे अभी भी अनिवार्य वस्तुओ के अभाव की समस्या रहती है क्योंकि भारत अभी तक आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन मे आत्मनिर्भर नही बन पाया है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थो द्वारा जमाखोरी की प्रवृत्ति अपनाकर वस्तुओ का कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समय-समय पर प्रयोग किया गया है।[11] क्योंकि महँगाई की अधिक मार गरीब उपभोक्ता पर पडती है, इसलिए आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति सुलभ बनाकर उनके मूल्यो पर नियन्त्रण करना अनिवार्य हो जाता है।वास्तव मे सन्तोषजनक वितरण प्रणाली सरकार की मजदूरी, आय व मूल्यनीति का एक अग होती है। इसका आशय है कि मजदूरी व वेतन का निर्धारण काफी हद तक मूल्य स्तर से प्रभावित होता है।

हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना मे कृत सकल्प है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु का न्यायपूर्ण वितरण हो। यह भी आवश्यक है कि वितरण व्यवस्था मे लगी सम्पूर्ण इकाइयो पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाय जिससे कि ये इकाइयाँ व्यवस्था का दुरुपयोग न कर सके। यह तभी सम्भव है जब हम वितरण व्यवस्था के सभी कार्यो का सम्पादन ठीक ढंग से करे तथा इस व्यवस्था को जन सहयोग मिलता रहे। यदि जन सहयोग न होगा तो लोगो मे जागरूकता नही होगी और यदि लोगो मे जागरूकता नहीं है तो कोई भी प्रणाली सफल नही हो सकती । इन सब उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वितरण के क्षेत्र मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जिससे कि उपभोक्ता के हितो का संरक्षण हो तथा दुर्बल वर्ग के उपभोक्ता का कल्याण हो सके।

इस प्रणाली मे सरकार अपना सहयोग देती है, साथ ही साथ इसमे किसान से लेकर उद्योगपति तक, प्रत्येक उत्पादक को समाज की आवश्यकताओ के अनुरूप उत्पादन करने की और फेरी

---

11 इण्डियन जर्नल आफ मार्केटिंग–अक्टूबर–नवम्बर, 1981, एसोसियेटेड मैनेजमेण्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली

वाले से लेकर सुपरवाइजर तक सभी वितरको को नैतिकता के आधार पर उचित वितरण की व्यवस्था करनी होती है। यदि इन उपर्युक्त वर्गों मे से कोई वर्ग अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढग से निष्पादित नही करता तो सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था विफल हो जाती है। इसलिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे, तभी यह सफल हो सकती है।

(द) <u>उद्देश्य</u> –प्रारम्भ मे इसका उद्देश्य जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुए केवल उपलब्ध कराना मात्र था, क्योकि अभाव की दशा मे वस्तुए उपलब्ध कराना ही महत्वपूर्ण था। वर्तमान समय मे आवाश्यक वस्तुओ का अभाव तथा मूल्य वृद्धि की समस्या साथ–साथ है। ऐसी दशा मे निर्बल व मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओ को दैनिक उपभोग की वस्तुए प्राप्त करने मे अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। सामान्यतया वस्तुओ की पूर्ति एव उनके मूल्य, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते है, किन्तु अनेक दशाओ मे पर्याप्त उत्पादन के उपरान्त भी वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओ को वस्तुए उपलब्ध नही हो पाती और यदि उपलब्ध होती भी है तो ऊँचे मूल्य पर। अत समाज के सभी वर्गों के लिए समानता के आधार पर आवश्यक वस्तुओ का वितरण करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है।

1 <u>उपभोक्ताओ के कल्याण हेतु सुविधा प्रदान करना</u> – निर्धन व्यक्तियो को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सही स्थान व उचित मूल्य पर कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समाज मे धनी एव निर्धन प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता होते है, लेकिन भोजन की आवश्यकता सभी को होती है। भोजन के अतिरिक्त भी व्यक्ति की कुछ और दैनिक आवश्यकताए होती हैं। इन सभी दैनिक उपभोग की वस्तुओ को समाज के कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराना जिससे वह व्यापारी वर्ग के द्वारा किये गये कृत्रिम अभावो के परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि से प्रभावित न हो।इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उचित समय पर ही वस्तुए प्राप्त करायी जाय ऐसा न होकिजब किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव की जाय तो वस्तु की प्राप्ति न हो सके। वस्तु की समय से प्राप्ति के साथ ही उसे उचित किस्म का भी होना चाहिए। इस प्रकार उपभोक्ताओ के अधिकतम कल्याण की भावना से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम एव प्रादुर्भाव हुआ।

2 <u>निर्धनता दूर करने का प्रमुख शस्त्र</u> – गरीबी की मान्य परिभाषा– भारतीय योजना आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गॉव मे 2400 कैलोरीज प्रतिदिन व शहर मे 2100 कैलोरीज प्रतिदिन नही मिलता तो उसे गरीब माना जायेगा। भारत मे आज भी कुल जनसख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग भोजन मे अपनी दैनिक कैलोरीज को पूरा करने मे असमर्थ है। विशेषज्ञ समिति के अनुसार

तो यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो मे 39 1 तथा शहरी क्षेत्रो मे 40 1 है।[12] ऐसे मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन गरीब एव असहाय उपभोक्ताओ को राहत पहुँचाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब बाजार मे वस्तु विशेष की पूर्ति कम हो जाती है तो उचित मूल्य की दुकानो पर दबाव बढ जाता है। फलस्वरूप मनुष्य की क्षुधा तृप्ति की प्राथमिक आवश्यकताओ की उपलब्धता इन्ही उपभोक्ता सहकारी भण्डारो एव उचित मूल्य की दुकानो द्वारा सम्भव हो पाती है।

3 **मूल्य नियन्त्रण का प्रभावी माध्यम** -- वैसे तो आवश्यक वस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि की समस्या देश मे स्वतन्त्रता के बाद से ही रही है, परन्तु विगत 7–8 वर्षो मे आवश्यक वस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि जिस तीव्रता से हुई है, उससे देश के निम्न मध्यम एव निम्न आय वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गई है। निरन्तर अपनायी गई घाटे की अर्थव्यवस्था, चोर बाजारी मुनाफाखोरी, जमाखोरी एव उपलब्ध वस्तुओ के विषमतापूर्ण वितरण ने मूल्य वृद्धि को ऊँचा उठाने मे भरपूर सहयोग दिया है। ऐसी स्थिति मे नि सन्देह एक सशक्त एव देश व्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य वृद्धि पर अकुश लगाकर मूल्यो मे स्थायित्व लाने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। अत सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अपनी मौद्रिक एव राजकोषीय नीतियो के साथ--साथ यदि वितरण प्रणाली मे सुधार लाए तो निश्चित रूप से यह प्रणाली मूल्य नियन्त्रण मे सहायक सिद्ध हो सकती है।

4 **उपभोक्ता सरक्षण का वैधानिक उपाय** – सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता सरक्षण के लिए एक सरचनात्मक आधारभूत माध्यम है, जो उपभोक्ता वस्तुओ के समुचित वितरण के लिए व्यावहारिक आधार निर्मित करती है। चूँकि उपभोक्ता सरक्षण एक सामाजिक आन्दोलन है जिसका उद्देश्य वस्तुओ एवं सेवाओ की उपलब्धता, गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य के मामले मे उपभोक्ता के अधिकारो तथा हितो की रक्षा करना है। अत सरकार ने उपभोक्ता--सरक्षण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बाट एव माप अधिनियम तथा उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम आदि बनाये है। इसी क्रम मे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ के उचित वितरण, मूल्य नियन्त्रण तथा सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अपनी वैधानिकता को स्पष्टत सिद्ध कर चुकी है।

5 **व्यवसायो की कुरीतियो का अन्त करना** – जब समाज मे कृत्रिम अभाव पैदा करके, उपभोक्ताओ का अधिकतम शोषण करके व्यवसायी वर्ग अत्यधिक लाभ कमाने का प्रयास करने लगते है तो उस दशा मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने का प्रयास करती है। उसके इस प्रयास से मूल्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि नही होने पाती जब मूल्यो मे वृद्धि नही हो पाती तो व्यवसायी वर्ग स्वत ऐसी व्यापारिक कुरीतियो को त्यागने के लिए विवश हो जाता है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

---

12 भारतीय अर्थशास्त्र--मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन आगरा–1995, पृष्ठ सख्या ११

माध्यम से पूर्ति को नियमित करने का प्रयास करती है दूसरी ओर व्यावसायिक कुरीतियो को समाप्त करने हेतु कठोर अधिनियम भी पारित किया जाता है।

6 **उत्पादक–उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध** – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्‌देश्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना होता है।प्रत्येक मध्यस्थ चाहे वह थोक–विक्रेता, आढतिया,कमीशन एजेन्ट, अथवा फुटकर विक्रेता कुछ भी हो अपनी लगायी गयी पूँजी का कुछ न कुछ अवश्य लाभ चाहता है और वह अपनी पूँजी का लाभ अपने द्वारा बेची गई वस्तु मे सम्मिलित कर लेता है। परिणामस्वरूप वस्तुओ के मूल्य बढ जाते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन विभिन्न प्रकार के मध्यस्थो का उन्मूलन करके उपभोक्ताओ को उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराने मे सफल होती है।

7 **रोजगार के अवसर प्रदान करना** – रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्‌देश्य है क्योकि यह एक जन वितरण प्रणाली है जो लाखो व्यक्तियो के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। राशनिग व्यवस्था, खरीद कार्य, वितरण व्यवस्था, भण्डारण व्यवस्था आदि कार्यो के सम्पादन मे लगे व्यक्ति भारत की बेरोजगारी की समस्या मे कमी करते है।

8 **वस्तुओ की नियमित पूर्ति बनाये रखना** – देश मे बाढ अकाल, महामारी,भूकम्प या युद्ध की स्थिति मे अर्थव्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाती है तथा वस्तुओ का अभाव हो जाता है। ऐसी दशा मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने के लिए न केवल विदेशो से वस्तुओ का आयात करना पडता है बल्कि उसका पर्याप्त भण्डार भी अपने यहाँ रखना पडता है। अपने देश मे भी वस्तुए धूप या वर्षा मे नष्ट न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती है।

(य) **विकास**:– सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रमिक विकास निम्नवत् है–

1 **प्राचीन काल मे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था** – वर्तमान समय मे वितरण प्रणाली वितरण की एक महत्वपूर्ण विधा है, यद्यपि प्राचीन काल मे इसका इतना महत्व नही था। पुराणो मे वितरण के सन्दर्भ मे स्पष्ट सकेत मिलता है। समुद्र–मथन के समय सुरो और असुरो ने मिलकर समुद्र–मथन किया था और गर्भ से जो वस्तुए प्राप्त हुई थी उनका वितरण देवताओ और दानवो के मध्य किया गया था।यद्यपि वितरण का वह स्वरूप आज के वितरण स्वरूप से भिन्न था फिर भी उस समय भी वितरण की स्थिति दृष्टिगोचर होती थी।[13] वस्तु वितरण व्यवस्था के लिए सावेजनिक वितरण प्रणाली का जन्म हुआ और मानव विकास के साथ इसका क्रमिक विकास होता रहा।विकास के प्रारम्भिक चरण मे मानव की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण वितरण की समस्या का कोई प्रश्न नही था क्योकि उत्पादक ही उस समय उपभोक्ता था। पारिवारिक व्यवस्था अपनाने के साथ–साथ मनुष्य ने कृषि कार्य करना आरम्भ किया।

---

13 व्याख्यान–विपणन की आधुनिक विचारधारा–23 मार्च,1987, अग्रवाल,जी सी

उस समय प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की फसल ही पैदा करता था और आवश्यक वस्तुओ को प्राप्त करने के लिए वस्तुओ की अदला–बदली करता था। वस्तु विनिमय प्रथा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य प्रारम्भ से ही आवश्यक वस्तुओ के प्रति सचेत रहा है। पशुपालन व कृषि के बाद व्यापार- वाणिज्य उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाओ का चरणबद्ध विकास हुआ। बाद मे भारतीय समाज वर्णों के आधार पर विभक्त हो गया। तृतीय समूह मे आने वाले वैश्य वर्ग को पशुपालन कृषि वाणिज्य आदि कार्यो का दायित्व सौपा गया। वैदिक काल की समाप्ति के बाद नागरिक जीवन का विकास हुआ। श्रेणी समूहो ने व्यक्तिगत कार्य व्यवस्था का स्थान ग्रहण किया। वाणिज्य की उत्पत्ति नगरो के साथ हुई। सामान्य वस्तुओ का व्यापार ग्रामो एव नगरो मे दुकानो या फेरीवालो के माध्यम से होता था।परिवहन साधनो की कमी के कारण वस्तुओ का वितरण एक कठिन कार्य था।

कौटिल्य ने वस्तुओ के क्रय–विक्रय मे सदैव ही उचित मूल्यो पर बल दिया। धार्मिक उपदेशो मे वस्तु के भाव मे अत्यधिक वृद्धि की आलोचना की गयी। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय मे उचित मूल्य तथा उचित लाभ ने तत्कालीन शासन नीति के उददेश्यो के अन्तर्गत प्रमुख स्थान ग्रहण किया। कौटिल्य ने सरकार के वाणिज्य एव व्यवसाय–नियन्त्रण पर ही जोर दिया। वे व्यापारियो को सदैव सन्देह की दृष्टि से देखते थे। व्यापारी अनुचित लाभ कमा कर आय वृद्धि कमाने का प्रयास करते थे इसलिए बहुत सी वस्तुओ के व्यापार एव उत्पादन पर राज्य का अधिकार होता था। प्रजा को कम मूल्य पर अधिकाधिक वस्तुएं प्राप्त हो, राज्य सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील था। कौटिल्य का सुझाव था कि सभी कारखाने राजा अपनी तरफ से खोले जिसमे कारीगरो व मजदूरो को समुचित रोजगार मिल सके। यदि कोई व्यापारी बिना राजाज्ञा के किसी वस्तु का व्यापार करता था तो उसके माल को जब्त कर लिया जाता था। उस समय वितरण व्यवस्था पर पर्याप्त नियन्त्रण इसे सुव्यवस्थित करने के लिए लगाये गये थे।

इस प्रकार हमे वितरण व्यवस्था तथा राज्य द्वारा लगाये गये अकुशो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतिविम्ब दिखायी देता है।प्राचीन काल मे वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित कमियो को दूर करने के लिए कई प्रकार का नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, जैसे–वस्तु की गुणवत्ता पर नियन्त्रण, नाप–तौल पर नियन्त्रण, कमाये जाने वाले लाभ एव मूल्य पर नियन्त्रण, वस्तु की माँग एवं पूर्ति पर नियन्त्रण, जमाखोरी एव सट्टेबाजी पर नियन्त्रण, धोखाधडी एव छल–कपट पर नियन्त्रण इत्यादि इस प्रकार प्राचीन काल की वितरण व्यवस्था मे भी सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखा जाता था।

2 **मुगलकाल मे सार्वजनिक वितरण–व्यवस्था –** देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था मे परिवर्तन का प्रभाव व्यापार एव वाणिज्य पर भी पडा। सल्तनतकालीन अलाउद्दीन खिलजी की मौद्रिक एव बाजार व्यवस्था वाणिज्यिक इतिहास मे चिरस्मरणीय रहेगी। मुगलकाल मे व्यापारियो को राज्य

के अधिकारियो एव कर्मचारियो का भय सदैव बना रहता था इसीलिए ये व्यापारियो से मनमानी लगान वसूलते रहते थे। कभी–कभी व्यापारियो को अपना माल लागत से कम मूल्य पर बडे–बडे सूबेदारो को बेचना पडता था। इस समय की व्यापारिक नीति पर उचित नियन्त्रण के अभाव मे उपभोक्ता और उत्पादक एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे जिसका लाभ शासक वर्ग को मिलता था। वस्तु का उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार न होकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियो की इच्छा पर निर्भर करता था। उपभोक्ता कई वर्गों मे विभक्त और असगठित था। उस समय व्यक्तियो की आवश्यकताए सीमित थी तथा वस्तुए सस्ती भी थीं और आवश्यकता पडने पर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध भी हो जाया करती थी इसलिए वस्तुओ के अभाव का अनुभव नही होता था।

3 **औपनिवेशिक काल में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था** – इस काल मे भारतीय लोगो की स्थिति अग्रेजो की दमन एव शोषण की नीति के कारण बडी दयनीय थी। प्राकृतिक प्रकोपो से सुरक्षा का प्रबन्ध न किये जाने के कारण उन्हे खाद्यान्नो के लिए तरसना पडता था। वस्तुओ के उत्पादन एव वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आवश्यक वस्तुओ का सर्वथा अभाव रहता था। 1770 मे बगाल के भयकर अकाल के कारण वस्तुओ के मूल्यो मे इतनी वृद्धि हो गयी कि जनता को आवश्यक वस्तुए खरीदने मे भी बहुत कठिनाई हुई। फिर भी ब्रिटिश सरकार अपने लाभ के लिए उत्पादन एव वितरण की नीति को तय कर रही थी और उसे भारतीय लोगो के हित की चिन्ता नही रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण वस्तुओ के मूल्य एव पूर्ति की समस्या से निबटने के लिए कोई व्यवस्था नही की गयी। 1929–30 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक रहा। धीरे–धीरे प्राकृतिक कमी एव उपभोक्ता की मनोवृत्ति के कारण वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने लगी। उत्पादक और व्यवसायी वर्ग आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति को जमा करके वस्तुओ का मूल्य बढाने मे सहयोग करने लगे। मूल्यो मे वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और निर्धन लोगो पर पड रहा था, वे भूखो मरने लगे।

भारतीय इतिहास मे 1943 के बगाल अकाल मे पहली बार सरकार ने खाद्यान्नो के मूल्य को नियन्त्रित करने का प्रयास किया परन्तु अकाल के कारण प्रयास मे सफलता न मिल सकी। इसके बाद सरकार ने खाद्यान्नो के व्यापार मे हस्तक्षेप न करके केवल निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्नो को उपलब्ध कराने का फैसला किया। जब जापान ने युद्ध घोषित किया तो उस समय बगाल सरकार खाद्य सामग्री की मात्रा बढाने मे लगी थी। सरकार ने घोषणा की कि आम जनता अपने–अपने घरो मे दो महीने की खाद्य सामग्री सुरक्षित रखे। सरकार की इस घोषणा के परिणामस्वरूप लोग छ –छ महीने की खाद्य सामग्री अपने यहाँ सुरक्षित रखने लगे। फलस्वरूप सरकार की मूल्य एव पूर्ति योजना पूर्णत विफल हो गयी। सरकार के स्थान पर आम जनता स्वय खाद्य समस्या के निवारण हेतु प्रयास करने लगी। यह एक

ऐसी दुखद स्थिति थी जिसका आमन्त्रण सरकार ने स्वय दिया था। इस प्रकार वितरण व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गयी।

बगाल की जनता को खाद्यान्न की पुन आपूर्ति हेतु सरकार ने 'डेनियल नीति' लागू की। इसके अन्तर्गत गेहूँ के वैधानिक मूल्य की घोषणा की गई। गेहूँ उत्पादक राज्यो से बडी मात्रा मे गेहूँ क्रय करके जमा किया गया। इसका परिणाम गेहूँ के सामान्य अभाव के रूप मे सामने आया। चौथे मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन मे पजाब सरकार के प्रतिनिधियो ने विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मूल्य नियन्त्रक न रहे तो खाद्यान्नो के आपूर्ति की कोई समस्या नही रहेगी। उस समय के मूल्य नियन्त्रण योजना को परिणाम खाद्यान्नो का पूर्ति के बाहर हो जाना रहा। बगाल सरकार ने उसी गलती की पुनरावृत्ति करते हुए जून 1942 मे चावल के वैधानिक मूल्य की घोषणा की। 9 जुलाई 1942 से प्रभावी इस आदेश मे चावल का अधिकतम मूल्य घोषित किया गया। घोषित मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम होने तथा उसमे लोचहीनता के कारण सरकार पुन अपने उद्‌देश्यो मे सफल नही हो पायी। 'डेनियल नीति' लागू करने से सरकार अपने उद्‌देश्यो मे बाद मे सफल हुई। जब व्यापारी वर्ग जमाखोरी की प्रवृत्ति अपनाकर अपने मूल्यो को बढाने लगते थे तो सरकार अपने द्वारा रखे गये स्टाक से खाद्यान्न की आपूर्ति बाजार मे बढा देती थी और पुन मूल्य अपने स्थान पर आ जाता था। सरकार ने 1942 मे ही एक ऐसी खरीद एजेन्सी स्थापित करने का विचार व्यक्त किया जो आधिक्य की मात्रा मे उत्पादित फसलो का क्रय करके उसका वितरण शहरी क्षेत्रो मे करती। परन्तु इस विचार को कार्यरूप प्रदान करने मे इसलिए विलम्ब हुआ क्योकि उस समय खाद्यान्नो के अभाव की समस्या मे कुछ कमी आ गई थी।

जब पुन जमाखोर व्यापारियो ने खरीद-दारी प्रारम्भ की, पूर्ति अव्यवस्थित हुई तथा मूल्यो मे वृद्धि होने लगी तो सर्वप्रथम। राजशाही मण्डल मे 22 दिसम्बर, 1942 से खरीद काये प्रारम्भ हुआ। प्रथम लक्ष्य 7 4 टन खाद्यान्न की खरीद का रखा गया। प्रत्येक जिले के जिला- अधिकारी द्वारा खरीद कार्य निर्धारित किया गया। परन्तु अधिकारियो द्वारा धीमी खरीद के कारण इस योजना को समाप्त करना पडा। सरकार ने इस समय सारा नियन्त्रण वापस ले लिया। उसने पूर्ति व्यवस्था को सही रखने के लिए विज्ञाप्ति जारी की कि 'धान एव चावल के सम्बन्ध मे कोई वैधानिक मूल्य नही होगा।' सरकार ने समझा कि लोगो के द्वारा असामान्य लाभ कमाना ही मूल्य नियन्त्रण की कमियाँ है।

दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत से ही आवश्यक वस्तुओ की कमी के कारण मूल्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान गया। भारत सरकार ने सर्वप्रथम-1939 मे बम्बई मे उपभोक्ताओ को उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान की स्थापना की। भारत मे 1943 के बगाल अकाल से उत्पन्न खाद्य समस्या का निराकरण

न हो सकने के कारण सरकार खाद्यान्नो के मूल्य को नियन्त्रित न कर पायी। पुन मूल्य वृद्धि आरम्भ हो गयी। इस समस्या के समाधान हेतु प्रथम खाद्य नीति समिति की घोषणा की गयी और, प्रथम मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन 1943 मे की गयी सिफारिशो के आधार पर ही खाद्यान्न के वितरण हेतु सर्वप्रथम 1944 मे केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारो द्वारा केवल गेहूँ और चावल के लिए राशनिग व्यवस्था आरम्भ की गई।

ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध मे अस्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अपनाया। इस सम्बन्ध मे भारत मे भी ब्रिटिश शासन ने खाद्यान्न के अभाव की दशा मे उसके उत्पादन, वितरण एव व्यापार मे हस्तक्षेप की स्पष्ट नीति को स्वीकार किया। यहाँ अगस्त– 1947 मे 5 4 करोड लोग स्थायी रूप से राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत थे तथा 9 करोड लोग सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्य रूपो मे शामिल थे। बाढ, अकाल, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपो से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सहारा, राशनिग के रूप मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी लिया जाता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के ठीक बाद ही भारतीय रक्षा अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत सरकार ने मूल्यो को नियन्त्रित करने तथा वितरण को नियमित करने का प्रयास शुरू कर दिया। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन–1941 से ही चल चुका था। सरकार किसी भी दशा मे सभी लोगो को, किसी भी मूल्य पर आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए कृत सकल्प थी। सरकार अपनी कर से होने वाली आय को बढाने की भी इच्छुक थी जो व्यापारियो द्वारा अधिक लाभ कमाये जाने की दशा मे ही सम्भव था। इस प्रकार सरकार व्यापारियो तथा उपभोक्ताओ दोनो के हितो मे सामजस्य स्थापित करना चाहती थी।

सभी विकासशील देशो का आर्थिक अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मूल्यो मे स्थिरता तथा उसमे वृद्धि का एक निर्धारित क्रम उनके अस्तित्व से जुडा हुआ है। सोवियत सघ का टूट कर बिखरना तथा रूस जैसे समृद्ध राज्य मे आर्थिक ज्वार–भाटे का आना इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत मे आवश्यकताओ को देखते हुए एक विवेकपूर्ण एव नियन्त्रित कृषि मूल्य नीति का होना अपरिहार्य हो गया जिसमें कृषि उपजो का मूल्य निर्धारित कर कृषि उत्पाद एव बाजार मूल्य मे समन्वय स्थापित किया जा सके तथा ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रो मे पूर्ति को सन्तुलित किया जा सके। यहाँ उपभोक्ता के हित मे खाद्य सामग्री के मूल्यो को निश्चित करना, उसी तरह आवश्यक हो गया जिस तरह कृषको के लिए कृषि उपजो के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण।

4 <u>स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली –</u> स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत मे विकास की नियोजित नीति को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार बढा और खाद्य सामग्री की कीमते भी आसमान छूने लगी। जुलाई 1948 मे पुन नियन्त्रित प्रणाली अपनायी गयी जिससे

खाद्य सामग्री के मूल्य कुछ समय के लिए स्थिर हो गये थे परन्तु मूल्यो मे स्थायित्व अधिक समय तक न रहा। वर्ष 1949 मे भारतीय रुपये का अवमूल्यन तथा 1950 मे कोरिया–युद्ध के कारण खाद्य–सामग्री के मूल्यों मे वृद्धि हुई। इस प्रकार खाद्यान्नो के मूल्य मे और आगे वृद्वि के मुख्य कारक–1951 की प्राकृतिक आपदा, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, कोरिया–युद्ध तथा भविष्य मे अकाल पडने की आशकाए रहीं। स्वतन्त्रता से पूर्व केवल युद्धकाल को छोड कर न तो कभी कोई मूल्य नीति तय की गई और न ही किसी वस्तु पर नियन्त्रण लगाया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व राशनिग व्यवस्था की ओर भी कोई ध्यान नही दिया गया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् खाद्य सामग्री खरीद समिति–1950 के अधीन 'खाद्य नीति' को अपनाया गया जिसमे एकाधिकारी खरीद एव राशनिग व्यवस्था पर बल दिया गया। यह व्यवस्था खाद्यान्नो की उचित पूर्ति बनाये रखने के लिए की गयी थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्वि हुई, फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण के सम्बन्ध मे जो भी सम्भव था, किया गया। वर्ष 1955–56 मे आवश्यक वस्तुओ की कमी पुन अनुभव की गई जिससे मूल्यो मे पुन वृद्धि होने लगी। समस्या के निराकरण हेतु सरकार ने 1957 मे मूल्यो मे हुई वृद्धि के कारणो का पता लगाने के लिए एक खाद्य समिति का गठन श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता मे किया। उत्पादन बढने के बावजूद मूल्यो मे वृद्धि होने के कारणो तथा असामयिक रूप से जमाखोरी बढ जाने के कारणो का पता लगाना भी समिति के प्रमुख कार्यों मे शामिल था। समिति ने सुझाव दिया कि यदि सरकार मूल्यो मे स्थायित्व लाना चाहती है तो उसे व्यापार पर पूर्ण सामाजिक नियन्त्रण करना होगा। थोक व्यापारी के मूल्य बढाने पर फुटकर व्यापारी भी मूल्य बढाने के लिए बाध्य होता है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि खाद्य सामग्री का बजट बनाकर इसका पर्याप्त स्टाक रखना भी खाद्यान्नो के मूल्यो के स्थायित्व मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सरकार ने समिति के सुझावो के अनुपालन मे गेहूँ एव चावल के पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए अमेरिका से पी एल 480 समझौता आयात हेतु किया। इस प्रकार सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्नो के वितरण मे मुख्यतया निम्न कारणो से हस्तक्षेप शुरू किया–

-- भारत की एक तिहाई आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना,
-- आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होना,
-- प्राकृतिक आपदा से उत्पादन कुप्रभावित होना,
-- भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना,
-- कृषि उत्पादन मे क्षेत्रीय विषमता का विद्यमान होना,
-- भारतीय कृषि की उत्पादकता मे कमी होना,

-- व्यापारियो का अनैतिक व्यापारिक क्रियाओ मे लिप्त होना और,

-- खाद्यान्नो की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करना ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्नो के नियमित पूर्ति को बनाए रखने तथा उपभोक्ताओ के सरक्षण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित मूल्य की दुकानो एव राशनिग के द्वारा अपनाया। जिसके तहत् राज्यो मे खाद्यान्न हस्तान्तरण को सुगम बनाते हुए खाद्यान्नो की पर्याप्त खरीद एवं भण्डारण की व्यवस्था की गयी।

(र) वर्तमान स्थिति –वर्ष 1957–58 मे अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूँ एवं चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से किया गया। 1962 के भारत–चीन युद्ध एवं 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकाने और उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी केन्द्र–प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बहुत तेजी से खोले गये ताकि युद्ध जनित प्रभावों को दूर करके आवश्यक वस्तुओ की नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। इसी बीच 1965 मे मुख्य मन्त्रियो के सम्मेलन मे यह निश्चित किया गया कि खाद्य सामग्री का अभाव अभी थोडे समय तक और बना रहेगा, और इस अभाव की पूर्ति हमारा उत्पादन नही कर पायेगा क्योकि उत्पादन कम था एव प्राकृतिक आपदाए अधिक। सरकार ने इस सम्बन्ध मे विवेकपूर्ण कार्य करते हुए इस सम्मेलन मे दो तथ्यों पर बल दिया–

प्रथम– उपभोक्ताओ का अधिकतम कल्याण – उपभोक्ताओ के कष्ट को कम करने के लिए उनको सभी आवश्यक वस्तुए एक निश्चित समय एव स्थान पर उचित मूल्यो मे उपलब्ध कराना चाहिए। उपभोक्ताओ को शोषण से बचाने के लिए तथा उसकी सन्तुष्टि को अधिकतम करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए।

द्वितीय–मूल्यो मे समरूपता लाना – सम्मेलन मे इस बात पर भी बल दिया गया कि सारे देश में उपभोक्ता वस्तुओ के मूल्य में एकरूपता लायी जाय। सरकार द्वारा उन विशिष्ट वस्तुओ को विशिष्ट मूल्य पर सभी उपभोक्ताओ को समान रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिन वस्तुओ के सम्बन्ध मे उपभोक्ताओं का शोषण किये जाने की सम्भावना हो।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1965 मे एक जॉच समिति सार्वजनिक वितरण की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध मे नियुक्त की। हमारे देश मे किसी वर्ष खाद्यान्न की प्रचुरता रहती है तो किसी वर्ष कमी। यह क्रम चक्रीय रूप मे चलता रहता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसी प्रणाली अपनायी जाय जिसमें हम मानसून की दशाओ पर निर्भर न रहकर अपने आप मे निर्भर हो जाय। अत यह आवश्यक था कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य नीति मे खाद्यान्नो का पर्याप्त बफर स्टाक और खरीददारी हो। इसी

उददश्य स को लेकर जनवरी 1965 मे 'भारतीय खाद्य निगम' की स्थापना की गई जिसे अनाज की खरीद सग्रह, परिवहन एव समुचित वितरण व्यवस्था का कार्य सौपा गया। उपभोक्ता को सीधे खाद्यान्न प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से खाद्यान्नो का वितरण कराया जाने लगा। वर्ष 1967–68 मे उचित मूल्य की दुकान योजना का नाम बदल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। समय के विकास क्रम के साथ खाद्यान्नो का उत्पादन एव जनसख्या दोनो मे वृद्धि होती रही परिणामस्वरूप वितरण व्यवस्था को और व्यापक एव चुस्त करना आवश्यक हो गया। प्रत्येक वर्ष बफर स्टाक की मात्रा बढती ही जानी चाहिए, तभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख उददेश्यो -सही समय पर, सही मूल्य मे एव सही किस्म की वस्तुए उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराने मे सफल हो सकते है। देश मे सम्पूर्ण उपभोक्ताओ को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक सा हो गया कि उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे वृद्धि की जाय। तालिका सख्या–4 मे भारत मे उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे क्रमबद्ध वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है- -

तालिका सख्या -4

भारत मे उचित मूल्य की दुकाने

वर्ष(31 मार्च)	कुल सख्या	आच्छादित जनसख्या (करोड मे)
1957	37,591	–
1971	1,21,032	29 94
1972	1,65,081	41 17
1973	2,00,655	43 53
1974	2,21,724	44 14
1975	2 40,210	46 94
1976	2,36,196	56 59
1977	2,38,622	58 91
1978	2 41,255	60 14
1983	2 97,000	65 60
1984	3,02,000	67 3
1985	2,83,646	–
1989	3 54लाख	–
1990	3 61 "	–
1991	3 99 "	–
1992	4 12 " (अनुमानित)	73 0
15 दिस0 1994(नवीनीकृत सा वि प्र)	14,008	16 0

स्रोत 1 योजना तथा भारत 1991-93, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2 नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 4 फरवरी 1995

तालिका सख्या 4 से स्पष्ट है कि 1957 में इस योजना के अन्तर्गत केवल 37 591 दुकाने ही थी जो 1971 मे बढकर 1 लाख 21 हजार से अधिक हो गयी जिसमे 29 94 करोड व्यक्तियो को अपने कार्यक्षेत्र मे शामिल किया। 26 जून, 1975 को देश की तत्कालीन स्व प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने देश मे आपात् काल की घोषणा कर दी और इसी घोषणा के साथ ही साथ 20सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा भी की जिसके परिणामस्वरूप इसके विकास मे आश्चर्यजनक तेजी आयी। इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अग समस्त उपभोक्ताओ को उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तुए उपलब्ध कराना भी था।इस प्रकार 1978 मे इनकी सख्या बढकर 2,41,255 हो गई जो 60 14 करोड जनसख्या को आच्छादित करती थी। 1965 से 75 के बीच दुकानो की सख्या दो गुनी से अधिक बढी परन्तु 1965 मे प्रति लाख जनसख्या पर 23 दुकाने थी तथा 1975 मे 39 दुकाने। इस प्रकार जनसख्या वृद्धि के कारण प्रति लाख जनसख्या पर दुकानो की उपलब्धता को उस अनुपात मे नही बढाया जा सका। देश मे उचित मूल्य की दुकानो की सख्या मे वृद्धि के बाद भी वितरण कार्य मे कमी आयी। 1965 मे इन दुकानो के माध्यम से औसत रूप मे लगभग 92 लाख टन खाद्यान्न का वितरण हो रहा था जो 1975 मे घटकर 48 लाख टन रह गया यद्यपि 1983 मे पुन थोडा बढकर 62 लाख टन हो गया। वर्तमान समय मे उचित मूल्य की 4 लाख से अधिक दुकाने देश की लगभग तीन-चौथाई जनता को अपनी सेवाए प्रदान कर रही है। 1 जनवरी 1992 से घोषित नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत10,580 अतिरिक्त दुकाने खोलने के लक्ष्य के बदले 15 दिसम्बर, 1994 तक 14008 उचित मूल्य की दुकाने खोली गयी जिनसे लगभग 16 करोड अतिरिक्त लोगो को इसका लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जनकल्याण मे वृद्धि हेतु किये गये योगदान एव उनका व्यवस्थापन निम्नवत् है-

1 <u>जनता दुकानें</u> – भारत सरकार ने 1977-78 मे समाज के निर्बल वर्ग को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियो के माध्यम से जनता दुकाने सचालित करने की एक विशेष योजना प्रसारित की। तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मत्री श्री मोहन धारिया ने जनता दुकानो के क्रिया-कलापो को बताते हुए जून-1979 मे 1000 जनता दुकानो को मलिन बस्तियो मे स्थापित करने का निर्णय लिया। इन जनता दुकानों के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे-

* जनता दुकाने गदी एव मलिन बस्तियो मे खोली जायेगी जो गरीब लोगो को उनकी

आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

* सरकार शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को इस योजना को चलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सके।

* सुपर बाजारो की तरह ये दुकाने ग्रामीण व अर्द्ध विकसित क्षेत्रो मे आवश्यक वस्तुओ को उपलब्ध कराने मे सरकार की सहायता करेगी।

* योजनान्तर्गत प्रत्येक व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को 2000रु0 की प्रारम्भिक पूँजी अनुदान के रूप मे दी जायेगी जिससे कि उनको इन दुकानो को चलाने मे कोई कठिनाई न हो।

2 <u>सार्वजनिक उत्पादन एव वितरण योजना –</u> सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने मार्च, 1978 मे प्रस्ताव किया कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रणाली का और विस्तार एव सुदृढीकरण किया जाय। जनवरी 1979 मे आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन मे इस योजना का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया और इस पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ। योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों के नागरिक एवं आपूर्ति मन्त्रियो ने विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त 1 जुलाई 1979 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उत्पादन व वितरण योजना इस विश्वास के साथ लागू की गयी कि देश भर के उपभोक्ताओं विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगो को आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर स्थायी रूप से उपलब्ध होती रहे। इसे स्थायी एव व्यापक रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सार्वजनिक उत्पादन व वितरण योजना आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण की समस्याओ के स्थायी समाधान हेतु आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन, वसूली, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित थी। इस योजना के द्वारा व्यापार के आधार पर उत्पादन व वितरण से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया। योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एव आपूर्ति मन्त्रालय के साथ–साथ कृषि, उद्योग, रेलवे, इस्पात व खान मन्त्रालय से सहयोग प्रदान करने हेतु पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी।

<u>उद्देश्य –</u> उत्पादन व वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति बनाये रखना, व्यापारियो की कुरीतियो को समाप्त करना, उत्पादित वस्तुओ की वसूली, परिवहन तथा वितरण में समन्वय स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रो मे वस्तुए उपलब्ध कराना, उचित मूल्य की दुकानो द्वारा वितरण कराना और रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना था। इस प्रकार यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संशोधित एव परिमार्जित रूप मे थी। इसका विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक से अधिक उचित मूल्य

की दुकाने खोलकर कमजोर वर्ग के लोगो को वस्तुए उपलब्ध कराने की ओर लगा था।

<u>प्रमुख तत्व –</u> उत्पादन व वितरण योजना के तहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त एवं प्रभावपूर्ण बनाने एव इसको सफलता पूर्वक लागू करने के लिए निम्न व्यवस्थाए की गयी–

1 योजनान्तर्गत आच्छादित जनसख्या की दृष्टि से प्रत्येक 2000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गाव या गावो के समूह के लिए एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की योजना बनायी गई, किन्तु पर्वतीय क्षेत्रो मे प्रत्येक 1000 की जनसख्या पर ही एक दुकान खोली जा सकेगी। इस हिसाब से 3 5 लाख उचित मूल्य दुकानो की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारम्भ मे देश मे 2 4 लाख दुकाने निजी एवं सहकारी क्षेत्रो मे कार्यरत् थी, जिनकी सख्या 1981 मे बढकर 2 9 लाख हो गयी।

2 इस योजना की शुरुआत 13 वस्तुओ– गेहूँ, चावल, मोटा अनाज, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कपडा माचिस, नहाने व धोने का साबुन, चाय, कॉफी और विद्यार्थियो के लिए कापियो से की गयी। अन्य वस्तुओ को स्थानीय आवश्यकताओ के आधार पर भी शामिल किया जा सकता था। वस्तुओं की संख्या राज्यो के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती है, परन्तु सभी वस्तुए देश भर मे एक ही मूल्य पर बेची जायेगी।

3 आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारो के सम्बन्धित विभागो द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जायेगा।

4 वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए चयनित वस्तुओ की वसूली और उसका पर्याप्त भडारण आवश्यक है। इसके लिए राज्यो मे भण्डारण एव वितरण केन्द्र बनाने की व्यवस्था है। मूल्य स्थिर बनाये रखने के लिए बफर स्टाक के अतिरिक्त जहाँ जरूरी हो, एजेन्सियो के द्वारा आयात भी किये जा सकते हैं।

5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र सम्मिलित है।

6 आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण मे लोगो का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें विश्वास मे लिया जाना चाहिए।

7 आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धि तथा उत्पादन पर निरन्तर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए राज्य सरकारो को सचार व्यवस्था बनाये रखना अत्यन्त ही आवश्यक है जिससे कि समय रहते सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।

8 वितरण प्रणाली के निरीक्षण व समायोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की जायेगी।

9 योजनान्तर्गत शामिल वस्तुओ को स्थानीय आधार पर उत्पादित कराये जाने का प्रावधान किया गया। वितरण के लिए अन्य वस्तुएं केन्द्र सरकार के सहयोग से लेवी के रूप मे वसूली जायेगी।

10 उचित मूल्य की दुकानो को कोई आर्थिक सहायता नही दी जायेगी किन्तु सार्वजनिक वितरण के लिए वस्तुओ के भण्डारण हेतु धन सुलभ कराया जायेगा। युवा बेरोजगार व्यवसायी को दुकान खोलने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11 दुकानो के सुचारू सचालन के लिए स्थानीय आधार पर राशनकार्ड धारको को चौकसी समितियाँ बनाने की व्यवस्था की गयी।

12 राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तुओ का वितरण इन दुकानो के माध्यम से करायेगी। राज्य सरकारे वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए सचल दुकानो की भी व्यवस्था कर सकती है।

अगस्त–1986 मे पूर्व प्रधानमत्री स्व0 श्री राजीव गॉधी द्वारा पुनर्सशोधित 20सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ता सरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए सावेजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, कारगर एव प्रभावी बनाने का सकल्प लिया गया।

3 **<u>सगठन, प्रबन्ध एव वितरण व्यवस्था</u>** – वर्तमान समय मे 4 लाख से अधिक दुकानो के माध्यम से प्रति वर्ष 180 लाख टन खाद्यान्न 43 लाख टन लेवी चीनी एव 83 लाख टन मिट्टी का तेल वितरित करने वाली कदाचित् विश्व की सबसे बडी वितरण प्रणाली है।[14] यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली छठवे दशक से शासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अग बनी हुई है जिसमे मुद्रा स्फीति मे वृद्धि एव उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सगठन एव प्रबन्ध मे केन्द्र एव राज्य दोनो सरकारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाजो की खरीद, कमी की स्थिति मे विदेशो से आयात, मूल्य निर्धारण और विभिन्न राज्यो और सघीय राज्यो का हिस्सा तय किया जाता है, जबकि राज्यो मे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सचालन सम्बन्धित राज्य सरकार का दायित्व है। इस प्रकार इस प्रणाली को सफल बनाने की केन्द्र, राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो की सयुक्त जिम्मेदारी है। इस प्रणाली के काम–काज की नियमित समीक्षा की जाती है, और राज्य सरकारो से विचार–विमर्श के बाद सुधारात्मक उपयो को लागू किया जाता है। केन्द्र मे इस प्रणाली की समीक्षा एक सलाहकार परिषद समय–समय पर करती है। राज्यो/ केन्द्र शासित प्रदेशो मे उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ जिला, ब्लाक और तालुका स्तर पर उचित दर दुकानो के काम–काज को देखती है।

खाद्य तेल के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा मिट्टी के तेल के लिए पेट्रोलियम उद्योग के सरकारी–सगठम खरीद, भण्डारण एव आपूर्ति की व्यवस्था करते है। महीने के प्रारम्भ मे प्रत्येक राज्य मे आपूर्ति द्वारा वस्तुओ को प्रदाय केन्द्रो तक पहुँचाया जाता है ताकि जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त दुकानों मे राशन कार्ड के माध्यम से उपभोकताओ को वस्तुए वितरित कर सके। केन्द्र सरकार ने

14 नवभारत टाइम्स– नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1995

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण वस्तुओ की आपूर्ति का दायित्व लिया है ये है- गेहूँ चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी का तेल एव कोयला। कुछ राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओ के आधार पर कुछ अन्य वस्तुओ यथा- साबुन, नमक, चाय दाले, कापियो के वितरण की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत की है। जैसे पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु राज्य ने उचित दर की दुकानो मे नमक चाय, कॉफी, माचिस, दाल नहाने का साबुन कापियाँ, साइकिल के टायर- ट्यूब आदि भी शामिल किये गये है।[15]

विगत 10 वर्षो मे उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। मार्च 1984 मे जहाँ इनकी संख्या केवल 3 2 लाख थी पाँच वर्षबाद मार्च-89 मे बढ कर 3 54लाख और वर्तमान समय मे लगभग सवा 4 लाख हो चुकी है। 31 मार्च, 1991 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल दुकानो की स्थिति निम्न तालिका मे दिखायी गई है-

तालिका सख्या 5

उचित मूल्य दुकानो के वितरण की स्थिति

(31 मार्च, 1991)

विवरण	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	योग
सहकारी क्षेत्र मे	68,053	21,621	89,674
अन्य क्षेत्र मे	2,37,446	72,618	3,10,064
कुल विक्रय केन्द्र	3,05,499	94,239	3,99,738

स्रोत प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर-1993, उपकार प्रकाशन, बीमानगर, आगरा-2, पृष्ठ सख्या-345

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 76 प्रतिशत दुकाने ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थित है। कुल दुकानो मे 22 43 प्रतिशत दुकाने सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित है। अलग-थलग पडे दुर्गम इलाको, विशेषरूप से जन जातीय इलाको में आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशों को वाहन खरीदने के लिए 596 लाख रुपये वर्ष 1992-93 मे स्वीकृत किये गये है। जबकि वर्ष 1989-90 एव 90-91 में यह धनराशि क्रमश 245 6 लाख, तथा 144 5 लाख रुपये ही थी।[16]

खुले बाजार मे आवश्यक वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि होने के कारण वर्ष भर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव जारी रहता है। वर्ष 1989 मे जनवरी से नवम्बर तक सार्वजनिक वितरण

15 नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1994, पृष्ठ सख्या-7

16. भारत-सम्बन्धित वर्ष, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, पौष्टिक आहार कार्यक्रम आदि के माध्यम से 75 88 लाख टन चावल, 80 04 लाख टन गेहूँ आवण्टित किया गया। इससे पहले इसी अवधि मे 86 05लाख टन चावल तथा 84 38 लाख टन गेहूँ इन कार्यक्रमो के तहत् आवण्टित किया गया था। इस प्रकार गेहूँ एव चावल का आवण्टन वर्ष 1988 की तुलना मे कम किया जा सका। वर्ष 1990–91 मे गेहूँ एवं चावल का कुल आवण्टन(सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पौष्टिकता कार्यक्रम आदि हेतु) क्रमश 95 96और 97 94 लाख टन था जबकि उससे पिछले वर्ष यह आवण्टन मात्र 85 26 और 95 47 लाख टन था। वर्ष 1991–92 मे गेहूँ और चावल का कुल आवण्टन क्रमश 105 70 तथा 114 23 लाख टन रहा। केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण हेतु गेहूँ, चावल एव खाद्य तेल की आवण्टित मात्रा निम्न तालिका मे अकित की गयी है–

तालिका सख्या 6

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवण्टित मात्रा

(लाख टनो में)

वस्तुए	वर्ष 1989–90	वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92
गेहूँ	85 26	95 96	105 70
चावल	95 47	97 99	114 23
खाद्य तेल	3 91	6 52	1 20

स्रोत भारत–सम्बन्धित वर्ष, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति खण्ड, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गेहूँ के आवण्टन मे पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 1990–91 मे 12 5 प्रतिशत तथा 1991–92 मे 10 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि चावल की आवण्टित मात्रा मे अधिक उच्चावचित वृद्धि होती है। चावल के आवण्टन मे 2 64 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 1990–91 में तथा 16 57 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 1991–92 मे हुई है।

खाद्य तेलो की आपूर्ति मे कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 1989 में जनवरी से नवम्बर की अवधि के लिए खाद्य तेलो का आयात घटाकर 3 65 लाख टन किया गया जबकि वर्ष 1988 मे इसी अवधि मे 9 79 लाख टन खाद्य तेलो का आयात किया गया था। ये कमी 62 6 प्रतिशत की रही। मूँगफली के तेलो मे मूल्य वृद्धि के कारण 1 लाखटन पामोलीन का आयात करना पडा जिसमें अधिकांश मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया। गुजरात मे वर्षा देर से होने के कारण देशी खाद्य तेलो के उत्पादन मे कमी आने और इनकी बढ़ती हुई माँग को देखते हुए वर्ष

1990 के दौरान 6 5 लाख टन आयातित खाद्य तेल आवण्टित किये गये जबकि 1989 मे इसी अवधि के लिए 3 91 लाख टन खाद्य तेल आवण्टित किया गया। इस प्रकार इसमे 66 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष मे राज्यो एव केन्द्र शासित प्रदेशो द्वारा आवण्टन से उठाया गया हिस्सा 5 21 लाख टन रहा जबकि पिछले वर्ष 1989 के दौरान 3 27 लाख टन ही था। विदेशी मुद्रा की समस्या के कारण वर्ष 1991 मे ज्यादा खाद्य तेलो को आयात नही किया जा सका। इसीलिए आवण्टन मे भी कमी की गई। 1990 मे जहाँ 6 52 लाख टन आयोजित खाद्य तेल आवण्टित किया गया था वही 1991 मे मात्र 1 20 लाख टन खाद्य तेल ही आवण्टित किया जा सका। इस प्रकार खाद्य तेलो के आवण्टन मे आलोच्य वर्षो मे पर्याप्त उच्चावचन रहा। वर्ष 1990-91 का आवण्टन पूर्व वर्ष की तुलना मे 66 75 प्रतिशत बढ गया जबकि अगले ही वर्ष मे इसमे 81 59 प्रतिशत की कमी आ गयी।

4 <u>नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली</u> – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दूरदराज के गावों, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र मे रहने वाले गरीबो तक पहुँचाने के लिए वर्ष 1992 मे एक नयी योजना शुरू की गयी जिसे नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली(रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) का नाम दिया गया है। इस नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत प्रधानमत्री पी वी नरसिह राव ने 1 जनवरी, 1992 को राजस्थान के अभावग्रस्त रेगिस्तानी जिले बाडमेर से की। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के सुदूर क्षेत्र के गांवो मे रहने वाली गरीब जनता को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावकारी बनाना है।

नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के 1775 विकास खण्डो के लिए शुरू की गयी है। शुरुआत के समय 1700 खण्डों को चुना गया था, बाद मे यह सख्या बढाकर 1775 कर दी गयी। जिन विकास खण्डों की इस व्यवस्था के अन्तर्गत पहचान की गयी है वे जनजाति बहुल राज्यो व पर्वतीय क्षेत्रो में है और जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम(डी पी ए पी) समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम(आई टी डी पी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डी डी पी) चल रहे है। इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से भी जोडा गया है।

नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश की आबादी के पाचवे हिस्से, लगभग 16 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके तहत् 10580 अतिरिक्त उचित दर की दुकाने खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले, 15 दिसम्बर, 1994 तक 14008 उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित 2675898 नये राशनकार्ड के लक्ष्य के मुकाबले, 3523737 नये राशन कार्ड बनाये जा चुके है। गरीबों के लिए बनायी गयी इस योजना का अपात्र व्यक्ति अनुचित लाभ न उठाने लगे, इसके लिए राशन कार्डों की भारी पैमान पर छानबीन की गई।

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनतर्गत 1 जनवरी 1992 के बाद खोली गई उचित दर की दुकानो की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची निम्न तालिका मे प्रस्तुत की गई है–

तालिका सख्या 7

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो मे खोली गयी दुकाने

(15 दिसम्बर, 1994)

क्र स	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दुकाने	क्र स	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दुकाने
1	महाराष्ट्र	3395	15	मिजोरम	99
2.	बिहार	2469	16	मणिपुर	74
3	मध्य प्रदेश	1276	17	प0 बगाल	69
4	कर्नाटक	1155	18	केरल	51
5	उत्तर प्रदेश	1141	19	त्रिपुरा	32
6	उड़ीसा	1138	20	नागालैण्ड	24
7	राजस्थान	1079	21	तमिलनाडु	19
8	हरियाणा	432	22	अण्डमान निकोवार द्वी स	18
9	असम	385	23	दादर एव नगर हवेली	11
10	आन्ध्र प्रदेश	362	24	हिमाचल प्रदेश	8
11	गुजरात	276	25	सिक्किम	2
12	अरुणाचल प्रदेश	263	26	लक्षद्वीप	2
13	जम्मू कश्मीर	123	27	दीव	1
14	मेघालय	104		**महायोग**	**14,008**

स्रोत नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1995

उपर्युक्त अवरोही क्रम मे प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य मे सर्वाधिक 24.2 प्रतिशत नयी दुकाने खोली गयी है। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 83 प्रतिशत दुकानें प्रथम 7 राज्यो मे खोली गयी है, जिनकी कुल सख्या 11653 है। इस प्रकार शेष 17 प्रतिशत दुकानें 75 प्रतिशत राज्यो मे खोली गयी।

सुदूर क्षेत्रो, पर्वतीय, आदिवासी तथा पिछडे इलाको के लिए प्रधानमत्री पी वी नरसिह राव की विशेष घोषणा के तहत् शुरू किये गये इस कार्यक्रम का लाभ वास्तविक लाभार्थियो को मिले और इन क्षेत्रो को वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओ को काले बाजार मे न पहुचाया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता के द्वार पर ही इन वस्तुओ के आपूर्ति की भी व्यवस्था की गयी है। अब तक इस घर–घर आपूर्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत, 54426 उचित दर की दुकाने शुरू की जा चुकी है। इस कार्यक्रम मे सफल दुकानो के लिए 486 वाहनो की खरीद की जा चुकी है। अब तक इस मद

मे 1746 50 लाख रुपये व्यय हुए है। इसके लिए केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप मे उपलब्ध करायी जाती है।

5 <u>चीनी सकट–1994 –</u> चीनी के मूल्यो पर नियन्त्रण और उसे उचित दर पर उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई उपाय किये है। इसके लिए खुली बिक्री और लेवी की चीनी का कोटा बढाया गया। सितम्बर 1989 मे दोनो तरह की चीनी के लिए चीनी का आवण्टन 8 82 लाख टन था जबकि अक्टूबर 1989 मे बढाकर इसे 10 32 लाख टन कर दिया गया। अक्टूबर 1988 मे लेवी चीनी तथा खुली चीनी का कोटा 9 17 लाख टन था। स्वदेशी चीनी की बाजार में उपलब्धता बढाने के लिए करीब 3 लाख टन चीनी के आयात का सौदा किया गया। चीनी का आयात देश में चीनी के उत्पादन मे कमी की दशा मे किया जाता है।

चीनी संकट पर प्रकाश डालने से पूर्व खुली बिक्री चीनी एव लेवी चीनी के आवण्टन एव खपत का अवलोकन आवश्यक है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है–

तालिका सख्या 8

खुली बिक्री एव लेवी चीनी का आवण्टन

(मात्रा– लाख टनो में)

अवधि		आवण्टित मात्रा	अवधि	खपत की मात्रा
अक्टूबर–	1988	9 17	अक्टूबर से सितम्बर–1980–81	50 0
"	1989	10 32	" " " 1983–84	76 0
"	1990	10 07	" " " 1987–88	93 3
"	1991	10 57	" " " 1990–91	107 2
अप्रैल–	1994 (खुली –)	5 60	" " ' 1991–92	115 0
मई –	1994 (बिक्री)	4 75		

<u>स्रोत</u> भारत- सम्बन्धित वर्ष, सूचना एव प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1988 से लगातार चीनी के आवण्टन मे वृद्धि होती रही, परन्तु अप्रैल, 94 मे इसमे चीनी के कुल उत्पादन मे कमी हो जाने तथा उस कमी को पूरा करने के लिए समय से आयात की व्यवस्था न किये जा सकने के कारण मई–1994 मे केवल 4 75 लाख टन चीनी ही खुली बिक्री हेतु आवण्टित की जा सकी। चीनी की खपत घटती हुई दर से बढ रही है। अत बढी हुई खपत की पूर्ति हेतु खुली बिक्री एव लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए था और कोटा बढ़ाने के लिए चीनी के कुल उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए थी। यदि उत्पादन मे वृद्धि सम्भव नहीं थी तो चीनी की नियमित आपूर्ति बनाये रखने के लिए चीनी का आयात समय से किया जाना चाहिए

था।

संसद मे विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीनी आयात-मामले पर"काम रोको प्रस्ताव" जून-1994 मे प्रस्तुत किया गया जिसमे आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमो की अक्षमता और मन्त्रियो तथा नौकरशाहो के बीच अहम के टकराव से हुए घाल-मेल के कारण ऊँची कीमतों पर चीनी का आयात किया गया और देश के खजाने को 650 करोड रुपये की चपत लगी। मार्च-1994 के प्रारम्भ मे सरकार ने चीनी के शुल्क मुक्त आयात हेतु इसे खुले सामान्य लाइसेन्स(ओ जी एल) के तहत लाने का निर्णय लिया, फिर भी राजधानी की खुदरा दुकानो मे जून-1994 के पहले सप्ताह मे चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलो से भी अधिक हो गयी जबकि वर्ष जून-1993 मे यह 12 50 रुपये की दर से बिक रही थी।

विशेषज्ञो का मानना है कि चीनी सकट के सकेत 1991-92 मे ही मिलने लगे थे उस वर्ष भारत ने अतिरिक्त चीनी का उतपादन किया था। चीनी की खपत् 115 लाख टन थी जबकि उत्पादन 132 77 लाख टन हुआ जिससे कीमतो मे भारी कमी आयी। भारत ने जब चीनी का निर्यात किया तो वहाँ भी कीमतों मे भारी कमी आयी। परिणामस्वरूप भारतीय चीनी उद्योग मे नकदी की भारी कमी हो गई जिससे किसानो को गन्ने के मूल्य का भुगतान समयसे नही किया जा सका और अगले गन्ना सत्र मे किसानों ने गन्ने की जगह दूसरी फसलो पर जोर दिया।

दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने जून-1993 मे चीनी मिलो के शीरा बेचने पर लगे कीमत एव वितरण सम्बन्धी नियन्त्रणो को उठाने का आदेश पारित किया जिससे शीरे की कीमत लगभग 15 गुना बढ गई। शीरा महँगा होने से अवैध शराब कम्पनियो ने गुंड का प्रयोग शुरू कर दिया और वे उसकी अधिक कीमतें देने लगी। बदले मे गुड बनाने वाली इकाईयाँ गन्ना किसानो को 10 से 15 रुपये प्रति कुन्तल की दर से (विशिष्ट रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे) अधिक भुगतान करने लगी। जनवरी-1994 मे स्थिति और भी बिगड गई। खाद्य मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश, पजाब और हरियाणा की सरकारो को इस सन्दर्भ में पत्र लिखा जहाँ सबसे अधिक गन्ना गुड उत्पादको के पास जा रहा था। माननीय श्री मुलायम सिह ने 24 जनवरी-94 को गुड के भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दिया। लेकिन किसानो के विरोध के बाद 8 फरवरी-1994 को यह आदेश रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप लगभग 80 लाख टन गन्ना गुड उत्पादको के पास चला गया और चीनी का उत्पादन 8 लाख टन घट गया।[17]

फरवरी 1994 के अन्तिम सप्ताह मे प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा मे दावा किया गया कि देश के पास चीनी का पर्याप्त भण्डार है, फिर भी 15 मार्च, 1994 को चीनी को आयात मे खुले

---

17 इण्डिया टुडे- 30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 50

लाइसेन्स मे रखने की घोषणा की गई। बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी की कीमत 75 पैसे प्रति किलो बढाकर जब 9 रुपये 5 पैसे प्रति किलो की गई तो उस समय खुले बाजार मे चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रतिकिलो पहुँच चुका था। 3 सितम्बर-1993 को राज्य चीनी सचिवो की बैठक मे वर्ष 1993-94 मे चीनी के 106 लाख टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया। योजना आयोग का अनुमान था कि अगले वर्ष मे चीनी की खपत 120 लाख टन हो जायेगी। अत 15 लाख टन चीनी के आयात की व्यवस्था की जाय। यह एक उचित कदम होता क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त विदेश मुद्रा भडार भी था।[18] परन्तु आयात अनुबन्धो को पूरा करने मे विलम्ब हुआ। प्रारम्भ मे खाद्य मत्री का विचार था कि पिछले साल के मुकाबले हम नवम्बर-दिसम्बर मे अधिक चीनी का उत्पादन कर रहे थे । ऐसी दशा मे आयात का अन्तिम निर्णय ले लेना जल्दीबाजी होती। इस बीच 15 दिसम्बर-93 से 8 मार्च, 1994 के बीच मन्त्रि मण्डल की मूल्य सम्बन्धी समिति (सी सी पी) की बैठक छ बार स्थगित हुई और जब 8 मार्च को बैठक हुई तब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी की कीमत 337 डालर प्रति टन पहुँच गयी।[19]

भारत सरकार के लिए चीनी आयात करने वाला सस्थान भारतीय राज्य व्यापार निगम है। क्योंकि निजी क्षेत्र के व्यापारियो को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी खरीदने की खुली छूट दी गई थी, इसलिए निगम की मोल-तोल की शक्ति कमजोर पड गयी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी की कीमते बढने लगी। चीनी की आपूर्ति तथा कीमतो पर नियन्त्रण के मसले पर भिन्न-भिन्न मन्त्रालयो मे सवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी। वित्त, वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एव खाद्य मन्त्रालयो की सयुक्त जिम्मेदारी थी कि वे इसके प्रति सतर्क रहें। आयात का काम वाणिज्य मन्त्रालय का है तथा सरकारी वितरण का काम खाद्य मन्त्रालय का। चूँकि आयात करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण करने मे सब्सिडी का मसला भी अहम् हो जाता है। इसलिए वित्त मन्त्रालय की भूमिका भी वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण थी। बहुत दिनो तक तो यही नही तय हो पाया कि सब्सिडी का भार वाणिज्य मन्त्रालय वहन करेगा या खाद्य मन्त्रालय। निजी क्षेत्र मे भरोसा रखने वाला वित्त मन्त्रालय निश्चिन्त था कि व्यापारी इतना आयात करेगे कि आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रह जायेगी।

जब सी सी पी की 8 मार्च-1994 की बैठक मे वित्त मन्त्री ने दोहराया कि वे आयात पर सब्सिडी नही देगे तो मन्त्रिमण्डलीय समिति ने चीनी को खुले लाइसेन्स के तहत लाने का फैसला किया

18 नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 6 जून, 1994, पृष्ठ सख्या-7

19 इण्डिया टुडे-30 जून, 1994 कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49

और इस तरह निजी क्षेत्र को भी शुल्क मुक्त चीनी आयात करने की अनुमति मिल गयी। अधिसूचना जारी होनें के बाद 7 जून-94 से पूर्व जिन निजी कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का सौदा किया उन्हे निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 9

निजी कम्पनियो द्वारा किया गया चीनी आयात

क्रम सं	कम्पनी का नाम		मात्रा(टनो मे)
1	भारतीय चीनी मिल सघ(इसमा)		92,000
2	ग्रेट ईस्टर्न शिपिग कम्पनी		2,00,000
3	एशिया शुगर्स कम्पनी		1 10 000
4	एस्सार गुजरात		77,000
5	अन्य कम्पनिया		2,15,000
		योग	**6,94,000**

स्रोत इण्डिया टुडे, 30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 52

इस प्रकार निजी कम्पनियो द्वारा 7 जून, 1994 तक कुल 6 94 लाख टन चीनी आयात का सौदा पूरा हो चुका था। यद्यपि तब तक राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम ने भी 6 26 लाख टन चीनी के आयात का अनुबन्ध पूरा कर लिया था लेकिन इससे पूर्व ये दोनो संस्थाएं दुविधा में थी कि यदि सारी आयातित चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी की जायेगी तो उन्हें भारी घाटा होगा क्योंकि आयातित चीनी की कीमत 13 10 रु0 प्रति किलो होगी जबकि उचित दर की दुकानों पर इसे उस समय रुपये 7 10 प्रति किलो की दर से जारी किया जाता। इससे पूर्व भारतीय खाद्य निगम को भी आयात सौदे मे शामिल करने का विचारकिया गया था परन्तु जब भारतीय खाद्य निगम ने 16 मई-1994 को खाद्य मंत्री की इजाजत के बिना टेण्डर जारी किये गये तो खाद्य मत्री ने अपनी विदेश यात्रा से वापस आकर 19 मई-94 को यह टेण्डर इसलिए रद्द कर दिया क्योकि 1989 के ऐसे ही तथाकथित घोटाले के विषय मे लोक लेखा समिति ने ने खाद्य मन्त्रालय की आलोचना की थी जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय चीनी आयात न करे और यह अधिकार राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम को दिया गया। इसमे यह भी कहा गया कि किसी अपंजीकृत कम्पनी को भी चीनी आयात की अनुमति न दी जाय। यद्यपि उसी दिन राज्य व्यापार निगम ने 385 डालर प्रतिदिन की दर से पहले सौदे को अन्तिम रूप दिया और इसके बाद

के सौदे 400 डालर प्रति टन की कीमत से कुद अधिक पर किये गये जिससे कुल 150 करोड रुपये का नुकसान हुआ।

ऐसा सकट दुबारा उत्पन्न न हो इसके लिए राकट के समय प्रयोग के लिए सरकार के पास 20 लाख टन चीनी का भण्डार वैज्ञानिक ढग से सरक्षित होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे सकटो के समय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो यथा–वित्त मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा नागरिक एव खाद्य आपूर्ति मन्त्रालय मे सवादहीनता की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। चीनी का उत्पादन बढाने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने का उत्पादन बढाने पर सरकार जोर दें। इसके लिए गन्ना उत्पादको को नये उन्नतिशील बीज, न्यूनतम कीमतो पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। गन्ने की वैज्ञानिक खेती का उत्पादको को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चीनी की कीमते राजनैतिक दबावो से मुक्त हो इसके लिए इस उद्योग को भी उदारीकरण की मुक्त हवा का झोका चाहिए। देशी बाजार मे प्रतिस्पर्धा ही चीनी उद्योग की उन कमियो को दूर सकती है, जिसके कारण इसकी उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। इससे गन्ना उत्पादक किसानो का भी भला होगा। उन्हे गन्ने की उचित कीमत मिलेगी तथा समर्थन मूल्य बढाने के लिए वे सरकार के दरवाजे बार–बार खटखटाने के लिए बाध्य नही होगे। इससे उपभोक्ता को चीनी की कीमतो मे अनावश्यक वृद्धि से राहत तो मिलेगी ही साथ ही हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे मुनाफे के साथ निर्यात करने के सपने भी सजो सकते है।

(ल) <u>समस्याए एव सुझाव</u> –भारत मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहाँ मूल्य नियन्त्रण एव उपभोक्ता–सरक्षण का एक प्रभावी माध्यम है, वही यह गरीबी से लडने का एक प्रमुख हथियार भी है परन्तु व्यावहारिक धरातल पर आज भी इस प्रणाली मे अनेक ऐसी कमियाँ एव दोष हैं जिसके चलते देश के विभिन्न क्षेत्रो मे यह आम उपभोक्ताओ को अपेक्षित लाभ नही पहुँच पा रही है। अन्य कल्याणकारी व्यवस्थाओं के समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी भ्रष्टाचार के चगुल मे फसी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण समाज की क्रय–शक्ति सरकार के तमाम सर्वेक्षण एव आकडो से भिन्न है जिससे बेचारे अनपढ़, अर्द्धनग्न कृषक एव मजदूर, उचित समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्रियों को खरीदने से वंचित हो जाते है। साथ ही गावो मे इस प्रणाली के सचालक कुछ दबग लोगों को तो सामग्रियाँ उपलब्ध करा देते है, मगर निम्न आय वाले कमजोर व्यक्तियो का हक मुखिया एव नौकरशाह मिलकर डकार जाते है। दूसरी ओर गावो के लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियो को यह भी ज्ञात नहीं है कि प्रति इकाई कितनी चीनी, गेहूँ, मिट्टी का तेल आदि मिलने का प्रावधान है। इसका परिणाम यह होता है कि जिन्हें राहत पहुँचाने के लिए इसकी परिकल्पना की गई, वे गौण हो जाते है और अधिकारी– व्यापारी मालामाल होते जाते हैं। इसकी मुख्य समस्याएं तथा उनका निराकरण अग्राकित है–

1 **प्रणाली का नगरो तक ही सीमित होना** – वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूलभूत रूप से शहर आधारित व्यवस्था है क्योकि शहरी लोग आधुनिक तन्त्र के अग है और अधिक शोर मचा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस पद्धति से 31 से 41 प्रतिशत लाभ शहरी व्यक्तियो को तथा 8 से 19 प्रतिशत लाभ ग्रामीण व्यक्तियो को प्राप्त हुआ है।[20] ग्रामीण क्षेत्रो मे राशन की दुकाने कम अथवा नही के बराबर हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रो की दुकानो को वस्तुए पहुँचाने मे भी कठिनाई होती है।

आज आर्थिक नीतियो के परिवर्तन के सन्दर्भ मे देश मे तेजी से मुक्त बाजार व्यवस्था लागू की जा रही है और उपभोक्ता वस्तुओ की कीमतो मे तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे समय मे पिछडे ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना और उसे मजबूत बनाकर आवश्यक वस्तुए सुलभ कराना लोगों को काफी राहत प्रदान करेगा। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा मे एक सराहनीय प्रयास के रूप मे सफल हो रही है।

2 **गांवों मे वितरण न होना** – ग्रामीण क्षेत्रो के निकट जो कस्बे है, उनमे खुले बाजार मे खाद्यान्न साधारणतया मिलते ही रहते है।यद्यपि इनके लिए कई बार अधिक मूल्य देना पडता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे सरकार ने नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुओ को दिलवाने का प्रबन्ध कर रखा है लेकिन जिन लोगो के नाम गांव का कोटा है, वे शायद ही कस्बे से गाव मे ले जाकर उन्हे वितरित करते है। अधिकतर ऐसा होता है कि वे अधिक मूल्य पर खाद्यान्नो शहर मे ही बेच देते है। खरीद और बिक्री का मूल्यान्तर उनका लाभ बन जाता है।

इस समस्या का निराकरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का कार्य ग्राम-प्रधान तथा ग्राम सभा के सदस्यों को सौपकर किया जा सकता है। ग्राम प्रधान की सहमति से कोटेदार नियुक्त किये जानेसेऐसे कोटेदार ग्राम–वासियो को अधिकतम् सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगे। ऐसी दशा मे वस्तुओ की उचित मूल्य पर बिक्री को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

3 **दरिद्रो को सहायता पहुँचाने वाला दावा खोखला** – सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दरिद्रों को राहत पहुँचाने का दावा कितना खोखला है, यह इससे स्पष्ट होता है कि सस्ते गल्ले की वितरित मात्रा और दरिद्रों की संख्या मे कोई अनुपातिक सम्बन्ध नही है। 1992–93 मे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जिनकी सख्या देश की कुल जनसख्या का 34 3 प्रतिशत है, और जहाँ देश की कुल दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वालो का 42 2 प्रतिशत निवास करता है, को देश मे कुल वितरित सस्ते अन्न का केवल 13 7 प्रतिशत ही आवण्टित किया गया था। जबकि दिल्ली, केरल और

---

20 कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम–नवम्बर–1992, आई–76ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, पृष्ठ सख्या–24

आन्ध्र प्रदेश, जिनकी आबादी देश की आबादी का केवल 11 4 प्रतिशत और जहाँ देश के गरीबो मे केवल 10 5 प्रतिशत ही निवास करते है, कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का 28 7 प्रतिशत आवण्टित किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दरिद्रो के प्रति कितनी उदासीन है यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिहार राज्य को, जिसकी आबादी देश की आबादी का का 10 24 प्रतिशत है और जहाँ देश के 14 5 प्रतिशत दरिद्र निवास करते है, देश मे कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का केवल 4 0 प्रतिशत दिया गया था, जबकि दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की कुल आबादी की पूरे एक प्रतिशत भी नही है और जहाँ दरिद्रो की सख्या भी सबसे कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत बाँटा गया था।[21] देश मे जितने अन्न की खपत हो रही है उसके आठवे भागसे अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित नही होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देश की आठवी आबादी ही, अर्थात लगभग 11 25 करोड लोग ही लाभान्वित हो रहे है।

इस समस्या की वैकल्पिक व्यवस्था यह हो सकती है कि देश के अति दरिद्रो की पहचान की जाय और उन्हें सीधे नकदी या कूपनो द्वारा आर्थिक सहायता दी जाय, जिससे वे अपना पेट भरने के लिए खुले बाजार से अन्न खरीद सकें। क्योंकि दरिद्रो की सहायता पूरे राष्ट्र की कीमत पर(अर्थात् सरकारी खजाने से) की जानी चाहिए न कि केवल किसानो की कीमत पर, जिनमे अधिकाश स्वय दरिद्र है। लगभग सभी देशो ने पुराना रास्ता'अनाज के मूल्य को गिराकर रखो' का परित्याग कर, नया रास्ता' गरीबो की पहचान करो' का मार्ग अपनाया है। इस मार्ग पर चलने से कई लाभ है, जैसे- सहायता उन्हे ही मिलेगी, जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है और कम धन से अधिक दरिद्रो को सहायता मिल सकेगी। खाद्यान्न व्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटने से भ्रष्टाचार कम होगा और किसानो को भी खुले बाजार का अवसर प्राप्त होगा जिससे उन्हे अच्छे मूल्य भी मिल सकेगे। श्रीलका सरकार ने गरीबो की पहचान कर उन्हें सीधे सहायता देने का मार्ग अपनाकर अपने खाद्य अनुदान की राशि को एक-तिहाई करने मे सफलता प्राप्त की है। इसका दूसरा विकल्प यह है कि ऐसे व्यक्तियो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ न दिया जाय जिनकी वार्षिक आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। इस प्रतिबन्ध को लागू करके भी, केवल वास्तविक लाभ पाने योग्य व्यक्तियो को प्रदान की जाने वाली वर्तमान सुविधा को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा।

4 <u>कम पूर्ति की दशा मे उचित मूल्य की दुकानो पर दबाव बढ़ जाना</u> – जब वस्तुओ की आपूर्ति कम होती है तो इन दुकानो पर उपभोक्ता का दबाव बढ जाता है ओर सामान देने मे घण्टो लग

---

21 नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1994

जाते है। किन्तु जब खुले बाजारो मे भी वस्तुए मिलती रहती है तो बहुत बडी सख्या मे उपभोक्ता खुले बाजार से ही अपनी आवश्यकताए पूरी करने लगते है। इससे इन दुकानो को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन वस्तुओ के वितरण की व्यवस्था की जाती है उनकी देश मे उत्पादन एव खपत की सही–सही मात्रा का अनुमान लगाया जाय। सही प्राक्कलन हेतु आवश्यक है कि इसके लिए दो या दो से अधिक माध्यमो का प्रयोग किया जाय। उत्पादन ओर खपत के सही प्राक्कलन से दोनो समस्याओ का निराकरण हो जायेगा अर्थात् न तो दुकानो पर उपभोक्ताओ का अधिक दबाव बढेगा और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का खर्च न चलने की स्थिति उत्पन्न होगी । क्योंकि प्रारम्भिक अनुमान से उत्पादन खपत से कम है तो उसके आयात की समय रहते व्यवस्था कर ली जायेगी ओर यदि उत्पादन खपत से अधिक है तो आधिक्य मात्रा का निर्यात कर विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा।

5 <u>अन्य वस्तुओ को बेचे जाने की अनुमति न देना –</u> उचित मूल्यो की दुकानो से बिकने वाली वस्तुओ की सख्या मे और अधिक वस्तुओ को इच्छानुसार जोड देना सरल कार्य नही होता क्योकि इन दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओ को सरकार को स्टाक रखने की आवश्यकता होती है। बिना स्टाक रखे राशन प्रणाली नही चलायी जा सकती।

वास्तव मे जिन वस्तुओ के वितरण मे उचित प्रतियोगिता है तथा जिनके वितरण मे उपभोक्ताओ का किसी तरह से शोषण नही हो रहा है उस वस्तु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाना आवश्यक नहीं होता। अत जिन वस्तुओ के वितरण मे उपभोक्ता का शोषण किये जाने की सम्भावना हो उसके उत्पादन एवं खपत का पूर्वानुमान करना अनिवार्य हो जाता है। पूर्वानुमान के पश्चात् उस वस्तु के स्टॉक देशी अथवा विदेशी खरीद के माध्यम से बनाये जा सकते हैं और उस वस्तु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा सकता। है।

6 <u>सरकारी तन्त्र में भ्रष्टता –</u> भ्रष्टता की जितनी शिकायते निजी व्यापारियो के सम्बन्ध मे की जाती है, वे सब शिकायते सरकारी तन्त्र के दुकानदारो मे पनप रही है, वितरण हेतु प्राप्त खाद्यान्नों एवं वस्तुओ को फुटकर व्यापारियो को बेच देना, चीनी मे पानी डालकर वजन बढाना, खाद्यान्नो में अपमिश्रण, नाप व तौल ठीक–ठीक न करना, दुकानो को प्राय बन्द रखने की समस्या लगभग 80 प्रतिशत दुकानों मे पायी जाती है।

इस दोष का निवारण प्रधानमत्री पी वी नरसिह राव के उस कथन से होता है जो उन्होने राजस्थान के रेगिस्तानी जिला बाडमेर मे नई व्यवस्था का शुभारम्भ करते हुए दिया था कि ' केन्द्र

सरकार ने लोगो के लिए यह योजना तो प्रदान कर दी है परन्तु इसकी सफलता एव विफलता का दायित्व राज्य सरकार और स्थानीय लोगो का है।" [22]वास्तव मे वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय लोग एवं उच्चस्तरीय प्रशासन दोनो के सहयोग से सरकारी तन्त्र के भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानो की एक आकस्मिक जॉच दल द्वारा समय-समय पर जॉच करवायी जाय तथा दोषी दुकानदारो को कठोर से कठोर सजा दी जाय साथ साथ ही दुकानो की जॉच का अधिकार तथा प्रशासकीय जॉच मे सहयोग हेतु मुहल्ला या ग्राम-जॉच समितियाँ बनायी जानी चाहिए ताकि वितरण व्यवस्था की निचले स्तर पर भी जॉच की जा सके और इस तथ्य से सन्तुष्टि प्राप्त की जा सके कि वस्तुओ का वितरण वांछित व्यक्तियो को ही किया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओ को जागरूक बनाया जाना चाहिए जिससे वे अपने अधिकारो के प्रति सचेष्ठ रहे साथ ही दुकानो की कार्य प्रणाली मे रचनात्मक सुधार भी किया जाना चाहिए।

7 <u>अच्छी किस्म की वस्तुओ के चुनाव मे कठिनाई</u> – जब खुले बाजार मे वस्तुए मिलती है तो लोग खुले बाजार को ही पसन्द करते है, वे राशन की दुकान से वस्तुए नही खरीदना चाहते क्योकि खुले बाजार मे वस्तु की किस्म का चुनाव करने का अवसर प्राप्त होता है जो राशन की दुकानो पर नही होता है।

वास्तव मे यदि अच्छी किस्म की वस्तुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाये तो समाज को वस्तुओं का चयन करने की आवश्यकता ही न पडे क्योंकि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की अच्छी किस्म की ही प्राप्त करना चाहता है चाहे वह उपभोक्ता अमीर हो अथवा गरीब। अत इस समस्या का निदान उचित दर की दुकानो मे अच्छी किस्म की वस्तुए उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

8 <u>अफसरशाही का दोष</u> – सरकारी तन्त्र मे अफसरशाही अधिक चलती है। इसलिए ऐसा तन्त्र हमेशा 'टॉप हैवी' बन जाता है,उन अफसरो एव कर्मचारियो का वेतन भी वितरित वस्तुओ की लागत मे शामिल किया जाता है इसलिए' उचित दर पर'नाम रहते हुए भी उपभोक्ता को वस्तु 'अनुचित दर' पर ही मिलती है।

सच्चाई यह है कि सरकार द्वारा जनता के हित के लिए सचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियो मे ' न लाभ न हानि' के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाता है, इतना ही नही कभी-कभी तो ऐसी गतिविधियाँ सरकार द्वारा हॉनि उठाकर भी जारी रखी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचालन हेतु भी 1993-94 मे 3000 करोड रुपये की राज्य सहायताका प्रावधान किया गया था। दूसरी ओर निजी व्यापारी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास निरन्तर जारी रखते है।

22 कामीशाम एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम-नवम्बर-1992, आई-76ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, पृष्ठ सख्या-24

इस प्रकार अधिकारियो एव कर्मचारियो का वेतन वस्तुओ की लागत मे जोडने तथा राज–सहायता का समायोजन करने के बाद भी उपभोक्ता फायदे मे ही रहता है।

9 <u>गरीब वर्ग की उपेक्षा</u> – एक सुनियोजित, सुदृढ, सक्षम और स्वस्थ वितरण प्रणाली के बिना कमजोर वर्गो के उपभोक्ताओ को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। वितरण व्यवस्था से सम्बद्ध लोग अपनी अपनी परिस्थिति का लाभ उठाकर, मूल्य वृद्धि, मिलावट, कम माप तौल, फर्जी राशन कार्ड, दुकानो का प्राय बन्द रखना, गरीब कार्ड धारको को घुडकना और लौटा देना आदि अनैतिक उपायो से अधिकतम लाभ कमाते है।

कमजोर वर्ग को इस प्रणाली से अनुकूल लाभ पहुँचे, इसके लिए सर्वप्रथम फर्जी राशन कार्डों एव जाली यूनिटो को रद्द करना अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह एक प्रभावी एवं दण्डनीय अभियान चलाये, तभी जरूरतमन्द लोगो के हितो को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए गरीब जनता को इस प्रणाली के प्रति पूर्णत जागरूक बनाने की भी जरूरत है कि उन्हे कितनी मात्रा मे किस दर पर, किस समय वस्तुओ की आपूर्ति मिलनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब वर्ग के प्रति पूर्णतया न्यायसंगत बनाने के लिए आवश्यक है कि इस प्रणाली के दायरे से उच्च आय वर्ग के लोगो को बाहर किया जाय तभी निम्न वर्ग के लोगो की पूर्ण आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सकती है।

10 <u>डीलर द्वारा दुकानो को ठेके पर दिया जाना</u> – बहुत सी उचित दर की दुकानो केडीलर अपनी दुकाने व्यापारियो को ठेके पर दे दते है जिससे एक और मध्यस्थ आ जाने के कारण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित लाभ नही मिल पाता है। ठेकेदार को इस प्रणाली की मूल भावना से कुछ लेना–देना नही होता है। वह तो अधिक से अधिक लाभ कमाने का उपाय ढूढता है उचित दर की दुकानो से सामान की चोरी इसी का परिणाम होती है।[23]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इन बुराइयो से मुक्त करके कारगर बनाने के लिए इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है। इसके लिए उचित दर की दुकानो का सतर्कता समितियो द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला प्रखण्ड एव तालुका स्तर पर उपभोक्ता सलाहकार समितियो को और अधिक चुस्त–दुरुस्त किया जाना चाहिए।

11 <u>वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वृद्धि</u> – पिछले वर्षो मे राशन की दुकानो से वितरित की जाने वाली वस्तुओ के मूल्य मे समय–समय पर बहुत अधिक वृद्धि होती रही है। गेहूँ की कीमत फरवरी–94 मे 427 रुपये प्रति कुन्तल थी जबकि बाजार मे राशन की तुलना मे बढिया किस्म

---

23 योजना – 15 जून, 1992, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। यही स्थिति चावल की भी है। चीनी की कीमत पिछले बजट से पहले फरवरी–94 मे 75 पैसे प्रति किलो बढाकर 9 रु 5 पैसे कर दी गई। ऐसी परिस्थिति मे जनता का विश्वास सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे घटता है साथ ही उसके पारिवारिक बजट मे समायोजन की कठिनाई भी होती है।

वास्तव मे उचित दर की दुकानो पर वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि का कारण सब्सिडी का कम होना है। वितरित की जाने वाली वस्तु के प्राप्य मूल्य और उसके खरीद एव भण्डारण की कुल लागत मे होने वाले अन्तर का समायोजन सब्सिडी से किया जाता है। इस समय खाद्य निगम के गेहूँ की लागत 542 रु प्रति कुन्तल है जिसमे 330 रु खरीद मूल्य और 212 रु रख–रखाव का खर्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि गेहूँ का उत्पादन करने वाले किसानो को दिये जाने वाले प्रत्येक 3 रुपये के साथ 2 रु निगम को दिये जाते है। इस स्थिति मे गेहूँ को 407 रुपये प्रति कुन्तल के बढे दामो पर बेचने के बावजूद खाद्य निगम को 135 रुपये प्रति कुन्तल की हानि होती है जो सब्सिडी के रूप मे सरकार से प्राप्त की जाती है। पिछले दशको मे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मे वृद्धि को निम्न तालिका मे देखा जा सकता है–

तालिका सख्या 10

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी

वर्ष	करोड रुपये
1970–71	71
1980–81	650
1990–91	2450
1993–94	3000(प्रावधानित) 6000(अनुमानित)

<u>स्रोत</u> नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1994, पृष्ठ सख्या–6

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वितरण प्रणाली के लिए खाद्य निगम को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी मे लगातार वृद्धि हो रही है। यह सब्सिडी जो 1970–71 मे केवल 71 करोड रुपये थी जा बढते–बढते वर्ष 1990–91 मे 2450 करोड रुपये तक पहुँच गयी। वर्ष 1993–94 के बजट मे इस सब्सिडी के लिए 3000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु वास्तव मे दी जाने वाली सब्सिडी का अनुमान 6000 करोड रुपये अर्थात् बजटीय घाटे से का डेढ गुना है। सरकार का स्पष्टीकरण है कि पिछले वर्ष अनाज के खरीद मूल्यो मे की गई वृद्धि के कारण सब्सिडी का खर्च बढ

गया है। वास्तव मे यदि गरीब उपभोक्ताओ को प्रणाली का लाभ अनिवार्यत दिलाना है तथा उसके पारिवारिक बजट मे स्थिरता लानी है तो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मे कोई कटौती नही की जानी चाहिए।

12 कुछ अन्य सुझाव – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना उपर्युक्त विन्दुओ पर की जाती है(यद्यपि इन सबका उचित निदान सम्भव है) फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओ को शोषण से बचाने का एक अपरिहार्य माध्यम है। यह आम निरीह, गरीब एव शोषित उपभोक्ताओ को समुचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने का एक मात्र सहारा है। अत वर्तमान समय मे जहाँ एक ओर इसके समसामयिक एव प्रासंगिक महत्व को देखते हुए इसके अस्तित्व को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, वही दूसरी ओर इस प्रणाली के उद्देश्यपरक लाभो को, मध्यम एव निम्नवर्ग को प्रदान करने हेतु उसमे निम्नलिखित सुझाव भी लागू करने की आवश्यकता है–

1 एक दुकानदार को आवण्टित जनसख्या व कार्डो की सख्या बढायी जाय। वस्तुओ की कोटा मे वृद्धि की जाय जिससे प्रत्येक दुकान आर्थिक दृष्टि से लाभदायी बन सके। ऐसी दुकानों, जिनकी सख्या कम है, का एकीकरण किया जाए या इन्हे सहकारी भण्डारो को सौपा जाय।

2 इस प्रणाली का उपयोग उन क्षेत्रो मे न किया जाय जहाँ इसकी जरूरत नही है। अभी भारत में ऐसे असख्य गाव है जहाँ न तो पक्की सडके है और न गोदाम। यहाँ तक कि इन गावो की दुर्दशा से परिचित होने के लिए यहाँ कोई अधिकारी अभी तक नही गया है। ऐसे क्षेत्रो मे सर्व-प्रथम सड़क परिवहन जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि पर्याप्त निरीक्षण एव वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

3 नई दुकानो के खोले जाने मे निर्धारित प्रावधानो का पालन किया जाना चाहिए। प्रावधान है कि कम से कम 2 हजार की आबादी पर या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उचित मूल्य की खुदरा आपूर्ति की दुकान हो। किन्तु कही पर तो यह 5 हजार की आबादी पर भी नही है और कही पर एक हजार की आबादी ही ऐसी दुकानों की स्थापना के लिए पर्याप्त मान ली गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार एव मध्य प्रदेश में यह स्थिति सामान्य बन गयी है।[24]

4 विद्यमान सामाजिक परिवेश मे स्वार्थ की जडे काफी गहरी हो चुकी है, उसको उखाड फेंकना नितान्त आवश्यक है इसके लिए लोगो मे देश भक्ति एव नैतिकता की भावना जागृत करनी चाहिए।

5 शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाय तथा जनता को जनसंख्या वृद्धि से

---

24 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 28 अगस्त 1994, पृष्ठ सख्या–7

होने वाली हानियो से भली-भाँति अवगत कराया जाये, जिससे कि वे सीमित परिवार रख सके।

6 सरकार को उचित मूल्य के दुकानदारो की आय मे वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि वे गलत कार्य के लिए प्रेरित न हो।

7 उचित मूल्य की दुकानो पर उपलब्ध वस्तुओ को छोटे छोटे वजन के पैकेटो मे जिन पर भारतीय मानक संस्थान की मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए। इससे वस्तुओ की किस्म मे अपने आप शुद्धता रहेगी तथा दुकानदारो द्वारा उपभोक्ताओ का शोषण भी कम माप-तौल के सम्बन्ध मे न हो सकेगा।

8 सरकार को राशनकार्डो के हस्तान्तरण करने वाले दोनो पक्षकारो को दण्डित कर इस पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए।

9 कार्डों की जाँच करते समय प्रवसन व विवाह को भी ध्यान मे रखना चाहिए।

10 उचित मूल्य की दुकानो के लिए वस्तु जिला मुख्यालय से दुकानदार की दुकान पर ही वस्तुओ की आपूर्ति की जानी चाहिए जिससे दुकानदारो को कम आपूर्ति अथवा प्राप्ति दर के विषय मे मनमाना बहाना करने का अवसर न मिल सके।

11 प्रणाली के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन मे महिलाओ का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

12 ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक दुकाने खोलने के लिए सरकार द्वारा नवयुवको को प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवको को रोजगार भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओ को वस्तुए भी सुगमता से उपलब्ध करायी जा सकेगी।

13 सरकार को दुकानदारो द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक लगाना चाहिए जिससे कि इनके दैनिक कार्य प्रणाली मे राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द हो सके।

14 बाजार मूल्य व उचित मूल्य की दुकानो की वस्तुओ का सम मूल्य होने पर सरकार को किसी न किसी रूप मे इन दुकानदारो को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण मन्दी के दिनो मे कर सके।

15 दुकानदारो का कमीशन बिक्री के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाना चाहिए तथा यह प्रतिशत सभी वस्तु के लिए समान होना चाहिए।

16 सरकार को उचित दर की दुकाने सप्ताह मे कम से कम 5 दिन खुला होना सुनिश्चित करना चाहिए।

यद्यपि उपरोक्त सभी सुझाव तभी सम्भव है जब लोगो की नीयत साफ हो।

समाज के सभी वर्गों को समान रूप से जागरूक होना होगा और अपने अन्दर कर्तव्य बोध एवं दायित्व बोध जागृत करना होगा। इस योजना के पुनरूद्धार के समय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त आशका भी सही है कि सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं को नेक इरादा के साथ शुरू करती है, परन्तु बीच में होने वाली गड़बड़ियों के कारण वास्तविक पात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस योजना की सफलता और असफलता सरकार के कड़े कदमों पर निर्भर करती है।

सरकार के कड़े कदमों के अधीन 19 फरवरी–1995 को केन्द्र सरकार ने राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं व काला बाजारी को रोकने के लिए देश के सभी जिलों में नियन्त्रण कक्ष खोलने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया है क्योकि इन दुकानों की अनियमितताओं के कई मामले नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के परिज्ञान में लाये गये थे जिनमें अधिकांश शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं। इन नियन्त्रण कक्षों में उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों की अनुपलब्धता और राशन के दुकानदारों की अनियमितता, जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से आग्रह किया है कि , वह देश के सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को विभिन्न क्षेत्रों में खुले बाजार और राशन की दुकानों से मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रसारित करने का निर्देश दें। इसके साथ ही राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा जिला नियन्त्रण कक्षों के गठन का व्यापक प्रचार करें ताकि आम जनता को उसकी जानकारी हो सके।[25]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से काम करे, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों से क्षेत्रीय स्तर पर भी निगरानी समितियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन समितियों का गठन इसके लाभार्थियों के बीच के लोगों द्वारा किया जाता है। इनमें महिलाओं, उपभोक्ता आयोजन के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा प्रबन्धकों को पूरी भागीदारी दी गयी है। अब तक 80 प्रतिशत से भी अधिक लक्ष्यित पंचायतों में ऐसी ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है। कुछ राज्यों में इन समितियों का गठन पंचायत स्तर पर, तो कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकान के क्षेत्र स्तर पर किया गया है।

यद्यपि इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने अपनी ओर से मूल्य नियन्त्रण की दिशा में अनेक ठोस कदम उठायें हैं, लेकिन सत्ता के बिचौलियों ने सरकारी नीतियों में छिद्रान्वेषण कर व्यापारी वर्ग के हित–साधन करने का मार्ग पूर्ववत् खोज लिया इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतनी प्रभावी न हो सकी, फिर भी भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में यह प्रणाली जहाँ सामाजिक

---

25. दैनिक जागरण- वाराणसी, 20 फरवरी, 1995.

आर्थिक न्याय प्रदान करने वाली योजना के रूप मे स्थापित हुई, वही यह आम उपभोक्ताओ के अधिकारो एव हितो की रक्षा करने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक आधार स्तम्भ भी बन चुकी है अत लोकतन्त्र के अन्तर्गत लोक विश्वास को जीतने के लिए इस प्रणाली को एक नये रूप मे सगठित करने की आवश्यकता है तभी इस प्रणाली मे व्याप्त पूर्व-प्रस्तुत कमियो एव दोषो को दूर करके कमजोर एव निबर्ल-वर्ग के लोगो को वाछित लाभ प्रदान किया जा सकता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम –

(अ)परिचय –भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम–1964 के अधीन की गयी जिसने अपना कार्य 1 जनवरी, 1965से प्रारम्भ किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रो मे निजी व्यापारियो की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एव उपभोक्ता दोनो के हितो की रक्षा करना था। यह निगम भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सी के रूप मे स्थापित किया गया जो खाद्यान्नो के आयात, खरीद, भण्डारण एव वितरण को सचालित करे तथा भारत की राष्ट्रीय खाद्य नीति का अनुपालन भी करे। भारतीय खाद्य निगम उर्वरको के आयात, भण्डारण एव वितरण के साथ ही साथ लेवी चीनी की खरीद भण्डारण एव वितरण का कार्य भी करता है।

निगम का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमे एक अध्यक्ष, निदेशक मण्डल और एक कार्यकारी समिति होती है। इसके निदेशक मण्डल मे वर्ष 1992–93 मे 11 सदस्य तथा कार्यकारी समिति मे 8 सदस्य थे। इसके अतिरिक्त सचिव भी होता है। निगम मे प्रबन्ध निदेशक के अधीन 9 कायेकारी निदेशक अपने–अपने कार्यक्षेत्र क्रमश वाणिज्य, आन्तरिक लेखा परीक्षक, वित्त, भण्डारण और बिक्री, इजीनियरिंग, यातायात, सर्तकता, सामान्य तथा कार्मिक सेवाओ मे अपना–अपना सहयोग प्रदान करते है। निगम का मुख्यालय नई दिल्ली मे है। निगम की कार्यव्यवस्था–5 आचलिक कार्यालयो, 19 क्षेत्रीय कार्यालयो 3 सयुक्त प्रबन्धक बन्दरगाह कार्यालयो, 3 उपक्षेत्रीय कार्यालयो तथा 160 जिला कार्यालयो के माध्यम से सम्पन्न होती है।

खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा–5 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूँजी 31 मार्च 1981 को केवल 45 करोड रुपये थी जो वर्तमान समय मे बढ कर 100 करोड रुपये हो गयी है। निगम की भारत सरकार द्वारा अभिदत्त पूँजी 31 मार्च 1972 को केवल 7637 94 लाख –रुपये थी जो मार्च–1981 मे बढ कर25044 85 लाख रुपये हो गयी। मार्च 1993 मे निगम की अभिदत्त पूँजी 95097 88 लाख रुपये तक पहुँच गयी।[26]

---

26 वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

(ब) उद्देश्य –भारतीय खाद्य निगम की स्थापना समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तुए या खाद्यान्नो को उचित मूल्यो पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी, जिससे कि व्यापारियो द्वारा उपभोक्ताओ का शोषण न किया जा सके। निगम को भारत सरकार की खाद्य नीति के मुख्य लक्ष्यो को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौपा गया है, ये लक्ष्य है–

– प्रभावी मूल्य समर्थन के द्वारा किसानो के हितो की रक्षा करना,

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओ के लिए राज-सहायता मूल्यो पर पूरे देश मे एक समान दर पर खाद्यान्नो का वितरण करना,

– राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालनात्मक और सुरक्षित भण्डार का सन्तोषजनक स्तर बनाये रखना।

खाद्यनीति के उपर्युक्त लक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के निम्न उद्देश्य वर्गीकृत किये जा सकते है–

1 किसानो से उनके उत्पादन आधिक्य को खरीदना – भारतीय खाद्य निगम का प्राथमिक उद्देश्य किसानो से उनका उत्पाद उचित मूल्य पर अथवा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना है। खरीद कार्य के सम्बन्ध मे निगम को इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाये। इस कार्य के लिए देश की समस्त सरकारी, सहकारी व स्वतन्त्र मण्डियो मे भारतीय खाद्य निगम के विभाग कार्यरत है।

2 उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराना – निगम का द्वितीय उद्देश्य देश के निर्धन तथा कमजोर उपभोक्ताओ को वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। उसके लिए वह अपने गोदामो मे एकत्रित खाद्यान्न भण्डार से उचित समय पर उचित मात्रा मे खाद्यान्नो का निर्गमन करता है जिससे कि वस्तुओ की कीमते असमान रूप से न बढने पाये। खाद्यान्नो का उचित मूल्य पर ही वितरण किया जाय इसके लिए सरकार कभी–कभी राज सहायता के रूप मे भण्डारण एव परिवहन लागत को समायोजित करने हेतु वित्त भी प्रदान करती है।

3 मूल्यो की विभिन्नता को समाप्त करना – भारतीय खाद्य निगम इस बात की भी सदैव चेष्ठा करता है कि सम्पूर्ण भारत मे एक वस्तु के मूल्य मे समानता रहे जिससे किसी भी राज्य के उपभोक्ता मे असन्तोष न पनपने पाये। इसके अतिरिक्त मौसमी या चक्रीय प्रभावो तथा प्राकृतिक आपदाओ की दशा मे भी एक राज्य से दूसरे राज्य मे खाद्यान्नो के मूल्यो मे विभिन्नता न आये। निगम का उद्देश्य यह रहता है कि मौसम, या विभिन्न राज्यो मे उत्पादन के स्तर पर जो विभिन्नताए उत्पन्न होती है उनको समाप्त करना जिससे कि सारे देश के मूल्यो मे समानता बनाये रखी जा सके।

4 पर्याप्त मात्रा मे सुरक्षित भण्डार बनाये रखना – भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य यह भी है कि वह देश के आन्तरिक उत्पादन के आधिक्य को खरीदकर तथा आधिक्य न होने की दशा मे देश की आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए वस्तुओ का आयात करके आवश्यक वस्तुओ का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार बनाये रखे जिससे कि प्राकृतिक विपत्तियो या दैवी-आपदाओ से उपभोक्ता व देश के नागरिको की रक्षा की जा सके तथा इसके साथ ही साथ कमजोर वर्ग के लोगो को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुए उपलब्ध करायी जा सके।

भारतीय खाद्य निगम अपने उपर्युक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाए सम्पादित करता है। निगम अपनी क्रियाओ के सम्पादन मे केन्द्र एव राज्य सरकार के अभिकरणो, सहकारी सस्थाओ एव कुछ ससाधनात्मक इकाईयो का सहयोग लेता है। यद्यपि निगम ने अपने स्वय के ससाधनो को विकसित करने का प्रयास किया है, परन्तु कमजोर और निर्धन उपभोक्ताओ की आधारभूत खाद्यान्न आवश्यकता की न्यूनतम व्यय पर पूर्ति का पुनीत कर्तव्य निभाने मे वह भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा निजी आयात–निर्यात अभिकरणो से भी कभी–कभी सहयोग प्राप्त करता है।

(स) कार्यात्मक प्रगति का मूल्याकन –

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य वस्तुओ के मूल्यो मे एकरूपता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाए करता है। उसकी समस्त क्रियाए द्विपक्षीय हितो पर निर्भर करती है।जहाँ वह एक ओर उपभोक्ता को कम मूल्य पर उचित मात्रा मे उचित समय पर वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, वही दूसरी ओर वह उत्पादको को भी उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने का वह सतत् प्रयास करता रहता है ताकि उत्पादको को अधिकतम उत्पादन की अभिप्रेरणा भी मिलती रहे। इसके लिए वह खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति, उसके ढुलाई की व्यवस्था, भण्डारण एवं रख–रखाव, वस्तुओं की गुणवत्ता पर नियन्त्रण एव उचित समय पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुओ की भण्डार से निकासी तथा बिक्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के साथ ही साथ वह उपभोक्ता जागरूकता जैसे, सामाजिक चेतना कार्यक्रम मे भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। निगम के प्रमुख कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है–

1 अधिप्राप्ति एवं खरीद – वर्तमान समय मे निगम केन्द्रीय पूल के लिए गेहूँ, धान, चावल और मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति का कार्य मुख्यत राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियो के सहयोग से करता है। धान, गेहूँ तथा मोटे अनाजो की आधिप्राप्ति मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की जाती है। चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारो द्वारा जारी लेवी आदेशो के अनुसार की जाती है। भारत सरकार ने पुन इस बात

को दोहराया है कि उचित एव औसत गुणवत्ता वाले व सभी अनाज जो कि उत्पादको द्वारा खरीद मूल्य पर बेचने के लिए प्रस्तुत किये जाये तो उन्हे पूर्णरूपेण खरीदा जाय। चावल धान एव मोटे अनाज के अधिपाप्ति की विधि का निधारण राज्य सरकारे स्थानीय परिस्थितियो को ध्यान मे रख कर करती है। मूल्य समर्थन नीति के अतिरिक्त अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकारे मिल मालिको एव व्यापारियो पर लेवी और उत्पादको पर श्रेणीकृत लेवी लगाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश मे धान और चावल की खरीद न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, बल्कि मिल मालिको और व्यापारियो पर लेवी लगाकर भी की जाती है। भारतीय खाद्य निगम धान एवं चावल की अधिप्राप्ति बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उडीसा से तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उडीसा से नही करता है। इन राज्यो मे सम्पूर्ण अधिप्राप्ति राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियो के माध्यम से की जाती है। अन्य राज्यो मे एक विस्तृत अधिप्राप्ति एजेन्सी के रूप मे भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार की खरीद एजेन्सियों के साथ-साथ खरीद कार्य सम्पन्न करता है।[27] गत वर्षो मे विभिन्न खाद्यान्नो की कुल मूल्यात्मक अधिप्राप्ति की स्थिति निम्नवत् है-

तालिका सख्या – 11

निगम द्वारा मूल्यात्मक अधिप्राप्ति की स्थिति

वर्ष	खरीद(लाख रुपयो मे)	वार्षिक वृद्धि/कमी (प्रतिशत मे)
1981-82	3,43,427 48	–
1983-84	4,20,389 96	11 73
1985-86	5,38,620 07	22 69
1987-88	4,88,867 75	(–) 14 79
1988-89	4,93,647 14	97
1989-90	6,71,212 64	39 97
1990-91	8,20,732 06	22 28
1991-92	7,63,586 97	(–) 6 96
1992-93	10,54,977 73	38 16

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन– भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली पृष्ठ सख्या-26

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के पिछले बारह वर्षो के इतिहास

27 वार्षिक प्रतिवेदन– भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

मे वर्ष 1987–88 एव वर्ष 1991–92 मे कुल अधिप्राप्ति मूल्य मे कमी ही आयी है। सबसे अधिक कमी वर्ष 1987-88 मे रही गा कि 14 79 प्रतिशत थी। यद्यपि उसके अगले वर्ष मे भी खरीद मे केवल 97 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पायी है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि उसके अगले वर्ष 1988–89 मे निगम ने अपनी कुल अधिप्राप्ति को गत वर्ष की तुलना मे सर्वाधिक 39 97 प्रतिशत की वृद्धि अकित करायी। लगभग इसी प्रकारका सम्बन्ध वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 की वार्षिक खरीद वृद्धि मे भी है। वर्ष 1991–92 की खरीद में 6 96 प्रतिशत की कमी आयी परन्तु वर्ष 1992–93 मे इसमे 38 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्मरणीय है कि खाद्यान्नो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे सरकार द्वारा उत्पादन लागतो मे वृद्धि को देखते हुए प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है यदि इस वृद्धि का कुल मूल्यात्मक खरीद की वार्षिक वृद्धि मे समायोजन किया जाय तो कुलमूल्यात्मक–खरीद वृद्धि काफी कम हो जायेगी। निम्न तालिका मे रबी की फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे हुई वार्षिक वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका सख्या –12

रबी–फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि

(मूल्य प्रति कुन्तल रु0 मे)

खाद्यान्न	1989–90	1990–91	वार्षिक वृद्धि	1993–94	1994–95	वार्षिक वृद्धि
गेहूँ	183	200	9 3%	350	360	2 9%
जौ	145	160	10 3%	275	285	3 6%
चना	325	370	13 8%	640	670	4 7%
सरसौ	460	510	10 9%	810	830	2 5%

स्रोत. 1 इण्डियन इकोनमी–अग्रवाल डी सी , साहित्य भवन, आगरा–1994, पृष्ठ संख्या–274

2 प्रतियोगिता दर्पण–जनवरी, 1995, उपकार प्रकाशन, बीमानगर, आगरा–2, पृष्ठ सख्या–868

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1990–91 मे 1989–90 की तुलना मे वार्षिक वृद्धि दर, वर्ष 1994–95 मे पूर्व वर्ष की तुलना मे वृद्धि दर से कम रही है। फिर भी समर्थन मूल्यो मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि निगम की कुल मूल्यात्मक खरीद की वृद्धि मे आनुपातिक प्रभाव डालती है। अत खाद्यान्नो के कुल अधिप्राप्ति का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत पॉच वर्षो मे खाद्यान्नों/वस्तुओ की कुल अधिप्राप्ति मात्रा को अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 13 मे दर्शाया गया है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त किये जाने वाले खाद्यान्नो का अलग–अलग विश्लेषण अधिक समीचीन होगा जो कि इस प्रकार है–

1 गेहूँ की खरीद – तालिका सख्या 13 में दर्शायी गयी गेहूँ की अधिप्राप्ति को सन्तोषजनक

तालिका सख्या –13

निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा

(दस लाख टनो में)

वर्ष	गेहूँ	चावल	चीनी
1988–89	8 72	7 64	1 20
1989 -90	8 58	11 05	1 44
1990–91	10 34	12 00	1 18
1991 -92	8 61	9 56	1 23
1992–93	9 58	11 73	1 26

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

नही कहा जा सकता, क्योंकि वर्ष 1990–91 की तुलना मे गेहूँ की अधिप्राप्ति 1991–92 मे 16 7 प्रतिशत कम हो गयी है। यद्यपि वर्ष 1992–93 मे इससे पूर्व के वर्ष की तुलना मे 9 7 लाख टन गेहूँ की खरीद मे वृद्धि हुई परन्तु फिर भी यह वर्ष 1990–91 की तुलना मे 7 6 लाख टन कम ही है। वर्ष 1990–91 मे 102 2 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी इसमे असम्बद्ध वैगनो से सम्बन्धित खरीद 1 2 लाख टन की थी। वर्ष 1990 -91 की शुद्ध गेहूँ की अधिप्राप्ति मे वर्ष 1989–90 की तुलना मे 17 6 लाख टन की वृद्धि हुई। कुल अधिप्राप्ति मे से भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 29 10 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। शेष मात्रा की खरीद राज्य सरकारो और उनकी एजेन्सियो द्वारा की गई। राज्य सरकारो/ एजेन्सियो द्वारा जो भण्डार खरीदें गये उसे भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न चरणो मे प्राप्त किये। निगम की वर्ष 1992–93 की खरीद मे वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत है। गेहूँ की राज्यवार खरीद की स्थिति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 14

राज्यवार गेहूँ की खरीद की स्थिति

(मात्रा टनो मे)

क्रम सख्या	राज्य	वर्ष 1990–91	वर्ष 1992–93
1	2	3	4
1	पजाब	62,58,955	47,40,014
2	हरियाणा	22,45,436	14,34,307
3	उत्तर प्रदेश	15,75,708	4,88,067
4	राजस्थान	1,34,929	22,291
5.	हिमाचल प्रदेश	1,065	–

1	2	3	4
6	मध्य प्रदेश	42	141
7	उडीसा	5	–
8	बिहार	–	57
9	पश्चिमी बगाल	–	26
	महायोग	102,16,140	66,84,903

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गेहूँ की खरीद मे सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य क्रमश पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश एव राजस्थान है। यद्यपि गेहूँ की अधिप्राप्ति मात्रा को बढाने के लिए सरकार ने वर्ष 1992–93 मे प्रोत्साहन स्वरूप बोनस की घोषणा की थी परन्तु फिर भी कुल अधिप्राप्ति कम रही। गेहूँ की अधिप्राप्ति मे कमी के कारण निम्नवत् है–

* गेहूँ का बाजार भाव, सरकार द्वारा निश्चित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य एव प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने वाले बोनस दोनो को मिलाकर भी अधिक था जिससे किसानो को खरीद केन्द्र पर गेहूँ बेचने से हानि हो रही थी।

* किसानो ने भण्डारो को रोक लिया जिससे खुले बाजार मे गेहूँ की आवक कम रही। इससे भी बाजार मूल्य ऊँचे बने रहे। इसके अतिरिक्त किसानो ने बाजार के बाहर भी अपने भण्डारोको बेचा।

* निजी व्यापारियो ने भी बडी मात्रा मे अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप सरकारी खरीद केन्द्रों पर गेहूँ कम पहुँचा ।

सम्भवत भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वर्ष मे उक्त कारणो को ध्यान मे रखते हुए ही खरीद–कार्यक्रम बनाया है। इसके परिणामस्वरूप निगम तथा सरकारी एजेन्सियो ने तेजी से गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य करते हुए 30 जून–1994 तक 118 37 लाख टन का स्तर प्राप्त कर लिया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अधिप्राप्त 127 52 लाख टन की मात्रा से थोडा सा कम है। कुल 124 34 लाख टन की बाजारआवक के 95 प्रतिशत भाग की अधिप्राप्ति की गयी, कुल अधिप्राप्ति मे भारतीय खाद्य निगम की हिस्सेदारी 25प्रतिशत रही।[28]

2 चावल की खरीद – चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारो द्वारा मिलो(चावल के उत्पादन) पर लेवी लगाकर की जाती है। लेवी का प्रतिशत अलग–अलग राज्यो मे अलग–अलग होता है तथा उसका निर्धारण, भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार लेवी का प्रतिशत

28 फूड कॉर्प–जुलाई–सितम्बर, 1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग होता है, उसी प्रकार लेवी भी अलग-अलग राज्यो मे अलग-अलग किस्मो के लिए भिन्न-भिन्न होती है। निम्नतालिका मे कुछ प्रमुख राज्यो मे चावल की अधिप्राप्ति का मूल्य दिखाया गया है-

तालिका सख्या 15

कुछ प्रमुख राज्यो मे चावल की अधिप्राप्ति का निर्धारित मूल्य

राज्य का नाम	वर्ष 1990-91			वर्ष 1992-93		
	कामन	फाइन	सुपरफाइन	कामन	फाइन	सुपरफाइन
1 पजाब	347 25	374 30	393 80	463 10	493 35	514 10
2 हरियाणा	347 25	374 55	394 10	463 45	494 00	514 45
3 उत्तर प्रदेश	327 65	342 75	365 90	441 30	456 50	482 35
4 आन्ध्र प्रदेश	330 70	345 90	369 25	454 15	469 90	485 65
5 मध्य प्रदेश	338 55	354 30	370 05	448 85	464 40	479 95
6 उडीसा	345 05	361 10	377 15	462 75	478 80	494 90
7 पश्चिमी बंगाल	323 15	341 55	356 70	433 80	453 33	468 50
8 कर्नाटक	322 20	337 15	352 10	432 45	447 45	462 40

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन- 1990-91 एव 1992-93, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चावल अधिप्राप्ति का सर्वाधिक मूल्य दोनों वर्षों मे सभी किस्मो हेतु हरियाणा राज्य के लिए तय किया गया है। द्वितीय स्थान पर पजाब तथा तृतीय स्थान पर उडीसा का निर्धारित मूल्य आता है। चतुर्थ स्थान वर्ष 1990-91 मे मध्य प्रदेश का तथा वर्ष 1992-93 में आन्ध्र प्रदेश का आता है। श्रेणीवार मूल्यो मे वर्षवार कोई विशेष अन्तर नही होता है। कामन फाइन और सुपरफाइन मूल्यो के बीच जो अन्तर अलग-अलग राज्यो का है, उस अन्तर को प्राय समान ही रखा जाता है। वास्तव मे इस मूल्य का निर्धारण अलग-अलग राज्यो की अलग-अलग जलवायु एव उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा जो तालिका सख्या 13 मे दर्शायी गयी है, मे चावल की खरीद-मात्रा भी बहुत सन्तोषजनक नही रही है। यद्यपि वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 मे 34 1 लाख टन की वृद्धि हुई जो 44 6 प्रतिशत रही, परन्तु अगले वर्ष अधिप्राप्ति में केवल 9 5 लाख टन ही नाम-मात्र की वृद्धि हुई। आगामी सभी वर्षो मे चावल की अधिप्राप्ति इससे कम ही रही। यद्यपि वर्ष 1992-93 में चावल की कुल अधिप्राप्ति पुन बढ़कर 117 3 लाख टन हो गयी। चावल की इस अधिप्राप्ति में कुछ प्रमुख राज्यो के योगदान को अग्रांकित तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका सख्या -16

चावल की अधिप्राप्ति मे कुछ प्रमुख राज्यो का योगदान

(मात्रा सौ टनो मे)

राज्य		वर्ष 1990-91		वर्ष 1992-93	
		खारीद	मिलिग के बाद प्राप्ति	खरीद	मिलिग के बाद प्राप्ति
1	पंजाब	27,410	17 614	38,961	10,365
2	आन्ध्र प्रदेश	34 211	123	30,462	22
3	उत्तर प्रदेश	13,226	9	11,768	-
4	हरियाणा	9,422	829	8,830	401
5	मध्य प्रदेश	5,589	1	6,234	-
6	उडीसा	2,552	-	3,509	-
7	कर्नाटक	1,574	-	1,093	-
8	पश्चिमी बगाल	1,132	-	1,751	-

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका अधिप्राप्ति के अवरोही कम मे व्यवस्थित है। गेहूँ की तरह चावल की अधिप्राप्ति में भी पंजाब का ही योगदान सर्वाधिक रहता है। यद्यपि सीधी खरीद मे आन्ध्र प्रदेश का सहयोग भी उल्लेखनीय है परन्तु मिलिग के बाद चावल की प्राप्ति मे पजाब का योगदान 90 प्रतिशत से अधिक ही रहता है। चावल की अधिप्राप्ति विभिन्न राज्यों मे विभिन्न वर्षो मे हुई उपज, खपत एव समर्थन मूल्य तथा निगम की भण्डारण आवश्यकता के अनुसार घटती-बढती रहती है। उपर्युक्त राज्यो के अतिरिक्त राजस्थान, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी अधिप्राप्ति मे सहयोग करते है, परन्तु इनका सहयोग महाराष्ट्र को छोड़कर 50,000 टन से कम ही रहता है। भारतीय खाद्य निगम की चावल- अधिप्राप्त की नवीनतम स्थिति का अवलोकन किया जाय तो खरीफ विपणन मौसम 1993-94 के दौरान चावल अधिप्राप्ति 140 87 लाख टन तक पहुँच गयी जो कि आज तक की सर्वाधिक मात्रा है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 129 27 लाख टन चावल की अधिप्राप्ति हुई थी।

3. धान की खरीद - निगम धान की अधिप्राप्ति भी मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ही करता है, परन्तु बड़ी मात्रा मे धान की अधिप्राप्ति से उसके भण्डारण एवं मिलिग मे कई समस्याए आती हैं। इसलिए धान की खरीद निगम द्वारा बडे पैमाने पर नही की जाती। चावल की तरह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न न होकर एक राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। परन्तु चावल की ही तरह धान का श्रेणीयन भी कामन, फाइन और सुपरफाइन तीन श्रेणियो मे विभाजित कर न्यूनतम

मूल्य की घोषणा की जाती है। निम्न तालिका मे गत वर्षों मे धान का घोषित समर्थन मूल्य तथा अधिप्राप्ति की मात्रा दर्शायी गई है–

तालिका सख्या 17

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एव अधिप्राप्ति मात्रा

वर्ष	मूल्यप्रति कुन्तल (रुपये मे)			मात्रा (दस हजार टनो मे)
	कामन	फाइन	सुपर फाइन	
1989-90	185	195	205	143
1990-91	205	215	225	339
1991-92	230	240	250	159
1992-93	270	280	290	163

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान के अधिप्राप्ति मूल्य मे श्रेणीवार 10 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अन्तर रखा जाता है । यही अन्तर पूर्ववर्ती वर्षो मे भी रहा है। धान के समर्थन मूल्यो मे वृद्धि बढती हुई दर से हो रही है। वर्ष 1990-91 मे समर्थन मूल्य 20रु0, वर्ष 1991-92 मे 25 रु0 तथा 1992-93 मे 40 रु0 प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि हुई। गेहूँ की तरह ही धान की अधिप्राप्ति मे भी केवल कुछ राज्यो का योगदान रहता है। पजाब, हरियाणा एव आन्ध्र प्रदेश ही मुख्य रूप से धान के अधिप्राप्ति मे प्रमुख सहयोग कर्ता राज्य है और इसमे भी पजाब का भाग 90 प्रतिशत से अधिक रहता है। यद्यपि आशिक योगदान, तमिलनाडु, असम, उडीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी रहता है।

4 चीनी की अधिप्राप्ति – भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के मूल्यो पर नियन्त्रण हेतु चीनी की अधिप्राप्ति चीनी मिलो पर लेवी लगाकर की जाती है। वर्तमान आदेशो के अनुसार चीनी मिले अपने कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत लेवी के रूप मे बेचने के लिए बाध्य होती हैं तथा 60 प्रतिशत चीनी उन्हे खुले बाजार में बेचने की लिए छूट दी जाती है। चीनी के उत्पादन को बढावा देने के लिए त्यौहारो के दौरान किये गये उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग खुले बाजार मे बेचने की छूट प्रदान की गयी है।[29] निगम पहले की तरह वर्तमान समय में भी 12 राज्यो तथा 3 केन्द्र शासित प्रदेशो मे चीनी के वितरण हेतु चीनी की अधिप्राप्ति करता है। किसानों की गन्ना उत्पादन मे रुचि को बढाने के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। राज्य सरकारे अपने-अपने राज्यो मे अलग-अलग न्यूनतम समर्थन मूल्यो की घोषणा करती हैं, परन्तु ये मूल्य केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकते। इसी प्रकार राज्य की चीनी मिले राज्य सरकार घोषित गन्ना मूल्य से कम पर किसानो को गन्ना बेचने के लिए

29 इकोनोमिक टाइम्स नई दिल्ली, 21 सितम्बर-1994

बाध्य नही कर सकतीं। उनके द्वारा सरकार द्वारा घोषित मूल्य से अधिक मूल्य दिया जा सकता है। निम्नतालिका मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की गत वर्षों के। खरीदी गयी मात्रा एवं चुकता मूल्य दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 18

निगम द्वारा अधिप्राप्त चीनी की मात्रा एव मूल्य

वर्ष	मात्रा (दस लाख टनो में)	मूल्य(करोड रुपये मे)
1989-90	1 44	832 80
1990–91	1 18	648 58
1991–92	1 23	717 21
1992–93	1 26	799 82

स्रोत, वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1990–91 मे वर्ष 1989–90 की तुलना मे कम खरीद की गई। पुन इसके बाद के वर्षो मे खरीद की मात्रा मे 50,000 टन तथा 30,000 टन की वृद्धि हुई। यही स्थिति कुल मूल्यात्मक अधिप्राप्ति मे भी है। वर्ष 1991–92 की खरीद की मात्रात्मक वृद्धि दर की तुलना यदि वर्ष 1990–91 की मात्रा से की जाय तो यह वृद्धि 4 24 प्रतिशत है, परन्तु यदि इन्ही अवधियो की खरीद की मूल्यात्मक तुलना करे तो मूल्यात्मक वृद्धि 10 58 प्रतिशत आती है। इसी प्रकार वर्ष 1992–93 मे 91–92 की तुलना मे मात्रा वृद्धि दर 2 44 प्रतिशत एव मूल्यात्मक वृद्धि दर 11.52 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मात्रात्मक वृद्धि की तुलना मे मूल्यात्मक वृद्धि की दर प्रत्येक वर्ष अधिक रहती है। इसका कारण खरीद मूल्य मे लगातार वृद्धि होते रहना है। निगम द्वारा की गयी चीनी की अधिप्राप्ति का क्षेत्रवार सहयोग निम्न तालिका मे अंकित किया गया है–

तालिका सख्या 19

चीनी की अधिप्राप्ति का राज्यवार विवरण

(मात्रा टनो मे)

राज्य	वर्ष 1990–91	वर्ष 1992–93
1	2	3
1 महाराष्ट्र	6,63,056	7,40,040
2 उत्तर प्रदेश	3,36,052	3,55,868
3. बिहार	1,47,165	1,13,225
4. उड़ीसा	6,894	11,642
5 तमिलनाडु	3,589	9,036

क्रमश

1		2	3
6	हरियाणा	4,337	3,265
7	असम	2,820	3,265
8	पश्चिमी बगाल	456	701
9	उत्तरी पूर्वी सीमान्त प्रदेश	2,429	–
10	असम्बद्ध वैगन	15,123	24 268
	महायोग	11,81,921	12,59,863

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का चीनी के कुल अधिप्राप्ति मे सर्वाधिक योगदान रहता है जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष 55 प्रतिशत से अधिक भाग की प्रतिपूर्ति करता है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है जो कुल अधिप्राप्ति का लगभग 28 प्रतिशत योगदान करता है। तृतीय स्थान बिहार का है जो वर्ष 1990-91 मे 12 5 प्रतिशत तथा 1992-93 मे 8 9 प्रतिशत का योगदान करता है। इस प्रकार ये तीनों राज्य कुल चीनी अधिप्राप्ति में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते है। वर्ष 1990-91 मे तो इन तीनो राज्यों का योगदान 95 प्रतिशत है।

5 मोटे अनाज एव अन्य अधिप्राप्तियाँ – भारतीय खाद्य निगम गेहूँ, चावल, धान तथा चीनी के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का एव चना तथा चना उत्पाद, दाले, जौ मूँगफली का गूदा, मैदा, पटसन तथा अन्य लघु उत्पाद जिसमे कुछ खाद्य उत्पाद तथा कुछ प्रक्रिया इकाइयो के लिए आवश्यक उत्पाद शामिल किये जाते है, की भी खरीद का कार्य करता है। मोटे अनाजो जैसे ज्वार, बाजरा तथा मक्का का उत्पादन हरित क्रान्ति से, और विशेष रूप से पिछले दशक मे कम हो गया है, अत निगम द्वारा इसकी खरीददारी भी कम हो गयी है। पिछले दशको मे इनकी खरीद मात्रा अधिक रहती थी। निम्न तालिका मे मोटे अनाज तथा अन्य उत्पादो की खरीदी गई मात्रा को दर्शाया गया है–

तालिका सख्या -20

मोटे अनाज एव अन्य उत्पादो की अधिप्राप्तियाँ

(मात्रा टनों मे)

क्रम सं	खाद्यान्न	प्रमुख राज्य	1980-81	1990-91	1992-93
1.	चना	राजस्थान एवं हरियाणा	24,565		–
2	दाले	उ0प्र0 तथा मध्य प्रदेश	19,547	206	–
3.	जौ	दिल्ली एव हरियाणा	6,627		–
4	ज्वार	आन्ध्र प्रदेश एव राज0	7,677	808	4292
5	मक्का	पूर्वोत्तर राज्य	119		
6	लघुउत्पाद	आ प्र एवं तमिलनाडु	62	6271	2303

तालिका सख्या 20 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम अब मैदा, बाजरा और मूँगफली का गूदा नही खरीदता है। तालिका मे दिखाये गये अन्य लघु उत्पाद मिलिग के बाद अधिप्राप्ति मे शामिल किये जाते है। निगम जहाँ वर्ष 1980-81 मे चना दाले और जौ की कुल खरीददारी 50 739 टन की करता था वर्ष 1990-91 मे यह मात्रा घट कर 206 टन ही रह गयी और वर्ष 1992-93 मे तो इन्हे बिल्कुल ही नही खरीदा गया। बाजरे की खरीददारी आन्ध्र प्रदेश मे वर्ष 1979-80 मे 56 84 टन की गयी थी परन्तु मोटे अनाजो मे अब उसका अलग प्रतिनिधित्व समाप्त हो चुका है। वर्ष 1980-81 की मोटे अनाजों की सयुक्त मात्रा 7,796 टन की तुलना मे वर्ष 1990-91 मे केवल 10 4 प्रतिशत तथा 1992-93 में केवल 55 1 प्रतिशत मात्रा का क्रय किया गया। अन्य लघु उत्पादो मे लगभग 5 राज्यो से अधिप्राप्ति की जाती है जिसका मात्रात्मक अवरोही क्रम इस प्रकार है- आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु, पजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश।

2 **बिक्री एव वितरण** – आम जनता के कल्याण कार्य मे जितना महत्व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्ति का है, उससे कही अधिक महत्व खाद्यान्नो का उचित समय पर, उचित मूल्य पर, उचित मात्रा मे, उचित व्यक्ति अथवा सस्था को उसकी बिक्री करना होता है। निगम द्वारा जो खाद्यान्न अधिप्राप्त किये जाते है और आवश्यकता पडने पर जो खाद्यान्न आयातित किये जाते है, उनकी बिक्री अथवा वितरण का कार्य भी सुव्यवस्थित ढग से किया जाता है। बिना सुव्यवस्थित बिक्री के खरीदी गयी मात्रा का औचित्य सिद्ध नही होता। अधिप्राप्ति अथवा आयातित मात्रा की बिक्री का कार्य निगम विभिन्न माध्यमो से सम्पन्न करता है। निगम के बिक्री तथा वितरण कार्य की स्थिति का विश्लेषण निम्न शीर्षको के अधीन सुविधा पूर्वक किया जा सकता है-

1 मदवार बिक्री –निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओ की, बिक्री को वर्षवार निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 21
निगम द्वारा की गयी मदवार बिक्री

(दस लाख टनो मे)

	मदें	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	गेहूँ	8 95	7 73	8 89	10 79	8 05
2	चावल	8 51	7 64	8 12	10 58	9 90
3	चीनी	1 29	1 30	1 23	1 25	1 21
4	उर्वरक	0 03	0 08	0 03	0 02	0 01
5	अन्य	0 01	0 01	0 01	0 01	–
	कुल मात्रा	18 79	16 76	18 28	22 65	19 17
	कुल मूल्य (लाख रु मे)	4752 35	4526 86	5492 24	7354 23	7487 19

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लगभग सभी खाद्यान्नो/वस्तुओ की बिक्री मात्रा मे, समय के साथ साथ उच्चावचन होता रहा है। वर्ष 1988-89 की गेहूँ की बिक्रीत मात्रा की तुलना यदि वर्ष 1992-93 की बिक्री से की जाय तो यह 5 वर्ष बाद 0 लाख टन कम ही हुई है जबकि वर्ष 1991-92 मे गेहूँ सबसे अधिक, लगभग 107 0 लाख टन बेचा गया। समीक्षात्मक 5 वर्षो मे सबसे कम गेहूँ की बिक्री 77 3 लाख टन वर्ष 1989-90 मे रही। वर्ष 1992-93 मे गेहूँ की आयातित एव देश अधिप्राप्ति दोनो की सर्वाधिक मात्रा 11 18 लाख टन महाराष्ट्र को बेची गयी जबकि दूसरा एव तीसरा स्थान राजस्थान एव पश्चिमी बगाल का रहा। इस विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश मे आता है कि जो राज्य गेहूँ की अधिप्राप्ति मे सहयोग नही करते या बहुत कम करते है, उनको गेहूँ की अधिक मात्रा आवाण्टित की जाती है साथ ही अधिक मात्रा उन्ही राज्यो को दी जाती है जहाँ गेहूँ की उपज कम होती है।

चावल की बिक्रीत मात्रा वर्ष 1988-89 की तुलना वर्ष 1992-93 मे 13 9 लाख टन बढी है परन्तु फिर भी यह मात्रा वर्ष 1991-92 से 6 8 लाख टन कम है। समीक्षात्मक वर्षों मे गेहूँ की तरह चावल की बिक्री भी वर्ष 1989-90 मे सबसे कम केवल 76 4 लाख टन ही है। वर्ष 1992-93 मे देशी अधिप्राप्ति से उपलब्ध चावल एव कुल चावल की सर्वाधिक बिक्री 18 92 लाख टन आन्ध्र प्रदेश को की गई। दूसरे स्थान पर केरल तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आन्ध्र प्रदेश चावल की अधिप्राप्ति मे सहयोग करने वाला दूसरा बडा राज्य है और उसको ही सर्वाधिक चावल की बिक्री भी की गयी है। आयातित चावल की सर्वाधिक मात्रा वर्ष 1992-93 मे कर्नाटक को 14,162 टन आवाण्टित की गयी है।

तालिका संख्या 21 में चीनी की बिक्री को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1988-89 तथा 89-90 की कुल बिक्रीत मात्रा मे कोई विशेष अन्तर नही है, परन्तु बाद के तीनो वर्षों मे बेची गयी चीनी की मात्राएं पहले वर्षों की तुलना मे कम है। वर्ष 1992-93 मे चीनी की मात्रा तो समीक्षात्मक पाँचो वर्षों मे सबसे कम केवल 12 1 लाख टन है। वर्ष 1992-93 मे सर्वाधिक देशी चीनी का आवण्टन बिहार, पश्चिमी बगाल और उडीसा को किया गया जो क्रमश 4 29, 3 04 और 1 60 लाख टन था। सर्वाधिक आयातित चीनी का आवण्टन 1,224 टन मध्य प्रदेश को किया गया जो कि कुल आयातित चीनी का 53 प्रतिशत था। जबकि मध्य प्रदेश से चीनी की कोई अधिप्राप्ति नही होती।

भारतीय खाद्य निगम नियत प्रासंगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत यूरिया(46 प्रतिशत नाइट्रोजन) तथा डी ए पी उर्वरक की बिक्री भी करता है। वर्ष 1989-90 मे वर्ष 92-93 की तुलना मे 8 गुनी उर्वरकों की बिक्री की गयी। अन्य वस्तुओ मे मैदा, चना, चना उत्पाद, मूँगफली का गूदा जो

ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य खाद्य उत्पाद आते है जिनकी बिक्री/वितरण निगम सम्पन्न करता है परन्तु इसकी मात्रा नगण्य ही है। वर्ष 1992-93 मे तो अन्य किसी भी वस्तु की बिकी निगम द्वारा नही की गयी।

खाद्यान्नो की राज्यवार बिक्री - निगम खाद्यान्नो को उन राज्यो से अधिप्राप्त करता है जहाँ कि वे कम लागत मे अधिक मात्रा मे उत्पादित किये जाते है तथा उन राज्यो मे उनकी बिक्री करता है, जहाँ वे या तो अपनी पाकृतिक विविधता के कारण उत्पादित ही नही किये जा सकते, अथवा उनके उत्पादन की लागत अधिक आती है। निगम विभिन्न खाद्यान्नो की बिक्री व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्र को 24 क्षेत्रों मे बॉटकर सुनिश्चित करता है। यद्यपि यह क्षेत्रीय विभाजन अधिकाश मामलो मे राज्य की सीमाओ से ही निर्देशित होता है, परन्तु कुछ बन्दरगाहो को अलग क्षेत्र बनाया गया है तथा कुछ छोटे पूर्वोत्तर राज्यो को एक ही क्षेत्र मे मिला दिया गया है। समस्त खाद्यान्नो जिसमे गेहूँ, चावल, धान, चीनी, दाले, मोटे अनाज तथा अन्य लघु उत्पाद आते है, की वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 मे की गयी राज्यवार बिक्री को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 22

खाद्यान्नो का राज्यवार वितरण

(मात्रा सौ टनो मे)

क्रम सं	राज्य	वर्ष 1990-91	वर्ष 1992-93
1	महाराष्ट्र	1,983	1,908
2	पश्चिमी बंगाल	1,886	1,576
3	केरल	1,853	2,086
4	आन्ध्र प्रदेश	1,677	2,039
5	तमिलनाडु	1,220	1 044
6	गुजरात	1,046	943
7	दिल्ली	1,018	1,028
8	कर्नाटक	996	1,080
9	बिहार	974	1,214
10	उत्तर प्रदेश	907	949
	अन्य	4,694	5,293
	योग	18,254	19,160

स्रोत- वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 मे खाद्यान्नो की बिक्री मे प्रथम, द्वितीय एव तृतीय स्थान रखने वाले राज्य क्रमश महाराष्ट्र, पश्चिमी बगाल और केरल रहे जबकि वर्ष 1992-93 मे

सर्वाधिक खाद्यान्नो की बिक्री करने वाले राज्य क्रमश केरल आन्ध्र प्रदेश एव महाराष्ट्र है। इस प्रकार वर्ष 1990-91 मे केरल तीसरे और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था जबकि वर्ष 1992-93 मे केरल प्रथम एव महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। स्पष्ट है कि खाद्यान्नो की बिक्री राज्यो की आवश्यकतानुसार घटती -बढ़ती रहती है। खाद्यान्नो की कुल बिक्री वर्ष 1990-91 की तुलना मे वर्ष 1992-93 मे 906 सौ टन अधिक रही। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि दिल्ली को बेची गयी मात्रा मे इन दो वर्षो के अन्तराल मे सबसे कम उच्चावचन केवल 1000 टन खाद्यान्नो को वृद्धि के रूप मे रहा।

3 खाद्यान्नो की माध्यमवार बिक्री – भारतीय खाद्य निगम जिन वस्तुओ का विक्रय अथवा वितरण करता है वे विभिन्न माध्यमो से उपभोक्ता तक पहुँचती है। निगम की माध्यमवार/योजनावार बिक्री निम्न प्रकार है-

3 1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली – निगम इसके माध्यम से अपनी अधिकाश बिक्री सम्पन्न करता है। विभिन्न राज्य सरकारो और सघ शासितो प्रदेशो को खाद्यान्न का मासिक आवण्टन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ताकि वे पूरे राज्य मे उचित दर की दुकानो के माध्यम से उसका वितरण कर सकें। वर्ष 1992 से पूर्व पश्चिमी बगाल के कुछ जिलो तथा केरल मे भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप मे वितरण कार्य कर रहा थी। 1 अगस्त 1992 से पश्चिमी बगाल मे खुदरा वितरण का कार्य राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया गया।[30] निगम सम्पूर्ण देश मे फैले अपने भण्डारण केन्द्रो मे परिचालन, सभाल और भण्डारण कार्यो के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाइयो और समस्याओ के बावजूद प्रत्येक राज्य मे खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार बनाये रखता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रो के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित दूर-दराज के क्षेत्रो, भीतरी इलाको और जम्मू कश्मीर के उपद्रव ग्रस्त इलाको के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो मे पर्याप्त भण्डार उपलब्ध कराकर नियमित पूर्ति सुनिश्चित करता है। विगत वर्षो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् जारी किये गये खाद्यान्नो की मात्रा को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 23
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी खाद्यान्नो की मात्रा

(दस लाख टनो मे)

खाद्यान्न/वस्तु	वर्ष 1990-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92-93
1 गेहूँ	6 28	8 13	6 08
2 चावल	6 65	8 82	7 51
3 चीनी	1 19	1 25	1 21

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समीक्षात्मक तीनो वर्षो मे 1991-92 मे गेहूँ, चावल तथा

30 वार्षिक प्रतिवेदन-1992-93, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-20

चीनी तीनो वस्तुओ की जारी की गयी मात्राए सर्वाधिक है। यद्यपि चावल एव चीनी की मात्रा वर्ष 1990-91 की तुलना मे 1992-93 मे क्रमश 12 9 तथा 1 7 प्रतिशत बढी है। ये मात्राए अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न मूल्यो पर जारी की जाती है। निम्न तालिका मे वर्ष 1992-93 मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु निर्गमित केन्द्रीय निर्गम मूल्य दशार्ये गये है-

तालिका सख्या 24

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति कुन्तल)

क्रम स	निर्गम अवधि	गेहूँ	चावल कामन	चावल फाइन	चावल सुपर फाइन	चीनी
1	दि 25 3 88 से 30 4 90	204	-	-	-	-
2	दि 1 5 90 से 27 12 91	234	-	-	-	-
3	दि 25 1 89 से 24 6 90	-	244	304	325	-
4	दि 25 6 90 से 27 12 91	-	289	349	370	-
5	दि 28 12 91से 10 1 93	280	377	437	458	-
6	दि 11 1 93 के बाद	330	437	497	518	-
7	दि 22 1 92 से 16 2 93	-	-	-	-	690
8	दि 17 2 93 के बाद	-	-	-	-	830

स्रोत. वार्षिक प्रतिवदेन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले गेहूँ और चावल के मूल्यो मे परिवर्तन अलग-अलग तिथियो को किया जाता था, परन्तु अब दोनो खाद्यान्नो के मूल्यो मे परिवर्तन एक साथ ही किया जाता है। केन्द्रीय निर्गम मूल्यो मे परिवर्तन खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति लागत ढुलाई, भण्डारण तथा खाद्यान्नो के खुले बाजार मे मूल्य को ध्यान मे रखकर किया जाता है। इन लागतो मे से खाद्यान्नो पर सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को हटाया जाता है। 27 दिसम्बर 1990 से पूर्व मूल्यो मे जो सशोधन हुए उसमे गेहूँ के मूल्य मे 30 रुपये पति कुन्तल तथा चावल के सभी किस्मो मे 45 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि की गयी। इसी प्रकार दिनाँक 11 1 93 से गेहूँ के निर्गम मूल्यो मे 50 रुपये तथा चावल के तीनो किस्मो के मूल्य मे 60 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि की गयी। चावल के विभिन्न किस्मों में मूल्य परिवर्तन की दर समान ही रखी गयी है। चीनी के मूल्यो मे एक वर्ष के अन्तराल मे 140 रुपये प्रति कुन्तल की तुलनात्मक रूप मे सर्वाधिक वृद्धि की गयी।

3 2 समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री – दिसम्बर-1985 से शुरू की गयी इस योजना के अन्तर्गत समन्वित जनजातीय विकास परियोजना

(आई टी डी पी)के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो और जनजाति बहुल राज्यो मे लोगो को खाद्यान्न विशेष जनजातीय परियोजना वाले सभी राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो जैसे - नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा असम के करबी अगलौग और उत्तरी कछार के पहाडी जिलो को लाभ मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही विभिन्न राज्यो/ केन्द्र शासित प्रदेशो को गेहूँ और चावल की आपूर्ति विशेष रियायती दरो पर की जाती है।[31]

ये जनजातीय क्षेत्र प्रधानमन्त्री द्वारा आरम्भ की गयी नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आते है। इस प्रणाली का उददेश्य न केवल इन इलाको के निर्धन लोगो को, बल्कि सूखा ग्रस्त व रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रो मे रहने वाले गरीब लोगो तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुँचाना है। नई वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 1700 चुने हुए क्षेत्रो/ खण्डो मे वितरण के लिए 1 जून–1992 से खाद्यान्नो को विशेष केन्द्र समर्थित दरो पर जारी किया जाता है। नीचे दी गई तालिका मे गत वर्षों मे समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विशेष अनुदान प्राप्त निर्गम मूल्य दिये जा रहे है–

तालिका सख्या 25

आई टी डी पी /नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विशेष सहायतित निर्गम मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति कुन्तल)

क्र सं	निर्गम अवधि	गेहूँ	चावल कामन	चावल फाइन	चावल सुपर फाइन
1	दि 26 6 89 से 30 4 90	154	–	–	–
2	दि 1 5 90 से 27 12 91	184	–	–	–
3	दि 25 1 89 से 24 6 90	–	194	254	275
4	दि. 25 6 90 से 27 12 91	–	239	299	320
5	दि 28 12 91 से 10 1 93	230	327	387	408
6	दि. 11 1 93 के बाद	280	387	447	468

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि समन्वित आदिवासी परियोजना के लिए निर्गम मूल्य के निर्धारण एव परिवर्तन मे उसी नीति का अनुसरण किया जाता है जिसका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य मे, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत की जाने वाली बिक्री के मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन की जाने वाली बिक्री के मूल्य से इसलिए कम होते है क्योकि केन्द्र सरकार इस पर विशेष राज– सहायता प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत किये

31 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–439

जाने जाते गेहूँ ा। चावल की सभी किस्मो के बिक्री मूल्य मे 50 रुपये प्रति कुन्तल की दर मे विशेष रियायत दी जाती है। आई टी डी पी के लिए विशेष सहायतित निर्गम मूल्य मे 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकारो को यातायात और वितरण की लागत पूरी करने के लिए कीमत मे जोडने के लिए दिये जाते है। इस प्रकार 11 जनवरी 1993 से गेहूँ रुपये 2 80+ 25= 3 05 प्रति किलोग्राम तथा सामान्य किस्म का चावल रुपये 3 87 । 25 = 4 12 प्रति किलोग्राम की दर से रियायती कीमत पर आदिवासी क्षेत्रो मे निवास करने वाले आदिवासियो को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत की गई बिक्री को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 26

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत बिक्री

(दस लाख टनो मे)

खाद्यान्न	वर्ष 1990–91	1991-92	1992–93
गेहूँ	0 81	0 83	1 53
चावल	1 24	1 36	1 97

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत वितरण की जाने वाली मात्राए लगातार बढ़ रही है। अभी तो यह वितरण योजना देश के केवल 1700 ब्लाको मे चल रही है, परन्तु हमारे प्रधानमन्त्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1994 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इस नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 200 और ब्लाको मे लागू करने की घोषणा की है। इस नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सचालन नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो व सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय कर रहा है और खाद्य मन्त्रालय इसके परिचालन पर नजर रखता है।

3 3 <u>पोषाहार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिक्री –</u> हाल के वर्षो मे सरकार के विभिन्न विभागो ने पौष्टिक आहार के बारे मे कुछ ऐसे तथ्यो का पता लगाया है जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध लोगो के पौष्टिक आहार के स्तर से है और खाद्य विभाग के पौष्टिक आहार कार्यक्रमो का सम्बन्ध इसमे सुधार लाने से। इसके लिए ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रो मे पोषाहार के बारे मे जानकारी देने के लिए 34 चलती–फिरती भोजन और पोषाहार प्रसार इकाईयाँ गठित की गई है। मन्त्रालय ने कम खर्च वाले तैयार पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे–विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ इत्यादि को विकसित और उत्पादित करने की कार्य योजनाये शुरू की है, जिनका प्रयोग भोजन देने के लिए कार्यक्रमो और साधनहीन वर्ग के लोगो की पोषाहार जरूरतो को पूरा करने मे किया जाता है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यो पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने 28 अप्रैल 1989 से ग्रामीण [illegible] नयी रोजगार योजना " जवाहर रोजगार योजना" के नाम से शुरू की है जिसे देश के सभी जिलो मे लागू किया गया है।इस योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व पचायतो को दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो विशेष रूप से स्त्रियो तथा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के कामगारो को उनकी मजदूरी के बदले सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरित किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्नो का मूल्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य के बराबर होता है ।वर्ष 1992-93 के लिए इस योजनान्तर्गत 2,556 करोड रुपये आबटित कराकर 77 83 करोड श्रमदिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया।[32] जिसमे श्रमिको को मुद्रा अथवा सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरण के रूप मे मजदूरी का भुगतान किया गया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन दोनों योजनाओ के अधीन की गयीं बिक्री की मात्रा को निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है -

तालिका सख्या -27

पोषाहार कार्यक्रम एव जवाहर रोजगार योजना के अधीन बिक्री

(मात्रा 10 लाख टनो मे)

योजना /खाद्यान्न	वर्ष 1990-91	1992-93
पोषाहार कार्यक्रम-		
1 गेहूँ	0 04	0 55
2 चावल	शून्य	शून्य
जवाहर रोजगार योजना-		
1 गेहूँ	नगण्य	1 73
2 चावल	0 03	1 47
योग	0 07	3 75

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पोषाहार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना दोनो के अधीन निगम ने अपनी बिक्री एक वर्ष के अन्तराल मे अलग-अलग क्रमश 13 एव 106 गुना बढा दी है।

3 4 खुली तथा सविदा बिक्री - भारतीय खाद्य निगम गेहूँ एव चावल के भण्डार की सुविधाजनक स्थिति एव पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कभी-कभी खुली बिक्री का कार्य भी करता है। जैसे वर्ष- 1990 के आखिरी तिमाही मे गेहूँ की सविदा बिक्री की गयी। मूल्यो मे स्फीति की प्रवृत्ति को

32 भारतीय अर्थशास्त्र- मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1995, पृष्ठ संख्या -39

रोकने के लिए देश भर में गेहूँ फ्लोर मिलो तथा उत्पादको व्यापारियो आदि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यो पर खुली बिक्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बिक्री की जाती है। यदि खाद्यान्नो की खुली बिक्री का तुलनात्मक अवलोकन किया जाय तो जून 1991 से मार्च 1993 के दौरान निगम ने खुली बिक्री के माध्यम से 4 06 लाख टन गेहूँ एवं 0 18 लाख टन चावल की बिक्री की। वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान गेहूँ, चावल दोनो के खुला बाजार मूल्यो पर नियन्त्रण रखने के लिए उपाय स्वरूप भारतीय खाद्य निगम ने खुली बिक्री की योजना के अन्तर्गत गेहूँ और चावल की कुल 27 लाख टन मात्रा की बिक्री की।[33]

गेहूँ और चावल की कीमतो के अतिरिक्त खुले बाजार मे चीनी की कीमतो का उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार हेतु चीनी की मात्रा भी जारी करता है। उपभोक्ताओ को उचित दर पर चीनी प्राप्त हो सके इसके लिए खुली बिक्री और लेवी चीनी का कोटा बढाया जाता रहता है। इन्ही उपायो के अन्तर्गत खुली बिक्री और लेवी चीनी की मात्रा अगस्त 1991 से मार्च 1993 तक के लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशो हेतु 5 प्रतिशत की दर से बढायी गयी। इसके अलावा राज्यो ओर केन्द्रशासित प्रदेशो को 1992 मे उनके आवण्टन के अनुपात मे एक लाख टन अतिरिक्त लेवी चीनी दी गयी।

3 5 <u>सुरक्षा विभाग को बिक्री</u> – भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा जारी आवण्टन आदेशो के अनुसार सुरक्षा विभाग को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य पर खाद्यान्नो का वितरण करता है। सुरक्षा विभाग मे कार्यरत् व्यक्तियो को भी दूर–दराज के इलाको मे रह कर अपनी सेवाए प्रदान करनी होती है। अत उन्हे भी निगम द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है इसमे सुरक्षा सेवाओ, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को यह सुविधा प्रदान की जाती है। इन सेवाओ मे निगम ने वर्ष 1990-91 मे 0 23 लाख टन खाद्यान्न(गेहूँ 0 09 लाख टन और चावल 0 14 लाख टन) जारी किया। वर्ष 1992-93 मे इस विभाग हेतु कुल 3 25 लाख टन खाद्यान्न जिसमे 1 24 लाख टन गेहूँ और 2 01 लाख टन चावल का आवण्टन किया गया।

3 6 <u>प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत बिक्री</u> - इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से यूरिया तथा डी ए पी एव कुछ अन्य उर्वरको की बिक्री की जाती है। यह बिकी वास्तविक प्रासगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति याजना एवं नियत प्रासगिक खर्चा की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 1990-91 मे इन दोनो योजनाओ के अन्तर्गत कुल 26,940 टन उर्वरक तथा 1992-93 मे 13,143

---

33 फूड फोर्प- जुलाई–सितम्बर–1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-04

टन उर्वरक का विक्रय किया गया। वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 तथा 92-93 मे कमश 12 98, 3 61, 3 80 एव 2 96 करोड रुपये के मूल्य के उर्वरको की बिक्री की गयी। वर्ष 1992-93 मे सर्वाधिक उर्वरक डी ए पी 6256 टन बेची गयी। यद्यपि वर्तमान समय मे भारतीय खाद्य निगम इस योजना के अन्तर्गत देश के 15 क्षेत्रो मे बिक्री का कार्य कर रहा है परन्तु पजाब, उत्तर पदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र मे ही इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक मात्रा मे बिक्री की जाती है।

3 7 वितरण की नवीनतम स्थिति – जून, 1994 को समाप्त तिमाही के दौरान खुले बाजार मे खाद्यान्नो की सहज उपलब्धता को बनाये रखने के परिणामस्वरूप सभी योजनाओ के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नो का उठान नीचा रहा। फिर भी भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर-पूर्वी अचल तथा जम्मू और कश्मीर मे विभागो में वृद्धि करने के प्रयास मे कोई शिथिलता नही बरती। अप्रैल से जून-1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुली बिक्री के अन्तर्गत खाद्यान्नो का कुल उठान 32 92 लाख टन था। इसमे खुली बिक्री के लिए 4 06 लाख टन गेहूँ के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् जारी 10 14 लाख टन गेहूँ शामिल है। 1 जून 1994 से रबी फसल की शुरुआत तथा नये गेहूँ के भण्डार की आवक के कारण खाद्यान्नो का उठान नीचा रहा।[34]

3 आयात निर्यात – आज विश्व के लगभग सभी देशो के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध है। 7 500 से भी अधिक वस्तुए लगभग 190 देशो को निर्यात की जाती है और 6000 से अधिक वस्तुए 140 देशो से आयात की जाती है।[35] भारतीय खाद्य निगम अपने द्विपक्षीय उद्देश्यो को पूरा करने के लिए खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति एव बिक्री के साथ-साथ उनके आयात-निर्यात का कार्य भी करता है। यदि खाद्यान्नो की देशी अधिप्राप्ति से खाद्यान्नो की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा नही हो पाती तो उसे माँग एवं पूर्ति मे सन्तुलन बनाये रखने के लिए, खुले बाजार मे खाद्यान्नो की कीमतो को नियन्त्रित करने के लिए तथा निगम की विभिन्न बिक्री योजनाओ के अधीन खाद्यान्नो की उचित मात्रा जारी करने के लिए खाद्यान्नो का आयात करना पडता है। इसी प्रकार यदि देश मे इनका उचित भण्डार सुविधाजनक स्थिति मे है और इनकी पर्याप्त उपलब्धता बने रहने की पूरी सम्भावना है तो विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु तथा उत्पादकों मे उत्पादन की अभिप्रेरणा बनाये रखने हेतु, विदेशी सहायता कार्यक्रम के रूप मे अथवा अन्य उद्देश्यो से खाद्यान्नो के निर्यात का कार्य भी भारतीय खाद्य निगम सम्पन्न करता है।

1 आयात – वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन अधिप्राप्ति के स्तर मे गिरावट आने तथा

---

34 फूड कोर्प जुलाई सितम्बर, 1991, भारतीय खाद्य निगम बाराखम्बा लेन नई दिल्ली

35 भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-541

अपने चावल भण्डारण की स्थिति को देखते हुए निगम ने कुल 5 23 लाख टन चावल का आयात किया। इस आयात मे 1 04 लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4 19 लाख टन वियतनाम से आयातित किया गया। वर्ष 1990–91 के दौरान किसी खाद्यान्न का आयात नही किया गया क्योकि खाद्यान्नो के भण्डारण की स्थिति सन्तोषजनक थी। केवल ऋण की अदायगी के रूप मे वियतनाम से 0 045 मिलियन टन चावल प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 1980 मे वियतनाम सरकार ने लिया था। वर्ष 1992–93 के दौरान भी उत्पादन अधिप्राप्ति मे कमी के कारण भारत सरकार ने 29 90 लाख टन गेहूँ के आयात के लिए आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के साथ अनुबन्ध किया। इसी प्रकार 2 15 लाख टन चावल के आयात के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया गया। गेहूँ–चावल दोनो का आयात माँग और पूर्ति के सन्तुलन को ठीक करने, खुले बाजार मे मूल्यो को नियन्त्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नो की आपूर्ति को बनाये रखने के लिए किये गये। इन अनुबन्धो के अधीन जो खाद्यान्न 31 मार्च, 1993 तक बन्दरगाहो पर पहुँच गये थे उनकी मात्रा को निम्न तालिका मे प्रदर्शित किया गया है–

तालिका सख्या 28

वर्ष 1992–93 मे आयातित खाद्यान्नो की 31 मार्च–93 तक प्राप्त मात्रा

–(लाख टनो मे)

क्र स	निर्यातक देश		खाद्यान्न	प्राप्त मात्रा
1	कनाडा		गेहूँ	10 27
2	आस्ट्रेलिया		गेहूँ	8 74
3	अमेरिका		गेहूँ	6 88
		योग		25 89
4	वियतनाम(वाणिज्यिक खरीद)		चावल	0 72
5	वियतनाम(वियतनाम सरकार द्वारा ऋण अदायगी पर देय ब्याज)		चावल	0 28
		योग		1 00

<u>स्रोत</u> वार्षिक प्रतिवेदन–1993, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–24

इस प्रकार से स्पष्ट है कि 31 मार्च, 1993 तक गेहूँ की मात्रा 4 01 लाख टन तथा चावल 1 15 लाख टन प्राप्त नही हो पाया था।

वर्ष 1990–91 तथा 1992–93 मे खाद्य निगम द्वारा चीनी का आयात नही किया गया, परन्तु 1993–94 मे चीनी की खपत एव लेवी चीनी की अधिप्राप्ति की कमी को देखते हुए 13 मई, 1994 को मन्त्रिमण्डलीय सचिवो की बैठक मे खाद्य सचिव को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी

आयात करने का निर्देश मिला था जिसके अन्तर्गत निगम ने 16 मई 1994 को 700 करोड रुपये के चीनी के आयात हेतु निविदा जारी की थी परन्तु 19 मई को अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने से कुछ ही घण्टे पहले खाद्य मन्त्री द्वारा इस निविदा को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योकि वर्ष 1989 मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात की गयी चीनी के तथाकथित घोटाले की जॉच हेतु नियुक्त लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन मे सिफारिश की थी कि भारतीय खाद्य निगम एव खाद्य मन्त्रालय चीनी का आयात न करे। यह कार्य भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम का है। अत वर्ष 1994 मे चीनी की कमी के बावजूद निगम द्वारा चीनी का आयात नही किया गया।[36]

2 निर्यात - वर्ष 1989-90 मे भारतीय खाद्य निगम ने अपने गेहूँ के भण्डारण की उचित स्थिति को देखते हुए 12000 टन गेहूँ का निर्यात वियतनाम को किया। इसी प्रकार वर्ष 1990-91 के दौरान निगम ने सोवियत संघ को उपहार के रूप मे 10,000 टन चावल का निर्यात भी किया। इसके अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूँ बोरो मे भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम को निर्यात हेतु दिया जाना था जिसकी सुपुर्दगी उन्हे की गयी। इसी वर्ष मे 575 टन खाद्य सामग्री जिसमे 383 टन चावल तथा 36 टन आयातित चीनी शामिल थी, जिसका मूल्य 56 56 लाख रुपये था राहत सामग्री के रूप मे जोर्डन को निर्यात की गयी। निगम द्वारा वर्ष 1991-92 मे एव 92-93 मे निर्यात किये गये खाद्यान्नों की मात्रा को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 29

निगम द्वारा खाद्यान्नो के निर्यात की स्थिति

(लाख टनो मे)

वर्ष	खाद्यान्न	उपहार/सहायता	वाणिज्यिक	कुल
1991-92	गेहूँ	-	7 26	7 26
	चावल	0 17	0 31	0 48
1992-93	गेहूँ	-	0 12	0 12
(31दिसम्बर, 92 तक)	चावल	0 03	0 19	0 22

स्रोत भारत-1993, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-439

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991-92 मे कुल 7 74 लाख टन खाद्यान्न तथा 1992 93 मे 0 33 लाख टन खाद्यान्न दिसम्बर, 1992 तक निर्यात किया गया था। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम अपने भण्डारण एंव देश की खाद्यान्न स्थिति को देखते हुए खाद्यान्नो के निर्यात करने

36 इण्डिया टुडे-30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49

अथवा न करने का निर्णय लेता है। वर्ष 1992-93 मे विभिन्न देशो को किये गये निर्यात का विवरण निम्नवत् है-

* पडोसी देशो के साथ मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए निगम ने नेपाल को गेहूँ के निर्यात का अनुबन्ध किया। यह अनुबन्ध खाद्य मन्त्रालय की ओर से 'नेपाल फूड कारपोरेशन के साथ रुपये 2800 प्रति टन की दर से 10 000 टन गेहूँ की बिक्री के लिए किया गया। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत नेपाल फूड कारपोरेशन मे गेहूँ की 10,714 टन मात्रा की सुपुर्दगी प्राप्त की। इस अनुबन्ध मे पिछले अनुबन्ध की बकाया मात्रा 930 टन भी शामिल है।

* वर्ष के दौरान नेपाल फूड कारपोरेशन को रुपये 5840 प्रति टन की दर से सुपर फाइन चावल की 12,969 टन मात्रा की भी बिक्री की गयी।

* समीक्षात्मक वर्ष मे क्यूबा को चावल का निर्यात किया गया। यह निर्यात अस्थगित भुगतान के आधार पर किया गया। इसमे 10,068 टन सुपरफाइन चावल भेजा गया।

* इस वर्ष मे निगम ने सोवियत सघ को भी चावल को निर्यात किया। यह निर्यात भारत सरकार की ओर से राहत सहायता के रूप मे किया गया। इस निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को सुपरफाइन चावल की 3000 टन की मात्रा सुपुर्द की गयी।

* विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से उपहार के रूप मे प्राप्त 20,266 टन गेहूँ की सभाल का काम भी निगम ने किया।

इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो के आयात-निर्यात मे भारत सरकार की ओर से स्वय भाग लेकर इस कार्य को सम्पादित करने के साथ ही साथ वह राजकीय व्यापार मे सलग्न अन्य इकाइयो/ एजेन्सियों का सहयोग भी करता है।

4 <u>भण्डार और भण्डारण</u> – भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो के सुरक्षित भण्डार को बनाये रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह खाद्यान्न उत्पादन के समय खाद्यान्नो की खरीद कर उसे अपने भण्डार में सुरक्षित रखता है तथा आवश्यकता पडने पर समय-समय पर उसे उपभोक्ताओ के लिए विभिन्न योजनाओ के अधीन भण्डार गृहो से विभिन्न राज्य सरकारों को निर्गत करता है। वह खाद्यान्नो के समय उपयोगिता मे वृद्धि का कार्य निम्न प्रकार से करता है–

1 <u>न्यूनतम भण्डार की सीमा को बनाये रखने मे सहयोग</u> – भारत सरकार ने अपनी खाद्य नीति के तहत् खाद्यान्नो के एक निश्चित न्यूनतम भण्डार की सीमा वर्ष के विभिन्न तिथियो के लिए निर्धारित की है। इस न्यूनतम भण्डार सीमा को अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है–

तालिका सख्या 30

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भण्डार सीमा

(लाख टनो मे)

तिथि	गेहूँ	चावल	योग
1 अप्रैल	3 7	10 8	14 5
1 जुलाई	13 1	9 2	22 3
1 अक्तूबर	10 6	6 0	16 6
1 जनवरी	7 7	7 7	15 4

स्रोत भारत -1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-438

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्नो को न्यूनतम भण्डार एक सुविचारित नीति के तहत किया गया है। 1अप्रैल को गेहूँ का न्यूनतम भण्डार 3 7 लाख टन निर्धारित है। जो कि अन्य सभी सीमाओ मे भी न्यूनतम है, को इसलिए न्यूनतम रखा गया है कि क्योंकि मई मे गेहूँ की नयी फसल आ जाती है।इसी पकार चावल की न्यूनतम भण्डारण सीमा 1 अक्टूबर को न्यूनतम रखी गयी हैं क्योकि नवम्बर मे धान की नयी फसल आने लगती है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को जब गेहूँ का न्यूनतम भण्डार सबसे कम है उसी तिथि को चावल की न्यूनतम भण्डार सीमा सबसे अधिक है जबकि सम्पूर्ण भण्डार भी इसी तिथि को न्यूनतम रखा गया है। परन्तु तालिका मे दी गयी खाद्यान्नो की ये मात्राएं न्यूनतम है।अत सदैव एक निर्धारित समय पर उस समय के लिए निर्धारित न्यूनतम भण्डार सीमा से भण्डार मे रखा हुआ खाद्यान्न कम नही होना चाहिए।निगम इन्ही न्यूनतम मात्राओ को ध्यान मे रखकर खरीद कार्य हेतु समयबद्ध कार्यक्रम एव लक्ष्यो का निर्धारण करता है तथा खाद्यान्नो के भण्डारण की मात्रा खाद्य नीति द्वारा निर्धारित सीमा से सदैव अधिक बनाये रखने मे सहयोग करता है।

2 भण्डारण क्षमता – सार्वजनिक क्षेत्र की तीन एजेन्सियाँ विशाल पैमाने पर भण्डारण और भण्डारागार सुविधा उपलब्ध कराने मे लगी है, ये है– भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और 16 राज्यों के राज्य भण्डारण निगम। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो की भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख एजेन्सी है। खाद्य निगम की कुल भण्डारण क्षमता उसके स्वयं के गोदामो तथा किराये के गोदामों से प्राप्त होती है। यह निगम सरकारो और निजी सस्थाओ जैसे अन्य स्रोतो से भी भण्डारण सुविधाए किराए पर लेता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राज्य भण्डारण निगमो का मुख्य कार्य उपयुक्त स्थानो पर गोदाम लेना, बनाना तथा उनका कृषि उत्पादो, उर्वरको तथा कुछ अन्य सामानो के लिए प्रयोग करना है। सहकारी समितियाँ भी खलिहान एव मण्डी स्तर पर गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराती है। भारतीय खाद्य निगम के अपने तथा किराये पर लिये गये गोदामो की भण्डारण क्षमता को अग्रांकित तालिका

तालिका संख्या 31

निगम की कुल भण्डारण क्षमता

(दस लाख टनो मे)

वर्ष/प्रकार		अपनी	किराये पर				महायोग
			केन्द्रीय/ राज्य एजेन्सिया	केन्द्रीय राज्य भण्डा निगम	कृषि पुनर्वित्त विकास निगम	योग	
1989–90	ढकी	11 94	0 52	2 19	2 94	5 65	17 59
	कैप	1 07	–	–	1 01	1 01	2 08
	योग	13 01	0 52	2 19	3 95	6 66	19 67
1990–91	ढकी	12 00	0 61	3 73	3 26	7 60	19 60
	कैप	1 04	-	–	1 47	1 47	2 51
	योग	13 04	0 61	3 73	4 73	9 07	22 11
1991–92	ढकी	11 94	0 62	2 69	3 02	6 33	18 27
	कैप	1 13	–	–	52	0 52	1 67
	योग	13 07	0 62	2 69	3 54	6 85	19 92
1992–93	ढकी	12 17	0 69	2 46	2 69	5 84	18 01
	कैप	1 11	–	–	0 34	34	1 45
	योग	13 28	0 69	2 46	3 03	6 18	19 46
अगस्त–1994	ढकी						17 38
	कैप						4 08
	योग						21 38

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगम की अपनी तथा किराये की कुल भण्डार क्षमता वर्ष 1990-91 मे सर्वाधिक रही। वर्ष 1992-93 मे 1989-90 की तुलना मे इसकी भण्डारण क्षमता 2 3 लाख टन बढी है। समीक्षात्मक वर्षो मे निगम की कुल भण्डारण क्षमता 21 8 लाख टन बढ़कर अगस्त-1994 मे यह 213 8 लाख टन हो गयी। तालिका संख्या 31 से यह भी स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से सर्वाधिक किराये की भण्डार क्षमता प्राप्त करता

है। इसके बाद केन्द्रीय एव राज्य भण्डारागार निगम तथा अन्त मे केन्द्रीय एव राज्य की अन्य एजेन्सियो का स्थान आता है। निगम की अपनी भण्डार क्षमता उसकी कुल भण्डार क्षमता का 65 से 70 प्रतिशत तक है। यह औसतन अपनी कुल भण्डार क्षमता का 10 5 प्रतिशत भाग कैप भण्डार के रूप मे व्यवस्थित करता है। कैप भण्डार की व्यवस्था या तो निगम स्वय करता है अथवा वह इसे कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के माध्यम से प्राप्त करता है।

भारतीय खाद्य निगम की स्वय की भण्डार क्षमता को बढाने के लिए अभी हाल मे ही खाद्य राज्य मंत्री श्री बी एस पाटिल सेसानुर ने कर्नाटक के हुबली जिले मे 30 000 टन भण्डारण क्षमता वाले गोदाम का शुभारम्भ किया। यह भण्डारण क्षमता जिले मे खाद्य निगम की पहले से उपलब्ध 10 000 टन भण्डारण क्षमता के अतिरिक्त होगी।[37] इसी क्रम मे खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए वी गोकाक ने जुलाई-1994 म उत्तरी कर्नाटक मे स्थित बेल्लारी मे 10,000 टन क्षमता वाले डिपोका उद्घाटन किया। इसके अलावा 50,000 टन क्षमता वाले एक अन्य डिपो का निमार्ण भी शीघ्र पूरा होने वाला है।[38]

3 भण्डारण की स्थिति – भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए भण्डारो को अपने पास रखता है। ये भण्डार निगम के सुपुर्द किये जाने तक राज्य सरकारो तथा उनकी एजेन्सियो के पास भी रहते हैं। इन भण्डारो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओ के लिए किये जाने वाले मासिक आवण्टन के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारो को जारी किया जाता है। निगम का यह प्रयास हमेशा रहता है कि पूरे देश मे भण्डारो को उपलब्ध रखा जाय। विगत वर्षो मे प्रत्येक 31 मार्च को केन्द्रीय पूल मे भण्डारण की स्थिति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 32

केन्द्रीय पूल मे भण्डारो की स्थिति

(दस लाख टनो मे)

वर्ष	गेहूँ	चावल	योग
1989–90	3 32	7 22	10 54
1990–91	5 38	10 76	16 14
1991–92	2 10	9 08	11 18
1992–93	3 13	10 02	13 15
जून–1994	17 71	14 79	32 50
जुलाई- 1994	16 97	12 73	29 70
अगस्त -1994	16 22	11 92	28 14

37 फूड फोर्म–जुलाई से सितम्बर–1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–5

38 फूड फोर्म–अक्टूबर से दिसम्बर–1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ स0–5

तालिका सख्या 32 से स्पष्ट है कि वर्ष 1900-91 मे केन्द्रीय पूल के भण्डार मे चावल एवं गेहूँ दोनो की मात्राए समीक्षात्मक चारो वर्षों मे सर्वाधिक रही हैं। भरपूर फसल के कारण वर्ष 1990-91 मे खाद्यान्नो की भारी अधिप्राप्ति की गयी, परिणामस्वरूप खाद्यान्नो के भण्डार की स्थिति मे भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 मे गेहूँ एव चावल के भण्डारण मे क्रमश 22 8 एव 6 8 लाख टन की कमी आयी। परन्तु वर्ष 1992 93 मे पुन दोनो खाद्यान्नो के भण्डारण मे क्रमश 49 1 तथा 10 4 लाख टन की वृद्धि के परिणामस्वरूप गेहूँ एव चावल दोनो के भण्डारण मे सयुक्त रूप से 17 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। गत वर्षों मे लगातार भारी मात्रा मे अधिप्राप्ति होने से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारो के पास दिनॉक 1 6 94 को भण्डारो का स्तर 327 लाख टन था जो कि आज तक का सर्वोच्च स्तर है। पिछला रिकार्ड दिनॉक 1 7 85 का 286 7 लाख टन था।

4 <u>भण्डारण क्षमता के उपयोग की स्थिति</u> – वर्ष 1770 मे पड़े अकाल के समय बिहार के लिए अनाज "कोठार" का कार्य करने हेतु सर्वप्रथम कैप्टन जॉन गार्सटिन द्वारा बनवायी गयी 29 मीटर ऊँची इमारत के रूप में भारत मे शुरू किया गया खाद्यान्न भण्डारण कार्य, अब बहुत प्रगति कर चुका है। आज परम्परागत गोदामो मे वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण, मशीनीकृत साइलो और खुले एवं ढके हुए भण्डारण में सुधार, ऐसी उपलब्धियाँ हैं, जो हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली मे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास 31 जुलाई-1994 तक 216 6 लाख टन की भण्डार क्षमता थी इसके अतिरिक्त 39 4 लाख टम का कैप भण्डार भी उपलब्ध था। इस प्रकार निगम की कुल भण्डार क्षमता 256 लाख टन थी। गत वर्षों मे उपलब्ध भण्डार क्षमता के उपयोग की स्थिति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 33

भण्डारण क्षमता के उपयोग की स्थिति (प्रतिशत मे)

वर्ष	प्रकार	स्तर	31 मार्च को उपयोग स्थिति
1989-90	ढकी	35 से 54	52
	कैप	3 से 30	30
1990-91	ढकी	55 से 73	68
	कैप	26 से 77	41
1991-92	ढकी	50 से 70	60
	कैप	31से 57	31
1992-93	ढकी	42 से 65	65
	कैप	17 से 51	17

<u>स्रोत</u>: वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

यद्यपि भण्डार स्थलो का उपयोग अधिप्राप्ति तथा उठान के आधार पर अलग-अलग समय अलग-अलग होता है और भारत सरकार द्वारा 31मार्च या 1 अप्रैल को ही वर्ष मे न्यूनतम सुरक्षित भण्डार की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गयी है। तालिका सख्या 33 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1992-93 मे ढकी भण्डार क्षमता का प्रयोग वर्ष के दौरान सर्वाधिक 65 प्रतिशत का रहा है। यद्यपि 1989-90 मे भी वर्ष के अन्त मे ढकी भण्डार क्षमता के अधिकतम उपयोग स्तर से केवल 2 प्रतिशत ही कम रहा है। वर्ष 1989-90 मे कैप भण्डार क्षमता का सर्वोच्च स्तर भी वर्ष के अन्त मे उपयोग मे लाया जा रहा था। वर्ष 1990-91 मे ढकी एव कैप दोनो भण्डारण क्षमताओ का प्रयोग स्तर समीक्षात्मक चारो वर्षों में सर्वाधिक रहा है, जो क्रमश 55 से 73 एव 26 से 77 प्रतिशत है। तालिका सख्या 33 से यह भी स्पष्ट है कि कैप भण्डारण की तुलना मे ढकी भण्डारण क्षमता का अधिक प्रयोग किया जाता है।

5 <u>राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण</u> – खाद्यान्न भण्डारण मे सहयोग करने वाले राज्यो की प्राथमिकता खाद्यान्न उत्पादन एव उसकी अधिप्राप्ति मे सहयोग करने वाले राज्यो के क्रम मे ही है। निगम ढकी तथा कैप दोनों भण्डारण क्षमताए किराये पर भी प्राप्त करता है, परन्तु उत्तरी अंचल, उत्तर पूर्वी सीमान्त अंचल तथा पूर्वीअंचल मे कैप भण्डारण क्षमताएं किराये पर लेने की न तो विशेष आवश्यकता पडती है और न ही उसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमान्त अचल तथा पूर्वी अचल मे निगम स्वय अपनी भी कैप भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं करता। वहाँ केवल ढकी भण्डारण क्षमता का उपयोग किया जाता है। निम्न तालिका मे खाद्यान्न भण्डारण मे सहयोग करने वाले प्रमुख राज्यो को अकित किया गया है-

तालिका सख्या 34

राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति

(दस हजार टनो मे)

राज्य	वर्ष 1990-91			वर्ष 1992-93		
	अपनी	किराये की	कुल	अपनी	किराये की	कुल
पंजाब	247 9	299 7	547 6	249 4	245.9	495 3
उत्तर प्रदेश	159 5	110 4	269 9	164 9	62 9	227 8
आन्ध्र प्रदेश	98 6	136 5	235 1	108 0	69 7	177 7
हरियाणा	108 4	50 9	159 3	107 8	32.2	140 0
महाराष्ट्र	117 7	35 0	152 7	123 7	27 4	151 1
मध्य प्रदेश	86 6	48 1	134 7	80 2	25 1	105 3
गुजरात	36 2	39 4	75 6	36 7	32 6	69 3

<u>स्रोत</u> वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उल्लेखनीय है कि निगम खाद्यान्नो को किराये पर रखने की सुविधा केन्द्र एव राज्य सरकार की एजेन्सियों, केन्द्रीय एव राज्य भण्डारागार निगम एवं कृषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा निजी पार्टियो से प्राप्त करता है। तालिका सख्या 34 से स्पष्ट है कि समीक्षात्मक वर्षों मे जो खाद्यान्न भण्डारित किये गये उनका सर्वाधक मात्रात्मक क्रम समान रहा है परन्तु चतुर्थ स्थान पर वर्ष 1992-93 मे महाराष्ट्र की भण्डारित मात्रा आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप मे हरियाणा की मात्रा वर्ष 1990-91 मे महाराष्ट्र से अधिक रही। यद्यपि निगम के सभी 24 क्षेत्रो मे खाद्यान्न सुरक्षित रखे जाते है परन्तु प्रमुख भूमिका अदा करने वाले तालिका सख्या 34 मे अकित केवल 8 राज्य ही है।

5 ढुलाई कार्य उपभोक्ता के प्रति अपने दायित्वो का निर्वहन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो की भारी मात्रा मे ढुलाई का कार्य करता है। खपत वाले विभिन्न राज्यो मे भण्डार उपलब्ध कराने तथा आगामी फसल के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के लिए उत्पादक क्षेत्रो से भण्डार निकालने हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सी के रूप मे यह निगम लगातार बडी मात्रा मे खाद्यान्न, उर्वरक, चीनी तथा अन्य वस्तुओ की ढुलाई सम्पूर्ण देश मे रेल अथवा सडक के माध्यम से करता है। यद्यपि सर्वाधिक मात्रा रेल के माध्यम से ही स्थानान्तरित की जाती है। कुछ जरूरतमन्द राज्यो में विशेष रूप से असम, पूर्वोत्तर राज्यो एव पूर्वी तथा केन्द्रीय राज्यों में उत्तरी क्षेत्र के राज्य मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खाद्यान्नो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओ को जारी करने हेतु प्रेषित किया जाता है। मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे मामूली आधिक्य वाले राज्यो मे भी चावल के परिचालन का कार्य किया जाता है। परिचालन की सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजना के कारण गत वर्षों में खाद्यान्नों तथा चीनी के ढुलाई की बढ़ती मात्रा को निम्न तालिका मे प्रदर्शित किया गया है -

तालिका सख्या. 35

खाद्यान्न तथा चीनी की परिचालित मात्रा का विवरण

(दस लाख टनो मे)

परिचालन	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
पंजाब से	7 61	9 83	9 97	8 94
हरियाणा, उत्तर प्रदेश ओर राज0से	4 41	4 61	4 69	4 02
आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से	1 59	1 36	2 35	2 07
अन्य राज्यों से	1 07	0 77	93	71
बन्दरगाहों से (आयात)	0 32	0 70	-	1 38
रेल मार्ग से कुल परिचालन	**15 00**	**16 64**	**17 94**	**17 12**

1	2	3	4	5
योग लाया गया	15 00	16 64	17 94	17 12
मिलो मे(लेवी चीनी)और बन्दरगाहो से(आयातित चीनी)	1 42	1 17	1 23	1 25
रेल मार्ग द्वारा कुल दुलाई	**16 42**	**17 81**	**19 17**	**18 37**
अन्य परिचालन-				
सडक मार्ग से मुख्यत पजाब, हरियाणा, उ0प्र0, म0प्र0, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम	0 76	0 64	0 71	1 75
उ पू सीमान्त क्षेत्र और बन्दरगाहो से निकटवर्ती राज्यो और नदी मार्ग से परिचा	21	0 03	0 01	0 03
महायोग	**17 39**	**18 48**	**19 89**	**20 15**

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका मे मध्य प्रदेश से खाद्यान्नो के परिचालन को वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में अन्य राज्यो से खाद्यान्न परिचालन मे शामिल किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि केवल 1989-90 में 91 7 प्रतिशत ढुलाई का कार्य रेलो द्वारा किया गया जबकि बाद के वर्षो मे यह 96 प्रतिशत से अधिक रहा। केवल वर्ष 1992-93 मे खाद्यान्नो की रेलो द्वारा ढुलाई मे कमी आने से रेलो द्वारा की गयी कुल ढुलाई लगभग 4 प्रतिशत कम हो गयी है। निगम द्वारा की गयी समीक्षात्मक चारो वर्षों की ढुलाई की कुल मात्रा लगातार बढती रही है जो क्रमश लगभग 11, 14 तथा 2 6 लाख टन प्रतिवर्ष बढी है।असम में करीमगज तथा पाण्डु एव कुछ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यो को कलकत्ता से अनाज पहुँचाने के लिए नदी मार्ग का प्रयोग भी किया जाता है।

6 **गुणवत्ता नियन्त्रण** - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय का भण्डारण और अनुसन्धान प्रभाग खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध मे एक जैसे मानदण्ड बनाने तथा इसके आयात निर्यात के तकनीकी पहलुओ के बारे मे नीति सम्बन्धी मामलो को निपटाने के लिए उत्तरदायी है। यह भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारो तथा अन्य एजेन्सियो को खाद्यान्न संरक्षण और गुणवत्ता के बारे मे परामर्श देता है। इसके लिए केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, देशी तथा आयातित खाद्यान्न ओर उससे तैयार उत्पादो के नमूनो का विश्लेषण करती है।

भारतीय खाद्य निगम देश भर मे फैली अपनी गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओ के माध्यम से अधिप्राप्त किये गये भण्डारो को जारी होने तक उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा परिरक्षण

का कार्य करता है। खाद्यान्नो के भण्डारो का परिरक्षण उन्हे स्वस्थ एव अच्छी दशा मे बनाये रखने का कार्य निगम द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य प्रशिक्षित एव अनुभवी गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारियो एव कर्मचारियो द्वारा किया जाता है। खाद्यान्नो के भण्डारो को अच्छी दशा मे बनाये रखने के लिए परिरक्षण हेतु रोग निरोध एव उपचारणात्मक उपाय किये जाते है। निगम के पास वर्ष 1981 मे ही 138 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाए विभिन्न जिलो क्षेत्रो एव मुख्यालयो पर स्थापित की गयी थी। खाद्यान्नो के नियमित रासायनिक विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयो मे रासायनिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गयी है। ये प्रयोगशालाएं उर्वरको सहित समस्त खाद्यान्नो के रासायनिक परीक्षण हेतु आवश्यक समस्त उपकरणो से सुसज्जित है। इन प्रयोगशालाओ मे कार्यरत् व्यक्तियो को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त शिकायती पत्रो को इन्ही प्रयोगशालाओ मे जाँच के आधार पर निस्तारित किया जात है।

(द) **निगम की अन्य गतिविधियो का मूल्यांकन** –

1 **चीनी मूल्य समानीकरण कोष** – चीनी के मूल्यो मे समानता बनाये रखने के लिए निगम भारत सरकार की ओर से चीनी मूल्य समानीकरण कोष को बनाये रखता है। कम लागत वाले राज्यो मे लेवी चीनी के वितरण से होने वाली बचत की राशि इस कोष मे जमा की जाती है। इसी कोष से अधिक लागत वाले राज्यों की हानि को भी पूरा किया जाता है। गत वर्षो मे 31 मार्च, 1990, 91 92 तथा 1993 को इसमें क्रमश 60 77, 30 15, 250 06 तथा 363 40 करोड रुपये का कोष रखा गया। इस प्रकार इस कोष मे वर्ष 1990–91 मे वर्ष 1989–90 की तुलना मे 30 62 करोड़ रुपये की कमी आयी परन्तु उसके बाद ये कोष अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है और वर्ष 1992–93 मे यह पूर्व वर्ष की तुलना मे 113 34 करोड रुपये अधिक रहा। विगत वर्षों मे कम लागत वाले राज्यों द्वारा इस कोष हेतु वसूली एव ऊँची लागत वाले राज्यो को किये गये भुगतान निम्न तालिका मे दिखाये गये है–

तालिका संख्या 36

चीनी मूल्य समानीकरण कोष हेतु वसूली, भुगतान एवं सम्पूर्ण घाटे की स्थिति (करोड रु मे)

	विवरण	वर्ष 1989–90	90–91	91–92	92–93
1	राज्य सरकारो/संघ शासित प्रदेशो से आधिक्य तथा निर्गम मूल्यो के अन्तर की वसूली	30 78	1 11	1 74	16 57
2	राज्य सरकारो/संघ शासित प्रदेशो को घाटे की प्रतिपूर्ति	21 74	91 52	78 69	60 45
3	निगम को इस कार्य हेतु लेवी चीनी मे घाटा	101 67	146 79	120 89	68 90
4	निगम को इस कार्य हेतु आयातित चीनी मे घाटा	42 33	9 22	1 80	1 12
5	निगम को इस कार्य में सम्पूर्ण घाटा	144 00	156 01	122 69	70 02

तालिका संख्या 36 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चीनी समानीकरण कोष की आवश्यक मात्रा के अनुसार इसके वसूली एव भुगतान मे उच्चावचन होता रहा है। कम लागत वाले राज्यो से आधिक्य एवं निर्गम मूल्य के अन्तर से वसूली मे तुलनात्मक रूप मे अधिक उच्चावचन हुआ है जबकि ऊँची लागत वाले राज्यो को किये गये भुगतान मे तुलनात्मक रूप मे स्थिरता रही है। यद्यपि वर्ष 1989–90 की तुलना मे वर्ष 1992–93 मे वसूली की राशि मे 46 16 प्रतिशत की कमी तथा ऊँची लागत वाले राज्यो को किये गये भुगतान मे 178 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यो तथा 3 सघ शासित प्रदेशो– असम अरुणाचल प्रदेश, अडमान निकोबार द्वीप समूह बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप समूह मेघालय, मिजोरम, उडीसा, सिक्किम, पश्चिमी बगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड मे लेवी चीनी के वितरण का कार्य करता है। इन राज्यों और सघ शासित प्रदेशो मे चीनी की कमी को चीनी मूल्य समानीकरण कोष से पूरा किया जाता है। निगम को इसक कार्य हेतु वर्ष 1989–90 मे 101 67 करोड रुपये का घाटा हुआ यह घाटा वर्ष 1990-91 मे बढकर 146 79 करोड रुपये हो गया, परन्तु बाद के वर्षो मे इसमे उत्तरोत्तर कमी हुयी है और यह वर्ष 92–93 मे 68 9 करोड रुपये तक कम हुआ है। निगम चीनी मूल्य समानीकरण कोष हेतु आयातित चीनी का उपयोग भी करता है। आयातित चीनी की सभाल से सम्बनिधत घाटे की मात्रा इस चीनी के उपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि सम्पूर्ण घाटे का अवलोकन किया जाय तो समीक्षात्मक चार वर्षों मे इसमे पर्याप्त उच्चावचन रहा है। परन्तु 1989 -90 की तुलना मे 1992–93 में सम्पूर्ण घाटा 73 98 करोड रुपये घटा हुआ है जो 51 4 प्रतिशत कम है।

2 <u>उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम</u> - सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे भारतीय खाद्य निगम की भूमिका के बारे मे उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य जन सम्पर्क प्रभाग की कार्य सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। यह कार्य गैर सरकारी उपभोक्ता सगठनो के सक्रिय सहयोग से किया जाता है, ताकि उपभोक्ताओ को भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली एवं उनके अधिकारो से अवगत कराया जा सके। इस सम्बन्ध मे रोचक कार्यशालाए आयोजित की जाती है। इसमे निगम के विभिन्न डिपुओं से खाद्यान्न जारी करने के बाद अपनायी जाने वाली वितरण प्रणाली के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है। उन्हे निगम की वैज्ञानिक भण्डारण पद्धतियो और गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के प्रत्येक पहलू के बारे मे जानकारी दी जाती है। इस कार्य हेतु व्यापक जन सम्पर्क किया जाता है। इसके लिए एक जन सम्पर्क नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है जिसके माध्यम से निगम अपने कर्मचारियो तथा व्यापक जनता के साथ दो स्तरो पर सूचनाओ के आदान–प्रदान का कार्य कर सके। उपभोक्ताओ को जागरूक करने हेतु निगम द्वारा कभी–कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन भी किया जाता है।

3 कम्प्यूटीकरण एव मानवसंसाधन विकास - नेशनल इन्फार्मेटिक सेटर (एन आई सी) के साथ सहमति ज्ञापन के निष्पादित हो जाने से सम्पूर्ण देश मे फैले विभिन्न जिला कार्यालयो तक भारतीय खाद्य निगम की सीधी पहुँच हो गयी है। निगम मुख्यालय, 5 आचलिक कार्यालयो, तथा 14 क्षेत्रीय कार्यालयो मे अपने कार्यों के विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित आकडो के सग्रहण, मिलान और भण्डारण आदि से सम्बद्ध तथ्यपूर्ण सूचनाओ को निगम के कर्मचारियो द्वारा एन आई सी के सैटलाइट के माध्यम से सुदृढ संचार सुविधा हेतु अपने कम्यूटर नेटवर्क को और कुशल बनाया गया है। इसके सहयोग से पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश मे जिला स्तर पर प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं। निगम अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान तथा आचलिक प्रशिक्षण सस्थानो मे अपने अधिकारियो ओर कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण कक्षाए चलाने के साथ-साथ अपने वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियो को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न सस्थानो की सेवाओ का उपयोग करता है।

(य) निगम की लाभदायकता का मूल्यांकन -

भारतीय खाद्य निगम की लाभदायकता के मूल्याकन हेतु निगम के कुल कारोबार, उसको दी जाने वाली उपभोक्ता सहायता राशि एव विभिन्न मदो पर किये जाने वाले खर्च का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। निगम के लाभ-हानि की स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मदो का विवरण अग्रपृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 37 मे दिया गया है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के विगत 20 वर्षों के इतिहास मे प्रथम बार वर्ष 1986-87 मे हानि हुई जो 127 लाख रुपये की थी। इससे पूर्व उसे वर्ष 1985-86 तक लगातार लाभ ही रहा था। यद्यपि इसमें पर्याप्त उच्चावचन रहा परन्तु फिर भी वर्ष 1984-85 का लाभ सर्वाधिक 261 लाख रुपये था। इसके बाद निगम को लगातार हानि हो रही है और वर्ष 1989-90 मे यह अपनी चरम सीमा 1141 लाख रुपये तक पहुँच गयी थी। यद्यपि बाद के वर्ष मे इसमे कमी आयी तथा वर्ष 1992-93 मे निगम को पुन एक बार लगभग 164 लाख रुपये का लाभ हुआ।

उल्लेखनीय है कि निगम की बिक्री गत 20 वर्षों मे 9 गुना तथा उपभोक्ता सहायता राशि लगभग 30 गुना बढ चुकी है। यदि कुल प्राप्तियो की तुलना की जाय तो इस अवधि मे लगभग 13 गुना बढ़ी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस अनुपात मे कुल उपभोक्ता सहायता राशि मे वृद्धि की गयी उसकी आधी मात्रा में भी बिक्री और कुल प्राप्ति को नही बढाया जा सका। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम का सकल लाभ गत 20 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है परन्तु भाडा, सभाल व्यय, व्याज इत्यादि में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हो जाने के कारण निगम को एक लम्बे समय से घाटे का सामना करना पड रहा है। घाटे

तालिका सख्या 37

निगम के लाभ हानि को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मदो का विवरण

(लाख रुपये मे)

विवरण	1992-93	1991-92	1990-91	1986-87	1971-72
बिक्री	7,48,719	7,35 423	5,49,224	5,20 236	81,051
उपभोक्ता सहायता राशि	3,88,974	3 63,713	2,86,276	2 26,996	7,806
कुल प्राप्ति	**11,37,693**	**10,99,136**	**8,35,500**	**7,47,232**	**88,857**
घटाया-विक्रय लागत	8,77,880	8,55,765	6,31,578	5,65 581	75,862
सकल लाभ	2,59,813	2,43 371	2,03,922	1,81,651	12,995
व्यय-भाडा	64,657	69 689	67,537	57 748	3,464
संभाल व्यय	24,780	25,821	20,093	19,874	939
कर्मचारी पारि	58,317	36,386	34,762	17,180	2,031
ब्याज	90,857	89,817	62,968	65,059	4,126
मूल्य ह्रास	3,589	3 793	3,371	2,174	284
अन्य	17,725	18,535	15,986	19,743	2,039
योग	**2,59,925**	**2,44,043**	**2,04,717**	**1,81,778**	**12,883**
कर से पूर्व लाभ/हानि	(-) 112	(-) 672	(-) 795	(-) 127	112
कर-व्यवस्था	-	208	136	-	81
कर समायोजन	276	-	-	-	(-) 10
निवल लाभ/हानि	164	(-) 880	(-) 931	(-) 127	21

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

के मुख्य कारणो में गेहूँ, धान एव चावल की अधिप्राप्ति लागत मे वृद्धि तथा वितरण लागतो मे वृद्धि हो जाना भी है। यदि व्ययो मे हो रही वृद्धि की तुलनात्मक स्थितिका अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि कर्मचारी पारिश्रमिक ग सर्वाधिक वृद्धि 28 गुना रही है। जबकि अन्य व्ययो मे सभाल व्यय, ब्याज, भाडा मूल्य ह्रास में वृद्धि वर्ष 1971-72 की तुलना मे वर्ष 92-93 मे क्रमश 26 गुना, 22 गुना, 18 6 गुना एवं 12 6 गुना हुई। इस प्रकार कुल व्यय 20 गुना बढा। अत निगम की लाभदायकता को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस परिस्थिति मे निगम को अपने सभी व्ययो को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। यदि हम वर्ष 1989-90 से वर्ष 1992-93 तक के प्रति कर्मचारी कारोबार पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए प्रति कर्मचारी कारोबार क्रमश 545,610,620 तथा 627 कुन्तल तक बढा, फिर भी वर्ष 92-93 मे निगम ने अपनी लाभदायकता को धनात्मक स्थिति मे पहुँचाकर एक सन्तोषजनक स्थिति प्रदान की है। यद्यपि इस लाभ मे गत वर्ष के कर के समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान है।

(र) कमियाँ -

लगभग 30 वर्षों पूर्व भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन खाद्य मन्त्री ने कहा था कि ' मेरा यह निगम सिद्ध करके दिखलायेगा कि किसी निजी व्यापारी के मुनाफे की तुलना मे कम मुनाफे पर खाद्यान्न का वितरण सम्भव है।' इस तीस वर्षों मे निगम ने यदि कुछ सिद्ध करके दिखाया है तो यह कि उसकी क्षुधा मे निरन्तर वृद्धि हो रही है और उसकी उपयोगिता बढने के बजाय घटी है।[39] इस तथ्य का प्रमाण निगम के निम्न कमियो मे दृष्टिगोचर होता है -

1 निगम के नियोजित पूँजी की तुलना मे कुल कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक नही - कुल कारोबार में निगम द्वारा की गयी कुल खरीद एव बिक्री को शामिल किया जाता है। निगम का कुल कारोबार वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक लगभग स्थिर सा रहा जो 1986-87 मे 10,939 5 करोड एव 1989-90 मे 11,239 99 करोड रुपये का था। 1989-90 मे नियोजित पूँजी से इसके कुल कारोबार का अनुपात 3 1 का रहा जो घटकर 1990-91, 91-92 एव 92-93 मे 2 1 हो गया। निजी स्वामित्व के संस्थाओं में यह अनुपात 6 1 के ऊपर ही रहता है। इस प्रकार निगम के कुल कारोबार की स्थिति को सन्तोषजनक नही कहा जा सकता।

2 निगम मे निरन्तर घाटे की स्थिति - भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1986-87 से निरन्तर घाटे का सामना करना पड रहा था। घाटे के कई कारण रहे है, जैसे-मार्गस्थ हानियो मे वृद्धि, पर्याप्त खरीद का न हो पाना, गोदामो मे सग्रहीत स्कन्ध की उचित देखभाल न हो पाना, माल की चोरी एव नष्ट हो जाना, कर्मचारियो द्वारा स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर सही ढंग से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करना और किसानो का निगम के खरीद केन्द्रो पर अपनी उपज को बेचने मे उत्साह न होना इत्यादि। यद्यपि निगम को दी जाने वाली उपभोक्ता सहायता राशि मे पिछले 20 वर्षों मे 50 गुनी वृद्धि की गयी परन्तु बिक्री केवल 9 2 गुना बढी व्ययो मे सर्वाधिक वृद्धि कर्मचारी पारिश्रमिक मे 28 गुना हुई। वर्तमान समय मे गेहूँ की लागत 542 रुपये प्रति कुन्तल आती है। इस गेहूँ को 330 रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाता है। इसे 407 रुपये प्रति कुन्तल की दर पर बेचने के बाद भी खाद्य निगम को 135 रुपये प्रति कुन्तल की दर से हानि होती है।

3 मार्गस्थ हानियाँ एवं भण्डारण में कमी बहुत अधिक - बडी मात्रा में खाद्यान्न की सभाल के समय श्रमिको द्वारा लोहे के हुको का प्रयोग करने से बोरो से खाद्यान्न निकलने, खाद्यान्न के परिचालन के समय दानों के बिखरने तथा निकासी आदि के समय खाद्यान्नो की छीजन और लम्बी अवधि के भण्डारण

39 नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1994

के दौरान सबसे अधिक कमी खाद्यान्नों के सूखने के कारण होती है। इन कमियों से निगम को अत्यधिक उठानी पड़ती है। पिछले वर्षों में मार्गस्थ हानियों एवं भण्डारण की कमी से होनी वाली हानि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका संख्याः 38

मार्गस्थ तथा भण्डारण कमियाँ

वर्ष	मात्रा (दस लाख टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	खरीद एवं बिक्री के सन्दर्भ में कमी का प्रतिशत
1987-88	0.70	169.84	1.72
1988-89	0.42	113.90	1.25
1989-90	0.30	87.89	0.85
1990-91	0.46	155.98	1.17
1991-92	0.59	219.70	1.49
1992-93	0.50	223.33	1.28
मार्गस्थ कमी	0.35	149.73	1.65
भण्डारण कमी	0.15	73.60	0.38
योग	0.50	223.33	1.28

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली.

नोटः उपर्युक्त तालिका में वर्ष 1992-93 की कुल मार्गस्थ कमी का प्रतिशत(1.65) की गणना खाद्य निगम द्वारा परिचालित कुल मात्रा एवं भण्डारण कमी की गणना कुल जारी मात्रा पर की गयी है।

तालिका संख्याः 38 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्रात्मक निरपेक्ष हानि की सर्वाधिक मात्रा वर्ष 1987-88 में 7 लाख टन की रही जिसका मूल्य 169.8 करोड़ रुपये था। मूल्यात्मक निरपेक्षा हानि सबसे अधिक 1992-93 में ही रही है। परन्तु यदि सापेक्षिक तुलना समीक्षात्मक छः वर्षो की, की जाय तो प्रकट होता है कि खरीद एवं बिक्री के सन्दर्भ में सर्वाधिक कमी वर्ष 1987-88 में 1.72 प्रतिशत रही जबकि सबसे कम हानि वर्ष 1989-90 में .85 प्रतिशत रही। वर्ष 1992-93 के दौरान हुई इस प्रकार की हानि से स्पष्ट होता है कि मार्गस्थ कमी भण्डारण कमी के लगभग दो गुने के बराबर होती है।

4. **उपभोक्ता सहायताराशि में वृद्धि के बावजूद हानिः-** भारत सरकार समय-समय पर अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य निर्धारित करती है। निगम खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, वितरण और परिचालन पर जो सम्पूर्ण व्यय करता है वह खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य से पूरा नहीं होता। लागत और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति उपभोक्ता राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा की जाती है। सुरक्षित भण्डार बनाये

रखने का व्यय भी भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। गत् बीस वर्षो मे उपभोक्ता सहायता एव अन्य प्राप्तियो मे लगभग 50 गुना वृद्धि की जाती है परन्तु फिर भी निगम का वित्तीय परिणाम निवल घाटे मे जा रहा है।

5 **लेवी चीनी एवं आयातित चीनी मे घाटा –** भारतीय खाद्य निगम को 12 राज्यो तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशो मे लेवी चीनी के संभाल का कार्य सौपा गया है। जब लेवी चीनी की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण हेतु पर्याप्त नही होती तो आयातित चीनी का भी प्रयोग वितरण हेतु किया जाता है। निगम को लेवी चीनी एव आयातित चीनी दोनो के संभाल एव वितरण मे लगातार घाटा हो रहा है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है-

तालिका सख्या 39

लेवी चीनी एव आयातित चीनी के कार्यकारी परिणाम

क्र स	विवरण वर्ष	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	लेवी चीनी के संभाल (बिक्री पर) प्रति कुन्तल व्यय	98 25	98 36	118 10	137 07
2	आयातित चीनी की संभाल(बिक्री) पर प्रति कुन्तल व्यय	167 48	172 36	53 96	457 76
3	कुल घाटा(करोड़ रु मे)	144 00	156 01	122 69	70 02

स्रोत. वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लेवी चीनी के संभाल(बिक्री) पर व्यय मे प्रतिकुन्तल उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह वर्ष 1989-90 मे रुपये 98 25 प्रति कुन्तल से बढकर 1992-93 में रुपये 137 07 प्रति कुन्तल पहुँच गया है। इसी प्रकार आयातित चीनी की सभाल लागत भी बढ़ी है। यद्यपि निगम द्वारा लेवी चीनी एवं आयातित चीनी के वितरण मे मितव्ययिता बरती जा रही है जिससे कुल घाटे में कमी के प्रयास को सफलता मिली है। परन्तु फिर भी यह घाटा 1992-93 मे 70 02 करोड रुपये का रहा, जो कि कम नही है।

6 **निगम की भण्डारण लागत में वृद्धि.–** भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण लागत दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। लागत मे वृद्धि के प्रमुख कारणो मे ब्याज दर मे वृद्धि हो जाना, बडी मात्रा मे खरीद के कारण अधिक ऋण एवं अधिक ब्याज, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना तथा कभी-कभी भण्डारित वस्तु का अनापेक्षित दीर्घकाल तक भण्डारगृह मे पडे रहना भी है। इन कारणों से संग्रहीत वस्तु की उपयोगिता में कमी के साथ-साथ उसकी भण्डारण लागत बढ़ती चली जाती है।

7 **शासकीय निर्णयो मे विलम्ब एव विभिन्न मन्त्रालयो मे तालमेल का अभाव –** आर्थिक मामलो में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विलम्ब से लिये गये निर्णय की कोई उपयोगिता नहीं होती। खाद्य निगम मे आज भी अधिकारो के केन्द्रीयकरण की स्थिति प्रतीत होती है। विभागीय अधिकारियाँ एव राजनीतिक पदाधिकारियो के बीच तालमेल का अभाव पाया जाता है। तभी तो खाद्य सचिव चीनी के आयात् का टेण्डर निर्गत करते है तो खाद्य मन्त्री द्वारा उसे रद्द कर दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है जो कि वर्तमान समय मे अलग–अलग मन्त्रालय के रूप मे कार्य कर रहे है साथ ही साथ खाद्यान्नो के खरीद एव वितरण से सम्बन्धित विभिन्न मामले कृषि, वित्त एव वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बद्ध होते है। विभिन्न मन्त्रालयो मे ताल–मेल न होने के कारण कभी-कभी अलग–अलग मन्त्रालयअलग-अलगराग अलापते है, परिणामस्वरूप समाज एव सम्पूर्ण राष्ट्र को असुविधा का सामना करना पडता है। वर्ष 1994 का चीनी सकट इस तालमेल के अभाव का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

8 **कृषि दशाओं मे विभिन्नता के कारण निगम के कार्यों मे अवरोध -** कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश मे उसके उत्पाद मे काफी विभिन्नता रहती है। कही पर कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है तथा कहीं पर बहुत कम। कृषि उत्पादन मानसून की दशा व प्रकृति पर आधारित होता है। बुरे समय मे बाजार के साथ–साथ सरकारी या निगम के खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त उपज नही पहुँचती जबकि इसी अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी जनता का दबाव बढता है। निगम के कार्य मे कठिनाई उत्पादन, यातायात एवं परिवहन के साधन की कमी के कारण भी उत्पन्न होती है। कम उत्पादन तथा आवश्यकतानुसार परिवहन, संचार एवं सग्रहण के साधनो की अनुपलब्धता की दशा मे निगम को अपने कार्यों के सुचार सचालन में कठिनाई का सामना करना पडता है।

9 **समय व स्थान सुपुर्दगी की समस्या –** भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो के व्यापार मे एक मात्र एजेन्सी के रूप मे काम करता है तथा केन्द्रीय गोदामो के अनुरूप सम्पूर्ण देश में उचित समय व उचित स्थान पर वस्तुओं को उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग के हित मे उसकी उपादेयता सिद्ध हो सके। निगम वस्तुओ की सुपुर्दगी, उचित समय व उचित स्थान पर करने के लिए वचनबद्ध होता है परन्तु कभी–कभी स्थानीय समस्याओ जैसे– श्रमिक समस्या, रेलवे वैगनो की अनुपलब्धता आदि के कारण यह कार्य सम्भव नहीं हो पाता जिससे उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नही हो पाते। इन समस्याओ के कारण निगम को पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया एवं माध्यम मे परिवर्तन करना पडता है ताकि समयानुसार कार्यों को पूरा किया जा सके। इससे निगम के व्यय अनार्थिक रूप से बढ जाते है।

वस्तुओ को उचित समय एवं उचित स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए निगम को अन्य विभागो एवं निगमों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, जैसे– बन्दरगाह, रेलवे, राज्य प्रशासन, केन्द्रीय भण्डारण निगम।

इनके ऊपर भारतीय खाद्य निगम का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नही होता जिससे कि वह खाद्य निगम की सहायता से ही अपना कार्य चला सके।

10 **किस्म की विभिन्नता से उत्पन्न समस्याए –** केन्द्रीय भण्डारो व गोदामो मे एकत्रित किये गये खाद्यान्नो की किस्म मे विभिन्नता होती है। विभिन्नता के कारण संग्रहण का समय, स्थान, प्रमाप एव सग्रहण की विधि मे विभिन्नता होती है, जब उन्हे केन्द्रीकृत रूप मे एकत्रित किया जाता है तो खाद्यान्नो की श्रेणीवार एकरूपता भी नही आ सकती। उपभोक्ता का मनोविज्ञान होता है कि वह अच्छी किस्म व एक ही प्रकार की किस्म की वस्तुओ को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रमुख समस्या यह है कि निगम सबको खाद्यान्न की पूर्ति तो करा सकता है परन्तु सबको सन्तुष्ट नही कर सकता।

11 **वजन या तौल से सम्बन्धित समस्याए –** अनाज की अधिप्राप्ति एव निकासी दोनो समयो पर तौल से सम्बन्धित समस्याए उत्पन्न होती है।अधिकांश किसानो का आरोप होता है कि खाद्यान्नो की खरीद तौल वास्तविक तौल मे अधिक की जा रही है इसके साथ ही उनका आरोप यह भी होता है कि उनकी विक्रीत वस्तु को उचित श्रेणी का नही माना गया है जिससे उनको कम मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। क्योंकि निगम को बडी मात्रा मे खरीद एव विक्रय करना होता है जिसमें प्रत्येक बोरे की तौल असुविधा जनक होती है। 10 बोरो की तौल के औसत के अनुसार निकासी का कार्य किया जाता है। इससे तौल मे पूर्ण एकरूपता आना असम्भव हो जाती है।

12 **कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की वृद्धि एवं अभिप्रेरणा का अभाव –** कर्मचारियो मे भ्रष्टाचार के मामलों का रहस्योद्‌घाटन समाचार पत्रों मे प्राय प्रकाशित होता रहता है। एक ऐसा ही समाचार नवभारत टाइम्स(नई दिल्ली) के 23 जनवरी 1994 के अक मे प्रकाशित हुआ जिसमे गेहूँ एव चावल से लदे 900 ट्रको के लापता होने की बात कही गयी है। कागजो पर इन ट्रकों की रवानगी दर्ज की गयी है पर माल कहाँ उतार लिया गया इसे बताने को कोई तैयार नही, जिसका मूल्य लगभग सवा तीन करोड रुपये है।

अनाज से भरे ये ट्रक एक दिन मे लापता नही हुए। लापता होने का यह सिलसिला करीब एक डेढ़ साल से जारी था, अनुमान है कि अधिसख्यक ट्रको को जम्मू–श्रीनगर मार्ग पर कही अपहरण कर लिया गया। बहुतेरे ट्रक बीच से ही अपहरण कर लिये गये ऐसी घटनाओ को आतकवाद के नाम पर रफा–दफा कर दिया गया। कुछ ऐसी घटनाए भी जानकारी मे आयी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियो की साठ–गाठ से बहुतेरे ट्रक राज्य सरकार के गोदामो मे तो पहुँच जाते हैं, मगर आमद दर्ज नही होती। भारतीय खाद्य निगम का अनाज जम्मू तक रेल मार्ग से जाता है। आगे की सप्लाई ट्रको से की जाती है। जम्मू से आगे इनका कथित अपहरण कर लिया जाता है। खाद्य निगम के कर्मचारियो का जबाव होता है– हमने तो माल रवाना कर दिया। हमारे रजिस्टर मे रवानगी दर्ज है,आगे हम क्या करें? गोदामो मे हजारो टन गल्ला सड जाता है।

लाखों टन गेहूँ और चावल को "सी"और "डी" श्रेणी का घोषित कर दिया जाता है ताकि उसे औने–पौने, मिट्टी के भाव नीलाम किया जा सके। वे गोदाम जिसमे नया स्टॉक रखना होता है फटे–पुराने बोरो, सडी गली तिरपालो और लकडी के टूटेफूटे ब्रेकटो से भरा रहता है। कई–कई वर्ष तक बोरे पलटे नही जाते, दवाइयो का छिड़काव तो दूर की बात है। पैसे की ताकत पर "सी" और "डी" श्रेणी के अनाज को "ए" और "बी" श्रेणी का बना दिया जाता है। वजन अधिक करने के लिए मिट्टी और रोडी मिलायी जाती है। चावल मे नमी 17–18 प्रतिशत तक ही मान्य है पर पैसा उसे 25 प्रतिशत तक खीच देता है। बाद मे वही चावल सूखकर तीन–चौथाई रह जाता है। इस प्रकार निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एव ईमानदारी पर सन्देह व्यक्त किया जाता है और वे अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित नही होते।

(लं) सुझाव –

प्रो0 भगवती ने खाद्य निगम की आलोचना करते हुए अपने अध्ययन मे इसके विघटन का सुझाव दिया है और राज्य के समाजवादी सकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प के रूप मे निर्धन परिवारो में 'फूड स्टाम्प' बाँटने की एक योजना का सुझाव भी दिया है जिससे उन्हे आवश्यक वस्तुए खरीदने मे कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। यह सुझाव अमेरिका में निर्धन परिवारो को दिये जाने वाले कूपन के समान है।[40] मेरे विचार से निगम के विघटन की कोई आवश्यकता नही है केवल कुछ सुझावो का अनुपालन कर निगम को पुन देश की मुख्यधारा से जोडा जा सकता है जिससे यह निगम उदारीकरण एवं वैश्विकीकरण का पूरा लाभ उठा सकता है। निगम की कमियों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

* यद्यपि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सामाजिक कल्याण मे वृद्धि के उद्देश्य से की गई थी परन्तु वर्तमान प्रतियोगिता एवं खुलेपन के युग मे इस अपने विकास एव विस्तार हेतु संसाधन प्राप्त करने तथा समाज को अपनी सेवाए प्रदान करने मे निरन्तरता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि निगम भी व्यापारिक सिद्धान्तो के अनुसार सेवा के साथ–साथ कुछ लाभ प्राप्ति की भावना से अपने कार्यों का निष्पादन करे।

* भारतीय निजी कम्पनियाँ अपनी विनियोजित पूँजी पर 15 से 20 प्रतिशत का प्रत्याय प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्थिति मे भारतीय खाद्य निगम को 6–7 प्रतिशत की न्यूनतम प्रत्याय दर के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर बिक्री मूल्यो का निर्धारण किया जाना चाहिए साथ ही साथ इसके विभिन्न व्ययो पर नियन्त्रण भी किया जाना चाहिए। निगम का कर्मचारी पारिश्रमिक पर व्यय सबसे अधिक बढ़ा है । इन व्ययो में कमी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे दीर्घ काल में स्थापना व्यय को कम किया जा सके तथा प्रति कर्मचारी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। यद्यपि इस

---

40 नवभारत टाइम्स – नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1994

उपाय से तात्कालिक व्यय बढ़ेगे, परन्तु निगम की दीर्घकालीन लाभदायकता को बढ़ाया जा सकेगा।

* निगम की मार्गस्थ हानि एवं भण्डारण–कमी से होने वाली हानि को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। भण्डारण एव परिचालन के समय हानि एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे अधिक चर्चा कीजाती है।वास्तव मे इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि निगम ने अत्यधिक रख–रखाव और विविध प्रकार के जटिल कार्यो के बीच भी निगम ने इन हानियो को नियन्त्रित करने के कई उपाय किये है, जिन्हे अनदेखा नही किया जा सकता, किन्तु इन्हे क्रमाश और कम करने के लिए निम्न अच्छे उपायो के अनुपालन की अपेक्षा है–

–– मार्गस्थ हानियो को कम करने तथा खाद्यान्नो की परिवहन लागत को न्यूनतम रखने हेतु आवश्यक है कि यथासम्भव सीमाओ तक रेल–परिवहन का उपयोग किया जाय।

–– मात्रा की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरो को लादने एव उतारने मे मशीनो का उपयोग किया जाय।

–– हुको के प्रयोग को केवल विशेष परिस्थिति मे ही अनुमति दी जाय।

–– मार्गस्थ हानियों को नियन्त्रित करने के लिए निगम को अधिप्राप्ति के समय विनिर्देशनो को कड़ाई से लागू करना चाहिए तथा बोरों की सिलाई केवल मशीन से की जानी चाहिए।

–– निगम के खाद्यान्न गोदामो से खाद्यान्न निर्गमन हेतु फीफो विधि का ही प्रयोग करना चाहिए जिसमे पहले प्राप्त खाद्यान्नों का पहले निर्गमन किये जाने से खाद्यान्नो को सडने–गलने से होने वाली हानि से बचाया जा सकेगा।

–– भण्डारण प्रबन्ध इस तरह से किया जाय कि कैप भण्डारण के अन्तर्गत केवल मोटे अनाजो को छोड़कर चावल एव गेहूँ जैसे खाद्यान्नों को न रखना पड़े।

–– खाद्य निगम द्वारा दिये जाने वाले व्यय विवरणो को यथावत् स्वीकार न किया जाय बल्कि स्वीकृत मानकों के आधार पर निगम के वास्तविक व्ययो का अनुमान लगाया जाय।

–– ट्रकों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले खाद्यान्नो के पहुँच को सुनिश्चित किया जाय तथा आतंकवादी, तराई एव दुर्गम क्षेत्रो में अनाज की आवा–जाही के लिए ट्रको के साथ–साथ सुरक्षा गार्डों को भी रखा जाय और ट्रको को केवल काफिलो मे ही चलने की अनुमति दी जाय।

* किसानो को सरकारी खरीद केन्द्रो पर अपनी उपजों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी खरीद मूल्यो की घोषणा उस फसल की बुआई के समय ही कर देनी चाहिए। इससे कृषक अपनी फसलें सरकारी खरीद केन्द्रो पर बेचने की योजनानुसार कार्य करेंगे। उपजो के न्यूनतम मूल्यो के निर्धारण मे सरकारी फार्मों पर कृषि उपजो की आने वाली लागतो को ध्यान मे रखा जाना चाहिए तथा किसी भी लागत को अनुमान के आधार पर नही बल्कि वास्तविक खर्चों के आधार पर मूल्यो का निर्धारण किया जाना चाहिए।

* कृषि उत्पादको को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्रदान करने के साथ ही साथ खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निर्धारित कोटे एव गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इस प्रकार निगम का लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजो की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए,केवल मात्रा-लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य मे अधिकारियो को " आप ऐसा करे" के स्थान पर "आओ हम सब मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खरीद के समय मान्य सीमा की नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सन्दर्भ मे अधिकतम 17-18 प्रतिशत। इससे भण्डारण मे सूखने से होने वाली अत्यधिक हानि को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

* निगम के अपने गोदाम तथा अन्य खाद्यान्न-- गोदाम जो निगम किराये पर प्राप्त करता है, का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बडी मात्रा मे खाद्यान्नो का स्कन्ध,स्कन्ध-बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नो का सड या गल जाना, बोरो एवं तिरपालो का सड जाना, दवाइयो का छिड़काव समय से न हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापम एव उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करके किया जा सकता है।

यह तर्क कि– माल गोदामो मे सालो साल भरा पडा रहता है जिसकी भौतिक सत्यापन लागत ही बहुत अधिक आयेगी, तर्कहीन लगता है क्योकि खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे हो रही हानि सत्यापन लागत से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य मे लगे कर्मचारियो को सतर्क एवं सावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओ का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जाये।इससे देश के केवल कुछ डिपो का भौतिक सत्यापन कर गोदामो मे हो रही खाद्यान्न क्षति को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्यान्न लेखा पुस्तकों के अनुसार ही बना रहे तथा निकासी एव प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया जाना चाहिए।

* निगम अब भी अपना लगभग एक तिहाई कारोबार किराये के गोदामों में सम्पन्न करता है। इन गोदामो का भारी किराया तो उसे चुकाना पडता ही है साथ ही इन गोदामो की क्षमता एव उपयोगिता सन्तोषजनक नही होती। अत खाद्य निगम को अपनी भण्डारण क्षमता मे वृद्धि करनी चाहिए।

* शासकीय निर्णयो मे विलम्ब एव सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो मे तालमेल के अभाव का दोष भारतीय खाद्य निगम का स्वयं का नही है परन्तु फिर भी इससे निगम को बहुत अधिक हानि होती है। यह व्यवस्था का दोष है। इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियो तथा विभागीय अधिकारियो के कर्तव्य एव उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या की जाय। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरदायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाय ताकि समय एवं परिस्थिति के अनुरूप सही

* कृषि उत्पादको को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्रदान करने के साथ ही साथ खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निर्धारित कोटे एव गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इस प्रकार निगम का लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजो की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए,केवल मात्रा लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य मे अधिकारियो को " आप ऐसा करे" के स्थान पर "आओ हम सब मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खरीद के समय मान्य सीमा की नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सन्दर्भ मे अधिकतम 17-18 प्रतिशत। इससे भण्डारण मे सूखने से होने वाली अत्यधिक हानि को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

* निगम के अपने गोदाम तथा अन्य खाद्यान्न- गोदाम जो निगम किराये पर प्राप्त करता है, का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बडी मात्रा मे खाद्यान्नो का स्कन्ध,स्कन्ध-बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नो का सड या गल जाना, बोरो एव तिरपालो का सड जाना, दवाइयो का छिडकाव समय से न हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापन एव उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करके किया जा सकता है।

यह तर्क कि- माल गोदामो मे सालो साल भरा पड़ा रहता है जिसकी भौतिक सत्यापन लागत ही बहुत अधिक आयेगी, तर्कहीन लगता है क्योंकि खाद्यान्नो के सम्बन्ध में हो रही हानि सत्यापन लागत से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य मे लगे कर्मचारियो को सतर्क एव सावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओ का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जाये।इससे देश के केवल कुछ डिपो का भौतिक सत्यापन कर गोदामो मे हो रही खाद्यान्न क्षति को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्यान्न लेखा पुस्तकों के अनुसार ही बना रहे तथा निकासी एव प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया जाना चाहिए।

* निगम अब भी अपना लगभग एक तिहाई कारोबार किराये के गोदामों में सम्पन्न करता है। इन गोदामों का भारी किराया तो उसे चुकाना पडता ही है साथ ही इन गोदामों की क्षमता एवं उपयोगिता सन्तोषजनक नही होती। अत खाद्य निगम को अपनी भण्डारण क्षमता मे वृद्धि करनी चाहिए।

* शासकीय निर्णयो मे विलम्ब एवं सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो मे तालमेल के अभाव का दोष भारतीय खाद्य निगम का स्वयं का नही है परन्तु फिर भी इससे निगम को बहुत अधिक हानि होती है। यह व्यवस्था का दोष है। इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या की जाय। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरदायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाय ताकि समय एव परिस्थिति के अनुरूप सही

समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

* निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त वाणिजय एव कृषि मन्त्रालयों से सम्बन्धित अधिकारियो के बीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समय-समय पर बैठको का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, आवश्यकता, खरीद एव निर्गमन आदि के सम्बन्ध मे वास्तविक अनुमानो पर आधारित निर्णय लिया जा सके।

* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे स्वय की प्रेरणा से कार्य सम्पादन की इच्छा जागृत करने के लिए अभिप्रेरण के नवीनतम साधनो का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, कार्यक्षमता एव ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करे इसके लिए उन्हे यह बात समझायी जानी चाहिए कि निगम के हितो मे कर्मचारी का हित भी विद्यमान एव सुरक्षित है। इसके लिए निगम के लगभग 65,000 कर्मचारियो को कार्यात्मक एव आद्यात्मिक दोनो प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण विभिन्न चरणो मे पूरा किया जा सकता है। निगम के कर्मचारियो मे मनोबल बनाये रखने के लिए निगम के उद्देश्यो एवं लक्ष्यो की जानकारी इसके कर्मचारियो, साथ-साथ निगम से सम्बन्धित व्यक्तियो और संस्थाओं, जैसे कि--राज्य सरकारो, चावल और गेहूँ के मिल मालिको के मंच(फोरम), शहरो के गैर सरकारी संगठनो, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रो, बैको, रेलवे, गोदाम मालिको, नीति निर्धारको, प्रेस आदि से परस्पर सम्पर्क स्थापित कर, दी जाय।

* ससद की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी समिति ने दिसम्बर--1994 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट मे भारतीय खाद्य निगम की आलोचना करते हुए निम्न अतिरिक्त सिफारिशे प्रस्तुत की है--[41]

-- समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश मे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल उतारने के काम मे लगे ठेकेदार भ्रष्टाचार मे लिप्त रहते है, अत इस कार्य मे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर निगम स्वय दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिको से इस कार्य को पूरा कराये।

-- समिति की सिफारिश है कि धान की खरीद पर लगने वाले करो में एकरूपता लाने के लिए राज्यों को राजी किया जाय क्योंकि इस समय लेवी धान के खरीद मूल्यो मे कोई समानता नही है।

-- समिति ने यह सिफारिश भी की है कि चूँकि किसानो के पास अनाज के भण्डारण की पर्याप्त सुविधा नही है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम या किसी अन्य एजेन्सी को खरीद केन्द्रो के निकट किसानों को मामूली किराये पर अनाज के भण्डार के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि किसान जब चाहें अपना अनाज बेच सकें।

-- समिति ने खाद्य मन्त्रालय के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि खुले बाजार मे गेहूँ

के अधिक मूल्य मिलने तथा किसानो द्वारा अपनी मर्जी से अनाज बेचे जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद कम हो पाती है। समिति ने कहा कि निगम के क्रय केन्द्रो के काम-काज पर कडी निगरानी रखी जाय। इस ने इस बात पर आश्चर्य किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3-4 महीने बाद बोरियो की खरीद के लिए आदेश दिये जाने के कारण राज्य मे गेहूँ की समय पर खरीद वर्ष 1991-92 मे नही हो पायी।

--- समिति ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया है कि भारतीय खाद्य निगम छोटे चक्की मालिको को भी कम दरो पर गेहूँ की सप्लाई करे, क्योकि शहरो मे कमजोर तबको के लोग राशन कार्ड के अभाव में इन्ही आटा चक्कियो से आटा खरीदते है। निगम इस समय आटा मिलो और डबल रोटी निर्माताओं को कम दरो पर गेहूँ बेचता है, जबकि ये आटा मिले खुले बाजार मे ऊँचे मूल्यो पर आटा बेचकर लाभ कमाती है।

इस प्रकार यदि भारतीय खाद्य निगम को मानव जाति की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने वाले एक महान सगठन की भूमिका का निर्वाह वास्तव मे करना है तो उपर्युक्त सुझावो पर भली-भाँति विचार-विमर्श करके इन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में आर्थिक उन्नति की एक नयी लहर चल रही है। भारत भी इससे अछूता नही है। उदारीकरण एव वैश्विकीकरण के इस नये आर्थिक दौर मे भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। ऐसी स्थिति मे निगम को भी उपलब्ध व्यापारिक सुअवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उपर्युक्त सुझावों का अनुपालन कर भारत की अग्रणी सामाजिक एव आर्थिक कल्याण की सस्था के रूप मे भारतीय खाद्य निगम अपना नाम सुनहरे अक्षरो मे अंकित करा सकता है।

(ब) <u>केन्द्रीय भण्डारण निगम</u> -

(अ)<u>परिचय -</u> केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना वर्ष 1957 में की गयी थी। वर्तमान समय में इस निगम का सचालन' वेअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 के अधीन किया जा रहा है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नो, उर्वरको, लघु वनोत्पादो तथा कुछ अन्य ठोस एव तरल वस्तुओ की राष्ट्र स्तर पर उचित एव पर्याप्त पूर्ति हेतु भण्डारण की व्यवस्था करना तथा देश के राज्य भण्डारण निगमों का मार्ग-दर्शन करना है।यह निगम भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई मात्राओ तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम तथा भारतीय जूट निगम एव आयात करने वाली कुछ एजेन्सियों के द्वारा आयातित वस्तुओ के भण्डारण संभाल का कार्य करता है। यह निजी क्षेत्र, सहकारी समितियोंतथा किसानों के आधिक्य खाद्यान्नो के भण्डारण के साथ ही खाद्यान्नो की खरीद मे भी छोटे स्तर पर योगदान करता है। इसके लिए अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारित वस्तुओ के

गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु रोगरोधी उपचार एव प्रधूमन की व्यवस्था भी करता है। यह किसान विस्तार सेवा योजना एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना जैसी सेवाए तथा विकसित एव आधुनिक भण्डार गृहो की डिजाइनिग एवं निर्माण के सम्बन्ध मे अनुसधान एव विकास का कार्य भी सम्पन्न करता है। इस प्रकार यह निगम भारतीय खाद्य नीति के अनुरूप राजकीय व्यापार मे लगे विभिन्न अभिकरणो को अपना सहयोग प्रदान करता है।

निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसमे एक अध्यक्ष तथा 9 निदेशक होते है। निगम की अधिकृत पूँजी 1000 रुपये वाले 10 लाख अशो मे विभाजित है। 31 मार्च 1993 को निगम की कुल अभिदत्त पूँजी 7452 5 लाख रुपये थी जो 1000रुपये के 7,45,250 अंशो मे विभक्त थी। निगम के आधे से अधिक अश केन्द्र सरकार के पास है जबकि अन्य अशो मे क्रमश भारतीय स्टेट बैक के पास 1,74,729 अंश, अन्य अनुसूचित बैको के पास 1,42,052 अश, भारतीय जीवन बीमा निगम सहित अन्य बीमा कम्पनियो के पास 51,454 अश, सहकारी समितियो के पास 2,689 अंश, कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओ के पास 71 अंश एव कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कम्पनियो के पास 5 अश थे। वेअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसारण में निगम के अशों पर मूलधन लौटाने तथा अंशो के जारी करने के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लाभांश की अदायगी करने के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान की गयी है।[42] निगम ने राज्य भण्डारण निगमों के 50 प्रतिशत समता अंशों मे स्वयं निवेश किया है तथा पजाब राज्य भण्डारण निगम के साथ उसका संयुक्त उद्यम भी चल रहा है।

(ब) <u>निगम की उपलब्धियाँ –</u> केन्द्रीय भण्डारण निगम विभिन्न प्रकार के वस्तुओ को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुओं के प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए देश को भण्डारण की महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का सफलता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। इसकी कार्यात्मक प्रगति का मूल्यांकन इस प्रकार है–

1 <u>निगम का व्यवसाय –</u> हाल के वर्षों में निगम को नये आर्थिक वातावरण मे कार्य करने के साथ–साथ सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम एवं ढाँचागत परिवर्तनो से उत्पन्न प्रभावो को सहना पडा है। उदारीकरण की नीति से बॉण्डेड वेअर हाउसिंग की गतिविधियो मे बहुत कमी आयी है। क्योंकि भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम तथा भारतीय जूट निगम और आयात करने वाली अन्य एजेन्सियाँ का कारोबार कम हो गया। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नो की खरीद मे कमी आने से निगम के भण्डारण गृहों के उपयोग पर प्रभाव पडा।

यद्यपि पिछले वर्षों में निगम के भण्डारगृहों की सख्या और उसकी भण्डारण क्षमता मे लगातार

वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 40

निगम के भण्डार गृहो की सख्या एवं उनकी क्षमता का विवरण

(31 मार्च को)

	विवरण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	केन्द्रीय भण्डार गृहो की सख्या	483	498	493	465
2	उनकी भण्डारण क्षमता (लाख मी टनों मे)	65 16	67 77	67 19	66 58
	क निर्मित/अपनी	45 68	47 22	47 75	48 51
	ख किराये की	17 68	17 55	16 53	15 90
	ग खुली	1 80	3 00	2 91	2 18
3	औसत/उपलब्ध क्षमता	64 38	66 56	67 65	66 65
4	प्रयुक्त क्षमता	49 75	52 16	49 63	44 65
5	प्रयुक्त क्षमता(प्रतिशत मे)	77	78	73	67
6	वस्तुवार(सप्रतिशत) उपयोग की स्थिति-				
	(क) खाद्यान्न		27 66 (51)	21 72 (49)	21 74 (45)
	(ख) उर्वरक		6 8 (13)	5 96 (13)	7 91 (17)
	(ग) अन्य		19 28 (36)	17 20 (38)	18 46 (38)

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन- केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भण्डार गृहो की सर्वाधिक संख्या वर्ष 1990-91 मे 498 थी इस वर्ष मे 20 नये भण्डार गृह खोले गये जबकि 5 को अपना कारोबार परिचालन तथा अन्य कारणो से बन्द करना पडा। वर्ष 1991-92 मे 6 भण्डारगृहों तथा 1992-93 मे गत वर्ष की तुलना मे 27 भण्डारगृहों की कमी हो गयी। भण्डारगृहों की संख्या में होने वाली वृद्धि एवं कमी के अनुरूप ही उनकी भण्डारण क्षमता में भी वृद्धि एव कमी हुयी है। निगम भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए किराये पर भी भण्डारण क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन उसकी अपनी क्षमता कुल भण्डारण क्षमता की 70 प्रतिशत से अधिक ही रहती है। वह औसतन 25 प्रतिशत क्षमता किराये पर लेता है।

निगम की औसत भण्डारण क्षमता 1992-93 की तुलना में 1 लाख मी टन कम हो गयी है।

न केवल भण्डारण क्षमता मे कमी हुई है बल्कि वर्ष 90–91 से लगातार भण्डारण की उपयोग मे लायी गयी क्षमता भी कम हो रही है। यह वर्ष 1991–92 तथा 92–93 मे अपने गत वर्षों मे प्रयोग मे लायी गयी क्षमता से क्रमश 5 तथा 6 प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग मे गिरावट का मुख्य कारण कस्टम बाण्डेड कारोबार मे कमी होना था क्योंकि आयात मे गिरावट और सीमा शुल्क अधिनियम मे किये गये परिवर्तन कस्टम बॉण्डेड भण्डारगृहो के क्षेत्र मे हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नो, जूट की खरीद में कमी एवं राज्य व्यापार निगम एवं खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये जाने से भण्डारण क्षमता के औसत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने भण्डार गृहो मे अपनी भण्डारण क्षमता का लगभग आधा भाग खाद्यान्नो के भण्डारण मे प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित वस्तुओ में पहलीबार वर्ष 1990–91 मे अन्य वस्तुओ की तुलना मे खाद्यान्नो का भण्डारण 50 प्रतिशत से अधिक रहा। उर्वरको के भण्डारण मे वर्ष 1990–91 तथा 91–92 मे अन्य वस्तुओ की तुलना मे बराबर क्षमता ही प्रयोग मे लायी गयी परन्तु कुल भण्डारण मे वर्ष 91–92 मे मात्रात्मक रूप मे 0 84 मी0टन की कमी रही। वर्ष 1992–93 में उर्वरकों के भण्डारण कारोबार मे वृद्धि हुई और पिछले वर्ष 9 96 लाख मी. टन की तुलना मे यह कारोबार बढ कर 7 91लाख मी टन हो गया।

निगम अन्य वस्तुओं मे तेन्दु पत्ता, आलू, रसायन,रूईगांठ, कॉपर कॉयल्स, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आदि वस्तुओ का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओ के भण्डारण हेतु वह अपनी कुल भण्डारण क्षमता का लगभग एक तिहाई से अधिक भाग उपलब्ध कराता है। निगम नये कारोबार के क्षेत्र मे मध्य प्रदेश में मुख्यत तेन्दु पत्ते के भण्डारण की ओर आकर्षित हुआ है।

केन्द्रीय भण्डारगृहों का जमाकर्तावार उपयोग अग्रांकित तालिका मे प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्याः 41

भण्डारगृहों की जमाकर्तावार उपयोग की स्थिति

(31 मार्च को प्रतिशत में)

जमाकर्ता वर्ष	1987	1988	1989	1990	1991
1 सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाए	71	64	59	56	65
2. सरकार	5	5	6	13	07
3. निजी	24	31	35	31	28
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

नोटः निजी जमाकर्ताओ में सहकारिताएं, व्यापारी एवं किसान शामिल है।

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन–केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

न केवल भण्डारण क्षमता मे कमी हुई है बल्कि वर्ष 90-91 से लगातार भण्डारण की उपयोग मे लायी गयी क्षमता भी कम हो रही है। यह वर्ष 1991-92 तथा 92-93 मे अपने गत वर्षों मे प्रयोग मे लायी गयी क्षमता मे क्रमश 5 तथा 6 प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग मे गिरावट का मुख्य कारण कस्टम बाण्डेड कारोबार मे कमी होना था क्योंकि आयात मे गिरावट और सीमा शुल्क अधिनियम मे किये गये परिवर्तन कस्टम बॉण्डेड भण्डारगृहो के क्षेत्र मे हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नो, जूट की खरीद मे कमी एवं राज्य व्यापार निगम एव खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये जाने से भण्डारण क्षमता के औसत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने भण्डार गृहो मे अपनी भण्डारण क्षमता का लगभग आधा भाग खाद्यान्नो के भण्डारण मे प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित वस्तुओ में पहलीबार वर्ष 1990-91 मे अन्य वस्तुओ की तुलना मे खाद्यान्नो का भण्डारण 50 प्रतिशत से अधिक रहा। उर्वरको के भण्डारण मे वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में अन्य वस्तुओ की तुलना मे बराबर क्षमता ही प्रयोग में लायी गयी परन्तु कुल भण्डारण मे वर्ष 91-92 मे मात्रात्मक रूप मे 0 84 मी0टन की कमी रही। वर्ष 1992-93 मे उर्वरको के भण्डारण कारोबार मे वृद्धि हुई और पिछले वर्ष 9 96 लाख मी. टन की तुलना मे यह कारोबार बढ कर 7 91लाख मी टन हो गया।

निगम अन्य वस्तुओ मे तेन्दु पत्ता, आलू, रसायन, रूईगाठ, कॉपर कॉयल्स, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आदि वस्तुओ का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओ के भण्डारण हेतु वह अपनी कुल भण्डारण क्षमता का लगभग एक तिहाई से अधिक भाग उपलब्ध कराता है। निगम नये कारोबार के क्षेत्र मे मध्य प्रदेश मे मुख्यत तेन्दु पत्ते के भण्डारण की ओर आकर्षित हुआ है।

केन्द्रीय भण्डारगृहों का जमाकर्तावार उपयोग अग्रांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या 41

भण्डारगृहो की जमाकर्तावार उपयोग की स्थिति

(31 मार्च को प्रतिशत मे)

जमाकर्ता	वर्ष 1987	1988	1989	1990	1991
1 सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	71	64	59	56	65
2 सरकार	5	5	6	13	07
3 निजी	24	31	35	31	28
योग	100	100	100	100	100

नोट निजी जमाकर्ताओ मे सहकारिताए, व्यापारी एवं किसान शामिल है।

स्रोत वार्षिक प्रतिवदेन-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनो प्रकार के जमाकर्ताओ के द्वारा भण्डारगृहो का प्रयोग प्रतिवर्ष घटता-बढता रहा है। इसमे परिवर्तन इस प्रकार हुआ है जिससे किसी प्रवृत्ति का निर्धारण नही किया जा सकता। परन्तु इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रायोजित सस्थाओ के इन भण्डार गृहो मे कृषी तथा सरकार एव निजी जमाकर्ताओ द्वारा समीक्षात्मक 5 वर्षों मे वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

2 <u>पब्लिक बॉण्डेड भण्डार-गृहो की स्थिति</u> – पब्लिक बॉण्डेड भण्डारगृहो के क्षेत्र मे निगम वर्ष 1990–91 तक लगातार अच्छी प्रगति करता रहा है।इस वर्ष के दौरान ऐसे 15 नए भण्डारगृह खोले गये। मार्च-1991 को निगम 9 43 लाख टन क्षमता के 178 पब्लिक बॉण्डेड भण्डार गृह चला रहा था। निगम द्वारा चलाये जा रहे ये भण्डारगृह रसायनो, इलैक्ट्रोनिक्स, आटोमोबाईल्स, टैक्सटाइल्स, मशीनी–औजारो आदि के लिए भण्डार सुविधाए उपलब्ध कराकर व्यापार एवं उद्योग–क्षेत्र की आवश्यकताए पूरी कर रहे है। सामान्य वायुमण्डलीय परिस्थितियो मे भण्डारण करने के अतिरिक्त इस निगम द्वारा सवेदनशील वस्तुओ का नियन्त्रित तापमान मे और तरल पदार्थों का टैको मे भण्डारण भी किया जाता है।

31 मार्च 1992 को निगम 8 81 लाख क्षमता के 169 पब्लिक बॉण्डेड भण्डारगृहो को चला रहा था। इन सीमा शुल्क द्वारा नियन्त्रित भण्डारगृहो ने विभिन्न व्यापार क्षेत्रो मे आयातको के आवश्यकताओ की पूर्ति की। लेकिन आयात मे गिरावट एव विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिनियम में सशोधन जैसे– बॉण्ड अवधि तीन माह से घटाकर एक माह करने, बॉण्डिग से पहले निर्धारित सीमा शुल्क के शेष 50 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान भी जरूरी करने से निगम को बॉण्डेड भण्डारगृहो के उपयोग के क्षेत्र मे भारी धक्का लगा। इन परिवर्तनो ने बाण्डेड भण्डारगृहो के व्यापार को हतोत्साहित किया। सीमा शुल्क नियन्त्रित व्यापार के क्षेत्र मे क्षमता उपयोग मे कमी के कारण निगम केआवर्त मे अत्यधिक कमी आयी। जिसके परिणामस्वरूप लाभ पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पडा। वर्ष 1992–93 मे नियन्त्रित कारोबार मे गिरावट आने के कारण 2.4 लाख मी टन क्षमता का कारोबार घट गया लेकिन सामान्य एव औद्योगिक भण्डारगृहो के उपयोग को बढ़ाकर लगभग 1 4 लाख मी टन की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके इस कमी को पूरा कर लिया गया।

3. <u>कंटेनर ढुलाई स्टेशनो की प्रगति</u> – यह निगम देश में कटेनर ढुलाई स्टेशनो की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के मामले मे एक अग्रणी संस्था के रूप मे उभरकर सामने आया है। वर्ष 1990–91 मे निगम ने पुणे, अहमदाबाद तथा हैदराबाद मे तीन नये कंटेनर स्टेशन स्थापित किये। इस प्रकार इस वर्ष मे निगम द्वारा चलाये जा रहे कटेनर ढुलाई स्टेशनो की संख्या बढ़ कर 8 हो गयी। वर्ष 1991–92 मे विरुगमबक्कम, मद्रास मे एक नये कटेनर ढुलाई स्टेशन की स्थापना की गयी। इस प्रकार निगम के पास अब कंटेनर ढुलाई स्टेशनों की सख्या बढ़कर 9 हों गयी है। एक अन्य स्टेशन पजाब राज्य भण्डारण

निगम के साथ सयुक्त उद्यम के रूप मे लुधियाना मे कार्य कर रहा था। निगम ने वर्ष 1991–92 के दौरान 114 हजार कंटेनर की संभाल की। जबकि इसक पूर्व के वर्ष मे सभाल किये गये कटेनरो की सख्या 74,925 थी। इस प्रकार इसमे 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कटेनरो के सभाल कार्य मे प्रमुख वृद्धि जवाहर लाल नेहरूपोर्ट एव कालम्बोली मे हुई।

वर्ष 1992–93 मे 1 44 लाख कटेनर की संभाल की गई। जबकि पिछले वर्ष इनकी सख्या 1 14 लाख थी। निगम के वर्तमान अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम ने वर्ष 93–94 के दौरान कुल 48 अरब 30 करोड रुपये मूल्य की वस्तुओ का संचालन अपने 12 कटेनर ढुलाई स्टेशनो के माध्यम से की। निर्यात कटेनरो के सचालन मे निगम ने 18 प्रतिशत की वृद्धि की है। श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि इन कंटेनर ढुलाई स्टेशनो पर कुल 80 करोड रुपये का निवेश किया गया है। निकट भविष्य मे इसी तरह के और 5 कटेनर ढुलाई स्टेशनो की स्थापना करने की योजना है। इन पर 30 करोड रुपये निवेश किये जाने का अनुमान है। निगम ने सूरत, काण्डला, उदयपुर, नासिक, माधवरम(मद्रास) तथा कोटा मे कंटेनर ढुलाई स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र की अन्तर मन्त्रालय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।[43]

4. निगम का वित्तीय निष्पादन – केन्द्रीय भण्डारण निगम के गत वर्षों के वित्तीय निष्पादन को निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है–

तालिका सख्या 42

निगम का विगत वर्षों का वित्तीय निष्पादन

(करोड रुपये मे)

क्र सं	विवरण	वर्ष 1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1.	सकल ब्लॉक	107 49	215 58	241 89	263 38
2	कार्यशील पूँजी	70 34	91 67	102 94	–
3	निवेश	39 51	43 57	45 92	–
4	नियोजित पूँजी	274 43	312 70	345 86	351 84
5	सकल प्राप्तियाँ	105 84	117 46	121 86	111 11
6	परिचालन खर्चे	65 36	73 99	79 85	88 22
7	निवल लाभ	40 48	43 47	42 09	22 89
8	प्रति कर्मचारी प्राप्तियाँ(रुपये मे)	1,08,545	1,18,181	1,21,965	1,12,000
9	प्रति कर्मचारी सभाली गयी क्षमता (टनों मे)	668	682	672	–

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन–केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

43 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994.

तालिका सख्या 43 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम की स्थायी सम्पत्ति, कार्यशील पूँजी, निवेश तथा नियोजित पूँजी मे समयानुसार लगातार वृद्धि हो रही है जिसे भण्डारण निगम के विस्तार की दृष्टि से एक शुभ सकेत कहा जा सकता है। यदि इन मदो की वर्ष 1989–90 की तुलना वर्ष 1991–92 की मदो से की जाय तो स्पष्ट होता है कि इस अवधि मे कार्यशील पूँजी मे सर्वाधिक वृद्धि 45 प्रतिशत की हुई। इसके बाद नियोजित पूँजी 26 प्रतिशत बढी, स्थायी सम्पत्ति मे 22 5 प्रतिशत तथा निवेश में सबसे कम 16 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निगम की सकल प्राप्तियाँ निगम के इतिहास मे वर्ष 1991–92 में सर्वाधिक रही है जबकि निवल लाभ वर्ष 1990–91 मे ही सर्वाधिक रहा। यदि वर्षवार प्राप्तियो मे वृद्धि दर का अवलोकन किया जाय तो यह सबसे अधिक 1989–90 की तुलना मे वर्ष 1990-91 मे 10 98 प्रतिशत की दर से बढी है। यदि सीमा शुल्क नियन्त्रित व्यापारो मे गिरावट न आयी होती तो वर्ष 1991-92 मे सकल प्राप्तियो मे वृद्धि और अधिक होने की सम्भावना थी। निगम की सकल प्राप्तियो मे वर्ष 1992-93 मे 10 83 करोड रुपये की कमी हो गयी। कारोबार मे गिरावट आने से प्राप्तियो मे गिरावट आना स्वाभाविक था। यदि प्रति कर्मचारी प्राप्तियो एवं उनके द्वारा सभाली गयी क्षमता का विश्लेषण किया जाय तो प्रति कर्मचारी प्राप्तियाँ वर्ष 91-92 मे सर्वाधिक 1,91,965 रुपये थी जबकि इस वर्ष उनके द्वारा संभाली गयी भण्डारण क्षमता गत वर्ष की तुलना मे 10 टन कम रही। वर्ष 1992–93 मे प्रति कर्मचारी प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की तुलना 9,965रुपये प्रति कर्मचारी कम हो गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियो ने भी अपनी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया है।

5 <u>निगम की लाभदायकता एवं लाभाश</u> – हाल के वर्षों मे निगम की प्राप्तियो मे कमी तथा व्ययों में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी लाभदायकता मे कमी आयी है। इसके लाभदायकता एव लाभाश के विश्लेषण हेतु एव उससे सम्बन्धित अन्य तथ्यो को निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है–

तालिका संख्या 43

केन्द्रीय भण्डारण निगम की लाभदायकता एवं लाभांश का विवरण (लाख रुपये मे)

	विवरण	1986-87	1987–88	1990–91	1991–92	1992–93
1	निवल लाभ	2699	3622	4347	4209	2289
2	नियोजित पूँजी पर लाभ(%मे)	14 99	17 43	13 90	12 17	6 5
3	आवर्त पर लाभ(% में)	40 43	43 55	37 00	34 50	20 60
4.	लाभाश	358	358	476	850	476
5.	लाभांश दर(%मे)	5	5	7	12 5	7
6.	प्रारक्षण मे हस्तान्तरित	–	–	3827	3317	486

तालिका संख्या 43 मे दर्शाये गये निवल लाभ की समीक्षा की जाय तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 1986-87 एव 1987-88 के बीच निवल लाभो में जिस पकार आश्चर्यजनक रूप मे वृद्धि हुयी थी उसी प्रकार यह वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 मे आश्चर्यजनक रूप से घटा भी है। नियोजित पूँजी पर लाभ वर्ष 1987-88 मे 17 43 प्रतिशत के उच्चतम शिखर पर पहुँचकर बाद के वर्षों मे इसमे निरन्तर कमी होते-होते यह 6 5 प्रतिशत के चिन्ताजनक अवस्था मे पहुँच गया है। इसी प्रकार आवर्त पर लाभ की दृष्टि से समीक्षात्मक वर्षों मे सबसे अच्छा वर्ष 1987-88 तथा सबसे खराब वर्ष 1992-93 रहा है।

जहाँ तक लाभाश का प्रश्न है तो 'वेअर हाउसिग कारपोरेशन अधिनियम-1962' की धारा-5 (1) के प्रावधानो के अधीन निगम के अंश मूलधन की वापसी तथा न्यूनतम लाभाश के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टीबद्ध है। 31 40 करोड रुपये के मूल्य के पहले 7 निर्गमो के अशो पर न्यूनतम लाभांश की दर 3 5 प्रतिशत है जबकि शेष अंशो पर न्यूनतम लाभाश 5 5 प्रतिशत है। पहले सात निर्गमो पर लाभाश की दर वर्ष 1986-87 मे पहली बार बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गयी थी। इसके बाद 1988-89 मे लाभांश की दर 5 5 प्रतिशत अर्थात् शेष निर्गमो के समान ही कर दी गई थी। सभी 15 निर्गमो के लिए वर्ष 1989-90 के लिए लाभांश की दर बढाकर 6 प्रतिशतकी गयी थी वर्ष 1990-91 मे लाभांश की दर बढाकर 7 प्रतिशत की गयी और कुल 4 76 करोड रुपये लाभाश के रूप मे अशधारियो को वितरित किये गये।

वर्ष 1991-92 मे निगम के निदेशको ने लाभाश की दर मे सहर्ष वृद्धि कर 12 5 प्रतिशत कर दिया और 8 50 करोड रुपये लाभांश के रूप मे वितरित किये। परन्तु लाभों की कमी के कारण निगम को लाभाश दर वर्ष 1992-93 मे पुन पूर्व के स्तर तक कम करनी पडी जो प्रदत्त पूँजी पर 7 प्रतिशत तथा निवल लाभो का लगभग 20 8 प्रतिशत है। ऐसा रिपोर्टाधीन वर्ष मे निगम को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के कारण करना पडा। लाभाश दर मे 5 प्रतिशत की कमी एक ओर की गयी तो दूसरी ओर प्रारक्षण की धनराशि को भी पूर्व वर्ष की तुलना मे 28 31 करोड रुपये कम करना पड़ा।

6 <u>राज्य भण्डारण निगमो मे निवेश एवं लाभांश की स्थिति</u> - निगम ने देश के 16 राज्य भण्डारण निगमो की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी मे विनियोजन भी कर रखा है। इसने पंजाब राज्य भण्डारण निगम मे सबसे अधिक 4 लाख अश खरीद कर 4 करोड रुपये का विनियोजन किया है। यह निगम केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप मे कार्य कर रहा है।यद्यपि केन्द्रीय भण्डारण निगम ने मध्य प्रदेश भण्डारण निगम के 17,020 अतिरिक्त समता अंशो को वर्ष 1992-93 मे खरीद कर इस निगम में भी अपनी पूँजी को 4 करोड रुपये तक पहुँचा दिया है। अन्य राज्य भण्डारण निगमो मे 31 मार्च,93 को निगम ने जो अश खरीद रखे थे उनमे प्रमुखत तमिलनाडु के 3,80,500, उत्तर प्रदेश के

3,73,260 आन्ध्र प्रदेश के 3,30,703 महाराष्ट्र के 3,14,800 तथा पश्चिमी बंगाल के 3 09 700 अंश थे। इन सभी अंशो का अंकित मूल्य 100 रुपये है। इन राज्य भण्डारण निगमो की प्रगति तथा इनसे प्राप्त आय को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 44

राज्य भण्डार निगमो की प्रगति एव इनसे प्राप्त आय

	विवरण	वर्ष 1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1	संख्या (31 मार्च को)	1324	1331	1343	1350
2	भण्डारण क्षमता (लाख मी टन मे)	90 00	93 54	91 05	92 03
	क– स्वनिर्मित	64 53	65 98	67 46	69 38
	ख– किराये पर	24 27	25 81	22 01	21 36
	ग– खुले प्लिथ	1 20	1 75	1 58	1 29
3	केन्द्रीय भण्डार निगम का अंशो मे निवेश लागत पर (करोड रु मे)	34 80	37 77	40 25	42 02
4	प्राप्त लाभांश (करोड रुपये मे)	1 23	48	1 66	1 06
5	निवेश पर आय का प्रतिशत	3 53	1 27	4 12	2 52

स्रोत वार्षिक पतिवेदन–केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य भण्डारण निगमो के भण्डारगृहो की संख्या लगातार बढती रही है और 1992–93 मे यह 1350 हो गयी है। इस प्रकार निगम भण्डारगृहो की सख्यात्मक दृष्टि से वृद्धि कर रहा है, परन्तु यदि निगम की भण्डारण क्षमता पर दृष्टि डाली जाय तो स्पष्ट होता है कि इन निगमो की कुल भण्डारण क्षमता 1991–92 मे 87–88 से कुछ कम ही थी। वर्ष 1987–88 मे केन्द्रीय भण्डारण निगम के भण्डारगृहों की सख्या 1306 और उनकी भण्डारण क्षमता 90.60 लाख मी टन थी। निगम की भण्डारण क्षमता प्रति वर्ष घटती बढती रही है परन्तु उनके अपने भण्डारगृहों की क्षमता मे लगातार वृद्धि हुई है। निगम सार्वजनिक निर्माण विभाग से भण्डारण क्षमता किराये पर प्राप्त करता है और उसकी कुल भण्डारण क्षमता मै उच्चावचन किराये के भण्डारण क्षमता एव खुले प्लिंथ भण्डारण के कारण ही रहा है। राज्य भण्डारण निगम के लिए यह एक सुखद स्थिति है कि उसकी स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता लगातार बढ़ रही है जबकि किराये की एव खुले प्लिंथ की भण्डारण क्षमता में लगातार कमी की जा रही है।

वर्ष 1990–91 मे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा एव तमिलनाडु के राज्य भण्डारण निगम विभिन्न कारणों जैसे– लेखो को अन्तिम रूप न दिया जाना, लेखा परीक्षको की देरी से नियुक्ति इत्यादि के कारण अपनी वार्षिक बैठके न कर सके। मेघालय के अतिरिक्त सभी राज्य भण्डारण

निगमो की, जिनकी वार्षिक साधारण सभा वर्ष 1990-91 के दौरान हुई का नाम दर्शाया एव सात राज्य भण्डारण निगमों ने लाभाश 0 5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक घोषित किया जिससे केन्द्रीय भण्डारण निगम को पिछले वर्ष 123 50 लाख रुपये के राशि की तुलना मे इस वर्ष 47 53 लाख रुपये लाभाश प्राप्त हुआ। इस वर्ष मे कुछ राज्य भण्डारण निगमो द्वारा मुख्य रूप से वार्षिक साधारण सभा न करने के कारण केन्द्रीय भण्डारण निगम के लाभाश राशि मे गिरावट आयी। राज्य भण्डारण निगमो के लाभ मे गिरावट व्यापार सम्बन्धी एव प्राकृतिक आपदाओ जैसे- बाढ एव सूखा इत्यादि के कारण आयी।

वर्ष 1992 93 मे 13 राज्य भण्डारण निगमो ने अपनी वार्षिक साधारण बैठके की। इनमे से मेघालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम ने हानि दिखायी तथा लाभाश घोषित नही किया। पजाब राज्य भण्डारण निगम ने यद्यपि लाभ होने की सूचना दी फिर भी लाभाश घोषित नही किया। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल वार्षिक साधारण बैठको के सम्बन्ध में संवैधानिक अपेक्षाए पूरी नहीं कर पाये। केन्द्रीय खाद्य सचिव ने सम्बन्धित राज्यो के मुख्य सचिवो के साथ इस मामले को उठाया भी। निगम ने राज्य भण्डारण निगमो की पूँजी मे वर्ष 1992-93 मे 176 36 लाख रुपये का और निवेश किया फलस्वरूप सम्पूर्ण निवेश 31 मार्च-1993 को बढ कर 4201 57 लाख रुपये हो गया। इस वर्ष मे केन्द्रीय भण्डारण निगम ने इस निवेश पर कुल 105 76 लाख रुपये का लाभाश अर्जित किया।

(स) निगम की अन्य गतिविधियाँ -

केन्द्रीय भण्डारण निगम की अन्य गतिविधियाँ निम्नवत् है-

1 निर्माण कार्यक्रम – भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के बीच 29 फरवरी 1980 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, केन्द्रीय भण्डारण निगम, भारतीय खाद्य निगम की और से गोदामो का निर्माण करेगा जिसके लिए प्रारम्भ मे भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 1 1 ऋण समता के अनुपात पर पूरा वित्त दिया जायेगा एव केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत सरकार को निर्धारित ऋण की ब्याज सहित किश्तो के भुगतान के लिए भारतीय खाद्य निगम की देयता को वहन करेगा। 15 वर्ष पश्चात् रेलवे साइडिंग तथा अन्य सुविधाओ सहित इन गोदामो का पूर्ण स्वामित्व केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा पहले ही चुकायी गयीं राशियो को घटाकर ह्रासित मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम से केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास पहुँच जायेगा। इसी नीति के तहत् केन्द्रीय भण्डार निगम ने वर्ष 1990-91, 91-92 तथा 92-93 मे क्रमश 0 76, 1 27 तथा 0 81 लाख टन क्षमता के भण्डारगृहो का निर्माण 18 96, 23 44 तथा 21 76 करोड रुपये की लागत से पूरा किया।

निगम ने संस्थाओ और सरकारी निकायो की ओर से जमा कार्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के भण्डारगृहों एवं अन्य ढाँचो के डिजाइनिग तथा निर्माण कार्य को अपने हाथ मे लिया है। इसकी विशेषज्ञता

का लाभ दो सहकारी संस्थाओ अर्थात् एन सी सी एफ तथा सुपर बाजार ने उठाया है। एन सी सी एफ ने नागपुर के समीन हीगना मे अपने परिसर का निर्माण कार्य केन्द्रीय भण्डारण निगम को सौपा। सुपर बाजार, नई दिल्ली ने पालम मे सुपर बाजार बिल्डिंग के निर्माण का कार्य केन्द्रीय निगम को सौपा है। निगम आई जी एस आई हापुड के लिए स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य आधारभूत इमारतो का भी निर्माण कर रहा है। निगम के वर्तमान अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम देश मे 50 से 100 टन क्षमता वाले कई और कोल्ड स्टोरेज भी खोलेगा। इस सन्दर्भ मे व्यापार योजना बनाई जा रही है।[44]

2 गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण – पिछले वर्षों मे निगम ने अपने भण्डारगृहो मे स्टॉक के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण के ऊँचे मानक स्थापित करने मे अच्छा नाम कमाया है। निगम भण्डारगृह सुविधाओं के प्रयोगकर्ताओ को गुणवत्ता का आश्वासन तथा ग्राहको को सन्तुष्टि प्रदान करता है। भण्डारगृह मे रखे गये माल की बाजार मे कीमत के अनुसार गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भण्डारण प्रक्रिया सहिताओ को पूरी तरह लागू किया गया है। इस दिशा मे किये गये उपायो तथा उनकी प्रगति को निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है–

तालिका सख्या 45

गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण के लागू किये गये उपाय एव उनकी प्रगति

क्र सं	विवरण	वर्ष	1990–91	1991–92	1992–92
1	नमूनो की सख्या जिनका विश्लेषण एवं ग्रैड निर्धारण किया गया		70,028	72,050	68,834
2	स्टॉक जिनका रोग रोधी उपचार हुआ(मिलियन बोरे)		552 06	512 65	401 39
3	स्टॉक जिसका प्रधूमन किया गया	""	58 26	63 83	42 49
4.	संगरोध प्रधूमन	""	4 46	3 48	5 71
5	प्रधूमित किया गया भण्डार स्थान	(क्यूबिक मीटर)	–	26,000	5,601
6	भण्डारण क्षतियाँ	(प्रतिशत मे)	0 35	51	43

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन–केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

इस प्रकार निगम भण्डारित वस्तु मे उचित गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न वस्तुओ का विश्लेषण एव ग्रेड निर्धारण करता है। यह विभिन्न कीटनाशक दवाओ से स्टॉक का रोग रोधी उपचार तथा प्रधूमन का कार्य भी करता है, जिससे भण्डारण अवधि मे वस्तुओं के गुणवत्ता मे किसी प्रकार की कमी न आने पाये और भण्डारण की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। निगम ने खाद्यान्नों मे होने वाली भण्डारण क्षतियों पर नियन्त्रण रखा है। प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 1992–93 मे पिछले वर्ष की

44 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

भण्डारण क्षति 51 प्रतिशत की तुलना मे 43 प्रतिशत ही रह गई। यह निगम की वैज्ञानिक परिरक्षण मे प्राप्त की गयी सफलता का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त निगम ने भण्डारगृहो मे वस्तुओ की सुरक्षित सभाल एव भण्डारण के लिए भण्डारण प्रक्रिया सहिताएं तैयार की है। वर्ष 1991–92 मे 10 और नयी वस्तुओ के लिए, जो कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक वस्तुए है, की भण्डार प्रक्रिया सहिताए बनायी गयी। इस प्रकार मार्च 1992 तक 229 वस्तुओ के लिए भण्डारण प्रक्रिया संहिताए तैयार की जा चुकी थी।

3 <u>किसान एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना</u> – किसानो को वैज्ञानिक भण्डारगृहो के लाभो से अवगत कराने, भण्डार गृहों की रसीदो को गिरवी रखकर ऋण लेने मे उनकी सहायता करने तथा उनके अपने गोदामो मे स्टॉक के परिरक्षण के उपायो के बारे मे उन्हे शिक्षित करने के लिए निगम ने वर्ष 1977-78 मे किसान विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की थी। निगम द्वारा किसानो के लाभ के लिए इस प्रोत्साहन योजना पर धन पूरी तरह से अपने ससाधनो द्वारा लगाया जा रहा है। वर्ष 1990–91 के दौरान इस योजना के अधीन 10 नये केन्द्र शामिल किये गये। इन केन्द्रो के साथ किसान विस्तार सेवा योजना का कार्य 185 भण्डार गृहो के माध्यम सेसम्पन्न हुआ। इस वर्ष मे निगम के तकनीकी कर्मचारियो द्वारा 5442 गाँवों का दौरा किया गया और 90,087 किसानो को फसल के बाद होने वाली क्षतियो को कम करने एवं वैज्ञानिक भण्डारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे शिक्षित किया गया। इन दौरो के दौरान तकनीकी कर्मचारियों द्वारा 519 प्रदर्शन भी किये गये जिनके द्वारा 27354 बोरों तथा 8679 वर्ग मीटर खाली स्थान का निरोधात्मक उपचार किया गया एव इसके अतिरिक्त 2,771बोरो को प्रधूमित किया गया। सम्पर्क स्थापित करने के परिणामस्वरूप कृषको ने भण्डारगृहो मे कृषि उत्पाद के 1 28,405 बोरे भी वर्ष 1990–91 मे जमा करवाए।

वर्ष 1992–93 मे पिछले वर्ष के 196 भण्डारगृहो की तुलना मे 200 भण्डारगृहो के माध्यम से इस योजना को चलाया गया। योजना के अधीन 5019 गावो का दौरा किया गया तथा 1,01,613 किसानों को शिक्षित किया गया। इस आदान–प्रदान के कारण कृषक समुदाय ने कृषि उत्पाद के 2 08 लाख बोरे विभिन्न भण्डार गृहो मे जमा कराये। कीटनाशक विस्तार सेवा योजना के अधीन निगम अपने ग्राहकों को उनके भण्डारण स्थानो पर ही कीटनाशक सेवाए उपलब्ध कराता है। इस योजना के अधीन वर्ष 1992–93 मे निगम ने पिछले वर्ष की 33 244 लाख रुपये की आय की तुलना मे इस वर्ष 42 21 लाख रुपये अर्जित किये।

4 <u>अनुसधान एवं विकास कार्य</u> – निगम द्वारा विकसित की गई आधुनिक भण्डारगृहो की डिजाइनिंग एवं निर्माण मे विशेषज्ञता को एन सी सी एफ एव सुपर बाजार को उनके काम्पलेक्सो के

निर्माण एवं डिजाइनिंग हेतु उपलब्ध करवाया गया। बाण्डेड भण्डारगृहो के परिचालन मे महसूस की गई परिचालन समस्याओ एव अडचनो के निराकरण के लिए निगम का अनुसन्धान एव विकास विभाग अपने बाण्डेड भण्डारगृहो मे एक समान पद्धति विकसित कर रहा है। भण्डारगृहो मे वाहिकुलर ट्रैफिक मे तीव्रता की समस्या एवं परिसर के अन्दर तथा बाहर भीड-भाड को कम करने की समस्या का अध्ययन कर विकसित पद्धतियो को भली-भाँति अपनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के आने जाने मे बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त निगम ने गुड के भण्डारण की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परिवेशी तापमान के अन्तर्गत गुड भण्डारण की तकनीक के विकास के अध्ययन का कार्य हाथ मे लिया है। निगम द्वारा देश मे शीत भण्डारण क्षमता को बढाने के उद्देश्य से कुछ केन्द्रो का सर्वेक्षण किया गया है एव व्यापारिक सम्भावनाओं का पता भी लगाया जा रहा है।

5. <u>गेहूँ की खरीद</u> – केन्द्रीय भण्डारण निगम ने छोटे पैमाने पर वर्ष 1992–93 से गेहूँ की खरीद भी शुरू की है। उसने गेहूँ खरीद का कार्य अभी केवल तीन राज्यो– उत्तर प्रदेश, बिहार एव राजस्थान में ही किया है। यद्यपि इससे निगम की आय मे कोई विशेष योगदान नही मिला तथापि इससे भविष्य में और कारोबार बढने की सम्भावना है।

(द) <u>निगम की समस्याएं एव सुझाव</u> -

विगत वर्षों से निगम अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करते हुए भारत के राजकीय व्यापार मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधिक्य के रूप मे उपलब्ध वस्तुओ की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को उसकी आवश्यकता एव उपभोग के समय तक सुरक्षित रखना और न केवल सुरक्षित रखना बल्कि उसके लिए कम से कम लागत पर अधिकतम सुविधाए प्रदान करना किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक सराहनीय प्रयास है। निगम वस्तुओ को अपनी भण्डारगृहों में रखकर उनकी समय उपयोगिता मे वृद्धि का पुनीत कर्तव्य पूरा करता है। इससे राजकीय व्यापार में लगी अन्य एजेन्सियो जैसे–भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एव धातु व्यापार निगम आदि के साथ-साथ सरकार की प्रायोजित सस्थाए, सहकारी समितियो तथा सामान्य कृषको को अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त खाद्यान्नो तथा अन्य वस्तुओ के भण्डारण की सुविधा प्राप्त होती है। परन्तु अन्य राजकीय अभिकरणों की तरह ही यह निगम भी समस्याओ से रहित नहीं है। निगम की समस्याएं एव तत्सम्बन्धी सुझाव निम्नवत् है–

* <u>निगम की भण्डारण क्षमता मे वृद्धि के बावजूद प्रयुक्त क्षमता मे कमी</u> – यदि निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता का अवलोकन किया जाय तो इसमे गत वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी कुल भण्डारण क्षमता मे उच्चावचन का प्रमुख कारण किराये पर प्राप्त की गयी भण्डारण क्षमता मे

उच्चावचन है। स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता मे की गयी वृद्धि इसलिए अनार्थिक प्रतीत हो रही है क्योंकि निगम की प्रयुक्त भण्डारण क्षमता कम हो रही है।प्रयुक्त क्षमता मे कमी वर्ष 1991–92 के दौरान 5 प्रतिशत तथा 1992 93 के दौरान पुन 6 प्रतिशत की कमी हुयी है जिसे उचित नही कहा जा सकता।

यह तो सन्तोष का विषय है कि निगम किराये पर प्राप्त करने वाली भण्डार क्षमता मे कमी करके अपनी स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता को बढाने मे लगा है परन्तु अपार पूँजी निवेश से स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता अथवा किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण क्षमता यदि अप्रयुक्त रूप मे खाली पडी रहती है तो यह निगम को हानि पहुँचाने का माध्यम बनती है। इसलिए निगम को चाहिए कि वह स्वनिर्मित भण्डार क्षमता को बढ़ाने का कार्य निरन्तर जारी रखे तथा अपने संसाधनो का विस्तार करे, किन्तु किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण क्षमता माँग अथवा आवश्यकता के अनुरूप ही प्राप्त की जाय। इससे किराये के रूप मे चुकाये जाने वाली धनराशि की बचत की जा सकेगी तथा ऐसे भण्डारगृहो का अन्य उपयोग हो सकेगा।

* <u>प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता में कमी –</u> निगम के वित्तीय निष्पादन मे सम्बन्धित समको के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1992–93 मे प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव प्रति कर्मचारी वर्ष के दौरान सभाली गयी क्षमता दोनो मे अधिक कमी आयी है। इसका कारण निगम की सकल प्राप्ति मे कमी होना है क्योंकि कर्मचारियो की सख्या गत वर्षों मे बहुत अधिक घटी–बढी नही है। सकल प्राप्ति मे कमी का कारण अधिकारीगण आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप राजकीय व्यापार मे लगी एजेन्सियो द्वारा किये गये कारोबार मे कमी को बताते है। परन्तु निगम के निजी जमाकर्ताओ की संख्या मे भी गिरावट आयी है जबकि सीमा शुल्क नियन्त्रणो मे कमी करने अथवा हटाने से निजी जमाकर्ताओ की सख्या बढनी चाहिए थी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि निगम निजी जमाकर्ताओ के साथ उचित व्यवहार एव उचित गुणवत्ता बनाये रखने का वांछनीय प्रयास न कर पा रहा हो।

अत निगम को अपनी सकल प्राप्तियों को बढाने का प्रयास करना होगा क्योंकि प्रति कर्मचारी संभाली गयी क्षमता एव सकल प्राप्ति तथा निगम के कर्मचारियो पर व्यय, कर्मचारियो की सख्या से प्रत्यक्षत जुडे हुए है।इसलिए कर्मचारियो की सख्या पर नियन्त्रण भी आवश्यक है। निगम को उसकी सकल प्राप्ति मे आयी कमी के कारणो की गहन जाँच करानी चाहिए और उस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

*<u>भण्डारगृहों से आय मे कमी –</u> वर्ष 1990–91 से निगम की आय लगातार कम होती जा रही है जबकि निगम के प्राप्ति के अन्य साधन जैसे– ऋण एव अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के अन्तर्गत बैंकों मे जमा पर ब्याज, एजेन्सी कमीशन, महाराष्ट्र सरकार की ओर से संभाल प्रचालनो से

आय, पंजाब राज्य भण्डार निगम के सयुक्त उद्यम से उत्पन्न आय तथा अन्य आयो मे लगातार वृद्धि होती रही है। अतः निगम के लिए यह एक चिन्ता का विषय है।

निगम के भण्डारगृहो से होने वाली आय को बढाना होगा और इसमे वृद्धि तभी होगी जब निगम अपनी भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करे। भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग तभी हो सकेगा जब समस्त कर्मचारी भी अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करते हुए भण्डारगृहो को आधुनिक तकनीको से सुसज्जित करने मे अपना योगदान करे और जमाकर्ताओ को हर सम्भव सुविधा प्रदान करें। इसके लिए निगम को भण्डारित की जाने वाली वस्तुओ मे होने वाली गुणात्मक एव मात्रात्मक क्षति को भी न्यूनतम करना होगा।

* निगम के स्थापना व्यय एवं परिचालन व्यय इत्यादि अनियन्त्रित - केन्द्रीय भण्डार निगम अपने स्थापना व्यय एव परिचालन व्यय पर कोई नियन्त्रण नही रख पा रहा है। स्थापना व्यय मे वृद्धि का कारण ग्रेच्युटी, बोनस एव सन्दिग्ध ऋणो के लिए अधिक धन का प्रावधान करना आदि जैसे कारण रहे हैं। जबकि परिचालन व्यय मे वृद्धि का कारण कर्मचारियो एव अधिकारियो के वेतन भत्तो मे वृद्धि यात्रा भत्तों मे वृद्धि, मजदूरी एव रख-रखाव के व्ययो मे वृद्धि के अतिरिक्त किराया दर और कर छपाई एवं लेखन सामग्री के व्यय इत्यादि मे बडी तेजी से हो रही वृद्धि है।

वास्तव मे इन व्ययो मे वृद्धि को रोका तो जा ही नही सकता, हाँ, इनकी वृद्धि दर मे कमी अवश्य की जा सकती है और वह एक ऐसी दीर्घकालीन नीति के तहत् जिसमे प्रारम्भ मे व्ययो के बढ़ने की भी सम्भावना है। निगम को इन व्ययो मे नियन्त्रण हेतु स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण की योजना लागू करना चाहिए इससे अनावश्यक कर्मचारियो की भीड मे कमी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कार्य को देखते हुए यदि कर्मचारियो की नियुक्ति किया जाना आवश्यक ही है तो नव-नियुक्त कर्मचारी अधिक कार्यक्षमता के साथ ही कम वेतन पर अपनी सेवाए प्रदान करेगा, जो कि किसी भी वेतनमान की प्रारम्भिक अवस्था मे होने के कारण वेतन भत्तो पर होने वाले व्यय मे कमी लायी जा सकेगी।

परिचालन व्यय मे कमी लाने हेतु प्रशिक्षित जन शक्ति, नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनें तथा विवेकीकरण पर आधारित भण्डारण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। भण्डारगृहो मे उपलब्ध स्टाक की संगणना हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करना आवश्यक है।

* राज्य भण्डार निगमो मे किये गये निवेश से सन्तोषजनक उपार्जन नही - केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगमो की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी में विनियोजन करता है। राज्य भण्डारण निगमों ने लगातार अपनी संख्या एवं स्वनिर्मित भण्डार क्षमता दोनो मे वृद्धि की है। लेकिन केन्द्रीय भण्डारण निगम को इन निगमो मे किये गये समता पूँजी निवेश के प्रतिफल के सन्दर्भ मे लाभाश का प्रतिशत वर्ष 1989-90 से 1992-93 के बीच क्रमश 3 53, 1 27, 4 12 तथा 2 52 रहा। लाभाश की ये

दरे रामग्र पूँजी निवेश को देखते हुए बहुत कम है। यद्यपि राज्य भण्डारण निगम 0 5 प्रतिशत से लेकर , प्रतिशत तक लाभाश घोषित करते है परन्तु कई निगमो द्वारा समय से अपनी वार्षिक बैठके न करने साथ ही कई निगमो मे लाभ होने पर भी लाभाश घोषित न करने तथा कुछ निगमो के कारोबार मे हानि होने से भी केन्द्रीय भण्डारण निगम को उसके निवेश पर पर्याप्त उपार्जन नही हो पाता। फलस्वरूप इससे केन्द्रीय भण्डारण निगम का लाभ प्रभावित होता है। वर्ष 1992-93 मे मेघालय तथा उत्तर प्रदेश के निगम हानि पर चल रहे थे। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल के राज्य भण्डारण निगम अपनी वार्षिक साधारण सभा की सवैधानिक व्यवस्था पूरी नही कर सके जिससे लाभाश की घोषणा नही हो पायी।

अत सभी राज्य भण्डारण निगमो को खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय से स्पष्ट एव कड़े निर्देश, समय मे वार्षिक साधरण सभाए करने के सम्बन्ध मे दिये जाने चाहिए। इससे केन्द्रीय भण्डारण निगम को मिलने वाले लाभाश मे स्थिरता आयेगी। राज्य भण्डारण निगमो को भी उन सुझावो का अनुपालन करना चाहिए जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगम की आय बढाने के सम्बन्ध मे दिये गये है। राज्य भण्डारण निगम राज्य की स्थानीय परिस्थिति , आवश्यकता एव विभिन्नता से अधिक परिचित होते है।अत उन्हे अपने निगम की सेवाएं राज्य की निजी एव सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित कर न्यूनतम लागत मे अधिकतम मात्रा मे प्रदान करनी चाहिए।

* <u>निगम के लाभदायकता एव लाभांश में और सुधार की आवश्यकता</u> – निगम की लाभदायकता एव लाभाश, वर्ष 1990–91 तक सन्तोषजनक रहा है इसमे एक स्थिर गति से वृद्धि होती आ रही थी परन्तु इसके बाद के वर्ष 1991–92 तथा विशेष रूप से 1992–93 मे इसमे काफी कमी आ गयी और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 12 2 से घटककर 6 5 मे आ गया। वास्तव में इस वर्ष का कारोबार कुछ तो व्यापारिक दशाओ तथा कुछ प्राकृतिक आपदाओ जैसे– बाढ एव सूखा इत्यादि से प्रभावित रहा जिसके कारण लाभ की दर मे इतनी अधिक कमी आयी। इसी प्रकार से लाभांश भी एक स्थिर गति से धीरे–धीरे बढ़कर वर्ष 1991–92 मे 12 5 प्रतिशत पर पहुँच गया था जो 1992–93 में पुन 7 प्रतिशत की दर पर वापस आ गया और यह 7 प्रतिशत की दर भी बनाये रखने के लिए निगम ने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3317 लाख रुपये के स्थान पर केवल 486 लाख रुपये ही प्रारक्षित किये।

निगम को अपना लाभ एव लाभाश दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए उसे निम्न प्रयास करने चाहिए–

–– निगम को अपने सामान्य व्ययो पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा परम्परागत क्षेत्रो के कारोबार में वृद्धि करनी चाहिए साथ ही साथ अपरम्परागत क्षेत्रो में भी अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए।

-- फलो एव सब्जियो के भण्डारण व्यवस्था मे वृद्धि करने हेतु और अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने चाहिए ताकि किसानो को आलू तथा अन्य सब्जियाँ रखने की सुविधा प्राप्त हो सके।

--- कटेनर ढुलाई स्टेशनो से निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है अत इनकी संख्या को जो वर्तमान मे 12 है, से बढाकर 20 तक कर देना चाहिए। मुख्य रूप से सूरत काण्डला, उदयपुर, नासिक तथा कोटा जहाँ के लिए कटेनर दुलाई स्टेशन स्थापित करने का अनुमोदन मन्त्रालय द्वारा मिल चुका है,उनकी स्थापना मे विलम्ब नही किया जाना चाहिए।

-- निगम ने गेहूँ की खरीद का कार्य जो छोटे पैमाने पर शुरू किया है उसमे और वृद्धि की जानी चाहिए साथ ही साथ अन्य खाद्यान्नो की खरीद एव भण्डारण तथा खुले बाजार मे कीमतो मे वृद्धि की दशाओ निजी व्यापारियो को ही भण्डारित मात्रा का निर्गमन कर निगम अपने लाभो को और अधिक बढ़ाने मे सफल हो सकता है।

यद्यपि निगम ने उपर्युक्त उपायो को लागू करने का प्रयास भी किया है जिससे समाप्त वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान निगम ने अपने कारोबार व लाभ मे शानदार वृद्धि की है। इस अवधि मे निगम ने 124 करोड रुपये का कारोबार करके 29 8 करोड रुपये का लाभ कमाया है तथा बढ़े हुए लाभ पर निगम ने 9 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की है।[45] परन्तु इस दिशा मे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

* <u>भण्डारित वस्तुओ के गुणवत्ता नियन्त्रण एव परिरक्षण मे पर्याप्त रुचि नही</u> – निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी भण्डारित वस्तुओ के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण मे पर्याप्त रुचि नही ले रहे है।इसी कारण से निगम के भण्डारण क्षतियाँ बढ़ी है यदि प्रतिशत के रूप मे देखे तो वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 मे ये क्षतियाँ क्रमश 0 35, 0 51 तथा 0 43 प्रतिशत रही। यद्यपि ये भण्डारण क्षतियाँ भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण एव मार्गस्थ क्षतियो से कम है किन्तु फिर भी इन्हे निम्न प्रयासों से और कम किया जाना चाहिए-

-- माल की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरो को लादने एव उतारने मे मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए।

-- निगम द्वारा कैप भण्डारण क्षमता का प्रयोग केवल अपरिहार्य दशाओ मे किया जाना चाहिए।

-- नमूनो के विश्लेषण एवं वस्तुओ के ग्रेड निर्धारण मे आ रही गुणात्मक कमी से निगम को बचना चाहिए।

---

45 नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

-- भण्डारित वस्तुओ के रोग रोधी उपचार, स्टाक का प्रधूमन और भण्डार स्थान के प्रधूमन में गत वर्षों में जो कमी आयी है उसे दूर किया जाना चाहिए जिससे भण्डारण मे हो रही क्षतियो मे कमी की जा सके।

– निगम को और अधिक वस्तुओ के सम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया संहिता निर्धारण करना चाहिए जो मार्च 1993 तक केवल 220 वस्तुओ के सम्बन्ध मे निर्धारित की गयी थी। भण्डारण प्रक्रिया संहिता का न केवल निर्धारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका कडाई मे अनुपालन भी आवश्यक है।

– भण्डारण क्षतियो को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक है कि स्टॉक मूल्यांकन एवं नियन्त्रण की नवीन विधियाँ उपयोग मे लायी जाये ताकि क्षण–प्रतिक्षण स्टॉक मे रखी गई वस्तुओ की बिना उनका भौतिक सत्यापन किये जानकारी की जा सके और समय–समय पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

इस प्रकार उपर्युक्त उपायो को अपनाकर भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम किया जा सकता है।

* <u>किसानो द्वारा भण्डारगृहो का प्रयोग बहुत कम</u> - केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा राज्य भण्डारण निगम के भण्डार गृहो का प्रयोग किसानो के द्वारा वांछित मात्रा मे नहीं किया जा रहा है जबकि उन्ही के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न अथवा फल, फूल एव सब्जियाँ विभिन्न मध्यस्थो के द्वारा खरीद कर भण्डारित की जाती है और भण्डारण की सुविधा का लाभ उठाया जाता है। फलस्वरूप कृषको को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नही मिल पाता।

इस समस्या के निराकरण हेतु किसान एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक बडे पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए तथा किसानो को वैज्ञानिक भण्डार विधियो से अवगत कराया जाना चाहिए साथ ही इन विधियों का प्रदर्शन कर उन्हे प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। यदि उन्हे निगम द्वारा अपनी भण्डारण प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा तो किसान स्वत अपने आधिक्यो को भण्डारगृहो मे रखने के लिए तत्पर होंगे और भण्डारण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

* <u>शासकीय अभिकरणों की अन्य समस्याएं</u> – जिस प्रकार भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं मे कर्मचारियो मे भ्रष्टाचार, नौकरशाही, कार्य में अभिप्रेरणा का अभाव, नैतिकता के पतन, अधिकारो के केन्द्रीयकरण, विभागो एव अधिकारियो मे तालमेल का अभाव, कार्य के प्रति अरुचि इत्यादि मे समस्याए व्याप्त है,उसी प्रकार की समस्याए केन्द्रीय भण्डारण निगम मे भी दृष्टिगोचर होती है।

इन समस्याओं के निदान हेतु कर्मचारियो मे कार्य के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कर्मचारियो मे अतिरिक्त कार्य क्षमता के सृजन हेतु प्रशिक्षण की

व्यवस्था समय-समय पर की जानी चाहिए। विदेश भण्डार प्रक्रिया से भी निगम के कर्मचारियो को अवगत कराया जाना चाहिए। कर्मचारियो मे कार्य के प्रति निष्ठा ईमानदारी एव त्याग की प्रेरणा जागृत करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण जैसे-योग, ध्यान, नैतिक प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन समयबद्ध कार्यक्रम के रूप मे चलाया जाना चाहिए। विभिन्न मामलो पर शीघ्र निर्णयन हेतु अधिकारो एव उत्तरदायित्वो का साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। विभागो एवं अधिकारियो मे ताल-मेल बनाये रखने के लिए त्वरित संचार व्यवस्था एव समय-समय पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना चाहिए जिससे नवीन गतिविधियो एव भविष्य मे आने वाली समस्याओ पर खुले वातावरण मे विचार विमर्श कर नीतियो का निर्धारण किया जा सके।

इस प्रकार निगम उपर्युक्त दिए गये सुझावो का अनुपालन कर अपने विकास एव विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओ को पूरा कर सकने मे सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार मे लगे अन्य अभिकरणो के प्रति अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन और अच्छे ढग से कर सकेगा। नि सन्देह केन्द्रीय भण्डारण निगम देश के उदारीकरण एव वैश्विकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ के रूप मे अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

<u>खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की सफलता का मूल्याकन</u> – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार यद्यपि पूर्ण रूप से सफल नही रहा है और इसको आशिक सफलता ही मिल पायी है, लेकिन इसमे कोई दो राय नही कि राजकीय व्यापार के निम्न प्रयास सराहनीय है-

– इसमे खाद्यान्नो मे मूल्य वृद्धि को रोकने मे काफी योगदान किया है।

– खाद्यान्नो की पूर्ति कम होने की दशा मे भी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये है चाहे भारी मात्रा में आयात ही क्यो न करना पडा हो।

– खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार से कृषक व उपभोक्ता दोनों लाभान्वित हुए है। समर्थित मूल्य नीति ने किसानो को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहे है।

– व्यापारी वर्ग कृत्रिम रूप से कमी पैदा करने में पूरी तरह सफल नही हो पाया है।

<u>परन्तु खाद्यान्नो के राजकीय व्यापार मे कुछ कमियाँ भी है जो कि निम्नवत् है-</u>

– सरकारी कर्मचारी उचित ईमानदारी का परिचय नही देते है जिनके परिणामस्वरूप सरकार को हानि व उपभोक्ताओ को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल मे हेरा-फेरी करते है एव निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न भी खरीद लेते है।

– खाद्य निगम व सरकार के वितरण व भण्डारण व्यय बहुत ऊँचे होते है जिससे सरकार

व्यवस्था समय-समय पर की जानी चाहिए। विदेश भण्डार प्रक्रिया से भी निगम के कर्मचारियो को अवगत कराया जाना चाहिए। कर्मचारियो मे कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी एव स्वयं की प्रेरणा जागृत करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जैसे-योग, ध्यान, नैतिक प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन समयबद्ध कार्यक्रम के रूप मे चलाया जाना चाहिए। विभिन्न मामलो पर शीघ्र निर्णयन हेतु अधिकारो एवं उत्तरदायित्वो का साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। विभागो एव अधिकारियो मे तारतमेल बनाये रखने के लिए त्वरित संचार व्यवस्था एवं समय-समय पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना चाहिए जिससे नवीन गतिविधियो एव भविष्य मे आने वाली समस्याओ पर खुले वातावरण मे विचार विमर्श कर नीतियो का निर्धारण किया जा सके।

इस प्रकार निगम उपर्युक्त दिये गये सुझावो का अनुपालन कर अपने विकास एव विस्तार की महत्वाकाँक्षी योजनाओ को पूरा कर सकने मे सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार मे लगे अन्य अभिकरणों के प्रति अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन और अच्छे ढग से कर सकेगा। नि सन्देह केन्द्रीय भण्डारण निगम देश के उदारीकरण एव वैश्विकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ के रूप मे अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

<u>खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की सफलता का मूल्याकन</u> – खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार यद्यपि पूर्ण रूप से सफल नही रहा है और इसको आंशिक सफलता ही मिल पायी है, लेकिन इसमे कोई दो राय नही कि राजकीय व्यापार के निम्न प्रयास सराहनीय है–

– इसमे खाद्यान्नो मे मूल्य वृद्धि को रोकने मे काफी योगदान किया है।

– खाद्यान्नो की पूर्ति कम होने की दशा मे भी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये है चाहें भारी मात्रा मे आयात ही क्यो न करना पडा हो।

– खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार से कृषक व उपभोक्ता दोनो लाभान्वित हुए है। समर्थित मूल्य नीति ने किसानो को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहे है।

– व्यापारी वर्ग कृत्रिम रूप से कमी पैदा करने मे पूरी तरह सफल नही हो पाया है।

<u>परन्तु खाद्यान्नो के राजकीय व्यापार मे कुछ कमियाँ भी हैं जो कि निम्नवत् है–</u>

– सरकारी कर्मचारी उचित ईमानदारी का परिचय नही देते है जिनके परिणामस्वरूप सरकार को हानि व उपभोक्ताओ को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल मे हेरा-फेरी करते है एवं निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न भी खरीद लेते है।

- खाद्य निगम व सरकार के वितरण व भण्डारण व्यय बहुत ऊँचे होते है जिससे सरकार

को अरबों रुपये की हानि होती है।

खाद्यान्नो को उचित मूल्य पर बेचने मे सरकार को आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी देनी पडती है जो लगभग समय मे 3 हजार करोड रुपये तक पहुँच गयी है।

पूरे वर्ष भर उचित मूल्य के दुकानो पर पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न नही रहता जिससे उपभोक्ता को परेशानी होती है और कभी कभी तो घण्टो लाइन मे खडे रहना पडता है।

सरकारी अधिकारियो व व्यापारियो की साठ गाठ से उचित मूल्य की दुकानो पर खाद्यान्नो की पूर्ति मे देरी कर दी जाती है जिससे बाजार मे खाद्यान्नो के मूल्य बढ जाते है और समाज के प्रत्येक वर्ग को खाद्यान्नो के ऊँचे मूल्य देने पडते है।

उचित मूल्य के दुकानो की सख्या बहुत कम है।

बहुत से खाद्यान्न खुले आसमान के नीचे पडे रहते है जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है।

अत खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार को सुदृढ एव प्रभावकारी बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नवत् है

* सरकार व खाद्य निगम को अपने व्ययो मे कमी करनी चाहिए।

* सरकारी अधिकारियो द्वारा उचित ईमानदारी का परिचय देकर पूरी तौल करनी चाहिए तथा निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न ही क्रय करना चाहिए।

* उचित मूल्य के दुकानो पर पूरे वर्ष भर खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए जिससे उपभोक्ता को कभी भी खाद्यान्न खरीदने की छूट हो और उसको घण्टो लाइन मे व्यतीत न करना पडे। वर्ष भर खाद्यान्न उपलब्ध होने से खुले बाजार मे भी खाद्यान्नो मे मूल्यो मे वृद्धि नही होगी।

* उचित मूल्य पर बेचने के लिए जो सहायता सरकार देती है उसके उपयोग पर नियन्त्रण होना चाहिए। इससे लगभग 3 हजार करोड रुपये की राज्य सहायता की धनराशि की बचत होगी जिसको अन्य कार्यों मे लगाया जा सकता है।

*खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक जनसख्या को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिल सके। इसके लिए उचित मूल्य की दुकानो की सख्या भी बढायी जानी चाहिए।

* सरकार द्वारा गोदामो और भण्डारो की सख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि खाद्यान्नों को खुले स्थानों मे न रखना पडे और उसे खराब होने से बचाया जा सके।

इस प्रकार खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार मे लगे हुए अभिकरणो की समस्याओ का निदान

प्रस्तुत किये गये गुणों का अनुपालन कर किया जा सकता है और व्यापारी की मांग पूर्ति मूल्य एवं गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध मे उपभोक्ता को होने वाली समस्याओ से छुटकारा दिलाया जा सकता है।

(II) अन्य वस्तुओ मे राजकीय व्यापार

सरकार द्वारा खाद्यान्नो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ मे भी व्यापार किया जाता है। प्रारम्भ मे तो इन वस्तुओ की सख्या बहुत कम थी लेकिन जैसे जैसे सरकार ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वो के निर्वाह की बात सोची वैसे-वैसे व्यापार की जाने वाली वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि हुई। भारत के आन्तरिक व विदेशी व्यापार को उचित रीति से चलाने के उद्देश्य से भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई। इसी सन्दर्भ मे बाद मे राज्य व्यापार निगम की सहायता के लिए विभिन्न सहायक संस्थाओ की भी स्थापना की गई। इस प्रकार अन्य वस्तुओ मे राजकीय व्यापार को इस कार्य मे लगी संस्थाओ के दृष्टिकोण से निम्न शीर्षको मे विभाजित किया जा सकता है

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम

(ख) राजकीय व्यापार मे संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेन्सियाँ

(ग) राजकीय व्यापार एव उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और

(घ) राजकीय व्यापार मे स्वायत्त शासी सस्थाए।

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम –

भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना भारत मे राजकीय व्यापार की पृष्ठभूमि है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाए घटी जिनके कारण प्रत्येक देश की सरकारे एक व्यवस्थित अभिकरण के माध्यम से वस्तुओ को स्वय खरीदने एव बेचने की ओर सोचने के लिए बाध्य हुई। प्रथम, सोवियत सघ द्वारा बनाया गया वह अधिनियम जिससे विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो गया तथा द्वितीय 1929 की विश्वव्यापी मन्दी जिसका ऋणात्मक प्रभाव कृषि उत्पादो एव रोजगार की स्थिति पर बहुत अधिक पडा। द्वितीय महायुद्ध काल मे यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि देश मे विदेशी व्यापार हेतु एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। इसका कारण यह था कि विदेश संस्थाएं सामान्यत देश की व्यापारिक नीति के विरुद्ध कार्य कर रही थी। एक स्वायत्त सस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम' भारतीय व्यावसायिक संघ'द्वारा रखा गया, जो कि भारत मे " यू के कॉमर्शियल कारपोरेशन" की गतिविधियो से भयभीत था। यह कारपोरेशन भारतीयो को न केवल निर्यात के लाभों से वंचित कर देता था बल्कि कुछ देशो से व्यापारिक अनुबन्धो को भी प्राप्त नही करने देता था। उनका तर्क यह था कि युद्ध की असमान्य परिस्थिति मे यदि सामान्य व्यापारिक माध्यम कार्य नही कर

सकते तो सरकार को एक भारतीय एजेन्सी उस क्षेत्र मे व्यवसाय के लिए स्थापित करनी चाहिए जिनसे निजी व्यापारी अपनी असमर्थता प्रकट करे परन्तु कई कारणो से इस सुझाव का अनुपालन नही किया जा सका।

इसके पश्चात् वस्तुओ के राजकीय व्यापार का सम्पादन करने के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना करने के लिए कई बार मन्त्रिस्तरीय समितियाँ संसदीय समितियाँ एव उप समितियाँ गठित की गयी। जिनमे सरकार के कर्मचारियो, व्यापार प्रतिनिधियो और स्वयसेवी संस्थाओ के विचार लिए गए कि ऐसी संस्था की स्थापना उपयोगी होगी अथवा नही, यदि उपयोगी होगी तो ऐसे संगठन की संरचना विषय एवं कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए? पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । अन्तत नवम्बर-1955 मे एक ऐसे राजकीय संगठन की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया जो राज्य की ओर से वस्तुओ के क्रय-विक्रय मे भाग ले और सरकार का समाज के प्रति कर्तव्यो की पूर्ति मे योगदान करे।एक संयुक्त पूँजी कम्पनी के रूप मे भारतीय कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम(प्राइवेट) लिमिटेड, का पंजीकरण 18 मई 1956 को हुआ। कम्पनी के नाम मे से प्राइवेट" शब्द 6 अप्रैल-1959 को हटा दिया गया। वर्तमान समय मे इसका नाम 'भारतीय राज्य व्यापार निगम' है। प्रारम्भ मे इसकी पूँजी 1 करोड रुपये थी जो 1970 मे बढकर 15 करोड रुपये हो गयी। वर्ष 1986-87 मे इसकी प्रदत्त पूँजी को 15 करोड से बढाकर 30 करोड रुपये कर दिया गया। वर्तमान समय मे इसकी प्रदत्त पूँजी 30 करोड रुपये ही है।[46]

(अ) उद्देश्य – भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना का उद्देश्य " उन वस्तुओ एव पदार्थों का भारत मे आयात एव भारत से निर्यात करना है जिनको कम्पनी निश्चित करे और वे सभी कार्य करना है जो इसके लिए सहायक हो।"[47] निगम के ये उद्देश्य मूलरूप मे इसके पार्षद सीमानियम मे दिये गये हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा समय समय पर निश्चित की गयी वस्तुओ का आयात एव निर्यात अथवा सामान्य व्यापारिक क्रियाएं करना निगम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके सहायक उद्देश्यो मे वस्तुओ के आयात-निर्यात एवं सामान्य व्यापारिक क्रिया से सम्बन्धित समस्त क्रियाओ को शामिल किया जाता है। अत देश अथवा विदेश मे वस्तुओ का क्रय विक्रय उसके यातायात की व्यवस्था, व्यापार को बढाने के लिए दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं बनाना, व्यापारिक क्रियाओ मे आने वाली कठिनाइयो का निवारण करना निगम के सहायक उद्देश्यो मे शामिल होगा। कुछ आयातित वस्तुओ की माँग एव पूर्ति मे काफी अन्तर रहता है, अत निगम के माध्यम से सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि ऐसी वस्तुओ की पूर्ति उचित

---

46 दि इकोनोमिक टाइम्स–नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1990

47 बाजार व्यवस्था शर्मा, टी आर एव जैन, एस सी ,साहित्य भवन आगरा–1991, पृष्ठ सख्या- 126

मूल्य पर सभी व्यक्तियों को होती रहे। आधिक्य की कमी वस्तुओं का निर्यात तथा कम कुछ लाभ वाली वस्तुओं का निर्यात किया जाय। संक्षेप में निगम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है

1 बड़ी मात्रा मे पदार्थो का निर्यात सम्वर्द्धन एवं विकास करना,

2 वर्तमान बाजारो को विस्तृत करना एवं नये बाजार बनाना

3 भारत के निर्यात व्यापार के विविधीकरण को बढ़ाना

4 राजकीय व्यापार करने वाले देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना,

5 भारी पदार्थों के आयात का सारणीबद्ध करना,

6 देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पदार्थों की अस्थायी माँग और पूर्ति के अन्तर को कम करना,

7 व्यक्तिगत व्यापार की ऐसी परिस्थितियो मे सहायता करना जहाँ उनको व्यापार करने मे कठिनाई हो या उनमे भारी प्रतियोगिता हो,

8 मूल्यो के स्थिर करने एवं वितरण हेतु आयात करने अथवा आयात और वितरण दोनो कार्य केन्द्रीय सरकार के आदेश पर करना,

9 आयात, निर्यात, आन्तरिक व्यापार या वितरण के सम्बन्ध मे दिये गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों को पालन करने के लिए विशेष प्रबन्ध करना,

10 केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपे जाने पर उन पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य– सहायता एवं समीकरण भण्डार क्रियाए करना।

भारत सरकार द्वारा उदार व्यापार नीतियॉ बडे पैमाने पर लागू की गयी है जिसके परिणामस्वरूप निगम के उद्देश्यो को निम्न प्रकार से पुनर्संशोधित किया गया है

* प्रतियोगितात्मक विश्व व्यापार क्षेत्र मे निगम को एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान के रूप मे पस्तुत करना।

* निगम मे लगायी गयी पूँजी पर पर्याप्त प्रत्याय सुनिश्चित करना।

* शासकीय नीतियो को लागू करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण के रूप मे काम करना।

* निगम को उत्तरदायित्व पूर्ण एव प्रबन्ध मे भागदारी की व्यवस्था के रूप मे प्रस्तुत करना जो एक अच्छे जीवन यापन माध्यम के साथ साथ एक प्रभावशाली कार्य संस्कृति को सुनिश्चित करे।

* लघु एवं कुटीर क्षेत्र को आधारभूत सुविधाएं पदान करना जैसे– उनके लिए कच्चे माल

की आपूर्ति, उनके उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाए प्रदान करना।[48]

(ब) निगम का सगठन एव प्रबन्ध –

भारतीय राज्य व्यापार निगम का प्रधान कार्यालय टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली मे है। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त वर्तमान समय मे देश के भीतर 17 अन्य कार्यालय आगरा, अहमदाबाद, बेगलूर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, गाधीधाम(कादला पोर्ट) गोहाटी गुण्टूर, हैदराबाद, जालधर, लखनऊ, मद्रास, पटना, तूतीकोरन एव विशाखापट्टनम् मे कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त निगम के 8 कार्यालय विदेशो मे स्थिति है जो न्यूर्याक, लन्दन, फ्रैकफर्ट, मास्को, जिम्बाब्वे, हाककाग, सिगापुर और मेलबोर्न मे रहकर निगम की सहायता कर रहे है। पिछले 39 वर्षों मे निगम के कार्यो मे काफी वृद्धि हुई है। अत इसके कार्यों मे सहायता देने के लिए कई सहायक निगम भी गठित किये गये, जैसे–परियोजना एव उपकरण निगम, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, राज्य रसायन एव भेषज निगम, भारतीय कुटीर उद्योग निगम, भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम और भारतीय चाय व्यापार निगम । हाल के वर्षों मे भारतीय राज्य व्यापार निगम ओर इसकी सहायक कम्पनियो की स्थिति मे कई फेर–बदल किया गया है, जो इस प्रकार है-

1 भारत बिजिनेस इण्टरनेशनल लिमिटेड(बी बी आई एल) – भारतीय राज्य व्यापार निगम 17 मई 1990 को भारत व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड का अनुषगी निगम बना दिया गया। बी बी आई एल केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक सूत्रधारी कम्पनी थी जिसके अन्तर्गत निम्न चार सहायक कम्पनियो को रखा गया–

1 भारतीय राज्य व्यापार निगम,

2 भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम,

3 भारतीय परियोजना एव उपकरण निगम, और

4 भारतीय मसाले व्यापार निगम।[49]

सूत्रधारी कम्पनी– बी बी आई एल की पूँजी केन्द्र- सरकार, वित्तीय सस्थओ, जनता व कर्मचारियो के द्वारा प्रदान की जानी थी। इसके अध्यक्ष श्री एस वी एस राघवन ने बताया कि आगे चलकर हिन्दुस्तान हीरा निगम एव हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम भी इसके अन्तर्गत आ जायेगे। उनके अनुसार यह सूत्रधारी कम्पनी, सेवा सगठन होगा, न कि नियन्त्रित करने वाली सस्था। सभी सहायक कम्पनियो मे अलग–अलग अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक(सी एम डी) होगे। बी बी आई एल का प्रबन्ध एक

---

48 वार्षिक प्रतिवेदन–1991–92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली

49 बाजार व्यवस्था–शर्मा, टी आर , जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा–1991, पृष्ठ सख्या -128

सचालक मण्डल द्वारा होगा जिसमे एक अध्यक्ष व दो पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशक होगे। सभी सहायक कम्पनियो के अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक इसके सचालक मण्डल के सदस्य होगे। यह कम्पनी भारतीय निर्माताओ को बढावा देगी। यह आयात नियात तथा सहायक कम्पनियो की व्यापार नीति मे समन्वय करेगी तथा उत्पादन सुविधाओ को भी बढावा देगी।[50]

परन्तु उपरोक्त गतिविधियो को कार्यरूप दिया जा पाता कि, सरकार ने बी बी आई एल को समाप्त कर देने का निर्णय लिया परिणास्वरूप मूल स्थिति मे वापस आते हुए राज्य व्यापार निगम के सारे अश 26 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये।[51] 31 मार्च 1991 को यथास्थिति भारतीय राज्य व्यापार निगम के निम्नलिखित अनुषगी थे-

- भारतीय हस्त शिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,
- भारतीय काजू निगम,
- भारतीय चाय व्यापार निगम, और
- भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम।

2 **भारतीय काजू निगम का भारतीय राज्य व्यापार निगम मे समामेलन** -- केन्द्र सरकार के पूर्व निश्चयानुसार 31 मार्च-1990 की यथास्थिति को लेखा-परीक्षित लेखो के सन्दर्भ मे बनाये रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत कम्पनी मामलो के विभाग द्वारा भारतीय काजू निगम का राज्य व्यापार निगम मे समामेलन अधिसूचना जारी की जाने की औपचारिकताए वर्ष 1990-91 मे ही पूरी कर ली गयी परन्तु समामेलन अधिसूचना सख्या-252, दिनाँक 21 अप्रैल, 1992 को जारी की गयी जो 31 मार्च-1991 के अकेक्षित लेखो से प्रभावी हुआ। इस प्रकार 31 मार्च 1991 के भारतीय काजू निगम के सचय रुपये 14 61 करोड को राज्य व्यापार निगम के 31 मार्च-1992 के सचय मे मिला दिया गया। वर्तमान समय मे काजू व्यापार की गतिविधियो का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग खोला गया है तथा इसकी शाखा को कोचीन मे विकेन्द्रित किया गया है। भारतीय काजू निगम के कर्मचारियो को भारतीय राज्य व्यापार निगम मे स्थानान्तरित करने मे कोई समस्या नही हुई क्योकि उन्हे उनके सम्बन्धित सामान्य कैडर प्रदान कर दिये गये।

3 **भारतीय राज्य व्यापार निगम से अनुषगी कम्पनियो का विलगन** – भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीरउद्योग निगम और परियोजना एव उपकरण निगम 13 मई, 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग हो गये। भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम मे

---

50 बाजार व्यवस्था-शर्मा, टी आर जैन , एस सी , साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या- 128

51 वार्षिक प्रतिवेदन-1990-91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-12

भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड रुपये की सारी साझेदारी राष्ट्रपति(वस्त्र मत्रालय)को नकद भुगतान पर हस्तान्तरित कर दी गयी है। परिणामस्वरूप केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम जो कि हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम का अनुषगी था अब भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नही रहा। वर्ष 1990–91 के दौरान परियोजना एव उपकरण निगम भी राज्य व्यापार निगम से अलग हो गया जबकि परियोज्ना एव उपकरण निगम मे इस निगम की रुपये 1 5 करोड की समग्र साझेदारी सरकार के निर्णय के अनुशरण मे एक रुपये के प्रतीक मूल्य पर बी बी आई एल को हस्तान्तारित कर दी गई थी। परियोजना एव उपकरण निगम के अश अब सरकार द्वारा बी बी आई एल बन्द कर देने के निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये है।[52] इस प्रकार वर्तमान समय मे भारतीय राज्य व्यापार निगम की केवल एक सहायक कम्पनी भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड रह गयी है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम के पार्षद सीमानियम के अनुसार इसका प्रबन्ध एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। सचालक मण्डल का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर करते है। इसकी सख्या अधिकतम बारह और न्यूनतम चार होती है, किन्तु सचालक मण्डल की वास्तविक सख्या समय–समय पर घटती–बढती रहती है। 1960 मे इनकी कुल सख्या अध्यक्ष सहित 13 थी।[53] जबकि 1990–91 मे यह सख्या 12 ही थी। वर्तमान सगठन-चार्ट के अनुसार निगम मे एक अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक होगे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से अनुबन्ध के आधार पर कार्य कर रहे है। इनके अधीन पॉच और निदेशक जिसमे दो विपणन निदेशक, एक वित्त निदेशक,एक कार्मिक निदेशक तथा एक कार्यकारी निदेशक(सतर्कता) के रूप मे कार्य करते है। निगम मे 7 मुख्य महाप्रबन्धक(सी जी एम) तथा चार महाप्रबन्धक(जी एम) अलग–अलग अनुभागो के कार्यो का निष्पादन करते है। वर्ष 1992–93 मे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2–ए) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियो की कुल सख्या 50 थी जिसमे 8 अधिकारी वित्तीय वर्ष 1992–93 मे ही नियुक्त किये गये। इस प्रकार उन सभी 50 अधिकारियो का मासिक वेतन 12,000रुपये से अधिक है।

(स) निगम का कार्य –

निगम का मुख्य कार्य विदेश व्यापार करना है। प्रारम्भ मे निगम ने सभी वस्तुओ का आयात–निर्यात किया लेकिन समय–समय पर अलग–अलग कार्यो के लिए अलग–अलग निगम बन जाने के कारण सम्बन्धित निगम का कार्य उनको सौप दिया गया। निगम विदेशो मे भारतीय वस्तुओ के बाजारो एव उनकी मॉग की खोज करता है जिससे कि विदेशी व्यापार मे वस्तुओ की मॉग बनी

---

52 वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय राज्य व्यापार निगम,36 जनपथ,नई दिल्ली

53 सरकार,समाज एव विपणन–मालवीय,एच सी ,किताब महल इलाहाबाद–1990,पृष्ठ सख्या–36

रहे। निगमका उददेश्य है कि जहाँ तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति उपभोक्ताओ को उचित मूल्य पर होती रहे। इसके प्रमुख कार्य निम्नवत है–

– परम्परागत वस्तुओ के सन्दर्भ मे नये–नये बाजारो का सृजन तथा अपरम्परागत वस्तुओ के बाजारो की खोज करना।

– भारतीय वस्तुओ के विद्यमान बाजारो का विस्तार करना।

– निर्यात के अवसरो का विविधीकरण।

– एक निर्यात एव आयात एजेन्सी के रूप मे कार्य करना।

– विनिमय व बाजार सन्धि के अन्तर्गत एक व्यापारिक समझौता करना।

– व्यावसायिक सघ के आधार पर निर्यात व आयात करना।

– एसे विदेशी वयापार को सम्पादित करना जो उद्योग, व्यापार एव समाज के लिए आवश्यक हो।

– माँग एव पूर्ति मे सन्तुलन बनाये रखना।

– कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओ के आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करना।

– मूल्य–समर्थित क्रियाविधि एव बफर स्टाक के उपायो को अपनाना जिससे कि मूल्यो को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

– सरकारी नीतियो का लागू करवाने मे सहायता करना।

– विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुओ का आयात एव निर्यात करना।

बदली हुयी आर्थिक नीतियो के अनुरूप निगम के कार्यों को पुन परिभाषित किया गया है, जिन्हे निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

1 **निर्यात –** भारतीय राज्य व्यापार निगम ने निर्यात सम्बन्धी कार्यों मे निम्न नये आयाम दिये है–

* निर्यात की माँग को पूरा करने के लिए उत्पादको को सहायता प्रदान करना जिससे वस्तुओ का उत्पादन माँग के अनुरूप हो सके तथा उत्पादन के मार्ग मे आने वाली कठिनाई दूर हो सके, जैसे–कच्चे माल की सुरक्षा, ईधन की उपलब्धता, सचार सुविधाए इत्यादि की व्यवस्था करना।

* परम्परागत वस्तुओ के व्यापार को बढाना तथा विश्व मे अपरम्परागत वस्तुओ का परिचय कराना जिससे कि भारत को निर्यात के सम्बन्ध मे नये–नये बाजार प्राप्त हो सके।

* नयी–नयी विधियो द्वारा एक नये प्रकार से निर्यात सम्वर्द्धन करना।

* पूर्वी यूरोप के देशो मे अपनी व्यापारिक योजनाए लागू करना।

* विशेष व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत कठिनाई से बिकने वाली वस्तुओं का निर्यात तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात के साथ अतिरिक्त निर्यात की सुविधा देना व उसको संगठित करना।

* उत्पादकता का पर्याप्त स्तर रखकर, स्थानीय उत्पादन का स्टाक बनाये रखने में सहायता देना जिससे कि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। ऐसा तभी सम्भव है जब किसी वस्तु की निर्यात सम्भावनाएं बहुत अधिक हों, उत्पादन में स्थिरता हो, उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त हों और स्थानीय उत्पादकों को भी इनकी पूर्ति उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।

2. **आयातः–** निगम अपने कार्य में निम्न नये-नये आयामों को शामिल करता है-

* देश के आर्थिक विकास में आवश्यक वस्तुओं का आयात करना इसमें पूँजीगत वस्तुएं, औद्योगिक कच्चा माल और दुलर्भ वस्तुओं का आयात करना।

* उन वस्तुओं का आयात करना जिनकी देश में आवश्यकता है।

* पूर्वी यूरोपियन देशों से विशेष समझौते के अन्तर्गत व्यापारिक योजना का लागू करना।

* तेजड़ियों को खरीद की अच्छी सुविधा प्रदान कर वस्तुओं का आयात करना।

* वस्तुओं के मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना तथा उनका वितरण उचित ढंग से उचित मूल्य पर करना।

* ऐसे देशों से वस्तुएं आयात करना जहाँ व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो।

* सरकार द्वारा सूचीबद्ध आयातित वस्तुओं का आयात करना ताकि उद्योगों अथवा उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति निश्चित मूल्य पर उचित समय एवं उचित मात्रा में उपलब्ध करायी जा सके।

3. **निर्यात विकास कार्यः–** निगम के नये निर्यात विकास कार्य निम्न हैं-

* अब प्रत्यक्ष निर्यातों(पृष्ठ दर-पृष्ठ संविदा) के स्थान पर सीधे निर्यातों(खरीदना और बेचना) पर अधिक बल दिया जायेगा।

* पूर्ति के अधिक से अधिक सुनिश्चित/प्रतिबद्ध स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी।

* भारत में माल गोदाम व निरीक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा साथ ही विदेशों में किराये पर लिये गये माल गोदामों से बिक्री की योजना बनाना।

* निर्यात योग्य व्यापारी वस्तुओं के लिए आई.एस.ओ. 9000 के अनुसार गुणवत्ता वायदा कार्यक्रम शुरू करना।

* अन्य बातों के बराबर रहते हुए प्रति व्यापार को प्राथमिकता देना।[54]

---

54. वार्षिक प्रतिवेदन-1990-91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली.

* देश के निर्माताओ को सगठित करना तथा उन्हे तकनीकी एव वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे निर्यात होने वाली वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि हो सके।

* निर्यातोन्मुखी सगठनो मे भाग लेना ।

* विदेशी व्यापार,मेले एव प्रदर्शनियो का आयोजन करना।

* विदेशो मे अपने और नये कार्यालय स्थापित करना।

* निर्यात सहायता योजना को कार्यरूप प्रदान करना।

* गुण एव किस्म नियन्त्रण हेतु मशीनो का विकास करना।

4 **लघु उद्योगो को निर्यात सहायता –** छोटे–छोटे लघु उद्योगो के निर्माताओ को उनकी वस्तुओ के बारे मे विदेशो मे प्रचार–प्रसार, आकर्षक पैकिंग, साख की सुविधा,परिवहन की सुविधा आदि प्रदान करना जिसस कि विभिन्न देशो मे उनकी वस्तुओ का निर्यात हो सके।

5 **आन्तरिक व्यापार –** कुछ निश्चित वस्तुओ के आन्तरिक व्यापार को अधिग्रहीत करना भी निगम के कार्यक्षेत्र मे आता है। वस्तुओ की उचित मूल्य पर पूर्ति हेतु पर्याप्त बफर स्टाक बनाना तथा पूर्ति की स्थिरता के लिए कृषि उत्पादो का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद कार्य मे सहायता करना तथा ऐसी वस्तुओ की विदेश मे माँग उत्पन्न करना।

6 **व्यापार सम्वर्द्धन समझौता –** ऐसे देशो मे अपने व्यापार प्रतिनिधियो एव अधिकारियो को भेजना जहाँ से अभी तक नाम–मात्र का ही आर्यात–निर्यात हो पाता है ताकि नये–नये व्यापारिक अनुबन्ध प्राप्त किये जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाया जा सके।

7 **अन्य–निगमो मे योगदान –** आयात–निर्यात हेतु अन्य गठित निगमो जैसे खनिज एव धातु व्यापार निगम, हम्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,परियोजना एव उपकरण निगम, काजू निगम आदि निगमो को समय–समय पर आर्थिक एव कार्मिक सहायता भी प्रदान करता है।निगम ने आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसी सस्थाओ मे स्थायी विनियोग भी किया है।

(द)**निगम का प्रमुख व्यापार क्षेत्र**–

भारतीय राज्य व्यापार निगम सार्वजनिक क्षेत्र के सुनहरे दिनो मे प्रमुख आकर्षण था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत मे सरकार की व्यापार भुजाओ के रूप मे ऊँचाई को छू रहा था। यह लगातार निर्यात ओर आयात के नये बाजार की खोज मे लगा रहा जिससे कि वह देश मे बडे राजकीय व्यापार गृह के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। निगम के व्यापार क्षेत्र को मुख्य रूप मे निम्न चार भागो मे प्रस्तुत किया जा सकता है– आयात,निर्यात, स्वदेशी व्यापार एव भारतीय

निर्यातको के लिए सेवाए–

1 **आयात** – निगम उन वस्तुओ का आयात करता है जिनकी आवश्यकता देश के उत्पादको अथवा उपभोक्ताओ को पडती है, जो मुख्य रूप मे इस प्रकार है– अखबारी कागज, रबर, वन्यउत्पाद खाद्य एव वसा तेल रसायन, कृषि वस्तुए, जीवन रक्षक दवाए, थर्मोप्लास्टिक तथा अन्य ऐसी वस्तुए जिन्हे खाद्य एव आपूर्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी भी देश से आयात करने हेतु निर्देशित किया जाय।

2 **निर्यात** – निगम द्वारा उन वस्तुओ का निर्यात किया जाता है जो देश मे या तो आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाती है अथवा विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु ऐसी वस्तुओ का निर्यात महत्वपूर्ण होता है। गत तीन वर्षों मे निगम द्वारा अग्रवर्णित वस्तुओ का निर्यात किया गया दवाए, चीनी, अल्कोहल, शीरा, रसायन, अफीम, चमडे की वस्तुए, चपडा(लाह) इजीनियरिंग एव सरचना सामग्री, सीमेन्ट, सयुक्त उद्यम, सैनिको की वस्तुए, वस्त्र तथा कपडा, जेम तथा ज्वेलरी, जूट, खेल का सामान, कृषि उत्पाद, सोयाबीन मील/खलियॉं, कॉफी, चाय, अरडी का तेल, तम्बाकू, चावल, गेहूँ, विविध(जौ एव जई) खाद्य एव उपभोक्ता उत्पाद, ताजा एव प्रसस्कृत खाद्य, फल एव सब्जियॉं(सूखे मेवे सहित) मॉंस और समुद्री उत्पाद तथा काजू।

3 **स्वदेशी व्यापार** – निगम स्वदेशी व्यापार भी करता है जिसमे वह देश–विदेश से वस्तुओ का क्रय करके देश की सीमा मे उनके विक्रय का कार्य सम्पन्न करता है। स्वदेशी व्यापार मे आयातित कार, रसायनो मे खुले सामान्य लाइसेन्स(ओ जी एल)की मदो का आयात, औषधि एव प्लास्टिक टिम्बर, दाले, फलियॉं/बीज ससाधन एव तेल बिक्री को शामिल किया जाता है।

4 **भारतीय निर्यातको के लिए सेवाए** – निगम आयात, निर्यात एव स्वदेशी व्यापार के साथ–साथ भारतीय निर्यातको को निम्न सेवाए भी प्रदान करता है–

– विपणन अवस्थापना अर्थात् विदेश मे वस्तुओ को बेचने के लिए आधारभूत सुविधाए प्रदान करना।

– व्यापार मेलो व प्रदर्शनियो मे भाग लेना।

– आयातित मशीनरी व कच्ची सामग्री की आपूर्ति जिससे कि निर्यातोन्मुखी वस्तुओ का उत्पादन नियमित रूप से होता रहे। परख सुविधा अर्थात् निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की किस्म, गुणवत्ता, रूप, रग, आकार के शुद्धता की जॉंच सुविधा।

निर्यातको को वित्तीय सहायता।

(य) परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य का निगम पर प्रभाव –वर्तमान समय मे विश्व एव भारतीय आर्थिक परिवेश बडी तेजी से बदल रहा है। विश्व के बहुत से देशो मे आर्थिक एव राजनैतिक परिवर्तन

होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वातावरण बदल गया है। साम्यवादी समूह टूट चुका है, सोवियत सघ अनेक भागो मे बँटकर राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए रास्ता साफ कर रहा है, साम्यवादी एव पूँजीवादी, पूर्वी एव पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ है, चीन मे मुक्त बाजार–व्यवस्था का पक्ष स्वीकार किया गया है, लम्बे समय से चल रहे विभिन्न युद्धो ने विश्व आर्थिक चक्र परआश्चर्यजनक दबाव डाला है। सामान्य रूप से पूरे विश्व मे एव विशिष्ट रूप मे अमेरिका मे मन्दी का दौर चल रहा है। पूरे विश्व के व्यापार दर मे 1 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कमी वर्ष 1991–92 मे आँकी गयी है।[55]

हाल ही मे विश्व के कई आर्थिक सगठनो की व्यवस्थाये एव प्रावधान परिवर्तित किये गये तथा कई शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यापार समूह भी गठित किये गये, जैसे–व्यापार एव तट कर सम्बन्धी सामान्य समझौता(गैट) यूरोपियन इकोनोमिक कमेटी(ई ई सी)नॉथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट(नाफ्टा) साउथ एशिया प्रीफरेन्शियल ट्रेडिंग एग्रीमेन्ट(सेप्टा), एशिया फ्री ट्रेड एरिया(आफ्टा) इत्यादि ने विश्व व्यापार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। गैट की 1992–93 की रिपोर्ट मे यह बताया गया है कि विश्व व्यापार मे 1992 मे पिछले पाँच वर्षों मे पहली बार वृद्धि हुई है, इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति पुन सभली है, लैटिन अमेरिका को पुन आयात की शक्ति प्राप्त हुई है, विश्व व्यापार मे 1992 मे पुन 1991 की तुलना मे 1 5 प्रतिशत मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 1993 मे विकसित देशो की आर्थिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत रही। इस बीच अमेरिकी अर्थशास्त्रियो ने इस वर्ष मे और अधिक आर्थिक सुधार की आशा व्यक्त की है। विश्व आर्थिक परिदृश्य मे हो रहे परिवर्तनो को ध्यान मे रखकर भारतीय राज्य व्यापार निगम को अपनी भावी रणनीति तय करनी पडेगी।

विश्व मे हो रहे आर्थिक परिवर्तनो का प्रभाव भारत पर भी पडा है। भारत के आर्थिक परिदृश्य मे हाल ही मे बहुत से परिवर्तन आये है। अन्य मुद्राओ की तुलना मे रुपये का दो बार अवमूल्यन किया गया। अमरीकी डालर की तुलना मे जुलाई–1991 मे किया गया अवमूल्यन 23 7 प्रतिशत या जबकि मार्च–1991 के अन्त मे यह 33 2 प्रतिशत था। बैकर्स एक्सेप्टेस स्कीम एण्ड सप्लायर्स क्रेडिट के अधीन अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी के लिए अतिरिक्त लागत पर अवमूल्यन का प्रभाव रुपये 135 करोड का पडा। खाद्य तेलो तथा वसा अम्ल के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली सरकार से की गयी एव अखबारी कागज के मामले मे इसकी वसूली अशत उद्योग द्वारा देय अधिभार और अशत बजट सहायता द्वारा की गयी।

---

55 वार्षिक प्रतिवेदन–1991–92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली, पृष्ठ स0–12

वर्ष 1991–92 मे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास मे कुछ सुस्ती रही क्योंकि वर्ष के दौरान एक तरफ कृषि का उत्पादन कम रहा और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास दर मे भी कमी आयी। वर्ष 1991–92 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ। अगस्त–1991 मे मुद्रास्फीति की दर 16 7 प्रतिशत के शिखर पर पहुँच गयी जिससे भुगतान सन्तुलन बिगड गया। जुलाई–1991 मे विदेशी विनिमय दर मे समायोजन एव आयातित उत्पादक सामग्री की कमी के प्रभाव ने स्थायी उपभोक्ता क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया। वर्ष 1991–92 मे निर्यातोन्मुखी उद्योगो को सोवियत सघ एव अन्य पूर्वी यूरोप के बाजारो मे माँग की कमी हो जाने के कारण औद्योगिक मन्दी का सामना करना पडा।

भुगतान असतुलन को ठीक करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न साहसिक कदम उठाये जिसकी शुरुआत जुलाई–1991 मे भारतीय रुपये के अवमूल्यन से हुई। आयात–निर्यात नीति मे बहुत से परिवर्तन किये गये। अगस्त–91 मे अनेक वस्तुओ को असरणीबद्ध घोषित किया गया, जहाँ तक भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यवहृत वस्तुओ का सम्बन्ध है तो चीनी, अल्कोहल, शीरा, अरडी का तेल का निर्यात तथा वसा अम्ल एव सोडियम बोरेट के आयात को अगस्त–1991 मे असरणीबद्ध कर दिया गया है। राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत सरणीबद्ध मदो मे अखबारी कागज एक ऐसी मद है जिसे 1 अप्रैल–1992 को असरणीबद्ध किया गया।

28 फरवरी, 1992 को सरकार द्वारा आयात एव निर्यात के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए रुपये की आशिक परिवर्तनशीलता की घोषणा की गई। निर्यातको को विदेशी मुद्रा खाता खोलने एव निर्यात मूल्य का 15 प्रतिशत इस खाते से प्राप्त करने की अनुमति दी गयी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा फेरा कानून(फारेन एक्सचेज रेग्युलेटिंग एक्ट) मे भी सशोधन किया गया। 34 चुने हुए ऐसे उद्योग जिसमे कि उच्च तकनीक एव वृहत् विनियोग की आवश्यकता थी, मे विदेशी विनियोग बढाने हेतु 51 प्रतिशत इक्विटी के भागीदारी की स्वत अनुमति मिल गयी। औद्योगिक नीति मे क्रान्तिकारी परिर्वतन किया गया। आर्थिक वैश्विकीकरण मे शामिल होने के लिए भारत ने एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम(एम आर टी पी एक्ट) से तमाम नियन्त्रणो को हटा लिया।

इन शासकीय निणर्यो के फलस्वरूप मुद्रा स्फीति की दर जो अगस्त 1991 मे 16 7 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी एक वर्ष बाद अगस्त 1991 के मध्य मे 8 33 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 1992–93 के अन्त मे यह 7 प्रतिशत तक आयी तथा 10 जुलाई 1993 को यह 5 4 प्रतिशत गिरी जो कि 1987 के बाद की सबसे कम मुद्रा स्फीति की दर अकित की गयी। विदेशी मुद्रा भण्डार 1 अरब डालर से बढकर 20 अरब डालर तक पहुँच चुका है। सम्पूर्ण रूप से आर्थिक विकास दर जो 1991–92 मे 1 2 प्रतिशत कम हो गयी थी पुन 1992–93 मे लगभग 4 प्रतिशत रही।[56] सरकार के साहसिक कदमो के

---

56 वार्षिक प्रतिवेदन–1992–93, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली

परिणामस्वरूप निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है तथा व्यापार घाटे मे कमी आयी है। वर्ष 1993–94 के प्रथम त्रैमास मे निर्यात मे(डालर के मूल्य मे) 27 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गयी है। इन सबका प्रभाव राज्य व्यापार निग्म पर भी पडा है।

उदारीकृत व्यापार नीति के परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदली और सरकार की प्राथमिकताए बदलने के कारण निगम को भी अपनी प्राथमिकताओ मे परिवर्तन करना पडा। निगम अपनी स्थापना क समय से सरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे व्यस्त था जिसमे वह एक तेजडिये की भूमिका निभा रहा था। खाद्य तेलो को छोडकर अनेक वस्तुओ को असरणीबद्ध कर देने के कारण निगम के सरणीबद्ध आयात निर्यात कारोबार मे कमी की आशका के साथ–साथ इसके परिचालन लाभ मे भी कमी की आशका थी।

इस स्थिति का सामना करने के लिए निगम ने असरणीबद्ध निर्यातो एव स्वदेशी व्यापार के लिए एक्जिम स्क्रिप्स पर असरणीबद्ध निर्यातो और आयातो को बढाने की योजना बनायी इसके साथ ही निगम ने अपने आप को प्रतियोगितात्मक विश्व व्यापार क्षेत्र मे एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान के रूप मे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अब निगम अपनी लगायी गयी पूँजी पर उचित लाभ कमाने का भी प्रयास करेगा। यह सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीतियो को लागू करवाने मे सहायता भी करेगा। इस प्रकार निगम को आत्मपरीक्षण कर अपने वर्तमान स्वरूप को परिवर्द्धित एव परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसे अब असरणीबद्ध वस्तुओ के निर्यात–आयात एव स्वदेशी व्यापार पर ही जोर देना है ताकि वह देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व कर सके।

(र) <u>निगम की व्यापारिक स्थिति –</u>

आरम्भ मे निगम अपनी समस्त व्यापारिक क्रियाए स्वय करता था लेकिन अक्टूबर–1963 मे खनिज एव धातु के व्यापार के लिए अलग से निगम बन जाने के कारण खनिज एव धातुओ के निर्यात का कार्य उसे सौप दिया गया। इसके बाद समय–समय पर निगम के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सहायक कम्पनियाँ एव निगमो की स्थापना की गयी जो कि समय–समय पर राज्य व्यापार निगम से अलग भी होती रही और वर्तमान समय मे तो इसका केवल एक अनुषगी सस्थान भारतीय चाय व्यापार निगम ही है। निगम न केवल निर्यात सम्बर्द्धन का कार्य करता है बल्कि वह विश्व की नयी–नयी अपरम्परागत वस्तुओ जैसे– डिस्पोजल सिरिंज, चावल की भूसी, अच्छी किस्म के चावल फल एव फूल, के सन्दर्भ मे जानकारी भी प्रस्तुत करता है। इसकी व्यापारिक स्थिति मे हो रही उत्तरात्तर प्रगति का अनुमान अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 46 से लगाया जा सकता है–

तालिका सख्या 46

राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति

(करोड रुपये मे)

वर्ष	आयात	निर्यात	स्वदेशी व्यापार	कुल व्यापार	कर देने से पूर्व लाभ	कुल लाभ अनुपात(%मे)
1969–70	150 2	55 1	5 40	210 7	16 24	7 7
1976–77	301 0	666 0	8 00	975 0	26 7	2 7
1980–81	1315 0	450 0	15 00	1780 0	–	–
1981–82	1290 89	555-4	20 56	1866 85	71 45	3 9
1982–83	1188 23	630 47	13 44	1832 14	62 66	3 4
1983–84	1403 38	796 11	15 54	2215 03	59 83	2 7
1984–85	2119 00	719 56	26 97	2865 53	61 13	2 1
1985–86	2158 38	377 44	15 34	2551 16	61 66	2 4
1986–87	2179 27	542 12	13 88	2735 27	55 42	2 0
1987–88	3036 81	580 99	27 72	3645 52	51 97	1 4
1988–89	2044 92	529 51	19 56	2593 99	40 57	1 6
1989–90	1070 47	751 78	32 99	1855 24	36 78	2 0
1990–91	1332 00	369 00	55 00	1756 00	34 59	1 96
1991–92	610 00	625 00	80 00	1315 00	36 00	2 73
1992–93	324 00	551 00	138 00	1013 00	27 00	2 66

<u>स्रोत</u> वार्षिक प्रतिवेदन– भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1980–81 तक निगम द्वारा किये गये आयात मे लगातार वृद्धि होती रही, इसके बाद आयात मे पर्याप्त उच्चावचन रहा जबकि सर्वाधिक निर्यात वर्ष 1983–84 मे 796 11 करोड रुपये का हुआ। वर्ष 1983–84 के बाद वर्ष 1990–91 मे निगम का निर्यात सबसे कम केलव 369 करोड रुपये था। वर्ष 1989–90 एव 90–91 मे निर्यातो मे गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे–

* खाडी सकट(ईराक–कुवैत युद्ध) जिसके कारण अनेक मदो जैसे रसायनो, औषधियो, खलियो, चावल, चमडे की बनी वस्तुओ आदि के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पडा।

* काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र से सीधे निर्यातो के कारण राज्य व्यापार निगम के द्वारा सरणीबद्ध –अरण्डी के तेल के रूप मे भुगतान क्षेत्र को कम आयात ।

* वर्ष के लिए निश्चित किया गया गेहूँ के निर्यात का लक्ष्य इसलिए प्राप्त नही किया जा सका

कि भारत के बन्दरगाहो पर बडे जहाजो मे लदान की सुविधा नही थी।

* कॉफी के मामले मे लक्षित निर्यात प्राप्त न करने का कारण यह रहा कि आई सी ओ कोटा न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी मे मदी रही। इसका यह भी कारण था कि नरमी मे कॉफी के कुछ खास ग्रेड उपलब्ध नही थे, जिससे कुछ सविदाओ की पूर्ति नही हो सकी।

* वर्ष के दौरान चावल का निर्यात कम रहा क्योकि खाडी सहकारी परिषद ने पहले के समान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चावल खरीदने के बजाय सीधे ही निजी पार्टियो से खरीदना पसन्द किया।

* सोवियत रूस तथा पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी की खरीददारी पद्धति मे परिवर्तन के कारण भी इन देशो को फुटवीयर के राज्य व्यापार निगम के निर्यातो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

स्वदेशी व्यापार मे भी आयात की तरह प्रारम्भ से वर्ष 1981–83 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1982–83 मे यह घटकर 13 44 करोड रुपये हो गया जो वर्ष 1980–81 के बाद अब तक का सबसे कम स्वदेशी व्यापार रहा। वर्ष 1989–90 से वर्तमान समय तक इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राज्य व्यापार निगम के इतिहास मे वर्ष 1987–88 मे सर्वाधिक व्यापार रुपया 3645 52 करोड का हुआ परन्तु इस वर्ष के सर्वाधिक व्यापार के बावजूद निगम का कर के पूर्व लाभ 51 97 करोड रुपये ही रहा इस प्रकार निगम का इस वर्ष का निवल लाभ अनुपात(कर देने के पूर्व बिक्री के अनुपात मे) 1 4 प्रतिशत रहा। यदि हम निगम के निवल लाभ अनुपात की ऐतिहासिक समीक्षा करे तो स्पष्ट होता है कि यह अनुपात इसी ऐतिहासिक वर्ष मे सबसे कम है जिसमे कुल व्यापार सबसे अधिक। वर्ष 1969–70 मे यह अनुपात सर्वाधिक 7 7 प्रतिशत था। निगम का मात्रात्मक लाभ वर्ष 1981–82 मे सर्वाधिक रहा है जबकि इस वर्ष का निवल लाभ अनुपात 3 9 प्रतिशत था। वर्ष 1992–93 मे निवल लाभ अनुपात 2 66 प्रतिशत था जिसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

(ल) **निगम के कारोबार की विशिष्टताए –**

गत वर्षों मे भारत और यहाँ तक कि विश्व के आर्थिक परिदृश्य मे बहुत से परिवर्तन हुए है। इसके साथ ही साथ निगम की सगठनात्मक सरचना भी बी बी आई एल के गठन, पुन इसके समापन, अनुषगियो के विलगन एव समामेलन के कारण प्रभावित हुई। इन परिवर्तनो का प्रभाव निगम की कार्य–प्रगति पर भी पडा है, जिसका अवलोकन अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 47 से किया जाता सकता है–

तालिका सख्या 47

विगत वर्षों मे निगम के कारोबार की विशिष्टताए

(करोड रुपये मे)

विवरण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1 निर्यात– असरणीबद्ध	262	173	292	542
सरणीबद्ध	135	113	234	9
दोहरा व्यापार(तटेतर सहित)	355	83	99	–
योग	**752**	**369**	**625**	**551**
2 आयात– असरणीबद्ध	25	23	11	39
सरणीबद्ध	1045	1309	599	285
योग	**1070**	**1332**	**610**	**324**
3 स्वदेशी–	33	55	80	138
महायोग	**1855**	**1756**	**1315**	**1013**
4 वित्तीय–कर के पूर्व लाभ	36 78	34 59	36	27
कर के लिए प्रावधान	5 07	11 46	11	8
कर के बाद लाभ	31 71	23 13	25	19
5 विनियोजन–प्रस्तावित लाभाश	6 00	6 00	9 0	9 0
आरक्षित राशि मे अन्तरण	26 69	17 75	17 0	10 0
शुद्ध मूल्य	312 00	329 00	360 00	369 00

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ,नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990–91 के दौरान निर्यात 369 करोड रुपये के रहे जबकि इससे पूर्व वर्ष 1989–90 मे यह 752 करोड रुपये का था। निर्यातो मे कमी का प्रमुख कारण दोहरे व्यापार तथा असरणीबद्ध निर्यातो के अन्तर्गत कम निर्यात रहा, जो पिछले वर्ष क्रमश 341 करोड रुपये तथा 262 करोड रुपये के तुलना मे वर्ष 1990–91 मे केवल 83 करोड एव 173 करोड रुपये रहा। वर्ष 1990–91 मे निर्यातो मे कमी खाडी सकट, साम्यवादी सोवियत रूस एव पूर्वी जर्मनी की खरीद विधि मे परिर्वतन तथा कुछ वस्तुओ के असरणीवद्ध कर दिये जाने से विदेशी खरीददारो द्वारा निजी पार्टियो से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के कारण भी रही।

वर्ष 1991–92 मे निगम का निर्यात 369 करोड रुपये से बढकर 625 करोड रुपये हो गया और इस प्रकार निर्यात मे एक वर्ष मे ही 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। असरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात इस अवधि मे 173 करोड रुपये से बढकर 292 करोड रुपये हो गया। इस प्रकार असरणी बद्ध वस्तुओ के निर्यात मे पिछले कुछ वर्षों, मे सर्वोच्च वृद्धि दर 69 प्रतिशत दर्ज की गयी। असरणीबद्ध वस्तुओ मे मुख्य रूप से सोयाबीन मील/खलियॉं, गेहूँ, चाय, प्रसस्कृत खाद्य, केमिकल और दवाए इत्यादि थी।

वर्ष 1991-92 मे असरणीबद्ध निर्यात-क्षेत्र मे निगम द्वारा की गयी प्रगति मे कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है-

* सोयाबीन मील/खलियो का निर्यात गत वर्ष 1990-91 की तुलना मे 1991-92 मे 20 करोड रुपये अधिक रही जो 21 करोड रुपये से बढ कर 41 करोड रुपये हो गया। निगम ने पहली बार इस वर्ष चावल की भूसी की खली रुपये 1 68 करोड का निर्यात किया।

* इस वर्ष मे पहली बार गैर-बासमती चावल रुपये 6 05 करोड का निर्यात किया गया।

* निगम स्वीडिश बाजार मे पहली बार प्रविष्ट हुआ और एक करोड रुपये का निर्यात आदेश प्राप्त करने मे सफल रहा।

* निगम ने यूनाइटेड अरब अमीरात को निर्यात करने का एक दीर्घकालीन समझौता किया है जिसमे एक करोड रुपये की डिस्पोजल सिरिंज का निर्यात प्रति वर्ष करना है। निगम ने पहली बार हालैण्ड को 45 लाख रुपये की इफेड्रिन तथा 50 लाख रुपये की कोन्ट्रीमैक्सजॉल दवा की गोली, फ्रास को 20 लाख रुपये की इण्डोशल्फान का निर्यात किया। उसे 64 लाख रुपये का फार्मूलेशन का आर्डर नाइजीरियन हेल्थ अथॉरिटी द्वारा प्राप्त हुआ है।

वर्तमान समय मे निगम उदारीकृत व्यापारिक वातावरण मे असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार को बढाने पर अधिक जोर दे रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान असरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात 38 6 प्रतिशत बढा। वर्ष का कुल निर्यात यद्यपि 1991-92 के 625 करोड रुपये की तुलना मे केवल 551 करोड रुपये रहा। सरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात 234 करोड रुपये से घटकर केवल 9 करोड रुपये रह जाने से कुल निर्यात प्रभावित हुआ। निगम लगातार सोयाबीन, चावल की भूसी, सरसो एव सूरजमुखी का तेल का निर्यात बढाने का प्रयास कर रहा है। देश मे ट्रको की हडताल एव असामान्य परिस्थिति के बावजूद वर्ष 1992-93 मे कुल 34 करोड रुपये का निर्यात इन वस्तुओ से सम्बन्धित किया गया।

वर्ष 1990-91 के दौरान रुपये 1332 करोड का आयात कारोबार हुआ जो पिछले वर्ष के आयात से 262 करोड रुपये अधिक था, जिसका मुख्य कारण खाद्य तेलो के आयातो मे बढी हुई मात्रा है। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी नीतियो एव दिये गये दिशा-निर्देशो के आधार पर सरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात निगम द्वारा किया जाता है। आयात का समय एव आयातित मात्रा का निर्धारण भी सरकार ही करती है। वर्ष 1991-92 मे 90-91 की तुलना मे आयात रुपया 1322 करोड से गिरकर 610 करोड रुपये रह गया। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध खाद्य तेलो के आयात मे कमी के कारण रही। वर्ष 1991-92 के दौरान 1 15 लाख मीट्रिक टन पामोलिन का विक्रय 217 करोड रुपये मे किया गया जबकि वर्ष 1990-91 मे 5 95 लाख मीट्रिक टन पामोलिन का विक्रय 836 करोड रुपये मे किया गया

था। निगम का आयात आवर्त वर्ष 1992–93 मे 46 9 प्रतिशत और कम हो गया। यह कमी अखबारी कागज के असरणीबद्ध किये जाने तथा खाद्य तेलो के आयात मे कमी के कारण आयी 3 लाख टन खाद्य तेलो के आयात की मूल योजना के अनुक्रम मे केवल 30,000 मी टन खाद्य तेलो का ही आयात किया गया क्योंकि तिलहन के स्वदेशी उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई।

पिछले चार वर्षों मे निगम ने स्वदेशी व्यापार मे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज करायी है। वर्ष 1990–91 मे स्वदेशी बिक्री मे वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिक्री तथा सोयाबीन के तेल की अधिक बिक्री रही। स्वदेशी व्यापार मे वर्ष 1991–92 तथा 92–93 मे निगम ने अपने गतवर्ष की तुलना मे क्रमश 45 प्रतिशत तथा 72 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। स्वदेशी व्यापार मे वृद्धि का मुख्य कारण निगम की तेल निकालने वाली अधिग्रहीत परियोजनाओ द्वारा तेल की अधिक बिक्री के साथ-साथ आयातित कारो एव प्राकृतिक रबर की अधिक बिक्री करना रहा है।

वर्ष 1992–93 मे सरणीबद्ध व्यापार मे कमी के बावजूद निगम अपने कुल व्यापार को हजार करोड रुपये के स्तर पर बनाये रखने मे सफल रहा है यद्यपि वर्ष 1992–93 मे कुल व्यापार 1315 करोड रुपये से घटकर रुपये 1013 करोड ही रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध व्यापार मे कमी के कारण रही। वर्ष 1991–92 का सरणीबद्ध व्यापार 833 करोड रुपये का था जो अगले वर्ष गिरकर 294 करोड रुपये ही रह गया जबकि असरणीबद्ध व्यापार मे वर्ष 1992–93 के दौरान 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निम्न तालिका मे विगत वर्षों के सरणीबद्ध एव असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है–

तालिका सख्या 48

सरणीबद्ध एव असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति

(करोड रुपये मे)

	विवरण	वर्ष 1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1	सरणीबद्ध व्यापार	1180	1422	833	294
2	असरणीबद्ध व्यापार (तटेतर तथा स्वदेशी सहित)	675	334	482	719
	योग	**1855**	**1756**	**1315**	**1013**

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरणीबद्ध व्यापार मे वर्ष 1990–91 से लगातार कमी एव असरणीबद्ध व्यापार मे लगातार वृद्धि हो रही है।

तालिका सख्या 47 मे यदि निगम के अर्जित लाभ का अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि 1992–93 मे वर्ष 1991–92 की तुलना मे 9 करोड रुपये की कमी रही है। लाभ मे कमी का कारण निगम के कुल आयात–निर्यात व्यापार मे कमी होना रहा है। यद्यपि इस अवधि मे स्वदेशी व्यापर बढा है परन्तु वह लाभ को अधिक प्रभावित नही कर सका। कर के पूर्व लाभ को विक्रय के सन्दर्भ मे देखने पर यह स्पष्ट होता है कि गत चार वर्षों मे इसमे अधिक उच्चावचन नही है। वर्ष 1989–90 से 92–93 तक यह अनुपात क्रमश 2 0,2 0,2 8 एव 2 7 प्रतिशत रहा। वर्ष 1983–84 मे भी यह अनुपात 2 7 प्रतिशत ही था। निगम ने लाभाश की घोषणा मे पर्याप्त स्थिरता का ध्यान रखा है।वर्ष 1982–83 से 85–86 तक लाभाश की राशि रुपये 3 75 करोड 1986–87 से 1990–91 तक लाभाश 6 करोड रुपये तथा 1991–92 एव 92–93 मे रुपये 9 करोड लाभाश के रूप मे वितरित किये गये। वर्ष 1986–87 से 90–91 तक लाभाश की दर 20 प्रतिशत थी। वर्ष 1991–92 मे इसमे 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लाभाश दर को 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(व) **चीनी सकट–1994 मे निगम की भूमिका** –

चीनी सकट 1994 को कम करने मे राज्य व्यापार निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निगम सरकार के आदेश पर चीनी अथवा अन्य वस्तुओ का आयात करता है। उल्लेखनीय है कि चीनी का उत्पादन खपत से कम होगा, इसका सही–सही अनुमान समय पर नही लगाया जा सका था। भारतीय चीनी मिल सघ ने सरकार को भावी उत्पादन के विषय मे सही आकडे उपलब्ध नही कराये।[57]और जब इस बात का पता चला कि वर्तमान चीनी सत्र का उत्पादन पिछले वर्ष की खपत से कम है तो चीनी के आयात करने से सम्बन्धित प्रशासनिक आदेश देने मे विलम्ब हुआ। फलस्वरूप चीनी की मात्रा बाजार मे कम हो जाने से खुले बाजार मे इसकी कीमत अनियन्त्रित हो गयी। कुछ व्यक्तियो द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमो की अक्षमता और मन्त्रियो तथा नौकरशाहो के बीच अहम् के टकराव से हुए घालमेल के कारण ऊँची कीमतो पर चीनी का आयात किया गया और देश के खजाने को 650 करोड रुपये की चपत लगी।[58]

वास्तव मे नवम्बर 1993 मे ही केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मत्री द्वारा 10 लाख टन चीनी के आयात की सिफारिश की गयी थी। खाद्य सचिव ने भी चीनी के आयात का सुझाव दिया। परन्तु खाद्य मन्त्रालय का विचार था कि माँग पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त उत्पादन होगा। 24 जनवरी, 1994 को खाद्य मन्त्री ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को पत्र लिखकर चीनी आयात करने का निवेदन किया। मन्त्रिमण्डल की मूल्य सम्बन्धी समिति(सी सी पी) की बैठक कई बार स्थगित होने के बाद जब 9 मार्च को हुयी तो

---

57 अवर लीडर–इलाहाबाद, 30 मई, 1994

58 इण्डिया टुडे– 30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 48

तय हुआ कि चीनी को खुले सामान्य लाइसेन्स(ओ जी एल) की सूची मे लाया जाय और राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम से चीनी के आयात के बारे मे फैसला करने को कहा जाय परन्तु वित्त मन्त्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को होने वाले घाटे को उठाने से इन्कार कर दिया क्योंकि आयातित चीनी की लागत रुपये 13 10 प्रतिकिलो होती जबकि विक्रय 7 10 रुपये प्रतिकिलो पर ही करना पडता, इसलिए राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम आयात का फैसला करने मे झिझकते रहे। जब राज्य व्यापार निगम ने चीनी मँगाने के लिए 13 मई, 1994 तक कोई अनुबन्ध नही किया, तब सचिवो की बैठक मे मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने निर्देश दिया कि वे भारतीय खाद्य निगम से चीनी आयात करवाए। भारतीय खाद्य निगम ने 16 मई को निविदा जारी की, परन्तु इसे खाद्य मन्त्री द्वारा 19 मई को रद्द कर दिया गया और उसी दिन भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 385 डालर प्रति टन की दर से चीनी मँगाने का पहला अनुबन्ध किया गया। आयात की कीमत नवम्बर–1993 की कीमत से 35 डालर प्रति टन अधिक थी। जब चीनी सकट का जायजा लेने के लिए 8 जून 1994 को प्रधानमन्त्री ने बैठक बुलायी तो वित्तमन्त्री भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी देने पर सहमत हुए, जिससे कि सस्ती दर की दुकानो पर चीनी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। पर इस बीच चीनी की कीमत खुले बाजार मे 18 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गयी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयात का निर्णय लेने मे विलम्ब तथा निर्णय केबाद आयात अनुबन्ध करने मे विलम्ब, चीनी सकट–1994 का आधार है। जब खाद्यमन्त्री से इण्डिया टुडे के प्रतिनिधि द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात मे विलम्ब का कारण पूछा गया तो उनका उत्तर था कि मन्त्रिमण्डलीय सचिव की जिम्मेदारी थी कि वे राज्य व्यापार निगम के चीनी आयात के सम्बन्ध मे, वाणिज्य सचिव को स्पष्ट निर्देश देते। यह काम तो उन्हे 8 अप्रैल की बैठक के बाद कुछ दिनो मे ही कर लेना चाहिए था, जब यह फैसला हुआ कि राज्य व्यापार निगम और खनिज एव धातु व्यापार निगम सावजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का आयात करेगे। वाणिज्य सचिव द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय को पहला पत्र 5 मई–1994 को भेजा गया जिसमे राज्य व्यापार निगम से बाजार की कीमतो पर चीनी आयात करने की बात कही गयी। मगर तब सब्सिडी कौन देता?[59]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी की गयी निविदा को रद्द करने का कारण वर्ष 1989 के चीनी सकट पर , पी ए सी की रिपोर्ट थी, जिसमे यह कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय चीनी का आयात न करे यह अधिकार राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम का है और किसी भी अपजीकृत कम्पनी को आयात सम्बन्धी निविदा भरने की अनुमति न दी जाय।

---

59 इण्डिया टुडे, 30 जून–1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–51

उदारीकरण के वर्तमान सन्दर्भों मे चीनी सकट– 1989 के पी ए सी की रिपोर्ट का अक्षरश अनुपालन बहुत उचित प्रतीत नही होता। निजीकरण के दर्शन को बढावा देते हुए 15 मार्च–94 को निजी क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क मुक्त चीनी-आयात के दरवाजे खोल दिये गये। यद्यपि राज्य व्यापार निगम भारत सरकार के लिए चीनी आयात करने का एक उत्तरदायी सस्थान है परन्तु उसे समय पर स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए था। क्योकि निजी पार्टियाँ भी आयात अनुबन्धो मे लगी थी इसलिए निगम की विदेश से मोल–तोल शक्ति भी कमजोर पड गयी थी। चीनी की आपूर्ति तथा कीमतो पर नियन्त्रण हेतु सरकार को समय रहते वित्त, वाणिज्य तथा खाद्य मन्त्रालयो की एक सयुक्त समिति गठित किया गया होता, तथा इन विभागो के बीच सवादहीनता जैसी स्थिति को समाप्त कर समस्या से निपटने का समय से प्रयास किया गया होता तो इस चीनी सकट को कम किया जा सकता था।

(ष) <u>निगम की उपलब्धियो का मूल्याकन –</u> भारतीय राज्य व्यापार निगम की उपलब्धियाँ निम्नलिखित है–

1 <u>देश के आयात–निर्यात व्यापार मे योगदान –</u> विगत वर्षों मे निगम ने देश के आयात–निर्यात व्यापार मे महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसका कुल व्यापार 1987–88 मे 3645 करोड रुपये तक पहुँच चुका था। बाद मे राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक उदारीकरण के मूल उद्देश्य– निजी आयातको तथा निर्यातको को विदेशी बाजार की प्रतिस्पर्धा मे खडे होने की योग्यता का विकास करने के लिए, व्यापार नीतियो मे खुलापन लाया गया। इससे निगम का व्यापार हाल के वर्षों मे कुछ कम हुआ है। परन्तु ऐसा नही है कि उदारीकरण से देश का कुल विदेशी व्यापार कुप्रभावित हुआ हो। राज्य व्यापार निगम के विदेशी व्यापार मे योगदान को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है–

तालिका सख्या 49

विदेशी व्यापार मे राज्य व्यापार निगम का योगदान

(करोड रुपये मे)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल विदेशी व्यापार	निगम का कुल व्यापार	निगम का भाग प्रतिशत मे
1980–81	12,549	6,711	19,260	1,780	9 24
1985–86	20,452	10,895	31,347	2,551	8 13
1990–91	43,193	32,553	75,746	1,756	2 31
1992–93	62,923	53,351	1,16,274	1,013	0 87

<u>स्रोत</u> 1 इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया–1992–93

2 वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश के बढते हुए कुल विदेशी व्यापार मे निजी पार्टियो

के शामिलहो जाने से निगम का योगदान कम हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि निगम का सरणीबद्ध व्यापार कम तथा असरणीबद्ध व्यापार बढ रहा है। परन्तु समीक्षात्मक 12 वर्षों मे राज्य व्यापार निगम की विदेशी व्यापार मे भागीदारी 8 37 प्रतिशत घट गयी, यह एक चिन्ताजनक स्थिति है।

2 **निर्यात एव निर्यात उत्पादन को बढावा** – निगम ने निर्यात एव निर्यात उत्पादन दोनो को बढाने मे महत्वपूर्ण सहयोग किया है। निगम का निर्यात इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 1983–84 तक लगातार बढता ही रहा है और यह 796 11करोड रुपये तक जा पहुँचा था। निगम ने चीनी एव कृषिगत वस्तुओ के निर्यात तथा निर्यात योग्य चमडे की वस्तुओ के उत्पादन मे अपना योगदान दिया है।[60] निगम उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल, ईंधन एव अन्य आधारभूत सुविधाओ की पर्याप्तता सुनिश्चित करता है। वर्ष 1990–91 एव 91–92 मे निर्यातित वस्तुओ मे सर्वाधिक चीनी का निर्यात किया गया जो क्रमश 99 19 एव 242 5 करोड रुपये का था तथा वर्ष 1989–90 तथा 1992–93 मे निर्यातित वस्तुओ मे सर्वाधिक निर्यात कृषिगत वस्तुओ का रहा जो क्रमश 158 7 एव 140 2 करोड रुपये का था। निगम रूस, जापान, कनाडा एव सिगापुर आदि देशो मे व्यापारिक मेले व प्रदर्शनियो का आयोजन करता रहता है जिसके माध्यम से वह नयी–नयी वस्तुओ का परिचय कराकर निर्यात को प्रोत्साहित करता है। निगम मेलो एव प्रदर्शनियो के माध्यम से विश्व के उपभोक्ताओ को भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओ का ज्ञान कराता है तथा उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है जिससे वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि की जा सके।

3 **अपरम्परागत वस्तु एव बाजार की खोज** – भारतीय राज्य व्यापार निगम प्रारम्भ मे परम्परागत वस्तुओ का आयात–निर्यात करता था परन्तु बाद मे उसने नयी–नयी वस्तुओ एव नये–नये बाजारो की खोज प्रारम्भ की। हाल के वर्षों मे निगम ने अपरम्परागत वस्तुओ मे प्रसस्कृत खाद्य, रसायन, दवाए, गैर बासमती चावल, चावल की भूसी, डिस्पोजल सिरिंज, अमिटनीय स्याही, सुगन्ध प्रसाधन, पिपरमिण्ट, जूते, सिले सिलाये कपडे, प्याज, नमक, बीडी पत्ता, थर्मोप्लास्टिक्स, रगीन टेलीविजन का निर्यात, एव उपकरण, लकडी का गूदा– प्राकृतिक रबर, विटामिन'ए' पामीटेट, आदि वस्तुओ का आयात किया है।

निगम का व्यापार प्रारम्भ मे कुछ गिने चुने देशो के साथ होता था परन्तु आज उसका व्यापार सउदी अरब, ईरान, रूस, फ्रास, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलका, यूगोस्लाविया, मोरक्को, डेनमार्क, जापान, जिबूती, मिश्र, यमन, इटली, नीदरलैण्ड, सोल्वेनिया, फिनलैण्ड, स्पेन, सिगापुर, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, कुवैत, कोरिया, पाकिस्तान, ताइवान, नाइजीरिया, कनाडा, ग्रीस, सीरिया, आस्ट्रेलिया,

---

60 बाजार व्यवस्था–शर्मा, टी आर , जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा–1991, पृष्ठ सख्या–127

बेल्जियम आदि देशो के साथआयात–निर्यात का व्यापार हो रहा है। विभिन्न वस्तुओ के सन्दर्भ मे निगम विभिन्न प्रकार के बाजारो की खोज करता है जिससे कि वहाँ पर विशेष वस्तु का निर्यात किया जा सके जैसे– कॉफी के सम्बन्ध मे जापान, कनाडा मे जूते, नाइजीरिया मे दवाए, अरब देशो को डिस्पोजल सिरिंज आदि।

4 **समर्थित मूल्य एव बफर स्टॉक की क्रियाओ मे योगदान –** राज्य व्यापार निगम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वह मूल्यो को स्थिर बनाये रखकर, वस्तु के स्टॉक को भी बनाये रखता है। इस क्रिया मे वह सरकार द्वारा घोषित समर्थित मूल्य पर उत्पादको से सीधे वस्तुओ को खरीदकर उन्हे विक्रय की चिन्ता से मुक्त कराता है तथा उन्हे शीघ्र भुगतान कर पुन उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यह दैनिक आवश्यकता की वस्तुओ का बफर स्टॉक बनाये रखने मे योगदान करता है। यह स्टॉक उस अवधि मे वस्तुओ की पूर्ति को नियमित करता है जबकि वस्तुओ का उत्पादन खपत से कम हुआ हो। विशेष रूप से निगम इस क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों के मूल्य मे स्थायित्व प्रदान करता है जिससे कि जनसाधारण को आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके।

5 **लघु एव कुटीर उद्योगो को सहायता –** राज्य व्यापार निगम लघु एव कुटीर उद्योगोको समस्त सुविधाए प्रदान करता है, यह उनके लिए आधारभूत सुविधाओ की व्यवस्था भी करता है। यथा उत्पादन मे निरन्तरता के लिए कच्चे माल की व्यवस्था, उनके उत्पादो की गुणोत्तर प्रगति के लिए उच्च तकनीकी सहायता प्रदान करना, उत्पादो के विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना, लघु उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओ के निर्यात मे सहायता प्रदान करना जिससे कि उनको किसी प्रकार की हानि न हो तथा उत्पादित वस्तुओ मे पूँजी फसी न रह जाय। इस प्रकार राज्य व्यापार निगम लघु एव कुटीर उद्योगो को एक स्थायित्व प्रदान करने तथा उसके विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

6 **स्वदेशी व्यापार मे निगम का योगदान –** निगम स्वदेशी व्यापार मे अपनी स्थापना के बाद से ही योगदान करता आ रहा है। जिसमे वह अपने देश मे देश–विदेश से खरीदी गई वस्तुओ का विक्रय करता है।स्वदेशी व्यापार के अन्तर्गत निगम द्वारा वर्तमान समय मे आयातित कारो से लेकर, केक जैसी वस्तुओ का विक्रय किया जाता है। निगम का स्वदेशी व्यापार उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। वर्ष 1988–89 मे यह व्यापार मात्र 19 56 करोड रुपये का था जो वर्ष 1992–93 मे 138 करोड रुपये तक पहुँच चुका है। वर्ष 1990–91 मे 89–90 की तुलना मे 33 करोड रुपये का अधिक स्वदेशी व्यापार हुआ जो गतवर्ष की तुलना मे 67 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1991–92 एव 92–93 मे इसमे क्रमश 45 तथा 72 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम ने अपनी बिक्री मे यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक विक्रय, निगम द्वारा अधिग्रहीत तेल निकालने वाली परियोजनाओ द्वारा अधिक तेल के विक्रय

के साथ–साथ आयातित कारो के अधिक विक्रय द्वारा अर्जित की है। इसके अतिरिक्त निगम ने स्वदेशी व्यापार के अन्तर्गत प्राकृतिक रबर के देशी उत्पादको सेउत्साहवर्धक मूल्य पर 18420 मीट्रिक टन प्राकृतिक की खरीद38 करोड रुपये मे वर्ष 1991–92 मे शासकीय निर्देशो के अधीन करोड रुपये का 5834 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर निर्यात किया गया तथा निगम ने 565 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर घरेलू बाजार के लिए 15 44 करोड रुपये मे निर्गत किया।[61]

7 <u>उचित कार्मिक एव औद्योगिक सम्बन्ध –</u> कम्पनी नियमावली –1975 तथा सशोधित नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2–ए) के अन्तर्गत अपेक्षित प्रावधानानुसार निगम का कोई कर्मचारी किसी भी निदेशक से सम्बन्धित नही है, साथ ही निगम अपने कर्मचारियो के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखता है। निगम के निदेशक प्रबन्धको एव कर्मचारियो द्वारा प्रदर्शित लगन के लिए अपनी प्रशसा अभिलेखित करते है। निगम ने 1 जून, 1989 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चालू की, जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते थे, जिन्होने न्यूनतम10 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया हो या जिनकी आयु 40 वर्ष हो गयी हो।

वर्ष 1991–92 मे सरणीबद्ध व्यापार मे कमी को देखते हुए मानव शक्ति के आधिक्य मे कमी लाने के लिए 553 कर्मचारियो ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जिसके प्रतिफल मे 10 7 करोड रुपये का भुगतान वर्ष के दौरान उन्हे किया गया तथा प्रबन्धकीय एव अन्य व्ययो मे बचत की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियो की सख्या को मार्च–1992 मे 1962 के कर्मचारियो की सख्या के स्तर तक कम किया गया। निगम मानव ससाधन विकास की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रबन्धको एव कर्मचारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था समय–समय पर करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण सस्थानो की मदद लेता है,जैसे– इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, श्रीराम तकनीकी एव प्रबन्धकीय सेवा सस्थान तथा कम्यूटर अनुरक्षण निगम इत्यादि।

(श) <u>**भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी निगम –**</u> राज्य व्यापार निगम के सगठन एव प्रबन्ध को मई–1990 मे बी बी आई एल के अन्तर्गत लाया गया परन्तु मार्च–1991 मे ही बी बी आई एल को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप मार्च–1991 मे राज्य व्यापार निगम अपने पूर्व की स्थिति मे आते हुए चार अनुषगी निगमो–भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,भारतीय काजू निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम पर नियन्त्रण करता था।बाद मे भारतीय काजू निगम का राज्य व्यापार निगम मे सविलयन कर दिया गया तथा भारतीय चाय व्यापार निगम को छोडकर अन्य सभी अनुषगी निगमो को इससे विलग कर दिया गया। वर्तमान समय मे राज्य व्यापार निगम का केवल एक

---

61 वार्षिक प्रतिवेदन–1991–92, भारतीय राज्य व्यापार निगम,36–जनपथ, नई दिल्ली।

अनुषगी निगम भारतीय चाय व्यापार निगम है।

भारतीय चाय व्यापार निगमकी स्थापना राज्य व्यापार निगम के अनुषगी निगम के रूप मे वर्ष–1970 मे की गयी थी। इसका प्रमुख कार्य पैकेटो मे बन्द एव खुली चाय का देश–विदेश मे विक्रय करना है। यह निगम चाय के विपणन, उपभोग तथा चाय बागानो के प्रबन्धो मे सहायता प्रदान करता है एव चाय गोदामो का प्रबन्ध भी करता है। चाय व्यापार निगम के 100–100 रुपये के 11,14,193 समता अशो मे राज्य व्यापार निगम ने 3 करोड रुपये का निवेश किया है। वर्तमान समय मे चाय व्यापार निगम की समता अश पूँजी 11 करोड 14 लाख रुपये तथा आरक्षित निधि 10 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ऋण के माध्यम से भी वित्त प्राप्त किया जाता है जो 31 मार्च, 92 को 16 करोड 11 लाख रुपये तक पहुँच चुका है।

भारतीय चाय व्यापार निगम की विगत चार वर्षों की व्यापारिक स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है–

तालिका सख्या 50

भारतीय चाय व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति

(लाख रुपये मे)

	विवरण		वर्ष 1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1	शुद्ध बिक्री	– निर्यात	2379	1746	3645	1699
		– स्वदेशी	882	1123	864	802
		योग	**3261**	**2869**	**4509**	**2501**
2	आय	– व्यापार लाभ	504	96	316	139
		– विविध आय	245	143	165	101
		योग	**749**	**239**	**481**	**240**
3	घटाया	–बधे खर्च, ह्रास, ब्याज आदि	686	306	423	411
4	**कर से पूर्व लाभ/हानि**		**63**	**(–) 67**	**58**	**(–) 171**
5	**व्यापार लाभ तथा बिक्री अनुपात(%मे)**		**15 4**	**3 3**	**7 0**	**5 5**

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम के निर्यात एव स्वदेशी बिक्री मे उच्चावचन होता रहता है लेकिन उससे भी अधिक उच्चावचन उसके व्यापार लाभ मे होता है। समीक्षात्मक 4 वर्षों मे सर्वाधिक मात्रात्मक एव आनुपातिक दोनो लाभ वर्ष 1989–90 मे रहा। इस वर्ष का कर से पूर्व लाभ

रुपये 63 लाख तथा कुल लाभ अनुपात 15 4 प्रतिशत था। इस अवधि मे बिक्री, व्यापार लाभ तथा इन दोनो के आपसी अनुपात वर्ष 1990–91 मे सबसे कम रहा है। सम्भवत राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादन क्षेत्र मे आतकवादी गतिविधियो एव प्राकृतिक कारणो का प्रभाव चाय व्यापार पर पर्याप्त रूप से पडा है।

वर्तमान समय मे निगम की कार्य प्रगति के असन्तोषजनक होने का एक कारण निगम द्वारा लिये गये ऋणो पर देय ब्याज का भारी बोझ भी है। निगम ने 31 मार्च–1990 तक 1,319 लाख रुपये के ऋण स्वीकार किये थे जो 31 मार्च–1992 तक बढकर 1,611 लाख रुपये हो गये। निगम पर स्थायी ब्याज के भुगतान का दायित्व बढने तथा अन्य कारणो का प्रभाव निगम के वर्ष 1990–91लेखो मे हानि के रूप मे पडा तथा वर्ष– 1992–93 मे 171 लाख रुपये की हानि की अस्थायी गणना की गयी है। ऐसी स्थिति मे निगम को अपने सभी खर्चों मे मितव्ययिता बरतनी चाहिए। कर्मचारियो की अनावश्यक सख्या को घटाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कर्मचारियो की कार्यक्षमता मे वृद्धि के लिए उन्हे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार को चाय के निर्यात पर सीमा शुल्क की छूट प्रदान करनी चाहिए ताकि चाय व्यापार निगम की हानि को कम करते हुए लाभदायक स्थिति मे लाया जा सके। क्योंकि निगम की गतिविधियो पर नियन्त्रण करने मे अभी आसानी होगी इसलिए शीघ्रातिशीघ्र निगम की समस्याओ के निवारण हेतु एक समिति की नियुक्ति कर इसके व्यापार को लाभदायक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रतियोगिता के युग मे चाय व्यापार निगम को अपना लाभ बढाने के अतिरिक्त जीवित रखने का कोई और विकल्प नही है।

(ह) **निगम की आलोचना –** भारतीय राज्य व्यापार निगम वस्तुओ मे राजकीय व्यापार का एक प्रमुख अग होते हुए भी, इसकी आलोचना निम्न आधारो पर की जाती है–

– राज्य व्यापार निगम का लाभ कुल बिक्री एव निगम के आकार की तुलना मे काफी कम है। निजी व्यापारियो मे कुल बिक्री एव लाभ का अनुपात 8 से 10 प्रतिशत तक रहता है जबकि निगम का यह अनुपात पिछले 10 वर्षों मे 2 से 3 प्रतिशत के बीच ही चल रहा है। निगम के अन्य व्ययो पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण वे अन्य निजी व्यापारिक सस्थानो की तुलना मे बहुत अधिक है।

– निगम मे अभी भी विकेन्द्रीयकरण की कमी अनुभव की जाती है जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने मे अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। राजनीतिक पदाधिकारियो एव नौकरशाहो के अहम् के टकराव का घातक परिणाम पूरे देश को भुगतना पडता है। आर्थिक गतिविधियो मे सही समय पर सही निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है जो राज्य व्यापार निगम की जटिल सगठनात्मक सरचना के कारण सम्भव नही हो पाता। अभी हाल के चीनी सकट के दौरान एक तो विलम्ब से विदेश से चीनी आयात का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौपा गया, दूसरे आदेश के बाद भी विलम्ब से टेण्डर जारी किये गये तथा टेण्डर जारी करने के

एक महीने बाद तक विदेशी एजेन्सियो से चीनी आयात का अनुबन्ध नही किया जा सका। देर से निर्णय लेना औरउसके कार्यान्वयन मे उतना ही विलम्ब करना अधिकारो के केन्द्रीयकरण एव विभागीय निष्क्रियता को स्पष्ट करता है।

– निगम के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित मन्त्रालयो मे प्राय तालमेल का अभाव सा देखने को मिलता है। निगम को कुछ अनुबन्धो को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय एव वित्त मन्त्रालय से निर्देश प्राप्त करने पडते है। इन तीनो मन्त्रालयो मे कभी–कभी निर्णयन एव उनके कार्यान्वयन मे एकरूपता नही होती। मन्त्रालयो के दृष्टिकोण मे भिन्नता होने के कारण निगम को अपना निर्यात कम मूल्य पर अथवा आयात अधिक मूल्य पर करने के लिए बाध्य होना पडता है।

– निगम के लगभग 80 प्रतिशत अधिकारी तथा बहुत से कर्मचारी भी अन्य सरकारी विभागो से निगम मे प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते है जिनमे व्यापारिक रीतिरिवाज एव कार्य–कलापो के अनुभव का अभाव होता है जिसके कारण उनके निर्णय व्यापारिक नीति के अनुकूल नही होते। वे सरकारी तन्त्र के अनुरूप औपचारिकताओ से अभिप्रेरित होते है। इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी एव कर्मचारी का भावनात्मक लगाव राज्य व्यापार निगम से उत्पन्न नही हो पाता क्योकि उन्हे कुछ समय बाद अपने मूल विभाग को वापस होना रहता है।

– निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे सत्यनिष्ठा, एव कार्य–सम्पन्नता की कमी पायी जाती है और इस कमी का मूल कारण उनमे अभिप्रेरणा के साथ–साथ प्रशिक्षण का भी अभाव होता है। प्रथमत तो वे स्वेच्छा से कार्य करना ही नही चाहते और यदि कार्य करना भी चाहे तो उनमे उचित कार्यक्षमता ही नही होती।

– जिन वस्तुओ मे निगम को एकाधिकार प्राप्त है उनका वह अधिक मूल्य वसूल करता है।[62] परन्तु जहॉ उसे प्रतिस्पर्धा करनी होती है, वहॉ वह अपना व्यापार ठीक ढग से सचालित नही कर पाता। सरणीबद्ध व्यापार के सम्बन्ध मे क्योकि निगम का प्रतिस्पर्धी अन्य कोई नही होता जिसके परिणा:मस्वरूप वह समाज का शोषण कर राज्य के कल्याणकारी कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी व्यापार मे निगम नौकरशाही एव लालफीताशाही के कारण निजी व्यापार की प्रतिस्पर्धा मे नही टिक पाता।

– निगम सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अधिक मूल्य पर वस्तुओ को खरीदता है जबकि वे ही वस्तुए देशी व्यापारी कम मूल्य पर वहॉ से क्रय कर सकते है। अभी 19 मई–1994 से पूर्व निजी व्यापारियो ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का अनुबन्ध 350 डालर प्रतिटन की दर से किया जबकि निगम ने उसी दिन 385 डालर प्रति टन की दर से आयात अनुबन्ध किया।[63] बाद मे अर्थात् 7 जून,

---

62 बाजार व्यवस्था–शर्मा एव जैन, साहित्य भवन आगरा–1991, पृष्ठ सख्या–128

63 नवभारत टाइम्स– नई दिल्ली, 6 जून–1994

1994 को तो सरकारी एजेन्सी ने 407 से 415 डालर प्रतिटन की दरसे भी चीनी के आयात अनुबन्धो को अन्तिम रूप दिया।[64] इससे स्पष्ट होता है कि निगम न्यूनतम मूल्यो पर आयात एव अधिकतम मूल्यो पर निर्यात मे पर्याप्त रुचि नही लेता।

– राज्य व्यापार निगम के व्यय अन्य व्यापारिक सस्थाओ की तुलना मे काफी अधिक है। निगम का स्थायी खर्च विगत वर्षो मे बहुत अधिक बढ गया है वर्ष 1989–90 मे यह 3714 लाख रुपये था जो वर्ष 1991–92 मे बढकर 4454 लाख रुपये हो गया है। इसमे स्थापना व्यय तथा ब्याज भुगतान के लिए चुकायी जाने वाली धनराशि का अधिक भाग है।

– भारतीय राज्य व्यापार निगम का विदेशी व्यापार मे योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 1980–81 मे 9 24 प्रतिशत से क्रमश घटते हुए 1992–93 मे केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। ऐसी स्थिति मे इतने बडे राजकीय व्यापार सगठन के लिए यह एक चिन्ता का विषय है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि सरकार द्वारा सरणीबद्ध सूची को कम करने स निगम के सरणीबद्ध व्यापार मे कमी आयी है, परन्तु उसने असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे अपनी भागीदारी बढाकर इस कमी को पूरा करने का उचित प्रयास नही किया।

– देश के उद्योग एव व्यापार से निगम का उचित पारस्परिक सम्बन्ध नही है। इस सम्बन्ध मे कमी के कारण देश मे किसी वस्तु के वास्तविक/अनुमानित उत्पादन एव उसकी खपत की सही–सही जानकारी निगम को नही हो पाती और यदि समय रहते निगम को सही जानकारी नही हो पाती तो उचित समय पर वस्तु के आयात या निर्यात का निर्णय नही लिया जा सकता और जब तक सही समय पर आयात–निर्यात का निर्णय नही लिया जा सकेगा तब तक आयात का अधिक मूल्य चुकाना पडेगा तथा निर्यात का कम मूल्य प्राप्त होगा क्योकि सही समय पर आयात–निर्यात का निर्णय न लिये जा सकने की दशा मे निगम की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर पड जाती है।

– भारतीय राज्य व्यापार निगम पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि निगम के द्वारा सेवा मूल्य अधिक लिया जाता है तथा इसकी मूल्य नीतियाँ उचित नही है। ऐसी दशा मे निगम राज्य की लोक कल्याणकारी विचारधारा से अलग होकर लाभ की भावना से प्रेरित एक निजी व्यापारिक सस्थान से अधिक कुछ और नही रह जाता जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कभी–कभी सेवा भावना को भूल सा जाता है।

– राज्य व्यापार निगम की एक मात्र अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ समन्वय का अभाव पाया जाता है तथा नीतियो मे एकरूपता नही है, परिणामस्वरूप निर्णय लेने मे कठिनाई होती है। चाय व्यापार निगम को वर्ष 1992–93 मे कर से पूर्व 171 लाख रुपये की हानि होना, चिन्ता का विषय है।

---

64 इण्डिया टुडे, 30 जून–1994, पृष्ठ सख्या–49

– इस प्रकार यदि समय रहते उपर्युक्त समस्याओ की ओर उचित ध्यान नही दिया गया तो राज्य व्यापार निगम वस्तुओ के राजकीय व्यापार का एक सज्ञात्मक आधार स्तम्भ मात्र बनकर रह जायेगा।

(क्ष) <u>सुझाव</u> – निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जो आलोचना की जाती है, उन्हे दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

* निगम को अपना लाभ बढाने के लिए व्यापारिक सिद्धान्तो का अनुपालन करना चाहिए। उसे अपनी विनियोजित पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय दर 7–8 प्रतिशत निर्धारित कर देनी चाहिए और तद्नुसार अनुबन्धो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। स्थापना व्यय तथा अन्य खर्चों मे कटौती की जानी चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक कर्मचारियो को सेवानिवृत्ति देकर निगम के व्ययो को नियन्त्रित किया जा सके तथा लाभ की दर को बढाया जा सके।

* आर्थिक मामलो मे सही समय पर सही निर्णय लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है ऐसी दशा मे राज्य व्यापार निगम मे अधिकारो एव उत्तरदायित्वो दोनो का और अधिक विकन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। राजनीनिक पदाधिकारियो के अधिकारो को सीमित कर, परिभाषित कर दिया जाना चाहिए ताकि वे निगम के कार्यों मे अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके।

* निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालयो के बीच सवादहीनता जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए जब भी आवश्यकता समझी जाय तो मन्त्रिमण्डलीय सचिवो की समिति बनाकर अहम् मुद्दो पर विचारो का प्रत्यक्ष आदान–प्रदान किया जाना चाहिए ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा उसका त्वरित कार्यान्वयन भी हो सके।

* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो की नियुक्ति या तो अपनी स्वय की एक स्वच्छ समिति द्वारा अथवा किसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थिति मे ही अधिकारियो एव कर्मचारियो की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए वह भी या तो बहुत थोडे समय के लिए अर्थात् 1 वर्ष से कम अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे निगम अपरिहार्य परिस्थितियो से बच भी सकता है तथा यदि लम्बे समय तक नियुक्ति की जाती है तो कर्मचारी या अधिकारी की अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता का उपयोग भी हो सकेगा।

* निगम पर विगत वर्षों मे विदेशी व्यापार मे भागीदारी की बहुत कमी, के आरोप का निराकरण, असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे योगदान करके बढाया जा सकता है। क्योंकि सरकार की उदारीकृत नीतियो के अधीन, न केवल सरकार द्वारा आयात अथवा निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की सख्या मे बहुत कमी कर दी गयी है। अत अब निगम को देश के निजी व्यापारियो के समकक्ष अपनी

उपयोगिता को सिद्ध करते हुए प्रतियोगी विश्व बाजार मे अपना स्थान बनाना है। अत उसे समाज की सेवा भावना के साथ-साथ अपने लाभ-हानि को भी ध्यान मे रखकर अनुबन्ध स्वीकार करने चाहिए।

* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे स्वेच्छा से कार्य करने की भावना जागृत करने के लिए प्रभावपूर्ण, वित्तीय एव अवित्तीय दोनो प्रकार के अभिप्रेरण साधनो का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति समझ सके कि निगम के हित मे उनका हित भी विद्यमान है। ऐसी दशा मे वे पूर्ण निष्ठा,ईमानदारी एव पूरी कार्यक्षमता से अपने दायित्वो का निर्वहन कर सकेंगे।

* देश के उद्योग एव व्यापार से निगम को व्यावहारिक सम्बन्ध निरन्तर बनाये रखना चाहिए ताकि वस्तुओ के उत्पादन एव खपत के सम्बन्ध मे सही स्थिति की समय से जानकारी मिल सके। उत्पादन एव खपत के सही समय पर सही आकडो के आधार पर ही निगम के आयात-निर्यात मे सौदेबाजी की शक्ति को बढावा मिलेगा तथा लाभदायक अनुबन्ध प्राप्त हो सकेगे।

* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने का निगम का प्रयास सराहनीय रहा है परन्तु प्रशिक्षण के समय अन्तराल को और कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी-नयी विधियो का प्रयोग कर कर्मचारियो मे कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए।

* निगम की अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ निगम को समन्वय बनाये रखना चाहिए। दोनो की नीतियो मे एकरूपता एव सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। चाय व्यापार निगम को हो रही हानि पर नियन्त्रण पाने के लिए व्ययो पर नियन्त्रण करते हुए उन सुझावो का अनुपालन करना चाहिए जो राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध मे दिये गये है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्र मे चल रही आतकवादी गतिविधियो से उत्पादन को निष्प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

* कर्मचारियो की नियुक्ति मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमे व्यापारिक क्षमता एव योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता एव योग्यता को नवीन विधियो से पर्याप्त परीक्षण करके ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

* निगम को यथार्थवादी व्यापारिक मूल्य-नीति अपनानी चाहिए। एकाधिकारी वस्तुओ के व्यापार मे अधिक मूल्य लेने का आरोप सही प्रतीत नही होता फिर भी निगम को उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित करना चाहिए। उसे प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहको की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

* निगम को नयी वस्तु एव नये बाजार की खोज पर अधिक धन खर्च करना चाहिए। वर्तमान समय मे सरकार सरणीबद्ध वस्तुओ की सख्या मे कमी करती जा रही है जिससे निगम को स्वय अपना व्यापार क्षेत्र एव व्यापार की वस्तु का चयन करना है। ऐसी दशा मे वस्तु एव बाजार का नया क्षेत्र खोजना अपरिहार्य हो गया है।

इस प्रकार यदि निगम उपर्युक्त सुझावो पर भली–भाँति विचार कर इन्हे कार्यरूप प्रदान करे तो यह देश की सरकार एव जनसाधारण के लिए एक उपयोगी सस्था के रूप मे प्रतिष्ठित हो सकेगा। वैसे यह समय सरणीबद्ध व्यापार मे परिवर्तन का है जिसमे भारतीय राज्य व्यापार निगम को तेजी से सुधरते हुए विश्व आर्थिक वातावरण द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक व्यापारिक सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। निगम कृषि वस्तुओ के आयात–निर्यात पर अधिक जोर देकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की भूमिका को निभाते हुए अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। आगामी बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के युग मे निगम की नजर भविष्य पर है जहाँ यह निर्यात पर प्रमुख रूप से बल देते हुए उच्च प्रतियोगी विश्व व्यापार जगत मे एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के रूप मे उभरना चाहता है। निश्चित है कि निगम उदारीकरण की तरगो और भारत के बाहर निष्क्रिय उपक्रमो के ऊपर चढकर भारत को विश्व–व्यापार के नये मुकाबले मे अग्रभाग पर खडा करेगा।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेन्सियाँ -

राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त देश के आयात–निर्यात व्यापार मे राजकीय भागीदारी को बढावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे अन्य कई एजेन्सियाँ भी स्थापित की गयी है जिनमे से प्रमुख निम्नवत् है–

(अ) **भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड –** इस निगम की स्थापना जून, 1962 मे भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप मे की गयी थी, जिसकी प्रदत्त पूँजी, जो कि 12 लाख रुपये थी, को राज्य व्यापार निगम ने स्वय लिया था। अक्टूबर, 1962 मे राज्य व्यापार निगम के एक भाग के रूप मे स्थापित हथकरघा निर्यात सगठन को एक सहायक निगम बना दिया गया जिसे हथकरघा निर्यात निगम कहा जाता है। ऐसा कार्यों मे समन्वय एव सकेन्द्रण के उद्‌देश्य से किया गया था। निगम विकासशील देशो के साथ–साथ विकसित देशो जैसे– पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका एव अन्य यूरोपियन देशो को हाथ से बने कपडो के निर्यात मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

इस निगम की समता पूँजी 31 मार्च–1991 को 750 लाख रुपये तथा ऋण पूँजी 1054 लाख रुपये थी। निगम की शुद्ध बिक्री वर्ष 1989–90 तथा 90–91 मे क्रमश 7900 लाख रुपये तथा 4820 लाख रुपये थी परन्तु कर के बाद वर्ष 1989–90 मे तो निगम को 11 लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि वर्ष 1991–92 मे 254 लाख रुपये की हानि हुई।[65]

13 मई 1991 को भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया। इस निगम मे भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड रुपये की सारी साझेदारी राष्ट्रपति(वस्त्र मन्त्रालय) को नकद भुगतान पर हस्तान्तरित कर दी गयी है और अब यह निगम

---

65 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–560

स्वतन्त्र रूप से कर रहा है।[66]

(ब) भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम लिमिटेड – इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम के कार्यों को सुचारूप से चलाने के लिए इसे दो भागो मे विभाजित कर वर्ष 1963 मे की गयी। इसकी अधिकृन पूँजी 5 करोड रुपये तथा प्रार्थित पूँजी 2 करोड रुपये है। यह निगम खनिजो व धातु के विदेश व्यापार मे अक्टूबर 1963 से महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसे 17 मई, 1990 को भारत बिजनेस इण्टरनेशनल लिमिटेड(बी बी आई एल) की सहायक कम्पनी बना दिया गया। परन्तु 26 मार्च, 1991 को यह निगम पूर्व स्थिति मे आ गया। अब लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम का निर्यात इस निगम के माध्यम से होता है। परन्तु 19 अगस्त, 1993 से कोयले के निर्यात का कार्य निगम से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार 1991–92 के दौरान औद्योगिक कच्चा माल, अलौह धातुओ, उर्वरको तथा उर्वरको के निर्माण मे काम आने वाली गधक और रॉक फास्फेट इत्यादि के आयात का कार्य भी निगम से अलग कर दिया गया है।

अब यह निगम निर्यात के क्षेत्र मे अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इनमे कृषि पर आधारित उत्पादो, मॉस और मछली, हीरे, जवाहरात, आभूषण और कुछ अन्य वस्तुए, जैसे– कपडा तथा चमडा और चमडे से निर्मित वस्तुए भी शामिल है। आयात करने के लिये यह निगम अलौह धातुओ , इस्पात के अलावा स्वर्ण, बिना तराशे हीरे और कीमती पत्थर इत्यादि पर ध्यान देगा। 1786 करोड रुपये के निर्यात, 6241 करोड रुपये के आयात और 88 करोड रुपये का घरेलू व्यापार वर्ष 1991–92 के दौरान किया गया। यदि समग्र रूप मे देखा जाय तो निगम ने वर्ष 1991–92 के दौरान कुल 8115 करोड रुपये का व्यापार किया। हाल ही मे निगम सिगापुर, बर्लिन(जर्मनी) न्यूयार्क(अमेरिका) और टोक्यो(जापन) मे अपने विदेशी कार्यालय खोले है। वर्ष 1974 मे स्थापित माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड, भारतीय धातु एव खनिज व्यापार निगम लिमिटेड की एक सहयोगी सस्था है। यह माइका के निर्यात का कार्य करती है। वर्ष 1992–93 के दौरान इस सस्था के द्वारा 5 लाख 81 हजार डालर का निर्यात किया गया।

(स) भारतीय काजू निगम लिमिटेड – इस निगम की स्थापना 1970 मे काजू एव कच्चे काजू के निर्यात को बढावा देने के लिए की गयी। यह निगम मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित करता है–

– कच्चे काजू के आयात के नये–नये साधानो को खोजना।

– काजू निर्यात को परम्परागत बाजार मे बढाना तथा अपम्परागत बाजारो की खोज करना।

– देश से काजू की बनी वस्तुओ का निर्यात करने वाली सस्थाओ को काजू की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

---

66 वार्षिक प्रतिवेदन–1990–91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली, पृष्ठ स0–63–65

इन्ही कार्यों के निष्पादन हेतु निगम ने पेरिस और न्यूयार्क मे अपने विदेशी कार्यालय भी खोले है, परन्तु इन्हे अभी तक आशातीत लाभ नही हुआ है। 31 मार्च, 1991 से भारतीय काजू निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम मे समामेलित कर दिया गया है। काजू निगम के सचय रुपये 14 61 करोड़ को राज्य व्यापार निगम के सचय मे 31मार्च–1992 को मिला दिया गया। वर्तमान समय मे काजू व्यापार की गतिविधियो का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग खोला गया है तथा इसकी शाखा को कोचीन मे विकेन्द्रित कर दिया गया है। इसके समस्त कर्मचारियो को राज्य व्यापार निगम मे उनके तात्कालिक कैडर प्रदान कर दिये गये है। 31 मार्च, 1991 को निगम की समता पूँजी 150 लाख रुपये तथा ऋण पूँजी 1361 लाख रुपये थी। निगम की वर्ष 1989–90 तथा 90–91 मे शुद्ध बिक्री क्रमश 785 एव 962 लाख रुपये रही। इस प्रकार निगम को कर के बाद क्रमश 92 एव 142 लाख रुपये का लाभ हुआ।[67]

(द) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड – इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप मे अप्रैल 1971 मे की गयी। निगम का मुख्य उद्देश्य इजीनियरिंग उपकरणो तथा परियोजनाओ के निर्यात को बढावा देना था। रेलो, इजनो, भारती उपकरणो का निर्यात तथा सिविल निर्माण कार्य तथा निर्धारित अवधि मे परियोजनाओ का पूरा करना इस निगम की विशेषता है। निगम यह भी देखता है कि माल के निर्माताओ की प्रौद्योगिक क्षमता ठीक और समुचित है। यह निगम इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिन कामो का ठेका लिया गया है वे उचित गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हो।

इस निगम को भी 17 मई, 1990 को बी बी आई एल की अनुषगी कम्पनी बना दिया गया था परन्तु 26 मार्च, 1991 को ही बी बी आई एल को समाप्त कर दिया गया। अत यह पुन अपनी मूल स्थिति मे वापस आ गया। वर्ष 1991–92 मे इस निगम ने 189 करोड रुपये का निर्यात और 4 करोड रुपये का आयात किये। निगम का इस वर्ष कुल कारोबार 193 करोड रुपये का रहा।

(य)भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड – हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम की एक सहायक सस्था के रूप मे 4 फरबरी–1976 को केन्द्रीय कुटीर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई। निगम ने 1 अप्रैल–1976 से कुटीर उद्योग इम्पोरियम का कार्य भी अपने हाथो मे ले लिया। निगम की समता पूँजी 31 मार्च–91 को 75 लाख रुपये, ऋण पूँजी 128 ला रुपये तथा आरक्षित पूँजी 123 लाख रुपये थी। इस प्रकार 31 मार्च 1991 को इसकी पूँजी 326 लाख रुपये थी। इसका प्रमुख कार्य हस्तशिल्प एव हथकरघा से तैयार कपडो का विक्रय करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम कुटीर उद्योग के विकास मे भी अहम् भूमिका अदा करता है। निगम की वर्ष 1989–90 तथा 90–91 की कुल बिक्री

67 वार्षिक प्रतिवेदन–1990–91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36–जनपथ, नई दिल्ली–पृष्ठ स0 63–65

क्रमश 1924 लाख रुपये तथा 2060 लाख रुपये थी। इन वर्षों मे निगम ने कर के बाद क्रमश 13 एव 88 लाख रुपये का लाभ कमाया। क्योंकि 13 मई, 1991 को इसकी सूत्रधारी कम्पनी भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम को उसके सूत्रधारी कम्पनी भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग निगम भी अब राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नही रहा।

(र)**भारतीय राज्य रसायन एव भेषज निगम लिमिटेड –** भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप मे 1 जनवरी, 1976 को भारतीय राज्य रसायन एव भेषज निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी। दिसम्बर 1975 तक रसायन एव औषधियो से सम्बन्धित जो व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था इस निगम को सौप दिया गया। यह निगम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार अपने ग्राहको को उच्च स्तर की सेवाए प्रदान करता है। निगम उत्पादको को कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर उत्पादन मे सहायता करता है जिससे वितरण व्यवस्था एव मूल्यो पर नियन्त्रण रखा जा सके।

(ग) **उपभोक्ता सहकारी समितियॉं -**

पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता सहकारी समितियॉं राजकीय व्यापार के सहायक अगो के रूप मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनसाधारण, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को आवश्यक वस्तुए पहुँचाने मे ये समितियॉं महत्वपूर्ण माध्यम प्रमाणित हो रही है। निचले स्तर पर आत्मनिर्भर लोकतान्त्रिक सस्थाओ के रूप मे उपभोक्ता सहकारी समिति के विकास की राष्ट्रीय नीति बनायी गयी है। इन समितियो का प्रबन्ध व नियन्त्रण इनके सदस्य अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करते है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये है।

आठवी पचवर्षीय योजना मे उपभोक्ता आन्दोलन को अधिक सुदृढ करने का प्रस्ताव है जिससे वितरण मे इनका कार्य क्षेत्र बढाया जा सके और क्षेत्रीय असन्तुलन कम हो जाय। सहकारिता आन्दोलन को खण्ड, तहसील एव क्षेत्र तक पहुँचाने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता सहकारी समितियो के माध्यम से उचित व्यापारिक गतिविधियो के द्वारा दिन–प्रतिदिन के उपयोग मे आने वाली वस्तुओ के मूल्य पर नियन्त्रण किया जाता है। इसमे वस्तुओ की उपलब्धता एव गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाती है। सुपर बाजार दिल्ली, अपना बाजार बम्बई, ट्रिपलिकेन शहरी उपभोक्ता स्टोर, मद्रास, थोक स्टोर, कलकत्ता, जनता बाजार कोल्हापुर तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे यर्नां बाजार, आजिनया बाजार, शेद्रे जनता बाजार, रायगढ इसके आदर्श उदाहरण है।

मार्च,1992 तक गावो मे 26,505 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला स्तर पर 605 केन्द्रीय/ जिला थोक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, 30 राज्य स्तरीय उपभोक्ता सघ/राज्य विपणन तथा उपभोक्ता परिसघ और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ था। इनके शहरी क्षेत्रो मे 50,159 फुटकर बिक्री केन्द्र थे। अनुमान है कि शहरी सहकारी सस्थाओ ने 1992-93 मे 3,300 करोड रुपये तक का कारोबार किया।[68]

राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र उपभोक्ता सहकारी सस्था राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ की स्थापना 1965 की मे की गई थी। इसका उद्‌देश्य उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को बढावा देने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करना था। इस परिसघ के 108 सदस्य है।

सुपर बाजार सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना एक प्राथमिक भण्डार के रूप मे 1966 मे की गई। इसका उद्‌देश्य मूल्यो पर नियन्त्रण, उचित व्यापारिक गतिविधियो को प्रोत्साहन तथा दिल्ली राज्य मे आम लोगो के दिन प्रतिदिन की वस्तुओ की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। यह सुपर बाजार पाँच क्षेत्रीय वितरण केन्द्रो, 15 दवा बिक्री सहित 148 शाखाओ, फल और सब्जी की गाडियो सहित37 चलती-फिरती गाडियो के माध्यम से अपना काम काज चला रहा है। सुपर बाजार के कारोबार मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुपर बाजार के पहले वर्ष मे इसका कुल कारोबार 4 करोड रुपये का था जो वर्ष 1991-92 मे बढकर 97 82 करोड रुपये हो गया। 31 मार्च 1992 तक सुपर बाजार की सदस्य सख्या 32,022 थी और चुकता पूँजी 152 02 लाख रुपये थी, जिसमे सरकार का योगदान 128 70 लाख रुपये का था।

सरकार प्राथमिक सहकारी समितियो, बडी बहुउद्‌देश्यीय समितियो और किसान सेवा समितियो को ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता वस्तुओ का आवण्टन करने के लिए मार्जिन की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप मे प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 1 अप्रैल,1992 से राज्यो को हस्तान्तरित की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग 82,905 प्राथमिक सहकारी समितियाँ है। इनमे से लगभग आधी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता वस्तुओ का आवण्टन करने मे लगी हुई हैं।

(घ) **कुछ स्वायत्तशासी सस्थाए** -

राजकीय व्यापार मे सहयोग करने वाली कई स्वायत्तशासी सस्थाए भी है जो वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कार्य करती है। ये सस्थाए मुख्यत निर्यात के विकास और

---

68 भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-456

उसके सम्वर्द्धन का काम देखती है। इनमे से कुछ प्रमुख स्वायत्तशासी सस्थाए निम्नवत् है–

1 **अनुविहित वस्तु बोर्ड(परिषद) –** भारत मे वर्तमान समय मे 5 अनुविहित वस्तु बोर्ड है जो चाय, कॉफी रबर, मसाले और तम्बाकू के उत्पादन, विकास एव निर्यात के विषय मे अपने–अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते है। कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण परिषद भी एक अविहित सस्था है, जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की किस्म एव गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखती है। निर्यात निरीक्षण परिषद जहाज पर लदान से पहले निर्यात की जाने वाली वस्तुओ का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करती है।

2 **भारतीय विदेश व्यापार सस्थान –** भारत के राजकीय व्यापार मे भारतीय विदेश व्यापार सस्थान–नई दिल्ली भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह एक पजीकृत सस्था है। यह सस्थान मुख्य रुप से निम्न कार्यों को निष्पादित करता है–

* राजकीय व्यापार मे लगे कर्मचारियो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक तकनीको का प्रशिक्षण देना।

* विदेश व्यापार मे आने वाली समस्याओ पर अनुसधान के लिए व्यवस्था करना।

* विपणन अनुसधान, क्षेत्र सर्वेक्षण, वस्तु सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण का आयोजन करना तथा,

* अनुसधान तथा बाजार अध्ययन से सम्बन्धित इसकी गतिविधियो से प्राप्त सूचना का प्रचार प्रसार करना।

3 **इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पैकेजिग बम्बई –** इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ बम्बई भी इसी प्रकार की एक स्वायत्तशासी सस्था है, जो 1966 मे स्थापित एव पजीकृत हुयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य पैकिंग उद्योग मे काम आने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध मे अनुसधान करना, पैकिग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो को आयोजित करना, अच्छी पैकिंग की आवश्यकता के लिए चेतना का विकास करना आदि है।

4 **निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे –** राजकीय व्यापार मे सलग्न 11 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन तथा 8 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वस्त्र मन्त्रालय के अधीन काम कर रही है। ये परिषदे कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड और लाभ न कमाने वाली सस्थाए है। ये सस्थाए सलाहकारी एव व्यापार सचालन दोनो प्रकार का काम करती है। निर्यात प्रयासो मे ये फसल पैदा करने वालो, उत्पादको और निर्यातको का सक्रिय सहयोग लेती है। ये परिषदे पजीकृत निर्यातको के लिए आयात–निर्यात नीति के अन्तर्गत पजीकरण प्राधिकारी का कार्य भी करती है। इन परिषदो का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को बढावा देना तथा उसका विकास करना है।

5 **निर्यात विकास प्राधिकरण –** कृषि जन्य तथा प्रसस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण

फरवरी–1986 मे गठित किया गया। यह प्राधिकरण कृषि जन्य पदार्थों के निर्यात के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप मे काम करता है। विकास प्राधिकरण तैयार खाद्य पदार्थों को निर्धारित मूल्य पर बेचने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करता है। यह सस्था भी माल की गुणवत्ता एव किस्म पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर उपायो की व्यवस्था करती है।

6 भारतीय निर्यात सगठन सघ – भारतीय निर्यात सगठन सघ, नई दिल्ली विभिन्न निर्यात सम्बन्धी सगठनो और सस्थाओ की शीर्षस्थ सस्था है।यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घरानो को समन्वित सहायता देने के लिए प्रारम्भिक सेवा इकाई के रूप मे तथा देश के परामर्श सेवाओ के क्षेत्र मे निर्यात के प्रयत्नो को बढावा देने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय अभिकरण के रूप मे भी कार्य करता है।

7 भारतीय विवाचन परिषद – भारतीय विवाचन परिषद, नई दिल्ली,सोसायटी पजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। यह व्यापारियो, विशेषकर उन व्यापारियो को जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सलग्न है के बीच वाणिज्यिक विवादो को निपटाने के उपाय के रूप मे मध्यस्थता को बढावा देती है।

8 भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन – वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के सम्बन्ध मे उठाये गये कदमो को कार्य रूप प्रदान करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण एव भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन) स्थापित किया गया है इस सगठन की स्थापना 1 जनवरी 1992 को की गयी तथा इसका मुख्यालय प्रगति मैदान, दिल्ली मे है। व्यापार सम्वर्द्धन के लिए यह सगठन राजकीय व्यापार एजेन्सी के रूप मे समय–समय पर मेले एव प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। यह व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाए उपलब्ध कराने का काम भी करता है।[69]

9 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण – एक अनुबन्धित सस्था के रूप मे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन की स्थापना अगस्त–1972 मे की गयी थी। यह सस्था समुद्र के विभिन्न उत्पादो के विकास और विशेष रूप से निर्यात को बढावा देने के लिए आवश्यक उपायो का कार्यान्वयन करता है।

10 केन्द्रीय सलाहकार परिषद – व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद मे व्यापारिक एव वाणिज्यिक क्षेत्र मे ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले विभिन्न सगठनो और व्यक्तियो के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये है। यह परिषद सरकार को निम्न विषयों से सम्बन्धित मामलो पर अपने सुझाव देती है (अ) निर्यात और आयात नीति कार्यक्रम तय करना (ब) आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण का कार्यान्वयन करना (स) वाणिज्यिक सेवाओं का सगठन ओर विकास करना (द) निर्यात उत्पादन का सगठन और विस्तार करना।

---

69 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–560–62

11 <u>व्यापार परिषद</u> –केन्द्रीय वाणिजय मन्त्री की अध्यक्षता मे एक व्यापार परिषद की स्थापना की गयी है जो सरकार को निर्यात को बढावा देने एव आयात–नियन्त्रण के कार्यक्रमो और नीतियो को अपनाने के बारे मे सलाह देता है।

12 <u>अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय</u> – आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अधीन कार्यरत् आयात–निर्यात व्यापार नियन्त्रण सगठन मुख्य रूप से सरकार की आयात व निर्यात नीतियो के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सरकार द्वारा 1992–97 की अवधि के लिए घोषित नई निर्यात–आयात नीति को ध्यान मे रखते हुए इस सगठन का नाम बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय कर दिया गया है। यह सगठन लोहे, इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओ के आयात और निर्यात के लिए लाइसेन्स देने की व्यवस्था करता है।[70]

इस प्रकार राजकीय व्यापार मे सहयोग करने वाली अन्य एजेन्सियाँ अपने–अपने उद्देश्यो की विशिष्टता के अनुसार देश के व्यापारिक एव वाणिज्यिक उन्नति मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इन एजेन्सियो के कार्यो मे आने वाली प्रमुख बाधाए वही है जो पूर्व वर्णित भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम एव राज्य व्यापार निगम की है। क्योकि इन एजेन्सियो की स्थापना विभिन्न मन्त्रालयो एव सरकारी विभागो के अधीन की गयी है इसलिए इनके नीति निर्धारण, प्रशासन, कार्यान्वयन एव उपलब्धियो मे आने वाली प्रमुख समस्याए अन्य सरकारी विभागो की तरह प्रशासनिक ही है जैसे–विभिन्न मन्त्रालयो एव विभागो मे तालमेल न होना, राजनीतिक पदाधिकारियो द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यो मे हस्तक्षेप करना, निर्णय मे विलम्ब, नौकरशाही, अधिकारो का केन्द्रीकरण, सम्बद्ध विभागो का असहयोग, कर्मचारियो मे कार्य–प्रेरणा का अभाव इत्यादि है।

इन समस्याओ को दूर करने के लिए विभागो के प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा है। विभिन्न मन्त्रालयो एव विभागो मे समन्वय, राजनीतिक एव विभागीय अधिकारियो के अधिकार एव उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या अधिकारो एव उत्तरदायित्वो का साथ–साथ यथासम्भव विकेन्द्रीयकरण, विभिन्न प्रकार के नवीनतम तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण, वित्तीय एव अवित्तीय अभिप्रेरणा के साधनो का प्रयोग, प्रतिनियुक्तियो मे कमी, नयी नियुक्तियो मे व्यापारिक एव वाणिज्यिक योग्यता, कुशलता, अनुभव एव अभिरुचि को ही आधार बनाना इत्यादि उपायो के द्वारा कार्य मे आने वाली बाधाओ को दूर किया जा सकता है। यदि इनकी समस्याओ को दूर करने का सार्थक प्रयास, समय पर, पूरी निष्ठा के साथ किया गया तो नि सन्देह राजकीय व्यापार की ये एजेन्सियाँ बदलते हुए विश्व एव भारतीय आर्थिक परिदृश्य मे अपनी उपादेयता सिद्ध कर सकेगी।

---

70 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–560–62

चतुर्थ-सर्ग
राज्य द्वारा व्यापार का नियमन

चतुर्थ–सर्ग

राज्य द्वारा व्यापार का नियमन

राज्य द्वारा विपणन क्रियाओ एव गतिविधियो के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक भूमिका का सम्पादन अनेक वैधानिक व्यवस्थाओ के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधान या सविधान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियो से निर्मित सरकार को विभन्न क्षेत्रो मे विधान बनाने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त होते है। इस अधिकार का प्रयोग सरकार के द्वारा उन विभिन्न उद्‌देश्यो की प्राप्ति के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है जो देशवासियो की आकाक्षाओ के रूप मे देश के सविधान मे परिलक्षित होती है।

भारतीय सविधान मूल रूप से देश को समाजवादी समाज के रूप मे स्थापित करने की जनभावना का उल्लेख करता है और इस दिशा मे सामान्य नागरिको हेतु कुछ मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति–निदेशक सिद्धान्तो का अद्‌भुत समन्वय भारतीय सविधान मे दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक क्रियाओ मे राजकीय हस्तक्षेप सम्बन्धी अधिकार की मात्रा और दिशा देश के विधान के अन्तर्गत ही निर्धारित होती है।

भारतीय सविधान के अन्तर्गत राज्य के लिए निर्धारित आर्थिक उत्तरदायित्वो का निर्वाह करने हेतु देश की अर्थव्यवस्था के सचालन मे व्यापक सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। इस तथ्य को सविधान मे हुए अनेक महत्वपूर्ण सशोधनो ने और भी मजबूती प्रदान की है। भारतीय जनता ने देश को सम्प्रभुता–सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के रूप मे स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए सभी नागरिको को सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक न्याय दिलाने के उद्‌देश्यो से सरकार ने सविधान के माध्यम से अनेक प्रभावशाली कदम उठाये है। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था मे केन्द्र तथा राज्य सरकारे देश की प्रशासनिक एव सामाजिक, आर्थिक स्थितियो के बारे मे विधान बनाने की अधिकारी है, अतएव भारतीय सविधान मे केन्द्र एव राज्य के कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। सरकार की समाजवादी सकल्पना ने आर्थिक क्रियाओ मे राजकीय हस्तक्षेप के सभी पहलुओ–नियन्त्रात्मक, प्रोत्साहनात्मक तथा भागीदारी के क्षेत्र मे राज्य की भूमिका मे निरन्तर वृद्धि की है।

समाजवादी समाज की स्थापना करने एव उपभोक्ताओ के हितो की रक्षा के उद्‌देश्य से सरकार ने आर्थिक लाभ कमाने की होड को बढाया है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वो को भूल कर समाज का शोषण करना प्रारम्भ कर देते है। आधुनिक सरकारे इस शोषण प्रवृत्ति पर नियन्त्रण पाने के उद्‌देश्य से विभिन्न प्रकार का अधिकार विभिन्न अधिनियमो के अन्तर्गत प्राप्त कर लेती है। भारत मे इस प्रकार के बहुत से अधिनियम है जिनमे उपभोक्ता के हितो की रक्षा की गयी है। ये प्रमुख अधिनियम अग्रांकित हैं–

(क)**औद्योगिक(विकास एव नियमन)अधिनियम–1951** –

वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति को तीन वर्ष तक कार्यान्वित करने के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के प्रारूप एव औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण को आवश्यक माना तथा पचवर्षीय योजनाओ के अनुरूप आर्थिक विकास की दिशा प्रदान करने का निश्चय किया। इसको ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1951 मे औद्योगिक(विकास एव नियमन) अधिनियम–1951 बनाया। यह अधिनियम 8 मई,1952 से लागू है। इसके अधीन अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित उद्देश्य के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान की जॉच कर सकती है एव ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हे सरकार आवश्यक समझे। यदि किसी उपक्रम मे अव्यवस्था एव कुप्रबन्ध जारी रहता है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके प्रबन्ध व नियन्त्रण को अपने हाथ मे ले ले। अधिनियम से सम्बन्धित प्रमुख बाते निम्नवत् है–

(अ) **अधिनियम के उद्देश्य** – इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उद्योगो के विकास एव नियमन को देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारधाराओ के अनुरूप करना है। इसके द्वारा सरकार को देश मे उपलब्ध साधनो का उचित उपयोग करने, बडे एव छोटे उद्योगो का एक साथ विकास करने तथा उद्योगो का पूरे देश मे उचित क्षेत्रीय विकास करने तथा कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते है–

1 देश मे उद्योगो का विकास एव विनियमन करना तथा सतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना।

2 क्षेत्रीय सन्तुलन के सिद्धान्त को ध्यान मे रखते हुए क्षेत्रीय असतुलन को कम करने तथा उद्योगो के विकास के लिए ऐसे प्रयत्न करना जिससे क्षेत्रीय सतुलन बनाये रखने मे सहायता मिल सके।

3 देश मे आर्थिक सकेन्द्रण पर ध्यान रखना तथा अनुज्ञापत्र देते समय नियन्त्रणात्मक शक्तियो का उपयोग करना।

4 देश मे उपलब्ध एव सम्भावित साधनो के उपयोग के लिए विनियमात्मक साधनो का उपयोग करना। आवश्यक उपभोग एव साधनो के दुरुपयोग को रोकना।

5 बडे उद्योगो की अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियो से उत्पन्न सकट से लघु उद्योगो की रक्षा करना तथा लघु उद्योगो को भी विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

6 योजनाओ मे निर्धारित प्राथमिकताओ के क्रमानुसार उपलब्ध साधनो का विभिन्न उद्योगो मे उचित बँटवारा करना तथा यह देखना कि प्राथमिकताओ के अनुसार उद्योगो का विकास किया जा रहा है।

7 नये उद्यमियो को नये उद्योगो की स्थापना मे प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करना। इसका प्रमुख आशय औद्योगिक जगत मे नवीन साहस को स्वीकार करना तथा मान्यता देना है।

8 अनार्थिक इकाइयो एव क्रियाओ की समीक्षा करना तथा इसके लिए उपचारात्मक साधन जुटाना।

9 उद्योगो द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, वितरण एव मूल्य निर्धारण पर आवश्यकतानुसार विनियमन करना।

10 औद्योगिक क्रियाओ की पूर्ण जानकारी रखना तथा औद्योगिक प्रगति का लक्ष्यानुसार अवलोकन करना।

11 अनुसूचित उद्योगो मे नीति–विचलन की स्थिति मे जॉच की व्यवस्था करना तथा सुधारात्मक उपायो का उपयोग करना।

12 नवीन विधियो एव तकनीको के प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ब) अधिनियम का क्षेत्र – प्रारम्भ मे यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता था। सशोधन अधिनियम–1960 से अब यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। औद्योगिक(विकास एव नियमन) अधिनियम के प्रावधान उन समस्त उद्योगो पर लागू होते है जिनको अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे शामिल किया गया है। इस अधिनियम की व्यवस्थाए ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयो पर लागू होती है जो कि अनुसूचित उद्योगो केअन्तर्गत वर्गीकृत करके प्रथम अनुसूची मे सम्मिलित उद्योगो से सम्बद्ध है। भले ही उनमे उत्पादन एक अथवा एक से अधिक कारखानो मे किया जाता हो। व्यवहार मे ऐसी समस्त उत्पादक इकाइयॉं इसके अन्तर्गत आ जाती है जिनमे यदि यान्त्रिक शक्ति का उपयोग न होता हो तो सौ या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो अथवा यदि उसमे यान्त्रिक शक्ति का उपयोग होता हो तो पचास या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो।

इस अधिनियम मे यह अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि समस्त अनुसूचित उद्योग सरकार से विनिर्दिष्ट वस्तुओ के उत्पादन के लिए लाइसेन्स प्राप्त करे। इन अनुज्ञापत्रो मे उद्योग के बारे मे समस्त प्रमुख तत्वो का उल्लेख किया जाता है जिससे कि औद्योगिक इकाई के बारे मे पर्याप्त सूचना मिल सके। जैसे वह स्थान जहॉं उसकी स्थापना की जायेगी, उत्पत्ति वस्तुओ का नाम,कुल उत्पादन क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध आवश्यक तथ्य।

24 जुलाई,1991 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति मे केवल 18 प्रमुख उद्योगो को छोडकर अन्य सभी के लिए अनुज्ञापत्र व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, चाहे उनमे कितनी ही पूँजी क्यो न लगायी जाय। [1] 14 अप्रैल, 1993 से मोटरकार, खाले व चमडा तथा रेफ्रीजरेटर उद्योगो को अनुज्ञापत्र प्रणाली से

---

1 भारतीय अर्थव्यवस्था–मामोरिया, सी बी ,साहित्य भवन आगरा–1995,पृष्ठ सख्या–214

मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल 15 उद्योगो के लिए ही अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू है।[2] वर्तमान समय मे उन उद्योगो की सूची निम्नवत् है जिन्हे अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अनिवार्य है–

1 कोयला तथा लिग्नाइट
2 पेट्रोलियम(कच्चे तेल के अलावा) तथा इसके आसवन(डिस्टिलेशन) पदार्थ
3 एल्कोहल युक्त पेयो का आसवन एव इनके शराब बनाना
4 चीनी
5 पशु चर्बी तथा तेल
6 तम्बाकू के सिगार एव सिगरेटे तथा विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापन
7 एस्बेस्ट्स एव एस्बेस्ट्स पर आधारित उत्पाद
8 प्लाईवुड, डेकोरेटिव वीनियर्स तथा लकडी पर आधारित अन्य उत्पाद, जैसे कि मीडियम डेन्सिटी फायबर बोर्ड, ब्लौक बोर्ड
9 साभर चर्म एव रोएदार रगीन खाले
10 खोई पर आधारित एकको को छोडकर कागज तथा अखबारी कागज
11 इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, सभी प्रकार के
12 डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिसो सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री
13 खतरनाक रसायन
14 औषध एव भेषज(औषध नीति के अनुसार)
15 मनोरजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स(वी सी आर , कलर टी वी , सी डी प्लेयर्स, टेप रिकार्डस)[3]

(स) अधिनियम के प्रावधानों मे छूट – अधिनियम की धारा 29(ब) के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कुछ उद्योगो को इस अधिनियम के प्रावधानो एव व्यवस्थाओ से छूट प्रदान कर सकती है। ऐसे छूट प्राप्त उद्योगो के विषय मे पहले छूट की सीमा दस लाख रुपये थी जिसे बढाकर सन् 1964 मे 25 लाख रुपये कर दिया गया। फरवरी–1970 मे पुन बढाकर 1 करोड रुपये कर दिया गया और वर्ष 1978 मे इसे पुन बढाकर 3 करोड रुपये तथा अप्रैल 1983 मे पॉंच करोड रुपये कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ऐसे छूट प्राप्त उद्योगो मे यदि स्थायी सम्पत्तियो(भूमि, भवन, सयन्त्र आदि) मे 5 करोड रुपये से अधिक के पूँजी निवेश का प्रस्ताव नही है, तो उन्हे इनके प्रावधानो से छूट प्राप्त होगी। किन्तुपहले से पजीकृत इकाइयो मे यदि उनकी स्थायी सम्पत्तियो मे 5 करोड या इससे अधिक का पूँजी निवेश है तो ऐसी छूट प्राप्त नही होगी। बडे औद्योगिक घरानो से सम्बद्ध अथवा विदेशी कम्पनियो से सम्बद्ध उत्पादक इकाइयो को भी छूट प्राप्त नही होगी।

(द) अधिनियम के प्रावधान – अधिनियम के प्रावधानोको अग्राकिततीन भागो मे बॉटा जा सकता है–

---

2 इकोनॉमिक सर्वे–1993–94, पृष्ठ सख्या– 93

3 प्रतियागिता दर्पण–अतिरिक्ताक–1995, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा

1 **प्रतिबन्धात्मक प्रावधान** –इसके अन्तर्गत वे सभी प्रावधान आते है जिनके द्वारा उद्योगो की अवाछनीय प्रवृत्तियो पर रोक लगायी जाती है। ये प्रावधान निम्नलिखित है–

1 1**औद्योगिक प्रतिष्ठानो का रजिस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापत्र** – अधिनियम की अनुसूची मे जिन उद्योगो को रखा गया है, उनके सभी प्रतिष्ठानो का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है,चाहे वह निजी क्षेत्र मे हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र मे। वर्तमान प्रतिष्ठान यदि विस्तार करना चाहे तो इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। सरकार निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित होने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापन करने के साथ–साथ उस पर आकार तथा स्थानीयकरण के सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगा सकती है। अनुज्ञापन दे देने के साथ ही केन्द्र सरकार को उसका सशोधन अथवा उसका निरसन करने का अधिकार रहता है। लाइसेन्स प्राप्त करने वाला यदि निर्धारिन समय के भीतर उद्योग स्थापित करने मे असमर्थ रहता है या यदि उसने रजिस्ट्रेशन किसी झूठे आधार पर प्राप्त किया है, या उद्योग को भी रजिस्ट्रेशन से छूट प्रदान कर दी गई है तो अनुज्ञापत्र निरसन अथवा उसका सशोधन किया जा सकता है।

उद्योग (विकास एव नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगो के लिए अनुज्ञापन लेना आवश्यक है–

1 अधिनियम की अनुसूची मे जिन उद्योगो का उल्लेख है, उनसे सम्बन्धित नवीन औद्योगिक प्रतिष्ठानो को यदि उसमे 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते है तथा उनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड रुपये से अधिक की हो।

2 उपर्युक्त उद्योगो से सम्बन्धित विद्यमान प्रतिष्ठान यदि वह अपनी उत्पादन क्षमता को बढाना चाहे।

3 विद्यमान उद्योग यदि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहे।

4 किसी विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना स्थान परिवर्तित करना हो।

1 2 **अनुज्ञापन की प्रक्रिया** –औद्योगिक प्रतिष्ठानो द्वारा अनुज्ञापन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रो की जॉच "डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नीकल डेवेलपमेट " करता है। इस विभाग द्वारा उद्योगो की एक ऐसी सूची प्रकाशित की गयी है जिसमे उल्लिखित उद्योगो से सम्बन्धित प्रतिष्ठानो की स्थापना के लिए आये हुए सभी आवेदन पत्र "अनुज्ञापन समिति" के पास भेजे बिना अस्वीकृत कर दिये जाते है। अन्य उद्योगो से सम्बन्धित प्रतिष्ठानो के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर डायरेक्ट्रेट आफ टेक्नीकल डेवेलपमेट विचार करता है। भारत मे उद्योगो का अनुज्ञापन प्रदान करने की व्यवस्था भारतीय उद्योगपतियो द्वारा निरन्तर आलोचना का विषय रही है। अत इस रीति को सरल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए श्री स्वामीनाथन् की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया जिसने अनेक व्यवहारिक सुझाव देने के साथ–साथ इस बात पर जोर दिया कि अनुज्ञापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कम

समय मे ही पूर्ण हो जानी चाहिए। समिति ने आधारभूत उद्योगो की स्थापना के लिए अनुज्ञापन के सम्बन्ध मे विशेष विधि अपनाने की भी सिफारिश की। सरकार ने स्वामीनाथन् समिति के सुझावो को स्वीकार कर लिया है। फलत अनुज्ञापन प्रणाली अब पहले की अपेक्षा सरल हो गयी है।

1 3 **अनुसूचित उद्योगो की जॉच –** अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान विशेष के रजिस्ट्रेशन अथवा उसे अनुज्ञापन प्रदान कर देने मात्र से पूरा नही होता। यदि किसी औद्योगिक इकाई का कार्यान्वयन असन्तोषजनक है, उत्पादन की किस्म खराब है, उत्पादन समुचित मात्रा मे नही हो रहा है या उत्पादित माल की लागत एव कीमत अनावश्यक रूप से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार को उस प्रतिष्ठान की जॉच करने का अधिकार है। जॉच की अवधि से सरकार प्रतिष्ठान विशेष को अन्तरिम निर्देश भी दे सकती है।जॉच द्वारा यदि सिद्ध होता है कि दोष औद्योगिक इकाई का ही है,तो केन्द्रीय सरकार उत्पादन की मात्रा, किस्म, कीमत उसके वितरण के सम्बन्ध मे उचित निर्देश दे सकती है।

1 4 **अनुज्ञापन का निरस्तीकरण –** किसी भी औद्योगिक इकाई का अनुज्ञापन केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 10(अ) के अन्तर्गत निरस्त कर सकती है। मिथ्यावर्णन के आधार पर प्राप्त किया जाने वाला अनुज्ञापन अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

2 **सुधारात्मक प्रावधान –** इस अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का प्रयोजन उद्योगो मे व्याप्त दोषो का उपचार करके उनमे सुधार लाकर अनुकूल दशाओ का निर्माण करना है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रावधान किये गये है–

2 1 **सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्ध एव नियन्त्रण की व्यवस्था(धारा–18) –** यह प्रावधान किया गया है कि निम्न दशाओ मे केन्द्रीय सरकार किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण अपने हाथो मे ले सकती है–

1 यदि कोई औद्योगिक इकाई सरकार द्वारा उसकी सचालन व्यवस्था के सुधार के लिए किये गये निर्देशो का परिपालन करने मे विफल रहती है, अथवा

2 यदि किसी इकाई का प्रबन्ध उस उद्योग के हितो के विरुद्ध अथवा जनहित के विरुद्ध किया जा रहा है।

यदि सरकार जॉच करवाने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निर्देशो की अवहेलना की जा रही है तो सरकार उस इकाई का प्रत्यक्ष प्रबन्ध व नियन्त्रण अपने हाथ मे ले सकती है। किन्तु बिना औपचारिक जॉच के भी यदि प्रत्यक्षत केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि कोई उपक्रम सरकारी निर्देशो की अवहेलना कर रहा है अथवा उसका सचालन जनहित अथवा उद्योग के विरुद्ध किया जा रहा है तो उसका प्रबन्ध अपने हाथो मे ले सकती है। ऐसा प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण सरकार द्वारा प्रथमत 5 वर्षों

तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है किन्तु बाद में संसद की अनुमति से इस अवधि को दस वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है।

2.2 <u>पूर्ति एवं वितरण व्यवस्था तथा मूल्यों पर नियन्त्रण–धारा–18(जी):–</u> सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह एक विज्ञापित आदेश द्वारा अनुसूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए समुचित पूर्ति एवं वितरण तथा उनके उचित मूल्यों पर विक्रय की नियन्त्रण व्यवस्था कर सकती है। वितरण अथवा मूल्य नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था समान प्रकार की बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए भी की जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं द्वारा निम्नलिखित प्रकार की दशाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं–

1. किसी वस्तु के क्रय–विक्रय के लिए उसका मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।

2. किसी वस्तु के वितरण को नियमित करने के प्रयोजन से लाइसेन्स अथवा 'परमिट' की व्यवस्था।

3. किसी उत्पादक अथवा संग्रहकर्ता को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह अपने माल को पूर्णतः अथवा अंशतः किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को ही बेचे।

4. किसी वस्तु की बिक्री को पूर्णतः बन्द किये जाने का आदेश दिया सकता है।

5. सम्बन्धित वस्तु के विषय में अन्य व्यापारिक एवं वित्तीय व्यवहारों को नियमित किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं।

इन प्रावधानों के अन्तर्गत यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो न्यायलय में ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

3. <u>रचनात्मक प्रावधानः–</u> रचनात्मक व्यवस्थाओं के परिपालन के लिए ऐसे संस्थात्मक तन्त्र के निर्माण की आवश्यकता होती है जो सभी सम्बद्ध पक्षों को परस्पर विचार–विमर्श करने एवं अपनी–अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदा कर सके। अतः ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित संगठनों एवं उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है–

3.1 <u>केन्द्रीय सलाहकार परिषदः–</u> अनुसूचित उद्योगों के विकास एवं यिमन के विषय में तथा आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए और इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत तथ्यों एवं आकड़ों का संकलन तथा आवश्यक नियामवली का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद की सदस्यता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुने जाते हैं–

1. अनुसूचित उद्योगों के औद्योगिक उपक्रमों के स्वामी।

2. अनुसूचित उद्योगों के आद्योगिक उपक्रमों में सेवारत व्यक्ति।

3 अनुसूचित उद्योगो द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओ के उपभोक्ता।

4 प्रारम्भिक उत्पादनकर्ता सहित ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्ति जिनका सलाहकार परिषद मे प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा उचित समझा जाय।

3 2 पुनरावलोकन उप–समिति – यह समिति व्यवहार मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद की एक उप समिति के रूप मे काम करती है।इस समिति का मुख्य कार्य उद्योगो को प्रदान किये गये अनुज्ञापत्रो के बारे मे आवश्यक तथ्यो की जानकारी प्राप्त करके उनका पर्यवेक्षण करना है। यह उप समिति इस बात को देखती है कि समय–समय पर कितने लाइसेन्स प्राप्त किये गये, कितने लाइसेन्स अस्वीकृत किये गये, कितने लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये।यह समिति उन अनुज्ञापत्रो का भी पुनरावलोकन भी करती है जिन्हे सशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है।

3 3 केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति – यह केन्द्रीय सलाहकार परिषद का एक महत्वपूर्ण अग होती है जिसमे केन्द्रीय उद्योग मन्त्री पदेन अध्यक्ष होते है तथा 16 अन्य सदस्य होते है जिसके गठन का प्राथमिक उद्देश्य समय पर आवश्यकता होने पर किसी उद्योग की स्थिति के बारे मे पुनरावलोकन करना होता है।

3 4 विकास परिषदे – अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगो के विकास के लिए विकास परिषद की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। परिषद मे सरकारी प्रतिनिधियो के अलावा सम्बन्धित उद्योगो के उद्योगपतियो,श्रमिको, उपभोक्ताओ तथा अन्य वर्गों के प्रतिनिधि रहते है। केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद के सदस्यो की नियुक्ति की जाती है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध स्थापित होता है।[4]

परिषदो का उद्देश्य –विकास परिषदो के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1 पचवर्षीय योजना के समर्थन मे देश के प्रयासो तथा साधनो को सुदृढ करना।

2 देश के समस्त कार्यों का सन्तुलित विकास करना।

3 समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे सामान्य अर्थनीतियो को बढावा देना आदि।

परिषदो का कार्य –विकास परिषदो के प्रमुख कार्य निम्नवत् है–

1 सम्बन्धित उद्योगो को तकनीकी सलाह देना,

2 केन्द्रीय सरकार के निर्णय तथा नीति से सम्बन्धित उद्योगो को परिचित कराना,

3 श्रमिको के कार्य करने की दशाओ मे आवश्यक सुधार करना।

4 सम्बन्धित उद्योगो की जाँच करना तथा उनके सम्बन्ध मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट

---

4 मरकेन्टाइल लॉ–शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या–330

देना।

5 उद्योगो की अनार्थिक इकाइयो की कुशलता बढाना।

6 सम्बन्धित उद्योगो के लक्ष्य निर्धारित करना, उत्पादन की योजनाओ मे समन्वय स्थापित करना तथा उद्योगो की उन्नति के बारे मे विचार करना।

7 उद्योगो को कच्चे माल की प्राप्ति मे सहायता देना।

8 हिसाब रखने की प्रणाली मे सुधार करना तथा उनको प्रमाणित करना।

9 उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध मे जॉच करना और उनसे सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योग धन्धो के विकास को प्रोत्साहित करना।

10 औघोगिक मनोविज्ञान से सम्बन्धित विषयो की खोज करना।

11 उपभोक्ता के लिए नियमित वस्तुओ तथा सेवाओ की खोज करना।

12 वस्तुओ के प्रमापीकरण मे सहायता देना।

13 कर्मचारियो के उचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

14 उद्योगो के आकडे एकत्रित करना।

15 उपभोक्ता के कल्याण के लिए विक्रय तथा वितरण की उचित प्रणाली व्यवहार मे लाना।

16 उद्योग से निकले कर्मचारियो को प्रशिक्षण देकर अन्य जगह काम दिलाना।

17 सम्बन्धित उद्योगो मे वैज्ञानिक प्रबन्ध व विवेकीकरण के सिद्धान्तो को अपनाने के लिए उचित परामर्श देना।

3 5 **औद्योगिक पैनल –** ऐसे उद्योगो मे जहॉं विकास परिषद के गठन की आवश्यकता नही समझी जाती अथवा इसके गठन का कोई आचित्य नही होता वहॉं औद्योगिक पैनल नियुक्त किये जाते है। ऐसे पैनल मे विभिन्न क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विशेषज्ञो को पैनल के सदस्य के रूप मे नामाकन कर दिया जाता है। विशेषज्ञो के ये पैनल सम्बन्धित उद्योगो के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न समस्याओ का अध्ययन करके उचित सुझाव देते है।

3 6 **आकडो का सकलन –** अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है किवह नियन्त्रित उद्योगो से उत्पादन आदि के सम्बन्ध मे ऑकडे मॉंग सकती है ताकि अनुसूचित उद्योगो के सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस अधिनियम की धारा 30के अन्तर्गत वर्ष 1959–60 मे सरकार ने औद्योगिक उपक्रमो के लिए तथ्यो एव आकडो के सकलन के लिए नियमावली का निर्माण किया है जो अनुसूचित उद्योगो की भी सभी इकाइयो पर लागू होती है।

3 7 **कर की व्यवस्था –** अनुसूचित उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओ पर केन्द्रीय सरकार को 12 प्रतिशत कर लगाने का अधिकार होता है। कर की यह एकत्रित धनराशि विकास परिषद को सौप दी जाती

है। जिसे निम्न कार्यों पर व्यय किया जाता है।

1 प्रशासनिक व्ययो को पूरा करने के लिए।

2 वस्तुओ की डिजाइन तथा किस्म मे सुधार के लिए।

3 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान मे वृद्धि करने के लिए।

4 तकनीकी तथा श्रमिको के प्रशिक्षण के लिए।

(य) **दण्ड का प्रावधान –** यदि कोई व्यक्ति अपने उपक्रम का पजीकरण नही कराता है या कोई नया उपक्रम लाइसेन्स नही लेता है या वस्तु के वितरण पूर्ति एव मूल्य सम्बन्धी दिये गये आदेशो का पालन नही करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनो दिये जा सकते है। यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन तब तक जुर्माना किया जा सकता है जब तक कि वह आदेशो की पूर्ति न कर दे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम न केवल औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण अग है बल्कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के हाथो मे यह एक प्रभावपूर्ण अस्त्र भी है। अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करके राज्य हमारे देश के औद्योगिक विकास को उचित एव नई दिशा प्रदान कर सकता है तथा इस प्रकार निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगो को राष्ट्र की व्यापक सामाजिक आर्थिक नीति के अनुरूप सचालित किये जाने के लिए विवश भी कर सकता है।

(र) **अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन –**अधिनियम के प्रावधानो के सम्बन्ध मे प्राय निम्नलिखित आलोचनाए की जाती है–

1 **आवश्यकता से अधिक सरकारी मियन्त्रण –** अधिनियम की व्यवस्थाए अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण को बढावा देती है जिससे कि निजी क्षेत्र के उद्यमो का पर्याप्त विकास सम्भव नही हो पा रहा है। फलत , देश के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नही किया जा सकता है।किन्तु आर्थिक नियोजन तथा नियन्त्रण आज के युग मे आवश्यक है।नियन्त्रण के अभाव मे नियोजन सफल नही हो सकता। निजी क्षेत्र का विकास, स्पष्ट रूप से तीव्र हुआ है।

2 **निषेधात्मक कदम –** इस अधिनियम के प्रावधान सविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा व्यवसाय एव रोजगार की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाते है। जबकि वस्तुस्थिति यह नही है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण की समस्याओ को दूर करना तथा सामान्य जनता के कल्याण मे वृद्धि करना है।अत यदि सामान्य आर्थिक कल्याण मे वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता कुछ सीमा तक प्रभावित होती है तो समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए ऐसा करना

उपयुक्त ही होगा।

3 **राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहन** – यह कहा जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत, लोक उद्यमो को कुछ छूटे प्रदान की गई है जिससे राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसका परिणाम यह भी है कि आर्थिक ससाधनो का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित नही हो पा रहा है। लेकिन देश के तीव्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक जनकल्याण मे वृद्धि के लिए लोक उद्यमो को प्रोत्साहन देना ही होगा। इससे आर्थिक शक्तियो के सकेन्द्रण को रोकने मे भी मदद मिलेगी।

' 4 **बडे औद्योगिक घरानो एव एकाधिकारो मे वृद्धि** – कुछ लोग इस अधिनियम के प्रावधानो की आलोचना इस आधार पर भी करते है कि इसके अन्तर्गत लाइसेन्सनीति के दुरुपयोग की हर तरह से सम्भावना है। व्यवहार मे, यह पाया गया है कि नये उद्यमियो को लाइसेन्स प्राप्त करने मे जितनी अधिक कठिनाई होती है, पुराने तथा बडे औद्योगिक घरानो को उतनी ही अधिक सुविधा मिलती है। फलस्वरूप देश मे बडे औद्योगिक घरानो तथा एकाधिकारो की स्थापना उत्तरोत्तर बढती गयी। इस प्रकार की आलोचना अपेक्षाकृत अधिक ठोस है तथा हजारी आयोग एव दत्ता समिति ने इसआशय का समर्थन भी किया है।

उपर्युक्त आलोचनाओ के उपरान्त भी यह अधिनियम भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। इस अधिनियम के प्रावधानो मे जहाँ एक ओर सरकार को असीमित नियन्त्रण एव समुचित नियमन का अधिकार दिया है वही दूसरी ओर प्रादेशिक असन्तुलन तथा उद्योगो के असन्तुलित विकास को भी कम करने मे सफलता प्राप्त की है। देश के सीमित आर्थिक ससाधनो के उचित तथा उपयुक्त उपयोग करने मे इस अधिनियम का अपना एक अलग महत्व है। यह अधिनियम व्यावहारिक दृष्टि से, भारत के उद्योगो के लिए एक आदर्श आचार सहिता प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ देश के औद्योगिक नीति का कुशलता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का एक उचित माध्यम भी है।

(ख) **अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम–1952** –

अग्रिम सौदो के नियमन के लिए अग्रिम अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम–1952 देश मे लागू है। इसका उद्देश्य उन अग्रिम सौदो पर प्रतिबन्ध लगाना है जो जनहित के विरुद्ध है। भारत मे अग्रिम व्यापार(भविष्य व्यापार) 19वी शताब्दी के अन्त मे प्रारम्भ हो गया था , लेकिन उसके नियमन का कार्य व्यापारिक सघो द्वारा स्वय निधारित नियमो के द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम बम्बई राज्य मे 1918 मे रुई के व्यापार के नियमन हेतु सर गिलवर्ट बाइल्स की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई, जिसे रुई प्रसविदा समिति का नाम दिया गया, 1919 मे इसके स्थान पर कॉटन प्रसविदा बोर्ड तथा बाम्बे काटन अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम बनाया गया।

सविधान बन जाने पर स्कन्ध विनिमय व अग्रिम बाजार का विषय केन्द्र की सूची मे शामिल कर लिया गया। केन्द्रीय सरकार ने एक बिल फरवरी, 1950 मे बनाकर राज्य सरकारो, रिजर्व बैक आफ

इण्डिया, चैम्बर आफ कामर्स व अन्य सम्बन्धित हितो को अपनी राय देने के लिए भेजा जिसके आधार पर जुलाई, 1950 मे यह बिल एक विशेषज्ञ समिति को सौप दिया गया।इस समिति के अध्यक्ष श्री ए डी श्रोफ थे। इस समिति की सिफारिशो को शामिल करते हुए एक विधेयक 19 दिसम्बर,1950 मे अस्थायी ससद को सुपुर्द कर दिया गया जिसने अपना प्रतिवेदन 9 अगस्त–1951 को प्रस्तुत कर दिया। यह विधेयक बाद मे इस अस्थायी ससद के समक्ष विचारणार्थ न आ सका और ससद समाप्त हो गयी।अत 1952 मे एक नया विधेयक प्रथम ससद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अन्त मे दिसम्बर 1952 मे ससद द्वारा अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम के नाम से पारित कर दिया गया। इस विधान मे यह व्यवस्था थी कि जिस समय किसी पदार्थ या स्थान पर यह विधान लागू होगा तो अन्य अधिनियम स्वत खण्डित हो जायेगे।इस अधिनियम मे वर्ष 1953,57 व 66 मे सशोधन किये गये है।इस सशोधित अधिनियम मे कुल 28 धाराये है।इस अधिनियम की प्रमुख बाते निम्नवत् है–

(अ) अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य – प्रस्तुत अधिनियम ऐसे सभी तैयारी वायदे तथा भावी अनुबन्धो पर लागू होता है जो कि हस्तन्तरणीय प्रकृति के हो। अहस्तन्तरणीय तत्काल अनुबन्धो पर यह अधिनियम लागू नही होता है।

इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है–

1 यह अधिनियम वस्तुओ के वैकल्पिक सौदो पर प्रतिबन्ध लगाता है।

2 सामान्यतया यह अधिनियम सुरक्षात्मक तथा भावी सौदो पर लागू होता है किन्तु हस्तन्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी अनुबन्धो को भी अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है। इस प्रकार यह हस्तन्तरणीय निश्चित सुपुर्दगी के अनुबन्धो पर रोक लगाता है।

3 यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित वस्तुओ तथा क्षेत्रो मे अग्रिम अनुबन्धो के नियमन का अधिकार रखता है।

वर्ष 1960 मे इस अधिनियम मे सशोधन के निम्नलिखित उद्देश्य थे–

1 अग्रिम बाजार पर कडे प्रतिबन्ध लगाना,

2 अधिनियम की धाराओ का उल्लघन करने पर भारी सजा देने की व्यवस्था,

3 व्यापार सघ के कार्य करने के समय के अतिरिक्त समयो मे व्यवहारो को रोकना, तथा

4 गत वर्षों मे अधिनियम के लागू होने के अनुभव मे सामने आयी कठिनाईयो को दूर करना तथा केन्द्रीय सरकार व अग्रिम बाजार आयोग को अग्रिम व्यवहारो के सम्बन्ध मे नियन्त्रण के लिए अधिक अधिकार देना था।

(ब) वस्तु या उपज विपणियो को मान्यता – इसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विपणि आयोग की स्थापना 2 सितम्बर–1980 मे की गई।इस अग्रिम विपणि आयोग की सिफारिश पर ही केन्द्रीय

सरकार किसी उपज विपणि को मान्यता प्रदान करती है। अधिनियमानुसार केवल मान्यता प्राप्त उपज विपणियो पर ही वायदे के सौदे किये जा सकते है।

(स) <u>केन्द्रीय सरकार का प्रशासन समिति मे हस्तक्षेप –</u> केन्द्रीय सरकार को उपज विपणि के प्रशासन समिति मे अधिक से अधिक 4 सदस्यो को मनोनीत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह उपज विपणि को उसकी प्रशासन समिति मे अधिक से अधिक तीन बाहरी प्रतिनिधियो को भी नियुक्त करने का आदेश दे सकती है।

(द) <u>केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण –</u> केन्द्रीय सरकार अग्रिम विपणि आयोग के माध्यम से किसी भी मान्यता प्राप्त उपज विपणियो के नियमो तथा उपनियमो मे परिवर्तन कर सकती है, मान्यता वापस ले सकती है, प्रतिबन्ध लगा सकती है, कार्यों को करने से रोक सकती है तथा उसकी प्रशासन समिति को भग कर सकती है।

(य) <u>वैकल्पिक व्यवहारो पर रोक –</u> यह अधिनियम 'वैकल्पिक', डब्बा सौदो, कर्ब ट्रेडिंग तथा सभी अवाछनीय व्यवहारो पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है।

(र) <u>दण्ड का प्रावधान –</u> यदि कोई व्यक्ति अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का उल्लघन करता है तो वह दण्ड का भागी होगा। जैसे– विपणि आयोग को गलत सूचनाए भेजना, निर्धारित मात्रा से अधिक व्यवसाय करना आदि। प्रथम अपराध की दशा मे , 4000रुपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनो प्रकार के दण्ड दिये जा सकते है। अपराधो की पुनरावृत्ति पर और अधिक दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

(ल) <u>उपज विपणि की क्रियाओ पर नियन्त्रण –</u> प्रस्तुत अधिनियम उपज विपणियो की क्रियाओ पर निम्न रूप मे नियन्त्रण स्थापित करता है–

1 अमान्यता प्राप्त उपज विपणियो को कार्य करने की अनुमति नही है।

2 नाप–तौल तथा दलाली की प्रमापित दरे लागू कर दी गई है।

3 माल की सुपुर्दगी एव भुगतान के सम्बन्ध मे नियम बना दिये गये है।

4 नीलामी अथवा वास्तविक व्यवहारो द्वारा किये गये विक्रयो की चाहे जब जॉच की जा सकती है।

5 आपसी विवादो का निपटारा पच निर्णय द्वारा करने की व्यवस्था की गई है।

6 भावो मे अत्यधिक उतार–चढाव को रोकने की व्यवस्था की गयी है।

7 मार्जिन के रूप मे भारी धनराशि जमा करने की व्यवस्था है ताकि सट्टे की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

8 अधिनियम की व्यवस्थाओ का उल्लघन करने पर अनेक प्रकार के दण्डो की व्यवस्था की गई है।

9 समाशोधन गृह की व्यवस्था की गई है।

10 वस्तुओ की श्रेणियो को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।

11 बाजार के भावो को निश्चित करने का भी अधिकार है।

(व) **अग्रिम विपणि आयोग –** अग्रिम विपणि आयोग की स्थापना 22 सितम्बर 1953 को की गई। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई मे है। इस समय इस आयोग मे एक सभापति और पूर्ण–कालिक सदस्य है। यह अधिनियम 26 जनवरी, 1955 को समाप्त होने को था, किन्तु 25 जनवरी, 1955 को इस अधिनियम के अधीन विज्ञप्ति निकालकर उन पदार्थों के अग्रिम व्यापार पर रोक ज़ारी रखी गयी जो पूर्व के आवश्यक– पूर्ति अधिनियम–1946 के अन्तर्गत अनुसूचित 33 पदार्थ थे।

1 **आयोग के कार्य –** आयोग के कार्य सलाहकारी एव कार्यकारी दोनो तरह के होते है। यह केन्द्र सरकार को अधिनियम लागू करने के बारे मे सलाह देता है।इसको मान्यता प्राप्त सघो को आदेश देने का अधिकार है। आयोग के प्रमुख कार्य निम्न है–5

1 मान्यता–प्राप्त सघो को मान्यता देने, वापस लेने या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध के अन्तर्गत उठे किसी मामले के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

2 अग्रिम विपणि का अवलोकन करते रहना व अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही करना।

3 सूचनाओ को एकत्रित करना व प्रकाशित करना।

4 विपणि बाजारो के सगठन व कार्यप्रणाली की उन्नति के बारे मे सरकार को सिफारिश करना।

5 किसी मान्यता–प्राप्त या पजीकृत सस्था की बही खातो व अन्य प्रपत्रो को देखना।

6 उन कर्तव्यो को पूरा करना जो इस अधिनियम मे दिये है या दिये जाए।

2 **आयोग के अधिकार –** आयोग को सिविल प्रोसीजर अधिनियम 1908 के अन्तर्गत वे सभी अधिकार प्राप्त है जो एक अदालत को होते है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 176 के अनुसार आयोग को किसी भी व्यक्ति को सूचना देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। जब कोई अपराध भारतीय दण्ड विधान की धारा 175, 178, 179, 180 या 288 के अन्तर्गत आता है तो आयोग ऐसे अपराधो को किसी मजिस्ट्रेट को सौप सकता है। (धारा–4–ए)

3 **आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपे गये अधिकार –** ये अधिकार निम्नवत् है–

1 मान्यता प्राप्त सघो के सदस्यो की सख्या को सीमित या असीमित करना,

2 सघो के नियमो मे परिवर्तन करना,

3 प्रत्येक सघ व उसके सदस्यो के लिए नक्शो की व्यवस्था करना,

---

5 राज्य एव व्यवसाय–जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद–1991, पृ स 339

4 किसी सघ से उसके क्रिया–कलापो के बारे मे स्पष्टीकरण माँगना,

5 किसी सघ या सघ के सदस्यो की जाँच करने के लिए व्यक्तियो को नियुक्त करना,

6 अधिनियम के नियमो मे परिवर्तन करना या नये नियम बनाना,

7 किसी सघ के व्यापार को निलम्बित करना,

8 किसी पजीकृत सघ व उसके सदस्यो के लिए नक्शो की व्यवस्था करना।

4 <u>आयोग की क्रियाए –</u> आयोग के प्रारम्भिक कुछ महीने स्थान, कर्मचारी व सगठन आदि की समस्याओ मे व्यतीत हुए। आयोग ने सर्वप्रथम अधिनियम के नियम अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम के नाम से बनाये जिनको केन्द्रीय सरकार ने जुलाई–1954 मे स्वीकृति दे दी। आयोग ने अपना कार्य विभिन्न पदार्थों के बारे मे सरकार को प्रतिवदेन देने से प्रारम्भ किया। इसने पहला प्रतिवेदन रूई के बारे मे सरकार को दिया जिसे सरकार ने मान लिया। अत 30 अप्रैल–1954 को धारा 15 के अन्तर्गत, एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके अनुसार दि ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेशन, बम्बई के नियमन का अधिकार बम्बई सरकार से हटकर आयोग के पास आ गया। तब से आयोग बराबर अग्रिम अनुबन्धो को नियमित कर रहा है। आयोग चुने हुए केन्दो एव मान्यता–प्राप्त सघो के माध्यम से भविष्य बाजार का नियमन करता है तथा विपणियो पर अत्यधिक मूल्य–वृद्धि तथा अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति होने पर इन्हे रोकने का प्रयत्न करता है।

5 <u>अग्रिम विपणि आयोग के कार्यकारी खण्ड –</u> आयोग मे तीन कार्यकारी खण्ड है–वस्तु खण्ड, एनफोर्समेण्ट खण्ड एव प्रशासनिक खण्ड। इस समय 5 वस्तुओ मे अग्रिम व्यवहार धारा–15 के अन्तर्गत नियमित किये जाते है। ये वस्तुए है– पटसन एव टाट, अलसी, अरण्डी, काली मिर्च तथा हल्दी। वर्तमान समय मे देश मे 111 रजिस्टर्ड व 33 मान्यताप्राप्त सघ है। मान्यता–प्राप्त सघो मे ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड बम्बई,ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेज लिमिटेड, कलकत्ता प्रमुख है। बहुत से सघ एक से अधिक पदार्थों के लिए मान्यता प्राप्त है। आयोग समय–समय पर मान्यता प्राप्त सघो के बारे मे अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। भारत वर्ष के प्रमुख वस्तु बाजार है– बम्बई कपास बाजार, बम्बई सर्राफा बाजार, बम्बई बिनौला बाजार, कलकत्ता जूट बाजार, कलकत्ता चाय बाजार, कलकत्ता चावल बाजार, हापुड़ गेहूँ बाजार, खुर्जा घी बाजार, दिल्ली उत्पादन बाजार।

आर्थिक उदारीकण के वर्तमान सन्दर्भों मे पुन उपज विपणि के कार्यों की समीक्षा करने तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमे आर्थिक विशेषज्ञो, उपज विपणियो के सदस्यो एव दलालो के प्रतिनिधियो को शामिल किया जाना चाहिए जिससे इस अधिनियम को बाजार एव समाज के लिए अधिक प्रभावशाली एव उपयोगी बनाया जा सके।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 –

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र मे व्याप्त बुराइयो को दूर करना तथा व्यापारियो व उत्पादको द्वारा खाद्य पदार्थों मे अपमिश्रण को रोकना एव जनता को शुद्ध खाद्य वस्तुए उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-

(अ)कुछ वस्तुओ के बनाने व बेचने पर रोक – धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो ऐसी वस्तु बनायेगा न बेचेगा, न सग्रह करेगा और न वितरित करेगा जो-(अ) कोई अपमिश्रित खाद्य पदार्थ हो,(ब) कोई धोखे वाली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ हो,(स) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री पर खाद्य अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई हो,(द) कोई अपमिश्रित वस्तु हो,(य) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए कोई लाइसेन्स लेना आवश्यक है।

(ब) कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक – धारा 5 के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगा दी गई है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति अग्रलिखित खाद्य पदार्थों का आयात नही करेगा- अपमिश्रित खाद्य पदार्थ, कोई धोखे या नकली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके आयात के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है,कोई खाद्य पदार्थ जो इस अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध हो।

(स) खाद्य निरीक्षको की नियुक्ति एव उनके अधिकार – केन्द्रीय व राज्य सरकारे गजट मे प्रकाशन के बाद खाद्य निरीक्षको की नियुक्ति कर सकती है जिनको यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ऐसे विक्रेता या व्यक्तियो से जो वस्तु को दे रहा हो, नमूना ले सकते है। इस कार्य के लिए खाद्य निरीक्षक जहाँ देशी वस्तुए बन रही हो या सग्रह की गयी हो, या रखी गयी हो, देख सकता है और ऐसी वस्तुओ का नमूना वस्तु का सामान्य मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह पुस्तको व किताबो को भी अपने अधिकार मे ले सकता है। नमूना लेते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जो दूध के लिए 200 मिलीमीटर, घी व मक्खन 150 ग्राम, चाय 125 ग्राम आदि के बराबर होना चाहिए।

(द) नमूने का विश्लेषण एव मुकदमा – खाद्य निरीक्षक द्वारा लिये गये नमूने को जन विश्लेषक को भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा की जाती है। यह विश्लेषक निर्धारित फार्म पर अपनी रिपोर्ट देगा। यदि रिपोर्ट मे वह पाता है कि वस्तु अपमिश्रित है तो उचित न्यायालय मे मुकदमा दायर किया जायेगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले मे कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना जो एक हजार रुपये कम नही होगा,किया जा सकता है। इसकी सजा को बढाकर तीन वर्ष तक भी किया जा सकता है। कुछ मामलो मे कम से कम तीन माह की सजा, जिसको 2 वर्ष तक भी किया जा सकता है तथा कम से कम 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।यदि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाय तो मुकदमे सरसरी तौर से भी सुने जा सकते है। ऐसी स्थिति मे न्यायाधीश को एक वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होगा।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 -

भारत सुरक्षा नियमो के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1939 मे कुछ वस्तुओ के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे जो 30 सितम्बर–1946 तक लागू रहे। इन प्रतिबन्धो को लागू रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इनको जारी रखा और इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक पूर्ति(अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1946 ने ले लिया। इस अधिनियम का जीवन केवल 1 अप्रैल, 1947 तक सीमित था लेकिन समय–समय पर इसका कार्यकाल बढाया जाता रहा जो अन्त मे 26 जनवरी, 1955 को समाप्त हो गया। लेकिन इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फिर एक अध्यादेश जारी कर सरकार ने उन सभी अधिकारो को पुन प्राप्त कर लिया। इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ने ले लिया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1955 से लागू किया गया। प्रारम्भ मे यह अधिनियम अस्थायी था और केवल दो वर्षो के लिए लागू किया गया था लेकिन बाद मे इसको स्थायी बना दिया गया।

(अ) **अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य –** यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण भारत मे लागू होता है। इसकी धारा 3(1) मे इसके उद्देश्य एव नीतियो को दर्शाया गया है।इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की राय मे यह जरूरी है कि किसी वस्तु की पूर्ति बनाये रखी जाय या बढायी जाय या समान वितरण करने के लिए उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध बनी रहे या भारत की सुरक्षा के लिए या सैनिक कार्यवाही को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करना आवश्यक है तो एक आदेश से ऐसी वस्तु के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण ओर उसके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकती है या उसका नियमन कर सकती है।इसमे समान वितरण और उचित मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनहित मे किसी वस्तु के उचित मूल्य पर समान वितरण की आवश्यकता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है।

(ब)**आवश्यक वस्तुए –** वे वस्तुए जिनका प्रयोग मानव जीवन मे आवश्यक है, उनको इस अधिनियम मे वस्तुए बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार निम्न वस्तुए इसके अन्तर्गत आती है–

1 जानवरो के खाने वाला चारा जिसमे खल व अन्य शामिल है, 2 कोयला, 3 सूती एव ऊनी कपडे, 4 खाद्य पदार्थ(तिलहन एव तेल सहित), 5 कागज(न्यूजप्रिंट एव गत्ता सहित), 6 लोहा एव इस्पात(इसकी बनी हुई वस्तुओ सहित), 7 पैट्रोलियम एव इसके पदार्थ, 8 कच्ची रूई एव बिनौले, 9 कच्चा जूट, 10 मोटर गाडियो के पुर्जे एव अन्य सहायक सामान, 11 दवाइयॉं, 12 अन्य कोई वस्तु जिसको केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है तो एक आदेश जारी कर उसको भी आवश्यक वस्तु मान सकती है। भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो एव सार्वजनिक मन्त्री श्री ए के एटनी ने आर्थिक

सम्पादको के सम्मेलन मे बताया है कि आवश्यक वस्तु कानून को अगले 5 वर्षों तक बढाने पर सभी राज्यो ने आम सहमति व्यक्त की है, जिसकी अवधि इसी वर्ष समाप्त हो रही थी। उन्होने बताया कि इस सूची मे पहले 67 वस्तुए थी, परन्तु समीक्षा कर उसमे से 23 वस्तुए हटा दी गयी है।[6]

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की सीमा से जुलाई 1994 मे 15 अन्य वस्तुओ को बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व 8 वस्तुओ को दिसम्बर–1993 मे बाहर किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम मे केवल 44 वस्तुए रह गयी है। जिन 15 वस्तुओ को इस अधिनियम की व्यवस्था से मुक्त किया गया है वे है– अलौह धातुए तथा इनके उत्पाद, साबुन, माचिस, शुष्क सेल, लालटेन, बसो एव ट्रको के टायर–ट्यूब, खनिज तेल, पावर थ्रेसर, प्राकृतिक गैस, पशु चालित गाडी के टायर ट्यूब। सरकारी सूत्रो के अनुसार इन वस्तुओ के सम्बन्ध मे उपलब्धता तथा मूल्य सम्बन्धी अब कोई समस्या नही रह गयी है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन अब राज्य सरकारो पर छोड दिया गया है, यद्यपि पुन समीक्षा जारी है।[7]

(स) केन्द्रीय सरकार के अधिकार – केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण आदि के सम्बन्ध मे अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए निम्न मे से कोई भी आदेश पारित कर सकती है–

1 किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण को लाइसेन्स या परमिट या अन्य किसी प्रकार से नियमित करना।

2 किसी भूमि पर खाद्य फसलो या अन्य प्रकार के फसलो की खेती करना।

3 आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय का मूल्य निर्धारित कर उसका मूल्य नियन्त्रित करना।

4 किसी आवश्यक वस्तु का भण्डारण, परिवहन, वितरण, बिक्री प्राप्त करना, काम मे लाना या उपभोग को लाइसेन्स, परमिट या अन्य प्रकार से नियमित करना।

5 किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री को रोकने के लिए आदेश देना।

6 किसी भी व्यक्ति को आदेश देना कि वह अपना स्टॉक या उत्पादन या प्राप्ति या भावी उत्पादन पूरा या उसका कोई भाग केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार या इन सरकारो के पतिनिधियो को सौप दे।

7 जनहित मे खाद्य–पदार्थ या सूती वस्त्र से सम्बन्धित आर्थिक या वाणिज्यिक सौदे पर रोक लगाना या उनका नियमन करना।

8 नियमन करने के उद्‌देश्य से उपर्युक्त वर्णित किसी भी मद से सम्बन्धित सूचनाए या आकडे एकत्रित करना।

---

6 दैनिक जागरण– वाराणसी, 23 सितम्बर, 1994

7 प्रतियोगिता दर्पण– सितम्बर, 1944, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा

9 किसी भी व्यक्ति की जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, पूर्ति या वितरण मे लगा हो, पुस्तके रखने एव उनका अवलोकन करने और सूचनाओ को देने के लिए कहना।[8]

10 किस भी मकान, जहाज, मोटर वाहन, जानवर की तलाशी लेना और उनको अपने अधिकार मे लेना।

(य) <u>दण्ड का प्रावधान –</u> यदि कोई व्यक्ति पूर्व वर्णित(8 व 9) के सम्बन्ध मे आदेशे की अवहेलना करता है तो उसको एक वर्ष तक की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलो की अवहेलना करने पर कम से कम तीन माह की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठे बयान या सूचनाए देता है तो उसे 5 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनो दण्ड दिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के उल्लधन मे लगी कोई भी सम्पत्ति सरकार जब्त कर सकती है।

(र) <u>सरसरी तौर पर जॉच का अधिकार –</u> इस अधिनियम की धारा 12(ए) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी राय मे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्पादन, पूर्ति या वितरण के हित मे सरसरी तौर पर(समरी ट्रायल) आवश्यक है तो वह इस आशय की एक अधि सूचना जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति मे इन अधिकारो का उपयोग एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा जिसको एक वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होगा। लेकिन यदि न्यायाधीय यह समझते है कि मामला इस प्रकार का है कि दण्ड एक वर्ष से अधिक अवधि का है तो वे मामले को सुनकर ऐसा आदेश दे सकते है, तदुपरान्त किसी भी गवाह को सुनने या पुन सुनने के लिए नियमानुसार कार्य कर सकते है।

यदि न्यायाधीश सरसरी तौर पर किसी मामले की सुनवाई करके एक महीने से अधिक की सजा या दो हजार रुपये से अधिक जुर्माना या दोनो नही देते है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नही की जा सकती है।

(ड) <u>प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम–1956 -</u>

गोरवाला कमेटी के सुझावो पर दिसम्बर, 1954 मे प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) बिल प्रस्तुत किया गया।कमेटी ने कुछ बातो पर सरकार को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का सुझाव दिया था, जिससे लोक सभा मे नवम्बर,1955 मे बिल को ससद की सयुक्त समिति को सौपने का प्रस्ताव किया गया था तथा राज्य सभा ने दिसम्बर मे इसका अनुमोदन किया।विभिन्न सशोधनो के पश्चात् 4 सितम्बर, 1956 को दोनो सदनो द्वारा पास किये गये बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर अधिनियम को स्थान मिल गया। इस प्रकार यह अधिनियम 20 फरवरी,1957 से चलन मे आया।[9]

---

8 विशम्भर दयाल,चन्द्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश,ए आई आर –1980

9 व्यावसायिक सगठन प्रबन्ध एव प्रशासन–अग्रवाल,आर सी एव ए एन ,नवयुग साहित्य सदन,आगरा,पृ स 6 34

इस अधिनियम की मुख्य बाते इस प्रकार है–

(अ) **अधिनियम का उद्देश्य –** इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नवत् है–

1 भारत मे स्कन्ध विपणि के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करना।

2 देश के विभिन्न स्कन्ध विपणियो के नियमो एव उपनियमो मे पर्याप्त समरूपता प्रदान करना।

3 इनके निर्देशित एव स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करना।

4 विनियोजको के हितो की रक्षा करना।

5 स्कन्ध विपणि मे होने वाले अनावश्यक सट्टेबाजी तथा अनुचित क्रियाकलापो को रोकना।[10]

(ब) **अधिनियम का लागू होना –** अधिनियम हाजिर सौदो के अलावा अन्य सौदो पर भी लागू होता है। हाजिर सौदो का अर्थ ऐसे अनुबन्ध से है जिसके द्वारा प्रतिभूति तथा उसके मूल्य का भुगतान या तो उसी दिन हो जाय अथवा अनुबन्ध के दूसरे दिन। यदि मूल्य का भुगतान डाक द्वारा करना है तो उपर्युक्त समय का हिसाब लगाकर डाक वाले दिन का उचित समायोजन किया जायेगा। अन्य सभी अनुबन्ध 'भावी सुपुर्दगी के अनुबन्ध' कहलाते है। मुख्यतया अधिनियम के प्रावधान तुरन्त सुपुर्दगी वाले लेनदेनो को छोडकर अन्य समस्त लेन–देनो पर लागू होते है।

(स) **स्कन्ध विपणियो को मान्यता देना –** कोई भी स्कन्ध विपणि बिना केन्द्रीय सरकार की मान्यता के कार्य नही कर सकती है ओर न ही बिना उसकी अनुमति के स्थापित ही की जा सकती है। धारा–9 के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विपणि को एक निर्दिष्ट प्रारूप पर केन्द्र सरकार को आवेदन देना पडता है।इस आवेदन पत्र के साथ उपनियमो की एक प्रतिलिपि भी देनी पडती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यक जॉच पडताल के बाद, यदि सन्तुश्टि हो जाती है तो उस विपणि को मान्यता प्रदान कर सकती है। सरकार मान्यता प्रदान करते समय निम्न बातो को ध्यान मे रखती है–

1 विपणि के नियम या उपनियम ऐसे है जिनसे विनियोक्ताओ के साथ उचित व्यवहार होगा।

2 विपणि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो को मानने के लिए तैयार है।

3 विपणि मे केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व।

4 सदस्यो की योग्यता, और

5 सदस्यो द्वारा हिसाब–किताब रखना व उनका अकेक्षण।

केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करते समय उक्त बातो से सम्बन्धित अपनी शर्ते भी लगा सकती है। वर्तमान समय मे 16 स्कन्ध विपणियॉ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमे 8 को स्थायी तथा शेष 8 को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है। अस्थायी मान्यता, प्रथमत 5 वर्ष के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त गगटोक(सिक्किम) राजकोट(गुजरात) तथा मेरठ(उ0प्र0) मे भी स्कन्ध विपणि की स्थापना

---

10 राज्य एव व्यवसाय–जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद–1991,पृ स–322

विचाराधीन है। जिन स्थानो पर ऐसी विपणियाँ नही है वहाँ सेक्यूरिटी डीलर्स को अनुज्ञापत्र दिये जाते है जिन्हे निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करना होता है।[11]

(द) **सदस्यता –** नियम 8 के अनुसार निम्न व्यक्ति किसी विपणि के सदस्य नही हो सकते है –

1 जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है,

2 जो भारत के नागरिक नही है,

3 जो दिवालिया है या दिवालिया घोषित किये जा चुके है,

4 जिन्हाने अपने लेनदारो को पूरा धन नही चुकाया है,

5 जो बेईमानी या धोखा देही के लिए अदालत द्वारा सजा प्राप्त है,

6 जो प्रतिभूतियो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यापार मे या तो प्रधान है, या कर्मचारी है,

7 वे व्यक्ति जो किसी ऐसी सस्था से सम्बन्धित है जो प्रतिभूतियो मे व्यापार करती है या वे ऐसी कम्पनी के सचालक, साझेदार या कर्मचारी है,

8 ऐसे व्यक्ति जो किसी विपणि से निकाल दिये गये है अथवा जो दोषी करार दिये गये है,

9 जिनकी सदस्यता का प्रार्थना पत्र मन्जूर न किया गया हो और दुबारा प्रार्थना पत्र देने तक एक वर्ष का समय न समाप्त हुआ हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी को निम्न शर्तों मे से एक शर्त को पूरा करना होगा–

1 उसने कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य किया हो, या

2 वह कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य करना स्वीकार करे और स्कन्ध विपणि मे अनुबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के नाम करे, या

3 उसने अपने किसी निकट सम्बन्धी का स्थापित व्यापार उत्तराधिकार से प्राप्त किया हो। यदि प्रशासन समिति की राय मे प्रार्थी एक साधन सम्पन्न एव अनुभवी व्यक्ति है तो इस शर्त को पूरा करना आवश्यक न होगा।

(य) **सामयिक विवरण भेजना –** प्रत्येक मान्यता–प्राप्त स्कन्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्रिया कलापो पर सामयिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार के पास समय–समय पर प्रस्तुत करता रहे।उसके साथ–साथ केन्द्रीय सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि वह मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि अथवा सदस्यो से वह समस्त सूचनाए माँग सकती है जो कि उनके क्रिया कलाप के सम्बन्ध मे आवश्यक हो। धारा6 के अनुसार सरकार मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि या उसके सदस्यो के क्रियाकलापो के बारे मे जाँच के लिए एक या दो जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे जिसमे कि आवश्यक बातो का उल्लेख रहे।

(र) **स्कन्ध विपणि को उपनियम बनाने का अधिकार –** धारा–9 के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व

---

11 निगमो का वित्तीय प्रबन्ध–कुलश्रेष्ठ, आर एस ,साहित्य भवन आगरा–1990,पृष्ठ सख्या–642

अनुमति लेकर मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि अनुबन्धो के नियमन एव नियन्त्रण के लिए उपनियम बना सकता है जो कि अन्य बातो के अतिरिक्त निम्न बातो से सम्बन्धि हो सकते है–

1 बाजारा के कार्य–दिवस एव व्यापार के समय का नियमन,
2 प्रतिभूतियो की सुपुर्दगी तथा उनका भुगतान,
3 अनुबन्धो के सामयिक समाधान के लिए समाशोधन की व्यवस्था तथा उनके शेष का प्रबन्ध,
4 समझौते की तिथि मे परिवर्तन अथवा स्थगित करना,
5 तरावनी व्यवसाय का नियमन,
6 बदला व्यवहार का नियमन अथवा निषिद्धकरण,
7 जॉबर अथवा दलालो के कार्यों का पृथक करना,
8 स्कन्ध विपणि मे प्रतिभूतियो का सूचीयन,
9 पच–निर्णय सहित अन्य विवादो के समाधान के लिए व्यवस्था,
10 असामान्य परिस्थितियो मे अधिकारो का प्रयोग,
11 प्रतिभूतियो के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यो को निश्चित करने से सम्बन्धित अधिकार,
12 सदस्यो द्वारा अपने लिए किये गये व्यापार का नियमन तथा,
13 व्यक्तिगत सदस्यो की व्यवसाय की मात्रा को असामान्य परिस्थितियो मे सीमाबद्ध करना।

(ल) **हिसाब–किताब एव प्रलेखो का रख–रखाव –** धारा–14 के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि निम्न हिसाब–किताब एव प्रेलेख तैयार रखेगा ओर 5 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा–1 सदस्यो, प्रशासन समिति तथा अन्य कार्यकारिणी समितियो की सभाओ के लिए कार्यवाही–रजिस्टर, 2 सदस्यो का रजिस्टर, जिसमे उनके पूरे नाम, पते एव टेलीफोन नम्बर दिये हो, 3 अधिकृत लिपिको का रजिस्टर, 4 अधिकृत सहायको का रजिस्टर, 5 जमानती निक्षेपो का रजिस्टर, 6 सुरक्षा नियमो की पुस्तक, 7 खाता–बहियॉं,8 रोजनामचे, 9 रोकड पुस्तक एव बैक पास बुक।

एक सदस्य को भी इसी प्रकार निम्न हिसाब–किताब एव प्रलेख तैयार करने तथा सुरक्षित रखने पडेगे– 1 सौदाबही, 2 सदस्यो से अनुबन्धो की पुस्तके, 3 मुवक्किलो की खाता–पुस्तक, 4 मुवक्किलो को जारी किये गये अनुबन्ध पत्रो की प्रतियॉं, 5 सामान्य खाताबही, 6 रोजनामचे, 7 रोकड बही, 8 बैक पास–बुक, 9 अनुबन्धो के लिए मुवक्किलो की लिखित सहमति,एव 10 प्रलेखो का रजिस्टर, जिसमे प्राप्त एव सुपुर्द की हुई प्रतिभूतियो का पूर्ण विवरण लिखा जाये।

(व) **केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण –** यद्यपि स्कन्ध विपणि अपने नियम तथा उपनियम बनाने के लिए स्वतन्त्र होते है, फिर भी इन पर नियन्त्रण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को अनेक अधिकार दिये गये है, जैसे–

1 मान्यताप्राप्त विपणि के नियमो मे बिना सरकार की पूर्व अनुमति के परिवर्तन न होना(धारा–7अ)

2 विनिमय के कोई भी नये नियम व उपनियम बनाने के लिए बाध्य करना व उसके वर्तमान नियमो व उपनियमो मे परिवर्तन करना(धारा–10)

3 किसी मान्यताप्राप्त विपणि की प्रबन्ध समिति को भग करना(धारा–11)

4 यदि व्यापार व जनहित मे आवश्यक हो तो किसी विपणि का व्यापार अधिक से अधिक 7 दिन के लिए बन्द करना(धारा–12)

5 विशेष परिस्थिति मे भावी अनुबन्धो के व्यापार को रोकना(धारा–16)

6 इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना(धारा–30)

7 तत्काल सुपुर्दगी व्यवहारो को नियमित करना

8 विपणि के कार्यों की जॉच करना

9 विपणि के सदस्यो को व्यवहारो का पूरा लेखा रखने के लिए बाध्य करना तथा उसकी जॉच चार्टर्ड एकाउन्टेट से कराना आदि

(ष) **सूचीयन का नियमन –** प्रतिभूतियो के सूचीयन से विनियोजको एव कम्पनी के हितो की सुरक्षा के साथ–साथ हेरा–फेरी के विरुद्ध सुरक्षा एव अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के रूप मे भी मूल्यवान होता है। धारा–21 के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार किसी सार्वजनिक कम्पनी के अशो को मान्यताप्राप्त विपणि पर सूचीयन कराना आवश्यक समझती है तो वह सूचीयन के लिए कम्पनी को बाध्य कर सकती है। धारा–22 के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के पास अपील करने का अधिकार दिया गया है, यदि मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि ने उसके अशो, बाण्ड, ऋणपत्रो आदि के किये कोटेशन देने से इन्कार कर दिया है। सरकार अपील पर विपणि के निर्णय को उसी प्रकार रख सकती है, या परिवर्तित कर सकती है या मानने से इन्कार कर सकती है।

(श) **निरक हस्तान्तरण का नियमन –** निरक हस्तान्तरण को हतोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान किये गये है। धारा 27(क) के अनुसार किसी भी प्रतिभूति के पजीकृत अशधारी के लिए यह विधि सम्मत है कि वह इस पर देय लाभाश को अपने पास रखे चाहे भले ही उसके द्वारा प्रतिफल के लिए उसका हस्तान्तरण कर दिया गया है। यदि हस्तान्तरिती लाभाश प्राप्त करने के इच्छुक है तो उसे प्रतिभूति तथा अन्य प्रपत्र को लाभाशदायी होने के 15 दिन पूर्व ही अपने नाम से पजीकृत करने के लिए उपलब्ध कराना होगा।

(ह) **डीलर तथा दलालो का अनुज्ञापन –** धारा–17 के अनुसार ऐसा राज्य अथवा क्षेत्र जहॉं कि अधिनियम की धारा 13 लागू नही है, अर्थात् मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि के कार्यक्षेत्र के बाहर के लिए सरकार यह अधिसूचना जारी कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियो के डीलर के रूप मे कार्य नही कर सकता जब तक कि वह सरकार से आवश्यक अनुज्ञापत्र नही ले लेता। धारा 30 के अनुसार केन्द्र सरकार प्रतिभूतियो के डीलरो के अनुज्ञापन के सम्बन्ध मे विस्तृत नियम बना सकती है। धारा–17 के अन्तर्गत दिये जाने वाले शुल्क तथा अनुज्ञापत्र की अवधि क्या होगी, वे शर्तें कौन सी होगी जिनके

अन्तर्गत अनुज्ञापत्र दिया जायेगा, उस फार्म का प्रारूप क्या होगा जिनको प्रसविदा करते समय प्रयोग करना आवश्यक होगा, अनुज्ञापित डीलर के द्वारा कौन से प्रपत्र रखे जायेगे तथा किस प्राधिकारी के पास सामयिक प्रतिवेदन आदि किस प्रकार प्रस्तुत किये जायेगे तथा अनुज्ञापत्र किन परिस्थितियो मे रद्द किया जायेगा, ये सभी बाते बनाये जाने वाले नियम मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी।

(क्ष) <u>अधिनियम की सफलताए –</u> पिछले 28 वर्षो मे सरकार ने जो कदम उठाये है उनके निम्नलिखित परिणाम सामने आये है–

* इस अधिनियम के अन्तर्गत एक शहर मे एक ही विपणि को स्वीकृति प्राप्त होती है इसका प्रभाव यह हुआ कि विपणियो मे प्रतियोगिता समाप्त हो गयी है और वर्तमान स्कन्ध बाजारो मे अच्छी परिपाटी स्थापित होने लगी है और छोटे–छोटे असवैधानिक बाजार, जैसे कलकत्ता का 'कटनी' बाजार व बम्बई का 'ग्रे' बाजार समाप्त हो गये है।

* सदस्यता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के कारण अब केवल प्रतिष्ठित व पर्याप्त धन वाले व्यक्ति ही विपणियो के सदस्य बन पाते है जिनसे उनके चूकदार(डिफाल्टर) होने की सम्भावनाए कम हो गयी है।

* सभी अनुबन्धो को लिखित रूप दे दिया गया है तथा साथ ही साथ सौदो का लेखा पाँच वर्ष तक रखना आवश्यक होने से झगडो की सम्भावनाए कम हो गयी है।

* सरकार द्वारा प्रत्येक विपणि की कार्यकारिणी समिति मे कुछ व्यक्ति नामाकित किये जाते है जिनका कार्य विपणि की कार्यप्रणाली की देखभाल करते रहना है जिससे कोई असवैधानिक कार्य विपणि न कर सके।

* सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाए माँगने व विपणि को भग करने का अधिकार होने के कारण अब विपणि अपनी सीमा मे ही कार्य करती है।

* सरकार किसी भी कम्पनी को सूचीयन के लिए कह सकती है और उस कम्पनी को सूचीयन कराना होगा। सट्टे की रोकथाम के लिए सट्टे से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के सौदो को विपणि पर करने से, जनहित मे सरकार रोक लगा सकती है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब विपणियो पर सट्टेबाजी कुछ कम हो गयी है।

*विपणि के नियमो को स्वीकार करते समय सरकार इस बात की चेष्ठा करती है कि दलाली क्रम मे दी जाय, समाशोधन गृह स्थापित किया जाय, कार्य के घण्टे निश्चित हो, प्रसविदे की शर्ते उचित हो, सदस्यो के व्यापार करनी की सीमा हो, प्रतिभूतियो के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निश्चित हो, झगडो का

निपटारा पचायत से हो आदि। इन सबका प्रभाव यह होता है कि विपणि की क्रियाए प्रमापित हो जाती है और मतभेद होने या धोखा खाने की सम्भावनाए कम हो जाती है।

* अधिनियम ने सम्पूर्ण भारत के विपणियो के कार्य व विधियो मे एकरूपता ला दी है।

* केन्द्रीय सरकार ने स्कन्ध विपणियो के मार्गदर्शन एव आम हितो के मामलो पर समय–समय पर विचार–विमर्श करने के लिए मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणियो के अध्यक्षो की एक स्थायी समिति बना रखी है जिसका कार्य सरकार को समय–समय पर सुझाव देना है जिससे कि विपणि के कार्यो मे एकरूपता लायी जा सके।

(च) <u>व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम–1958</u> -

भारत मे ट्रेडमार्क के पजीकरण हेतु इस अधिनियम को पारित किया गया है। किसी भी निर्माता द्वारा अपनी वस्तु की पहचान एव उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, नाम,शब्द, डिजायन या इनके सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी वस्तु पर छाप देता है तो इसे ब्राण्ड कहते है। लेकिन जब इस ब्राण्ड का पजीकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत करा लिया गया है तो वही ब्राण्ड ट्रेडमार्क हो जाता है। इससे निर्माता या विक्रेता को लाभ होता है। अब तकइस प्रकार के ट्रेडमार्क की नकल कोई और नही कर सकता और इसके प्रयोग का एक मात्र अधिकार पजीकरण कराने वाले को मिल जाता है।

भारत मे इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क के पजीकरण का कार्य पेटेण्ट डिजाइन्स,ट्रेडमार्क्स महानिदेशक, बम्बई के द्वारा किया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रार कहलाता है। इसकी तीन शाखाए कलकत्ता, मद्रास व नई दिल्ली मे है।[12]

29 मई,1995 को लोक सभा ने नया ट्रेडमार्क विधेयक–93 पारित कर दिया है जिसमे उत्पादो के अलावा सेवाओ के लिए भी ट्रेडमार्क के पजीकरण का प्रावधान किया गया है। उद्योग राज्यमत्री श्रीमती कृष्णा शाही ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह विधेयक समय की आवश्यकता की माँग है तथा यह नया अधिनियम व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम–1958 को रद्द करके लाया गया है।

इस विधेयक मे ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का पजीकरण नही किया जाय जिससे धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचे अथवा जिसमे अश्लीलता नजर आती हो। श्रीमती शाही का मानना है कि गैट समझौता और विश्व मे तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए 1958 का अधिनियम पुराना पड गया था।इस नये कानुन से लालफीताशाही पर अकुश लगेगा। इस विधेयक मे कुल 160 धाराए है।[13]

---

12 बाजार व्यवस्था–शर्मा एव जैन,साहित्य भवन आगरा–1994,पृष्ठ सख्या–220

13 आज–वाराणसी(इलाहाबाद),30 मई,1995,पृष्ठ सख्या–7

(छ) एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार(एम आर टी पी)अधिनियम–1969 -

भारत के सविधान मे वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तो के अनुसार राज्य को अपनी नीतियो का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप धन और उत्पत्ति के साधनो का जनहित के विरुद्ध केन्द्रीय करण न हो।[14] इस सवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की सीमा एव प्रभाव का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल,1964 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के सी दास गुप्ता की अध्यक्षता मे एक पॉच सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने अपने अध्ययन मे पाया कि 75 व्यापार गृहो के पास 1536 कम्पनियो का नियन्त्रण था(जैसे,बिरला के पास 151 कम्पनियॉ, सूरजमल नागरमल के पास 76 कम्पनियॉ आदि) जिसकी चुकता पूँजी 646 करोड रुपये तथा कुल सम्पत्तियॉ 2,600करोड रुपये थी जो समस्त कम्पनी क्षेत्र की कुल चुकता पूँजी का 44 1 प्रतिशत तथा कुल सम्पत्तिका 46 9 प्रतिशत थी।[15]

एकाधिकारी जॉच आयोग ने अपनी सिफारिशे अक्टूबर–1965 मे सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित कानून के लिए एक प्रारूप भी प्रेषित किया था। अत सरकार ने इस प्रारूप मे आवश्यक सशोधन करके एक विधेयक 'एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार विधेयक' के नाम से अगस्त 1966 मे ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जो 17 दिसम्बर, 1969 को पास हो गया और जिस पर राष्ट्रपति ने 27 दिसम्बर,1969 को अपनी स्वीकृति दे दी।

अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमे 1982,84,85 तथा 1988 मे व्यापक सशोधन किया गया। 24 जुलाई–1991 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार इस अधिनियम मे पुन सशोधन का निर्णय लिया गया है,जिससे कि नई कम्पनियो को स्थापित करने, एक कम्पनी का दूसरी मे विलय करने, दो कम्पनियो का आपसी मिलान, एक कम्पनी द्वारा दूसरी को खरीदने तथा कुछ परिस्थितियो मे कम्पनी निदेशको की नियुक्ति करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी। लेकिन नई शक्तियो वाले एम आर टी पी आयोग को अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबन्धित तथा गैर–वाजिब व्यापारिक गतिविधियो अपने आप जॉच कर या उपभोक्ताओ की शिकायत पर जॉच करे।[16]

यह अधिनियम आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण एव एकाधिकारिक प्रतिबन्धात्मक और अनुचित व्यापारिक नीतियो के नियन्त्रण हेतु एक वृहत् वैधानिक अस्त्र है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस बात

---

14 मरकेन्टाइल लॉ–शुक्ल एव गुप्ता,साहित्य भवन आगरा–1994,पृष्ठ सख्या–350

15 व्यावसायिक सगठन,प्रबन्ध एव प्रशासन, अष्ठाना,पद्माकर साहित्य भवन आगरा,पृष्ठ सख्या–200

16 सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल–अप्रैल,1995,क्रॉनिकल पब्लिकेशन,प्रा लि नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या–69

को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितो के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नही करती है और ऐसी एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियो को रोकना और नियन्त्रित करना है जो जनहित के विरुद्ध है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है–

(अ) अधिनियम का लागू होना – इस अधिनियम को 1 जून, 1970 से जम्मू कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया है। धारा–3 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधन, भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम–1934, बीमा अधिनियम–1938, बैकिग नियमन अधिनियम–1949, भारतीय स्टेट बैक अधिनियम–1955, भारतीय स्टेट बैक(सहायक बैक) अधिनियम–1959 के प्रावधानो को छोडकर अन्य सभी अधिनियमो से ऊपर होगे। इस अधिनियम की व्यवस्थाए अग्राकित सस्थाओ पर तब तक लागू नही होगी जब तक कि केन्द्र सरकार गजट मे नोटीफिकेशन न दे–[17] सरकारी कम्पनी अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित कम्पनी, सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण मे आने वाले प्रतिष्ठान, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा गठित कोई निगम, मजदूरो अथवा कर्मचारियो के स्वय के हितो की रक्षा के लिए गठित कोई–निगम, मजदूरो अथवा कर्मचारियो के स्वय के हितो की रक्षा के लिए गठित कोई सघ, सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियो के समूह द्वारा प्रबन्धित कोई उद्योग, केन्द्र अथवा राज्य सरकार या राज्य सहकारी समितियो के अधीन गठित सहकारी समिति के स्वामित्व वाले सस्थान तथा धारा–4 मे वर्णित वित्तीय सस्थाए।

(ब) एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्थापना – धारा–5 के अधीन अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का पालन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया है। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा जिसमे सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो तथा आयोग मे कम से कम दो और अधिक से अधिक आठ सदस्य हो सकते है। आयोग के सदस्य व्यापार, उद्योग, विधि, अर्थशास्त्र, लेखाकन एव सार्वजनिक प्रशासन आदि क्षेत्रो के निपुण व्यक्ति होने चाहिए। इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

धारा 6 के अनुसार आयोग के सदस्यो का कार्यकाल अधिक से अधिक पॉच वर्ष तक का हो सकता है तथा इसे अगले पॉच वर्ष तक बढाया जा सकता है। लेकिन कोई भी सदस्य पैसठ वर्ष की उम्र तक ही आयोग के सदस्य के रूप मे कार्य कर सकता है। धारा–7 मे आयोग के सदस्यो के दिवालिया हो जाने, आपराधिक कार्य मे लिप्त होने या शारीरिक एव मानसिक रूप से कार्य करने मे अक्षम हो जाने आदि की दशा मे उन्हे पद से हटाने का प्रावधान दिये गये है।

अधिनियम की धारा–8 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह पजीकरण एव जॉच का एक महासचालक तथा आवश्यकतानुसार कितने भी अतिरिक्त, सयुक्त, उप अथवा सहायक महासचालको की नियुक्ति कर सकती है। आयोग को एकाधिकारिक निरोधात्मक एव अनुचित व्यावसायिक

---

17 मरकेन्टाइल लॉ–शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या–351

आचरणो की जॉच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा–10 के अनुसार यह आयोग स्वेच्छा से, सरकार के अनुरोध पर, जनता अथवा उपभोक्ता की शिकायतो पर तथा रजिस्ट्रार–प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहारो के आग्रह पर किसी भी प्रतिबन्धात्मक वयापारिक कार्य की जॉच का आदेश दे सकता है। धारा–11 के अधीन आयोग केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा अपनी स्वय की जानकारी के आधार पर एकाधिकारात्मक आचरण की जॉच बिना किसी अन्य प्रक्रिया के आरम्भ कर सकता है।

धारा–12 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत जॉच के लिए आयोग को गवाहो को बुलाने व शपथ दिलाने, साक्ष्यो को प्रस्तुत करने, शपथपत्रो पर साक्ष्य प्राप्त करने एव किसी न्यायालय अथवा कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेखो को मॅगाने के सम्बन्ध मे किसी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है। धारा–13 के अधीन आयोग को प्रतिबन्धात्मक आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिबन्धात्मक आचरण के कारण हानि या क्षति होने की दशा मे आयोग को वर्ष 1984 से क्षतिपूर्ति का आदेश देने के सम्बन्ध मे भी अधिकार प्राप्त हो गया है। धारा 14 मे देश के बाहर चले रहे एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहारो को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध मे ऐसी क्रियाओ के उस भाग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान दिया गया है जो कि देश के अन्दर अपना प्रभाव डालती है। धारा–15 के अनुसार– किसी एकाधिकारात्मक निरोधात्मक अथवा अनुचित व्यावसायिक आचरण की जॉच के दौरान आयोग को ऐसे आचरण से सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपक्रम के कार्यों पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त धारा–16 मे आयोग के अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त बेच के गठन का अधिकार, धारा–17 मे जनहित मे सूचनाओ की गोपनीयता को ध्यान मे रखते हुए गोपनीय सुनवाई करने का अधिकार धारा–18 मे किसी व्यवसाय की प्रक्रिया निर्धारित करना, बेच की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा सदस्यो के अधिकारो के हस्तान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार तथा धारा–19 मे आयोग द्वारा दिये गये विभिन्न आदेशो की प्रतियॉं रखने एव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हे महासचालक को सूचित करने सम्बन्धी प्रावधान दिये गये है।[18]

(स) <u>आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना –</u> इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश मे आर्थिक शक्ति के कुछ हाथो मे केन्द्रीयकरण को रोकना है। अधिनियम के अध्याय 3 मे धारा–20 से 30 तक इससे सम्बन्धित प्रावधान दिये गये है। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण एकाधिकार को बढाता है और एकाधिकार उपभोक्ता के शोषण को। उपभोक्ता का शोषण उत्पादन एव वितरण को नियन्त्रित करके तथा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके मूल्यो मे वृद्धि के द्वारा किया जाता है। जब उपक्रम का आकार एक निर्धारित

---

18 मर्केन्टाइल लॉ–शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या–357–358

प्रमाप से बढने लगता है तो उपक्रम के आकार को बढाने वाली प्रत्येक क्रिया का परिणाम आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कहलाता है, इस केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए तथा ऐसे उपक्रमो को नियमित और नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अधिनियम के अधीन जो प्रावधान दिये गये है, उनमे से कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है–

1 **उपक्रमो का पजीकरण –** आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए धारा–20(अ) के अन्तर्गत आने वाले निम्न उपक्रमो का पजीकरण कराना अनिवार्य है, जिन्हे एम आर टी पी उपक्रम भी कहा जाता है–

1 ऐसे सभी उपक्रम जिनकी अपने सम्बद्ध इकाइयो के साथ कुल सम्पत्तियॉ 100 करोड रुपये से अधिक हो।

2 इसमे वे प्रभावी उपक्रम आते है जिनकी अपनी सम्बद्ध इकाइयो के साथ कुल सम्पत्तियॉ 20 करोड से अधिक हो।

सम्पत्तियो का उस वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अन्त का मूल्य लिया जायेगा जिसमे यह प्रश्न उठता है। सम्पत्तियो के मूल्य मे लेखा वर्ष का ह्रास समायोजित किया जायेगा ।

2 **विवादो का निपटारा –** धारा–2(ए) के अनुसार सशोधन अधिनियम 1994 मे यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम मे प्रयोग की गयी विभिन्न शब्दावलियो या उनके स्पष्टीकरणो, जैसे–विद्यमान उपक्रमो का सारपूर्ण विस्तार, उपक्रमो का सम्मिश्रण या सविलयन इत्यादि के सम्बन्ध मे विवाद होने पर उनका निपटारा केन्द्र सरकार की ओर से कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा किया जायेगा। कोई भी निर्णय देने से पहले कम्पनी लॉ बोर्ड या केन्द्र सरकार, पीडित पक्षकार को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगी।

3 **उपक्रम का विस्तार, स्थापना, सम्मिश्रण , सवियन या अधिग्रहण –** धारा–20(अ) मे वर्णित एम आर टी पी उपक्रम के विस्तार से सम्बन्धित धारा–21, इन उपक्रमो की स्थापना से सम्बन्धित धारा–22, इने सम्मिश्रण, सविलयन एव अधिग्रहण से सम्बन्धित धारा–23, इन धाराओ के उल्लघन के दशा मे दण्ड के प्रावधान से सम्बन्धित धारा–25, एव आवेदन पत्रो पर विचार की समय सीमा से सम्बन्धित धारा–30 के प्रावधान जो उपक्रमो के विस्तार, स्थापना, सम्मिश्रण एव सविलयन की क्रियाओ से पूर्व केन्द्र सरकार को पूर्व निर्धारित सूचनाए भेजने तथा उसका अनुमादेन प्राप्त करने से सम्बन्धित थे, अब नई औद्योगिक नीति लागू हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये है। परन्तु नई शक्तियो वाले एम आर टी पी आयोग को यह अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबन्धित तथा गैर–वाजिब (अनैतिक) व्यापारिक गतिविधियो की उपभोक्ता की शिकायतो पर अथवा अपने आप जॉच करे।[19]

---

19 भारतीय अर्थशास्त्र–मामोरिया, सी बी , साहित्य भवन आगरा–1995, पृष्ठ सख्या–215

4 <u>उपक्रम के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया</u> –धारा–26 के अनुसार एक एम आर टी पी उपक्रम के स्वामी को उसके उपक्रम के एम आर टी पी के अन्तर्गत आने के 60 दिन के अन्दर एक निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। यह समय किसी उचित कारण के दशा मे बढाया भी जा सकता है। केन्द्र सरकार ऐसी उपक्रमो के लिए एक रजिस्टर अनुरक्षित करती है। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर इस रजिस्टर मे ऐसे उपक्रम का नाम प्रविष्ट कर एक निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निर्गत करती है।

यदि रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे धारा–26 के प्रावधानो का उल्लघन किया जाता है तो कम्पनी की दशा मे एक हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और यदि उल्लघन आगे भी जारी रहता है तो इसके अतिरिक्त प्रतिदिन पचास रुपये की दर से जुर्माना बढता रहेगा। फर्म के स्वामी, साझेदारी सस्था के साझेदार, कम्पनी के अधिकारी अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे उपक्रम का स्वामित्व या नियन्त्रण करता है के गलती से प्रावधानो का उल्लघन होने की दशा मे ऐसे प्रत्येक अधिकारी को दो वर्श की कैद या एक हजार रुपये का दण्ड तथा यदि अपराध आगे भी जारी रहता है तो इसके अतिरिक्त पचास रुपये प्रतिदिन की दर से अपराध की अवधि तक दण्ड को बढाया जा सकता है।

5 <u>उपक्रम अथवा व्यवसाय का विभाजन</u> – धारा–27 मे जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को तोडने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह परस्पर सम्बद्ध उपक्रमो अथवा व्यवसाय के विभाजन सम्बन्धी आदेश भी जारी कर सकती है। यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि अधिनियम के भाग'अ' मे आने वाल कोई उपक्रम ऐसी एकाधिकारिक या व्यापारिक क्रियाओ मे लिप्त है जो सामान्यहित के विरुद्ध है तो वह, उपक्रम की सम्पत्तियो के किसी भाग की बिक्री अथवा उपक्रम के अनेक उपक्रमो मे विभाजन के आदेश जारी कर सकती है। ऐसा आदेश केन्द्र सरकार द्वारा एकाधिकार आयोग को सौपे गये मामलो के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया जा सकता है।यदि इस धारा के प्रावधानो का उल्लघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कैद और एक हजार रुपये तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

6 <u>सरकार एव एकाधिकार आयोग द्वारा विचार किये जाने वाले मामले</u> – धारा–28 के अनुसार अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार एव आयोग को प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग जहाँ प्रथमत यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि आर्थिक शक्ति का जनहित के विरुद्ध केन्द्रीयकरण न हो वहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले भी सरकार अपने विचार मे ले सकती है। देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए ऐसे सभी मामले केन्द्र सरकार एव आयोग द्वारा विचार हेतु लिए जायेगे, जिनका सम्बन्ध देश की सुरक्षा आवश्यकताओ तथा देशी व विदेशी बाजारो की आवश्यकताओ के अनुरूप वस्तुओ व सेवाओ का कुशलतम् आर्थिक ससाधनो की सहायता से, उत्पादन से हो। सरकार द्वारा देश मे उपलब्ध मानवीय, भौतिक

ाव औद्योगिक क्षमता के श्रेष्ठ प्रयोग को सुनिश्चित करने, विद्यमान बाजार के विस्तार तथा नये बाजारो की खोज की दिशा मे तकनीकी विकास का प्रयोग करने,आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की काट के रूप मे नये उद्यमो की स्थापना को प्रोत्साहन देने, सामान्य हित मे देश के भौतिक साधनो के प्रयोग को नियमित व नियन्त्रित करने एव क्षेत्रीय असमानता एव असतुलन को कम करने के उद्देश्य से भी उपर्युक्त मामलो पर इस अधिनियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

7 सुनवाई का अवसर प्रदान करना – धारा–29 के अनुसार उपर्युक्त प्रावधानो के तहत् केन्द्र सरकार कोई भी आदेश जारी करने के पूर्व विचाराधीन मामले से सम्बन्धित पक्ष को अपना तथ्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेगी।

(द) एकाधिकारात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण – धारा–31 के द्वारा केन्द्र सरकार को एकाधिकारी व्यावसायिक आचरणो को भी नियन्त्रित करने के अधिकार प्राप्त है। देश की विद्यमान आर्थिक तथा अन्य दशाओ को ध्यान मे रखते हुए कोई एकाधिकारात्मक वयावसायिक आचरण जनहित के लिए खतरनाक समझा जाता है यदि ऐसे आचरण का प्रभाव किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागतो मे अवाछनीय वृद्धि, कीमतो मे वृद्धि अथवा बिक्री से प्राप्त किये जाने वाले लाभो मे अवाछनीय वृद्धि अथवा वस्तु की पूर्ति मे रुकावट तथा प्रतियोगिता मे कमी के रुप मे होता है। ऐसी किसी भी स्थिति को महसूस करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सम्बद्ध मामले एकाधिकार आयोग को विस्तृत जॉच के लिए सौपे जा सकते है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त आदेश जारी किये जा सकते है। ऐसा कोई आदेश उपक्रम द्वारा उत्पादित,वितरित अथवा नियन्त्रित की जाने वाली वस्तु या सेवा के विक्रय या पूर्ति से सम्बन्धित शर्तो का निर्धारण कर उसके नियमन,उपक्रम द्वारा वस्तु के वितरण से सम्बन्धित प्रतियोगिता मे कमी लाने वाली किसी व्यावसायिक नीति के अपनाने को प्रतिबन्धित करने, उपक्रम द्वारा उत्पादित अथवा प्रयुक्त वस्तु के स्तर निर्धारण तथा व्यावसायिक क्रियाओ अथवा किसी अनुबन्ध को अवैध घोषित करने का हो सकता है।[20]

धारा–32 मे उन एकाधिकारी व्यवसायिक व्यवहारो का उल्लेख किया गया है जो जनहित मे होते है, तथा जिन पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नही होता है–

1 यदि उन्हे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है,

2 यदि उनकी लिखित अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है बशर्ते ऐसा व्यवहार–

(अ) भारत वर्ष की रक्षा या राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओ को पूरा करता हो या,

(ब) जन सामान्य के लिए आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ के निर्माण अथवा पूर्ति को सुनिश्चित करता

---

20 मर्केन्टाइल लॉ–शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या– 379

हो या,

(स) किसी ऐसे समझौते को कार्यरूप प्रदान करने के लिए जिसमे केन्द्र सरकार भी एक पक्षकार के रूप मे है।

धारा–50 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा–31 के प्रावधानो के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश का, बिना यथोचित कारण के उल्लघन करता है तो उसे– प्रथम अपराध की दशा मे 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और पुन अपराध की दशा मे 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

यदि उल्लघन आगे भी जारी रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।

(य) **प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण –** धारा 2(ओ) के अनुसार ऐसा व्यापारिक व्यवहार जिसका वास्तविक या सम्भावित परिणाम बाजार की प्रतियोगिता को बाधित करना, कम करना या नष्ट करना, प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार कहलाता है। ऐसे व्यवहार पूँजी या उत्पादन साधनो को प्रभावित कर वस्तु या सेवा की उपलब्धता मे बाधा डालते है। सरकार ऐसे व्यवहारो पर उपभौकता उद्योग एव व्यापार के व्यापक हितो मे प्रतिबन्ध लगाती है।

1 **प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार मे शामिल–क्रियाए(धारा–33) –** इसमे प्रतियोगिता को प्रभावित करने के उद्देश्य से वस्तु के विक्रेताओ द्वारा परस्पर समझौता करना जिसके अनुसार उत्पादन की कीमत अथवा विक्रय की शर्तें आपस मे बाजार को विभाजित करने जैसी बाते तय की जाती है। अलग–अलग वर्ग के उपभोक्ताओ मे वस्तु की लागत मे नाम–मात्र का अन्तर होते हुए भी विभिन्न प्रभावी कीमतो पर वस्तु की बिक्री, बाजार मे विद्यमान प्रतियोगिताओ को हटाने के उद्देश्य से वस्तु को थोडे समय के लिए लागत से कम कीमत पर बेचना, अधिक बिकने वाले माल के उत्पादको द्वारा अपने उत्पादन के साथ कम बिकने वाले माल को सयुक्त रूप से बेचना, किसी एक वस्तु के क्रेता को उस वस्तु समूह की सभी वस्तुए एक साथ खरीदने को बाध्य करना, उत्पादक द्वारा वितरक को केवल अपने उत्पादन बेचने को कहना, वितरक के कार्यक्षेत्र की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देना, उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बिक्री के लिए कीमत निश्चित कर देना जैसे आचरण शामिल किये जा सकते है।

2 **व्यवहारो का पजीकरण –**अधिनियमानुसार ऐसे अनुबन्ध जिनका सम्बन्ध प्रतिबन्धात्मक व्यावसायिक व्यवहार से हो जॉंच एव पजीकरण के महासचालक द्वारा प्राधिकृत अनुबन्धो के रजिस्ट्रार के पास पजीकृत कराये जाने चाहिए।निरोधात्मक व्यापारिक व्यवहारो मे ऐसे व्यवहारो पर कोई प्रतिबन्ध नही है जब तक कि ऐसा आचरण जनहित के विरुद्ध न हो।

3 **आयोगको जॉंच का अधिकार(धारा–10(अ) –** आयोग को किसी भी प्रतिबन्धात्मक व्यापार

व्यवहार की जॉच का अधिकार है यदि–

(अ) प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक शिकायते किसी व्यापार सघ या, उपभोक्ता सघ के सदस्यो अथवा उपभोक्ता द्वारा स्वय की जाय या,

(ब) जॉच का मामला केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाय, या

(स) मामला जॉच एव पजीकरण महासचालक द्वारा प्रेषित किया जाय या,

(द) आयोग के स्वय के जानकारी या सूचना प्राप्त होने पर।

एकाधिकारी आयोग को अपने आदेश को प्रभावी ढग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने और अपने आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध मे केवल सर्वोच्च न्यायालय मे अपील की जा सकती है।

4 **जॉच की प्रक्रिया –** आयोग द्वारा जॉच की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए पूँजीकरण का होना आवश्यक नही है। प्रारम्भिक रूप मे रजिस्ट्रार को यह प्रदर्शित करना होता है कि उपक्रम द्वारा प्रतिबन्धित आचरण किया गया है और इसके बाद यह साबित करना सम्बन्धित पक्षकार का दायित्व होता है कि उपक्रम द्वारा अपनाई गयी नीतियॉ जनहित के विरुद्ध नही है। एक बार आयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने पर कि कोई निरोधात्मक व्यवहार जनहित के विरुद्ध है, उसे ऐसे व्यवहार अपनाना बन्द करने या न दुहराने, ऐसे आचरण से सम्बन्धित ठहराव को व्यर्थ घोषित करने, अथवा अनुबन्ध को उपयुक्त तरीके से परिवर्तित करने सम्बन्धी आदेश देने का अधिकार प्राप्त रहता है। ऐसा आदेश पारित करने के बजाय सम्बन्धित पक्ष के आवेदन पर आयोग उपक्रम के स्वामी या प्रबनधको को उचित समय के अन्दर यह आश्वासन देने का अवसर प्रदान कर सकता है कि प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध नही है।

5 **जनहित की मान्यताए –** आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए कोई प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध समझा जाता है यदि सम्बन्धित पक्षकार प्रथमत यह साबित न कर सके कि वह अधिनियम की धारा 38(1)मे वर्णित विभिन्न निर्धारक तत्वो मे से एक या अधिक को पूरा करता है और प्रतिबन्ध अवाछनीय नही है एव ऐसे प्रतिबन्ध के परिणाम जनहित के लिए हानिकारक नही होगे। जनहित की मान्यताए अधिनियमानुसार निम्न प्रकार है–

1 प्रतिबन्ध जनसाधारण को किसी प्रकार की मौलिक क्षति से बचाने के लिए आवश्यक है।

2 प्रतिबन्ध को हटा लेने पर जन साधारण को प्राप्त होने वाले विशिष्ट व महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नही हो सकेगे।

3 व्यापार के समान स्तर पर अपनाये गये किसी प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के उपाय के रूप मे प्रतिबन्ध आवश्यक है।

4 प्रतिबन्ध सम्बन्धित पक्षकार को वस्तु की उचित पूर्ति बनाये रखने की स्थिति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

5 प्रतिबन्ध को हटाने से सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र मे भयकर बेरोजगारी की समम्या उत्पन्न हो जायेगी।

6 देश के कुल निर्यात व्यापार अथवा उद्योग के कुल व्यवसाय को ध्यान मे रखते हुए प्रतिबन्ध को हटाने से निर्यात आय पर विरीत प्रभाव पडेगा।

7 किसी दूसरे प्रतिबन्ध को जिसे आयोग जनहित के विरुद्ध नही समझता एव स्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबन्ध आवश्यक है।

8 प्रतिबन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या उद्योग मे प्रतिस्पर्धा को कम नही करता और न ही इसे हतोत्साहित करता है।

9 ऐसा प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत एव पुष्ट किया गया है।

10 प्रतिबन्ध राज्य की सुरक्षा एव देश की रक्षा की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

11 प्रतिबन्ध आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

6 **<u>दण्ड का प्रावधान(धारा–48) –</u>** कोई भी व्यक्ति जो धारा 33 मे वर्णित व्यवहारो से सम्बन्धित समझौता करने के 60 दिन के अन्दर ऐसे समझौते का रजिस्ट्रेशन नही कराता तो उसे 5000 रुपये तक का आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष तक का कैद या दोनो सजाए दी जा सकती है।

(र) **<u>अनुचित व्यापारिक व्यवहार का नियन्त्रण –</u>** सशोधन अधिनियम, 1984 की धारा–36(ए) के अनुसार अनुचित व्यापारिक व्यवहार से आशय उस व्यवहार से है जिसके द्वारा किसी वस्तु की पूर्ति, प्रयोग या विक्रय बढाने या सेवाओ के प्रावधान करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे वस्तुओ तथा सेवाओ से उपभोक्ता को हानि या चोट पहुँची हो, चाहे प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा नही। धारा–36(ए) का विस्तृत विवरण उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986 मे आगे दिया गया है क्योकि अनुचित व्यापार का आशय दोनो अधिनियमो के लिए एक ही है।

1 **<u>आयोग द्वारा जॉच का प्रावधान(धारा–36, बी सी तथा डी) –</u>** आयोग के समक्ष जॉच के लिए आये किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार की जॉच इस दिशा मे की जाती है कि सम्बद्ध व्यवहार उपभोक्ताओ अथवा सामान्य जनहित के विपरीत है। जॉच द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार को जनहित के विरुद्ध पाकर आयोग ऐसे व्यवहार को बन्द करने, न दोहराने तथा ऐसे आचरण से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का आदेश पारित कर सकता है। ऐसा आदेश जारी करने के बजाय आयोग

सम्बन्धित पक्षकार को उचित समय के अन्दर ऐसे कदम उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है जिससे अनुचित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध न रह जाय। ऐसा सुनिश्चित हो जाने पर कि जनहित के विरुद्ध अनुचित व्यवहार सम्बन्धित उपक्रम द्वारा नही अपनाया जा रहा है, आयोग इस सम्बन्ध मे और आदेश न दिये जाने का निर्णय भी ले सकता है।

2 <u>दण्ड का प्रावधान –</u> आयोग द्वारा दिये गये किसी आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा–48(सी)के अनुसार 3 वर्ष का कारावास और/ या 10000 रुपये के दण्ड का प्रावधान है। आयोग ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप क्षति उठाये किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति सम्बन्धीआदेश देने का भी अधिकार रखता है।[21]

(ल) <u>पुन विक्रय मूल्य अनुरक्षण को रोकना(धारा–39 से 41) –</u> कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रसविदा या समझौता अपने थोक या फुटकर विक्रेताओ के साथ नही कर सकता है, जिसमे न्यूनतम मूल्य पर पुन बिक्री को कहा गया हो। ऐसा समझौता या प्रसविदा व्यर्थ माना जायेगा। कोई भी निर्माता वस्तुओ का केवल अधिकतम मूल्य ही प्रस्तावित कर सकता है। कोइ भी पूर्तिकर्ता इस आधार पर अपनी पूर्ति उस व्यक्ति को नही रोकेगा जिसने पुन विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की है या उसके द्वारा पुन विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की सम्भावना है।

1 <u>आयोग का विशेषाधिकार –</u> ऐसे समझौते जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या श्रम सघो से सम्बन्धित हो, भारतीय पेटेण्ट अधिनियम के अन्तर्गत पेटेण्ड के स्वामी के अधिकारो की रक्षा के लिए अपनाये गये हो, निर्यात के उद्देश्य से वस्तु के उत्पादन,वितरण आपूर्ति अथवा नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, अथवा क्रेताओ द्वारा अन्तिम उपभोग के लिए खरीदे गये माल के सम्बन्ध मे किये गये ठहराव के कारण उत्पन्न हुए हो तो आयोग को इसमे छूट देने का अधिकार है।

2 <u>दण्ड का प्रावधान –</u> धारा 50(2) और (3) के अनुसार धारा 39 एव 40 के उल्लघन करने पर उसी दण्ड का प्रावधान है जो पूर्व उल्लिखित धारा 31 के उल्लघन पर है।

(व) <u>अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन –</u> कुछ विपणन वेत्ताओ का मत है कि पाश्चात्य देशो की तुलना मे भारतीय उद्योगो का आकार छोटा है। अत उन पर प्रतिबन्ध लगाना न्यायसगत नही है, क्योंकि इससे न तो राष्ट्रहित होगा और न औद्योगिक कुशलता मे वृद्धि होगी। इन्ही आलोचको का यह भी कहना है कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव है।यदि उद्योगो पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये तो उनका समुचित विकास नही हो पायेगा। आधुनिक युग मे देश जब औद्योगीकरण की दिशा मे तीव्र गति से अग्रसर है, एकाधिकार नियन्त्रण रूपी प्रतिबन्ध से उद्योगो का समुचित

---

21 राज्य एव व्यवसाय–जगदीश प्रकाश, प्रयाग पुस्तक भवन– इलाहाबाद–1991,पृष्ठ सख्या–106

विकास एव आधुनिकीकरण नही हो सकेगा। वैसे ही कम्पनी अधिनियम मे सरकार को इतने व्यापक अधिकार मिल गये है कि वह किसी भी उद्योग पर प्रभावी नियन्त्रण रख सकती है।[22]

शायद इसी भावना से प्रेरित होकर वर्तमान सरकार द्वारा 24 जुलाई-1191 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति मे एम आर टी पी कम्पनी एव प्रभावशाली उपक्रम की सम्पत्ति सीमा को अधिनियम से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।इसमे किसी नये उपक्रम की स्थापना, उपक्रम के विस्तार, सम्मिश्रण, सविलयन, अधिग्रहण अथवा कुछ दशाओ मे सचालको की नियुक्ति से पूर्व, केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति मे इस बात पर जो दिया गया है कि अधिनियम एकाधिकारी प्रतिबन्धात्मक अनुचित व्यापार व्यवहार को नियमित और नियन्त्रित करेगा।[23]

पिछले 25 वर्षों मे सरकार को औद्योगिक विकास एव नियमन अधिनियम-1951 के अधीन जितने आवेदन प्राप्त हुए उसमे से केवल 10 प्रतिशत आवेदनो को एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग को विचारार्थ, प्रेषित किया गया जिसमे से 87 प्रतिशत आवेदनो को आयोग ने अनुमोदित किया।[24] मार्च-1990 के अन्त तक 1854 उपक्रम अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत थे जिसमे से 1787 उपक्रम एकाकी बडे उपक्रम के रूप मे धारा-20(अ) तथा 67 उपक्रम प्रभावी उपक्रम के रूप मे पजीकृत थे।[25]

सरकार ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से कई प्रयास किये परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नही हो सका कि उन प्रयासो के परिणामस्वरूप इसमे कोई कमी आयी है। इसके विपरीत इन घरानो या व्यवसायो की सम्पत्ति मे काफी वृद्धि हुई है, जैसे- टाटा ग्रुप की सम्पत्तियाँ 1972 मे 642 करोड रुपये थी, जो मार्च 31,1990 को 8,531 करोड रुपये की हो गयी है।इसी प्रकार बिरला ग्रुप की सम्पत्तियाँ 1972 मे 590 करोड रुपये की थी जो 31 मार्च-1990 को बढ कर 8,473 करोड रुपये की हो गयी है। इसी प्रकार मफतलाल 184 से 1344 करोड रुपये, जे के सिहानिया 121 से 2139 करोड रुपये, थापर 136 से 2177 करोड रुपये।[26]

यह निर्विवाद है कि जहाँ एक ओर समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर नियन्त्रण रखना है, वही दूसरी ओर देश का तीव्र गति से औद्योगीकरण भी करना है।

---

22 रिपोर्ट ऑन मोनोपोली इनक्वाइरी कमीशन-1965, पृष्ठ सख्या-76

23 मरकेन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-359

24 इण्डियन इकोनमी-अग्रवाल, डी सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-322

25 राज्य एव व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-1991, पृष्ठ स-108

26 भारतीय अर्थव्यवस्था-मामोरिया, सी बी , साहित्य भवन आगरा-1995, पृष्ठ सख्या-442

वास्तव मे आकार की विशालता अथवा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की अधिकता स्वय मे कोई सामाजिक दोष नही है, वरन् इस स्थिति का दुरूपयोग हानिकारक है। यदि विशाल उद्योगो को सही प्रकार से सचालित किया जाए तो उनसे अनेक प्रकार की मितव्ययिताए प्राप्त होती है। पूँजी निर्माण की गति तीव्र होती है और राष्ट्र का तेजी से आर्थिक विकास होता है। एकाधिकार जॉच आयोग ने अपनी एक टिप्पणी मे लिखा था कि" आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने राष्ट्र के आर्थिक सुधार मे सहयोग दिया है।'

सत्तर के दशक मे इस अधिनियम के माध्यम से उद्योगो को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे, विशेषकर बडे औद्योगिक घरानो या बडी कम्पनियो मे, विनियोग एव उत्पादन के विकास मे कमी आई। अस्सी के दशक मे इस स्थिति पर थोडा अकुश लगा और यह समझा जाने लगा कि एकाधिकारी प्रावधान प्रभावी हो रहा है। वर्तमान दशक मे, एकाधिकार सम्बन्धी कानूनो के क्रियान्वयन मे की जाने वाली कडाई मे उदारवादी दृष्टिकोण की झलक भी दिखाई दे रही है।

इस प्रकार यह अधिनियम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यो को प्राप्त करने मे न तो पूर्णरूप से सफल ही रहा और न ही विफल। वर्तमान सन्दर्भों मे जबकि अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रूप प्रदान करने के लिए नये-नये आर्थिक सुधार किये जा रहे है- औद्योगिक विकास का नेहरूवादी मॉडल अप्रासगिक सा हो गया है, निजीकरण बढ रहा है, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ऐसी परिस्थिति मे इस अधिनियम की पुन समीक्षा करने एव इसे नयारूप प्रदान करने की आवश्यकता है।

(ज) <u>पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-1975 -</u>

इस तरह के आदेश का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका मे 'फेयर पैकेजिग लेबलिग एक्ट' के नाम से प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत किसी पैकेट पर उसमे रखी हुई वस्तु की मात्रा, उसका वजन, उसके निर्माता का नाम आदि लिखना अनिवार्य है। जिससे उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओ की तुलना की जा सके और वह उचित निर्णय ले सके। भारत सरकार ने भी भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार वस्तु के पैकेट पर वस्तु को पैक करते समय शुद्ध मात्रा, अधिकतम मूल्य, निर्माण की तारीख, निर्माता का नाम एव पता होना अनिवार्य है। सरकार ने यह आदेश 28 जुलाई, 1975 को जारी किया, जिसे 'पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-1975' के नाम से जाना जाता है जो 1 जनवरी, 1976 से लागू हुआ। इस आदेश का उद्देश्य पैकेज्ड वस्तु का उचित मूल्य पर वितरण है। यह आदेश पहले 1 सितम्बर, 1975 से लागू होना था, लेकिन बाद मे इसके लागू होने की तारीख दो बार बदली गयी और अन्त मे यह 1 जनबरी-1976 से लागू किया जा सका। 1 अप्रैल, 1980 से यह आदेश 'बाट एव माप-मान अधिनियम'के अन्तर्गत कर दिया गया है।[27] इस आदेश की मुख्य बाते अग्र-लिखित है-

27 बाजार व्यवस्था-शर्मा एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या-231

(क) कोई भी व्यक्ति वस्तुओ को बेचने के लिए पैक नही करेगा जब तक कि प्रत्येक पैकेट पर एक लेबिल अग्रलिखित बातो के सम्बन्ध मे नही लगा देता–(1) पैकेट के अन्दर वस्तु की पहचान, (2) पैकेट मे रखी हुई वस्तु की मात्रा या वजन या माप,(3) तारीख जिस दिन पैकेट तैयार किया गया है–माह एव वर्ष सहित, (4) पैकेट का मूल्य।

(ख) कोई भी व्यक्ति ऐसे पैकैट को न बेचेगा, न वितरित करेगा और न देगा जिस पर उपर्युकत 1 से 4 मे लिखी बाते नही है।

(ग) पैकेट या लेबिल पर जो मूल्य दिया गया है उससे अधिक मूल्य पर कोई भी डीलर उस वस्तु को नही बेचेगा।

(घ) प्रत्येक पैकेट पर निर्माता या पैक करने वाले का पूरा नाम एव पूरा पता होगा।

(ड) लेबिल या पैकेट पर जो विवरण वजन, माप या नम्बर के बारे मे दिया है वह किसी भी प्रकार शर्त–सहित नही होगा।

(च) वे वस्तुए जिन पर सरकारी मूल्य नियन्त्रणलागू है, उन पर नियन्त्रित मूल्य ही दिये जायेगे।

(छ) पैकेट पर 1 दिसम्बर,1990 से प्रत्येक निर्माता वस्तु पर समस्त कर सहित अधिकतम मूल्य अकित करेगे।

(ज) पैकेट मे वस्तु के वजन की घोषणा मे उनके पैकिग सामान का वजन शामिल नही होगा।

(झ) यदि किसी वस्तु को रैपर या आधानपात्र मे बेचा जाता है जो उस रैपर या आधानपात्र पर सभी सूचनाए दी जायेगी।

(ञ) यदि पैकेट पर शुद्ध वजन या मूल्य लिखना असम्भव या अव्यवहारिक हो तो पैकेट के साथ एक लेबिल या मुहर लगा दी जाय जिस पर शुद्ध वजन एव मूल्य स्पष्ट रूप से दिया हो।

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपर्युक्त आदेश उन वस्तुओ पर लागू नही होता है जो किसी उद्योग मे कच्चे माल के रूप मे काम आती है या थोक पैकेट के रूप मे बेची जाती है या वे वस्तुए जो खाने के काम मे आती है। यह आदेश बहुत छोटी वस्तुओ पर भी लागू नही होता है। बीडी व अगरबत्ती इस सीमा से बाहर है, तथापि व्यवहारिक रूप से इन वस्तुओ की पैकिंग पर भी वस्तुओ की मात्रा या सख्या, कम्पनी अथवा उत्पादन करने वाली सस्था का नाम एव मूल्य आदि दिये होते है। वास्तव मे यह आदेश उन वस्तुओ पर भी लागू होता है जो आम जनता की उपभोग की वस्तुए है, जैसे– कॉफी,चाय, खाने के तेल, वनस्पति तेल, सावुन, बिस्कुट, सीमेट, बच्चो का दूध, दवाइयॉं, सौन्दर्य–प्रसाधन की वस्तुए आदि।

सन्दर्भित अधिनियम मे जुलाई–1994 से दूध,चीनी, अनाज, सौन्दर्य–प्रसाधन, टूथपेस्ट, सेविगक्रीम, जैम आदि 28 वस्तुओ को इस अधिनियम से इस आशय से मुक्त कर दिया गया है कि इन वस्तुओ की कोई

भी मात्रा पैकिग की जा सकती है।[28] 'मानक पैक साइज व कुछ वस्तुओ को मिली छूट की जॉच के लिए स्थायी समिति भी गठित की गयी है। इन नियमो को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर व्यापार व उद्योग, सम्बद्ध मन्त्रालयो, उपभोक्ता सगठनो, मानक सस्थानो व अन्य सम्बद्ध लोगो से परामर्श करके सशोधन किये जाते है।[29] भारतवर्ष मे यह आदेश कडाई से लागू नही किया गया है। भूतपूर्व उद्योग एव नागरिक आपूर्ति मत्री श्री जार्ज फर्नाडीज के अनुसार भारतवर्ष मे उपभोक्ता को करीब 32,000 करोड रुपये प्रति वर्ष(पैक किये हुए पैकेटो मे कम वजन से) ठगा जाता है।[30] वास्तव मे यह आदेश उपभोक्ताओ की भलाई एव सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने मे एक कदम है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्माता पैकिग के सन्दर्भ मे आचार–सहिता एव आदेश का पालन करे एव उपभोक्ता सावधानी तथा विवेक से उपभोग की वस्तुओ का क्रय करते हुए पैकिगो पर ध्यान दे।

जुलाई–1994 मे मे जो 28 वस्तुए इस अधिनियम की व्यवस्था से, इनकी कोई भी मात्रा की पैकिग करने के नाम से मुक्त की गयी, तो वास्तव मे मात्रा का विभाजन करने वाले व्यक्तियो को यह दायित्व सौपा जा सकता था कि वस्तुओ की मात्रा के अनुपात मे पैकिग के विभाजन के बाद पुन पैकिग पर मूल्य, मात्रा इत्यादि अकित की जाय, अन्यथा इससे गरीब उपभोक्ता के शोषण की सम्भावना बढ गयी है। इस आदेश के जारी होने से उपभोक्ताओ को कोई विशेष लाभ नही हुआ है। इसका कारण यह है कि वस्तु पर जो मूल्य लिखे जाते है, दुकानदार उससे कही अधिक मूल्य स्थानीय करो के नाम पर वसूल करता है। इसके अतिरिक्त साबुन, कापिया इत्यादि वस्तुओ पर पहले ही अधिक मूल्य अकित किया गया होता है। इस प्रकार का आदेश जनता के लिए पूर्ण उपयोगी नही रहा है फिर भी कम वजन या माप की शिकायतो मे अवश्य कमी हुयी है।

(झ) <u>बाट एव माप–मान अधिनियम–1976</u> -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश मे एक महत्वपूर्ण सुधार भार और माप की प्रणालियो मे एकरूपता के रूप मे आया है। भार एव मानक अधिनियम–1956 के अन्तर्गत मीट्रिक टन प्रणाली पर आधारित भार और माप के एक समान मानक बनाये गये। इस अधिनियम द्वारा बनाए गये मानक, इस सम्बन्ध मे राज्यो द्वारा बने कानूनो की व्यवस्था के अनुसार लागू किये गये। राज्यो ने इन कानूनो को लागू करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी विकसित की। नागरिक आपूर्ति विभाग मे भार और माप इकाई इस विषय से सम्बन्धित सभी गतिविधियो को देखने वाली एजेन्सी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार

---

28 दैनिक जागरण, वाराणसी–23 जुलाई, 1994

29 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–459

30 सरकार, समाज एव विपणन–मालवीय, हरिश्चन्द्र, किताब महल एजेन्सीज, इलाहाबाद–1990, पृष्ठ स0–160

भार एव माप की व्यवस्था बनाने तथा कुछ कमियो को दूर करने के लिए एक व्यापक कानून भार एव माप मानक अधिनियम–1976 लागू किया गया।[31]

इस अधिनियम का उद्देश्य तोल एव माप के मान को स्थापित करना तथा तोल, माप व अन्य वस्तुए जो तोल, माप या अक से बेची या वितरित की जाती है उनके अर्न्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का नियमन करना एव इनसे सम्बन्धित कार्य करना है। इस अधिनियम के मुख्य तत्व निम्नलिखित है–

1 तोल एव माप प्रमाणो की स्थापना – बाट एव माप की प्रत्येक इकाई मैट्रिक प्रणाली पर आधारित होगी। इसके लिए मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर, केलविन आदि को काम मे लाया जायेगा।

2 गैर–मान बाट, माप या अक के प्रयोग तथा उनके बनाने पर प्रतिबन्ध – इस अधिनियम के अधीन गैर मान के बाट व माप के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे बाट व माप बनाने पर रोक भी लगा दी गयी है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने के लिए मूल्य गैर मान के बाट एव माप मे नही बता सकता, न वस्तुओ पर इस प्रकार का तथ्य अकित ही कर सकता है और न ही इसका कैशमेमो, बिल या बीजक आदि बना सकता है। यदि कोई परम्परा, रीति या तरीका ऐसा है जिसमे मान से कम या अधिक वस्तु की माँग की जाती है या वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है तो इस प्रकार की माँग या सुपुर्दगी व्यर्थ होगी। यदि कोई व्यक्ति बाट, माप या अक बनाता है, बेचता है या वितरित करता है या उसकी मरम्मत करता है तो उसको इस प्रकार के वितरण, विक्रय या मरम्मत का लेखा–जोखा रखना अनिवार्य है।

(3) मान उपकरणो का सत्यापन – प्रत्येक माप पर प्रमाणित होने की मुहर लगवाना आवश्यक है। यह मुहर निर्धारित अधिकरण द्वारा निश्चित फीस लेकर लगायी जायेगी। यदि किसी मान पर मुहर नही लगी है तो उसका प्रयोग वर्जित है। सभी प्रयोग मे आने वाले मापो व बाटो पर एक निश्चित समय के बाद मुहर लगवाना अनिवार्य है।

4 सरकरी अधिकारियो के अधिकार – इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर उचित समय मे प्रवेश कर सकता है तथा तौल, माप या उससे सम्बन्धित रिकार्ड को अपने कब्जे मे ले सकता है जहाँ पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कार्य किये जाने की सम्भावना हो इस प्रकार का यदि कोई भी अप्रमाणित तौल या माप पाये जायेगे तो उसको केन्द्रीय सरकार जब्त कर सकती है।

5 दण्ड – धारा–50 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानको केमापो व बाटो का

---

31 भारत–1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–459

उपयोग नही करता तो उसको इस प्रकार का कार्य पहली बार करने पर छ माह की सजा या एक हजार रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है, परन्तु दुबारा या बाद के अपराधो पर 2 वर्ष की सजा या 5,000 रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है।[32]

सविधान मे बयालीसवे सशोधन से माप व भार परिपालन का विषय समवर्ती सूची मे आ गया था। इस परिपालन को पूरे देश मे एक समान बनाने के लिए माप व भार मानक(परिपालन) अधिनियम–1985 नामक सघीय कानून लाया गया। इसमे ऐसे माप, भार तथा इनमे इस्तेमाल होने वाले उपकरणो एव यन्त्रो पर प्रभावी कानूनी नियन्त्रण की व्यवस्था है। जिनका उपयोग वाणिज्यिक कारोबार,औद्योगिक उत्पादन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व मानव सुरक्षा मे होता है। मत्रालय द्वारा जारी समान प्रस्तावित नियमो को अधिकाश राज्यो ने अधिसूचित कर दिया है। कुछ राज्य ऐसा करने वाले है।[33]

(ज) <u>उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986</u> :-

उपभोक्ता के हितो की देखभाल करना तथा उसके हितो की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ही उपभोक्ता सरक्षण कहलाता है। प्रभावशाली उपभोक्ता सरक्षण हेतु व्यवसायी, सरकार तथा उपभोक्ता तीनो को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत मे उपभोक्ता सरक्षण के लिए सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रयास किये गये, पहला– पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एव विस्तार ताकि उत्पादन बढाकर, उत्पादन एव पूर्ति मे समन्वय स्थापित कर, उचित मूल्य पर वस्तुए या सेवाए उपलब्ध कराकर, निजी एकाधिकार को नियन्त्रित कर, वितरण व्यवस्था मे सुधार लाकर उपभोक्ता के कल्याण की अभिवृद्धि की जा सके। दूसरा– सरकार ने वस्तुओ या सेवाओ के उत्पादन,पूर्ति,वितरण,मूल्य तथा गुणवत्ता की व्यवस्था मे सुधार लाने के लिए कई अधिनियम पारित किया है। तीसरा– उपभोक्ता की कठिनाइयो को दूर करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किया है।

उपभोक्ता सरक्षण हेतु इस अधिनियम से पूर्व सरकार द्वारा किये गये प्रयासो को निष्फल तो नही कहा जा सकता परन्तु इन प्रयासो का परिणाम आशानुरूप नही रहा है। जन उपयोगी सेवाओ के क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र लगभग एकाधिकार की स्थिति मे होने के बावजूद इनका निष्पादन सन्तोषजनक नही रहा। कुछ कानून जैसे, एकाधिकार एव प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम आदि सार्वजनिक उपक्रमो की दशा मे लागू नही होते और जो लागू भी होते है उनकी जटिल प्रक्रिया के कारण इनका सदुपयोग नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओ की रक्षा के लिए अन्य बहुत से अधिनियम उपलब्ध है, परन्तु इन

---

32 विपणन,विक्रय कला एव विज्ञापन–जैन,एस सी ,साहित्य भवन आगरा–1994,पृष्ठ सख्या–161

33 भारत–1993,सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या–460

अधिनियमो के जटिल प्रक्रिया के कारण इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध प्रावधानो का प्रभावी क्रियान्वयन एव अनुपालन नही हो पाया। इससे प्रभावित होकर सरकार ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण एव प्रभावकारी अधिनियम 'उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986' पारित किया है।

उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986, 24 दिसम्बर, 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम मे इस बात के लिए प्रावधान किये गये है कि उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए उपभोक्ता परिषदो का गठन किस प्रकार किया जायेगा। उपभोक्ता से सम्बन्धित विवादो के निपटारे के लिए इस अधिनियम मे अधिकारयुक्त अभिकरणो के गठन की व्यवस्था भी की गई है।इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत् है–

(अ) <u>अनुचित व्यापार व्यवहार</u> – इस अधिनियम के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का आशय वही है जो एकाधिकार एव प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम–1969 की धारा–36(ए) मे वर्णित है। धारा–36(ए) के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार से आशय उस व्यवहार से है जिसके द्वारा किसी वस्तु के पूर्ति, प्रयोग या विक्रय बढाने या सेवाओ के प्रावधान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मे से कोई भी कार्य किया गया हो तथा जिससे वस्तुओ तथा सेवाओ से उपभोक्ता को हानि अथवा चोट पहुँची हो, चाहे प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा अन्यथा किया गया हो–[34]

(1) विवरण देने का व्यवहार चाहे वह लिखित या मौखिक रूप से दिया गया हो अथवा देखे जाने वाले प्रतिबन्धात्मक कार्य किये गये हो जिसमे–

1 गलत वर्णन किसी विशेष प्रकार के प्रमाप, गुण, स्तर, ढॉचे, प्रतिरूप अथवा शैली के सम्बन्ध मे है।

2 गलत वर्णन करके कि, सेवाए किसी विशेष प्रकार के प्रमाप गुण अथवा स्तर की है।

3 किसी वस्तु को पुनर्निर्मित, द्वितीय स्तर की, नवीनीकरण करके या पुरानी वस्तु को गलत वर्णन करके नई वस्तु के रूप मे प्रस्तुत किया गया हो।

4 यह वर्णन करके कि वस्तुए अथवा सेवाए प्रायोजकता, स्वीकृत निष्पादन, विशेषताए, सहायक औजार, प्रयोग अथवा लाभ से परिपूर्ण है जो कि सामान्यतया इस प्रकार की वस्तुए नही रखती है।

5 यह वर्णन किया जाता है कि विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता, स्वीकृति अथवा मान्यताप्राप्त है जो कि अभी तक इस प्रकार के विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता के पास नही था।

6 वस्तुओ या सेवाओ की उपयोगिता अथवा आवश्यकता के बारे मे गलत या भ्रामक वर्णन किया जाता है।

7 जनता को किसी वसतु अथवा उत्पाद के जीवन काल, प्रभाव या निष्पादन के बारे मे कोई गारण्टी दी गई हो लेकिन व्यवहार मे ऐसी गारण्टी बिना किसी पर्याप्त अथवा अपर्याप्त परीक्षण के दी गई हो।

---

34 राज्य एव व्यवसाय–जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद–1991 पृ स-469

8 जब जनता को इस प्रकार गलत वर्णन करके यह गारण्टी या आश्वासन दिया जाता है कि वस्तु के एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने से पहले किसी प्रकार के दोष आने पर उस वस्तु की मरम्मत अथवा उसको बदल दिया जायेगा जबकि व्यवहार मे ऐसा कार्य न किया गया हो।

9 पदार्थरूप मे वस्तु के मूल्य के बारे मे जनता को भ्रमित किया गया हो।

10 दूसरे व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली वस्तु को घटिया बताना अथवा उसके बारे मे गलत या भ्रामक तथ्य देना।

(2) समाचार पत्रो मे किसी वस्तु को विक्रय अथवा पूर्ति करने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया जाता है जबकि बाजार की प्रकृति, व्यवसाय का आकार एव प्रकृति तथा विज्ञापन को देखते हुए इस बात का पता चलता है कि वस्तुओ अथवा सेवाओ को उस मूल्य पर देने का कतई विचार नही था।

(3) इस बात की अनुमति दी जाती है कि–

(अ) उपहार, पुरस्कार अथवा अन्य वस्तुओ का प्रस्ताव किया जाना, जबकि ऐसा देने का कोई विचार नही है अथवा इस प्रकार की भावना विकसित की जा रही है कि कुछ वस्तुए नि शुल्क दी जा रही है, जबकि उनका मूल्य लेन–देन वाले मूल्य मे पहले से शामिल है,

(ब) व्यवसाय हित अथवा उत्पाद की पूर्ति, प्रयोग या बिक्री, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढाने के लिए किसी प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल या अवसर का खेल सगठित करना।

(4) वस्तुओ के विक्रय या पूर्ति की अनुमति देना जिनको कि उपभोक्ताओ द्वारा प्रयोग किया जाता है, इस बात को जानते हुए कि जो वस्तु बेची जा रही है वह सक्षम अधिकारी द्वारा स्तर, गुण निर्माण, प्रतिरूप आदि को पूरा नही करती है और जिससे उपभोक्ताओ को हानि या चोट पहुँचने की आशका है।

(5) ऐसी वस्तुओ की जमाखोरी करना अथवा विनिष्टता को बढावा देना जिन्हे कि विक्रय के लिए उपलब्ध किया जाता है इस आशय से कि उस वस्तु अथवा उसी तरह की अन्य वस्तुओ का मूल्य बढ जाना है।

(ब) <u>उपभोक्ता सरक्षण परिषदे –</u> इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए सरक्षण परिषदो के गठन का प्रावधान किया गया है। ये परिषदें निम्न दो प्रकार की होती है–

1 <u>केन्द्रीय उपभोक्ता सरक्षण परिषद –</u> धारा–4(2) के अनुसार इस परिषद मे निम्न सदस्य होगे–

1 केन्द्रीय सरकार के खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मन्त्री इस परिषद के अध्यक्ष होगे।

2 विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यो की नियुक्ति की जायेगी, जिनकी सख्या सरकार निर्धारित करेगी।

यह परिषद वर्ष मे कम से कम तीन बार अपनी बैठक बुलायेगी।

<u>केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य –</u> धारा–6 के अनुसार यह परिषद उपभोक्ताओ के अग्रलिखित अधिकारों

की रक्षा एव प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करेगी–

1 जीवन एव सम्पत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओ के विपणन के विरुद्ध सरक्षित होने का अधिकार।

2 वस्तुओ के मूल्य, प्रमाप, शुद्धता, क्षमता, मात्रा तथा गुण आदि के बारे मे सूचित होने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके।

3 प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यो पर वस्तुओ की विभिन्न किस्मो तक यथासम्भव पहुँच को सुनिश्चित करने का अधिकार।

4 उपयुक्त स्तरो पर उपभोक्ता हितो पर ध्यान देने को सुनिश्चित एव अपनी बात कहने का अधिकार।

5 अनुचित व्यापार व्यवहार या धोखाधडी से उपभोक्ताओ के शोषण के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने का अधिकार।

6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

2 **राज्य उपभोक्ता सरक्षण परिषद –** राज्य सरकारे आदेश जारी करके राज्य उपभोक्ता सरक्षण परिषद का गठन करेगी। सरकार परिषद के लिए सदस्यो की सख्या का निर्धारण समय–समय पर अपने आदेश द्वारा करेगी। धारा–7 मे वर्णित राज्य मे उपभोक्ता के अधिकारो की रक्षा एव प्रवर्तन का कार्य राज्य परिषदे देखेगी।

(स) उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण – धारा–9 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निम्न अभिकरणो का गठन किया जायेगा–

(क) उपभोक्ता विवाद निवारण मच – इसकी स्थापना 'जिला मच' के नाम से राज्य के प्रत्येक जिले मे राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर की जायेगी।

(ख) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग–इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर की जायेगी जिसे 'राज्य आयोग' के नाम से जाना जायेगा।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग – इसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।

(क) जिला मच की सरचना –1 धारा–10 के अनुसार प्रत्येक जिला मच मे निम्नलिखित सदस्य होगे–

1 एक व्यक्ति जो जिला जज हो अथवा जिला जज के योग्य हो का नामाकन राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप मे किया जायेगा।

2 एक व्यक्ति जो शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र मे ख्याति प्राप्त हो।

3 एक सामाजिक कार्यकर्ता।

2. जिला मच का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तक पदधारण करेगा और ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के योग्य नही होगे।

3. सदस्यो का वेतन अथवा मानदेय तथा अन्य भत्तो का निर्धारण तथा सेवा शर्तो का नियमन राज्य सरकार करेगी।

<u>जिला मच का कार्यक्षेत्र –</u> अधिनियम के अन्य प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए जिला मच 1 लाख रुपये तक के वस्तुओ अथवा सेवाओ तथा क्षति पूर्ति के दावो के सम्बन्ध मे शिकायतो को देखेगा। स्थानीय सीमा के अन्तर्गत आने वाली शिकायते जिला मच को प्रस्तुत होगी।

(ख) <u>राज्य आयोग की सरचना –</u>1 धारा –16 के अनुसार प्रत्येक राज्य आयोग मे निम्न व्यक्ति इसके सदस्य होगे–

1 एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति राज्य सरकार अध्यक्ष के रूप मे करेगी।

2 दो अन्य सदस्य जो योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस प्रकार के सदस्यो मे से एक महिला सदस्य होगी।

2. इस प्रकार के सदस्यो का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एव अन्य भत्तो का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

<u>राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र –</u> अधिनियम के अन्य प्रावधानो को देखते हुए राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र निम्न होगा–

(अ) उन शिकायतो एव विवादो का निपटारा करना जो वस्तुओ अथवा सेवाओ के एक लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक के मूल्य से सम्बन्धित है अथवा क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है तथा जिला मच के आदेशो के विरुद्ध अपील सुनना, और

(ब) ऐसे उपभोक्ता विवादो के अभिलेख को मँगाना तथा आवश्यक आदेश जारी करना जो जिला मच के समक्ष विलम्बित है, अथवा उनके द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है और राज्य आयोग ऐसा समझता है कि जिला मच ने कानून द्वारा दिये गये अधिकारो का अतिक्रमण किया है अथवा कार्यक्षेत्र अवैधानिक है अथवा इसमे किसी विशेष प्रकार की त्रुटि हो गयी है।

(ग) <u>राष्ट्रीय आयोग की सरचना –</u>(1) धारा–20 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग मे निम्न सदस्य होगे–

1 एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप मे की जायेगी। यह महत्वपूर्ण है कि यदि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जज को आयोग

मे नियुक्त किया जा रहा है तो नियुक्ति के बारे मे मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सलाह लेनी आवश्यक होगी।

2 चार अन्य सदस्य जा योग्य, सत्यनिष्ठ एव प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस प्रकार के सदस्यो मे एक महिला सदस्य होगी।

(2) इस प्रकार के सदस्यो का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एव अन्य भत्तो का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

<u>राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र –(अ)</u> उन शिकायतो एव वादो का निपटारा करना जो शिकायते ऐसी वस्तुओ अथवा सेवाओ से सम्बन्धित है जिनका मूल्य या क्षति पूर्ति 10 लाख रुपये से अधिक हो तथा राज्य आयोग के आदेशो के विरुद्ध अपीलो को सुनना, और

(ब) ऐसे उपभोक्ता विवादो के अभिलेख को मँगाना तथा आवश्यक निर्णय अभिनिर्णीत करना जो राज्य आयोग के समक्ष विलम्बित है अथवा उसके द्वारा दिया गया निर्णय है ओर राष्ट्रीय आयोग ऐसा समझता है कि राज्य आयोग ने प्रदत्त अधिकारो अथवा कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया है अथवा निर्णय मे किसी विशेष प्रकार की त्रुटि की है।

1993 के सशोधन के अनुसार रेलवे, विद्युत, डाकतार, बैंकिंग व स्वास्थ्य आदि सेवाओ को भी उसकी परिधि मे ले लिया गया है।[35]

(द) <u>शिकायतकर्ता ओर उसको प्राप्त होने वाली राहते –</u> उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निम्न मे से कोई भी शिकायतकर्ता हो सकता है–

1 एक उपभोक्ता या कोई ऐच्छिक उपभोक्ता सघ जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 या कम्पनी अधिनियम–1956 या किसी लागू अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत है।

2 केन्द्रीय सरकार,

3 राज्य या केन्द्र शासित सरकार।

इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत से अर्थ शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत से है जो निम्न मे से किसी एक या अधिक से सम्बन्धित है–

1 किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने से उसे हानि या हर्जाना हुआ है,

2 शिकायत मे जिस माल का जिक्र है उसमे एक या अधिक कमियाँ है,

3 शिकायत मे जो सेवाए लिखी है उनमे कमी है,

4 व्यापारी ने शिकायतकर्ता से उस मूल्य से अधिक मूल्य लिया है जो माल पर लिखा है या माल

---

35 विपणन विक्रय कला एव विज्ञापन–जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा–1994, पृष्ठ सख्या–173

के पैकेट पर लिखा है या जो कानून मे निर्धारित किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने का तरीका साधारण है। वह अपनी शिकायत बिना फीस दिये उचित स्तर पर कर सकता है अर्थात् दावा करने की कोई फीस नही है। शिकायत स्वय दी जा सकती है या फिर भेजी जा सकती है। शिकायत सुनने के बाद शिकायतकर्ता को निम्न राहत मिल सकती है-

1 प्रतिवादी को कमी दूर करने के लिए कहा जा सकता है,

2 माल को बदलने के लिए कहा जा सकता है,

3 मूल्य वापस करने के लिए कहा जा सकता है, और

4 हानि की क्षति पूर्ति के लिए कहा जा सकता है।

जिला स्तर के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर, कोई भी पक्ष राज्य स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। राज्य स्तर के विरुद्ध अपील 30 दिन के अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है।

किसी भी स्तर पर अपील करने की कोई फीस नही लगती है। अपीलो के शीघ्र निबटारे के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है जो प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तरो की सुनवाई प्रारम्भ होने के पहले दिन से 90 दिन है। जिला मच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये निर्णय निश्चित समय के अन्दर अपील न होने पर अन्तिम निर्णय माने जायेगे ओर उनका क्रियान्वयन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयो मे होता है।

(य) **<u>अधिनियम की कमियाँ एव सुझाव</u>** – समय की माँग को देखते हुए भारत मे भी उपभोक्ता अपने अधिकारो के प्रति सरकार के सहयोग से सजग हुआ है, परन्तु उपभोक्ता सरक्षण हेतु बनाया गया यह कानून भी पूर्ण नही है, जैसे–कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय इस अधिनियम की धारा–14 की व्याख्या मे एक निवेशक को उपभोक्ता नही माना गया है जब तक कि अश/यूनिट निवेशक को आवण्टित न कर दी गयी हो।[36] अत एक निवेशक को इस अधिनियम का लाभ नही मिल सकता।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडी एक स्थायी ससदीय समिति ने अगस्त–1994 मे सदन मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे निम्न तथ्य प्रस्तुत किये है जिससे इस अधिनियम के अनुपालन मे आ रही समस्याये स्वत उजागर होती है–

* जिला उपभोक्ता अदालतो मे लगभग 3 5 लाख मुकदमे लम्बित है। ये अदालते मुश्किल से औसतन 35 प्रतिशत मुदकमे निबटा सकी है।

---

36 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 18 अगस्त–1994

* लगभग 16 प्रतिश मुकदमे तकनीकी कारणो से खारिज हो जाते है।

* राज्य आयोग के 54 प्रतिशत मामले तथा जिला अदालतो के 41 प्रतिशत मामले फैसले की प्रतीक्षा मे लम्बित है।[37]

इस प्रकार यदि न्याय पाने मे इतना विलम्ब होता है तो सामान्य न्याय प्रक्रिया एव उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम की न्याय प्रक्रिया मे कोई अन्तर नही रह जायेगा तथा उपभोक्ता कुठित जीवन–यापन के लिए बाध्य होगा।

अत इस अधिनियम के प्रावधानो को निम्नलिखित सुझावो के माध्यम से और प्रभावी बनाया जाना चाहिए–

* अधिनियम के उपभोक्ता की परिभाषा मे निवेशक को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपना धन किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियो मे विनियोजन हेतु प्रस्तुत करता है तथा जिसे प्रतिभूति का आवण्टन नही किया जा सका है। अन्यथा उसे इस अधिनियम की व्यवस्थाओ का लाभ अर्थात् सरल न्याय प्रक्रिया से कोई लाभ नही होगा।

* सदस्यो की नियुक्ति मे राजनैतिक हस्तक्षेप नही होना चाहिए केवल अनुभवी एव योग्य व्यक्ति ही सदस्य बनाये जाने चाहिए।

* उपभोक्ता को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी समस्याओ के निदान के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित मच या आयोग का सहयोग ले अथवा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानो का सहारा ले।

* उपभोक्ताओ के लिए क्षति पूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ मे आवश्यक प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

* मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देख–रेख के लिए प्रत्येक जिले मे गठित किये जाने वाले प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षो मे ही एक अनुभाग उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपील पर सुझाव हेतु बनाया जाना चाहिए जिसमे सरसरी तौर पर पीडित उपभोक्ता को इसबात की जाँच करवाने की व्यवस्था हो कि मामले तकनीकी आधार पर भविष्य मे खारिज तो नही होगे।इससे इन अदालतो मे एक ओर लम्बित विवादो की सख्या मे कमी लायी जा सकेगी और दूसरी ओर तकनीकी आधार पर खारिज होने वाले विवादो का प्रतिशत भी कम हो जायेगा।

* वातावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक उपायो की भी व्यवस्था इस अधिनियम मे की जानी चाहिए। इससे जल, वायु तथा ध्वनि से सम्बन्धित प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

---

37 नवभारत टाइम्स–नई दिल्ली, 30 अगस्त–1994

* यदि किसी भी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार मे आ जाती है तो उसे तुरन्त जब्त करने का अधिकार प्रशासनिक तन्त्र को दिया जाना चाहिए। इसके लिए अधिनियम मे अभी तक कोई व्यवस्था नही की गई है।

* शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे जनता मे उपभोक्ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जागृति की जा सकेगी।

* इस अधिनियम के प्रावधानो को लागू करने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनो को समन्वित ढग से कार्य करने की आवश्यकता है। इससे उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ आधार दिया जा सकेगा।

यद्यपि इस अधिनियम के समस्त प्रावधानो को लागू कर दिया गया है परन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कार्यान्वयन कितने प्रभावशाली ढग से किया जाता है। इसके लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है तथा सभी एजेन्सियो, उपभोक्ता सघो तथा सम्बद्धअन्य सघो को आगे आकर सरकार की इस दिशा मे सहायता करनी होगी।

(ट) **भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश–1992** -

पूँजी बाजार की अनियमितताओ को दूर करके इसे एक स्वस्थ वातावरण मे परिचालित होने देने एव निवेशको के हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 1987–88 के बजट मे "भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड" नामक सस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी जिसके अनुरूप 12 अप्रैल,1988 मे एक गैर–साविधिक निकाय के रूप मे 'भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड'(एस ई बी आई– सेबी) का गठन किया गया। 30 जनवरी,1992 को एक अध्यादेश जारी करके "सेबी" को पूर्ण अधिकार प्राप्त साविधिक निकाय के रूप मे स्थापित कर दिया गया। 4 अप्रैल,1992 को 'सेबी' अधिनियम–1992 पारित किया गया। इसका मुख्यालय बम्बई मे है तथा तीन क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता,दिल्ली एव मद्रास मे है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डा0 एस0एस0 नाडकर्णी है।[38]

(अ) उद्देश्य – अधिनियम की प्रस्तावना मे इसके उद्देश्यो को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि सेबी का उद्देश्य निवेशको के हितो की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढावा देना एव उसे विनियमित करना तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलो व घटनाओ पर नजर रखना है।इस प्रकार सेबी के निम्न उद्देश्य वर्गीकृत किये जा सकते है–

1 अशो के दलालो, उप दलालो, इनके हस्तान्तरण अभिकर्ताओ, निर्गम के बैकरो, निर्गम के

---

38 प्रतियोगिता दर्पण– अप्रैल,1994,स्वदेशी बीमा नगर,आगरा,पृष्ठ सख्या–1191

न्यासियो, पजीयको, मर्चेन्ट बैकर्स, अभिगोपको तथा प्रतिभूति बाजार के अन्य समस्त मध्यस्थो का पजीकरण करना एव उनके कार्यकलापो को विनियमित करना।

2 देश के समस्त स्कन्ध विपणियो एव अश बाजारो के समस्त कार्यों को विनियमित करना,

3 अश बाजारो से सम्बन्धित अनुचित एव धोखाधडी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना।

4 सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी एव निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डो सहित अन्य सामूहिक निवेश योजनाओ के कार्यकलापो को विनियमित करना।

5 प्रतिभूतियो के अन्तरग–व्यापार को नियन्त्रित एव विनियमित करना।

6 पूँजी बाजार मे कार्यरत विभिन्न मध्यस्थो को व्यापारिक गतिविधियो मे दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

7 कम्पनियो के अधिग्रहण एव किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा एक सीमा से अधिक अशो के खरीद को विनियमित करना।

8 पूँजी निर्गमन(नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 तथा प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम–1956 मे प्रदत्त अन्य अधिकारो का उपयोग करना।

(ब)**सेबी का सगठनात्मक ढाँचा** – इसके दिन–प्रतिदिन के कार्यो के लिए सेबी को निम्नलिखित पाँच विभागो मे बाँटा गया है–

1 प्राथमिक बाजार विभाग – इसमे नीति, मध्यस्थ, स्व–विनियमनकारी सगठन, निवेशको की कठिनाइयो तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्यो को सम्पन्न किया जाता है।

2 निर्गम प्रबन्धन एव मध्यस्थ विभाग – अश बाजार के समस्त मध्यस्थो के पजीकरण, विनियमन, मध्यस्थो से सम्बन्धित मामलो की समीक्षा एव समय–समय पर जारी किए गए निर्गमो के अभिलेखो की जाँच सम्बन्धी कार्य इस विभाग मे सम्पन्न होते है।

3 द्वितीयक बाजार विभाग – इस विभाग मे नीति, सचालन एव विनिमय प्रशासन, अश मूल्य की समीक्षा, बाजार खोज, अन्तरग व्यापार से सम्बन्धित कार्य किये जाते है।

4 छोटे स्कन्ध विपणियो से सम्बन्धित विभाग– देश के छोटे स्कन्ध विपणियो का प्रशासन तथा अन्य गैर–सदस्य मध्यस्थो जैसे–उप दलालो से सम्बन्धित मामलों का निबटारा इस विभाग मे किया जाता है।

5 सस्थागत निवेश विभाग – म्युच्युअल फण्डो तथा विदेशी सस्थागत निवेशको के सम्बन्ध मे नीति निर्माण नियन्त्रण एव विनिमय सम्बन्धी मामले तथा शोध व अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो की सदस्यता सम्बन्धी मामले इस विभाग मे आते है।

(स) **सेबी की वित्त व्यवस्था** – वर्ष 1988 मे एक गैर विधिक निकाय के रूप मे गठित भारतीय

प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रारम्भिक पूँजी 7 5 करोड रुपये थी, जो इसकी प्रवर्तक कम्पनियो– भारतीय औद्योगिक विकास बैक, भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बराबर–बराबर दी गई थी। सेबी द्वारा यह धनराशि निवेशित कर दी गयी थी। इस धनराशि स प्राप्त ब्याज की आय से "सेबी" के दिन–प्रतिदिन के कार्य सचालन सम्बन्धी व्यय पूरे किये जाते है।

(द) <u>सेबी के प्रावधान –</u> सेबी ने स्वस्थ पूँजी बाजार की व्यवस्था हेतु समय–समय पर अनेक प्रावधानो की घोषणा की है जिनका अनुपालन किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नवत् है–

1 <u>निर्गम जारी करने वाली कम्पनियो द्वारा बिना ब्याज देयताओ वाली आवेदन राशि के उपयोग पर नियन्त्रण –</u>इस प्रावधान के अन्तर्गत निवेशकर्ता को निर्गम के आवेदन पत्र के साथ बैको से क्रय किए गए 'स्टॉक–इन्वेस्ट' को लगाना होता है। यदि निवेशकर्ता को अश/ऋणपत्र आवण्टित हो जाते है तो उतनी धनराशि स्टॉक इन्वेस्ट जारी करने वाले बैक द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के खाते मे हस्तान्तरित कर दी जाती है।अन्यथा उस पूँजी पर निवेशक को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जहाँ निवेशक को अपनी पूँजी पर अश आवण्टित होने तक ब्याज प्राप्त होता रहता है, वही अश आवण्टित न होने पर उसके धन की वापसी भी सुनिश्चित हो जाती है।

2 <u>विवरणिका को स्पष्ट करना –</u>अब निर्गम जारी करने वाली कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियो का पूरा विवरण, पूर्व के निर्गमो का विवरण, भावी वायदे व उपलब्धियाँ, मूल्य एव प्रीमियम निर्धारण का औचित्य तथा जोखिम तत्वो का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियमो मे यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी स्तर पर यह पता चलता है कि निर्गम जारी करने वाली कम्पनी द्वारा विवरणिका मे कुछ बाते छुपायी गयी है तो उन्हे निवेशको को प्रतिभूतियाँ आवण्टित करते समय स्पष्ट करना होगा तथा निवेशको को यह छूट भी प्रदान करनी होगी कि नई जानकारी के आधार पर यदि वे अपनी पूँजी वापस लेना चाहे तो ऐसा कर सकते है।

3 <u>अश के मूल्य व प्रीमियम का निर्धारण –</u> सेबी के नवीन दिशा–निर्देशो के अनुसार भारतीय कम्पनियाँ अब अपने अश का मूल्य एव उस पर लिए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है, लेकिन शर्त यह है कि मूल्य व प्रीमियम सभी के लिए समान हो तथा इसकी सार्थकता को सिद्ध किया गया हो।

4 <u>मर्चेन्ट बैंकर्स के लिए आचार सहिता –</u> सेबी ने मर्चेन्ट बैकर्स के लिए एक आदर्श आचार सहिता जारी की है ताकि वे अपने कार्यकलाप निष्पक्षता एव सत्यनिष्ठा के उच्च आदर्शों व मानको के अनुसार सचालित कर सके। दिसम्बर, 1992 मे जारी किए गए प्रावधानो के अधीन उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रो को जारी करने एव उसका नवीनीकरण करने की शर्तों, पूँजी पर्याप्तता मानको, लेखो के सम्बन्ध मे

सेबी को व्यापक अधिकार प्राप्त होगे। इसमे मर्चेन्ट बैकर्स द्वारा प्रबन्धित निर्गम के मामले मे किसी भी प्रकार की गडबडी अथवा अनियमितता होने पर सीधे मर्चेन्ट बैकर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इस प्रकार की त्रुटियो पर सम्बन्धित मर्चेन्ट बैकर्स के 8 विन्दु हो जाने पर उनके पजीकरण को निलम्बित किए जाने अथवा उसके अधिकार पत्र को वापस लिए जाने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।

5 <u>अभिगोपको के लिए प्रावधान –</u> अब अभिगोपक के रूप मे कार्य करने के लिए न्यूनतम परिसम्पत्ति सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ–साथ सेबी ने सभी अण्डर राइटर्स को चेतावनी दी है कि निर्गम के गैर अभिदत्त भाग की खरीद मे किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर उनके पजीकरण को रद्द किया जा सकता है।

6 <u>अश दलालो पर नियन्त्रण –</u> यह सर्वविदित है कि 1992 का प्रतिभूति घोटाला मुख्यरूप से अश दलालो की काली करतूतो का परिणाम था। ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेबी द्वारा 1992 मे नये नियम और विनियम जारी किए गये है, जिनमे अश दलालो के पजीयन की शर्ते, सेबी को पजीयन शुल्क का भुगतान, समुचित अभिलेखो का रख–रखाव, अभिलेखो का सेबी के अधिकारियो द्वारा निरीक्षण तथा दोषी पाये जाने पर पजीयन निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रावधान दिए गए है।

7 <u>दलालो के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक –</u> सेबी ने अश बाजार दलालो के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक निर्धारित किए है, जिनके अनुसार किसी भी स्तर पर किसी भी दलाल का सकल व्यापार उसकी आधारभूत पूँजी तथा अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकताओ के 12 5 गुना से अधिक नही होना चाहिए। आधारभूत पूँजी से तात्पर्य दलालो द्वारा स्कन्ध विपणि के पास जमा कराई गई धनराशि से है। इस धनराशि मे 25 प्रतिशत नकद, 25 प्रतिशत बैक जमा, तथा 50 प्रतिशत स्वतन्त्र प्रतिभूतिया होती है।

8 <u>लेन–देन की पारदर्शकता –</u> नये प्रावधानो की अधीन दलालो को निर्देश दिया गया है कि ग्राहको द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियो के अनुबन्ध पत्रो मे अशो का मूल्य तथा दलाली की राशि अलग–अलग दर्शायी जानी चाहिए। सेबी ने स्कन्ध विपणियो को परिपत्र जारी कर स्कन्ध विपणियो को निर्देश दिया है कि वह दलालो को इस बात के लिए बाध्य करे कि वे ग्राहको के धन को पृथक खातो मे जमा करे।

9 <u>अन्तरग व्यापार –</u> भारतीय पूँजी बाजार मे कम्पनियाँ स्वय या उनके कर्मचारी प्राय अन्तरग व्यापार के द्वारा नियमित रूप से अशो के मूल्यो मे हेरा–फेरी करते है। इस व्यापार के अन्तरग व्यापार को रोकने के लिए 'सेबी' ने भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड(अन्तरग व्यापार) विनियमन, 1992 को अधिसूचित कर दिया है।

10 <u>म्यूच्युअल फण्डो पर सेबी का नियन्त्रण –</u> अस्सी एव नब्बे के दशक मे सार्वजनिक क्षेत्र

के बैको, जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा कम्पनियो ने अनेक म्युच्युअल फण्डो की स्थापना की जिनमे निवेशको को बैक से ऊँची दर पर प्रतिफल दिये जाने का आकर्षण दिया गया। सेबी ने (म्युच्युअल फण्ड) विनियमन, 1993 जारी करके सभी सरकारी एव निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डो को सेबी'के नियन्त्रण मे ले लिया गया है। ताकि इनके सचालन मानको तथा कार्यविधियो मे एकरूपता लायी जा सके। प्रावधान है कि म्युच्युअल फण्ड स्थापित करने वाली कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड रुपये होनी चाहिए जिसमे प्रायोजको का अभिदान कम से कम 40 प्रतिशत हो।

11 <u>वायदा कारोबार पर रोक –</u>'सेबी' ने 14 दिसम्बर, 1993 को वायदा कारोबार पर रोक लगाते हुए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व अहमदाबाद के स्कन्ध विपणियो को आदेश दिया है कि तात्कालिक प्रभाव से सभी सौदो मे सुपुर्दगी और भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए एव 'बदला' की सुविधा न दी जाए। यदि कोई दलाल इस आदेश को मानने से इन्कार करता है तो उसके बकाया सौदो को 'हवाला' बाजार मे नीलाम कर दिया जाए।

12 <u>**ऋणपत्र न्यासी बनने की प्रक्रिया मे सशोधन –**</u> अब भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड से पजीकरण का प्रमाणपत्र लिए बिना कोई भी ऋणपत्र न्यासी का कार्य नही कर सकता। ऋणपत्र धारको के हितो की सुरक्षा हेतु ऋणपत्र न्यासी पर अनेक उत्तरदायित्व डाले गये है। ऋणपत्रो को पूँजी बाजार मे बेचने के लिए जारी करने से पूर्व ऋणपत्र न्यासी को एक कम्पनी के साथ न्यास सन्धि करनी होगी जिसमे ऋणपत्र धारको के शिकायतो को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रावधान करने होगे। दोनो मिलकर यह सुनिश्चित करेगे कि ऋणपत्रो के पुनर्भुगतान अथवा उनके अशो मे बदले जाने मे ऋणपत्र धारको को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(य) <u>कमियॉ –</u> भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड के नये अध्यादेशो ने भारतीय पूँजी बाजार की अनेक कमियो का पता लगाकर उनके निराकरण हेतु सार्थक उपाय किए है। पूँजी बाजारो मे कार्यरत सभी प्रकार के मध्यस्थो की गतिविधियो का यथासम्भव नियन्त्रण एव विनियमन किया है, फिर भी कुछ मामलो मे 'सेबी' को यथोचित सफलता प्राप्त नही हो पाई है।

इसे सबसे कम सफलता निवेशको की दिन–प्रतिदिन की समस्याओ, जैसे–निर्गम जारी करने वाली कम्पनियो से प्रमाण पत्र तथा वापसी आदेश प्राप्त न होना, लाभाश आदि का भुगतान प्राप्त न होना इत्यादि का निराकरण करने मे ही मिली है। वर्ष 1993 के प्रथम 9 माह मे 'सेबी' को लगभग 4 लाख शिकायते निवेशको की ओर से प्राप्त हुई जिसमे से केवल 1 6 लाख शिकायतो का निराकरण हो पाया। इस प्रकार लाखो शिकायते बोर्ड मे लम्बित है।[39] इस मामले मे 'सेबी' की शक्तियॉ सीमित है। निवेशक की किसी भी

---

39 प्रतियोगिता दर्पण–अप्रैल, 1994, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा, पृष्ठ सख्या–1193

शिकायत का निराकरण न करने की दशा मे दोषी कम्पनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार सेबी' क पास नही है। यह अधिकार अभी भी भारत सरकार के कम्पनी मामलो के विभाग के पास ही है।

कुछ अन्य मामलो, विशेष रूप से अश बाजार मे कार्यरत विभिन्न मध्यस्थो की कार्यप्रणाली मे समय–समय पर परिवर्तन करने तथा तदनुसार दिशा निर्देश जारी करने मे 'सेबी' की कार्य प्रणाली की आलोचना की जाती है। अश कारोबार से जुडे कुछ लोगो का मानना है कि 'सेबी' अश बाजार मे कार्यरत मध्यस्थो को विश्वास मे लिए बिना एक पक्षीय निर्णय लेकर नियमो मे परिवर्तन करके अचानक ही सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देती है। जब इन निर्णयो का विरोध होता है तब इसमे सशोधन कर दिये जाते है।

(र) <u>सुझाव –</u> नि सन्देह अपनी स्थापना के प्रथमतीन वर्ष मे ही 'सेबी' ने एक सुसगठित एव विनियमित पूँजी बाजार उपलब्ध कराया है। भारतीय पूँजी बाजार पर भारतीय एव विदेशी दोनो के निजी एव सस्थागत निवेशको का विश्वास बढा है। 'सेबी' ने इनके अधिकारो के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई है। आने वाले समय मे भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से भूमण्डलीकरण होने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी दशा मे 'सेबी' की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी अत उसे सम्पूर्ण पूँजी बाजार के कारोबार पर तीक्ष्ण एव दूरगामी दृष्टि रखते हुए ऐसे उपाय करने होगे। जो निवेशको के हितो की रक्षा के साथ–साथ देश के सर्वागीण विकास मे योगदान दे सके। इसके लिए 'सेबी' को अपने कार्यप्रणाली मे गुणात्मक सुधार लाना होगा तथा अपनी भूमिका को पर्यवेक्षण व नियन्त्रण सस्था के साथ–साथ परामर्शदात्री सस्था के रूप मे विकसित करना होगा साथ ही साथ इस साविधिक सस्था को किसी भी मामले पर निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पक्षो पर विस्तृत विचार विमर्श करना होगा। निश्चय ही इन प्रयासो से भारतीय पूँजी बाजार अपने वास्तविक उद्देश्यो को पूरा कर पायेगा।

पंचम्-सर्ग

समस्याएं एवं सुझाव

पचम–सर्ग

समस्याए एव सुझाव

समतावादी समाज की स्थापना मे प्रयासरत आज के विश्व की समस्त सरकारो के लिए, देश के सन्तुलित आर्थिक एव व्यावसायिक विकास हेतु व्यापारिक क्रियाओ मे स्वय की भागीदारी अपरिहार्य हो गयी है। विश्व के आर्थिक परिदृश्य मे हो रहे तीव्र परिवर्तन, पूँजीवादी एव समाजवादी देशो के रिश्तो मे तेजी से आ रहे परिर्वतन तथा बढ रहे व्यापारिक भूमण्डलीकरण के दौरान विश्व बाजार मे अपने उतपादो को प्रस्तुत करने तथा उनकी उपयोगिता को सिद्ध करने की चुनौती, विश्व के अधिकाश देशो के समक्ष खडी है। स्पष्ट है कि आने वाले समय मे देश एव समाज के बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढता के लिए व्यापार की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी।

व्यापारिक क्रियाओ मे उत्पादक, उपभोक्ता, समाज एव सरकार सभी का हित विद्यमान होता है। व्यापारिक क्रियाओ से सम्बद्ध समस्त पक्षो के हित की सुरक्षा का अधिक दायित्व तुलनात्मक रूप से सरकार का ही होता है। इस पवित्र एव कठोर उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ही कल्याणकारी सरकारे व्यापारिक क्रियाओ मे हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार सरकार या तो स्वय व्यापारिक क्रियाओ मे भाग लेती है अथवा व्यापारिक क्रियाओ मे विभिन्न अधिनियमो के माध्यम से नियन्त्रण रखती है। किन्तु व्यापार मे राजकीय हस्तक्षेप उसकी स्वतन्त्रता एव मुक्ति हनन मे खतरनाक राजनैतिक एव सामाजिक मशाओ की सम्भावनाए भी प्रकट करता है। कई बार राजकीय हस्तक्षेप विशिष्ट दशाओ के अन्तर्गत आर्थिक विकास मे बाधा डालता है और आर्थिक गतिहीनता एव गिरावट का कारण बन जाता है। सम्भवत इसी समायोजन हेतु भारत की वर्तमान सरकार ने आर्थिक एव व्यापारिक उदारीकरण के अनेक पैकेजो की घोषणा की है तथा कई व्यापारिक नियन्त्रणो मे ढील दी गयी है।

नि सन्देह वर्तमान भौतिकवादी युग मे अर्थ की प्रधानता ने स्वार्थ को सर्वोपरि बना दिया है तथा नैतिक मूल्यो का ह्रास होता जा रहा है। व्यापारी वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न निन्दनीय कृत्यो द्वारा उपभोक्ताओ का बहुविधि शोषण करता हुआ सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। देश के कोने–कोने मे बिखरा हुआ उपभोक्ता, सगठन शक्ति के अभाव मे व्यापारी वर्ग द्वारा किये जा रहे उसके शोषण को परिस्थितिजन्य मानकर एक मूक दर्शक के रूप मे स्वीकार करता है। फलस्वरूप अनन्य नियमो एव नियन्त्रणो के बावजूद व्यापारी वर्ग विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्यो मे लीन रहता है। उपभोक्ताओ मे जागरूकता तथा उनमे व्यवस्थित सगठन के बिना उपभोक्ता के हितो की रक्षा असम्भव प्रतीत होती है। राष्ट्रीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता का सरक्षण करना है। कभी–कभी सरकार द्वारा व्यापार मे अपनी भागीदारी निभाने के बाद भी उपभोक्ता सन्तुष्ट नही हो पाता। सरकार द्वारा व्यापार मे भाग

लेने के सम्बन्ध मे जो नीतियाँ निर्धारित की जाती है उनका सफल क्रियान्वयन न हो पाने के कारण राज्य की व्यापार मे भागीदारी का कोई महत्व नही रह जाता है।

भारत मे ही नही बल्कि विदेशो भी व्यापारिक समुदाय स्वतन्त्रत व्यापार का पक्ष धर रहा है। राजकीय व्यापार जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है परन्तु व्यापारी वर्ग इस मान्यता मे बिल्कुल विश्वास नही करता। सरकार ने समय–समय पर अनेक नियमो एव विनियमो के माध्यम से व्यापारिक व्यवहार मे परिवर्तन करने का प्रयास किया परन्तु ऐसे परिवर्तन का विरोध हमेशा किया गया। हमारे देश के व्यापारियो ने सदैव अवसर का लाभ उठाया है। अनेको बार वह जनहित की अवहेलना करने मे भी नही चूका है। हालात् यह है कि राजकीय हस्तक्षेप और कठोर कानूनी व्यवस्था के बावजूद व्यापारी वर्ग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति मे विलम्ब नही करता, फिर भी राजकीय हस्तक्षेप के अभाव स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति की क्या कल्पना की जा सकती है? सम्भवत इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नही कर सकता कि निजी हितो की अपेक्षा सार्वजनिक हित कही अधिक महत्वपूर्ण एव आवश्यक है।

हमारे देश मे विपणन के पर्याप्त कानूनी नियमन और नियन्त्रण के बाद भी व्यापारिक वातावरण समाज के अनुकूल नही रहा है। इसका मुख्य कारण कानूनो के सख्यात्मक विस्तार की तुलना मे उनका कार्यान्वयन उपेक्षित रहना है। अनेक कानूनो मे कुछ छिद्र है जिनके कारण व्यवसायियो को अनैतिक व्यवहार करने का रास्ता मिल जाता है। वास्तव मे व्यापार मे राजकीय भागीदारी, जो कि व्यापारिक कानूनो मे हस्तक्षेप के माध्यम से भी सम्पन्न होती है, का स्पष्ट उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से हितकारी प्रवाहो को नियमित करने के लिए प्रमाप निश्चित करना तथा निर्धारित प्रमापो की व्याख्या करना और व्यापारिक गतिविधियो का मार्गदर्शन करना होना चाहिए, जिससे कि सरकार व्यापारिक गतिविधियो पर बाछित नियन्त्रण कर सके।

उपभोक्ता वस्तुओ के वितरण प्रणाली को सुगम बनाने तथा समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओ को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओ को उनकी आवश्यकता की वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा देश मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है जिससे कि जनकल्याण मे वृद्धि की जा सके। परन्तु व्यावहारिक रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब उपभोक्ताओ की आकाक्षाओ एव आवश्यकताओ को पूरा करने मे विफल रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओ को न तो अच्छी वस्तुए मिल पाती है और न ही अधिकतम सन्तुष्टि। इसका कारण यह है कि वास्तव मे इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओ को जो भी वस्तुए प्राप्त होती है उनकी गुणवत्ता इतनी कम होती है कि उसका उपभोग करना सम्भव प्रतीत नही होता।

भारत मे गरीबी चरम सीमा पर है तथा आय की असमानता के दुष्परिणामस्वरूप समाज का बडा-

वर्ग गरीब है। न्यूनतम आय के कारण वह उचित मूल्य की दुकानो से ऐसी वस्तुए प्राप्त करता है जो कि वास्तव मे उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा मे उपयुक्त नही रहती है। अतएव सरकार द्वारा यह दावा करना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता–वस्तु वितरण की एक सफल प्रणाली है, उचित प्रतीत नही होता। इसके सफलता की आशिक कल्पना इसलिए पूरी होती है कि भारतीय उपभोक्ता खाद्यान्नो के उपभोग मे लापरवाही बरतता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुए अधिकाश भारतीय उपभोक्ताओ द्वारा केवल इसलिए उपभोग कर ली जात है क्योंकि उनका मूल्य कम होता है, भले ही वे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न हो। चूँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए सरकार द्वारा बहुत अधिक राज सहायता दी जात है। अत इस प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओ का मूल्य खुले बाजार के मूल्य से अधिकाश मामलो मे कम तो होता है परन्तु यह मूल्य वस्तुओ की गुणवत्ता को देखते हुए अधिक ही प्रतीत होता है।

सरकार ने समता, समानता एव शोषण विहीन समाज की सकल्पना को साकार करने के लिए व्यापार मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और कानून के माध्यम से अनैतिक व्यापारिक गतिविधियो को नियन्त्रित करने का भी प्रयास किया है, परन्तु सरकार को इस कार्य मे आशिक सफलता ही मिल पायी है। इस सफलता के बाधक तत्व तथा राजकीय व्यापार मे आने वाली समस्याए इस प्रकार है–

(क) <u>राजकीय व्यापार मे आचार सहिता का अभाव</u> – सरकार ने जिन व्यापारिक क्रियाओ मे भाग लिया है उनमे उसने स्वय न तो विपणन की कोई आचार सहिता तैयार की है न ही उसने आदर्श आचार सहिता का पालन किया है। सरकार उचित समय पर, उचित मात्रा मे, उचित मूल्य पर वस्तुओ को उपलब्ध कराने मे पूरी तरह सफल नही रही। वैकल्पिक विपणन नीतियो और व्यवहारो के प्रभावो से किसानो, उपभोक्ताओ और विपणन अभिकरणो को परिचित कराने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण आचार सहिता का अपनाया जाना आवश्यक है, किन्तु सरकार की नीतियाँ इतनी भ्रामक है कि उनका सही कार्यान्वयन नही हो पाता। अत व्यापार के क्षेत्र मे पर्याप्त आचार सहिता तैयार किये बिना और उनका पूर्णतया पालन किये बिना राजकीय व्यापार मे भागीदारी अथवा कानून द्वारा उस पर नियन्त्रण का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नही हो सकता।

(ख) **<u>अधिनियमो की अधिकता एव उनकी कमियाँ</u>** – सरकार ने व्यापारिक क्रियाओ को नियन्त्रित करने एव जन कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमो को पारित किया किन्तु ये अधिनियम अपनी जटिलता के कारण व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने मे अपनी सकारात्मक भूमिका नही निभा सके। एक अधिनियम का दूसरे अधिनियम से न तो कोई सामञ्जस्य है और न ही ये स्वतन्त्र रूप से स्वचालित है। उपभोक्ताओ के हितो की सुरक्षा हेतु तथा समाज मे व्याप्त जमाखोरी, मुनाफाखोरी एव कालाबाजारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा पारित किये गये विभिन्न प्रकार के अधिनियम अधिक

प्रभावशाली नही रहे, जिसका मुख्य कारण कानूनो के सख्यात्मक विस्तार की तुलना मे उनके अनुपालन पक्ष का उपेक्षित होना रहा है। निश्चय ही कानून बनाना महत्वपूर्ण है, परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका कठोरता से अनुपालन होता है। भारतवर्ष मे सामाजिक कल्याण को ध्यान मे रखते हुए सभी क्षेत्रो मे अधिनियम बनाये गये किन्तु ये अधिनियम सामाजिक बुराइयो को दूर करने मे सफल नही हो पाये है। अनेक विनियमो मे कुछ न कुछ कमियाँ रह गयी है जिससे व्यापारियो को अनैतिक व्यवहारो को अपनाने का अवसर किसी न किसी रूप मे मिल ही जाता है। विभिन्न अधिनियमो के पारित हो जाने के बाद भी उनमे पायी जाने वाली कुछ कमियाँ इस प्रकार है–

–– उपभोक्ताओ को शुद्ध, सही एव उचित वस्तुए उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थो मे मिलावट जैसी कुरीतियो को दूर करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम–1954 पारित किया गया किन्तु आज भी व्यवसायियो द्वारा तेल, घी, दूध, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थो एव दवाइयो, इत्यादि वस्तुओ मे व्यापक स्तर पर अपमिश्रण का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता वर्तमान समय मे भी शुद्ध वस्तुए प्राप्त न होने से सदैव असन्तुष्ट रहता है।

–– सभी आवश्यक वस्तुओ की नियमित पूर्ति बाजार मे बनी रहे इसके लिए सरकार ने कुछ वस्तुओ की सूची के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 लागू किया जिसमे जुलाई–1994 के बाद कुल 44 वस्तुए रह गयी है। जो वस्तुए इस सूची मे शामिल है उनकी पूर्ति भी कभी–कभी बाजार मे विक्रय हेतु उपलब्ध नही होती और व्यापारियो द्वारा विक्रय से मना कर दिया जाता है, भले ही वे गोदाम मे अथवा स्टॉक मे कालाबाजारी के लिए उपलब्ध हो।

–– उपभोक्ताओ कोउचित तौल एव माप के आधार पर वस्तुए उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से सरकार द्वारा बाट एव माप मान अधिनियम–1976 बनाया गया जिससे कि उपभोक्ताओ को सही माप–तौल या अक मे वस्तुए मिल सके। किन्तु यथार्थ मे आज भी व्यापारियो द्वारा गैर–मान बाट या माप का प्रयोग किया जाता रहा है। इनके द्वारा अधिकृत कैश मेमो, बिल या बीजक आदि आम तौर पर बनाया जाता है और इस तरह उपभोक्ताओ का शोषण किया जाता है।

–– भारत मे ट्रेड मार्क के पजीकरण हेतु एक अधिनियम–1958 मे 'व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम' के नाम से पारित हुआ। इसके अधीन निर्माता अपनी वस्तु की पहचान एव उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, नाम, शब्द, डिजायन या इने सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी वस्तुओ पर छाप देता है, जिसे ब्राण्ड कहते है। ब्राण्ड का पजीकरण हो जाने पर इसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। इसकी नकल कोई दूसरा व्यापारी नही कर सकता। किन्तु व्यवहार मे आज एक व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी के ट्रेडमार्क की नकल की जा रही है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली मे खुले बाजार मे विभिन्न ब्राण्ड अथवा ट्रेडमार्क की डुप्लीकेट वस्तुए सुगमता से मिल जाती है। इस तरह उपभोक्ता ऐसे

जालसाजी का सुगमता से शिकार हो जाता है।

-- इसी प्रकार एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम-1969' का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितो के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नही करती है और ऐसे एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रतिबन्धो को रोकना है जो कि जनहित के विरुद्ध है परन्तु इस अधिनियम का दुष्प्रभाव हमारे उद्योगो के विकास पर पडा है। क्योंकि नई औद्योगिक नीति-1991 घोषित होने से पूर्व नई स्थापित होने वाली कम्पनियो की सम्पत्ति सीमा 20 करोड रुपये तथा सम्बद्ध होने वाली कम्पनियो की सम्पत्ति सीमा 100 करोड रुपये होने से छोटी कम्पनियो के विस्तार का पर्याप्त अवसर नही मिल पाता था। अधिनियम के प्रावधानो की कठोरता के कारण विनियोग प्रस्तावो के अनुमोदन मे विलम्ब होने से औद्योगिक विकास की गति प्रभावित होती थी। इस अधिनियम के व्यवस्थाओ के कारण निर्यात सम्वर्द्धन को पर्याप्त प्रोत्साहन न मिल सका, बडे औद्योगिक घरानो के आर्थिक सकेन्द्रण पर अनियन्त्रण भी नही किया जा सका। साथ ही उत्पादकता मे आवश्यक सुधार, आयात, प्रतिस्थापन तथा पिछडे क्षेत्रो के विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यो को प्राप्त करने मे भी वाछित सफलता नही मिल सकी।

-- उद्योगो का सन्तुलित विकास करने के उद्देश्य से पारित किया गया औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम-1951 ने औद्योगिक समस्याओ को बढाने,राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहित करने तथा बडे औद्योगिक घरानो के एकाधिकार मे वृद्धि करने का ही कार्य किया है।

-- उपभोक्ता के हितो की रक्षा करने एव उन्हे सरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा' उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986', 24 दिसम्बर, 1986 से लागू किया गया किन्तु इस अधिनियम की व्यवहारिकता भी सदिग्ध है। अभी तक आम जनता उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम की व्यवस्थाओ और मिलने वाली राहतो तथा राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित नही है। अतएव इस अधिनियम के द्वारा भी उसके शोषण की सम्भावना कम नही हुई है। इसके अतिरिक्त 3 5 लाख मामलो का इन अदालतो मे लम्बित होना, 16 प्रतिशत मामलो का तकनीकी आधार पर खारिज हो जाना, एक निवेशक को उपभोक्ता न माना जाना इत्यादि ऐसे तथ्य हैं जो त्वरित न्याय व्यवस्था की कमियो को स्पष्ट करते है।

-- पूँजी बाजार को नियमित करने के लिए लाया गया भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश-1992 निवेशको की शिकायते दूर करने मे पूरी तरह सफल नही हो पाया है जिसका कारण एक ओर तो दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार इसके पास न होना तथा दूसरी ओर नियमो मे परिवर्तन की एक पक्षीय कार्यवाही करना रहा है।

इस प्रकार विभिन्न कानून सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण के उद्देश्य से बनाये गये, किन्तु इन कानूनो मे कमी एव छिद्रता होने के कारण एक पक्ष द्वारा मनमानी की जाती है, साथ ही

कानूनो का पालन न करने पर समुचित दण्ड की व्यवस्था भी नही है और यदि दण्ड दिये भी जाते है तो वह इतने कम होते है कि व्यवसायी को इनका कोई विशेष भय नही रहता है।

(ग) <u>दोषपूर्ण राशनिग व्यवस्था –</u> वर्तमान राशनिग व्यवस्था अनेक दोषो से युक्त है, जो इस प्रकार है–

–– राशनिग व्यवसथा मे व्याप्त कुप्रबन्ध एव भ्रष्टाचार के कारण इसमे खाद्यान्नो की आपूर्ति नियमित नही रहती है। राशनिग की दुकाने माह मे केवल कुछ दिन खुलकर शेष दिन बन्द रहती है जिससे दुकानो के खुलने पर भीड लग जाती है और उपभोक्ताओ को एक लम्बे समय तक अपने क्रम की प्रतीक्षा करनी पडती है। इस प्रकार उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त करने मे लगने वाले समय की हानि उसके उचित मूल्य पर वस्तु की उपलब्धता से मिलने वाला लाभ, बराबर हो जाता है।

–– राशनिग व्यवस्था के माध्यम से केवल सीमित सख्या मे ही वस्तुए उपभोग हेतु उपलब्ध हो पाती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता खाद्यान्नो का चयन अपनी रुचि के अनुसार नही कर पाता है और व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुओ का ही उपभोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवस्था मे खाद्यान्नो के प्रतिस्थापन की सुविधा नही रहती।

–– राशनिग व्यवस्था को निरन्तर गतिशील बनाये रखने के लिए सही समय पर सही समको की उपलब्धता होनी चाहिए। जिससे राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक उपभोग्य मात्रा का निर्धारण एव उसकी व्यवस्था की जा सके। परन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन एव खपत सम्बन्धी जो भी सख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते है,वे प्राय सही न होने के कारण व्यवस्था की गतिशीलता एव उपभोक्ता की सन्तुष्टि दोनो के लिए बाधक बनते है।

–– वस्तुओ की घरेलू माँग का सही–सही अनुमान एक केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से लगाना आसान नही होता है। विशेषरूप से उस देश मे जहाँ अधिकाश उत्पादन और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा हो। ऐसी दशा मे एक वस्तु की अलग–अलग श्रेणियो की माँग का अनुमान लगाना तो और भी कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था मे विकेन्द्रित आयातकर्ता केन्द्रीकृत एजेन्सी की तुलना मे बाजार के अधिक निकट होते है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था मे विभिन्न वस्तुओ की विभिन्न गुणो और किस्मो वाली वस्तु की माँग मे परिवर्तन होने की सम्भावना और अधिक बढ जाती है। माँग का गलत अनुमान लगाने से या तो देश मे वस्तुओ की कमी हो जायेगी अथवा एक वस्तु का निष्प्रयोज्य स्टॉक सचित हो जायेगा। गलत अनुमान भारत जैसे विकासशील देशो पर बुरा प्रभाव डालता है।

–– राशन की दुकानो को विक्रेता अपनी सुविधानुसार खोलता है जहाँ वह आसानी से आ–जा सके तथा वितरित की जाने वाली वस्तुओ पर उसको परिवहन लागत तथा दुकान की अन्य लागतो का

भुगतान कम से कम करना पडे जिसके कारण उपभोक्ता को अपने घर से बहुत दूर जाकर वस्तुए प्राप्त करना पडता है। ऐसे विक्रेता न तो विक्रय कार्य ईमानदारी से पूरा करते है और न ही उपभोक्ताओ की भावनाओ का ही सम्मान करते है। इसस उपभोक्ता और दुकानदार के सम्बन्ध प्राय मधुर नही रहते।

(घ) खरीद कार्य चुनौती पूर्ण – उपभोक्ता के लिए वस्तुओ की पूर्ति नियमित बनाये रखने हेतु उन वस्तुओ की खरीद का कार्य विभिन्न चुनौतियो से पूर्ण होता है। सरकार द्वारा खरीद का कार्य उसी दशा मे आसान होता है जब उस वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक हुआ हो। सरकार को उन्ही वस्तुओ को अधिक मात्रा मे खरीदना होता है जिन वस्तुओ का उत्पादन कम हुआ है। परिणामस्वरूप सरकार अपने सवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पादको पर लेवी लगाती है। परन्तु लेवी लगाने की यह क्रिया उत्पादन प्रेरणा के लिए घातक सिद्ध होती है। लेवी को उत्पादक अपने ऊपर एक अनावश्यक रूप से थोपा गया भार समझते है और यह भार जैसे–जैसे बढता जाता है उत्पादक की उत्पादन प्रेरणा कम होने लगती है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नही हो सकती । खरीद कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण नही है बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है खरीदी गई मात्रा का उचित भण्डारण एव समय– समय पर उसका निर्गमन। प्राय भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण खरीदी गई वस्तु के सड जाने, गल जाने, अथवा गोदाम मे आग लग जाने या चोरी हो जाने से वस्तु की गुणात्मक एव सख्यात्मक दोनो हानियाँ होती है।

खरीद कार्य राज्य सरकार एव केन्द्र सरकार दोनो के सहयोग तथा विभागो के आपसी समन्वय पर निर्भर करता है। खरीदी जाने वाली मात्रा एव वस्तु की आवश्यक मात्रा का अनुमान भी इस कार्य मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खरीद कार्य से सम्बन्धित केन्द्र एव राज्य सरकार की नीतियाँ स्पष्ट रूप से घोषित न होने के कारण लक्ष्यो मे एकरूपता नही आ पाती जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नही हो पाता। वस्तुओ की आवश्यक मात्रा एव खरीदी गयी मात्रा मे तालमेल न होने के कारण प्राय कुछ वस्तुए अनावश्यक रूप से भण्डारगृह मे कई वर्षों तक अनुपयोगी पडी रह जाती है तथा कई आवश्यक वस्तुओ के अनुपलब्धता की स्थिति बनी रहती है।

(ड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याए – भारत मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था एक 'सफेद हाथी' की तरह है जिसे न चाहते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था को ढोना पड रहा है। अग्रेजी मे सफेद हाथी उस जीव या व्यवस्था को कहा जाता है जिसकी क्षुधा तो निरन्तर बढती रहे किन्तु उपयोगिता न बढे। यह वर्णन खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योकि भारतीय खाद्य निगम का अनुदान निरन्तर बढता रहा है, जबकि देश की कुल खाद्यान्न पूर्ति मे इसका अशदान नही बढा है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली की कई अन्य समस्याए इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा रही है, जो अग्रलिखित है–

--यह प्रणाली भी सार्वजनिक कल्याण की अन्य योजनाओ की तरह भ्रष्टाचार के चगुल मे फँसी हुई प्रतीत होती है। यह देश के ग्रामीण गरीब उपभोक्ता को उनकी आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने मे वाछित सहायता नही कर पायी है। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि बिहार राज्य को जिसकी आबादी देश की आबादी का10 24 प्रतिशत है तथा जहाँ पर देश के 14 5 प्रतिशत गरीब व्यक्ति जीवन-यापन करते है, वर्ष 1992-93 मे देश मे कुल वितरित अन्न का केवल 4 प्रतिशत भाग दिया गया था जबकि दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की आबादी की एक प्रतिशत भी नही है, और जहाँ गरीबो की सख्या भी कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत अन्न बाँटा गया था।

-- इस प्रणाली पर केवल नगरो तक सीमित होने का आरोप भी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे राशन की दुकाने बहुत कम है जबकि भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी गाव मे रहती है साथ ही गावो मे इस प्रणाली के सचालक कुछ दबंग लोगो को सामग्रियाँ उपलब्ध करा देते है, परन्तु निम्न आये वाले कमजोर व्यक्तियो का हक ग्राम प्रधान और इस प्रणाली के नौकरशाह तथा व्यापारी मिलकर डकार जाते है। गाव के 80 प्रतिशत लोग निरक्षर तथा गरीब कृषक-मजदूर के रूप मे इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वस्तुओ से वचित रह जाते है। इनको यह भी मालुम नही हो पाता कि प्रति इकाई कितनी चीनी, गेहूँ, मिट्टी-तेल आदि मिलता है। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुए निकट के कस्बे अथवा बाजार से प्राप्त करना आसान समझते है क्योकि वहाँ ये वस्तुए उन्हे ससम्मान प्राप्त होती है जबकि राशन की दुकानो पर उन्हे घण्टो प्रतीक्षा के बाद भी दुत्कार दिया जाता है।

-- उचित मूल्य की दुकानो पर केवल कुछ गिनी चुनी वस्तुए ही उपलब्ध होती है जिससे उपभोक्ता को केवल उन्ही वस्तुओ का उपभोग करने के लिए बाध्य होना पडता है, जो वस्तु इस प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है उसकी स्थानापन्न वस्तुए भी दुकान पर उपलब्ध नही होती है, क्योकि इन दुकानो पर बिकने वाली वस्तुओ को सरकार को स्टॉक मे रखने की आवश्यकता होती है।

-- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक समस्या यह भी है कि जब सामान्य बाजार मे वस्तुओ की अपर्याप्तता होती है अथवा मूल्य बहुत तेजी से बढते है तो उस वस्तु का दबाव इस प्रणाली पर अधिक पडता है। जब वितरित की जाने वाली वस्तु सामान्य बाजार मे उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है तो आम जनता उन वस्तुओ को बाजार से ही प्राप्त करना उचित एव आसान समझती है। ऐसी परिस्थिति मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुए दुकानो मे पडी रह जाती है और विक्रेताओ को अपनी जीविका चलाना कठिन हो जाता है।

-- सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे भी वे सारे दोष पाये जाने लगे है जो निजी व्यापारियो मे होते है, यथा- कम तोल, अपमिश्रण, अधिक मूल्य पर वस्तु का विक्रय, फुटकर विक्रेताओ को वस्तु का विक्रय कर देना आदि। जिन वस्तुओ की माँग बढती है वे वस्तुए इन दुकानो पर न पहुँचकर सीधे काले बाजार मे

पहुँचने लगती है। इसके अतिरिक्त फर्जी राशन कार्ड, दुकानो का प्राय बन्द रखना, गरीब कार्ड धारको को घुडकना और लौटा देना आदि निन्दनीय कार्य भी इन दुकानो पर होते है।

--वर्तमान समय मे यह बात प्रत्येक व्यक्ति समझने लगा है कि सरकार पर विश्वास नही किया जा सकता क्योंकि इसके द्वारा सम्पादित क्रियाओ मे मितव्ययिता का ध्यान नही रखा जाता और न ही इसके द्वारा उत्पादित वस्तु मे पर्याप्त उपयोगिता का सृजन ही हो पाता है। यह बात कुछ हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को सन्देह की परिधि मे डाल देती है।

-- बहुत से डीलर अपनी दुकानो को ठेके पर दे देते है जिससे इस व्यवस्था मे एक और मध्यस्थ शामिल हो जाता है, जो इस प्रणाली के मूल भावना से अपरिचित होता है। वह केवल लाभ की भावना से ही कार्य करता है। इसमे ठेके प्रणाली के समस्त दोष उत्पन्न हो जाते है।

-- दुकानदारो की प्रमुख समस्या योजनानुसार माल का उपलब्ध न होना है। इसके लिए दुकानदारो को आपूर्ति कार्यलय एव भण्डारगृहो का कई बार चक्कर लगाना पडता है और दुकाने बन्द रखनी पडती है। इससे उपभोक्ताओ को परेशानी उठानी पडती है तथा वस्तु का परिवहन व्यय भी अधिक हो जाता है। गोदामो के श्रमिक,दुकानदारो को माल लादते समय परेशान भी करते है। इन्हे माप-तोल के सम्बन्ध मे भी कभी-कभी असुविधा का सामना करना पडता है।

-- ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारो की सबसे अधिक समस्या विभागीय अधिकारियो से होती है जबकि नगर क्षेत्र के दुकानदारो की समस्याए इनकी तुलना मे कम होती है। इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। कम पढे-लिखे होने के कारण दुकानदारो को यह अनुभव होता है कि उन्हे परेशान किया जा रहा है।

-- उपभोक्ताओ की सबसे अधिक समस्याये कार्ड-प्राप्ति, इसके सशोधन व नवीनीकरण कराने मे होती है। उपभोक्ताओ अपने राशन कार्ड का हस्तान्तरण सुविधा पूर्वक करते रहते है तथा निम्नवर्ग के व्यक्ति, मध्यमवर्ग या उच्चवर्ग से राशन कार्ड उधार माँगते है। कुछ उपभोक्ता अपने राशन कार्ड मे वास्तविक सदस्यो से अधिक सख्या अकित कराते है जिससे वास्तविक उपभोग की इकाई का ज्ञान नही हो पाता और प्रशासनिक अधिकारियो को समस्याओ का सामना करना पडता है।

-- कभी-कभी राशन की दुकान पर उपलब्ध राशन का मूल्य खुले बाजार के मूल्य के बराबर अथवा इससे अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकाने बन्द होने लगती है। इसी प्रकार की समस्या फरवरी-1994 मे उत्पनन हुई थी। जब राशन के एक कुन्तल गेहूँ की कीमत 427 रुपये थी जबकि बाजार मे राशन की तुलना मे बढिया किस्म का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। यही स्थिति चावल की भी थी। ऐसी स्थिति मे राशन की दुकानो का बन्द होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर गेहूँ के मामले मे निजी व्यापारी 20-25 प्रतिशत का मुनाफा कमा कर भी राशन के गेहूँ की कीमतो के बराबर मूल्य पर गेहूँ बेच रहा था और बाजार का वही गेहूँ उचित मूल्य की दुकान की तुलना मे बेहतर

भी था।

(च) भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित समस्याए – भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रो मे निजी व्यापारियो की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एव उपभोक्ता दोनो के हितो की रक्षा करना है । इसे भारत सरकार की एक ऐसी एजेन्सी के रूप मे स्थापित किया गया है जो खाद्यान्नो के आयात, खरीद, भण्डारण एव वितरण को सचालित करें। परन्तु यह निगम वर्तमान समय मे निम्न समस्याओ से जूझ रहा है–

–– भारतीय खाद्य निगम मे नियोजित पूँजी की तुलना मे कुल कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक नही है। वर्तमान समय मे नियोजित पूँजी से इसकी कुल खरीद एव बिक्री केवल दो गुना है जबकि निजी सस्थाओ मे यह अनुपात 6 गुना से भी अधिक होता है। इस प्रकार खाद्य निगम मे नियोजित पूँजी का सदुपयोग नही हो पा रहा है।

–– निगम को अधिप्राप्ति तथा उसकी लागतो की तुलना मे निर्गम मूल्य मे कमी की क्षतिपूर्ति हेतु उपभोक्ता सहायना राशि प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि मे गत 20 वर्षों मे पचास गुना वृद्धि के बावजूद निगम को वर्ष 1986–87 से निरन्तर घाटे का सामना करना पड रहा था। यह निगम के कर्मचारियो की कार्यकुशलता मे कमी तथा निगम के विभिन्न व्ययो पर अनियन्त्रण तथा उसके स्वय की अक्षमता को सिद्ध करता है।

–– निगम को खाद्यान्नो को लाने, ले जाने मे भारी मार्गस्थ हानि एव भण्डारण मे कमी का भार उठाना पडता है। खरीदे एव बेचे जाने वाले खाद्यान्नो का औसतन 1 5 प्रतिशत छीजन हुको के प्रयोग, बोरो के उतारने–चढाने, गोदाम मे रखने एव निकासी तथा नमी के सूखने के कारण हो जाता है। जिसमे खाद्यान्नो के सडने या गल जाने या कीडे–मकोडे से होने वाली हानि शामिल नही है। वर्ष 1992–93 मे यह हानि 223 3 करोड रुपये की थी।

–– निगम को लेवी चीनी एव आयातित चीनी दोनो के सन्दर्भ मे प्रतिवर्ष घाटा उठाना पडता है। यह घाटा उसे चीनी के सम्भाल एव वितरण दोनो मामलो मे उठाना होता है। निगम चीनी की अधिप्राप्ति लेवी के निर्धारित मूल्य पर करता है उस पर भाडा, सभाल प्रभार, प्रशासनिक खर्च, चुगीप्रभार, भण्डारण प्रभार इत्यादि मदो पर भारी खर्च करता है, परन्तु उसे चीनी का निर्गमन निर्धारित मूल्यो पर करना पडता है। यद्यपि लागत मूल्य एव निर्गम मूल्य के अन्तर की भरपाई राज सहायता के माध्यम से की जाती है जो कि पर्याप्त नही होती।

–– निगम की भण्डारण लागत मे भी वृद्धि हुयी है। लागत मे वृद्धि का प्रमुख कारण बडी मात्रा मे दीर्घकाल तक भण्डारो का पडे रहना, ब्याज की दरो मे वृद्धि, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना, बोरो तथा तिरपालो का सड जाना, गोदाम से चोरी तथा आग लग जाना या वर्षा के मौसम मे गोदामो का

गिर जाना भी है।

-- भारतीय खाद्य निगम मे सम्बद्ध मन्त्रालयो मे तालमेल के अभाव तथा राजनीतिक पदाधिकारियो एव नौकरशाहो के बीच अहम् का टकराव होने के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र को परेशानी का सामना करना पडता है। छोटे-छोटे निर्णयो के लेने एव उन पर अमल करने मे समय गुजर जाता है। परिणामस्वरूप निगम एव राष्ट्र दोनो को हानि होती है।

-- जहाँ तक सरकार द्वारा किसानो के उपज का समर्थन मूल्यो पर खरीद का प्रश्न है, यह वास्तव मे दिखावा मात्र है। यद्यपि मोटे अनाजो के समर्थन मूल्यो की घोषणा प्रतिवर्ष होती रही है उसकी सरकारी खरीद नही के बराबर होती है। जहाँ तक चावल का सवाल है, तो खाद्य निगम इसकी आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से चावल-मिलो से लेवी की वसूली पर निर्भर करता है। इधर कुछ वर्षो से गेहूँ की खरीददारी भी सीधे किसानो से न होकर बिचौलियो के माध्यम से हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मोटे अनाजो धान और चावल की कुल मात्रा जो किसान बेचते है, उसका दसाश भी भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानो से नही खरीदता। सरकार अपने अनाजो की आवश्यकता की आपूर्ति किसी प्रकार कर लेने के बाद किसानो को निजी व्यापारियो की कृपा पर छोड देती है।

-- कभी-कभी निगम को स्थानीय एव प्रशासनिक समस्याओ से भी जुझना पडता है। स्थानीय समस्याओ मे श्रमिक समस्या, रेलवे वैगनो की अनुपलब्धता, हडताल एव कर्फ्यू जैसी समस्याओ का सामना करना पडता है जिससे निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति नही हो पाती। निगम को अन्य विभागो से भी मदद लेनी पडती है, जैसे-बन्दरगाह, रेलवे प्रशासन, राज्य प्रशासन, केन्द्र एव राज्य के भण्डारण निगम, इन पर खाद्य निगम का कोई नियन्त्रण न होने के कारण भी इन विभागो/सस्थाओ का सहयोग लेना एक कठिन कार्य होता है। निगम पर खाद्यान्नो के अधिप्राप्ति एव निर्गमन दोनो अवसरो पर सही तोल न करने का आरोप भी लगाया जाता है। अधिप्राप्ति के दौरान किसानो को शिकायत होती है कि उनकी उपज की तौल वास्तविक तौल से कम पर की जा रही है, जिससे उनके उपज का वास्तविक मूल्य न देकर उनकी उपेक्षा की जाती है। किसानो की अच्छी श्रेणी के उपज को भी 'सी'अथवा 'डी' ग्रेड देकर भी उन्हे हतोत्साहित किया जाता है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचायी जाती है।

-- निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे कार्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही तथा उनमे व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप, कार्य की अभिप्रेरणा मे कमी, निष्ठा, ईमानदारी एव कर्तव्यपरायणता मे कमी के आरोप समाचार पत्रो मे प्राय देखने को मिलते है। यद्यपि निगम द्वारा प्रति कर्मचारी किये जा रहें कारोबार मे लगातार वृद्वि के समको को प्रस्तुत किया जा रहा है, परन्तु ऐसा कर्मचारियो के स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण तथा नयी नियुक्तियो के न किये जाने के कारण है। कर्मचारियो के लापरवाही के कारण ही खाद्यान्नो का

गोदामो मे सड जाने,बोरो को समय से न पलटने, समय से दवा का छिडकाव न करने, गोदामो मे नमी बने रहने कैप भण्डारण के अधीन रखे खाद्यान्नो के फट जाने अथवा उड जाने के कारण निगम को प्रतिवर्ष करोडो रुपये की हानि होती है।

(छ) केन्द्रीय भण्डारणनिगम की समस्याए – यह निगम राजकीय व्यापार मे लगी एजेन्सियो के द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न एव अन्य वस्तुओ को अपने भण्डारगृह मे सुरक्षित रखने के साथ–साथ निजी व्यापारियो, सहकारी समितियो एव किसानो को भी अपनी सुविधाए प्रदान करता है, परन्तु इस निगम मे भी कई प्रकार की समस्याए उत्पन्न हो गयी है जो कि निम्नवत् है–

–– निगम का यह प्रयास तो सराहनीय है कि वह अपनी भण्डारण क्षमता मे लगातार वृद्धि करता जा रहा है, परन्तु इस सराहना के साथ ही साथ इस बात के लिए उसकी निन्दा भी की जाती है कि यह अपने उपलब्ध भण्डारण क्षमता का प्रयोग करने मे निरन्तर कमी की ओर बढ रहा है। वास्तव मे चाहे निगम की अपनी भण्डारण क्षमता हो अथवा किराए की, यदि वह अप्रयुक्त रह जाती है तो इससे निगम को अपूर्णनीय क्षति होती है।

–– इस निगम का वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक नही है। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी है। मुख्य रूप से निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता से सम्बन्धित समकों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों मे इन दोनो मदो मे कमी आयी है। निगम के उच्चाधिकारी सकल प्राप्ति मे कमी के लिए आर्थिक उदारीकरण को उत्तरदायी मानते है। उनके विचार से सकल प्राप्ति मे कमी का कारण राजकीय व्यापार मे लगी एजेन्सियो द्वारा किये गये कारोबार मे कमी से निगम की सकल प्राप्ति कम हुयी है। लेकिन निगम तो निजी जमाकर्ताओ को भी अपनी भण्डारण की सुविधा प्रदान करता है और आकडे बताते है कि इन निजी जमाकर्ताओ की सख्या मे भी विगत् वर्षो मे कमी हुयी है जबकि आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क नियन्त्रणो मे कमी करने अथवा उन्हे समाप्त करने निजी जमाकर्ताओ की सख्या मे वृद्धि होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट होता है कि निगम की कार्यप्रणाली मे किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई कमी अवश्य है। यह निगम निजी जमाकर्ताओ के साथ भी उचित व्यवहार और भण्डारण की उचित गुणवत्ता बनाये रखने का सही प्रयास नही कर पा रहा है।

–– यद्यपि निगम के प्राप्ति मे कुछ मदो–ऋण एव अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के अन्तर्गत बैको मे जमा पर ब्याज,एजेन्सी कमीशन, पजाब राज्य भण्डारण निगम के सयुक्त उद्यम से उत्पन्न प्राप्ति एव महाराष्ट्र सरकार की ओर से हैडलिग प्रचालन से आय मे वृद्धि के बावजूद निगम के लाभो मे निरन्तर कमी हो रही है। वास्तव मे भण्डारगृहो से उत्पन्न प्रभार मे वर्ष 1990–91 से लगातार कमी होना एक चिन्ता का विषय है, जो कि निगम की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है।

–– इस निगम का अपने स्थापना व्यय एव परिचालन व्यय पर कोई नियन्त्रण नही है। इन व्ययो

मे मुख्य रूप से ग्रच्युटी, बोनस, वेतन भत्ते मजदूरी एव रख-रखाव के व्ययो मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये व्यय भी निगम की लाभदायकता को नकारात्मक रूप मे प्रभावित कर रहे है।

-- केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमो के समता अश पूँजी मे जो विनियोजन किया है, उससे केन्द्रीय भण्डारण निगम को सन्तोषजनक प्रत्याय नही हो पा रही है। यद्यपि इन राज्य भण्डारण निगमो के भण्डारगृहो की सख्यात्मक एव गुणात्मक दोनो स्तरो मे वृद्धि हुई है परन्तु यदि इन निगमो के निवेश से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभाश के रूप मे प्रतिफल का अवलोकन किया जाय तो ये दरे वर्ष 1989-90 से वर्ष 1992-93 के बीच क्रमश 3 53, 1 27, 4 12 तथा 2 52 रही है। इन्हे किसी भी दशा मे उचित प्रतिफल नही कहा जा सकता। वैसे तो, राज्य भण्डारण निगम 0 5 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत तक लाभाश घोषित करते है, परन्तु कई निगम समय से अपनी वार्षिक बैठके नही करते, कुछ लाभ होने पर भी लाभाश घोषित नही करते और कुछ के कारोबार मे हानि हो रही है, परिणामस्वरूप केन्द्रीय भण्डारण निगम को राज्य भण्डारण निगमो मे निवेशित पूँजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त नही हो पाता।

-- निगम की अपनी लाभदायकता और लाभाश वर्ष 1990-91 तक सन्तोषजनक रहा है। इसमे एक स्थिर गति से वृद्धि होती रही और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 12 2 प्रतिशत तक पहुँच चुका था परन्तु वर्ष 1992-93 मे यह गिरकर 6 5 प्रतिशत पर आ गया। इसी प्रकार निगम की लाभाश क्रमश बढते हुए वर्ष 1991-92 मे 12 5 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी, परन्तु इसे वर्ष 1992-93 मे 7 प्रतिशत की दर पर भी बनाये रखने के लिए निगम ने वर्ष 1991-92 के 3317 लाख रुपये के प्रारक्षण की तुलना मे वर्ष 1992-93 मे केवल 486 लाख रुपये का ही प्रारक्षण किया जा सका। यद्यपि निगम के इस वर्ष मे कारोबार मे गिरावट कुछ तो व्यापारिक दशाओ और कुछ प्राकृतिक आपदाओ, जैसे-बाढ एव सूखा पडने के कारण रही परन्तु निगम को इन सम्भावनाओं और इनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमो को भी ध्यान मे रखना चाहिए था।

-- वर्तमान समय मे निगम के अधिकारी एव कर्मचारी वस्तुओ के गुणवत्ता नियन्त्रण एव उनके परिरक्षण पर उचित ध्यान नही दे रहे है, परिणामस्वरूप भण्डारण की क्षतियाँ वर्ष 1990-91, 91-92 एव 1992-93 मे क्रमश 0 35, 0 51 और 0 43 प्रतिशत हुई। यद्यपि ये क्षतियाँ निगम के मार्गस्थ क्षतियो से कम है परन्तु फिर भी इन्हे और कम किया जा सकता है।

-- भारतीय कृषको के द्वारा न तो केन्द्रीय भण्डारण निगम और न ही राज्य भण्डारण निगम के भण्डार गृहो का प्रयोग वाछित मात्रा मे किया जा रहा है जबकि कृषको से उनकी उपज खरीद कर मध्यस्थो द्वारा भण्डारण की सुविधाओ का लाभ उठाया जाता है जबकि कृषको को उनकी उपज हेतु पर्याप्त मूल्य भी नही चुकाया जाता।

-- उपर्युक्त समस्याओ के अतिरिक्त यह निगम भी राजकीय अभिकरणो मे उत्पन्न दोषो एवं

समस्याओ से परे नही है। इस निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो मे भी भ्रष्टाचार, नैतिकता के पतन, कार्य मे अभिप्रेरणा का अभाव, कार्य के प्रति अरुचि इत्यादि समस्याओ के साथ नौकरशाही, अधिकारो के केन्द्रीयकरण, अन्य विभागो एव अभिकरणो से समन्वय का अभाव, विभागीय अधिकारियो मे तालमेल की कमी जैसे दोष विद्यमान है।

(ज) **राज्य व्यापार निगम भी समस्याग्रस्त –** भारत के आन्तरिक व्यापार को व्यवस्थित करने तथा विदेशी व्यापार से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गयी जिसके मुख्य उद्देश्यो मे कम्पनी द्वारा समय–समय पर निश्चित की गयी वस्तुओ का आयात एव निर्यात अथवा सामान्य व्यापारिक क्रियाओ को सम्पादित करना आता है परन्तु यह निगम भी अपने उद्देश्यो को पूरा करने निम्न समस्याओ से ग्रस्त होने के कारण सफल नही रहा है–

–– राज्य व्यापार निगम का अपने व्ययो पर नियन्त्रण न होने के कारण इसकी लाभदायकता कुल बिक्री की तुलना मे बहुत कम(केवल 2–3 प्रतिशत ही) रहती है जबकि निजी व्यापारियो की कुल बिक्री एव लाभ का प्रतिशत बहुत ऊँचा होता है।

–– निगम की सगठनात्मक सरचना बहुत जटिल है और इसमे उच्च पदो पर अधिकारो का केन्द्रीयकरण प्रतीत होता है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि निगम को कोई भी निर्णय लेने मे काफी विलम्ब हो जाता है,जबकि आर्थिक क्षेत्र मे विलम्ब से लिये गये निर्णयो का कोई महत्व नही होता। यहाँ भी राजनीतिक पदाधिकारियो और नौकरशाहो के हितो का टकराव देखने को मिलता है।

–– निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय,यथा–खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय मे तालमेल के अभाव के कारण निगम को अपना निर्यात सस्ते दर पर करने तथा आयात महँगे दर पर करने के लिए बाध्य होना पडता है।

–– निगम मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् अधिकारी एव कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एव कर्तव्य परायणता से कार्यों का निष्पादन नही करते क्योकि उनमे निगम के प्रति भावनात्मक लगाव की कमी होती है। जब उनमे कार्यानुभव विकसित होता है तो उन्हे उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जाता है।

–– राज्य व्यापार निगम का विगत वर्षो मे विदेशी व्यापार मे योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 1980–81 मे 9 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1992–93 मे केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। यह इतने बडे राजकीय व्यापार सगठन के लिए एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि सरकार द्वारा सरणीबद्ध वस्तुओ की सूची को छोटी करने के कारण सरणीबद्ध व्यापार मे कमी आयी है। परन्तु निगम ने असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार को बढाने का उचित प्रयास नही किया है।

–– निगम के कर्मचारियो मे अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है उनमे कुशलता लाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था नही हो पाती फलस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली परम्परागत बनी रहती है एवं

कार्यक्षमता मे निरन्तर कमी आती रहती है जिसका दुष्प्रभाव निगम की कार्यक्षमता पर भी पडता है।

-- सारणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे निगम को एकाधिकार प्राप्त होने के कारण समाज का शोषण कर एक कल्याणकारी सस्था के पुनीत उत्तरदायित्वो का निर्वहन यह निगम नही कर पाता। जहाँ इसे निजी व्यापारियो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से प्रतिस्पर्धा करनी होती है तो वहाँ भी इस अपनी अक्षमता के कारण हानि ही उठानी पडती है।

-- निगम का अपने देश की औद्योगिक इकाइयो, अनुसन्धान एव विकास सस्थानो तथा समको का सकलन एव अनुमान लगाने वाली इकाइयो के साथ सन्तोषजनक सम्बन्ध नही है जिसके कारण उत्पादन एव उपत से सन्बन्धित सही सूचनाए नही मिल पाती और यदि मिलती भी है तो उचित समय पर नही, जिसके परिणामस्वरूप निगम के हितो के अनुरूप अनुबन्ध नही हो पाता।

-- निगम कभी-कभी लोक कल्याण की भावना को भूलकर लाभ की भावना से प्रेरित होकर एक निजी व्यापारिक सस्थान की तरह कार्य करने लगता है। अधिकाश अवसरो पर निगम की मूल्य नीतियाँ उचित नही रहती है। यद्यपि निगम की वर्तमान समय मे केवल एक अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम है लेकिन उससे भी इसका समन्वय सन्तोषजनक नही है। वर्ष 1992-93 से पूर्व चाय व्यापार निगम की गतिविधियो को सन्तोषजनक कहा जा सकता था। परन्तु वर्ष 1992-93 मे इसे 171 लाख रुपये की हानि होना एक चिन्ता का विषय है

(ञ) <u>राजकीय व्यापार की अन्य समस्याए</u> – राजकीय व्यापार से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याए निम्नलिखित है-

-- राजकीय अभिकरणो मे ज्ञान-अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी पायी जाती है। राजकीय व्यापार विशिष्ट रूप से विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय होता है। इसके लिए वस्तुओ का विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक होता है और इसके साथ ही साथ वृहत क्षेत्र मे फैले हुए व्यापारियो से विस्तृत अनुबन्ध करने की आवश्यकता भी पडती है। वस्तुओ का विस्तृत ज्ञान एव अनुबन्ध की क्षमता प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। राजकीय अभिकरण विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी के कारण विदेशी व्यापार व्यवहार को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के योग्य नही होता ।

-- व्यापार व्यवहार मे व्यवसाय की परिवर्तनशील परिस्थितियो के कारण शीघ्र निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है क्योकि विलम्ब से लिये गये निर्णय व्यावसायिक क्षेत्र मे निष्प्रयोज्य होते है। राजकीय व्यापार व्यवस्था के नौकरशाही प्रशासन मे यह सम्भव नही है।

-- किसी भी व्यापार के प्रभावपूर्ण एव मितव्ययी सचालन हेतु व्यक्तिगत रुचि बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजकीय व्यापार मे सलग्न कर्मचारियो के व्यापार व्यवहार मे कोई व्यक्तिगत हित नही होता है।व्यापार

की लाभ हानि सरकार के खाते मे जाती है न कि व्यापार का सचालन करने वाले कर्मचारियो के। इसलिए कर्मचारी इस बात का पूर्ण प्रयास नही करते कि राजकीय व्यापार हेतु खरीददारी सबसे सस्ते बाजार से की जाय, तथा बिक्री सबसे महँगे बाजार मे हो।

-- राजकीय व्यापार सरकारी एकाधिकार को बढावा देता है। इसे राजकीय पूँजीवाद भी कहा जा सकता है इसके माध्यम से एकाधिकारी शक्ति सरकार के पास केन्द्रित हो जाती है जिससे जन साधारण को हानि होने लगती है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का स्तर भी गिर जाता है, जैसे- आजकल अधिकाश राज्यो मे उचित मूल्य की सरकारी दूकानो पर सेवा का स्तर गिर चुका है जिसमे उपभोक्ता को दुत्कारने, उसका अनके प्रकार से शोषण करने का प्रयास किया जाता है।

-- राजकीय व्यापार मे भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। अत सरकार को व्यापार व्यवहार मे नही पडना चाहिए बल्कि इस धनराशि का प्रयोग देश के अन्य विकास ससाधनो मे करना चाहिए।

-- राजकीय व्यापार मे लगे अभिकरणो के क्रय-विक्रय मूल्य के अन्तराल की समाप्ति हेतु दी जाने वाली राज सहायता दिन-प्रतिदिन बढते हुए 6000 करोड रुपये वार्षिक तक पहुँचने वाली है। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के नाम पर एक विकासशील देश वाला इतनी बडी धनराशि खर्च करना बहुत उचित नही है। सरकार अपने सवैधानिक अधिकारो का प्रयोग उचित ढग से करके भी उपभोक्ता को शोषण मुक्त करा सकती है।

सुझाव

समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए विपणन क्रियाओ मे भाग लेना नि सन्देह देश के सन्तुलित व्यावसायिक तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। विकसित आर्थिक मूल्यो के सन्दर्भ मे यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवी शताब्दी मे देश और समाज के बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढता के लिए राजकीय व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की भयकर गरीबी को देखते हुए इसे न केवल समाज के कमजोरतम् वर्गों की क्रयशक्ति के पहुँच वाले मूल्यो पर जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ के पूर्ति मे सहयोग देना चाहिए बल्कि इसके माध्यम से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सुदृढ किया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार की समस्याओ की जटिलता के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि राजकीय व्यापार व्यवस्था का विघटन कर दिया जाना चाहिए। परन्तु यह एक त्रुटिपूर्ण, अदूरदर्शी और अनुचित निर्णय होगा। वास्तव मे राजकीय व्यापार की समस्याओ का समाधान अग्रलिखित सुझावो के अनुपालन से किया जा सकता है-

व्यापारिक क्रियाओ मे आदर्श आचार सहिता का निर्माण एव उसका अनुपालन –

प्रत्येक व्यापार के समुचित विकास एव कुशल नियनत्रण हेतु कुछ आदर्श आचार सहिताओ का निर्माण किया जाना तथा उनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। भारत के राजकीय व्यापार म इस प्रकार की कोई आचार सहिता अभी तक नही बनायी गयी है। राजकीय व्यापार–क्षेत्र म पर्याप्त आचार सहिता तैयार किये तथा उनका पालन किय बिना व्यापार मे राज्य की भागीदारी अथवा कानूनो द्वारा उस पर नियन्त्रण का उद्‌देश्य प्राप्त नही किया जा सकेगा। अत वैकल्पिक विपणन नीतियो और व्यवहारो से किसानो उपभोक्ताओ और व्यापार एजेन्सियो का परिचत कराने के लिए अति आवश्यक है कि राजकीय व्यापार की आदर्श आचार सहिता बनायी जाय तथा उसका पालन किया जाय।

भावी उत्पादन एव खपत का सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना –

राजकीय व्यापार के लिए उत्पादन एव खपत का सही–सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इस अनुमान के लिए एक साधन के रूप मे निजी इकाइयो के अनुमान को प्रयोग मे तो लाया जा सकता है परन्तु उन्हे अनुमान का आधार नही बनाया जा सकता। सही एव वैज्ञानिक समको के सग्रहण हेतु नवीनतम कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था को शासकीय समक सग्रहण विभागो मे उपयोग किया जाना समीचीन होगा। अत आकडो के सकलन मे सलग्न सरकारी इकाइयो को और अधिक चुस्त एव दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है ताकि खपत की उत्पादन से तुलना कर आवश्यक वस्तुओ के आयात–निर्यात का निर्णय उचित समय पर लिया जा सके। इसके माध्यम से सही समय पर उचित सौदेबाजी के आधार पर अनुबन्धो को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का उचित अवसर मिल सकेगा तथा तीसरे पक्षकारो से भी सम्पर्क करने की पर्याप्त अवधि मिल सकेगी। इससे एक ओर न्यूनतम व्यय पर जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर राजकीय व्यापार की लाभदायकता को बढाने मे भी सहायता मिलेगी।

कानूनो की सख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर उसके अनुपालन पक्ष पर जोर –

भारत सरकार ने व्यापारिक क्रियाओ पर नियन्त्रण रखने तथा उन्हे आम जनता के लिए सुविधाजनक एव उपयोगी बनाने के लिए बहुत से अधिनियम बनाये है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हे व्यवस्थित तरीके से प्रभावी बनाया जाय। व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है कि –

* विभिन्न अधिनियमो के अनुपालन मे सामञ्जस्य रखा जाय तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इनके अनुपालन मे एक अधिनियम दूसरे अधिनियम की व्यवस्थाओ का अतिक्रमण न करे।

* भारतीय विनियम समाज मे व्याप्त व्यापारिक अनियमतताओ को दूर नही कर पाये है क्योकि

कानूनो मे कही न कही अनियमितता करने का छुद्र अवसर प्राप्त हो जाता है अत आवश्यकता इस बात की है कि कानूनो का पुनरावलोकन एव पुनरीक्षण के बाद उन्हे परिशोधित और परिष्कृत भी किया जाय।

* विभिन्न अधिनियमो मे जो आर्थिक दण्ड निर्धारित किये गये है मुद्रा स्फीति को देखते हुए दोषी व्यक्तियो मे किसी प्रकार का भय उत्पन्न नही कर पाते। अत अधिनियमो के आर्थिक दण्डो को पुन निर्धारित किया जाय।

* उपभोक्ता सरक्षण अदालतो मे मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक जिले मे केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षो मे ही एक अनुभाग इस आशय का खोला जाय जो उपभोक्ताओ को इन अदालतो मे जाने से पहले सरसरी तौर पर यह देखे और सुझाव दे कि मामले उपभोक्ता अदालतो मे खारिज तो नही होगे।

* उपभोक्ता अदालतो मे बढते हुए लम्बित मामलो के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला मच, राज्य आयोग एव राष्ट्रीय आयोग के सदस्यो की सख्या को आवश्यकतानुसार बढाया जाना चाहिए।

प्राथमिक एव नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता –

राजकीय व्यापार के कुशल सचालन हेतु देश के सभी नागरिको को प्रथमत साक्षर एव द्वितीयक– नैतिक रूप से साक्षर बनाया जाना अनिवार्य हो गया है। विद्यमान सामाजिक परिवेश मे स्वार्थ की जडे काफी गहरी हो गयी है इसको उखाड फेकना नितान्त आवश्यक हो गया है। अत नागरिको मे देश भक्ति एव नैतिकता को जागृत करना अपरिहार्य है। इससे एक ओर उपभोक्ता अपने अधिकारो के प्रति सजग होगा तो दूसरी ओर राजकीय व्यापार मे सलग्न अभिकरण एव उन्हे सचालित करने वाले व्यक्ति"कार्य ही पूजा है" की अवधारणा को समझ सकेगे तथा अपने कर्तव्यो का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर सकेगे।

देश मे उपभोक्ता ब्यूरो बनाने की आवश्यकता –

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव सार्वजनिक वितरण से जुडी एक ससदीय समिति का सुझाव अनुपालनीय है कि देश मे एक "उपभोक्ता ब्यूरो" बनाया जाना चाहिए जो आम लोगो को समय–समय पर मार्ग दर्शन प्रदान करे। प्रस्तावित ब्यूरो के गठन से आम उपभोक्ताओ को बहुत से सुझाव और आवश्यक जानकारी मुहैया करायी जा सकेगी। इससे मात्र तकनीकी कारणो से खारिज हो जाने वाले मुकदमो की सख्या को भी घटाया जा सकेगा। वर्तमान समय मे उपभोक्ता अदालतो मे लम्बित पडे मामलो की सख्या लगभग साढे तीन लाख है जो चौकाने वाली है जिसमे प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। उपभोक्ता ब्यूरो बन जाने पर उपभोक्ता अदालतो मे जाने से पहले उपभोक्ता इस ब्यूरो मे सलाह लेगा और यदि मामले मे तथ्य पूर्ण बाते है तभी वाद प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा नही। इस प्रकार यह सुझाव जिला नियन्त्रण कक्षो मे मामले के सरसरी तौर पर निरीक्षण हेतु अलग बनाये जाने वाले अनुभाग के

विकल्प के रूप म प्रयोग किया जा सकता है।

राशनिग व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने सम्बन्धी सुझाव –

राशनिग व्यवस्था मे आ रही वर्तमान समस्याआ का समाधान निम्न सुझावो मे मिल सकता है–

* राशनिग व्यवस्था मे खाद्यान्ना की नियमित पूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि राशनिग के प्रबन्ध मे व्याप्त भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था को समाप्त किया जाय। यदि इसे योजनाबद्ध एव व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाय, तथा अधिकारी वर्ग दुकानो को सप्ताह मे कम से कम तीन दिन खुलवाने की व्यवस्था करने का सकल्प ले तो खाद्यान्नो के अनियमित पूर्ति की समस्या का समाधान हो जायेगा।

* राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली अभी तक की केवल छ वस्तुओ की सख्या मे भी वृद्धि की जानी चाहिए इसके अलावा एक वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुए उपलब्ध कराकर अधिकाश उपभोक्ताओ की रुचि को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

* राशनिग व्यवस्था के सुचारु रूप से सचालन हेतु खाद्यान्नो के उत्पादन सम्बन्धी समको के सकलन मे अनुसन्धान कार्य मे लगी इकाइयो तथा शासकीय विभागो से अनुमान लगवाया जाना चाहिए। खपत सम्बन्धी अनुमान तो राशनिग व्यवस्था स्वय कर सकती है।इस प्रकार खाद्यान्नो के सग्रहण एव खपत मे सदैव समन्वय बनाये रखना चाहिए।

* राशनिग व्यवस्था के सम्बन्ध मे जनता की भ्रान्तियो को दूर करने के लिए आवश्यक है कि राशनिग व्यवसथा के कारण, प्रभाव एव प्रक्रिया का विस्तृत प्रचार एव प्रसार किया जाय।

* राशन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विभिन्न आयु वर्गों की जनसख्या का सर्वेक्षण कर उपभोग की मात्रा का निकटतम सही अनुमान लगाया जाना चाहिए जिससे राशनगि प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे।

* उचित मूल्य की दुकानो को नगरो एव ग्रामीण क्षेत्रो मे विकेन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। इन्हे उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए न कि विक्रेता के सुविधानुसार।

इस प्रकार उपरोक्त सुझावो के अनुपालन से राशनिग व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ एव उपयोगी बनाया जा सकेगा।

खरीद कार्य को और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता –

सरकारी खरीद को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए इसमे निम्न सुझावो को लागू किया जा सकता है–

* सरकारी खरीद कार्य से सम्बन्धित नीति तय करते समय सरकार को चाहिए कि वह कृषि मूल्य आयोग की सस्तुतियो को ध्यान मे रखे। खरीद सम्बन्धी लक्ष्यो के निर्धारण मे केन्द्र एव राज्य सरकार समन्वित रूप से कार्य करे तथा अपनी विकास प्राथमिकताओ के अनुरूप ही लक्ष्य का निर्धारण करे।

* यदि यह सम्भावना हो कि खरीदकार्य का निर्धारित लक्ष्य पूरा नही हो पायेगा तो किसानो पर न्यूनतम किन्तु उत्पादन–प्ररक लेवी का निर्धारण कर इस सन्देह से निश्चिन्त हुआ जा सकता है। जैसे– किसानो से खरीदे जाने वाले खाद्यान्नो का मूल्य भुगतान लेवी की चीनी, सस्ते कपडे, उपजाऊ उर्वरक, कीटनाशक दवाओ अच्छे बीजो अथवा किसान के आवश्यकता की अन्य वस्तुओ मे किया जाय। इससे किसान न केवल अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए अभिप्रेरित होगे बल्कि वे अपने अतिरेक उपज को सरकारी खरीद केन्द्रो पर ही बेचना चाहेगे।

* खरीद कार्य मे केन्द्र एव राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागो मे कभी–कभी वाछित समन्वय न बन पाने की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि जिस समय खरीद कार्य चल रहा हो उस समय दिन–प्रतिदिन खरीद की प्रगति अपने–अपने मुख्यालयो को प्रेषित की जाय तथा आने वाली समस्याओ की जानकारी दी जाय। राज्य एव केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागो के अधिकारियो की अर्द्ध मास के अन्तराल पर बैठक की जाय जिसमे खरीद कार्य की समीक्षा हो और समस्याग्रसत मामलो पर विचार–विनिमय कर आपसी समन्वय विकसित किया जाय जिससे विभागीय लक्ष्यो एव नीतियो मे एकरूपता लायी जा सके।

* खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एव स्थायी उपकरण बन सके इसके लिए आवश्यक है कि राजकीय प्रशासन खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एव सगठनात्मक ढॉचे की नियुक्ति के विषय मे राज्य, जिला एव खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यो को प्राप्त करने की दिशा मे, खरीद कार्य की व्यवस्था के सन्दर्भ मे तथा विभिन्न स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यो के सम्बन्ध मे विशे सावधानी बरती जाय। जिला स्तरीय लक्ष्य निर्धारण मे आकडो की अपर्याप्तता, अनुपलब्धता एव उनके शुद्धता के स्तर का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यानुसार वित्तीय एव खरीद के अन्य ससाधनो का बॅटवारा इकाईवार किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारी बनाना –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निम्न उपायो के माध्यम से और प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए–

* केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश पर राज्य सरकारो को तुरन्त अमल करना चाहिए। ऐसे आदेश राज्य सहित केन्द्र शासित प्रदेशो को भी फरवरी–1995 मे जारी किये गये है। इनके इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार एव प्रसार पर भी केन्द्र सरकार ने जोर दिया है जो एक सराहनीय कदम है। विभिन्न सूचना माध्यमो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता, वर्तमान व्यवस्था, प्रक्रिया एव परिणाम की जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। इसके द्वारा आम जनता की अनेक भ्रान्तियो को दूर किया जा सकेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे लगे व्यक्ति अपने कार्यों एव उत्तरदायित्वो के प्रति सजग होगे। इसके माध्यम से इस व्यवस्था मे व्याप्त अपमिश्रण, कालाबाजारी, चोरबाजारी एव भ्रष्टाचार मे कमी की जा सकेगी।

* किसी भी शासकीय योजना की सफलता एव विफलता के लिए सरकार एव आम जनता दोनो उत्तरदायी होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय लोग एव उच्चस्तरीय प्रशासन दोनो क सहयोग से ही सार्वजनिक वितरण तन्त्र की भ्रष्टता को कम किया जा सकता है। जिला नियन्त्रण कक्ष के अधीन ही एक आकस्मिक जॉच दल का गठन किया जाना चाहिए जो समय-समय पर उचित मूल्य के दुकानो की जॉच करे। खाद्यान्नो की गुणवत्ता तथा प्राप्त एव वितरित स्टॉक के सम्बन्ध मे अनियमितता पाये जाने पर दोषी दुकानदारो को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जॉच कार्य मे सहायता हेतु मुहल्ला या ग्राम जॉच समितियॉ भी बनायी जानी चाहिए ताकि वितरण व्यवस्था की निचले स्तर पर भी जॉच की जा सके ओर इस तथ्य से सन्तुष्ट हुआ जा सके कि वस्तुओ का वितरण वाछित व्यक्तियो को ही किया जा रहा है।

* आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर मे खुली बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता-वस्तु मूल्यो मे आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति मे देश के पिछडे एव ग्रामीण क्षेत्रो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना अपरिहार्य हो गया है।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो मे वस्तुओ की बिक्री न होने की समस्या का समाधान इस प्रणाली की व्यवस्था को ग्राम प्रधानो तथा ग्राम सभा सदस्यो को सौप कर किया जा सकता है।ग्राम प्रधानो की सहमति से नियुक्त किये गये कोटेदार,ग्रामवासियो की सुविधानुसार उचित स्थान पर एव उचित मूल्य पर अधिकतम सुविधाओ के साथ वस्तुओ के विक्रय का प्रयास करेगे।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इससे निर्धन व्यक्तियो को वाछित सहायता नही मिल पा रही है।इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार उस प्रस्ताव को मजूरी दे जो कि उसके समक्ष काफी दिनो से विचाराधीन है जिसमे उन व्यक्तियो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग करने की बात कही गयी है जिनकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। ऐसा करने से इस प्रणाली का लाभ केवल उन्हे मिलेगा जिन्हे वास्तव मे इसकी आवश्यकता है।इसके अलावा ऐसा करने से इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओ को बढाया भी जा सकता है।

* अधिकतम निर्धन परिवारो को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को जारी रखते हुए, प्रायोगिक तौर पर अमेरिका की तरह हमारे देश मे भी निर्धन परिवारो को फूड स्टाम्प बॉटने की योजना को कार्यरूप दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले देश के अति गरीबो को परिभाषित करना होगा ओर उन्हे नकदी या कूपन के के रूप मे आर्थिक सहायता देनी होगी ताकि वे खुले बाजार से अपनी उदर-पूर्ति हेतु खाद्यान्न खरीद सके। यह व्यवस्था इसलिए अधिक उचित होगी कि अति गरीबो को सहायता पूरे राष्ट्र की कीमत पर की जानी चाहिए न कि भारतीय गरीब कृषको की कीमत पर। विकसित देशो के साथ ही कुछ एशियाई देशो जैसे श्रीलका ने भी अब इस अवधारणा का परित्याग किया है कि'खाद्यान्नो का

मूल्य गिरा कर रखा जाय' इसके स्थान पर उन्होने नया मार्ग गरीबो की पहचान करे' को अपनाया है। ऐसी व्यवस्था से सहायता उन्हे मिलेगी जिन्हे इसकी अधिक जरुरत है। इससे कम व्यय मे गरीबो की अधिक मदद की जा सकेगी। किसानो को खुले बाजार मे अपना अनाज बेचने से अच्छा मूल्य भी मिलेगा। परन्तु इस व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकल्प नही, बल्कि पूरक के रूप मे अपनाना उचित होगा।

*सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खाद्यान्नो की कम आपूर्ति की दशा मे बढने वाले दबाव की समस्या के निराकरण हेतु खाद्यान्नो का उत्पादन एव खपत का सही–सही अनुमान लगाया जाना आवश्यक होता है। सही–सही अनुमान के लिए समको के सकलन हेतु दो या दो से अधिक विश्वसनीय माध्यमो का प्रयोग किया जाना चाहिए इससे न तो उचित मूल्य की दुकानो पर अनावश्यक दबाव बढने का प्रभाव पडेगा और न ही आपूर्ति अधिक होने की दशा मे उचित मूल्य के दुकानदारो की आजीविका प्रभावित होगी। क्योंकि खाद्यान्नो की आपूर्ति के अनुसार उनके आयात अथवा निर्यात का निर्णय समय रहते लिया जा सकेगा।

* कमजोर वर्ग को इस प्रणाली का अनुकूलतम लाभ मिले इसके लिए आवश्यक है कि फर्जी राशन कार्डों एव जाली यूनिटो को रद्द किया जाय। अत सरकार को इस कार्य के लिए प्रभावी एव दण्डनीय अभियान चलाना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगो को इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि उन्हे कितनी मात्रा मे,किस दर पर,किस समय वस्तुओ की आपूर्ति मिलनी चाहिए।

* उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तुओ की किस्म मे शुद्धता बनाये रखने तथा कम माप–तौल की समस्या के निदान हेतु उपलब्ध वस्तुओ को छोटे–छोटे पैकेटो मे जिस पर "भारतीय मानक सस्थान" की मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए।

* एक दुकानदार को आवण्टित जनसख्या व कार्डों की सख्या बढ़ाई जाय तथा वस्तुओ के कोटा मे भी वृद्धि की जाय ताकि दुकाने लाभदायक बन सके इसके लिए कम कार्ड सख्या वाली दुकानो का एकीकरण भी किया जा सकता है।

* सरकार को राशन कार्डों को हस्तान्तरण करने वाले दोनो पक्षो को दण्डित कर इस पर पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए तथा कार्डों की जॉच मे विवाह एव प्रवसन का ध्यान रखा जाना चाहिए।

* जिन दुर्गम क्षेत्रो मे न तो सडके है न परिवहन के साधन,जहॉ अभी तक कभी कोई अधिकारी नही पहॅुच सका है वहॉ इस प्रणाली को लागू करना उचित न होगा। ऐसे स्थलो के लिए पहले आधार भूत सुविधाए उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि इस प्रणाली के लागू करने के बाद व्यवस्था का निरीक्षण तथा नियन्त्रण किया जा सके।

* नई दुकानो को खोलने मे वर्तमान नियमो का कडाई से पालन किया जाना चाहिए जिसके अनुसार कम से कम दो हजार की आबादी अथवा 3 किलोमीटर की दूरी मे दूसरी दुकान का न होना आवश्यक

होना है।

* सरकार को दुकानदारो द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक लगानी चाहिए ताकि दिन प्रतिदिन के कार्य मे राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।

* उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तुओ की आपूर्ति जिला मुख्यालय द्वारा सीधे की जानी चाहिए। इससे दुकानदारो को वस्तु की कम आपूर्ति अथवा मूल्य या मिलावट का अवसर नही मिल सकेगा।

* ग्रामीण क्षेत्रो मे उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिए ग्रामीण युवको को प्रेरित किया जा सकता है इससे उन्हे रोजगार भी मिल सकेगा तथा वे वस्तुओ की आपूर्ति बनाये रखने मे अधिक रुचि लेगे।

* नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति एव उसकी उपयोगिता से उत्सावर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे है अत उसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिलो तथा पिछडे राज्यो के पिछडे क्षेत्रो मे और अधिक बटाया जाना चाहिए।

<u>भारतीय खाद्य निगम को और अधिक उद्देश्यपरक बनाने सम्बन्धी सुझाव –</u>

भारतीय खाद्य निगम को उद्देश्यपरक एव अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

* भारतीय खाद्य निगम एक कल्याणकारी सस्था होने के कारण लाभ की भावना से अपनी सेवाए प्रदान नही करता।बेशक यह एक पुनीत कर्तव्य है परन्तु वर्ष 1986–87 से 1991–92 के बीच इस भावना को ढोते रहने मे उसे 4455 31 करोड रुपये का निवल घाटा हुआ है। इसका अर्थ यह कदापि नही है कि वह अपने "न लाभ न हानि" की भावना से कार्य करना छोड दे। उसे "न हानि" का भी ध्यान रखना है तभी वह अपना पर्याप्त विकास एव विस्तार करने के साथ–साथ अपना अस्तित्व भी बचा पायेगा।

* खाद्य निगम को अपनी कार्यक्षमता, कुशलता एव कारोबार की स्थिति मे तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है तभी इसके विनियोजित पूँजी एव कारोबार के अनुपात को बढाया जा सकेगा जो पिछले कई वर्षो से 1 2 पर रुका हुआ है।इसके लिए आवश्यक है निगम मे लगे व्यक्ति पूरी क्षमता एव स्वय के प्रेरणा से कार्यों का निष्पादन करे।

* निगम को लाभदायक स्थिति मे लाने के लिए आवश्यक है कि यह अपने कार्य मे " न केवल वाणिज्यिक सिद्धान्तो का प्रयोग करे बल्कि अपने व्ययो पर नियन्त्रण भी करे। कर्मचारियो की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे यद्यपि अल्पकालीन व्यय बढेगे परन्तु दीर्घकाल मे प्रति कर्मचारी कार्यक्षमता को बढाया जा सकेगा क्योकि रिक्त पदो पर नयी भर्ती से वेतन इत्यादि पर व्यय कम होगा तथा नये कर्मचारी अपनी अधिक कार्य, उर्जा का प्रयोग निगम के लाभो को बढाने मे कर सकेगे।

* भारतीय खाद्य निगम को मार्गस्थ हानियो एव भण्डारण की कमियो से बहुत बडी हानि हो रही है

अत इसे कम करने का प्रयास निम्न उपायो के द्वारा करना चाहिए–

-- खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति के समय जारी किये गये विनिर्देशनो को कडाई से लागू किया जाय, जैसे –चावल की खरीद के सम्बन्ध मे 17–18 प्रतिशत की मान्य नमी ही स्वीकार की जाय, इससे खाद्यान्नो की सूखने से कमी को कम किया जा सकेगा।

-- बोरो की सिलाई केवल मशीनो से की जानी चाहिए।

-- निगम के गोदामो से खाद्यान्नो के निर्गमन मे फीफो मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे खाद्यान्न के किसी स्टॉक को गोदाम मे अधिक समय तक न रोकना पडे।

-- खाद्यान्नो की परिवहन लागत कम रखने तथा अधिक सुरक्षित पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रेल परिवहन का यथा सम्भाव प्रयोग किया। तराई क्षेत्रो, दुर्गम क्षेत्रो तथा अन्य आतकवाद–प्रभावित क्षेत्रो मे जहाँ ट्रको द्वारा खाद्यान्न प्रेषित किया जाना अपरिहार्य हो तो वहाँ ट्रको के साथ सुरक्षा गार्डों को भी नियुक्त किया जाय साथ ही साथ ट्रको को केवल काफिलो मे चलने की अनुमति दी जाय।इससे ट्रको के अपहृत कर लिये जाने से निगम को होने वाली हानि को रोका जा सकेगा।

-- माल की लादने और उतारने की छीजन को रोकने के लिए यथासम्भव मशीनो का प्रयोग किया जाय।श्रमिको को हुको का प्रयोग करने की अनुमति केवल विशिष्ट बोरो और विशिष्ट परिस्थितियो मे ही दी जानी चाहिए।

-- भण्डारण का प्रबन्ध इस तरह से किया जाय कि कैप भण्डारण मे कोई खाद्यान्न रखने की आवश्यकता न पडे। यदि ऐसा करना आवश्यक ही हो तो केवल मोटे अनाजो को ही कैप भण्डारण मे रखा जाय, गेहूँ या चावल नही।

* खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय विवरणो की जॉच स्वीकृत मानको को ध्यान मे रखकर ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

* किसान भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रो पर अपनी उपज को अधिकतम मात्रा मे बेचे इसके लिए आवश्यक है कि खाद्यान्नो के सरकारी मूल्यो की घोषणा फसल के बुआई के समय ही कर दी जाय। किसानो के साथ मित्रवत् व्यवहार किया जा। क्रय केन्द्रो पर किसानो और उनके बैलगाडियो के रुकने तथा खाने एव चारे की व्यवसथा यदि बडे पैमाने पर खरीद की जाती है तो, सुनिश्चित की जाय।उन्हे इस बात से पूर्णत सन्तुष्ट किया जाय कि उनका माल अमुक ग्रेड का है जिसका सरकारी मूल्य अमुक है। अलग–अलग ग्रेडो का अनाज और उनका लिखित मूल्य कृषको के समक्ष आदर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस व्यवहार से कृषक स्वत अपने उपजो को महाजन एव ग्रामीण मध्यस्थो को नही बेचेगे।

* निग को चाहिए कि वह फसलो व खाद्यान्न सरक्षण की तकनीक के बारे मे अनुसन्धान करे तथा कृषको को नवीनतम वैज्ञानिक विधियो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। उसे किसानो द्वारा लिए जाने-

वाले ऋण की गारण्टी भी देनी चाहिए।

* निगम द्वारा खरीदे जान वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता पर भी ध्यान दने की आवश्यकता है। गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त करन क लिए अधिकारियो को' आप ऐसा करें'' के स्थान पर ''हम सब मिलकर ऐसा करे'' पर अधिक जोर दना होगा।

* निगम को अपनी वर्तमान भण्डारण क्षमता को 197 लाँख टन से बढाने की आवश्यकता है। वह वर्तमान समय मे अपनी कुल भण्डारण क्षमता का एक तिहाई भाग किराये पर प्राप्त कर काम चलाता है।जिसके लिए उसे भारी किराया चुकाना पडता है तथा गोदामो के वाछनीय स्तर भी नही होते। इसके लिए एक अभियान चलाया जाय और अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करा कर नये भण्डारगृहो का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि निगम को किराये पर भण्डार क्षमता प्राप्त न करनी पडे साथ ही मूल्यवान खाद्यान्नो को कैप भण्डारण मे रखना भी न पडे।

* निगम के सभी गोदामो का भौतिक सत्यापन किया जानला अपरिहार्य है, परन्तु सभी गोदामो का भौतिक सत्यापन एक साथ नही किया जा सकता इसके लिए लाटरी निकालकर यह तय किया जाना चाहिए कि किस डिपो का सत्यापन पहले किया जाय। इस उपाय से खाद्यान्नो का स्टॉक स्कन्ध बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नो का सडना या गल जाना, तिरपालो एव बोरो के सडने से होने वाली हानि तथा समय से दवा न छिडके जाने से होने वाली हानि को कम किया जा सकेगा। सत्यापन करने वाले कर्मचारी भण्डारण के इस सम्बन्ध मे होने वाली हानि को रोकने का सुझाव भी अपने प्रतिवेदन मे प्रस्तुत करे, इस आशय का निर्देश भी दिया जाना चाहिए।

* बहुत बडे एव महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्यान्नो की आवक एव निकासी के दोरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा कुल आवक एव निकासी को दर्ज करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियो को तैनात किया जाना चाहिए।

भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम के व्यवस्थित सचालन हेतु सुझाव –

विभिन्न खाद्यान्नो एव अन्य वस्तुओ मे समय एव स्थान उपयोगिता के सृजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लगा यह निगम यद्यपि अपने कर्तव्यो का कुशलता से निर्वहन कर रहा है। फिर भी इस निगम के सचालन हेतु निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते है–

* इस निगम को अपने व्ययो को नियन्त्रित करने के लिए कमोबेश उन्ही उपायो का प्रयोग करना चाहिए जो कि भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध मे दिये गये है। इसके लिए वास्तव मे ग्रेच्युटी, बोनस, वेतन, भत्ते, मजदूरी एव अनुरक्षण व्ययो को बढने से रोकना तो सम्भव नही है परन्तु इनकी वृद्धि दर मे आकर्षक सेवानिवृत्ति–योजना के द्वारा कमी अवश्य लायी जा सकती है।

* परिचालन व्ययो मे कमी लाने के लिए भण्डारगृहो का आधुनिकीकरण आवश्यक है। एक प्रशिक्षित जन शक्ति, नवीननम तकनीको पर आधारित मशीने विवेकीकरण पर आधारिन भण्डारण व्यवस्था तथा कम्प्यूटरीकरण पर आधारित स्टॉक सगणना व्यवस्था निगम के परिचालन व्ययो मे कमी लाने मे सहायक होगी।

* वृहत् पूँजी निवेश के बाद अर्जित की जाने वाली स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता, अथवा किराया चुका कर प्राप्त की जाने वाली किराये की भण्डारण क्षमता यदि अप्रयुक्त रह जाती है तो यह निगम के हानि का माध्यम बनती है। इसलिए यह आवश्यक है कि निगम अपना विकास एव विस्तार करते हुए अपनी भण्डारण क्षमता को बढाने का कार्य जारी रखे, परन्तु किराये पर उतनी ही भण्डारण क्षमता प्राप्त करे, जितनी कि निगम के लिए आवश्यक हो। इससे एक ओर तो व्यय के रुप मे निगम द्वारा चुकाये जाने वाले किराये मे कमी होगी तो दूसरी ओर इन भण्डारगृहो के स्वामी अप्रयुक्त भण्डार गृहो का प्रयोग किन्ही अन्य कार्यो मे कर सकेगे।

* विगत वर्षों मे निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता मे आयी गिरावट को दूर करने का प्रयास करना होगा। निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता तथा कर्मचारियो पर किया गया व्यय कर्मचारियो की सख्या से प्रत्यक्ष रूप मे जुडा हुआ है। अत कर्मचारियो की सख्या नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। समय की मॉग यह भी है कि निगम की सकल प्राप्ति मे आयी कमी का गहन परीक्षण एव अनुसधान कराया जाय और प्राप्त रिर्पोट के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।

* निगम को अपने भण्डारगृहो से होने वाली आय को बढाने के लिए निम्न सुझावो का अनुपालन करना चाहिए--

-- निगम अपनी भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करते हुए व्ययो को नियन्त्रित करे। भण्डारण क्षमता का पूरा प्रयोग एव व्ययो पर नियन्त्रण तभी सम्भव है जब निगम के समस्त कर्मचारी अपनी पूरी लगन एव निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जमाकर्ताओ को हर सम्भव सुविधा प्रदान करे और साथ ही साथ भण्डारित वस्तुओ के गुणात्मक एव मात्रात्मक क्षति को भी न्यूनतम करे।

-- निगम को अपना लाभ एव लाभाश बढाने के लिए परम्परागत क्षेत्र के कारोबार मे वृद्धि करने के साथ ही साथ अपरम्परागत् क्षेत्रो मे भी अपना कारोबार बढाना है।

-- कटेनर ढुलाई स्टेशनो से निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है अत इसकी सख्या को 12 से बढाकर 20 किया जाना चाहिए। जिन ढुलाई स्टेशनो के लिए मन्त्रालय से अनुमति मिल चुकी है, उनकी स्थापना मे अब विलम्ब नही किया जाना चाहिए।

-- इस निगम ने भी भारतीय खाद्य निगम की तरह गेहूँ की अधिप्राप्ति का जो कार्य छोटे पैमाने ,,

पर शुरू किया है उसमे और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नो की खरीद, भण्डारण एव खुले बाजार मे कीमतो म वृद्धि की दशा मे निर्गमन का कार्य शुरू करके अपने कार्य क्षेत्र और लाभो मे वृद्धि कर सकता है।

-- इन प्रयासो के अतिरिक्त फलो, फूलो एव सब्जियो के भण्डारण व्यवस्था म और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है इसके लिए और अधिक कोल्ड स्टोरेज बनायें जाने चाहिए।

* निगम को भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम करने हेतु निम्न प्रयास करने चाहिए-

-- स्टाक के मूल्याकन एव नियन्त्रण की नवीन विधियो को प्रयोग मे लाया जाय ताकि क्षण प्रतिक्षण स्टाक मे रखी गयी वस्तुओ की बिना भौतिक सत्यापन के जानकारी की जा सके साथ ही समय-समय पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टाक के मूल्याकन मे तीव्रता लाने के लिए कम्प्यूटरीकृत स्टाक मूल्याकन व्यवस्था भी अपनायी जा सकती है।

--मार्च-1992 तक भण्डारित की जाने वाली 229 वस्तुओ के सम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया सहिता का निर्धारण किया जा चुका था निगम को चाहिए कि वह भण्डारित की जानी वाली सभी वस्तुओ के समम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया सहिता न केवल निर्धारण करे बल्कि उसका पालन भी करे।

-- नमूनो के विश्लेषण एव वस्तुओ के ग्रेड निर्धारण मे विगत वर्षों मे जो सख्यात्म कमी आयी है ऐसी कमी से निगम को बचना चाहिए तथा भण्डारित की जाने वाली वस्तुओ के रोग रोधी उपचार, स्टॉक का प्रधूमन, भण्डारण स्थान का प्रधूमन इत्यादि मे और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए।

-- माल की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरो को लादने एव उतारने मे मशीनो का प्रयोग बढाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर दिया जाना चाहिए। निगम द्वारा कैप भण्डारण अपरिहार्य दशाओ मे ही कुछ समय के लिए किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावो के अनुपालन से केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम कर सकता है।

* किसानो द्वारा निगम के भण्डारगृहो का प्रयोग बढाये जाने के लिए आवश्यक है कि किसान एव कीट नाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक बडे पैमाने पर लागू किया जाय, किसानो को वैज्ञानिक भण्डारण विधियो से अवगत कराया जाय, इन विधियो का प्रदर्शन कर उन्हे प्रशिक्षित किया जाय। यदि निगम किसानो को अपनी भण्डारण प्रक्रिया से अवगत करायेगा तो किसान स्वय अपने आधिक्यो को निगम के भण्डारगृहो मे रखने के लिए उत्साहित होगे और निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ का लाभ उठायेगे।

* राज्य भण्डारण निगमो की समता अश पूँजी मे किये गये विनियोजन से प्राप्त होने वाले लाभाश की स्थिरता हेतु आवश्यक है कि खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा इन निगमो को समय से अपनी

वार्षिक साधारण सभाए बुलाने के सम्बन्ध मे कडे निर्देश दिये जाये। राज्य भण्डारण निगम राज्य की स्थानीय परिस्थिति, विभिन्नता एव आवश्यकता से भलीभॉति परिचित होते है इसलिए इन निगमो को अपनी सेवाए राज्य की निजी एव सरकार द्वारा प्रायोजित सस्थाओ की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करते हुए कम से कम लागत पर अधिक मात्रा मे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य भण्डारण निगमो को भी उन सुझावो का अनुपालन करना चाहिए जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगमो•को उनकी आय बढाने एव क्षमता के अधिकतम प्रयोग के सम्बन्ध मे दिए गये है।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावो को अपनाकर भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम खाद्यान्न एव अन्य वस्तुओ के सग्रहण भण्डारण एव वितरण मे राजकीय उत्तरदायित्वो की पूर्ति मे अपनी महती भूमिका और अच्छी तरह से निभा सकेगा।

भारतीय राज्य व्यापार निमम हेतु उपयोगी सुझाव –

इस निगम को और उपयोगी बनाने के सम्बन्ध मे कुछ सुझाव निम्नवत् है–

* भारतीय राज्य व्यापार निगम को विगत पॉच वर्षों मे अपनी विनियोजित पूँजी पर लगभग 2 3 प्रतिशत की प्रत्याय हुई है जो कि बहुत कम है। निगम को कम से कम इसे 7–8 प्रतिशत तक बढाना चाहिए। इस प्रत्याय दर को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक अनुबन्धो मे लाभ–हानि की तुलना करते हुए ही व्यापारिक अनुबन्धो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। प्रत्याय दर को बढाने के लिए आवश्यक है कि स्थापना व्यय एव अन्य खर्चों मे यथा सम्भव कटौती की जाय।

* निगम को देश के उद्योग एव व्यापार से प्रत्यक्ष व्यावहारिक सम्बन्ध लगातार बनाये रखना चाहिए ताकि देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार एव वाणिज्य मे आ रही तात्कालिक समस्याए, उत्पादन एव खपत की सही जानकारी, परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियो का निगम पर पडने वाले प्रभावो की स्थिति की वास्तविक जानकारी मिल सक। इससे निगम को आयात–निर्यात व्यापार के सम्बन्ध मे अपनी सौदेबाजी की शक्ति के आधार पर लाभदायक अनुबन्धो का निर्धारण करने मे आसानी होगी।

* निगम को सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह अपने सहायक निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ समन्वय बनाये रखे। दोनो सस्थाओ के उद्देश्यो, लक्ष्यो एव नीतियो मे एकरूपता होनी चाहिए साथ ही दोनो मे और अधिक सहयोग विकसित किया जाना चाहिए।

* निगम को अपनी प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहको की सुविधा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि इस पर एकाधिकारी सस्था होने का अरोप सही नही है क्योकि इसके द्वारा बहुत सी असरणीबद्ध वस्तुओ का वयापार भी किया जाता है, फिर भी निगम को यथार्थवादी मूल्य–नीति अपनानी चाहिए तथा उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

* वर्तमान समय मे सरकार सरणीबद्ध वस्तुआ की सख्या मे कमी करती जा रही है इससे निगम को स्वय अपना व्यापार क्षेत्र एव व्यापार की वस्तु का चयन करना है। ऐसी दशा मे असरणीबद्ध वस्तुओ एव बाजार का नया क्षेत्र खोजना अपरिहार्य हो गया है। अत निगम को नये बाजार की खोज पर अधिक धन व्यय करना पडेगा तथा असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार क्षेत्र मे अपना कारोबार बढाना होगा।

इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यापार निगम को अन्य राजकीय अभिकरणो के सम्बन्ध मे दिये गये यथोपयोगी सुझावो का भी अनुपालन करना चाहिए।

निर्णयनप्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण –

राजकीय व्यापार मे शासकीय निर्णयो को विलम्ब से लेने के आरोप का निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि इनके निर्णय प्रक्रिया मे विकेन्द्रीकरण को लागू किया जाय। सही समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत् अधिकारियो एव कर्मचारियो मे अधिकारो एव दायित्वो दोनो का साथ–साथ विकेन्द्रीकरण हो। इसके अतिरिक्त शीघ्र निर्णयन हेतु राजकीय व्यापार एजेन्सियो का गठन एक स्वायत्तशासी सस्था के रूप मे किया जाना चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया मे जटिलता को कम करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियो के अधिकारो को सीमित किया जाय, जिससे वे राजकीय व्यापार अभिकरणो के कार्यों मे अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके। इन पदाधिकारियो एव शासकीय अधिकारियो के कर्तव्यो एव दायित्वो की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरदायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाना चाहिए ताकि समय एव परिस्थिति के अनुरूप उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

सम्बद्ध मन्त्रालयो मे समन्वय की आवश्यकता –

यद्यपि राजकीय व्यापार से अप्रत्यक्ष रूप मे तो बहुत से मन्त्रालय सम्बद्ध होते है परन्तु कृषि, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालय प्रमुख है। इन मन्त्रालयो के बीच सवादहीनता जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। इन मन्त्रालयो से सम्बन्धित अधिकारियो के बीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समय–समय पर विभागीय एव अन्तर्विभागीय बैठको का आयोजन किया जाना चाहिए। जब भी आवश्यकता समझी जाय तो मन्त्रिमण्डलीय सचिवो की समिति बनाकर अहम् मुदद्ो पर विचारो का प्रत्यक्ष आदान–प्रदान किया जाय। जिससे उत्पादन, आवश्यकता, खरीद एव निर्गमन आदि के सम्बन्ध मे वास्तविक अनुमानो पर आधारित सही तथा शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा त्वरित कार्यान्वयन भी किया जा सके।

राजकीय व्यापार अभिकरणो मे प्रतिनियुक्ति पर रोक –

क्योंकि थोडे समय के लिए दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियो मे राजकीय व्यापार के ज्ञान एव अनुभव की कमी के कारण अनुबन्ध

योग्यता विकसित नही हो पाती है साथ ही उन्हे अपने मूल विभाग को कुछ समय बाद वापस होना होता है जिससे वे पूरे मनोवेग से निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन नही करते। अत प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा देनी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थिति मे ही अधिकारियो एव कर्मचारियो की प्रति–नियुक्ति की जानी चाहिए वह भी या तो बहुत थोडे समय के लिए, अर्थात् 1 वर्ष से कम, अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे राजकीय व्यापार अभिकरण अपरिहार्य परिस्थितियो से बच भी सकता है तथा यदि लम्बे समय तक प्रतिनियुक्ति जारी रहती है तो कर्मचारी या अधिकारी को अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता का उपयोग भी हो सकेगा।

कर्मचारियो की नियुक्ति, प्रशिक्षण एव अभिप्रेरण मे विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता –

राजकीय व्यापार के अभिकरणो मे कार्य करने वाले व्यक्तियो की नियुक्ति मे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमे व्यापारिक क्षमता एव योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता,योग्यता एव रुचि का परीक्षण नवीनतम विधियो से किया जाना चाहिए।नियुक्ति का आधार केवल प्रतियोगितात्मक परीक्षण ही होना चाहिए।

यद्यपि राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत् कर्मचारियो और अधिकारियो मे ओर अधिक क्षमता,योग्यता एव कुशलता का विकास करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, परन्तु यह तेजी से बदल रही आर्थिक परिस्थितियो को देखते हुए पर्याप्त नही है। अत प्रशिक्षण के समय अन्तराल को कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी–नयी विधियो का प्रयोग कर कर्मचारियो मे कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण चरणबद्ध प्रक्रिया से पूरा किया जा सकता है। कर्मचारियो को उनके कार्य के सम्बन्ध मे विदेशो मे अपनाये जाने वाले अच्छे तरीको से भी परिचित कराया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत् कर्मचारियो एव अधिकारियो मे व्याप्त भ्रष्टाचार, भौतिकता की आपाधापी एव मानसिक अशान्ति को कम करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण यथा–ध्यान,योग एव नैतिक प्रशिक्षण शिविर आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कर्मचारियो एव अधिकारियो स्वय के प्रेरणा से कार्य सम्पादन की इच्छा जागृत करने के लिए अभिप्रेरण के नवीनतम वित्तीय एव अवित्तीय दोनो साधनो का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, क्षमता एव ईमानदारी से अपने–अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करे इसके लिए उन्हे यह बात समझायी जानी चाहिए कि राजकीय व्यापार अभिकरणो के हित मे ही कर्मचारी का हित भी विद्यमान एव सुरक्षित है।

उपभोक्ता सरक्षण कानूनो को और तीव्र तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता –

पश्चिमी तर्ज पर .

उपभोक्ताओ की अपने अधिकारो के प्रति सजग होने की एक लहर सी देश मे उठी है। परन्तु इस लहर के उठने पर यह अनुभव किया जा रहा है कि भारतीय–उपभोक्ता सरक्षण कानूनो मे वह चुभन नही है, जो होनी चाहिए। कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986 के अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि अश आवण्टित होने के पहल ही नुकसान का दावा करने जैसे मामले मे कोई मुआवजा या हर्जाना दिलवाने का कोई अधिकार उपभोक्ता अदालतो को नही है क्योकि एक निवेशक उपभोक्ता नही है। अश या यूनिट आवण्टित होने के बाद ही कोई निवेशक उपभोक्ता का दर्जा हासिल करता है। लगभग इसी प्रकार मामला कलकत्ता के डा0 अरविन्द गुप्ता बनाम 'सेबी' का है। अत उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम तथा उपभोक्ता हितार्थ बनाये गये अन्य समस्त कानूनो को और अधिक तीव्र एव प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव लागू किये जा सकते है–

* उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम मे उपभोक्ता को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। जिससे उपभोक्ता के दायरे को बढाया जा सके।

* जिला मच, राज्य आयोग एव राष्ट्रीय आयोग मे सदस्यो की नियुक्ति मे राजनीतिक हस्तक्षेप नही होना चाहिए केवल अनुभवी एव योग्य व्यक्तियो को ही इनका सदस्य बनाया जाना चाहिए।

* उपभोक्ता के लिए क्षतिपूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा इस सन्दर्भ मे अधिनियमो मे आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए।

* शहरी एव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जागृत की जा सके। उचित विज्ञापन के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओ को विभिन्न वस्तुओ तथा उसके उपयोग की जानकारी दे। वस्तुओ के मूल्य, किस्म, वजन, पैकिग एव पैकेजिग के सन्दर्भ मे नियमो से उपभोक्ताओ को परिचित कराया जाना चाहिए। जहाँ भी इनका उल्लघन सिद्व होता है, कडी से कडी सजा दी जानी चाहिए।

* यदि किसी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार मे आ जाती है तो उसे तुरन्त जब्त करने का अधिकार प्रशासनिक तन्त्र को दिया जाना चाहिए।

* तेजी से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियो के अनुसार विभिन्न अधिनियमो को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विधि विशेषज्ञो की एक स्थायी समिति बनाने की आवश्यकता है जो औद्योगिक(विकास एव नियमन) अधिनियम, अग्रिम अनुबन्ध(नियमन)अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण, आवश्यक वस्तु, व्यापार एव व्यापारिक चिन्ह, एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार, पैकेज्ड वस्तु नियमन, बाट एव माप–मान अधिनियम इत्यादि मे परिवर्तित परिस्थितियो के अनुरूप परितर्वन एव परिवर्द्धन करे।

ससदीय समिति के सुझाव का अनुपालन –

ससद की खाद्य एव नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशो का तुरन्त लागू किया जाना चाहिए जिसने अपना प्रतिवेदन गत वर्ष मे प्रस्तुत करते हुए सुझाव दिया है कि–

* उत्तर प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के गोदामो मे चावल उतारने के काम मे लगे ठेकेदारो के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस कार्य मे ठेकदारी की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा निगम द्वारा स्वय दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिको के माध्यम से इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिए।

* धान की खरीद पर लगने वाले करो मे एकरूपता लाने के लिए राज्यो को राजी किया जाय जिससे लेवी के धान के खरीद मूल्यो मे राज्यवार भिन्नता को समाप्त किया जा सके तथा इसके लागत नियन्त्रण मे सुविधा प्राप्त हो सके।

* भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य अभिकरणो को सरकारी खरीद केन्द्र के निकट किसानो को न्यूनतम किराये पर अपनी उपज के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कृषक जब चाहे अपनी उपज इन केन्द्रो मे बेच सके।

* भारतीय खाद्य निगम छोटे चक्की मालिको को भी कम मूल्य पर गेहूँ की आपूर्ति करे। क्योकि शहरो मे कमजोर वर्ग के उपभोक्ता राशन कार्डों के अभाव मे इन्ही आटा चक्कियों से आटा खरीदते है। निगम इस समय आटा मिलो और डबलरोटी निर्माताओ को कम दर पर गेहूँ बेचता ही है जबकि ये आटा मिले अथवा डबलरोटी उत्पादक अपना आटा उत्पाद खुले बाजार मे ऊँचे मूल्यो पर बेचकर लाभ प्राप्त करते है।

कुछ अन्य सुझाव –

सरकार को विभिन्न अधिनियमो के प्रावधानो को व्यवस्थित तरीके से लागू करवाने के लिए आवश्यक है कि वह स्थानीय जिला एव राज्य स्तर पर प्रेक्षक समितियो की स्थापना करे जिससे उपभोक्ताओ के हितो को सुरक्षित किया जा सके। इन समितियो मे उपभोक्ता, व्यापार अभिकरण तथा सम्बद्ध अन्य सघो को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार के सम्पादन से सम्बद्ध समस्त सत्ताओ यथा–केन्द्र, राज्य एव स्थानीय सत्ता के समन्वित सहयोग से ही राजकीय व्यापार की भूमिका को सकारात्मक स्वरूप दिया जा सकता है इसलिए आवश्यक है कि ये एक–दूसरे के विपरीत कार्य न करे, जब राजकीय व्यापार की सभी स्तर की एजेन्सियो मे सहयोग की भावना होगी तभी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

वर्तमान समय मे विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। साम्यवादी समूह भी उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोल रहे है। पूर्वी एव पश्चिमी जर्मनी जैसे दो दिशाई का देशो का विलय हो चुका है। कई विकसित देश आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहे है। इन्ही परिस्थितियो मे -

विश्व के आर्थिक मच पर कई क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार समूहो का गठन हुआ है, तथा कई पुराने विश्व व्यापार सगठना को पुनरीक्षित, परिष्कृत एव परिवर्द्धित किया गया है। हमारा देश भारत भी इन परिवर्तनशील परिस्थितियो से अछूता नही रहा है। यहाँ भी जून–1991 के बाद विश्व व्यापार व्यवस्था से ताल–मेल बनाये रखने हेतु आर्थिक उदारीकरण की एक नई लहर चली है जिसमे भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, अनेक वस्तुओ के आयात–निर्यात को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, आयात–निर्यात के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया गया, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए विनियमो को उदार बनाया गया, आर्थिक भूमण्डलीकरण मे शामिल होने के लिए एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम मे अनेक सशोधन किया गया तथा नियन्त्रण के कई अन्य प्रावधानो का निरसन भी किया गया।

इस प्रकार विश्व एव भारत के नये आर्थिक परिदृश्य मे राजकीय व्यापार को अपनी रचनात्मक भूमिका की खोज करनी है। हम पुरातनवादी परम्परागत आर्थिक मार्गो पर चलकर राजकीय व्यापार के समाजिक कल्याण की प्राप्ति मे रचनात्मक भूमिका निर्वहन नही कर पायेगे। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदल चुकी है, इसलिए राजकीय व्यापार को भी अपनी प्राथमिकताओ के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। नि सन्देह समाजवादी सकल्पना को साकार करने मे लगे नियोजित विकास–शील अर्थव्यवस्था वाले भारत मे राजकीय व्यापार की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राज्य एव लोकतन्त्र। राजकीय व्यापार आयात को अधिक मितव्ययी एव निर्यात को अधिक लाभप्रद ढग से सम्पादित कर सकता है। राज्य इसके माध्यम से कमजोर एव निर्धन उपभोक्ता के प्रति अपने पुनीत कर्तव्यो का निर्वहन भी कुशलतम ढग से करता है।

अत राजकीय व्यापार को वाणिज्यिक सिद्धान्तो के अनुसार चलाने तथा बदली हुई नयी आर्थिक परिस्थितियो के अनुरूप इसे अपनी नयी रचनात्मक भूमिका तय करने के लिए एक स्थायी समिति का सगठन करना चाहिए जो समय–समय पर राजकीय व्यापार की भूमिका को उपयोगी बनाने हेतु अपने सुझाव देती रहे। इसमे उत्पादक, उपभोक्ता एव सामाजिक सगठनो से जुडे योग्यता प्राप्त एव अनुभवी सदस्यो को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरक्त जो सुझाव राजकीय व्यापार को वर्तमान सन्दर्भों मे अधिक उपयोगी बनाने हेतु दिये गये है उनको उपयागिता एव प्राथमिकता के क्रम मे लागू किया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यवसाय मे लगे व्यक्तियो मे ईमानदारी, निष्ठा एव नैतिकता की भावना जागृति की जाय जिससे कि वे राष्ट्रहित मे कार्य कर, समाज का अधिकतम कल्याण करे, इससे राज्य एव राजकीय व्यापार से समाज जो अपेक्षाए रखता है उन्हे पूरा किया जा सकेगा और राजकीय व्यापार अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने मे सफल हो सकेगा।

******

सदर्भिका

(क) पुस्तके –

1 अग्रवाल डी सी — इण्डियन इकोनमी साहित्य भवन आगरा–1994

2 अग्रवाल, आर सी एव ए एन — व्यावसायिक सगठन, प्रबन्ध एव प्रशासन, नवयुग साहित्य सदन आगरा–1994

3 भण्डारी एण्ड बोरा एन एन — इण्डियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रोल ऑफ प्राइवट ट्रेड

4 भार्गव, आर एन — प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिग, किताबिस्तान इलाहाबाद–1945

5 बजाज, आर के एव पोरवार, बी एल — सरकार समाज एव व्यवसाय, रिसर्च पब्लिकेशन इन शोसल साइस–1979

6 चटर्जी आर एन — प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिग इन इण्डिया, कलकत्ता–1970

7 चौधरी, बी जी — लॉ ऑफ मोनोपोली एण्ड रिस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज इन इण्डिया, प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया, नई दिल्ली

8 ढोलकिया एव खुराना — पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आक्सफोर्ड एण्ड आई वी एच, पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली–1979

9 द्विवेदी, एम एल — गवर्नमेन्ट एण्ड विजनेस

10 गुप्ता, एम एल — स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया, साहित्य भवन आगरा

11 गुप्ता, अरविन्द — पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड ग्रेन इन इण्डिया, एग्रीकल्चर इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट, अहमदाबाद–1977

12 गुप्ता, ए पी — मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, बम्बई

13 गुप्ता, के आर — वर्किग ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया एस चॉद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली–1970

14 गाबा ओ पी — राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली–198 7

15 हजेला, टी एन — आर्थिक विचारो का इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा–1986

16 हाटकिस — मिल स्टोन आफ मार्केटिंग, मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क–1938

17 जैन, एम पी — राजनीति के सिद्धान्त, आथर्स गिल्ड पब्लिकेशस, नई दिल्ली–1988

18 जैन, पुखराज — राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त, साहित्य भवन आगरा–1983

19 जैन, एस सी — विपणन, विक्रयकला एव विज्ञापन, साहित्य भवन आगरा–1994

20 जगदीश प्रकाश — राज्य एव व्यवसाय, प्रयाग पुस्तक सदन, इलाहाबाद–1991

21	जाडर ई टी	मार्केटिंग एण्ड पब्लिक पालिसी ,सहाल
22	कुम्भट,जे आर एव अग्रवाल जी सी	विपणन प्रबन्ध, किताब महल, इलाहाबाद
23	कोटलर फिलिप	मार्केटिंग मैनेजमेट, प्रेटिस हाल आफ इण्डिया नई दिल्ली
24	खुराना,राकेश	एन एनालिटिकल एप्रोच,फारम्युलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पालिसी
25	कुलश्रेष्ठ,आर एस	निगमो का वित्तीय प्रबन्ध,साहित्य भवन आगरा–1990
26	मजूमदार राय एव चौधरी	भारत का वृहत इतिहास,मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड,मद्रास–1990
27	मामोरिया एव जैन	भारतीय अर्थशास्त्र,साहित्य भवन आगरा–1995
28	मैसन, एण्ड रथ	मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन
29	मालवीय,एच सी	सरकार,समाज एव विपणन, किताब महल, इलाहाबाद–1990
30	माथुर, एस पी	कोआपरेटिव मार्केटिंग इन यू पी
31	मोर्स, एस	दि प्रैक्टिकल एप्रोच टू मार्केटिंग मैनेजमेण्ट,माग्राहिल न्यूयार्क
32	मैगी, जे एफ	फिजिकल डिस्ट्रीब्यूश्न सिस्टम, माग्राहिल न्यूर्याक
33	मौरिस जार्ज पी एण्ड फ्रे राबर्ट डब्ल्यू	करेट मार्केटिंग, न्यूकाउफील्ड प्रेस, सैन फ्रासिस्को–1973
34	ओम प्रकाश	प्राचीन भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास,वाइली ईस्टर्न लिमिटेड, नई दिल्ली–1986
35	सतीश चन्द्र	मध्यकालीन भारत,एन सी ई आर टी ,अक्टूबर–1990
36	सक्सेना,के के	इव्यूलेशन आफ कोआपरेटिव मूवमेण्ट,सोम्या पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई–1974
37	शुक्ला एव गुप्ता	मरकेन्टाइल लॉ,साहित्य भवन आगरा–1994
38	शुक्ला,आर एल	आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–1987
39	शर्मा,टी आर एव जैन,एस सी	बाजार व्यवस्था, साहित्य भवन आगरा–1991
40	शर्मा,एल पी	मध्यकालीन भारत,लक्ष्मी नारायण अग्रवाल,आगरा–1976
41	श्रीवास्तव,के सी	प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद–1989
42	सिह,वी वी	एन एव्यूलेशन आफ फेयर प्राइस शाप,आक्सफोर्ड एण्ड आई वी एच ,पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली
43	उपाध्याय,शर्मा एव सुधा	व्यवसाय समाज एव सरकार,रमेश बुक डिपो,जयपुर–1988–89
44	विपिन चन्द्र	आधुनिक भारत–एन सी ई आर टी –1990

45 वर्मा, हरिश्चन्द्र — मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–1986

46 वैब्विस्टम, फ्रेडरिक ई — सोशल आसपेक्ट आफ मार्केटिंग, प्रेन्टिस हाल आफ इण्डिया, नई दिल्ली–1974

(ख) अधिनियम –

- भारत का सविधान राजभाषा खण्ड, विधि एव न्याय मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली–1988
- औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम–1951
- अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम–1952
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम–1954
- आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955
- प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम–1956
- व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम–1958
- एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम–1969
- पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश–1975
- बाट एव माप मान अधिनियम–1976
- उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम–1986
- भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश–1992

(ग) पत्रिकाए –

- भारत, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम, लक्ष्मीनगर दिल्ली
- सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, दिल्ली
- इकोनॉमिक सर्वे आफ इण्डिया
- इकोनॉमिकएण्ड पोलिटिकल वीकली
- फूड कोप, भारतीय खाद्य निगम, त्रैमासिक न्यूज लैटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली
- फैक्ट्स फार यू
- इण्डियन जर्नल आफ मार्केटिंग, एसोसियेटेड मैनेजमेण्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली
- इण्डिया टुडे, कनाट प्लेस, नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र

- मैनेजमेण्ट कारपोरेशन नई दिल्ली
- प्रतियोगिता दर्पण, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
- सहकारिता, यू पी कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ
- दि कामर्स जर्नल, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद
- उद्योग व्यापार पत्रिका, ट्रेड फेयर एथॉरिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली
- योजना, पब्लिकेशन डिवीजन, पटियाला हाउस, नई दिल्ली

(घ) प्रतिवेदन –

- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, 36–जनपथ, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो एव सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली
- रिपोर्ट आफ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली
- इस्टीमेट कमेटी, रिपोर्ट ऑन दि स्टेट ट्रडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली 196 6
- स्टेट इन फूड ग्रेन, बिरला साइटिफिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट
- इकोनॉमिक कमीशन फार एशिया एण्ड फार ईस्ट, स्टेट ट्रेडिंग इन कन्ट्रीज आफ इस्कैफ रीजन, जिनेवा–1964
- रिपोर्ट ऑन इनक्वाइरी कमीशन–1965

(ङ) समाचार पत्र –

- नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली
- अवर लीडर, इलाहाबाद
- दि इकोनॉमिक टाइम्स, नयी दिल्ली
- फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नयी दिल्ली
- टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली
- दैनिक जागरण, वाराणसी
- आज, वाराणसी.

****